त्रयोदश माला, खंड 21, अंक 19

शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2001
23 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)



(खंड 21 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 19, शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2001/23 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय		कॉलम
संसद भवन पर आतंकवादी हमले की निन्दा और हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना के बारे में संकल्प		1–2
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	341 से 360 (13.12.2001)	2–67
	361 से 380 (14.12.2001)	67–101
अतारांकित प्रश्न संख्या	3756 से 3985 (13.12.2001)	101–391
	3986 से 4215 (14.12.2001)	392–738
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी के बारे में दिनांक 29 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5585 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		738–744

लोक सभा

शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2001/23 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

संसद भवन पर आतंकवादी हमले की निन्दा और हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल एक आत्मघाती आतंकवादी दस्ते ने संसद भवन पर कायरतापूर्ण हमला किया। आतंकवादी संसद भवन परिसर में घुसने में तो सफल हुए परन्तु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, दिल्ली पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और संसद की वाच एण्ड वार्ड के बहादुर सुरक्षा कर्मियों द्वारा समय पर की गई कार्यवाही ने संसद भवन के अन्दर घुसने का उनका प्रयास विफल कर दिया। सुरक्षा-कर्मियों ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन साथ ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कर्मी, दिल्ली पुलिस के चार जवान और संसद की वाच एंड वार्ड के एक अधिकारी ने आतंकवादियों का सामना करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इस हमले में ड्यूटी पर तैनात एक निर्दोष माली को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इन बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान करके नि:स्वार्थ साहस और बहादुरी की सर्वोच्च मिसाल कायम की है। इन शहीदों के परिवारों की अपूरणीय निजी क्षति की इस घड़ी में हम इनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। इस हमले में अनेक सुरक्षा कर्मी और मीडिया कर्मियों सहित अन्य व्यक्ति भी घायल हुए हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं।

यह हमला केवल संसद पर ही नहीं, अपितु देश की स्वतंत्रता पर भी है। विगत में ऐसे हमलों के खिलाफ सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट रहा है और मुझे विश्वास है कि अब भी राष्ट्र ऐसी ही एकता का परिचय देगा। हम घृणा और आतंक के इस बर्बरतापूर्ण और नृशंस कृत्य की निन्दा करते हैं। इस हमले ने सम्पूर्ण मानवता को स्तब्ध कर दिया है। मुझे अनेक देशों से भी संदेश प्राप्त हुए हैं जिनमें इस आतंकवादी हमले की निन्दा की गई है।

सदन के माननीय नेता, विपक्ष की माननीय नेत्री, सभी दलों के माननीय नेताओं तथा इस माननीय सभा के सभी सदस्यों तथा अपनी ओर से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ:

> "यह सभा 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की निन्दा करती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास न रखने वाले विवेकहीन तत्वों की हिंसक एवं घृणित प्रवृति के कारण सात निर्दोष व्यक्तियों को अपना जीवन गंवाना पड़ा। ऐसे हमलों से आतंकवाद की बुराई के खिलाफ लड़ने का हमारा दृढ़ निश्चय और मजबूत हुआ है। आइए, हम सभी देश की संप्रभुता और अखंडता की हर कीमत पर रक्षा करने के लिए स्वयं को पुन. समर्पित करें। यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।"

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सदस्यगण इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव

*341. श्री वाई. जी. महाजन:
श्री किरीट सोमैया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेलवे स्टेशनों के मण्डल-वार नाम क्या हैं, जिनका आधुनिकीकरण/उन्नयन/सौन्दर्यकरण के लिए चयन किया गया है;

(ख) इन रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि कई रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी यात्री सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं;

(घ) रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) रेलवे स्टेशनों पर निर्माण के समय आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है और यात्री यातायात में वृद्धि के फलस्वरूप आवश्यकतानुसार, धन की उपलब्धता एवं अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं के अध्यधीन यात्री सुविधाओं का उत्तरोत्तर संवर्धन किया जाता है। रेलवे द्वारा मानकों के अनुसार अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है और तदनुसार कार्यक्रम के आधार पर सुधार किये जा रहे हैं। यात्री सुविधा संबंधी सुधार कार्यों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	व्यय
1998-99	91
1999-2000	115
2000-01	144

(ग) जी नहीं।

(घ) वार्षिक समीक्षा की जाती है और यदि समीक्षा के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो उसे दूर करने की कार्रवाई की जाती है।

(ङ) 200 करोड़ रुपए।

विवरण

भारतीय रेलों पर आधुनिकीकरण/अपग्रेडेशन/सौंदर्यकरण (मंडल-वार) के लिए चुने गए रेलवे स्टेशनों के नाम

रेलवे	मंडल	स्टेशन
1	2	4
मध्य रेलवे	मुंबई	दादर, कल्याण, लोकमान्य तिलक (कुर्ला), मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठाणे
	भुसावल	अकोला, भुसावल, नासिक रोड
	भोपाल	भोपाल, हबीबगंज
	जबलपुर	होशनगढ़, जबलपुर, कटनी, पिपरेया, सतना
	झांसी	आगरा, छावनी, फरीदाबाद, ग्वालियर, झांसी, मथुरा जंक्शन
	नागपुर	चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा
	पुणे	पुणे
	सोलापुर	गुलबर्गा, सोलापुर
पूर्व रेलवे	आसनसोल	आंदल, आसनसोल, दुर्गापुर, जसीडीह, मधुपुर, रानीगंज, कुल्टी
	धनबाद	बक्सर, धनबाद, कोडरमा
	दानापुर	आरा, दानापुर, मोकामा, नालंदा, पटना, नवादा
	मालदा	भागलपुर, जमालपुर, मालदा टाउन
	सियालदाह	बारासत, बरुईपुर, बिधाननगर रोड़, बज बज, कैनिंग, धाकुरिया, दम दम, गरिया, घुटियारी शरीफ, कृष्णानगर रोड़, मध्यमग्राम, मुर्शिदाबाद, राणाघाट, सियालदह, सोनारपुर, तालीगंज, उल्टाडांगा
	हवड़ा	बांदेल, बर्धमान, बशीरहाट, बोलपुर, दाकुनी, हवड़ा, लाबपुर, नाबाद्वीपधाम सैंथिया, तारकेश्वर
	मुगलसराय	मुगलसराय, गया, देहरी ऑन सोन

1	2	4
उत्तर रेलवे	इलाहाबाद	अलीगढ़, इलाहाबाद. कानपुर सेंट्रल, प्रयाग, टूंडला
	अंबाला	अंबाला कैंट, आनंदपुर साहिब, चंडीगढ़, कालका, पटियाला, सहारनपुर, शिमला
	फिरोजपुर	अमृतसर, भटिंडा, ब्यास, फिरोजपुर, जालंधर सिटी, जम्मू तवी, कठुआ, लुधियाना, पठानकोट
	बीकानेर	बीकानेर, दिल्ली छावनी, हिसार, रेवाड़ी, श्रीगंगानगर, दिल्ली सराय रोहिल्ला
	मुरादाबाद	बरेली, देहरादून, हरिद्वार, मुरादाबाद
	लखनऊ	अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी
	दिल्ली	बागपत रोड़, बड़ौत, दिल्ली, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मेरठ सिटी, नई दिल्ली, पानीपत
	जोधपुर	जोधपुर
पूर्वोत्तर रेलवे	इज्जतनगर	इज्जतनगर, काठगोदाम, पीलीभीत
	लखनऊ	बादशाह नगर, बस्ती, गोंडा जंक्शन, गोरखपुर, लखनऊ, रावतपुर
	वाराणासी	बलिया, छपरा, दियोरा सदर, मंडवाडीह, मऊ, मोतीहारी, सिवान, बेगूसराय
	समस्तीपुर	बरौनी जंक्शन, दरभंगा, हाजीपुर जंक्शन, समस्तीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	कटिहार	अलुआबारी रोड, दलखोला, घुम, हरीशचंद्रपुर, कटिहार, किशनगंज, न्यू जलपाईगुडी, रायगंज, सिलीगुडी टाउन, मालाहर
	अलीपुरद्वार	अलीपुरद्वार जंक्शन, कूच बिहार, जलपाईगुडी, कोकराझार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू बोगांईगांव, न्यू माल, श्रीरामपुर
	लमडिंग	धर्मनगर, जोरहाट टाउन, न्यू तिनसुकिया
दक्षिण रेलवे	चेन्नै	चेन्नै बीच, चेन्नै सेंट्रल, चेन्नै एषम्बूर, कटपाडि, मांबलम, तिरूत्तनी
	पालघाट	कालीकट, कण्णौर, कोयमबत्तूर, ईरोड, मंगलौर, पालघाट, सेलम
	तिरूवंनतपुरम	अलवे, चेंगानूर, एर्णाकुलम, कन्याकुमारी, कोट्टायम, कोल्लम, त्रिचूर, तिरूवंनतपुरम, सेंट्रल
	बेंगलूरू	बेगलूरू
	मैसूर	मैसूर, शिमौगा
	तिरूच्चिरापल्ली	पांडिचेरी, तिरूच्चिरापल्ली
	मदुरै	मदुरै, रामेश्वरम, तिरूनेलवेल्ली, तूतीकोरीन
दक्षिण मध्य रेलवे	सिकंदराबाद	हैदराबाद, सिकंदराबाद, वारंगल
	हैदराबाद	नांदेड, काचेगुडा
	विजयवाड़ा	गुंतूर, काकिनाडा, नल्लौर, राजामुंद्री, विजयवाडा
	गुंतकल	धर्मावरम, गुंतकल, रायचूर, तिरूपति
	हुबली	होस्पेट, हुबली, मडगांव, तोरनगल्लू, वास्को-डि-गामा

1	2	4
दक्षिण पूर्व रेलवे	आद्रा	आद्रा, बिश्नुपुर, गरबेट्टा, रांची
	बिलासपुर	बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर
	चक्रधरपुर	जारसुगुडा, राउरकेला, टाटानगर
	खड़गपुर	बगनान, बालासौर, चक्रधरपुर, कोंटयरोड, जारग्राम, खड़गपुर, कोलाघाट, माचेडा, मिदनापुर, संतरागाछी, तामलुक, उलुबेरिया
	खोरधा रोड़	बडाखंडिता, भद्रक, भुवनेश्वर, बेहरामपुर, बियरी, कटक, धेनकल, गोलंथ्रा, जाजपुरकोयंझार रोड़-कपिलास रोड़, खोरधा रोड, पुरी, रहामा, सूली रोड़
	संबलपुर	संबलपुर, तितलागढ़
	वाल्तेरू	विशाखापत्तनम
पश्चिम रेलवे	मुंबई सेंट्रल	बांद्रा, दादर, मुंबई सेंट्रल, सूरत, नवसारी, वलसाड़, वापी
	वड़ोदरा	अहमदाबाद, आनंद, भरूच, वड़ोदरा
	रतलाम	इंदौर, रतलाम, उज्जैन, चित्तौड़गढ़. निबाहेडा
	कोटा	आगरा फोर्ट, कोटा, सवाई माधोपुर
	अजमेर	आबू रोड़, अजमेर, गांधीधाम, उदयपुर सिटी
	जयपुर	जयपुर
	राजकोट	द्वारका, राजकोट
	भावनगर	भावनगर, गांधीधाम

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति

*342. **श्री अनंत गुडे:**
श्री वाई.वी. राव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में बड़े उपभोक्ताओं की ओर बकाया धनराशि के कारण स्थिति अत्यंत गम्भीर हो गयी है, जिससे राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बड़े उपभोक्ताओं की ओर बकाया धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा इस बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और इनके कारण गत दो वर्षों के दौरान, विशेषकर महाराष्ट्र में, क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सामान्यत: राज्य विद्युत बोर्डों और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के प्रचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु क्या योजना बनाई गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (घ) राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों की प्राप्तियां बढ़ती रही हैं और योजना आयोग के अनुसार ये वर्ष 1992-93 में 6720 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 में 18786.5 करोड़ रुपये हो गयी है। राज्य-वार स्थिति विवरण-I के रूप में संलग्न है। इस अवधि के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति खराब होती रही है। उनकी हानियां वर्ष 1992-93 में 4560 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 23027 करोड़ रुपये हो गयी है। रा.वि.बो./यूटिलिटियों द्वारा विशेषत:, बड़े उपभोक्ताओं से प्राप्तियों की मॉनिटरिंग करने की संभावना है और अपनी बकाया राशियों की वसूली हेतु प्रभावी कार्रवाई किए जाने की प्रत्याशा है। भारत सरकार रा.वि.बो. की स्थिति पुन: बहाल करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए उनसे अनुरोध करती है। प्राप्तियों की समस्याओं से निपटाना वित्तीय स्थिति की पुन: बहाली करने का मुख्य घटक है। एमएसईबी से

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर महाराष्ट्र राज्य के संबंध में स्थिति विवरण-II के रूप में संलग्न है।

भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 24 के अंतर्गत यूटिलिटियों को शक्तियां प्रदान की गयी है कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत आपूर्ति के लिए प्रभारों का भुगतान न करने पर ऐसे उपभोक्ताओं को कम से कम 7 दिन का लिखित नोटिस देने के पश्चात् यूटिलिटियां विद्युत आपूर्ति को विच्छेद कर सकती हैं। यूटिलिटियां विच्छेदन का सहारा इस प्रावधान के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा प्रभारों का भुगतान न करने पर लेती है। बकाया प्राप्तियों को वसूलने के अन्य उपायों में बकाया देय राशियों का एकमुश्त समाधान, विलम्ब भुगतानों के लिए अधिभार लगाना, देय राशियों की वसूली के लिए मामले दर्ज करना, डूबे ऋणों को समाप्त करना आदि शामिल है।

विद्युत मंत्रालय ने सभी स्टेक होल्डर्स नामश: राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों, यूटिलिटियां, विशेषत: ट्रेड यूनियन, निजी निवेशकों और राजनीतिज्ञों के साथ व्यापक परामर्श करने के पश्चात् एक व्यापक और विस्तृत कार्य योजना तैयार की है ताकि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ विस्तृत नीति को 3 मार्च 2001 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में अंतिम रूप प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के संकल्प की एक प्रति विवरण-III के रूप में संलग्न है। इस नीति के आधार पर, जो यह दर्शाती है कि विद्युत क्षेत्र सुधार में प्रबंधन और चुनौती की वास्तविक समस्या वितरण से संबंधित है, एक ठोस कार्य योजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया है।

रा.वि.बो. की पिछली बकाया राशियों के एकमुश्त समाधान हेतु गठित विशेषज्ञ दल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के संकल्प के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसे उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त दल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस दल में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इस रिपोर्ट के क्रियान्वयन के पश्चात् रा.वि.बो./यूटिलिटियों का तुलन-पत्र सीपीएसयू को देय विस्तृत धनराशियों के भार से मुक्त होगी। उन्हें अच्छी वित्तीय स्थिति प्राप्त करने और 2 से 3 वर्षों के भीतर वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने संबंधी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर होने में सक्षम होना चाहिए। रा.वि.बो./यूटिलिटियों को उनकी वित्तीय स्थिति की मॉनीटरिंग करने में सहायता प्रदान करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स समेत पावर फाइनेंस कारपोरेशन नये लेखांकन मानक/मानदंड तैयार करने का कार्य कर रहा है, जो कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी।

वितरण एवं अनियमित विद्युत आपूर्ति (वितरण ट्रांसफार्मर का बार-बार खराब हो जाना एवं उच्च तकनीकी हानियों के साथ कम वोल्टेज) भारत सरकार ने नये त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अंतर्गत राज्यों को सहायता देने का विचार किया है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में गहन उन्नयन हेतु राज्यों में 63 वितरण सर्किलों में गहन उन्नयन के लिए हाथ में लिए गए हैं। इस कार्यक्रम में भारत सरकार ने वर्ष 2000-01 के दौरान 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस वर्ष में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्यों से भी वित्तीय संस्थाओं में समान राशि उगाहने की आशा की गयी है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन और ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राज्यों को अपेक्षित निधियां देने का आश्वासन दिया है। क्रियान्वयन के लिए सर्किल विशिष्ट विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। कार्यक्रम की केन्द्रीय स्तर के परामर्शदाताओं द्वारा निगरानी की जा रही है, जिसकी फील्ड स्तर पर निरीक्षण की जरूरत होती है। बाद में कार्यक्रम को क्रमिक रूप से देश में कमी वितरण सर्किलों को बढ़ाए जाने का इरादा है। इस प्रयोजनार्थ डीपीआर की तैयारी के लिए सर्किल स्तरीय दल के प्रशिक्षण और परियोजनाओं का क्रियान्वयन कुछ केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों और पीएसयू द्वारा किया जा रहा है। के.वि.प्रा. ने डीपीआर की तैयारी और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत तकनीकी दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। 5 वर्षों की अवधि के भीतर पारेषण तथा वितरण हानियों को 15% तक कम करने का लक्ष्य है। एपीडीपी परियोजनाओं के लिए करारों के विशिष्ट ज्ञापन की परिकल्पना की गयी है। अभिनिर्धारित सर्किलों का ''सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस'' के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि वे चरणबद्ध ढंग से सुधार के लिए देश में शेष वितरण सर्किलों के लिए मॉडल के रूप में कार्य करें। एक नीतिगत समिति का गठन किया गया है ताकि वे निजीकरण/वितरण निगमीकरण के मॉडलों और निजी निवेश आकृष्ट करने के उपायों को सुझाए।

सभी राज्यों के सुधार प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रहा है। ये राज्य विशेष हैं। समझौता ज्ञापनों में, जो अभी तक 19 राज्यों के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। संबंधित राज्यों ने विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति वचनबद्धता प्रदान की है। इन लक्ष्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना, आर्थिक सहायताओं का समय से भुगतान, सभी 11 के.वी. फीडरों

की मीटरिंग, ऊर्जा लेखा परीक्षा, उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग, हानियों में कटौती इत्यादि शामिल है। भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से विद्युत का अतिरिक्त आवंटन, पारेषण प्रणाली के विकास हेतु सहायता, उप पारेषण प्रणाली के विकास हेतु सहायता, उप पारेषण और वितरण के सशक्तिकरण तथा विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के जरिए वित्तीय सहायता के माध्यम से अपनी सहायता प्रदान करने की वचनबद्धता दी है। समझौता ज्ञापनों की निगरानी के लिये विद्युत मंत्रालय ने एक नोडल संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में कुछ दलों का गठन किया है।

वर्तमान में देश में उर्जा की कमी 7.1% है और व्यस्ततमकालीन कमी 13.2% है। दसवीं योजनावधि के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल ने लगभग 470000 मेगावाट का एक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तैयार किया है। केन्द्रीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र में दसवीं योजना के लिए परियोजनाएं पहले ही अभिज्ञात की जा चुकी हैं। राज्यों के मुख्य मंत्रियों से इनके लिए उपयुक्त योजना प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है। योजना आयोग से भी 10वीं योजना में विद्युत क्षेत्र परिव्यय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय व राज्य दोनों क्षेत्रों में क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम की गहन मानीटरिंग के लिए कार्यविधि विकसित की गई है प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। पर्याप्त योजना निधियों और निकट से मानीटरिंग के प्रावधान से 10वीं योजना से क्षमता संवर्द्धन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने का अनुमान है। विद्यमान संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है ऊर्जा क्षमता वृद्धि और ऊर्जा संरक्षण के जरिए मांग पक्ष प्रबंधन और वितरण में तकनीकी हानियों को कम करने के अनन्य उपायों से देश को समयबद्ध तरीके से बिजली की कमी से मुक्त करना संभव होगा।

विद्युत मंत्रालय ने दी गई विद्युत की लागत कम करने की जरूरत के संदर्भ में एक अन्त: अनुशासनिक दल का गठन किया है। दल में अप्रैल, 2001 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कई दीर्घावधिक व अल्पावधिक उपाय, जो क्रियान्वयनाधीन हैं, सुझाए हैं। आगामी कुछ दर्शकों में संभावित हाइड्रो परियोजना की क्षमता उपयोग के लिए सीईए बेसिन वार रैंकिंग अध्ययन कराए है। पावरट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रशिक्षण संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एक समिति गठित की गई है ताकि वह संदर्शी अनुसंधान व विकास योजना तैयार करे। प्रशिक्षण तथा आर एण्ड डी कार्यक्रम तकनीकी उन्नयन, नवीकरण व लागत कमी के सौपान है।

मुख्यमंत्रिया के 3 मार्च, 2001 को आयोजित सम्मेलन में यह संकल्प किया गया कि-

(1) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत ग्राम विद्युतीकरण को एक आधारभूत न्यूनतम सेवा के रूप में माना जाए।

(2) दसवीं योजना के अंत तक अर्थात् वर्ष 2007 तक ग्राम विद्युतीकरण को पूरा कर लिया जाए।

(3) ग्यारहवीं योजना के अंत तक अर्थात् 2012 तक के लिए सभी घरों को बिजली पहुंचाने के लिए लक्षित किया जाए।

राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण को वर्ष 2001-02 से पीएमजीवाई के अंतर्गत बुनियादी सेवा के रूप में शामिल किया गया है जिसके तहत् राज्यों द्वारा 41859.90 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। राज्यों को सन् 2007 तक सभी गांवों और 2012 तक सभी परिवारों को चरणबद्ध ढंग से शामिल करके राष्ट्रीय लक्ष्य पूर्ति की योजना तैयार करने की सलाह दी गयी थी।

मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह सहमति व्यक्त की गयी कि विद्युत क्षेत्र सुधारों को राजनीति से दूर रखा जाए और उनका तेजी से क्रियान्वयन किया जाए। इस प्रयोजनार्थ सभी पार्टियों की सहमति की जरूरत है। राज्यों ने भी सभी राजनैतिक दलों, संघों, विपक्षी नेताओं के बीच तालमेल की जरूरत है। विद्युत पर सभी पार्टियों को एकमत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की समस्याओं को बताने और इसके समाधान के लिए अपेक्षित कार्य योजना के रूप में समूचे भारत देश में रोड शो आयोजित किए गए हैं ताकि लोगों में समझ तथा जागरूकता पैदा की जा सके। समूचे भारत में जिला स्तरों पर 2000 से अधिक रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। यह माना गया कि जन समझ, सहयोग व जागरूकता के बिना काम करना बहुत मुश्किल होगा।

संसद के विगत सत्र में दूरगामी सुधारोन्मुख विद्युत विधेयक, 2001 सदन में पेश किया गया। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत चोरी के मामले में कतिपय कठोर दण्ड प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक में क्रॉस-सब्सिडी में कटौती का प्रावधान भी शामिल है और राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत यूटिलिटियों को आर्थिक सहायता के भुगतान, जहां ये सब्सिडी अपरिहार्य मानी गई है, का प्रावधान भी शामिल है।

अनुमान है कि पूर्व पैराग्राफ में रेखांकित कार्य योजना से राज्य विद्युत बोर्डों के प्रचालनात्मक व वित्तगत निष्पादन में सुधार होगा।

विवरण-I

रा.वि.बो. द्वारा बकाया राजस्व की प्राप्तियां

कुल (करोड़ रुपये)

क्र.सं.	रा.वि.बि.	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	345.9	436.8	456.9	456.8	566.7	732.0
2.	असम	85.2	106.1	130.4	181.2	235.2	283.7
3.	बिहार	613.0	1068.4	1325.7	1802.9	2317.6	2810.0
4.	दिल्ली (डीवीबी)	499.2	543.1	अनुपलब्ध	2192.0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	गुजरात	590.0	577.0	720.0	849.0	1031.0	1110.0
6.	हरियाणा	479.2	592.7	268.7	378.8	514.4	739.8
7.	हिमाचल प्रदेश	34.2	35.9	54.0	46.2	59.5	69.9
8.	जम्मू व कश्मीर	81.9	96.6	112.4	126.1	140.5	125.8
9.	कनार्टक	409.2	442.4	592.0	671.3	760.1	1046.2
10.	केरल	99.8	138.6	170.5	185.6	760.1	1046.2
11.	मध्य प्रदेश	394.2	485.8	577.5	733.2	1045.2	1377.1
12.	महाराष्ट्र	1125.1	1405.0	1641.0	1840.0	2219.0	2573.0
13.	मेघालय	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	66.7	79.9	102.5
14.	उड़ीसा	184.3	146.4	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	373.3	614.3
15.	पंजाब	127.5	156.3	182.2	203.4	247.5	303.9
16.	राजस्थान	211.5	250.9	254.9	342.7	247.5	303.9
17.	तमिलनाडु	70.0	85.0	102.9	84.6	94.0	98.3
18.	उत्तर प्रदेश	1171.6	1437.0	1785.0	2556.9	3005.2	3737.9
19.	पश्चिम बंगाल	198.6	486.6	640.0	784.0	828.5	1153.1
	कुल	6720.3	8490.5	9014.1	13501.4	14524.9	18227.6

विवरण-II

एमएसईबी में उपभोक्ता श्रेणी-वार प्राप्तियों की स्थिति नीचे दी गयी है

क्र.सं.	श्रेणी	31.3.2000 के अनुसार (करोड़ रु. में)	31.3.2001 के अनुसार (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	कृषि		
	एलटी	1265.13	1525.30
	एचटी	38.33	56.14
2.	पथ प्रकाश	49.20	102.46
3.	सार्वजनिक जल कार्य		
	एलटी	71.83	96.07
	एचटी	312.94	374.12
4.	पावरलूम	0.00	258.23
	उप जोड़ (1 से 4)	1737.43	2412.32
5.	घरेलू	767.04	653.06
6.	वाणिज्यिक	291.17	215.75
7.	औद्योगिक		
	एचटी	264.06	141.16
	एलटी	653.37	717.59
8.	अन्य	4.69	9.02
	उप जोड़ (5 से 8)	1984.33	1736.58
9.	जिनका स्थायी रूप से कनैक्शन काट दिया गया है (पीडीसी)		
	एलटी	459.23	772.56
	एचटी	400.60	417.19
	कुल पीडीसी	859.83	1189.75
10.	कुल (एमपीईसीएस/टाटा/ अंतर्राज्यीय को छोड़कर)	4581.59	5338.69
11.	मुला-प्रवरा	364.00	244.73
12.	अंतरराजीय	49.97	78.13
13.	टाटा व अन्य	181.00	245.77
14.	कुल जोड़ (10+11+12+13)	5176.56	5907.28

बकाया देय राशियों की वसूली के लिए महाराष्ट्र द्वारा उठाए गए कदम—

(1) जिन उपभोक्ताओं की धनराशि बकाया है उनकी विद्युत काटने के लिए कार्रवाई गत वर्ष से तीव्र कर दी गयी है। लगभग ढाई लाख उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति प्रतिमाह काटी जा रही है। इसमें मुख्यत: आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं।

(2) कृषि, पथ प्रकाश एवं सार्वजनिक जल व्यवस्था कार्य वाले उपभोक्ताओं के संबंध में आपूर्ति काटने का सहारा लेकर बकाया राशि वसूलने का कार्य कठिन है इससे सामान्यतौर पर जनता को परेशानी होती है।

विवरण-III

3 मार्च, 2001 को मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का संकल्प

1. मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों में विद्युत क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु यह सहमति हुई कि विद्युत सुधारों को राजनीति से अलग करने की नितांत आवश्यकता है तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी लाएं। इस परियोजना के लिए सर्वदलीय सहमति सृजित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री से राज्य विधानसभाओं में विपक्ष के नेताओं समेत एक सर्वदलीय बैठक करने का अनुरोध किया गया।

2. निम्नलिखित संकल्प किए गए:

(क) सभी गांवों तथा घरों का विद्युतीकरण पूरा किया जाना।

(1) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत् ग्राम विद्युतीकरण को एक आधारभूत न्यूनतम सेवा के रूप में माना जाए।

(2) दसवीं योजना के अंत तक अर्थात् वर्ष 2007 तक ग्राम विद्युतीकरण को पूरा कर लिया जाए।

(3) ग्यारहवीं योजना के अंत तक अर्थात् 2012 तक के लिए सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिए लक्षित किया जाए।

(4) जहां कहीं भी अपेक्षित हो विद्युतीकरण के कार्य को हाथ में लेने के लिए गांव/ब्लॉक पंचायत की सहमति के साथ ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत् निधियों का उपयोग करने के लिए राज्य का पूर्ण विद्युतीकरण प्राप्त करने हेतु नम्यता प्रदान की जाए।

(5) यह सहमति हुई कि राज्यों में दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लिए अनुदान सहायता समेत वित्त पोषण के विशेष तरीकों की आवश्यकता होगी।

(ख) वितरण सुधार

प्रबंधन तथा सुधारों की चुनौती की वास्तविक समस्या वितरण क्षेत्रण में पड़ती है।

(1) अगले छः महीनों के भीतर सभी 11 के.वी. फीडरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाए तथा स्थानीय स्थत पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

(2) इस प्रयोजन के लिए एक प्रभाव प्रबंधन सूचना प्रणाली को कार्यरूप देने की आवश्यकता है।

(3) अगले दो वर्षों में विद्युत चोरी का पता लगाने तथा इसे समाप्त करने के लिए उपरोक्त आधार पर एक प्रभावी कार्यक्रम लागू किए जाने की आवश्यकता है।

(4) सभी उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने के कार्य को दिसम्बर, 2001 तक पूरा किया जाए। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

(5) संभरित विद्युत की गुणवत्ता पर विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों को, एपीडीपी तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शीघ्र सुधारे जाने की आवश्यकता है।

(6) निम्नलिखित में से एक अथवा सभी के माध्यम से दो अथवा तीन वर्षों में वितरण व्यवहारिता को प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है।

* पूरी जिम्मेवारी के साथ लाभ केन्द्र सृजित करके।

* पंचायतों/स्थानीय निकायों/मतदाता संघ/उपभोक्ता संघ/ जहां पर आवश्यक हो स्थानीय वितरण को सौंपा जाए।

* वितरण का निजीकरण करके।

* अथवा किसी अन्य साधन से।

(7) राज्यों द्वारा अगर आवश्यक हो विद्युत के वितरण में निजी निवेश आंमत्रित करने पर ध्यान देने के प्रयासों पर जोर देने की आवश्यकता है।

(8) वितरण पर वर्तमान प्रचालन को दो वर्षों में छोड़े जाने की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक लाभ प्राप्त किए जाएं।

(ग) विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ निर्धारण एवं आर्थिक सहायता।

(1) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को अगले छः महीने में कार्यात्मक बनाया जाए तथा टैरिफ संबंधी याचिका दायर की जाए। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों को पूरी तरह से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है जब तक कि इन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा स्थगित अथवा अस्थगित नहीं कर दिया जाता। निःशुल्क विद्युत प्रदान करने की प्रणाली से मुक्ति पाने की आवश्यकता है।

(2) केवल बजट प्रावधानों के जरिए आर्थिक सहायता का भुगतान करने की राज्य सरकार की क्षमता की सीमा तक ही आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(3) 50 पैसे के न्यूनतम कृषि टैरिफ को मुख्य मंत्रियों के पिछले निर्णय को तत्काल क्रियान्वित किया जाए*।

(घ) उत्पादन

(1) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के जरिए विद्यमान संयंत्रों के पीएलएफ में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(2) कम समय में उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में वृद्धि करने का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उत्पादन में वृहत् स्तर निजी निवेश केवल सुधारों के वित्तीय व्यवहार्यता पुनः प्राप्त करने में सफल होने के पश्चात् ही आएगा। केन्द्र और राज्यों को 10वीं योजना के लिए परिव्यय में वृद्धि के बारे में उपयुक्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। उन स्थलों पर निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो सबसे सस्ती विद्युत उत्पादित करते हैं। के.वि.प्रा. ने 2012 तक 100,000 मे.वा. की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की आवश्यकता का आकलन किया है।

---

*पंजाब और तमिलनाडु सहमत नहीं हैं।

(3) जहां राज्य और वित्तीय संस्थान आईपीपी के विकास को आवश्यकता पर सहमत है, वहां उन्हें शीघ्र ही वित्तीय समापन करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। केन्द्र सुधार आधारित बहु-पक्षीय करारों को अंतिम रूप दिए जाने को सरल एवं कारगर बनाएगा।

(4) एक राष्ट्रीय ग्रिड का विकास विद्युत के अंत:क्षेत्रीय अंतरण के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है।

(5) विद्युत तथा अन्य परियोजनाओं के तेजी से पूरा करने के लिए वन सुरक्षा अधिनियम में कुछ प्रावधानों को संशोधित करने की अपेक्षा है।

(ङ) ऊर्जा संरक्षण तथा मांग पक्ष प्रबंधन।

निम्नलिखित के माध्यम से मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में एक प्रभावी कार्यक्रम को आरंभ किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ समुचित लोग, जागरूकता तथा व्यापक प्रयास किए जाएं—ऊर्जा दक्ष बल्ब, ट्यूब लाईट तथा कृषि पम्पसेट, शिखर तथा गैर-शिखर घंटों के लिए अलग-अलग टैरिफ और दिन के समय बिजली की मीटरिंग।

(च) भारत सरकार से समर्थन

(1) भारत सरकार राज्यों को उनके सुधार प्रयासों में सहयोग देगी। यह सहयोग तभी होगा जब राज्यों में समयबद्ध विद्युत सुधारों के प्रयासों से लिंक होगा तथा वित्तीय व्यवहार्यता की बहाली के प्रति निश्चित मील के पत्थर के समान लिंक होगा।

(2) पीएफसी तथा आरईसी की ब्याज दरों को बाजार की स्थितियों के अनुरूप कम किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सभी विद्युत क्षेत्र के पिछली बकाया राशियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य विद्युत यूटिलिटियों की देय बकाया राशियों का एक ही बार में निपटान हेतु संस्तुति के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन सुधारों के कार्यकरण के साथ जोड़ा जाएगा। यह दल अपने गठन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।

(छ) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से आपूर्ति

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की सतत् आपूर्ति को चालू खरीद के लिए अभिज्ञात करने की क्षमता प्रदर्शित करने के साथ तथा पिछली बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(ज) उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त दल

विद्युत मंत्री तथा कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लेकर एक उच्चस्तरीय शक्ति प्राप्त दल का गठन सुधारों के समन्वयन, मॉनीटर तथा कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया जाएगा।

[हिन्दी]

नौवीं योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण

***343. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या यह लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 30000 गांवों के विद्युतीकरण और 20 लाख पम्पसेटों के उर्जीकरण का समग्र लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 9वीं योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पसेट ऊर्जीकरण के राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्रमश: संलग्न विवरण I और III में दी गयी हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को राज्यों द्वारा तैयार किया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) राज्य सरकारों के संसाधनों में कमी को पूरा करता है और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत 100% अनुदान समेत ऋण सहायता प्रदान करता है। 9वीं योजना के दौरान आरईसी द्वारा किए गए ऋण संवितरण और प्रदान किए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

9वीं योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण की गति उत्साहवर्धक नहीं रही है। राज्य विद्युत बोर्डों (रा.वि.बो.) की गिरती वित्तीय स्थिति के साथ राज्य योजनाओं में विद्युत क्षेत्र परिव्यय की हिस्सेदारी से संबंधित गिरावट से यह स्थिति पैदा हुई है।

3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में संकल्प लिया गया है कि:

(1) प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण को एक आधारभूत न्यूनतम सेवा माना जाए।

(2) 10वीं योजना के अंत अर्थात् वर्ष 2007 तक ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा किया जाए।

(3) 11वीं योजना के अंत अर्थात् वर्ष 2012 तक सभी परिवारों को पूर्णत: शामिल किया जाए।

इस राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण को अब वर्ष 2001-02 से आधारभूत न्यूनतम सेवा के रूप में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत राज्यों द्वारा 41859.90 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

पीएमजीवाई मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक राज्यों के कुल आवंटन का न्यूनतम 10% ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु उद्दिष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्यों को गैर-उद्दिष्ट 35% में से निधियां आवंटित/व्यय करने की नम्यता प्राप्त है।

वर्ष 2007 तक सभी गांवों और वर्ष 2012 तक सभी परिवारों को शामिल किए जाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने हेतु राज्यों को सलाह प्रदान की गयी है।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के राज्यवार लक्ष्य एवं इसमें हुई प्रगति (1991 की जनगणना)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	9वीं योजना के लक्ष्य	के दौरान विद्युतीकृत गांव					
			97-98	98-99	99-00	00-01	01-02 (अक्तूबर, 2001)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश		@	@	@	@	@	
2.	अरूणाचल प्रदेश	579	38	48	24	35	शून्य (डी)	145
3.	असम	2798	20	शून्य	शून्य	शून्य	अनु. (ए)	20
4.	बिहार	4500	5	8	43	37	13	106
5.	झारखंड*						(डी)	
6.	गोवा		$	$	$	$	$	
7.	गुजरात		9	4	@	@	@	13
8.	हरियाणा		@	@	@	@	@	
9.	हिमाचल प्रदेश		139	45	25	37	शून्य	246
10.	जम्मू और कश्मीर	203	14	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	14
11.	कर्नाटक		शून्य	13	15	60*	शून्य (सी)	88
12.	केरल		@	@	@	@	@	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	मध्य प्रदेश	3785	463	300	87	15	शून्य	865
14.	छत्तीसगढ़ (#)					1	शून्य बी	1
15.	महाराष्ट्र		$	$	$	$	$	
16.	मणिपुर	166	52	50	11	शून्य	शून्य	113
17.	मेघालय	1000	43	शून्य	शून्य	8	शून्य (ए)	51
18.	मिजोरम	72	12	3	4	शून्य	शून्य	19
19.	नागालैंड		शून्य	10	33	16	शून्य (डी)	59
20.	उड़ीसा	3000	800	817	748	42	शून्य (बी)	2407
21.	पंजाब		@	@	@	@	@	
22.	राजस्थान	5000	698	685	510	465	49	2407
23.	सिक्किम		$	$	$	$	$	
24.	तमिलनाडु		@	@	@	@	@	
25.	त्रिपुरा	97	15	3	4	3	शून्य (डी)	25
26.	उत्तर प्रदेश	6000	851	711	476	260	24(सी)	2322
27.	उत्तरांचल				(अनु.)(ए)	158	(अनु.)(ए)	158
28	पश्चिम बंगाल	2800	48	83	113	81	32(डी)	357
	कुल (राज्य)	30000	3207	2780	2093	1218	118	9416
	कुल (यूटी)	-	@	@	@	@	@	
	कुल अखिल भारत	30000	3207	2780	2093	1218	118	9416

*पहले से विद्युतीकृत हो चुके 48 गांव सहित
@ शत-प्रतिशत विद्युतीकृत गांव
$ 1981 की जनगणनानुसार शत-प्रतिशत गांव
अनु. अनुपलब्ध
(#) 2000-01 में नवगठित राज्य
(ए) 31.3.2001 के अंत तक दर्ज की गयी प्रगति
(बी) 30.4.2001 के अंत तक दर्ज की गयी प्रगति
(सी) 31.8.2001 के अंत तक दर्ज की गयी प्रगति
(डी) 30.9.2001 के अंत तक दर्ज की गयी प्रगति

विवरण-III

9वीं योजना के दौरान पम्पसेट ऊर्जीकरण हेतु राज्यवार लक्ष्य एवं प्रगति

क्र.सं.	राज्य/यूटी	9वीं योजना के लक्ष्य	वर्ष के दौरान पम्पसेटों का ऊर्जीकरण					
			1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 (अक्तूबर, 2001)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	250000	3398	59997	34025	5831	935(सी)	104187
2.	अरूणाचल प्रदेश				-	-		
3.	असम	5000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(अनु) (ए)	
4.	बिहार	50000	932	813	1539	2282	491(डी)	6057
5.	झारखंड (#)							
6.	गोवा	100	391	136	68	209	(अनु)(ए)	804
7.	गुजरात	50000	25931	26262	26665	23741	17549	120148
8.	हरियाणा	20000	943	835	783	9450	2471(डी)	14482
9.	हिमाचल प्रदेश	1000	318	294	370	405	271	1658
10.	जम्मू व कश्मीर	4000	533	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	533
11.	कर्नाटक	250000	32685	59674	40139	81896	14622(सी)	229016
12.	केरल	60000	14723	24050	20457	18433	6781	84444
13.	मध्य प्रदेश	400000	52699	45857	23235	11369	1531	134691
14.	छत्तीसगढ़ (#)					1244	81(बी)	1325
15.	महाराष्ट्र	300000	59473	58810	65530	52185	17689 (डी)	253687
16.	मणिपुर	100				शून्य		-
17.	मेघालय	100				-	-	
18.	मिजोरम	-					-	-
19.	नागालैंड	100					-	-
20.	उड़ीसा	98000	1903	1312	1167	99	शून्य(बी)	4481
21.	पंजाब	30000	8941	9810	10169	22713	9193	60826
22.	राजस्थान	100000	25306	25051	22942	26070	7903	107272
23.	सिक्किम	100				-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	तमिलनाडु	60000	41920	34673	36397	43466	26403	182859
25.	त्रिपुरा	100		121(*)	209	अनु.	-	330
26.	उत्तर प्रदेश	300000	11645	16113	11403	7980	1802(सी)	48943
27.	उतरांचल (#)					106	(अनु.) (ए)	106
28.	पश्चिम बंगाल	20000	1610	2855	2053	1502	499 (डी)	8519
	कुल (राज्य)	1998600	283351	366663	297152	308981	108221	13643688
	कुल (यूटी)		713	581	442	255	92	2082
	कुल अखिल भारत	1998600	284064	367244	297594	309236	108313	1366451

•गत वर्ष की उपलब्धियों सहित
अनु. अनुपलब्ध
#2000-01 में नवगठित राज्य
(ए) 31.3.2001 के अंत तक दर्ज की गयी प्रगति
(बी) 30.4.2001 के अंत तक दर्ज की गयी प्रगति
(सी) 31.8.2001 के अंत तक दर्ज की गयी प्रगति
(डी) 30.9.2001 के अंत तक दर्ज की गयी प्रगति

विवरण-III

9वीं योजना के दौरान संवितरण

क्र.सं.	राज्य	संवितरण				
		1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02 नवंबर, 2001 तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	6094	25350	29435	50623	11652
2.	अरुणाचल प्रदेश	1174	662	1481	754	179
3.	असम	0	82	296	0	
4.	बिहार	147	0	0	0	
5.	गोवा	386	361	243	104	
6.	गुजरात	3931	31296	36160	53572	28122
7.	हरियाणा	836	2357	3420	9212	6782
8.	हिमाचल प्रदेश	2060	3041	2734	4409	3560
9.	जम्मू व कश्मीर	2187	3178	1568	3133	1977

1	2	3	4	5	6	7
10.	कर्नाटक	8655	29486	25949	27086	3178
11.	केरल	5200	13703	24026	46982	24543
12.	मध्य प्रदेश	6826	13461	8508	131	
13.	महाराष्ट्र	26976	23991	39842	75223	29559
14.	मणिपुर	1359	1326	1761	499	
15.	मेघालय	0	0	10000	0	
16.	मिजोरम	256	444	509	565	
17.	नागालैंड	173	333	1143	246	38
18.	उड़ीसा	3612	8841	8610	1807	
19.	पंजाब	3314	3613	33183	58959	27239
20.	राजस्थान	12009	22872	34636	70898	32421
21.	सिक्किम	0	0	0	0	
22.	तमिलनाडु	11476	16434	20727	924	
23.	त्रिपुरा	323	753	1005	643	226
24.	उत्तर प्रदेश	9011	13719	15106	0	
25.	पश्चिम बंगाल	322	29	54	43	
26.	दिल्ली	0	0	0	0	
27.	अन्य*	3054	4928	4709	5109	
	कुल	109381	220260	305105	410922	169476

*केजेपी/ईसीपी हेतु अनुदान।

काली सूची में डाली गई कंपनियां

***344. श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रसार भारती द्वारा काली सूची में डाली गई कंपनियां अपने नाम बदलकर पुन: प्रसार भारती के साथ कारोबार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक कितनी कंपनियों को काली सूची में डाला गया और इनमें से प्रत्येक कंपनी पर किस तरह के आरोप लगाये गये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन समय-समय पर कम्पनियों द्वारा बकाया राशियों का भुगतान न करने पर उनका प्रत्यायन निलंबित/रद्द करता रहा है। बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

1. मासिक मानीटरिंग की जाती है और बकायों को चुकता करने के लिए नियमित अनुस्मारक जारी किए जाते हैं।

2. किसी दोषी एजेंसी/निर्माता को कोई नया कार्यक्रम/कार्यक्रम में विस्तार तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि वे अग्रिम रूप से भुगतान करने और सम्मत भुगतान योजना का पालन करने का वचन नहीं देते है।

3. दोषी एजेंसियों द्वारा भुगतान योजना का पालन न करने पर उनके कार्यक्रमों का प्रसारण रोक दिया जाता है और उनका प्रत्यायन रद्द/समाप्त कर दिया जाता।

4. प्रत्यायन रद्द/समाप्त होने पर एजेंसियों की बैंक गारंटी का नकदीकरण किया जाता है।

5. दूरदर्शन के राजस्व को सुरक्षित करने और क्रेडिट अवधि को कवर करने के लिए बैंक गारंटी राशि बढ़ा दी गई है, और

6. कुछ मामलों में बकाया राशियों की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही भी की गई है।

आकाशवाणी प्रत्यायित एजेंसियों के माध्यम से वाणिज्यिक स्पॉट/प्रायोजकता/प्रयोजित कार्यक्रम स्वीकर करता है। दोषी एजेंसियों का प्रत्यायन अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है और बकाया राशि का निपटारा होने तक बुकिंग केवल अग्रिम भुगतान पर स्वीकार की जाती हैं। ऐसी एजेंसी द्वारा बकाया राशि का निपटान न करने पर उसकी बैंक गारंटी का नकदीकरण किया जाता है। भुगतान संबंधी विवाद होने पर मामला पंचाट हेतु भेजा जाता है तथा कुछ मामलों में बकायों की वसूली के लिए सिविल मामले भी दर्ज किए जाते हैं।

(ग) और (घ) दूरदर्शन के संबंध में 11 दिसंम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार प्रमुख दोषी एजेंसियों की सूची तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

आकाशवाणी के मामले में, उन दोषी एजेंसियों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है जिनके विरुद्ध हाल ही में कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	प्रत्यायन स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	आलिया प्रोडक्शंन	वापस लिया गया	दिल्ली उच्च न्यायालय में कानूनी मामला
2.	एबीसीएल	-वही-	सितम्बर में देय अंतिम किस्त प्राप्त नहीं हुई। दावा विवाद
3.	एडवांस टी वी नेटवर्क	-वही-	वसूली मामला फाइल किया जा रहा है।
4.	आनन्द एडवरटाइजिंग	-वही-	-वही-
5.	बुघन एडवरटाइजिंग	निलंबित	
6.	चैत्र एडवरटाइजिंग		अनुस्मारक जारी
7.	सिनेमा विजन	वापस लिया गया	कानूनी नोटिस जारी
8.	कन्सेप्ट एडवरटाइजिंग	-वही-	वसूली मामला फाइल किया जा रहा है।
9.	कापी डेस्क	-वही-	-वही-
10.	कोरम कम्युनिकेशन	-वही-	-वही-
11.	क्रिएटिव आई	निलंबित	अविवादित बकायों के लिए भुगतान योजना। विवादित राशि के लिए पंचाट
12.	दृष्टि इंडिया	वापस लिया गया	वसूली मामला फाइल किया जा रहा है।

1	2	3	4
13.	फेन कम्युनिकेशन	वापस लिया गया	वसूली मामला फाइल किया जा रहा है।
14.	फिल्म क्राफ्ट	निलंबित	अग्रिम भुगतान योजना
15.	फस्ट ऑप्सन टेलीफिल्म्स	वापस लिया गया	भुगतान योजना।
16.	फ्यूचर कम्युनिकेशंस	-वही-	वसूली मामला फाइल किया जा रहा है।
17.	ग्लोबल एन्टरटेनर्स	-वही-	कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
18.	जी.एन. कम्युनिकेशंस	-वही-	कानूनी नोटिस जारी किया गया।
19.	गुरूजी एडवरटाइजर्स	निलंबित	-वही-
20.	एचटीए		विवादित
21.	इनोविजन फिल्म एवं टीवी	निलंबित	मामला मुम्बई उच्च न्यायालय में।
22.	जया एडवरटाइजिंग	वापिस लिया गया	कानूनी नोटिस जारी किया जा रहा है।
23.	जोशलिन कम्युनिकेशंस	-वही-	-वही-
24.	काइन स्कोप	-वही-	कानूनी नोटिस जारी किया गया।
25.	केएलआई		निदेशालय से कम्पनी की ओर बकाया भुगतान में से 33 लाख रुपये समायोजित किए जाने हैं। अनुस्मारक जारी।
26.	लहर पब्लिसिटी सर्विसेज	वापस लिया गया	कानूनी नोटिस प्रक्रियाधीन है।
27.	मैजिक बॉक्स	-वही-	कानूनी नोटिस जारी
28.	मेगना विजन	-वही-	-वही-
29.	मार्केट मूयर्स	-वही-	पंचाट नियुक्त
30.	माया एन्टरटेनमेंट	-वही-	कानूनी नोटिस जारी
31.	एम वी एम	-वही-	कानूनी नोटिस जारी। पंचाट के लिए अुनरोध।
32.	मीडिया एशिया	-वही-	मामला दिल्ली उच्च न्ययालय में दायर। पंचाट नियुक्त।
33.	मोलिश एडवरटाइजिंग		30.12.2001 तक निपटान का आश्वासन।
34.	मल्टी चैनल	वापस लिया	आपराधिक शिकायत की जा रही है।
			सिविल मामला दायर किया जा रहा है।
35.	एन सी वाई पी		अनुस्मारक जारी
36.	नीरजा फिल्म्स		कानूनी नोटिस जारी (कार्यरत)
37.	एन एफ डी सी		निदेशालय में एन एफ डी सी की ओर बकाया भुगतान में से 30 करोड़ रु. समायोजित किए जाने हैं।

1	2	3	4
38.	निम्बस कम्युनिकेशंस		पंचाट के अधीन (कार्यरत)
39.	नुमैरा उनो	वापस लिया गया	कानूनी नोटिस जारी। परिसमापन याचिका दायर की जा रही है।
40.	पीएनसी	निलंबित	भुगतान योजना परंतु दोषी। अंतिम नोटिस जारी।
41.	पीएएस इण्टरनेशनल		किस्तों में भुगतान (कार्यरत)
42.	प्लस चैनल	वापस लिया गया	परिसमापक नियुक्त
43.	प्राइम टाइम मीडिया	निलंबित	अनुस्मारक जारी
44.	प्रोमिमेण्ट	वापस लिया गया	विवादित
45.	राधा पब्लिसिटी	निलंबित	कानूनी नोटिस जारी किया जा रहा है।
46.	रीजनेबल एडवरटाइजिंग		भुगतान योजना (कार्यरत)
47.	सागर एण्टरप्राइजेज	निलंबित	भुगतान योजना
48.	श्री माधव	वापस लिया गया	1230* (बी जी नकदीकरण हेतु भेजा गया)। बैंक के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज।
49.	ट्राइटन कम्युनिकेशंस		14.12.2001 तक भुगतान का आश्वासन (कार्यरत)
50.	यूनिवर्सल		कानूनी नोटिस जारी
51.	यूरेनस	वापस लिया गया	-वही-
52.	यू टी वी		समस्त राशि निदेशालय से ली जानी है (कार्यरत)
53.	विज्ञापन	वापस लिया गया	
54.	डब्ल्यू डी कन्ज्यूमर		निदेशालय को देय भुगतान में से समायोजित करने को कहा गया है।
55.	वर्ल्ड मीडिया	वापस लिया गया	कानूनी नोटिस जारी
56.	वर्ल्डकॉम एम/एम	-वही-	-वही-
57.	बी 4 यू मल्टीमीडिया		पंचाट नियुक्त
58.	नॉइन नेटवर्क बी/सी		558 लाख रुपये के लिए कम्पनी ने एक प्रस्ताव रखा है अर्थात उसे देय बी सी सी आई आयोजनों की निर्माण लागत में से राशि वसूल की जाएगी।
59.	फिल्म सिटी		बी जी द्वारा संरक्षित

विवरण-II

आकाशवाणी द्वारा दोषी एजेंसियों को जारी कानूनी नोटिसों का ब्यौरा

क्र.सं.	विज्ञापन एजेंसी का नाम
1.	मैसर्स सुचन्द्रा एड-मीडिया
2.	मैसर्स रेणुके एडवर्टाइजिंग कम्पनी
3.	मैसर्स मॉ कम्युनिकशन्स बोजेल (प्रा.) लिमिटेड
4.	मैसर्स मुसिरेका कैसेट्स इनकारपोरेशन
5.	मैसर्स रेडियो टी.वी. कमर्शियल
6.	मैसर्स एडेयर एडवर्टाइजिंग
7.	मैसर्स रेयर कम्युनिकेशन्स
8.	मैसर्स श्री एडवर्टाइजिंग
9.	मैसर्स श्री राघवेन्द्र एडवर्टाइजिंग
10.	मैसर्स वी.आर.जी. एजेंसी
11.	मैसर्स मंत्रालया महान एडवर्टाइजिंग
12.	मैसर्स नोइजी रिकार्डिंग

धनराशि का अन्यत्र उपयोग

***345. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे की परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग अन्य रेलवे जोनों के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आवंटित धनराशि में से कुल कितनी धनराशि का उपयोग अन्य शीर्षों/मंडलों/जोनों के लिए किया गया और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) जी हां, निधियों का बेहतर उपयोग करने की दृष्टि से नियमों के अंतर्गत यथाअनुमेय निधियों के अन्यत्र उपयोग अथवा पुनर्विनियोग का आश्रय लिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से पुनर्विनियोग करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है:

* भूमि अधिग्रहण में विलंब, संविदागत समस्याओं, अदालती मुकदमों आदि के कारण कुछ निर्माण कार्यों की मंद प्रगति, जिसके परिणास्वरूप आबंटित निधियां अधिशेष हो जाती हैं।
* लक्ष्य तिथि वाली परियोज़नाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
* सामग्री आदि की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए।
* संसाधनों की उपलब्धता में परिवर्तन।

(ग) वर्ष 1998-1999, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान उत्तर रेलवे को आबंटित निधि में से अन्य जोनों को अंतरित की गई कुल धनराशि लगभग 16 करोड़ रुपए थी। बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि इन वर्षों के दौरान अन्य जोनों से उत्तर रेलवे को भी कतिपय पुनर्विनियोग किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर रेलवे को लगभग 23 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। समग्र रूप से, इन तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे में मूल बजट परिव्यय की तुलना में वास्तविक (शुद्ध) व्यय में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं रहा है।

[अनुवाद]

लड़ाकू प्रशिक्षण विमान की खरीद

***346. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लड़ाकू विमान की खरीद और उन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए कोई निश्चित मूल्य वार्ता समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बिना और देरी किये इन प्रशिक्षण विमानों को खरीदने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सरकार उन्नत जेट प्रशिक्षक की खरीद हेतु विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है। सरकार इस मामले को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की इच्छुक है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन के लिए निजी कम्पनियों से प्रस्ताव

***347. श्री राम टहल चौधरी:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान निजी कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से कितने प्रस्तावों को अब तक मंजूरी दी गयी है और उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2001-02 (अब तक) के दौरान निजी क्षेत्र की 22 विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्रदान किए जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में प्राप्त किए गए है। इनमें चार जल विद्युत परियोजनाएं और 18 ताप विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से निम्नलिखित छ: विद्युत परियोजनाओं को के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्रदान कर दी गयी है।

(1) हिमाचल प्रदेश में मै. धामवाड़ी पावर कंपनी लि. की धामवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना (70 मेगावाट)।

(2) उत्तरांचल में मैं. डंकन्स नॉर्थ हाइड्रो पावर कंपनी लि. की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट)

(3) आंध्र प्रदेश में मै. इस्पात पावर लि. की वेमागिरि संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन विद्युत परियोजना (492 मेगावाट)।

(4) आंध्र प्रदेश में मे. बीबीआई पावर कृष्णापटनम कंपनी की कृष्णापटनम ''बी'' ताप विद्युत परियोजना (520 मेगावाट)।

(5) कर्नाटक में मै. नागार्जुन पावर कारपोरेशन लि. की नागार्जुन ताप विद्युत परियोजना (1015 मेगावाट)।

(6) तमिलनाडु में मै. इंडिया पावर प्रोजेक्ट्स लि. की वेम्बर सीसीजीटी (1873 मेगावाट)।

कुछ अनिवार्य सूचनाओं/स्वीकृतियों आदि के अभाव में के.वि.प्रा. द्वारा शेष 16 निजी विद्युत परियोजनाओं की स्कीमें संबंधित परियोजना विकासकर्त्ताओं को लौटा दी गयी हैं जैसा कि नीचे इंगित किया गया है-

(1) पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय से स्वीकृत

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति

(3) भूमि की उपलब्धता

(4) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) और (3) के अंतर्गत अनुपालना

(5) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और लागत पर राज्य सरकारी अनुमोदन

(6) जल उपलब्धता सुनिश्चित करना

(7) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से स्वीकृति

(8) रेलवे से रेल परिवहन की स्वीकृति।

उपरोक्त छः टीईसी परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय समापन प्राप्त नहीं किया गया है, क्योंकि इसे केवल ऋणदाताओं, वित्तीय संस्थानों इत्यादि के साथ वित्तपोषण सुनिश्चित करने के पश्चात् ही प्राप्त किया जा सकता है।

[अनुवाद]

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की भुगतान के आधार पर सेवायें लेना

***348. श्री मोहन रावले:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तेल की खोज संबंधी कराये जा रहे सर्वेक्षण कार्य में परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों की भी भुगतान के आधार पर सेवायें ली जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो उन विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं का ब्यौरा क्या है, जिनकी ओ.एन.जी.सी. द्वारा भुगतान के आधार पर सेवाएं ली गई और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ग) विदेशों से ऐसे परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों की भुगतान के आधार पर सेवायें लेने के क्या कारण हैं, जबकि देश में ही विशेषज्ञ उपलब्ध हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में ओ.एन.जी.सी. के इंजीनियरों आदि को प्रशिक्षण दिलाने पर कितनी धनराशि व्यय की गयी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) विशेष प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में समय-समय पर सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य के लिए परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों की सेवाएं भुगतान के आधार पर लेता है। इसके अलावा, ऐसा परामर्श अन्वेषण और उत्पादन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ एन जी सी द्वारा अन्वेषण से संबंधित कार्य के लिए विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की भुगतान के आधार पर ली गई सेवाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	परामर्शदाता का नाम	किया गया व्यय (लाख रुपये में)
1.	1998-1999	श्री सी एन रामदेव, पूर्व महाप्रबंधक, ओ एन जी सी	1.40
2.	1998-1999	श्री पी एल जुत्शी, पूर्व-महाप्रबंधक, ओ एन जी सी	0.84
3.	1998-2000	श्री वी. रेवरमन, पूर्व-महाप्रबंधक, ओ एन जी सी और श्री गुरचरण सिंह, पूर्व-महाप्रबंधक	3.00
4.	1998-2001	डा. डी एस एन राजू, पूर्व-उप महाप्रबंधक (जी), ओ एन जी सी	3.50
5.	1998-2001	मैसर्स होल्डिटिक रिजर्वायर टैकनोलाजीस, 5599 सेन फैलिपे, सुइट 1706, हूयूस्टन अमरीका	63.36
6.	1999-2000	स्टोन एंड एसोसिएट्स के डा. जी स्टोन	6.56
7.	2000-2001	मैसर्स जी एक्स टैक्नोलाजीस के सहयोग से मैसर्स स्टोन एंड एसोसिएट्स के डा. डी. जी. स्टोन सहबद्ध ओ एन जी सी कार्यकारियों के यात्रा व्यय सम्मिलित है)	8.62
		योग	87.28

(घ) सरकार ओ एन जी सी के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई व्यय नहीं करती। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ एन जी सी द्वारा अपने इंजीनियरों को विदेशों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
1	2
1998-1999	2.17
1999-2000	4.71
2000-2001	7.48
योग	14.36

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति विद्युत खपत

***349. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितनी है;

(ख) भारत का विश्व में विद्युत की प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति खपत के मामले में कौन सा स्थान है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में विद्युत की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खपत 0.97 कि.वा.घं. थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान दैनिक प्रति व्यक्ति खपत का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) वर्ष 1996 के लिए कुछ विकसित देशों, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, की तुलना में भारत की स्थिति नीचे दी गयी है:

देश का नाम	वर्ष 1996 के दौरान विद्युत की दैनिक प्रति व्यक्ति खपत (कि.वा.घ.)
यू.एस.ए.	32.31
फ्रांस	16.68
जर्मनी	15.33
यू.के.	14.24
जापान	19.40
इटली	11.49
रूस	11.41
स्वीडन	39.01
स्विटजरलैंड	18.95
भारत	0.97

(ग) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के जरिए विद्यमान संयत्रों की क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त नौवीं योजना के दौरान नई क्षमता अभिवृद्धि करने से देश की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि होगी। नौवीं योजना के दौरान संभावित क्षमता अभिवृद्धि लगभग 19000 मेगावाट है। यह अनुमान लगाया गया है कि 10वीं और 11वीं योजनाओं के दौरान मांग को पूरा करने के लिए लगभग 100000 मेगावाट की उत्तरोत्तर क्षमता अभिवृद्धि अपेक्षित होगी।

विवरण

विद्युत की दैनिक प्रति व्यक्ति खपत (यूटिलिटी + गैर-यूटिलिटी)

(आंकड़े कि.वा.घं. में)

क्षेत्र	राज्य/यूटी का नाम	1999-2000
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	1.45
	हिमाचल प्रदेश	0.93
	जम्मू व कश्मीर	0.73
	पंजाब	2.52
	राजस्थान	0.92
	उत्तर प्रदेश	0.48
	चण्डीगढ़	2.26
	दिल्ली	1.79
पश्चिम क्षेत्र	गुजरात	2.29
	मध्य प्रदेश	0.96
	महाराष्ट्र	1.43
	गोवा	1.92
	दमन और दीव	10.76
	दादरा एवं नगर हवेली	10.64
दक्षिण क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	1.14
	कर्नाटक	0.97
	केरल	0.87
	तमिलनाडु	1.45

1	2	3
	पाण्डिचेरी	3.15
	लक्षद्वीप	0.67
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	0.38
	उड़ीसा	0.94
	पश्चिम बंगाल	0.58
	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.61
	सिक्किम	0.53
उ.पू. क्षेत्र	असम	0.26
	मणिपुर	0.19
	मेघालय	0.44
	नागालैंड	0.23
	त्रिपुरा	0.26
	अरुणाचल प्रदेश	0.19
	मिजोरम	0.33
	अखिल भारत	0.97

आयुध कारखानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात

***350. डा. जसवंत सिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न आयुध कारखानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नये आयुध कारखानों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन आयुध कारखानों की कब तक स्थापना किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) सरकार ने रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए कतिपय उपायों की पहचान की है। ये उपाय निम्नलिखित हैं:

(1) संभावित उत्पादों और देशों की पहचान करना और उनके लिए विपणन संबंधी विशिष्ट रणनीतियां तैयार करना;

(2) आयुध निर्माणी बोर्ड को निर्यात संबंधी प्रश्नों के जवाब में न्यूनतम मूल्य निर्धारण सिद्धातों, यदि जरूरी हो, के आधार पर प्रतियोगी मूल्य कोट करने के लिए समर्थ बनाना;

(3) संपर्क स्थापित करने और भारतीय आयुध निर्माणियों के उत्पादों से परिचित कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना और भारत में रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन करना;

(4) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के रक्षा सलाहकारों/अताशों (अटेचीस) के साथ आपसी संपर्क बढ़ाना;

(5) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से संबंधित संविदाओं के आधार पर, तीसरे देशों को उत्पादों का निर्यात करने के लिए, जहां संभव हो, समुचित प्रावधान शामिल करना।

सरकार ने बड़े कैलीबर वाले गोलाबारूद के लिए प्रणोदकों की बाय-मॉड्यूलर चार्ज प्रणाली के विनिर्माण के लिए बिहार में नालंदा जिला के राजगीर में एक आयुध निर्माण की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे दिसंबर, 2005 तक चालू कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर/पूर्वोत्तर राज्यों में सूचना माध्यमों का विस्तार

***351. श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सूचना माध्यमों के विस्तार संबंधी योजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थापनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है, जिनको इन योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किया जाएगा, जिनमें सुधार किया जाएगा और जिनका विस्तार किया जाएगा और अनुमानत: इस पर कितना समय लगेगा तथा कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर में 430.07 करोड़ रुपये की लागत पर दूरदर्शन और आकाशवाणी कवरेज के सुधार के लिए एक विशेष योजना पहले ही कार्यान्वयानाधीन है। इसे 2002 के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस पैकज के अतंर्गत जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, शक्ति प्राप्त समिति ने श्रीनगर में कश्मीर चैनल के लिए 2 डिजिटल उपग्रह समाचार संग्रहण एकक, रिकार्डिंग और प्ले बैक सुविधाएं तथा सूचना केन्द्र का नवीकरण करने और पुन: क्रियाशील बनाने की मंजूरी दी है।

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की सेवाओं में सुधार हेतु स्कीमों के विशेष पैकेज के कार्यान्वयन को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। इस पैकेज को दसवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। स्कीमों का आकार और स्वरूप व्यय वित्त समिति के अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्र.सं.	स्थान	स्कीम	अनुमानित पूंजीगत लागत (लाख रु. में)	पूरा होने की तारीख
1	2	3	4	5
आकाशवाणी				
1.	कठुआ	10 कि. वा. एफ एम ट्रा.	143.9	पहले ही चालू कर दिया गया है।
2.	श्रीनगर	200 कि.वा के स्थान पर 300 कि.वा. की प्रतिस्थापना	1220.00	दिसम्बर, 2001
3.	कारगिल	200 कि.वा.मी.वे.ट्रा.	2343.00	जून, 2003
4.	नौशेरा	20 कि.वा.मी. वे.ट्रा. और स्टाफ क्वार्टरों सहित रिले केन्द्र	427.00	फरवरी, 2002
5.	कुपवाड़ा	-तथैव-	427.00	फरवरी, 2002
6.	राजौरी	10 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. और स्टाफ क्वार्टरों सहित रिले केन्द्र	439.00	फरवरी, 2002
7.	खालसी (जिला-लेह)	1 कि.वा.मी.वे.ट्रा. और स्टाफ क्वार्टरों सहित रिले केन्द्र	210.00	फरवरी, 2002
8.	दिसकिट (जिला-लेह)	1 कि.वा.मी.वे.ट्रा. और स्टाफ क्वार्टरों सहित रिले केन्द्र	210.00	फरवरी, 2002
9.	म्योमारप (जिला-लेह)	1 कि.वा.मी.वे.ट्रा. और स्टाफ क्वार्टरों सहित रिले केन्द्र	210.00	फरवरी, 2002
10.	द्रास (जिला-कारगिल)	1 कि.वा.मी.वे.ट्रा. और स्टाफ क्वार्टरों सहित रिले केन्द्र	210.00	फरवरी, 2002
11.	तिसुरू (जिला-कार्गिल)	1 कि.वा.मी.वे.ट्रा. और स्टाफ क्वार्टरों सहित रिले केन्द्र	210.00	फरवरी, 2002
12.	पदुम वैली (जिला-कार्गिल)	1 कि.वा.मी.वे.ट्रा. और स्टाफ क्वार्टरों सहित रिले केन्द्र	210.00	फरवरी, 2002

2. दूरदर्शन

क्र.सं.	परियोजनाएं/ स्थान	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	अभ्युक्तियां
1.	स्टूडियो, लेह	5.00	स्थापना पूरी
2.	उ.श.ट्रा. (डीडी-1 और 2)-नौशेरा, कुपवाड़ा, गुरेज, सम्बा तथा टिथवाल	94.00	प्रगति पर
3.	उ.श.ट्रा. श्रीनगर (कश्मीर चैनल	3.00	चालू कर दी गइ
4.	उ.श.ट्रा. (डीडी-2)-पुंछ तथा अमृतसर		उ.श.ट्रा चालू कर दी की गइ
5.	उ.श.ट्रा. अमृतसर (डीडी-1)- संवर्द्धन	25.00	अंतरिम स्थापना चालू की गई
6.	चल अ.श.ट्रा. -12	18.00	9 अ.श.ट्रा. चालू किए गए
7.	अ.अ.श.ट्रा.-60 (9 अ.अ. श.ट्रा. के स्थान का बाद में निर्णय किया जाना)	51.00	30 अ.अ.श.ट्रा. चालू किए गए
8.	अ.अ.श.ट्रा. -8 का संवर्धन	3.00	7 अ.अ.श.ट्रा. का संवर्धन किया गया।
9.	श्रीनगर, जम्मू और लेह में भू-केन्द्र	18.00	श्रीनगर और जम्मू में भू-केन्द्र चालू किए, लेह भू-केन्द्र तैयार किया गया।
10.	अनुरक्षण केन्द्र (10)	1.00	6 अनुरक्षण केन्द्रों का प्रचालन किया गया।

रेल परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता

***352. श्री पी.सी. थामस:**
डा. वी. सरोजा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनराशि की अनुपलब्धता के कारण कुछ रेल परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इसके लिए कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(घ) वे योजनाएं कौन सी हैं, जिनकी केन्द्रीय सहायता से पूरा करने के लिए पहचान की गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि वित्तपोषण के वर्तमान स्तर से इनको पूरा करने में 40 वर्ष लग जाएंगे;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा लंबित परियोजनाओं को समय से पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) यद्यपि, उन सभी चालू परियोजनाओं, जिनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है, की प्रगति उनकी सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार हो रही है, तथापि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने के कारण अनेक परियोजनाओं की प्रगति धीमी है।

(ख) से (घ) रेलों ने कुछ चुनिंदा चालू परियोजनाओं, जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, की प्रगति में तेजी लाने के लिए 898 करोड़ रुपए की मांग की है।

(ङ) से (छ) रेलों के पास परियोजनाओं की, विशेषकर नई लाइन और आमान परिवर्तन योजना-शीर्षों के अंतर्गत, लंबी सूची मौजूद है। वित्तपोषण की मौजूदा दर से, नई लाइन परियोजनाओं

की मौजूदा सूची को निबटाने में लगभग 20 वर्ष लग जाएंगे। इसमें मुद्रास्फीति को हिसाब में नहीं लिया गया है।

वित्तपोषण की दर बढ़ाने के लिए सामान्य राजकोष से अतिरिक्त धन प्राप्त करने के प्रयासों के अलावा रेलों ने परियोजनाओं की प्राथमिकताएं, उनकी वास्तविक प्रगति, उनके परिचालनिक महत्व, राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व तथा सामाजिक वांछनीयता के आधार पर निर्धारित की हैं। इस प्राथमिकता निर्धारण के परिणामस्वरूप संसाधनों का अपेक्षाकृत अधिक विवेकपूर्ण आबंटन किया जा सकेगा।

विवरण

नई लाइनें

1. पणवल-करजत: विद्युतीकृत लाइन (चरण-1)
2. फतुआ-इस्लामपुर, बिहार शरीफ से बाडबीघा तक नई लाइन के विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन के साथ
3. कोडरमा-रांची
4. राजगीर-हिसुआ-तिलैया
5. कटरा-फैजाबाद
6. चंडीगढ-लुधियाना
7. जम्मू तवी-ऊधमपुर
8. ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला
9. हुबली-अंकोला
10. देतारी-बांसपानी
11. धर्मावरम-पेनूकोंडा बरास्ता पुट्टापार्थी
12. गोधरा-इंदौर-देवास-मकसी

आमान परिवर्तन

1. मिरज-लातूर
2. कानपुर-कासगंज-मथुरा और कासगंज-बरेली
3. न्यू जलपाईगुडि-सिलीगुड़ी-न्यू बोगांईगांव
4. काटपाडि-पकाला-तिरूपति
5. सिकंदराबाद-मुदखेड और जनकमपेट-बोधान
6. अरसीकेरे-हसन-मंगलौर
7. कुड्डालूर-सेलम बरास्ता वृंधाचलम
8. गांधीधाम-पालनपुर
9. सुरेंद्रनगर-भावनगर, ढोला-ढांसा-महुआ, पिपावाव तक विस्तार के साथ।

दोहरीकरण

1. चंदनपुर-गुरूप-तीसरी लाइन
2. गुरूप-शक्तिगढ़-तीसरी लाइन
3. पनपन-ताेग्गना (पटना, गया, चरण-3)
4. छपरा-हाजीपुर
5. कर्पूरीग्राम-सिहो
6. अमरोहा-मुरादाबाद
7. कानपुर-पणकी-तीसरी लाइन (चरण-1)
8. जाफराबाद-उत्रेतिया चरण-2 (जाफराबाद-श्रीकृष्णानगर)
9. गुत्ती-रेणिगुंटा: कहीं-कहीं दोहरीकरण
10. गुत्ती-रेणिगुंटा सेक: बालापल्ल-पल्लमपेट (चरण-1)
11. गुडूर-रेणिगुंटा
12. होजपेट-गुंतकल
13. रेहामा-पाराद्वीप
14. तितलागढ-लांजीगढ़
15. बिलासपुर-उरकुरा

रेल विद्युतीकरण

1. सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय, रामपुर-दुमरा-गडहरा-बरौनी सहित
2. अंबाला-मुरादाबाद
3. लखनऊ क्षेत्र के चारों ओर सर्कुलर रेलवे
4. भुवनेश्वर-कोट्टावालसा
5. बोकारो स्टील सिटी-मूरी-हटिया-बांडामुंडा-बिमलाढ़-किरीब्रू/बरसुआ, पुरूलिया-कोटशिला सहित
6. खड़गपुर-भुवनेश्वर, तालचेर-पाराद्वीप सहित।

[हिन्दी]

''ओपेक'' द्वारा तेल उत्पादन में कटौती

***353. डा. लक्ष्मीनाराणय पाण्डेय: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या तेल उत्पादन देशों के संगठन "ओपेक" ने प्रतिदिन तेल के उत्पादन में 15 लाख बैरल की कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस निर्णय से देश में पेट्रो उत्पादों की कीमत के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) ने 14.11.2001 को वियना में आयोजित अपनी बैठक में गौर-ओपेक तेल उत्पादक देशों की ओर से प्रतिदिन 5 लाख बैरल की कटौती अपने उत्पादन में करने की पक्की प्रतिबद्धता की शर्त पर 1 जनवरी, 2002 से उत्पादन में प्रतिदिन 15 लाख बैरल की कटौती करने का निर्णय लिया।

(ख) और (ग) इस निर्णय ने तेल आपूर्तियों अथवा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को अभी तक प्रभावित नहीं किया है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन

***354. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और इसमें राज्यों का योगदान कितना है;

(ख) क्या देश में विद्युत का पर्याप्त उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) अप्रैल-नवम्बर, 2001 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2000 के दौरान देश में क्षेत्रवार विद्युत उत्पादन नीचे दिया गया है:

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	अप्रैल-नवम्बर, 2000-01	अप्रैल-नवम्बर, 2001-02	प्रतिशत वृद्धि
अखिल भारत	329859	338345	2.6
राज्य क्षेत्र	174068	178159	2.4
अखिल भारत की तुलना में राज्य क्षेत्र में प्रतिशत विद्युत उत्पादन	52.7	52.7	–

(ख) से (ङ) अप्रैल-नवम्बर, 2001 के दौरान देश में विद्युत की क्षेत्रवार आवश्यकता और उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति
(सभी आंकड़े मि.यू. निवल में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल-2001-नवम्बर, 2001			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	791	789	2	0.3
दिल्ली	13420	13023	397	3.0

1	2	3	4	5
हरियाणा	12355	12190	165	1.3
हिमाचल प्रदेश	2158	2113	45	2.1
जम्मू व कश्मीर	4160	3663	497	11.9
पंजाब	20640	19673	967	4.7
राजस्थान	15868	15725	143	0.9
उत्तर प्रदेश	32095	28802	3293	10.3
उ.क्षे.	101487	95978	5509	5.4
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	5170	5112	58	1.1
छत्तीसगढ़	34670	30819	3851	11.1
मध्य प्रदेश	19021	16210	2811	14.8
महाराष्ट्र	51965	47790	4175	8.0
गोवा	1143	1143	0	0.0
प.क्षे.	111969	101074	10895	9.7
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	31353	28560	2793	8.9
कर्नाटक	20536	18323	2213	10.8
केरल	8609	8013	596	6.9
तमिलनाडु	30509	28348	2161	7.1
द.क्षे.	91007	83244	7763	8.5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	6269	5936	333	5.3
डीवीसी	5593	5593	0	0.0
उड़ीसा	8067	8067	0	0.0
पश्चिम बंगाल	14095	14062	33	0.2
पू.क्षे.	34024	33658	366	1.1

1	2	3	4	5
उत्तर-पू. क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	88.8	87.0	1.8	2.0
असम	2349.4	2326.0	23.4	1.0
मणिपुर	289.8	274.8	15.0	5.2
मेघालय	415.9	420.8	-4.9	-1.2
मिजोरम	178.2	174.0	4.2	2.4
नागालैंड	167.8	166.9	0.9	0.5
त्रिपुरा	442.1	412.8	29.3	6.6
उ.पू.क्षे.	3932.0	3862.3	69.7	1.8
अखिल भारत	342420	317816	24604	7.2

नोट—उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल और बिहार में झारखंड के आंकड़े शामिल हैं।

वास्तविक व्यस्ततमकालीन मांग बनाम व्यस्ततमकालीन आपूर्ति

(सभी आंकड़े मेगावाट निवल में)

	अप्रैल 2001–नवम्बर 2001			
क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	180	180	0	0.0
दिल्ली	3040	2879	161	5.3
हरियाणा	2970	2900	70	2.4
हिमाचल प्रदेश	540	519	21	3.9
जम्मू व कश्मीर	1179	991	188	15.9
पंजाब	5420	4936	484	8.9
राजस्थान	3603	3603	0	0.0
उत्तर प्रदेश	7584	6887	697	9.2
उ.क्षे.	23200	21346	1854	8.0
पश्चिमी क्षेत्र				
छत्तीसगढ़	1357	1311	46	3.4

1	2	3	4	5
गुजरात	7894	6700	1194	15.1
मध्य प्रदेश	5313	4457	856	16.1
महाराष्ट्र	12200	10458	1742	14.3
गोवा	293	293	0	0.0
प.क्षे.	24748	21603	3145	12.7
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	7622	6283	1339	17.6
कर्नाटक	5321	3985	1336	25.5
केरल	2591	2189	402	15.5
तमिलनाडु	6900	5843	1057	15.3
द.क्षे.	21804	17591	4213	19.3
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	1356	1288	68	5.0
डीवीसी	1296	1209	87	6.7
उड़ीसा	1983	1883	100	5.0
पश्चिम बंगाल	3614	3414	200	5.5
पू. क्षे.	7876	7648	228	2.9
उत्तर-पू. क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	50	50	0	0.0
असम	688	618	70	10.2
मणिपुर	98	94	4	4.1
मेघालय	137	136	1	0.7
मिजोरम	73	73	0	0.0
नागालैंड	61	58	3	4.9
त्रिपुरा	156	140	16	10.3
उ. पू. क्षे.	1148	1008	140	12.2
अखिल भारत	77956	67663	10293	13.2

रेल पटरियों की खरीद

***355. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अभी तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण से रेल पटरियों की खरीद की नीति का अनुसरण करता रहा है या वहां से उपलब्ध न होने की स्थिति में वह विदेशों से इनका आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण से खरीदी गई या विदेशों से आयात की गई रेल पटरियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब नीति में परिवर्तन किया गया है और निजी कंपनियों से रेल पटरियों की खरीद का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां।

(ख) 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान खरीदी गई पटरियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

भारतीय इस्पात प्राधिकरण

वर्ष	पटरियां मीट्रिक टन में	फैक्टरी मूल्य (रुपयों में) (लगभग)
1998-1999	353285	700 करोड़ रुपए
1999-2000	320410	690 करोड़ रुपए
2000-2001	404618	932 करोड़ रुपए

आयातित पटरियां

वर्ष	मीट्रिक टन में आदिष्ट पटरियां	पोत पर्यंत नि:शुल्क मूल्य		आपूर्ति (मीट्रिक टनों में)*
		अमेरिकी डालर	रुपए	
1998-99	1,61,000	6,41,14,120	234 करोड़ रुपए	21100
1999-2000	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	124029
2000-01	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं

*आयातित पटरियों के क्रयादेश के शेष अर्थात् 15738 मीट्रिक टन की 2001-02 के दौरान प्रत्याशा है।

(ग) जी नहीं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण रेलों की अपेक्षा के अनुसार पटरियों की आपूर्ति कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय लोक कला को पुनरुज्जीवित करना

***356. प्रो. दुखा भगत:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के उदासीन रवैये के कारण अधिकांश भारतीय परंपरागत लोक कलायें विलुप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय लोक कलाओं को पुनरुज्जीवित करने के लिये कोई ठोस नीति बनाने का है;

(ग) क्या आकंतवाद के कारण पर्यटकों की संख्या में आई कमी के कारण भारत के लोक कलाकार भुखमरी के कगार पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं

(ख) संस्कृति विभाग, भारत सरकार सात आंचलिक सांकृतिक केन्द्रों के माध्यम से परम्परागत लोक कलाओं को बढ़ावा देता है। संस्कृति विभाग की भी जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन तथा प्रचार-प्रसार के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अन्तर्गत जनजातीय/लोक कला के परिरक्षण तथा संवर्धन में कार्यरत स्वैछिक संगठनों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम संपूर्ण देश के लिए है।

(ग) और (घ) विदेशी पर्यटकों के आगमन में कुछ कमी आई है। तथापि, पयटकों की संख्या में कमी आने के कारण लोक कलाकारों के भुखमरी के कगार पर होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

प्राकृतिक गैस की कीमतों में समानता

*357. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक गैस की कीमतों को आयातित प्राकृतिक गैस की कीमतों के बाराबर करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्राकृतिक गैस और आयातित गैस की कीमतों के बीच कितना अंतर है;

(ग) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का आयात किया जा रहा है;

(घ) प्राकृतिक गैस की कीमतों में ऐसी वृद्धि का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) गैस के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में प्राकृतिक गैस के मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) वर्तमान समय में भारत में प्राकृतिक गैस का आयात नहीं किया जाता।

(घ) अगर गैस की कीमतों में वृद्धि की जाती है तो यह गैस के उत्पादकों के लिए एक प्रोत्साहन होगा और इससे अन्वेषण कार्यों को गति मिलेगी।

(ङ) किसी भी वृद्धि का मुख्य कारण इसे बाजार निर्धारित बनाना होगा।

माल डिब्बों की खरीद

*358. **श्री रामजी मांझी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से माल डिब्बों की खरीद बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस मामले में की जा रही जांच पूरी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या रहा?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं। माल डिब्बों का प्रापण केवल प्रतिष्ठित स्रोतों से किया जाता है। विकासात्मक क्रयादेशों के लिए नए स्रोतों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार, थोक खरीद केवल प्रतिष्ठित स्रोतों से ही की गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) के संबंध में किसी जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। 1993-94 तक माल डिब्बों के क्रयादेश सीधे वैगन इंडिया लिमिटेड की सदस्य इकाइयों को दिए जाते थे। वर्ष 1994-95 से आंशिक (10%) आवश्यकता के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का सहारा लेने का विनिश्चय किया गया। 1995-96 और 1996-97 में निविदा के माध्यम से 50% माल डिब्बों की खरीद की गई थी। बहरहाल, थोक खरीद केवल प्रतिष्ठित स्रोतों से ही की जाती है। इन वर्षों के दौरान विज्ञापित निविदा के माध्यम से माल डिब्बों की खरीद की सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

इंडियन रेलवे कार्पोरेट प्लान

*359. **डा. रामचन्द्र डोम:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "इंडियन रेलवे कार्पोरेट प्लान (1985-2000)" में उपनगरीय यातायात में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि दर की परिकल्पना की गई थी जबकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान यह वृद्धि दर 1.02 प्रतिशत से 3.07 प्रतिशत के बीच रही;

(ख) क्या मुंबई में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में मांग की तुलना में उपनगरीय सेवाएं काफी कम हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपनगरीय रेल सेवाओं में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) समवेत योजना 1985-2000 में उपनगरीय यातायात के लिए 6% प्रति वर्ष की वृद्धि दर की संकल्पना की गई थी। इस अवधि के दौरान उपनगरीय यातायात की वास्तविक वृद्धि दर उपनगरीय यात्री किलोमीटर में 5% और यात्रियों की संख्या में वृद्धि की दर 3% थी।

(ख) मुंबई में उपनगरीय सेवाओं की मांग, उपनगरीय रेल परिवहन प्रणाली द्वारा दी जा रही सेवाओं के स्तर से अधिक है।

(ग) उपनगरीय सेवाओं की मांग को पूरी तरह पूरा करने में रेलों की असमर्थता के मुख्य कारण लाइन क्षमता की तंगी और चल स्टॉक की अनुपलब्धता है।

(घ) मुंबई में उपनगरीय रेल परिवहन प्रणाली में सुधार हेतु अतिरिक्त अवसंरचना की व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एमआरवीसी (मुंबई रेल विकास निगम) नामक एक निगम की स्थापना की गई है। मुंबई रेल विकास निगम, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम यू टी पी) में रेल घटक के अधीन निर्धारित परियोजनाओं को निष्पादित करेगी। इन परियोजनाओं से उपनगरीय सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है।

[हिन्दी]

सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की कमी

***360. योगी आदित्यनाथ:**
श्री एन.टी. वणमुगम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेल के सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कारखाने-वार प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के कितने सवारी डिब्बों और माल डिब्बों का निर्माण किया गया;

(घ) क्या देश में रेल के सवारी डिब्बों और माल डिब्बों का निर्माण उनकी मांग के अनुरूप नहीं किया जा रहा;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा अपेक्षित संख्या में सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 33 किस्म के सवारी डिब्बों और 10 किस्म के माल डिब्बों का विनिर्माण किया गया है। कारखाने-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

सवारी डिब्बे

वर्ष	सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नै	रेल सवारी डिब्बा कारखाना कपूरथला	बीईएमएल, बेंगलूरु	जैस्सोप, कोलकाता	जोड़
1998-99	1057	1087	295	27	2466
1999-00	1006	1182	242	23	2453
2000-01	1000	1190	44	22	2256

माल डिब्बे (आंकड़े चौपहिया इकाइयों में)

कारखाने का नाम	1998-99	1999-00	2000-01
भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि., मुजफ्फरपुर	1230	577.5	1210
भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि., मोकामा	895	502.5	877.5
ब्रैथवेट एंड कंपनी लि., कोलकाता	2567.5	2040	2107.5
बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि., बर्नपुर	2042.5	1190	1952.5
बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि., हावड़ा	1807.5	1782.5	1505
जैस्सोप एंड कंपनी लि., कोलकाता	407.5	187.5	402.5
सदर्न स्ट्रक्वरलर्स लि., चेन्नै	475	370	125
ब्रिज एडं रूफ, कोलकाता	0	52.5	172.5
सिम्मकौ बिड़ला लि., भरतपुर, राजस्थान	3012.5	1115	360
टैक्समेको लि., कोलकाता	4245	2192.5	2037.5
मॉडर्न इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश	1032.5	1457.5	917.5
हिंदुस्तान डेवलेपमेंट कारपोरेशन, कोलकाता	3190	1012.5	807.5
बैस्को लि., कोलकाता	1255	1247.5	1365
टीटागढ़ वैगन लि.. कोलकाता	1032.5	737.5	2015
बिन्नो इंजीनियरिंग कंपनी लि., चेन्नै	27.5	57.5	25
श्रीरंगा एलोयज कोयमबत्तूर	2.5	2.5	0
भारत गोल्ड मॉइन्स लि.	0	7.5	25
रेलवे वर्कशॉप	2012.5	1930	1848
जोड़	25235	16462.5	17753

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बचतों और पूंजी संचयन में कमी

*361. **श्री रामजी मांझी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बचतों और पूंजी संचयन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा बचतों और पूंजी संचयन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बचत और निवेश के संबंध में नवीनतम आंकड़ें 1999-2000 तक उपलब्ध हैं। चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के तौर पर सकल घरेलू बचतों के रूप में मापी गई समग्र बचत दर 1997-98 में 23.5 प्रतिशत, 1998-99 में 22.0 प्रतिशत और 1999-2000 में 22.3 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान बचत दर में गिरावट सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी कार्पोरेट क्षेत्र की बचत दर में गिरावट होने के कारण हुई जबकि घरेलू क्षेत्र की बचतों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर सकल घरेलू पूंजी-निर्माण के रूप में मापी गई समग्र निवेश दर 1997-98 में 25.0 प्रतिशत, 1998-99 में 23.0 प्रतिशत और 1999-2000 में 23.3 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान समग्र निवेश दर में गिरावट मुख्यतया गैर-सरकारी क्षेत्र में सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर में गिरावट होने के कारण हुई। अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और बृहत आर्थिक स्थितियां और विस्तृत नीतिगत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यक हो उचित उपाय किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश दर में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि बचत और निवेश की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले पैरामीटरों में सुधार किया जाए। इनके अन्तर्गत राजकोषीय घाटे का स्तर, कर नीति, मुद्रा नीति, मुद्रास्फीति और बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजार की कारगरता तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास शामिल हैं।

स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास योजना

***362. श्री एन.टी. षणमुगम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में आवास इकाईयों के निर्माण के लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत विभिन्न ऋण लेने वालों और ऋण देने वाली संस्थाओं को अनुदान/सहायता देती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी सहायता/अनुदान दिया गया है;

(ग) क्या ग्रामीण और पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीणों में इस योजना के बारे में बहुत कम सामान्य जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीणों को इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अगस्त, 1997 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएसएफएस) के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) आवास वित्त कंपनियों सहित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं (पीएलआई) को 2.00 लाख रु. तक के व्यक्तिगत आवास ऋण के संबंध में रियायती दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में आगे ऋण देने के लिए पुनर्वित्त सहायता देता है।

(ख) जीजेआरएचएफएस के तहत वित्तपोषित इकाइयों की संख्या के संबंध में वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

वर्ष	इकाइयों की संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1997-1998	50,000	51.124
1998-1999	1,00,000	1,25,731
1999-2000	1,25,000	1,41,363
2000-2001	1,50,000	1,58,426

वर्ष 1997-1998 और 1998-1999 के दौरान जीजेआरएचएफ योजना के तहत पीएलआई द्वारा किए गये राज्य-वार संवितरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) पिछले चार वर्षों में जीजेआरएचएफ योजना के तहत लक्ष्यों की बढ़ती हुई उपलब्धि योजना के प्रति अच्छी सामान्य जागरूकता को दर्शाती है। तथापि, राष्ट्रीय आवास बैंक जनता के लिए सुस्पष्ट प्रदर्शन एवं संवितरण हेतु वीएलआई को विभिन्न भाषाओं में योजना की विवरणिका एवं पोस्टर उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय आवास बैंक स्थानीय पत्रों के जरिए योजना का आवधिक रूप से विज्ञापन देता है। योजना की उल्लेखनीय बातों की रूप-रेखा देते हुए विभिन्न भाषाओं में पैम्फलेट ग्राम पंचायतों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के जरिए संवितरित किए जाते हैं। राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) मंच के जरिए भी योजना के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है।

विवरण

वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अन्तर्गत प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा संवितरित राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(राशि रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99	
	इकाईयां	राशि	इकाइयां	राशि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4244	49.63	9488	136.65
असम	102	0.68	177	3.19
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00
बिहार	223	2.48	398	4.88
गोवा	169	2.29	252	5.00
गुजरात	2066	18.91	3283	4.88
हरियाणा	112	1.10	190	3.76
हिमाचल प्रदेश	122	0.93	649	12.33
जम्मू एवं कश्मीर	1	0.00	13	0.14
कर्नाटक	3930	45.23	7572	126.49
केरल	19161	145.62	8464	135.40
मध्य प्रदेश	1078	7.44	2174	30.46
महाराष्ट्र	4484	49.58	9484	116.70
मणिपुर	0	0.00	1	0.01
मेघालय	11	0.10	13	0.17
मिजोरम	0	0.00	0	0.00
नागालैंड	2	0.02	1	0.01
उड़ीसा	5197	16.42	1834	15.23
पंजाब	2215	28.11	5166	65.92
राजस्थान	774	5.93	1279	28.47
सिक्किम	0	0.00	64	0.93
तमिलनाडु	5282	54.40	69414	127.66
त्रिपुरा	2	0.01	2	0.02

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	661	7.28	1426	17.54
उत्तरांचल	562	1.27	1063	16.62
प. बंगाल	506	6.38	2266	25.25
अंडमान एवं निकोबार	0	0.00	37	0.42
चंडीगढ़	178	1.56	635	8.70
दादर व नगर हवेली	0	0.00	6	0.12
दिल्ली	5	0.05	147	5.39
दमन एवं दीव	0	0.00	0	0.00
लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00
पाण्डिचेरी	37	0.40	233	5.69
छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00
झारखण्ड	0	0.00	0	0.00
कुल	51124	455.81	125731	943.31

स्रोत : राष्ट्रीय आवास बैंक

निर्यातकों के लिए पैकेज

*363. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय निर्यात में मंदी के मद्देनजर निर्यातकों को विशेष पैकेज दिया गया है/देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस संबंध में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्त मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकारों को दी जा रही वित्तीय सहायता की सीमा को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करने के लिए भी कहा है;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या सरकार ने चालू बजट में राज्यों को आवंटित की गई धनराशि को अब तक वितरित नहीं किया है; और

(ज) यदि हां, तो इसे क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, हां। निर्यात स्थिति की निगरानी सतत् आधार पर की जाती है और जब भी आवश्यक होता है, नीति संबंधी परिवर्तनों की घोषणा की जाती है। दिनांक 31 मार्च, 2001 को घोषित किए गए कुछेक उपायों में ये शामिल हैं- विकेन्द्रीयकरण तथा कम्प्यूटरीकरण के जरिए सौदों की लागत में कमी करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण, कृषि-निर्यात जोनों की स्थापना करना, बाजार पहुंच संबंधी पहल और कारोबार-सह-व्यापार सुविधा केन्द्र की स्थापना। विश्व की आर्थिक वृद्धि में लगातार अधोगामी रुख के संदर्भ में निर्यातों का संवर्धन करने के लिए हाल ही में किए

गए कुछ उपायों में ये शामिल हैं— निर्यात ऋण दर में कमी, लैटिन अमरीकी देशों को किए गए निर्यातों के मामले में 180 दिन की सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को बढ़ाकर 360 दिन करना तथा शुल्क वापसी की दरों का उर्ध्वगामी संशोधन करना। ये सभी उपाय वित्त मंत्रालय की सहमति से किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। वित्त मंत्रालय ने "अवस्थापना विकास और निर्यात के लिए राज्यों को सहायता" संबंधी एक नई योजना के लिए 97 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की है।

(ङ) और (च) जी, हां। उपरोक्त योजना के लिए आवंटन को योजना निधियों की उपलब्धता के अनुसार अगले वर्ष बढ़ाकर 400 करोड़ रु. तक करने की संभावना है।

(छ) और (ज) जी, हां। सरकार ने अब तक निधियों का आवंटन नहीं किया है क्योंकि योजना आयोग की मंजूरी की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन हेतु करों में कमी

***364. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में निर्यात संवर्धन के लिये करों में कमी करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात में वृद्धि होने के कारण कर-वसूली में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार भारतीय उद्योग के हित में और साथ ही साथ देश से होने वाले निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कर दरों को संतुलित करने की नीति अपना रही है। सीमा शुल्क की ऊंची दर को 2001-2002 में तीन वर्ष पूर्व की 40 प्रतिशत की दर से 35 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। आयकर अधिनियम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों और वस्तुओं के निर्यात तथा माल एवं साफ्टवेयर के संबंध में कर से छूट भी उपलब्ध कराता है।

(ग) राजस्व विभाग में निर्यात से संबंधित राजस्व के लिए अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

बागान फसलों की मांग

***365. श्री पी.सी. थामस:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में बागान फसलों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा काली मिर्च, कॉफी, चाय, इलायची और रबर जैसी बागान फसलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ उत्पादों की तस्करी के कारण कुछ देशों में इनकी मांग में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) चाय, कॉफी, इलायची और काली मिर्च निर्यातोन्मुखी मदें हैं और इनकी विदेशों में मांग है। तथापि, देश में उत्पादित एक दूसरी बागान फसल, रबड़ का 90% से अधिक घरेलू रूप से उपभोग किया जाता है।

(ख) सरकार द्वारा इन वस्तुओं के निर्यात के लिए उठाए गए कदमों में से कुछेक कदम निम्नानुसार हैं:

चाय

* प्रमुख चाय आयातक देशों में चाय बोर्ड के लोगों और विशिष्टता चाय लोगों का पंजीयन।
* विशिष्टता वाले भंडारों व प्रमुख बाजारों में मौके पर जाकर नमूने लेना।
* विशिष्टता युक्त भारतीय चाय के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और चाय बोर्ड के विपणन चिन्हों को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया प्रचार।
* चूंकि परंपरागत चाय की विश्व बाजार में अपेक्षाकृत अधिक मांग है इसलिए सरकार ने मशीनरी के उन्नयन/

परिवर्तन के द्वारा सीटीसी विनिर्माण के स्थान पर परंपरागत चाय विनिर्माण की पद्धति अपनाने के लिए विनिर्माताओं को सहायता देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करने की स्कीम अनुमोदित की है।

* चाय बोर्ड द्वारा लघु उपजकर्त्ताओं द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

* चाय बोर्ड ने चाय के निर्यातों के संवर्द्धन के लिए एक मध्यावधि निर्यात योजना तैयार करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी को अध्ययन करने का कार्य भी सौंपा है।

कॉफी

* संवर्द्धनात्मक उपाय के रूप में और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए भी बेंचमार्क के रूप में भारतीय काफी के लिए नव-विकसित लोगो का उपयोग किया जा रहा है।

* कॉफी बोर्ड बड़े उपजकर्त्ताओं को विशिष्टतायुक्त कॉफी का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जिससे विश्व बाजार में अच्छी आय प्राप्त होती है।

* व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में भारतीय वस्तुओं की अद्‌भुत विशेषताओं के बारे में विज्ञापन जारी करना।

* कॉफी बोर्ड द्वारा भारतीय कॉफी उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार करने के लिए फरवरी, 2002 में एक अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी मेला आयोजित किया जाएगा।

* शीर्षस्थ भारतीय कॉफी निर्यातकों के लिए निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करना।

* कॉफी बोर्ड द्वारा प्रमुख बाजारों में बाजार हिस्से को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने तथा अगले पांच वर्षों में विश्व बाजार में भारतीय काफी की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने के लिए मध्यावधि निर्यात योजना कार्यान्वित की जा रही है।

रबर

* रबर बोर्ड विभिन्न संवर्द्धनात्मक उपायों के जरिए प्राकृतिक रबड़ के निर्यात को प्रोत्साहन कर रहा है। तथापि, प्राकृतिक रबर का निर्यात नगण्य है क्योंकि प्राकृतिक रबड़ की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अधिकांशत: घरेलू कीमत से कम रहती है।

* रबड़ के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे कि निर्यातों से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए व्यापार और उद्योग जगत के साथ निरंतर बातचीत करना, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु निर्यातक समुदाय को विपणन विकास सहायता प्रदान करना और अन्य बाजार संवर्द्धनात्मक कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

* सरकार ने हाल ही में 9.20 लाख रुपए के परिव्यय से प्राकृतिक रबड़ के निर्यात संवर्द्धन हेतु एक योजना अनुमोदित की है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार, प्रमाणन, पैकेजिंग, ढुलाई, बाजार अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए रबड़ के समस्त ग्रेडों और उसकी किस्मों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

काली मिर्च और इलायची

* विदेशों में भारतीय पाक-प्रणाली के संवर्द्धन, ब्रांड संवर्द्धन, मूल्यवर्द्धन, गुणवत्ता सुधार और बाजार संवर्द्धन जैसे व्यापक संवर्धनात्मक कार्यकलाप।

* कृषि निर्यात क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के जरिए काली मिर्च सहित प्रमुख मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

* परंपरागत और गैर-परंपरागत, क्षेत्रों में काली मिर्च सहित मसालों के कार्बनिक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है; और

* कार्बनिक काली मिर्च के विपणन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंक ऋणों का एकमुश्त निपटान

*366. **श्री रामपाल सिंह:**
श्री मंजय लाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों के कर्जदारों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत यदि वे बकाया ऋणों की एकमुश्त अदायगी कर देते हैं, तो उन्हें ब्याज नहीं देना होगा;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के पास कर्जदारों के ऐसे कितने प्रस्ताव निपटान के लिये लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या इन बैंक शाखाओं के प्रंबधक इन मामलों के निपटान के मुद्दे पर कर्जदारों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की दिनांक 12 नवम्बर, 2001 को हुई एक बैठक में बैंकों ने यह निर्णय लिया है कि 25,000 रुपये तक के छोटे ऋण, जो 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार अनुपयोज्य आस्ति बन गए थे, के एकमुश्त निपटान के लिए एक योजना तैयार की जाएगी। प्रस्ताव में ऐसे अनिष्पादित ऋणों के मूल धन का भुगतान करने पर ब्याज में छूट देने की व्यवस्था की जानी थी। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक योजना तैयार की जा रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना का दुरूपयोग

*367. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निर्यातकों द्वारा कर राहत योजना के अंतर्गत मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंस के दुरूपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने इस संबंध में अनेक मामलों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निर्यातकों द्वारा उक्त योजना के दुरूपयोग के मद्देनजर इसे बंद करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (च) वीबीएएल (मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग) स्कीम को अप्रैल, 1992 में लागू किया गया था और यह जनवरी, 1997 तक लागू रही थी। वीबीएएल स्कीम के प्रचालन के दौरान इसके दुरूपयोग/धोखाधड़ी संबंधी मामले सरकार की जानकारी में आए थे जिसके परिणामस्वरूप जनवरी, 1997 के बाद इस योजना को बन्द कर दिया गया था। वीबीएएल स्कीम के तहत वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पता लगाए गए मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जहां तक अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का संबंध है, सभी मामलों में शुल्क की मांग की पुष्टि करने एवं अर्थदंड लगाने के लिए विभागीय न्याय-निर्णयन कार्यवाहियां आरम्भ की गई थीं। आयात एवं निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य की स्पष्टतया गलत घोषणा एवं स्कीम के उल्लंघन में आयातित वस्तुओं के घरेलू बाजार में अपवर्तन के मामलों में संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया था और उनके विरुद्ध अभियोजन चलाए गए हैं। कुछ मामलों में, व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निरुद्ध भी किया गया था।

विवरण

वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त शुल्क (करोड़ रुपये में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1995-96	40	221.31	4
1996-97	27	62.45	7
1997-98	28	54.82	3

[अनुवाद]

कराधान पर गोविन्द राव समिति

***368. श्री निखिल कुमार चौधरी:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सेवाओं पर कर लगाने के लिए गोविन्द राव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त दल ने सेवा कर लगाने हेतु केन्द्र और राज्यों, दोनों को ही अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं;

(च) क्या राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वेट) को तत्काल लागू करने की मांग कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य सरकारों की इस मांग पर क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विशेषज्ञ दल ने मार्च, 2001 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी थी। अंतिम रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) एक सुपरिभाषित निषेधात्मक सूची के साथ कर संजाल के अंतर्गत सेवाओं को व्यापक रूप से शामिल करना।

(2) कर के दायरे से छोटे सेवा प्रदायकों को बाहर रखने के लिए 10 लाख रुपये की वार्षिक कारोबार सीमा तक न्यूनतम छूट सीमा निर्धारित करना।

(3) ऐसी सेवाएं जो विकासात्मक स्वरूप की हैं अथवा जो मुख्य रूप से समाज के निम्न वर्ग को सेवा प्रदान करती हैं, उनको सीमित अवधि के लिए छूट देना।

(4) माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ सेवा कर को समन्वित करना ताकि वर्ष 2004-05 तक वस्तुओं और सेवाओं पर एक व्यापक सेनवेट लागू किया जा सके।

(5) सेवा क्षेत्र के अन्दर तुरंत विनिष्टि क्रेडिट सुविधा प्रदान करना और वस्तु और सेवाओं के बीच अंतर क्षेत्रीय क्रेडिट सुविधा को सेनवेट के साथ समन्वित करना।

(6) सेवा कर की दर को फिलहाल 5 प्रतिशत बनाये रखना।

(7) सेवा कर के प्रशासन के लिए उस पर एक अलग, स्वत: परिपूर्ण अधिनियमन का कानून बनाना।

(8) सेवा कर के उद्ग्रहण और वसूली के लिए उन्नत प्रशासनिक व्यवस्था करना।

(9) केन्द्र सरकार को राज्यों के साथ सेवाओं पर कर लगाने संबंधी शक्तियों की भागीदारी करने पर विचार करना चाहिए। जब कभी वे मूल्य वर्द्धित कर आधारित एक व्यापक लक्ष्य को समान रूप से लागू करने के लिए तैयार हो जाएं।

(घ) विशेषज्ञ दल ने इस स्तर पर संविधान में संशोधन करने के लिए कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया है।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) 16.11.1999 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 1.4.2002 से वेट को लागू करके राज्यों में प्रचलित बिक्री कर प्रणाली में सुधार के लिए आम सहमति से निर्णय लिया था। भारत सरकार ने इस मामले में केवल एक समन्वयकर्ता और सहायक की भूमिका निभाई है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए
रोजगार के अवसर

***369. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में ऐसे विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों के साथ रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है? और

(ङ) संविधान में विकलांग व्यक्तियों को प्रदत्त अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) विकलांगता के विस्तार के संबंध में वर्ष 2001 की जनगणना के दौरान एकत्रित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) रोजगार प्राप्त विकलांग व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं—विशेष रोजगार कार्यालयों तथा प्रकोष्ठों में पंजीकृत की सुविधा, व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र जो प्रशिक्षण के बाद रोजगार को आसान बनाते हैं, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजना तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम और राज्य निगमों के माध्यम से रियायती वित्तपोषण। अनेक विकलांग व्यक्ति निजी तथा असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार में हैं।

(ग) और (घ) शिक्षण संस्थाओं अथवा कार्यस्थल में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुरूप नहीं है। मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्तों के रूप में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है। मुख्य आयुक्त को प्राप्त और उनके समक्ष दर्ज मामलों के निपटान से सम्बन्धित स्थिति निम्नलिखित है:

वर्ष	दर्ज	निपटान
1.10.1998 से 13.3.1999	65	12
1999-2000	529	355
2000-2001	1118	803
अप्रैल 2000 से 31.10.2001	3917	3143

(ङ) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया है।

[हिन्दी]

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात

***370. श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष की पहली छमाही में सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किये गये निर्यात की तुलना में कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की पहली छमाही और चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान कितने-कितने मूल्यों का निर्यात किया गया;

(ग) कोटा और गैर-कोटा के अन्तर्गत विभिन्न देशों को कितनी धनराशि का निर्यात किया गया; और

(घ) सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात में आई कमी के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जनवरी-जून 2001 की अवधि के दौरान सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात, वर्ष 2000 की इसी अवधि के दौरान हुए 5929.8 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 5789.7 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए। इस प्रकार इनमें 2.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। इन निर्यात में से लगभग 60 प्रतिशत कोटा देशों/श्रेणियों से संबंधित है।

(घ) वस्त्र निर्यात में हाल ही की प्रवृत्ति का मुख्य कारण संयुक्त राज्य अमरीका जैसे हमारे प्रमुख व्यापारिक सहभागियों की अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी आना तथा चीन, बांग्लादेश जैसे देशों में बढ़ी हुई प्रतियोगिता होना आदि है।

हस्तशिल्प कारीगर

***371. राजकुमारी रत्ना सिंह:**
प्रो. दुखा भगत:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय गणना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस गणना के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) वर्तमान में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे कारीगरों की संख्या कितनी है; और

(घ) कारीगरों की सहायता के लिए शुरू की गई विकास संबंधो केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) देश में हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में वर्ष 1995-96 के दौरान एक गणना आयोजित की गई थी। गणना-रिपोर्ट के अनुसार हस्तशिल्प कारीगरों की अनुमानित कुल संख्या 47,61,186 है।

(ग) राज्य-वार/संघ शसित क्षेत्र-वार हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) "बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना" (ए.एच.वी.वाई.) नाम की एक नई योजना हाल में प्रारम्भ की गई है जो प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं पारस्परिक सहयोग की कार्य-प्रणाली के सिद्धान्त पर चुनिंदा कारीगर समूहों को व्यावसायिक प्रबन्ध एवं आत्मनिर्भर उद्यमी समुदाय के रूप में विकसित करने का प्रयास करती है। अन्य योजनाओं में कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनी एवं प्रचार, शिल्प विकास केन्द्रों एवं सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, वर्कशेड-सह-आवास, हैल्थ पैकेज एवं समूह बीमा तथा उत्कृष्ट शिल्पियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना शामिल है।

विवरण

हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना हेतु (स्थानवार इकाईयों एवं कारीगरों के) राज्यवार ब्यौरे

(आकड़े संख्या में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	इकाईयां			कारीगर		
		ग्रामीण	शहरी	कुल योग	ग्रामीण	शहरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	62.966	13,317	76,283	97,372	24,508	121,880
2.	अरुणाचल प्रदेश	3,821	223	4,044	14,880	855	15,735
3.	असम	28,103	2,257	30,360	92,665	7,817	100,482
4.	बिहार	63,652	6,881	70,533	190,913	22,202	213,115
5.	दिल्ली	640	16,381	17,021	1,555	43,349	44,904
6.	गोवा	448	124	572	886	236	1,122
7.	गुजरात	25,285	7.412	32,697	115,915	26,055	141,970
8.	हरियाणा	12,529	3,693	16,222	60,728	67,205	117,933
9.	जम्मू और कश्मीर	85,450	48,482	133,932	349,647	192, 472	542.119
10.	हिमाचल प्रदेश	25.929	129	26,058	48,707	308	49.015
11.	कर्नाटक	4,089	8,294	12,383	7.497	14,282	21,779
12.	केरल	6,711	684	7,395	13,670	1,588	15,258
13.	मध्य प्रदेश	10,828	11,126	21,954	23,664	27.459	51,123

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	महाराष्ट्र	25,372	27.077	52,449	93,816	19.000	112,815
15.	मणिपुर	78,623	19,428	98,051	302,547	77,441	379,988
16.	मेघालय	10812	700	11,512	50,186	3,378	53,564
17.	मिजोरम	1,203	1,010	2,213	2,535	2,725	5,260
18.	नागालैण्ड	15,340	2,263	17,603	69,293	10,585	79,878
19.	उड़ीसा	24,169	1,799	25,968	64,050	5,306	69,356
20.	पंजाब	45.920	7.837	53.757	84,707	17,200	101,907
21.	राजस्थान	63,411	65,460	128.871	202,212	205.488	407,700
22.	सिक्किम	743	1,455	2,198	2,646	7,122	9,768
23.	तमिलनाडु	22,737	9.009	31,746	89,414	35,928	125,342
24.	त्रिपुरा	75,940	1,435	77.375	239.031	5,464	244,495
25.	उत्तर प्रदेश	230,769	53,035	283,804	927,346	249,183	1,176,529
26.	पश्चिम बंगाल	211,667	7,.030	218,697	535,389	18,892	554,281
संघ शासित प्रदेश							
27.	अण्डमान एवं निकोबार	399	96	495	854	236	1,090
28.	चण्डीगढ़	47	121	168	85	345	430
29.	दादरा एवं नागर हवेली	101	0	101	111	0	111
30.	दमन एवं दीव	88	130	218	104	174	278
31.	लक्षद्वीप	24	0	24	126	0	126
32.	पाण्डिचेरी	104	248	352	490	1,342	1,832
	अखिल भारतीय	1,137,920	317,136	1,455,056	3,683,041	1,078,145	4,761,186

[अनुवाद]

लघु उद्योगों की रुग्ण वस्त्र इकाइयां

*372. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों की रुग्ण वस्त्र और सिले-सिलाये वस्त्रों की इकाइयों की संख्या में वर्ष 1998 से तीन गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2001 की तुलना में मार्च, 1998 के अंत ऐसी रुग्ण ईकाइयों की संख्या कितनी थी;

(ग) वर्तमान में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे कारीगरों की संख्या कितनी है; और

(घ) कारीगरों की सहायता के लिए शुरू की गई विकास संबंधी केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) सिले-सिलाए परिधान सहित रुग्ण वस्त्र एककों की संख्या निम्न अनुसार है:

विवरण	मार्च तक की स्थिति के अनुसार		
	1998	1999	2000
सिले-सिलाए परिधान सहित लघु उद्योग क्षेत्र के कुल रुग्ण वस्त्र एकक*	11065	24306	25764

*स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च, 2001 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक आकंड़े संकलित नहीं किए हैं।

(ग) रुग्णता के विभिन्न कारक माने जा सकते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अपर्याप्त ऋण, प्रौद्योगिकी अप्रचलन, विपणन की समस्याएं, पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी, प्रबंधकीय अकुशलता आदि शामिल हैं, चूंकि सिले-सिलाए परिधान सहित वस्त्रों के आयात कुछ घरेलू खपत 1 प्रतिशत से भी कम होते हैं, इसलिए रुग्णता के मुख्य कारणों में से यह कोई कारण नहीं है।

(घ) संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण उद्योगों की समय पर पहचान करने तथा उनकी पुनर्स्थापना को सुगम बनाने के उपायों में राज्य स्तरीय संस्थागत समितियों के रूप में संस्थागत यंत्र शामिल हैं। बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वासन प्रकोष्ठ तथा पात्र एककों को पुनर्वासन सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापक दिशा-निर्देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एस एस आई क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए, सरकार ने एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बढ़ी हुई वित्तीय तथा ऋण सहायता, बेहतर अध्यसंरचनात्मक विपणन सुविधाओं और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन शामिल हैं।

व्यापार नीति संबंधी समूह

*373. **डा. जसवंत सिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अमरीका के साथ नियमित वार्ता के लिए एक औपचारिक व्यापार नीति समूह के गठन हेतु सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन 42 भारतीय वस्तुओं के नाम क्या हैं, जिन पर अमरीका ने हाल में शुल्क-मुक्त लाभों की पुनर्बहाली की घोषणा की है; और

(घ) औपचारिक व्यापार नीति समूह की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क), (ख) और (घ) व्यापार नीति पर सहयोग को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से विचार-विमर्श करने हेतु भारत और अमेरिका के बीच मार्च, 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन के भारत दौरे के दौरान शुरू की गई संस्थागत वार्ताओं के एक भाग के रूप में भारत-अमेरिकी कार्यदल की स्थापना की गई थी। अगस्त, 2001 में मिस्टर रोबर्ट बी. जोएलिस, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों पक्ष मंत्री स्तर पर द्विपक्षीय व्यापार नीति वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए थे और इस बात पर सहमति हुई थी कि इसके कार्यचालन के स्वरूप के बारे में आगे का ब्यौरा दोनों देशों के अधिकारियों के स्तर पर तैयार किया जाएगा। कोई निश्चित समय-सीमा नहीं रखी गई है।

(ग) जिन 42 भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने 22 अगस्त, 2001 को शुल्क मुक्त लाभ की बहाली घोषित की थी, उनके नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

विवरण

एच एस संख्या	उत्पाद विवरण
1	2
07089015	मसूर ताजा या प्रशीतित, छिलका सहित या छिलका रहित
07139060	शुष्क फलीदार सब्जियां, नेसी छिलका युक्त सब्जियां अगर इनका प्रवेश किसी वर्ष में एक मई से 31 अगस्त तक की अवधि के दौरान खपत के लिए हुआ है
07139080	सूखी हुई फलीदार सब्जियां, नेसी, छिलका युक्त सब्जियां
08023100	गिरीदार अखरोट ताजा व सूखा हुआ

1	2
09042076	जीनस, कैप्सीकम, ग्राउंड फल, नेसोई
09101040	अदरक, ग्राउंड
10063010	अर्द्ध या पूर्ण मिल्ड चावल जो पॉलिश या चमकयुक्त हो या न हो, पका हुआ हो
14039040	मुख्यत: झाड़ू या ब्रशों में उपयोग वाली पियास्सावा, कोचग्रास और अन्य वनस्पति सामग्रियां नेसी
17011105	गन्ना, चीनी अपरिष्कृत ठोस रूपों में एडेड फ्लेवरिंग या कलरिंग रहित जो एचटीएस के जेन नोट 15 के अधीन है।
17019105	गन्ना/चुकन्दर एवं शुद्ध सुक्रोज, परिष्कृत, सोलिड, एडेड, कलरिंग युक्त किन्तु फलेवर सहित जो एचटीएस के जेन नोट 15 के अधीन है।
18061065	कोकाआ पावडर, शुष्क चीनी के भार के अनुसार 0/90% नेसोई, एड यूएसनोट 1 से सीएच 18 के अधीन
20019045	आम सिरका या एसिटिक अम्ल द्वारा तैयार या परिरक्षित किया गया
21012032	निस्सारणों अरकों या संद्रणों अथवा चाय या उसके समान वस्तुओं के आधार से तैयार सामग्रियां जो समान्य टिप्पणी 15 (कोटे से बाहर) अधीन है
25162200	ब्लॉकों या चतुर्भुजाकर स्लैबों में कटा बलुआ पत्थर (वर्गाकार सहित)
39206320	आसंजन सहित प्लेट, शीट्स, फिल्म, फायल और स्ट्रिप्स जो सेल्यूलर न हो, दूसरी वस्तुओं के साथ मिश्रित न हो, जो असंतृप्त पालीएस्टरों का हो, जो लोचशील न हो
39209300	एमिनोरेसिंस की आसंजन प्लेटें, शीट्स, फिल्म, फायल और स्ट्रिप्स, जो सेल्यूलर ने हो और अन्य सामग्री से मिश्रित न हो
41043920	रुएं रहित, पार्चमेंट किया हुआ अथवा शोधन के बाद तैयार किया गया गोजातीय या अश्व

1	2
	का चमड़ा नेसी, जिसका उपयोग साफे के चमड़े के लिए किया गया हो, बुने हुए सिल्क फ्रेबिक्स जिसमें सिल्क या सिल्क अपशिष्ट, नेसोई भार के हिसाब से 85% हो
41043950	गोजातीय (भैंसे को छोड़कर) या अश्वजातीय पशुओं के अपर एवं सोल का चमड़ा पार्चमेंट किया हुआ या टैनिंग के बाद तैयार किया गया जिसमें पूर्ण ग्रेंस और ग्रेंस सम्मिलित न हो।
41061200	बकरे या मेमने का चमड़ा, जिस पर रोम न हो, सांभर चर्म शामिल नहीं, पेटेंट, पेटेंट, लेनिनेटिड, चमड़ा, प्रिटेन्ड नॉट वेजिटेबल प्रिटेन्ड
41061920	बकरे या मेमने के चमड़े का वैट ब्लूज, जिस पर रोम न हो, सांभर का चमड़ा शामिल नहीं, पेटेन्ट, पेटेन्ट लेमिनेटेडिड या मेटेलाइज्ड लेदर टेन्ड या रिटेन्ड
41061930	बकरे या मेमने के चमड़े का वैट ब्लूज, जिस पर रोम न हो, सांभर का चमड़ा शामिल नहीं, पेटेन्ट, पेटेन्ट लेमिनेटेडिड या मेटेलाइज्ड लेदर टेन्ट या रिटेन्ड नेसी
41062030	बकरे या मेमने का चमड़ा जिस पर रोम न हो शीर्ष 4108 या 4109 के चमड़े को छोड़कर, पार्चमेंट ड्रेस्ड या चर्मशोधन के बाद तैयार किया हुआ, फैंसी नहीं
41062060	बकरे या मेमने का चमड़ा जिस पर रोम न हो शीर्ष 4108 या 4109 के चमड़े को छोड़कर, पार्चमेंट ड्रेस्ड या चर्मशोधन के बाद तैयार, फैंसी
50079030	बुने हुए सिल्क फेब्रिस, जिसमें सिल्क या सिल्क आपशिष्ट, नेसोई भार के हिसाब से 85% हो
52095130	सूत के प्रिंटेड वीव सर्टिफाइड हैंडलूम्ड फेब्रिक्स जिसमें सूत भार के हिसाब से 85% या उससे अधिक हो और भार 200जी/एम2 से अधिक हो
53072000	जूट या अन्य वस्त्र बास्ट फाइबर्स का यार्न (फ्लैक्स, टू हेम्प और रेमी को छोड़कर) मल्टीपल (फोल्डेड) या केबल्ड

1	2
57023910	पाइल निर्माण के कारपेट व अन्य वस्त्र फर्शाच्छादन, बुना हुआ हो, गुच्छेदार या रोमिल न हो, जूट का बना न हो।
57024915	पाइल निर्माण के कारपेट और अन्य वस्त्र फर्शाच्छादन, बुना हुआ हो, गुच्छेदार या रोमिल न हो, जूट का बना हो।
57029920	पाइल विनिर्माण से इतर कारपेट व अन्य वस्त्र फर्शाच्छादन, जो बुना हुआ हो, अन्य वस्त्र सामग्री से निर्मित हो, नेसोई
59049100	वस्त्र के पृष्ठ भाग पर प्रयुक्त कोटिंग का फर्शाच्छादन, जिसका सुईकारी या बिना बुनाई वाला आधार हो।
63029910	वस्त्र सामग्री नेसोई का ट्वायलेट और किचन लिनन जिसमें सिल्क और सिल्क अपशिष्ट भार के हिसाब से 85% या उससे अधिक हो।
68149000	वर्क्ड माइका और माइका की वस्तुएं, नेसोई जिसका आधार कागज अथवा पेपर बोर्ड अथवा अन्य सामग्रियों का हो अथवा न हो।
71131925	गोल्डमिक्स्ड लिंक नेकलेस और नेक चेन्स
71131929	सोने का नेकलेस और नेक चेन्स (रोप या मिश्रित लिंक्स से इतर)।
71131950	कीमती धातु (चांदी को छोड़कर), आभूषण की वस्तुएं और उनके पार्टस, जो कीमती धातु से प्लेटेड या क्लैड की गई हों अथवा नहीं, नेसोई
71132921	बेस मेटल क्लैड, गोल्ड रोप नेकलेस और नेक चेन्स सहित।
71132025	बेस मेटल क्लैड डब्ल्यू/गोल्ड मिक्स्ड लिन्क नेकलेस एंड नेक चेन्स
71132029	बेस मेटल क्लैड गोड रोप नेकलेस और नेक चेन्स सहित, नेसोई
85401210	विडियो मोनिटर, मनोक्रोम, नॉन हाइ डिफिनिशन सहित कैथोड-रे टेलीविजन फेस प्लेस डायगनल >29 सेमी. और <या = 42 सेमी. वाला
86063000	रेलवे या ट्रामवे सेल्फ डिस्चर्जिंग फ्रेटकार (टैंक कार या इंसुलेटिड/प्रशीतित फ्रेट कारों को छोड़कर) स्वत: प्रणोदित नहीं।
74181910	कॉपर, टेबल, किचन या अन्य घरेलू वस्तुएं और उनके पार्टस कीमती धातु से कोटेड या प्लेटिड
94055030	पीतल लैम्प और लाइटिंग जुडनार, बिना बिजली के।

भारतीय स्टेट बैंक का कार्यकरण

***374. श्री किरीट सोमैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंकों के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय स्टेट बैंक के कई अनुषंगी बैंक घाटे में चल रहे हैं;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एसबीआई जीवन बीमा कंपनी शुरू करने के पीछे क्या औचित्य है;

(घ) क्या एक तरफ तो सरकार विनिवेश कर रही है और वहीं दूसरी ओर सरकारी कंपनियां नई कंपनियां शुरू कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या एसबीआई होम फाइनेंस को 31 मार्च, 2001 तक 82.35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो इस तरह के घाटे के क्या कारण हैं और अन्य होम फाइनेंस कंपनियों का कार्य-निष्पादन कैसा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगियों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सतत आधार पर समीक्षा की जाती है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान उसके केवल एक अनुषंगी

अर्थात् एसबीआई कमर्शियल एंड इन्टरनेशनल बैंकिंग लि. को निवल हानि हुई है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जनता से दीर्घावधिक बचतें जुटाने के संबंध में बैंकिंग और जीवन बीमा के बीच सहक्रियाएं, वहन करने योग्य दरों पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए उपलब्ध क्षमता (विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां भारतीय स्टेट बैंक का पर्याप्त शाखा नेटवर्क है) और अपने ग्राहकों को अतिरिक्त वित्तीय उत्पाद के रूप में जीवन बीमा का प्रस्ताव करने की बैंक की इच्छा जीवन बीमा कारबार में उसके प्रवेश के मुख्य कारण थे।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख 2000-01 और 2001-02 के बजट भाषणों में किया गया है और सरकारी क्षेत्र के अलाभप्रद उपक्रमों का विनिवेश तदनुसार किया जा रहा है। विकसित हो रहे कारबार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए नई कंपनियों की स्थापना करना निवेश की नीति के विरुद्ध नहीं है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी की स्थापना करने में भारतीय स्टेट बैंक की पहल के औचित्य के बारे में उपर्युक्त (ग) में सूचित किया गया है।

(च) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि एसबीआई होम फाइनेंस लि. भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी नहीं है, क्योंकि कंपनी में भारतीय स्टेट बैंक समूह की शेयरधारिता केवल 26% है। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार एसबीआई होम फाइनेंस लि. की संचित हानियों की राशि 82.35 करोड़ रु. थी।

(छ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि एसबीआई होम फाइनेंस लि. की हानियों का मुख्य कारण उसकी अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) का उच्च स्तर और जनता से जुटाई गई जमाराशियों की उच्च ब्याज लागतें रही हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उसके पुनर्वित्त के लिए अनुमोदित 31 आवास वित्त कंपनियों में से 2000-2001 को समाप्त वर्ष के दौरान 24 कंपनियों ने लाभ दर्ज किया था और 7 कंपनियों ने हानियां दर्ज की थीं।

चीनी का निर्यात

***375. श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चीनी के मूल्य को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए निर्यात की जाने वाली चीनी की लदाई संबंधी भाड़ा लागत और आन्तरिक परिवहन खर्चों का भुगतान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को दिये जा रहे वर्तमान प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान उपायों से चीनी के निर्यात में किस सीमा तक सहायता मिली है; और

(ङ) अतिरिक्त सुविधाओं से चीनी के निर्यात में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन करने हेतु विधान लाया जाए ताकि अन्य बातों के साथ-साथ चीनी के निर्यात शिपमेंट पर चीनी फैक्ट्रियों को आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए चीनी विकास निधि का इस्तेमाल किया जा सके।

(ग) और (घ) चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाए किए हैं:

* चीनी के निर्यात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया है।
* निर्यात की जाने वाली मात्रा का पंजीकरण अपेडा के पास करने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।
* चीनी निर्यात करने वाली फैक्ट्रियों को निर्यात की गई चीनी की मात्रा पर लेवी से छूट की अनुमति दी गई है।
* चीनी निर्यात करने वाली फैक्ट्रियों के मुक्त बिक्री के स्टाक में समायोजन जो निर्यात की तारीख से 12 माह के अंत में किया जा रहा था उसे बढ़ाकर 18 माह कर दिया गया है।
* चीनी के निर्यात पर निर्यात की पोत पर्यन्त नि:शुल्क कीमत पर 5% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गयी है।

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) 2000-2001 के दौरान व्यापारिक हल्कों से प्राप्त सूचना के आधार पर अनुमान है कि लगभग 12.5 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है।

(ङ) भारत में चीनी फैक्ट्रियां ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरी हुई हैं। अनेक मामलों में चीनी फैक्ट्री से निकटतम पत्तन की दूरी बहुत अधिक है। अत: आशा है कि आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने से चीनी फैक्ट्रियां चीनी का अधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।

अन्य देशों में बैंकों की शाखायें

***376. श्री अमर राय प्रधान:**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देश अपने यहां भारतीय बैंकों की शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन देशों ने भारत में अपने बैंक खोले हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने किन परिस्थितियों में ये बैंक खोलने की अनुमति दी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि केवल एक विदेशी राष्ट्र यथा मलेशिया का उदाहरण मिलता है जिसने किसी भारतीय बैंक को अपने देश में शाखा खोलने की अनुमति देने से इन्कार किया है।

(ग) मलेशिया के किसी बैंक की कोई शाखा भारत में कार्यरत नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मित्रा समिति की रिपोर्ट

***377. मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में गठित मित्रा समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या समिति द्वारा की गई सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी है कि बैंक/वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी से निपटने हेतु एक उपयुक्त विधान बनाया जाये;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बैंक धोखाधड़ियों के विधिक पहलुओं पर विशेषज्ञ समिति अगस्त, 2000 में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति डा. एन.एल. मित्रा की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त, 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट की एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराई गई है। समिति की सिफारिशों के दो भाग हैं— भाग-1 आंतरिक निवारक उपायों से संबंधित है और भाग-2 निषेधात्मक पहलुओं से संबंधित है, जिसके कार्यान्वयन के लिए विधायी परिवर्तन अपेक्षित हैं। मित्रा समिति की प्रमुख सिफारिशों में उत्कृष्ट आचरण संहिता का विकास, आंतरिक जांच एवं नियंत्रण, वित्तीय धोखाधड़ी का अपराधीकरण, गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करने के लिए अलग जांच प्राधिकारी, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में अलग अधिनियम शामिल हैं।

(ग) और (घ) समिति ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक अलग अधिनियम का सुझाव दिया था और यह सिफारिश की थी कि गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी को यू.के. के आपराधिक न्याय अधिनियम, 1978 की तर्ज पर अलग से निपटा जाना चाहिए और यह कि ऐसी धोखाधड़ियों की जांच विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति ने सिफारिश की है कि वित्तीय धोखाधड़ी को परिभाषित करने तथा वित्तीय धोखाधड़ियों के लिए सजा देने हेतु भारतीय दंड संहिता 1860 में विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता है और वित्तीय धोखाधड़ियां करने वाली/अवप्रेरित करने वाली पार्टी या पार्टियों की नीयत का अनुमान लगाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, समिति ने यह सुझाव दिया है कि इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किए जाने, जिसमें जांचकर्ता अधिकारी को खोज-बीन करने, चल संपत्तियों/कागजातों को जब्त करने, सम्पत्ति तथा निधियों का पता लगाने तथा उसे कुर्क करने

का अधिकार दिया गया हो। कुर्की की कोर्ट से पुष्टि तथा जब्ती बहाली संबंधी आदेश के प्रावधान का भी सुझाव दिया गया है। इस समिति ने गंभीर वित्तीय धोखाधड़ियों की जांच के लिए अलग संस्था स्थापित करने और वित्तीय धोखाधड़ियों की जांच के लिए निदेशक कार्यालय और उसकी अध्यक्षता में बहु अनुशासनिक निकाय की स्थापना के लिए विधान का सुझाव भी दिया है। इस समिति ने विशेष न्यायालयों की स्थापना की भी सिफारिश की है, जिसमें प्रस्तावित वित्तीय धोखाधड़ी अधिनियम के अंतर्गत दोषी पर मुकदमा चलाने के लिए आर्थिक प्रणाली बाजार कार्य और विनियामक तंत्र की पर्याप्त जानकारी वाला जज हो ताकि त्वरित न्याय निर्णयन तंत्र प्रदान किया जा सके।

(ङ) इस समिति की सिफारिशों की फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है जिसके पश्चात् इसे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों के साथ सरकार को भेज दिया जाएगा।

निजी बीमा कंपनियां

***378. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी बीमा कंपनियां निवेश विनियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित समुचित प्राधिकारी को अपनी वार्षिक निवेश संबंधी नीतियां और तिमाही विवरणी प्रस्तुत नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चूककर्त्ता कंपनियों के विरुद्ध आई.आर.डी.ए. द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किये गये हवाई हमलों के भारत में बीमा क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सभी निजी बीमा कम्पनियों ने अपनी तिमाही निवेश विवरणियां उनके पास प्रस्तुत कर दी हैं। तीन कम्पनियों जो अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही हैं, को छोड़कर आइआरडीए के पास इन्होंने अपनी निवेश संबंधी नीतियों को भी प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) आईआरडीए ने इन तीन कम्पनियों को अपनी निवेश संबंधी नीतियों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए लिखा है।

(घ) और (ङ) सरकार ने भारत में बीमा क्षेत्र पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किए गए हवाई हमलों से पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की है। यह प्रभाव बहुत कम है और यह केवल विमानन तथा बड़े पेट्रो-रसायन जोखिमों के लिए पुनर्बीमा सहायता तक ही सीमित है। भारतीय बाजार भारत में हामीदारी के कुल जोखिम का लगभग 90% जोखिम धारण करता है और इस प्रकार विश्वव्यापी बाजार की अस्थिरता से कुछ सीमा तक यह सुरक्षित है। भारतीय बीमा कम्पनियां आतंकवाद जोखिम सहित सभी जोखिमों के लिए अपने सभी उपभोक्ताओं को बीमा कवच निरन्तर प्रदान कर रही है। तथापि, विमानन तथा पेट्रो-रसायन क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली पॉलिसियां जिन्हें विदेशी बाजारों में पुनर्बीमा सहायता की आवश्यकता है, अधिक मंहगी हो गई है।

भारतीय कपड़े की वस्तुओं के लिए पेटेंट

***379. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय परम्परागत कपड़ों की महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे कांजीवरम रेशम की साड़ी और अन्य हथकरघा सामान को पेटेंट कराने हेतु आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कपड़े के अन्य उत्पादों पर भी कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार पेटेंट कराने हेतु कब तक ऐसे आवेदन दाखिल करेगी?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) सरकार ने हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र को बौद्धिक सम्पति के रूप में भारतीय परम्परागत वस्त्रों पर आधारित वस्तुओं की सुरक्षा की आवश्यकता की जांच करवाई है। यह सलाह दी गई है कि चूंकि इन वस्तुओं के उत्पादन का तरीका कई वर्षों के मुख्य कला के भाग के रूप में जाना जाता है, उनकों पेटेंट एकाधिकार के मामले में मानना संभव नहीं होगा। यद्यपि, इन्हें भौगोलिक वस्तुओं के संकेत (इन्डिकेशन) (पंजीकरण एवं सुरक्षा) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत इन वस्तुओं की सुरक्षा करना संभव है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंगापुर के साथ समझौता

*380. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने हेतु आर्थिक भागीदारी संबंधी समझौता; (ई.पी.ए.) किया गया है/ या किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने हेतु भारत ने सिंगापुर के साथ आर्थिक भागीदारी संबंधी कोई समझौता (ईपीए) नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल मार्गों में परिवर्तन

3756. **श्री एम. के. सुब्बा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्यजीव कार्यकर्त्ता बक्सर बाघ रिजर्व, महानन्दा वन्यजीव अभयारण्य, गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान, चयरामारी वन्यजीव अभयारण्य और जलदापारा रिजर्व वन के महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों से गुजरने वाले रेल मार्गों को बदलने के लिए रेलवे पर दबाव डाल रहे हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण

3757. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और विभाग में नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने पद आरक्षित थे;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार नि:शक्त/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) इन पदों पर कितने नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(घ) इन पदों को कब तक भर दिए जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ग "क" पदों के लिए भर्ती कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाती है। जहां तक ख, ग तथा घ वर्गों के पदों का संबंध है, वर्ग "घ" के अंतर्गत एक रिक्त पद की सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को दे दी गई है।

(ग) तीन।

(घ) जैसे ही रोजगार कार्यालय उम्मीदवार का प्रायोजन करेगा, उसकी नियुक्ति की जाएगी, बशर्ते कि वह उपयुक्त पाया जाए।

अप्रयुक्त धनराशि

3758. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य सेवा में 1999-2000 के दौरान 27236.76 करोड़ रुपए (अनुमानित) के स्वीकृत अनुदान में से 109.14 करोड़ रुपए की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही;

(ख) क्या नौसेना और वायुसेना सेवाओं में क्रमश: 3649.11 करोड़ रुपए और 6388.23 करोड़ रुपए के स्वीकृत अनुदान में से 106.46 करोड़ रुपए और 138.60 करोड़ रुपए की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही; और

(ग) यदि हां, तो पूर्ण स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान सं. 18—सेना के संदर्भ में 109.14 करोड़ रुपए, अनुदान सं. 19— नौसेना के संदर्भ में 106.46 करोड़ रुपए तथा अनुदान सं. 20— वायुसेना के संदर्भ में 138.60 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त शेष राशि थी जिसका उल्लेख दिनांक 7.8.2001 को संसद के पटल पर रखे गए विनियोजन लेखाओं (रक्षा सेवाएं) 1999-2000 में पहले ही

कर दिया गया है। इन राशियों का उपयोग न किए जा सकने के कारणों का उल्लेख भी उसमें कर दिया गया है। तथापि, मुख्य कारण नीचे पुन: प्रस्तुत हैं:

(1) *सेना:* इस धनराशि का उपयोग मुख्यत: कुछ संविदाओं के न हो पाने, सुनिश्चित कैरियर उन्नयन स्कीम के आदेश कार्यान्वित न होने, औजारों, संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति में देरी होने तथा विदेशों से सामान की खरीद पर कम व्यय होने आदि के कारण नहीं हो पाया।

(2) *नौसेना:* इस धनराशि का उपयोग मुख्यत: कुछ संविदाओं को अंतिम रूप देने में हुए विलंब, गोलाबारूद की देरी से हुई आपूर्ति, राज्य बिजली बोर्डों से कतिपय बिजली/टैरिफ बिलों के देरी से प्राप्त होने, सुनिश्चित कैरियर उन्नयन स्कीम के आदेशों के देरी से कार्यान्वित होने आदि के कारण नहीं हो पाया।

(3) *वायुसेना:* इस धनराशि का उपयोग मुख्यत: स्टोर्स की आपूर्तियां समय पर न होने, कतिपय परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में हुए विलंब, वेतन तथा भत्तों पर अनुमानित राशि से कम व्यय होने, जल/विद्युत टैरिफ पर अपेक्षा से कम व्यय होने आदि के कारण नहीं हो पाया।

रक्षा सेवा प्रमुख

3759. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की सेना के तीन अंगों के प्रथम रक्षा प्रमुख की नियुक्ति हेतु प्रशासनिक आदेश जारी कर दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए जारी किये गये दिशा-निर्देश क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सरकार ने सेनाध्यक्षों की समिति तथा उसके अध्यक्ष को उनकी भूमिका तथा कार्यकलापों को इष्टतम रूप से करने में सहायता करने के लिए सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख की अध्यक्षता में एक एकीकृत रक्षा स्टाफ का गठन किया है।

कर्नाटक में बिदाडी में गैस आधारित विद्युत संयंत्र के संबंध में जी.ए.आई.एल. का प्रस्ताव

3760. **श्री सलीम आई. शेरवानी:**
श्री जी. एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर के निकट बिदाडी में प्रस्तावित गैस आधारित संयंत्र के संबंध में सम्भाव्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जी.ए.आई.एल. ने अन्यत्र प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, कर्नाटक विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड (के.पी.सी.एल) ने अपनी प्रस्तावित 2×350 मेगावाट बिदाडी संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना के लिए पुन: गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) से अनुरोध किया है। इस संबंध में गेल ने के.पी.सी.एल. के साथ एक गोपनीयता करार पर हस्ताक्षर किए हैं और उक्त पक्षकारों के बीच करार शीर्षों और गैस आपूर्ति करार को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता प्रारंभिक स्तर पर है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बी.डी.एल. में आग

3761. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2001 में आग दुर्घटना के कारण हैदराबाद के कंचनबाग में भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी.डी.एल.) में मिसाइल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें बी.डी.एल. को कुल कितना नुकसान हुआ;

(घ) आग के कारण कुल कितने प्रतिशत उत्पादन का नुकसान हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा बी.डी.एल. के उत्पादन में तेजी लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) आग लगने की दुर्घटना के कारण वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रक्षेपास्त्रों का उत्पादन 20% तक प्रभावित हुआ था। प्रक्रियागत स्टॉक तथा पूर्णत: निर्मित प्रक्षेपास्त्रों में 20.77 करोड़ रुपए तक की हानि हुई। भवन की मरम्मत तथा संयंत्र एवं मशीनरी की मरम्मत/प्रतिस्थापन पर 91 लाख रुपए व्यय हुए हैं। उत्पादन सुविधाएं अप्रैल, 2001 तक बहाल कर दी गई थीं। प्रक्षेपास्त्रों का पूरे पैमाने पर उत्पादन शुरू हो चुका है तथा उत्पादन में हुई हानि को चालू वर्ष के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

डाटा लॉगर्स की स्थापना

3762. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन स्थानों पर डाटा लॉगिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं;

(ख) किन-किन स्टेशनों पर एल.ई.डी. सिगनल सिस्टम स्थापित किए गए हैं; और

(ग) इन दोनों सिस्टम पर मंडल-वार कितना खर्च किया गया?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) सिगनल गियरों की निगरानी के लिए डॉटा लॉगिंग प्रणाली अब तक 358 स्टेशनों पर मुहैया कराई गई है जैसा कि संलग्न विवरण-I में ब्यौरा दिया गया है।

(ख) एल.ई.डी. सिगनल 55 स्थानों पर मुहैया कराए गए हैं जैसा कि ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) अभी तक डाटा लॉगिंग प्रणाली की व्यवस्था पर 11.16 करोड़ रुपये और एल.ई.डी. सिगनलों पर 82.41 लाख रुपए खर्च किये गये। ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

उन स्टेशनों का ब्यौरा जहां डाटा लॉगिंग की सुविधा है

रेलवे	मंडल	कुल संख्या	स्टेशनों के नाम
1	2	3	4
मध्य	मुंबई	46	अटगांव, वाशी, मजगांव, वासिंद, नेरल, जयनगर, मान खुर्द, बेलापुर, आप्टा, तलोजा, पंचानंद, सोमाटन, रोह, नेरूल, कामन, कलमबोली, खरबो, कारडी, खड़ावली, कासू, जिते, इगतपुरी, भिवांडी रोड़, आसनगांव, माटुंगा, कर्जत, टिटवाला, अम्बरनाथ, पुणे, लोणावला, कसारा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बॉईकुला, पारेल, दादर, कुर्ला, भांडुप, मुलुंद, थाणे, कलुवा, दिवा, डोम्बीवली, कल्याण, घाटकोपर, परसिक, रओली, दातीवली
	भुसाव	8	भुसावल, मनमाड़, सावदा, निम्भोरा, रावेर, वाघोडा, बरहनपुर, पनेवाडी।
	भोपाल	4	हरदा, इटारसी, मिदघाट, विदिशा।
	झांसी	18	मथुरा, वृंदावन, अजही, मथुरा, आरआरआई (आर एच 5 से आर एच 12), मथुरा-पलवल खण्ड, राजा की मण्डी, छाता कोसी, होडल, मथुरा-पलवल खण्ड, (आर एच 13 से आर एच 31), फराह, किथम, बिलोचपुरा, रनकुट्टा, सोलखा, रूनधी, मथुरा-पलवल खण्ड (आर एच 1 से आरएच 4), मथुरा-पलवल खंड (आरएच 32 से आरएच 40)

1	2	3	4
	जबलपुर	1	कटनी 'ए' केबिन
	नागपुर	3	नागपुर, सेवाग्राम, चितौडा जंक्शन केबिन
	सोलापुर	4	दौंड, दावलास, कुर्डूवानी, भलवानी
पूर्व		0	
उत्तर	इलाहाबाद	18	अलीगढ़, मेहरावल, कलवा, बी एच-सीसी, सोमना, बी एच-डब्ल्यू, दनवार, बीएच-वी, खुर्जा, सुबेदारगंज इलाहाबाद, नैनी, भीरपुर, छिऊकी, बी एच-ए, कर्छना, बी एच-बी, और बी एच-सी
	दिल्ली	22	सब्जी मण्डी, नया आजाद पुर, बादली, होलम्बी कलां, नरेला, रथधाना, सोनीपत, सांदलकला, गन्नौर, बौडवल माजरी, समालखा, दिवाना, पानीपत, बाबरपुर, घरौंदा, बजीदा, जाटन, करनाल, भैनी खुर्द, ढ़ोडाखेड़ी, धोला माजरा, शाहबाद, मरकंडा, मोहरी
पूर्वोत्तर	सोनपुर	1	शाहपुर पटोरा
पूर्वोत्तर सीमा	-	0	-
दक्षिण	तिरुवनंतपुरम	1	एर्णाकुलम
	पालाघाट	2	कोयम्बटूर, ईरोड़
	मदुरै	2	मदुरै, दिंडीगुल
	तिरूचिरापल्ली	4	तिरूचिरापल्ली, गोल्डन रॉक, वृद्धचेलम, मायावरम
	चैन्ने	19	मद्रास सेन्ट्रल, बसीनब्रिज, कोरूक्कूपेट, तोंडियारपेट, तिरूवोत्तीयुर, एन्नोर, अट्टीपट्टु, मिन्जर, पोन्नेरी, कवरापेट्टे, गुम्मीडीपंदी, व्यासरापाडी, विल्लीवक्कम, अम्बातुर, अवडि, पट्टाकिराम पूर्व, पट्टाकिराम पश्चिम, तिरूनीनरावूर, जोल्लारपेट्टे
दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा	18	मनूबरोलू, श्रीवेंकटेशवरपालेम, कवाली, देटू अलावापाडू, सिंगरायाकोंडा, तंगूटूरू, सुरारेडी पालेम, अंगौल, करावाड़ी, अम्मानाबरोलू, उप्पूगंडूरू, चिंगांजन, वेटापालेम, बप्तला, निदूबरोलू, टीसूंदूर, कोंडारापोल,
	सिकंदराबाद	18	चरलापल्ली, घाटकेशर, बीबी नगर, पगड़ीपल्ली, भोनगिर, वंगापल्ली, आलेर, पेमबरती, जनगांव, इप्पागुडा, यशंतपुरू, रघुनाथपल्ली, घनपुर, नसखल, पिंडियाल, गोडमगुरा, दरूर और रूकमापुर
	गुंतकल	4	रेनीगुंटा, येरपेडू, रचगुन्नैरी, श्रीकालाहस्ती,
	हैदराबाद	1	कुरनूल

1	2	3	4
दक्षिण पूर्व	खड़गपुर	10	आबादा, नलपुर, बेरिया, चेंगेल, फेलुश्वर, उलुबेरिया, आंदल, संकैल, संतरागाछी, खड़गपुर
	आद्रा	3	चांडिल, माद्रा और बोजूडीह
	बिलासपुर	5	कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, मडवारानी, सरगबुंदियां कोठारी रोड
	सम्बलपुर	11	मानेश्वर, हटीबाडी, जूजोमुरा, चारामल, रेराखोल, बामुर, सरगीपल्ली, हंडापा, बोइंडा, जरपुरा, केरेजंग
पश्चिम	मुंबई	17	घोलवाड, उम्बेरगांव, सांजन, भिलाड, करमबेली, वापी, उडवाडा, परडी, अतुल, दुंजीर, बिल्लीमोरे, अमेशाद, बेडछा, नौसारी, मरोली, सचिन, भेस्तान
	बडोदरा	21	उतरान, कोषाद, गोठगांम, सायन, किम, कोशाम्बा, पनौली, अंकलेश्वर, भरूच, चावज, नबीपुर, वरडीया, पलेज, लकोदरा, मियागाम करज, कोशीपुर, शारा, इटोला, वरनामा, माकरपुर, विश्वमित्री, बडोदरा
	रतलाम	32	कुन्सुढ़ी, चन्वेलर, सन्तरोड़, पिपलोड, लिमखेडा, मंगल महोदी, उसरा, जयकोट, रेंटिया, दाहोद, दरमधरा, बोड़ी, अनाश, अनाश क और ख, मेघनगर, थंडलारोड़, बजरंगढ़, पंचपीपलिया, अमरगढ़, बामनिया, भैरोगढ़, रओटी, भिलड़ी, मोरवानी, रतलाम ए, रतलाम रतलाम, ई, बग्गरोड़ रनखेड़ा, खचरोड़, बरवानिया, नागदा
	कोटा	63	रोहलखुर्द, मेहिदपुर रोड़, लूनी, रीछा, विक्रमगढ़, अलोट, थुरिया, तलावली, चौम्हला, नाथुखेड़ी, सुवासरा, हंसपुरा, सामगढ़ गरोट, कुर्लासी, भवानी मण्डी, धूनीखेड़ी, जलेश्वर रोड़, रामगंज मण्डीमोरख, कवलपुरा, दारा, रवथारोड़, अलनियां, दधदेवी, दक्नियांतलव, कोटा साउथ, कोटा, कोटा सी, गुर्ला, गुर्ला नार्थ, केशोरायपाटन, अरनेठा, कापरन, घाटकवाराना, लबन, लाखेरी, इंदरगढ़, सुमर, कुस्तला, डुंगर, सवाई माधवपुर, सवाई, माधवपुर डी, रणथम्भोर, मोखोली, मलारना, निमोणा, नारायणपुर, टटवाडा, लालपुरूमनी, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी नार्थ, छोटी ओडल, पिलोडा, श्री महावीर जी, हिंडौनसिटी, फतेसिंह पुरा, डुमरिया, बयाना केलीदेवी, पिंगोरी, सेवर, भरतपुर, धोरमुई, जघीना, जाजन पट्टी मुरहेसी रामपुर
	अजमेर	1	अजमेर
	जयपुर	1	जयपुर
	जोड़	358	

विवरण-II

एल ई डी सिंगनलों का ब्यौरा

रेलवे	मंडल	स्थलों की संख्या	स्टेशनों/गेट के नाम
मध्य	मुंबई	1	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस
	भोपाल	3	भोपाल, विदिशा, मिश रोड
	सोलापुर	3	वडसिंग, अंगर, पोफलाज
पूर्व	आसनसोल	3	किउल्टी, बाराचक, आसनसोल,
	हवड़ा	2	बर्धमान, तलित
	सियालदाह	2	बिराटी, दमदम छावनी
उत्तर	इलाहाबाद	3	मेहरावल, कुलका बी, एच सी सी
	दिल्ली	3	बाजीदाजाटा, घरौंदा, बाबरपुर, पानीपत
	फिरोजपुर	1	समपार संख्या 2ए
		0	
पूर्वोत्तर	-	0	-
पूर्वोत्तर सीमा			
दक्षिण	चैन्ने	4	पेरानी, मैलाम, तिरूवोत्तुर, मन्डियाम बक्कम
	बेंगलुरू	1	बेंगलोर
दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा	11	गुडुर-विजयवाड़ा-विशापत्तनम पर 7, विजयवाड़ा-गुडीवाडा-भीमावरम खण्ड पर 4
दक्षिण पूर्व	-	0	-
			-
पश्चिम	जयपुर	10	धान्क्या, अमलिया, भांकरी, दौसा, जटवाडा, झिर, बस्ती, कनोता, खातीपुरा, गांधीनगर
	रतलाम	8	पिप्लोदाबगई, उन्हेल, पसोरा मकरवान, असलोदा, गम्भीरी पुल, नेखेड़ी, सिपरां पुल, नागदा
	जोड़	55	

विवरण-III

डाटा लॉगरों और एल ई डी सिगनलों पर किया गया व्यय

रेलें	मंडल	व्यय	
		डाटा लॉगर	एल ई डी सिगनल
1	2	3	4
मध्य	मुम्बई	24132894	0
	भुसावल	2903400	0
	भोपाल	5974000	53010
	झांसी	5095688	0
	जबलपुर	458000	0
	नागपुर	1130000	0
	सोलापुर	1750000	205462
	पुणे	0	0
पूर्व	आसनसोल	0	212940
	हवड़ा	0	41558
	सियालदाह	0	94160
उत्तर	इलाहाबाद	4856000	192000
	दिल्ली	6000000	200000
	फिरोजपुर	1000000	0
	अम्बाला	0	250000
पूर्वोत्तर	सोनपुर	273500	0
पूर्वोत्तर सीमा		0	0
दक्षिण	त्रिवेन्द्रम	355000	0
	पालघाट	975000	0
	मुदरै	750000	0
	तिरूचिरापल्ली	1500000	0
	चेन्नै	4817000	27000
	बैंगलोर	0	72000

1	2	3	4
दक्षिण मध्य	सिकंदराबाद	3400000	0
	विजयवाड़ा	3200000	500000
	गुंतकल	700000	0
	हैदराबाद	80000	0
दक्षिण पूर्व	खड़कपुर	2320000	0
	आद्रा	1200000	0
	बिलासपुर	1800000	0
	संबलपुर	4500000	0
पश्चिम	मुम्बई	4347000	0
	वडोदरा	4368000	0
	रतलाम	7000000	1497000
	कोटा	14966000	0
	अजमेर	880000	0
	जयपुर	913000	4896000
	जोड़	111644482	4241130

[अनुवाद]

बोल्ट योजना के अंतर्गत रेल इंजनों की खरीद

3763. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "बिल्ड ऑन लीज एण्ड ट्रांसफर" (बोल्ट) योजना के अंतर्गत 49 ए.सी./डी.सी. रेल इंजनों की खरीद के परिणामस्वरूप अब 811.91 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी;

(ख) क्या ह्रास आरक्षित कोष के अंतर्गत इन रेल इंजनों को बदलने पर केवल 292.04 करोड़ रुपए की लागत आएगी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) खरीद 53 रेल इंजनों में संबंधित है न कि 49 की। इन 53 रेल इंजनों की खरीद के लिए 20 वर्षों में किश्तों में कुल 811.91 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ख) यह सही नहीं है कि इन रेल इंजनों को मूल्यह्रास आरक्षित निधि (मू.आ.नि.) के अंतर्गत 292.04 करोड़ रु. की लागत पर बदला जाना है। विद्युत रेल इंजनों की खरीद चाहे अतिरिक्त रेल इंजनों की खरीद की जानी हो अथवा बदलाव किया जाना हो उसके लिए वित्त की व्यवस्था पूंजी से ही की जाती है। मूल्यांकन करने से पता चला है कि रेलवे यदि निर्माण, स्वामित्व, पट्टा एवं हस्तांतरण (बोल्ट) योजना के माध्यम के बजाय इसके लिए भारतीय रेल वित्त निगम से धन उधार लेती तो उसे ज्यादा भुगतान करना पड़ता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

झाला हवेली के भित्तिचित्र

3764. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय में कोटा की झाला हवेली के भित्तिचित्र रखे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन भित्तिचित्रों का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इनके प्रदर्शन के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) झाला हवेली की दीवारों से भित्ति-चित्रों के 22 खण्ड जीर्णोद्धार के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में लाए गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) भित्ति-चित्रों को साफ किया गया तथा उन्हें कैनवास और उसके बाद फाइबर ग्लास, राल (रेजिन) के सम्मिश्रण एवं अल्युमिनियम के एंगल का अतिरिक्त सहारा दिया गया और उनकी मौलिक आभा बहाल कर दी गई है।

(ङ) और (च) "कोटा म्युअॅरल्स बैंक टू लाइफ" नामक एक प्रदर्शनी राष्ट्रीय संग्रहालय में लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 28 जून, 2001 को दिया गया था।

गुजरात में रेलमार्गों का विद्युतीकरण

3765. श्री मानसिंह पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सभी रेलमार्गों के विद्युतीकरण हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में कितने कि.मी. रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है अथवा किया जा रहा है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1.4.2001 तक गुजरात में 706 कि.मी. मार्ग जो रेल नेटवर्क का 36 प्रतिशत बनता है विद्युतीकृत हो गया है। इस समय जलगांव-उधना खंड के 306 मार्ग कि.मी. पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसमें से 68 मार्ग कि.मी. गुजरात राज्य में पड़ता है।

जल विद्युत परियोजनाएं

3766. श्री बीर सिंह महतो: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के पुरूलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना की स्थापना की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संभावनाओं के आधार पर इस परियोजना की स्थापना के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही पुरूलिया के पम्पड स्टोरेज स्कीम (900 मेवा) में अत्यधिक रुचि दर्शाई है। पुरूलिया पम्पड स्टोरेज स्कीम के एक संयुक्त उपक्रम प्रबंध द्वारा क्रियान्वयन और प्रचालन के लिए एनएचपीसी और पश्चिम बंगाल सरकार के मध्य 25.5.2001 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह संयुक्त उपक्रम कंपनी सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात् प्रचालन करेगी।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पम्पों को दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाना

3767. श्री अशोक अर्गल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान दूसरे स्थान पर स्थापित किये गये पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है तथा 2001-2002 में दूसरे स्थान पर स्थापित किए जाने वाले पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

3768. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) राज्य-वार उन दुर्गम गांवों की परिभाषा क्या है जिनको परम्परागत ऊर्जा आपूर्ति द्वारा विद्युतीकरण किए जाने की संभावना नहीं है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) 3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए

- प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण को बुनियादी न्यूनतम सेवा माना जाए।
- विद्युतीकरण को 10वीं योजना के अंत अर्थात् सन् 2007 तक पूरा किया जाए।
- 11वीं योजना अर्थात् वर्ष 2012 तक सभी घरों का विद्युतीकरण।
- वर्ष 2001-02 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण को शामिल कर लिया गया है जिसके अंतर्गत राज्यों को 41859.90 लाख रुपए का आबंटन किया गया है। इसके अलावा ग्राम विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अंर्तगत राज्यों को 175 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 80,000 गांवों का अभी भी विद्युतीकरण किया जाना इनमें से सुदूरवर्ती सूचना के अनुसार 18,000 को गैर-पारंपरिक स्रोतों के जरिए विद्युतीकरण के उपयुक्त माना गया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं पीएमजीवाई दिशानिर्देशों में राज्यों को गैर-पारंपरिक स्रोतों के जरिए गांवों के विद्युतीकरण का विकल्प उपलब्ध है।

विवरण

31.3.1996 की स्थितिनुसार अनुमानित रिमोट गांवों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांव	सामान्य गांवों की संख्या	रिमोट गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	1,379	591	788
2.	असम	2,798	2,469	330
3.	बिहार	19,708	17,708	2,000
4.	जम्मू व कश्मीर	203	0	203
5.	मध्य प्रदेश	3,705	2,485	1,300
6.	मणिपुर	166	0	166
7.	मेघालय	3077	587	2,490
8.	मिजोरम	72	0	72

1	2	3	4	5
9.	उड़ीसा	13,118	9,728	3,390
10.	राजस्थान	7269	4,269	3,000
11.	त्रिपुरा	97	0	97
12.	उत्तर प्रदेश	26164	22,564	3,600
13.	पश्चिम बंगाल	8,705	8,155	550
	कुल	86,541	68,555	17,986

सैनिक स्कूल

3769. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सैनिक स्कूलों में प्रवेश क्षमता सहित इनकी कुल संख्या कितनी है और राज्य-वार इनके लिए कितना परिव्यय किया गया और इन पर कितना खर्च किया गया;

(ख) क्या सरकार ने देश में सैनिक स्कूलों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो इनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और सरकार के ध्यान में कौन-कौन सी कमियां आई हैं;

(घ) देश में सैनिक स्कूल नेटवर्क के उन्नयन, विस्तार और इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए सामान्यत: संबंधित राज्य सरकारों और विशेषकर महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर क्या कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(ङ) रक्षा आवश्यकता के संबंध में सैनिक स्कूलों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या भावी कार्य-योजना तैयार की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सभी 18 सैनिक स्कूलों की, जिनमें वार्षिक औसत के रूप में हर स्कूल में लगभग 70 कैडेटों को लिया जाता है, वित्तीय रूप से स्वपोषित होने की परिकल्पना की गई है।

(ख) से (ङ) देश में सैनिक स्कूलों का सामान्य कार्यनिष्पादन पर्याप्त रूप से संतोषजनक रहा है। इन स्कूलों के सफल कैडेटों की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश की संख्या बढ़ रही है। सतारा, महाराष्ट्र स्थिति सैनिक स्कूल समेत सैनिक स्कूलों के कार्य-निष्पादन की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है। चूंकि सैनिक स्कूल मुख्यत: कैडेटों की फीस, संबद्ध राज्य सरकारों की अनुदान सहायता तथा आंतरिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं इसलिए इनका दर्जा बढ़ाना, विस्तार करना और उन्हें सक्षम बनाना अधिकांशतया संबद्ध राज्य सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार धन मुहैया कराए जाने पर निर्भर करता है।

आंध्र प्रदेश में रेलवे आधारभूत ढांचा विकास निगम की स्थापना

3770. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक में स्थापित निगम की तर्ज पर रेलवे आधारभूत ढांचा विकास निगम की स्थापना हेतु अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) रेल मंत्रालय में आन्ध्र प्रदेश में रेल परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रेल अवसंरचना निगम की स्थापना के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय ने रेल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य उपयोगकर्ता एजेंसियों की भागीदारी

के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, इन दिशानिर्देशों की सूचना आन्ध्र प्रदेश सरकार को दे दी गई है।

पे चैनलों द्वारा शुल्क में वृद्धि

3771. **श्री गुनीपाटी रामैया: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टार, ई.एस.पी.एन., जी.टी.वी. इत्यादि जैसे पे चैनलों द्वारा शुल्क में वृद्धि के कारण केबल उपभोक्ता पीड़ित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन चैनलों द्वारा लगाए जा रहे शुल्क पर नियंत्रण लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में पे चैनलों/केबल आपरेटरों द्वारा लगाए गए अंशदान प्रभारों अथवा टी.वी. ब्रॉडकास्टिंग कम्पनियों को केबल आपरेटरों द्वारा देय प्रभारों को विनियंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये प्रभार पूर्णतया ब्रॉडकास्टिंग कम्पनियों, केबल आपरेटरों और उपभोक्ताओं के बीच का संविदात्मक कार्य है और दरें बाजार के रुख के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। सरकार ब्रॉडकास्टिंग कम्पनियों अथवा केबल आपरेटरों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभारों को नियंत्रित नहीं करती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

3772. **श्री ए. नरेन्द्र: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने हेतु किन-किन स्थानों पर खोज और ड्रिलिंग कार्य शुरू किया गया है;

(ख) किन-किन स्थानों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है:

(ग) ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. को हुए लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल राज्यों और पूर्वी तट और पश्चिमी तट अपतटीय क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए अन्वेषण और वेधन कार्य आरम्भ किए गए।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा राज्यों और पश्चिम तट और पूर्वी तट में हाइड्रोकार्बन भण्डारों की खोज हुई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दो अपस्ट्रीम राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा अर्जित कर पश्चात लाभ निम्नानुसार है:

(कर पश्चात लाभ करोड़ रुपए में)

वर्ष	ओ एन जी सी	ओ आई एल	योग
1998-1999	2754	291.60	3045.60
1999-2000	3629	409.79	4038.79
2000-2001	5229	567.35	5696.35

(घ) तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं जिनमें निम्न उपाय सम्मिलित हैं:

(1) विर्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं का कार्यान्वयन करके मौजूदा मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करने के लिए विशेष रूप से ओ एन जी सी ने 10,000 करोड़ रुपए के अनुमानित विनिवेश पर इस उद्देश्य के लिए 15 क्षेत्रों में कार्य आरम्भ किया है, जिससे इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन में वृद्धि करने में भी सहायता मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.सी.पी.) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना। एन.ई.एल.पी. के पहले दौर में 24 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनमें कार्य चल रहा है। इसके अलावा, एन.ई.एल.पी. के दूसरे दौर के तहत 23 ब्लाकों के लिए 17.7.2001 को उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश आमंत्रित करने के लिए 9 खोजे गए क्षेत्रों, जिनमें से 8 गुजरात में हैं और एक असम में हैं, के लिए भारतीय और विदेशी कम्पनियों के परिसंघों के साथ 23.2.2001 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(4) नए क्षेत्रों, विशेषरूप से गहन जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादक क्षेत्रों की गहनतर परतों में अन्वेषण करना।

(5) नए खोजे गए क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, उत्प्रेरण, प्रचालनों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

(6) विदेशों में रकबें प्राप्त करना।

पर्यटकों के लिए नागपुर-छिंदवाड़ा छोटी लाइन की रेलगाड़ी शुरू करना

3773. श्री सुबोध मोहिते: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार पर्यटकों के लिए नागपुर-छिंदवाड़ा छोटी लाइन की रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या रेल प्रचालन में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टूरिस्ट आपरेटरों से सम्पर्क किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनसे क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान-प्रदान

3774. श्री जे.एस. बराड़: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान-प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पड़ौसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान के साथ बार-बार सांस्कृतिक आदान-प्रदान की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। पाकिस्तान के साथ कोई वैध सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम नहीं किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् भारत तथा पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कर रही है। वर्ष 1998-99 के दौरान एक 16 सदस्यीय तेहरिक-ए-निस्वान थियेटर दल ने कोलकाता, दिल्ली और लखनऊ में कला का प्रदर्शन किया। एक 14-सदस्यीय रफी पीर थियेटर ने कोलकाता तथा दिल्ली में (दिसंबर 1998—जनवरी-1999) कला का प्रदर्शन किया। चालू वर्ष के दौरान परिषद् ने हबीब पब्लिक स्कूल कराची के 30-सदस्यीय विद्यार्थियों/अध्यापकों के दल के भारत के 18 दिनों के दौरे में सहायता प्रदान की।

आने वाले/विख्यात पर्यटक :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इस्लामाबाद के 2-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मई 1998 में मेजबानी की गई। जनवरी 2000 में परिषद् ने पाकिस्तान की लेखिका सुश्री बापसी सिधवा की मेजबानी की। परिषद् ने इस कार्यक्रम के तहत दो सप्ताह की अवधि के लिए 6 व्यक्तियों जिनमें कवि, शिक्षाविद् तथा लेखक शामिल हैं, के दौरे की मेजबानी करने की पेशकश की है।

बाहर जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल :

राजस्थानी कठपुतली दल तथा हिन्दुस्तानी गायक दल ने क्रमश: नवम्बर, 2000 तथा मार्च, 2001 में पाकिस्तान का दौरा किया। चालू वर्ष के दौरान उस्ताद उसद अली खान (रूद्र वीणा) की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय वाद्य संगीत दल ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कला का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में कला प्रदर्शन के लिए परिषद् द्वारा दो और दलों को भी सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम है।

(ग) बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन और अन्य देशों जैसे नेपाल तथा भूटान जिनके साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम मौजूद नहीं हैं, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अनुसरण में पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने को महत्व दिया जाता है। इन कार्यकलापों में कला-प्रदर्शन करने वाले शिष्टमंडलों, शोधकर्ताओं तथा शिक्षाविदों के दौरे शामिल हैं। भारत पर विशेष रूप से तैयार की गई प्रदर्शनियां भी इन पड़ोसी देशों में नियमित रूप से भेजी जाती हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् आई.सी.सी.आर. के संस्थापक की स्मृति में प्रतिवर्ष मौलाना आजाद निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करती है जो विशेष रूप

से हमारे पड़ोसी देशों के नागरिकों से संबंधित होती हैं। यह परिषद् सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत पड़ोसी देशों के नागरिकों को भारत में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां देने और इन देशों के लिए अन्य विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं पर विशेष बल देती है। पाकिस्तान के विशेष संदर्भ में भारतीय तकनीकी संस्थानों में पाकिस्तानी विद्यार्थियों को 20 छात्रवृत्तियां देने पर सहमति हो गई है तथा इस पर कार्रवाई की जा रही है।

बैंजीन संयंत्र

3775. **श्री राजो सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोई बैंजीन संयंत्र स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कोई केन्द्रीय संयंत्र स्थापित नहीं किया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन और मिट्टी के तेल के बिक्री केन्द्रों का आबंटन

3776. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा कितने रसोई गैस कनेक्शन और मिट्टी के तेल के बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए;

(ख) वर्ष 2002 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जनवरी-अक्तूबर, 2001 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 473,000 नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए हैं। फिलहाल देशभर में सभी मौजूदा बाजारों में एल.पी.जी. कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं।

इसी प्रकार ओ.एन.सीज. ने अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान वर्ष के दौरान 28 एस.के.ओ. डीलरशिप आबंटित की हैं और 21 प्रस्ताव विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत आबंटन के लिए लंबित हैं। एस.के.ओ. डीलरशिप का चयन एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसे कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है जब तक इन डीलरशिपों को चालू किए जाने की संभावना हो।

सी.बी.एम. भण्डारों का दोहन

3777. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला बेड मिथेन (सी.बी.एम.) तेल और प्राकृतिक गैस की श्रेणी में आता है;

(ख) क्या खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार सी.बी.एस. खनिज की श्रेणी में नहीं आता जिसके लिए उसे इस अधिनियम के अंतर्गत रियायत दी जा रही है;

(ग) क्या राज्य सरकार को भंडार के दोहन का अधिकार दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा भण्डारों के दोहन हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.), एक प्राकृतिक गैस के रूप में, तेल (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के उपबंधों के तहत आती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारत सरकार ने देश में सी.बी.एम. के अन्वेषण और दोहन की नीति का अनुमोदन किया था। इस नीति में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सी.बी.एम. के अन्वेषण और दोहन के लिए ब्लाकों की पेशकश की व्यवस्था है। इस नीति के तहत सरकार ने प्रथम पेशकश में सात ब्लाकों के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। छह ब्लाकों के लिए सोलह बोलियां प्राप्त हुई थीं। ठेके अवार्ड करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

पन-विद्युत परियोजनाओं के लिए पैकेज

3778. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पन-विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के लिए कोई प्रोत्साहन पैकेज बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 3 से 25 मेगावाट क्षमता वाली लघु पन-विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु कोई योजना शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या योजना में निजी पार्टियां भी शामिल हो रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन निजी पार्टियों की संख्या कितनी है जो परियोजना स्थापित करने के लिए आगे आई हैं; और

(च) कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुई और इन परियोजनाओं द्वारा कुल कितनी विद्युत क्षमता बढ़ाए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) सरकार ने जल विद्युत विकास की गति को तेज करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं—नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) तथा टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी) जैसे केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों को और अधिक बजटीय सहायता, नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्रवाई, निजी क्षेत्र भागीदारी को आकर्षित करने के लिए उदार नीति और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत विकास के लिए कार्य योजना।

भारत सरकार ने जल विद्युत विकास की गति को तेज करने के लिए अगस्त, 1998 में जल विद्युत विकास गति की घोषणा की। नीति की अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित उपायों की परिकल्पना की गयी है:

(1) जल विद्युत परियोजनाओं जिनमें किफायती ढंग से व्यस्ततमकालीन आपूर्ति की क्षमता है, ने और अधिक निवेश बढ़ाने के लिए व्यस्ततमकालीन विद्युत हेतु भिन्न-भिन्न कीमत निर्धारण।

(2) भू-विज्ञान संबंधी जोखिमों के लिए संस्थागत यांत्रिकी उपलब्ध कराना।

(3) जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए संयुक्त उपक्रम ढांचे का उपयोग कराना।

(4) राज्य सरकार से केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र उपक्रमों को स्वीकृतियां अंतरण के मामले में प्रक्रिया का सरलीकरण।

(5) समझौता ज्ञापन मार्ग के जरिए प्रोत्साहित परियोजनाओं के बारे में के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए उच्चतम सीमा को बढ़ाना।

(6) 25 मेगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास से संबंधित कार्य को विद्युत मंत्रालय से अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को हस्तांतरित करना और संयुक्त प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराना।

(ग) से (च) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश में 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) के विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी कई स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इन प्रोत्साहन स्कीमों को, विस्तृत सर्वेक्षण तथा एसएचपी स्थलों के अन्वेषण के लिए वित्तीय सहायता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयारी के लिए सहायता, सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी, निजी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र आदि द्वारा गठित व्यावसायिक परियोजनाओं के क्षेत्र आदि द्वारा गठित व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी, के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। 3 राज्यों ने एसएचवी परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र आमंत्रण हेतु अपनी नीति घोषित की है। निजी क्षेत्र के जरिए वाणिज्यिक एसएचपी परियोजनाओं के विकास के लिए राज्यों द्वारा लगभग 2000 मेगावाट क्षमता के लिए स्थलों का प्रस्ताव/आबंटन किया गया है। अब तक देश में निजी क्षेत्र द्वारा 25 मेगावाट तक की एसएचपी परियोजनाएं, औसतन 240 मेगावाट स्थापित की गयी हैं। 30.75 मेगावाट क्षमता की लगभग 18 परियोजनाएं निजी क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन हैं।

दाहोद रोड स्टेशन पर रेलवे टर्मिनस का निर्माण

3779. श्री चिंतामन वनगा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के दाहोद रोड स्टेशन पर रेलवे टर्मिनस के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। पश्चिम रेलवे में दाहोद रोड नाम का कोई स्टेशन नहीं है। दाहोद स्टेशन पर टर्मिनस का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पी.सी.ए. में संशोधन

3780. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के मद्देनजर जानवरों पर निर्दयता बंद करने हेतु निवेदन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति से निपटने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधान निष्प्रभावी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए किस तरह के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) पशुओं के प्रति क्रूरता से निपटने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंध काफी व्यापक हैं। इसके अलावा, पशुओं/पक्षियों के प्रति क्रूरता के निवारण के उद्देश्य से पशुओं/पक्षियों के वध तथा उन्हें लाने ले जाने के संबंध में निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए गए हैं:

(1) 26-3-2001 को प्रकाशित पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (बूचड़खाना) नियम, 2001

(2) 23-3-78 को प्रकाशित तथा 26-3-2001 को संशोधित पशु परिवहन नियम, 1978

(3) 26-3-2001 को प्रकाशित पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंधों की समीक्षा की जा रही है। ताकि उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

[हिन्दी]

कर्मचारियों की वरीयता सूची

3781. श्री आदि शंकर:
कुंवर अखिलेश सिंह:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, विशेषकर लिपिकों, आशुलिपिकों निजी सहायकों की वरीयता सूची कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित रैंक नम्बर के आधार पर तैयार की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रसार भारती के लिपिकों, आशुलिपिकों और निजी सहायकों की वरीयता सूची पिछले कई वर्षों से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित रैंक नम्बर के आधार पर तैयार की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो पिछले कई वर्षों से उक्त कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत उक्त कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करने के लिए विभिन्न मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एन.सी.सी. का विस्तार

3782. श्री अनन्त नायक: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एन.सी.सी. के मजबूती और विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें एन.सी.सी. के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने पर सहमत हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) एक लाख एन.सी.सी. कैडेटों को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव के प्रति अभी तक 76,560 के कैडेटों की भर्ती के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की राज्य सरकारें अतिरिक्त कैडेटों की संख्या पर आने वाले व्यय का हिस्सा वहन करने पर सहमत हो गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों (20,000 कैडेटों) तथा जम्मू व कश्मीर (5,000 कैडेटों) में अतिरिक्त कैडेटों की संख्या बढ़ाने के समग्र रूप से धन केन्द्र सरकार मुहैया कराएगी।

[हिन्दी]

नए तट-रक्षक स्टेशन

3783. डा. बलिराम: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दस और तटरक्षक स्टेशनों की स्थापना का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं।

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) तटरक्षक विकास योजना 2002-2007 में पोतों/विमानों के चालू विनिर्माण के लिए बचनबद्धता, सेवा से हटाए जा रहे पोतों/विमानों का प्रतिस्थापन तथा नई स्कीमें शामिल हैं। तटों की निरंतर चौकसी करने के लिए तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ को रोकने और संकट में फंसे मछुवारों की मदद करने के लिए उपर्युक्त योजनावधि के दौरान पांच नए तटरक्षक स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तटरक्षक से इस तरह प्राप्त प्रस्तावों की संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है तथा स्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

एल.एन.जी. का आयात

3784. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केवल भारतीय ध्वज पोतों के माध्यम से ही एल.एन.जी. के आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे निर्णयों के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता आमंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका के साथ सैन्य अभ्यास

3785. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) भारत और अमरीका ने दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के संयुक्त अभ्यास के आयोजन सहित सैन्य सहयोग में सुधार लाने के लिए उपायों पर विचार-विमर्श किया है। इन उपायों पर दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं द्वारा आगे विचार-विमर्श किया जाएगा। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग में सुधार लाने हेतु विचाराधीन उपाय निम्नवत् हैं:

* संयुक्त मानवीय विमान यात्रा सहायता हेतु प्रशिक्षण
* संयुक्त विशेष आपरेशन प्रशिक्षण
* छोटी यूनिटों के जमीनी/हवाई अभ्यास
* नैसेना कार्मिकों का संयुक्त आदान-प्रदान तथा परिचय
* अमरीकी नौसैनिकों तथा समकक्ष भारतीय बलों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास।

तेल कंपनियों के पास विधवा डीलरों के लंबित आवेदन

3786. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पात्र विनीय हिस्सेदारों को शामिल करने के लिए विधवा डीलरों/वितरकों के आवेदन भारतीय तेल निगम, एच.पी.सी.एल. और अन्य तेल निगमों की स्वीकृति हेतु लंबित रखे जाते हैं जिससे बेनामी कार्यों को बढ़ावा मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्णय लेने और आवेदक को निर्धारित अवधि के भीतर सूचित करने के लिए तेल कम्पनियों को निर्देश देने का है जिसके विफल होने पर डीलरों/वितरकों को अभ्यादोहन आदि से बचाने के लिए इन्हें स्वीकृत माना जाएगा; और

(ग) सरकार का एक सीमित अवधि के भीतर आवेदनों को स्वीकृति देने के लिए तेल निगमों को कब तक आवश्यक निदेश जारी करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने कतिपय मानकों के अधीन खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिपों, जिनमें विधवाओं से संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और डीलरशिपें सम्मिलित हैं, के पुनर्गठन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन तेल विपणन कम्पनियों को कर दिया है। तथापि, मौजूदा नीति के अनुसार ऐसे योग्य मामले निर्णय के लिए तेल कम्पनियों द्वारा सरकार को भेज दिए जाने चाहिए, जो नियमत: दिशानिर्देशों के तहत नहीं आते। प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। सभी तेल विपणन कम्पनियां डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करती हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों की स्थापना हेतु मार्गनिर्देश

3787. श्री अधीर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए पेट्रोल पंपों की स्थापना हेतु नए मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये मार्गनिर्देश राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहले से ही मौजूदा पुराने पेट्रोल पम्पों पर भी लागू होते हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद वे सभी पेट्रोल पम्प जो नए मार्गनिर्देशों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें वर्तमान स्थान से हटाया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में सरकार ने 31.8.2000 को राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास पेट्रोल/डीजल/गैस खुदरा बिक्री केन्द्रों और सर्विस स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रणाली सुधार तथा निजी सम्पत्तियों तक सम्पर्क के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों के संबंध में निम्न प्रावधान शामिल हैं:

खुदरा बिक्री केन्द्रों/निजी सम्पत्तियों तक सम्पर्क मार्ग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोग हेतु लाइसेंस विलेख तीन वर्ष तक वैध होता है और इसके बाद इसका नवीकरण करवाना होता है। मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों/निजी सम्पत्तियों के लिए लाइसेंस विलेख के नवीकरण के मामले पर विचार करते समय स्थान, विन्यास, साइनेज, निकासी आदि के संबंध में किसी कमी और किसी निर्दिष्ट मानक के किसी उल्लंघन की ध्यानपूर्वक पहचान करनी चहिए और लाइसेंस विलेख को नवीकरण के लिए भेजने से पहले राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसमें सुधार करवा लेना चाहिए। ऐसा वर्तमान लाइसेंस विलेख की अवधि समाप्त होने से कम से कम चार महीने पहले कर लेना चाहिए।

[हिन्दी]

हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद

3788. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में हल्के लड़ाकू विमानों के विकसित किए जाने से पूर्व विदेश से इन विमानों को खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा रेल विभाग को चेतावनी देना

3789. श्री अरुण कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अगस्त, 2001 को 'टाइम्स आफ इंडिया' के 'गवर्नमेंट बिजनेस' में ''सी.ए.जी. शोज रेड सिगनल टु रेलवेज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने नियमों का उल्लंघन करते हुए संसद की स्वीकृति के बिना ही धनराशि के आवंटन को बदल दिया;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने कोचिंग, अच्छी सेवाओं आदि के कार्यनिष्पादन की गलत रिपोर्ट दी है जिसके कारण रेलवे को घाटा हुआ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उनके मंत्रालय द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क), (ख) और (ङ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2000 की रिपोर्ट सं. 9 लोक सभा में 14.8.2001 को प्रस्तुत की गई थी। अन्य मामलों के साथ-साथ इस रिपोर्ट में निधियों के आवंटन के परिवर्तन पर एक पैरा अंतर्विष्ट था। इस रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों की विस्तृत जांच की गई थी और यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसमें शामिल पैरा की गई कार्रवाई संबंधी नोट, जिनकी लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत जांच की गई थी, लोक लेखा समिति को प्रस्तुत कर दिए गए थे। जहां कहीं आवश्यकता होती है, वहां शोधक कार्रवाई भी की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एन.सी.सी. महानिदेशक द्वारा स्टेशनरी की खरीद

3790. श्री शीश राम सिंह रवि: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स, अनुसंधान और विकास आदि स्टेशनरी और अन्य सामग्रियों की खरीद केन्द्रीय भंडार और ए.सी.सी.एफ. के अलावा अन्य स्रोतों से कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सामग्रियों की खरीद किन अन्य स्रोतों से की जा रही है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सैन्य अभियंता सेवा बल्ब, ट्यूब लाइट्स और सी.एफ.एल्स. आदि की खरीद केन्द्रीय भंडार और एन.सी.सी.एफ. से नहीं कर रही है जहां ये सामग्री आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के संविदा दर मूल्यों से कम पर उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सैन्य अभियंता सेवा को यह कहने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वे एन.सी.सी.एफ./केन्द्रीय भंडार से ही इन सामग्रियों की खरीद करे?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सैन्य इंजीनियरी सेवा (एम.ई.एस.), भंडार और एन.सी.सी.एफ. से बल्ब, ट्यूब लाइटें आदि नहीं खरीदता है। सैन्य इंजीनियरी सेवा विनियमों के अनुसार वे सभी सामान, जो पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की संविदा दरों पर उपलब्ध हैं, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित स्रोतों को छोड़कर अन्य किसी स्रोत से नहीं खरीदे जा सकते हैं। इसके बावजूद, यह देखा गया है कि केन्द्रीय भंडार की दरें पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संविदा दरों से अधिक हैं।

[हिन्दी]

भारतीय सेना के कैम्पों पर हमला

3791. श्री भेरूलाल मीणा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा भारतीय सेना के कैम्पों पर लगातार हमला किया जा रहा है;

(ख) क्या लश्कर-ए-तैइबा ने उक्त हमले की जिम्मेदारी ली है;

(ग) यदि हां, तो 4 नवंबर, 2001 को इन संगठनों द्वारा किए गए हमले में कितने सैनिक और आतंकवादी मारे गए; और

(घ) सरकार द्वारा घाटी से इन आतंकवादी संगठनों को खत्म करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) आतंवादियों द्वारा भारतीय सेना/राष्ट्रीय राइफल्स पर क्रमश: 3-11-2001 और 4-12-2001 को हमलों की दो घटनाएं हुई हैं।

(ख) और (ग) हालांकि लश्कर-ए-तैयबा ने अनंतनाग जिले में 3-11-2001 को हुई घटना की जिम्मेदारी ली है, किसी अन्य आतंकवादी दल ने कुपवाड़ा जिले में 4-12-2001 को हुए हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। (परवर्त्ती घटना में मारे गए तीन आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के थे)। 3-11-2001 को सेना/राष्ट्रीय राइफल्स के चार कार्मिक सांघातिक रूप से हताहत हुए जबकि 4-12-2001 को सेना/राष्ट्रीय राइफल्स के दो कार्मिक मारे गए। 3-11-2001 को एक आतंकवादी मारा गया।

(घ) सरकार, आतंकवादी दलों को निष्क्रिय बनाने हेतु समुचित कदम उठा रही है। इन कदमों में, घुसपैठ को रोकने के लिए बहु-आयामी अति सक्रिय तरीका अपनाना और भीतरी प्रदेश में परोक्ष-युद्ध-रोधी सहक्रियात्मक कार्रवाइयां करना भी शामिल है। इन उपायों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष (1-1-2001 से 10-12-2001 तक) में 1793 आतंकवादी मारे गए हैं।

समुद्री मार्ग द्वारा घुसपैठ

3792. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्री मार्ग से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या देश में नशीली दवाओं की आवा-जाही समुद्री मार्ग से ही की जा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा घुसपैठ और नशीली दवाओं की अवैध आवा-जाही को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) समुद्री मार्ग के जरिए घुसपैठ करने का कोई मामला सामने नहीं आया है। तथापि, तटरक्षक बल ने अपनी स्थापना से चालक दल के 7972 सदस्यों सहित अब तक 769 शिकार जलयान हैं।

(ख) नौसेना तथा तटरक्षक बल ने नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

(ग) सरकार ने भारतीय तटीय क्षेत्रों में तस्करी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं जिनमें सभी मादक-द्रव्य प्रवर्तन एजेंसियों को अत्यंत चौकसी बरतने के लिए हिदायतें देना और प्रवर्तन प्रयासों को आगे बढ़ाना, सीमा-शुल्क अधिनियम के तहत तटरक्षक को शक्तियां देना, कतिपय प्रारंभिक रसायन अर्थात ऐसीटिक एनेहिड्राइड आदि को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत 'नियंत्रित पदार्थ' के रूप में अधिसूचित करना, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की तिमाही समन्वय बैठकें आयोजित करना, तस्कररोधी और संबद्ध मसलों पर भारत-श्रीलंकाई द्विपक्षीय बातचीत करना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

बिना चौकीदार वाले रेलवे संपार

3793. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री टी. गोविन्दन

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिना चौकीदार वाले रेलवे समपारों की जोन-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उन्हें चौकीदार वाले रेलवे संपार में बदलने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे ने नए हाइड्रोलिक फाटक विकसित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बिना चौकीदार वाले रेलवे संपारों पर रेलगाड़ियों की वाहनों से भिड़ंत जैसी दुर्घटना को कम करने के लिए हाइड्रोलिक फाटक शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) इस समय, देश में 'ग' श्रेणी के बिना चौकीदार वाले 20291 समपार हैं ('घ' श्रेणी के

मवेशी समपारों को छोड़कर) समपारों की रेलवे जोनवार स्थिति निम्नानुसार है:

रेलें	समपारों की संख्या	रेलें	समपारों की संख्या
मध्य	1292	पूर्वोत्तर सीमा	1194
पूर्व	584	दक्षिण	2090
उत्तर	3256	दक्षिण मध्य	1920
पूर्वोत्तर	2597	दक्षिण पूर्व	3382
		पश्चिम	3976

(ख) रेलों को सभी बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए पूंजीगत लागत के रूप में लगभग 2450 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक आवर्ती अनुरक्षण खर्च और परिचालनिक लागत को वहन करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 700 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) जी, हां। दक्षिण पूर्व रेलवे पर उपयोगकर्त्ता द्वारा चालित हायड्रॉलिक समपार फाटक को परीक्षण के रूप में लगाया गया है।

इस फाटक को दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में हिजली और बेनापुर के बीच बिना चौकीदार वाले समपार पर परीक्षण के रूप में लगाया गया है। यह फाटक उपयोगकर्त्ता द्वारा बूम को उठा कर खोला जाता है और यह हायड्रालिक प्रणाली की क्रिया के कारण एक निश्चित समय पश्चात् अपने आप बंद हो जाता है।

(ङ) और (च) इन फाटकों के कार्य निष्पादन और संरक्षा पहलुओं का आकलन करने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं, इसके पश्चात् ही इनके व्यापक रूप से संस्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

जानवरों के विरुद्ध क्रूरता

3794. श्री हरीभाऊ शंकर महालेः क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में जानवरों के विरुद्ध क्रूरता के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) क्या सर्कस और इस तरह की अन्य प्रदर्शनियों में जानवरों के साथ क्रूरता और दुर्व्यवहार होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पशुओं पर होने वाली इस क्रूरता को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) मंत्रालय में 1999-2000 तक उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती हैं। 1999-2000 के बाद की अवधि की जानकारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अभी प्राप्त होनी है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, हीं।

(ग) सरकार ने 14 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या 9-9/97-ए डब्ल्यू के अंतर्गत पांच जानवरों अर्थात् शेर, बाघ, तेंदूआ, भालू तथा बंदर की प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। सर्कसों से आरक्षित जानवरों को विभिन्न बचाव केन्द्रों में भेजा जा रहा है जो चेन्नई, बेंगलूर, विशाखापत्तनम, जयपुर तथा तिरूपति में स्थापित किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जानवरों के प्रति क्रूरता के पंजीकृत मामलों की संख्या			ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अपराधियों को कारावास का दंड दिया गया है।
		1997-98	1998-99	1999-2000	
1	2	3	4	5	6
1.	असम	18	50	71	शून्य
2.	गोवा	शून्य	शून्य	1	शून्य

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	हरियाणा		.....तीन वर्षों में 231.....		70
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	कर्नाटक	11	31	25	शून्य
7.	केरल	142	174	176	शून्य
8.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	उड़ीसा	252	332	291	शून्य
13.	पंजाब	1	2	3	शून्य
14.	राजस्थान		.....तीन वर्षों में 78		40
15.	तमिलनाडु	1285	1278	1293	शून्य
16.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	उत्तर प्रदेश		..... तीन वर्षों में 2383.....		2595 व्यक्तियों को जेल भेजा गया
18.	पश्चिम बंगाल	270	285	410	656
19.	अंडमान एवं निकोबार		..... तीन वर्षों में 5		शून्य
20.	चंडीगढ़	6	49	63	शून्य
21.	दादर एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	दिल्ली	47,056	3216	2425	3
24.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

उपर्युक्त जानकारी में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा सिक्किम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की जानकारी शामिल नहीं हैं।

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के स्मारकों की सुरक्षा

3795. श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के स्मारकों की सुरक्षा पर कितनी राशि व्यय की गई और वर्ष 2001-2002 के लिए कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान है;

(ख) क्या स्मारकों की सुरक्षा प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने हेतु वर्ष 1997 में सुरक्षा संबंधी समिति गठित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कतिपय स्मारक तथा स्थल संग्रहालयों पर सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भुगतान पर हुआ व्यय निम्न प्रकार है:

1998-1999	2,65,74,550/- रुपये
1999-2000	3,83,60,127/- रुपये
2000-2001	5,09,71,140/- रुपये
2001-2002 के वास्ते नियतन	5.99 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) समिति ने संरक्षित स्मारकों की अन्दरूनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और कारगर बनाने संबंधी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया और कतिपय ऐसे स्मारकों की पहचान की जहां प्राइवेट सुरक्षा को लगाया जाना चहिए।

(घ) अभिनिर्धारित स्थलों पर प्राइवेट सुरक्षा लगा दी गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र पर फिल्म/वृत्तचित्र

3796. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को दर्शाने वाली टेली-फिल्मों/वृत्तचित्रों का निर्माण कराने की तैयारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सरकार टेलीफिल्मों/वृत्तचित्रों सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के समाजार्थिक विकासों को दर्शाने के लिए सतत रूप से प्रयास कर रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सभी दूरदर्शन केन्द्र टेलीफिल्मों/वृत्तचित्रों, साक्षात्कारों, चर्चाओं आदि के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के समाजार्थिक विकास को दर्शाने वाले घरेलू कार्यक्रमों का नियमित रूप से निर्माण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इन सभी क्षेत्रीय केन्द्रों से और दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रसारण हेतु विभिन्न रूपों में कार्यक्रमों को कमीशन भी किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्यक्रमों की कमीशनिंग के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरदर्शन केन्द्रों के लिए 4.1 करोड़ रुपये की राशि पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी हैं।

फिल्म प्रभाग भी इस विषय पर पहले से ही वृत्तचित्रों, लघु कथा फिल्मों, समाचार पत्रिकाओं आदि का निर्माण कर रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ 32 लाख रुपये की राशि आबंटित कर दी गई है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु महिलाओं और बच्चों की पोषणिक स्थिति पर आधारित एक 15 मिनट की फिल्म मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास विभाग के लिए बना रहा है।

'टेली मेडीसिन' परियोजना

3797. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे ने 'टेली मेडीसिन' परियोजना आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना की सेवाओं का पूरे देश में विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) कोंकण रेल

निगम लि. मडगांव, गोवा में सेटेलाइट मैडिकल सेन्टर की स्थापना करके एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है, जिसका बेलापुर नवी मुंबई में एक सेन्ट्रल फिजीकल स्पेसिलिस्ट केन्द्र होगा। यहां से संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत के भीतर तथा विदेशों में आवश्यकता अनुसार संपर्क किया जा सकेगा। चूंकि यह एक पॉयलट परियोजना है और जो केवल संकल्पनात्मक स्तर पर है अत: इसके विस्तार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कोहिनूर हीरा वापस लाना

3798. श्री सिमरनजीत सिंह मान: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोहिनूर हीरे को वापस लाने के लिए इंग्लैंड के प्राधिकारियों के सम्मुख अपना दावा प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी सफलता मिली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले के संतोषजनक समाधान के उपायों का पता लगाने के लिए वे लंदन स्थित हमारे उच्चायोग के माध्यम से लंदन में संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं।

रसोई गैस एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों का आबंटन

3799. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में आबंटित किए गए पेट्रोल पम्पों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में पेट्रोल पम्प आबंटित करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1998-1999, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत 914 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आबंटित की गई थीं।

चूंकि डीलरों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापन जारी करना, आवेदन-पत्रों की जांच-पड़ताल, डीलर चयन बोर्डों द्वारा साक्षात्कार, योग्यता अनुक्रम सूची तैयार करना, क्षेत्रगत जांच-पड़ताल, आशय पत्र जारी करना, इत्यादि शामिल हैं, इसलिए एक ऐसा नियत लक्ष्य/ऐसी एक समय सीमा जब तक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आंबटित किए जाने की संभावना हो सकती है, बता पाना संभव नहीं है।

गुजरात में विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस की आवश्यकता

3800. श्री जी.जे. जावीया:
श्री दिलीप संघाणी:
श्री दिनशा पटेल:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में पीपावाव स्थित विद्युत परियोजना और अन्य विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल कितनी गैस की आवश्यकता है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार कितनी गैस आपूर्ति करने पर सहमत हुई है;

(ग) क्या गैस की अतिरिक्त उपलब्धता ''ताप्सी फील्ड'' के विकासकर्ताओं की प्रबंधन समिति द्वारा लिए जाने वाले निवेश संबंधी निर्णय पर निर्भर करती है;

(घ) यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यथा-अनुपात आधार पर गैस की प्रतिबद्धित आपूर्ति न करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार): (क) और (ख) पीपावाव विद्युत परियोजना के लिए 2.25 मिलियन मानक घनमीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) और गुजरात में

अन्य गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए 19.25 एम.एम.एस.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस की कुल जरूरत की तुलना में गुजरात में विद्युत परियोजनाओं के लिए 9.74 एम.एम.एस.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस (पीवावाव विद्युत परियोजना के लिए 2.25 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के सिद्धान्ततः आबंटन सहित) का आबंटन किया गया है।

(ग) जी, हां। ''सिद्धान्ततः'' पीपावाव विद्युत परियोजना के लिए 2.25 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस का आबंटन ताप्ती क्षेत्र में गैस की उपलब्धता विकसित करने के लिए ताप्ती प्रबंधन समिति के निर्णय के अध्यधीन किया गया है।

(घ) ताप्ती क्षेत्र के संयुक्त उद्यम भागीदार भावी उत्पादन प्ररूपण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

(ङ) प्राकृतिक गैस की वर्तमान उपलब्धता गुजरात में विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को किए गए लगभग 19.73 एम.एम.एस.सी.एम.डी. के आबंटन के प्रति लगभग 10.8 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है जो उपभोक्ताओं को यथानुपात आधार पर आपूर्ति की जा रही है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन

3801. श्रीमती श्यामा सिंहः क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पुनर्खरीद मानदण्डों में राहत देने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी अधिनियम में संशोधन करने से शेयरधारकों को किसी प्रकार का लाभ होने जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) बाजार भावना में सुधार करने के उद्देश्य से, शेयरों की पुनःखरीद संबंधी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 77क के कतिपय उपबंधों को 23 दिसम्बर, 2001 को प्रख्यापित कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का अध्यादेश 7) द्वारा उदार बनाया गया है। इस समय तक विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

उपलब्ध क्षमता की बर्बादी

3802. श्रीमती रेनु कुमारीः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपने 1999 के प्रतिवेदन 9 में (पृष्ठ 234-253) में अन्य बातों के साथ-साथ कार्यशालाओं की उपलब्ध क्षमता की बर्बादी, परिहार्य व्यय, और परिवहन हेतु सवारी डिब्बों के बेड़े में कमी को लेकर टिप्पणी की थी; और

(ख) यदि हां, तो परिवहन हेतु वांछनीय संख्या तक सवारी डिब्बों के बेड़े की उपलब्धता को इंगित करते हुए सवारी डिब्बा रख-रखाव अध्याय में उठाए गए प्रत्येक मामले में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) लेखा परीक्षा द्वारा सवारी डिब्बों की असामयिक आवधिक ओवरहालिंग के लिए की गई टिप्पणी कारखाने की उपलब्ध क्षमता की बर्बादी, परिहार्य खर्च और सवारी डिब्बों की उपलब्धता में कमी के कारण की गयी थी। बहरहाल ये विभिन्न कारणों यथा संरक्षा पहलुओं की दृष्टि से समय से पूर्व आवधिक ओवरहालिंग की आवश्यकता और यातायात आवश्यकता में मौसमी घटा-बढ़ी के कारण अपरिहार्य थे। समय से पूर्व आवधिक ओवरहालिंग न्यूनतम रखी जाती है और समीक्षाधीन अवधि के लिए यह 3.5-4.5% थी। सवारी डिब्बों के बेड़ों की उपलब्धता भी यातायात उपयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक ही रखी जाती है। इन ब्यौरे को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है।

ओ.एन.जी.सी. की परियोजनाएं

3803. श्री मोहन रावलेः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाइड्रोकार्बन-महानिदेशक (डी.जी.एच.) की परामर्शदात्री परिषद ने केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को ओ.एन.जी.सी. परियोजनाओं की सफलता को लेकर अपने संदेह के बारे में लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी.जी.एच.) की

सलाहकार परिषद ने ओ.एन.जी.सी. की किसी परियोजना के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को कोई पत्र नहीं लिखा है।

[हिन्दी]

बीबीएमबी द्वारा किसानों को मुआवजा

3804. श्री सुरेश चन्देल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की बहाल घाटी के किसान भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) द्वारा चलाई जा रही परियोजना के कारण खेतों में गाद जमने और पेयजल जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्या हल करने हेतु बीबीएमबी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बीबीएमबी ने उन किसानों को मुआवजा देने हेतु कोई योजना तैयार की है जिनके खेतों में गाद जमा देने के कारण उनका नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सुंदरनगर स्थित व्यास-सतलज के नियंत्रणकारी जलाशय को गाद निकालने के कारण बहाल क्षेत्र के लोगों के समक्ष उत्पन्न गाद-जमाव एवं पेय जल की समस्या का सामना कर रहा है और इस क्षेत्र के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) नियंत्रणकारी जलाशय से निकाले गए गाद को सुकेती खाद में व्यवस्थित कराई गई क्युनेट के जरिए बहाया जाता है।

(2) राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किसानों को उनकी फसल को हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान।

(3) हिमाचल प्रदेश सरकार को पीने एवं सिंचाई के प्रयोजन से जल आपूर्ति को पुन: बहाल करने के लिए 65 लाख रुपये का भुगतान किया गया (35 लाख रु. 1987 में तथा 30 लाख 1997 में)।

(4) 1986 में बीबीएमबी ने बहाल घाटी सिंचाई परियोजना के लिए सुंदरनगर हाइडल चैनल से नि:शुल्क 20 सीएस. जल दिया था।

(5) 1999 में सुकेती खाद के बाएं भाग के लिए 14.75 सीएस. सिंचाई जल देने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के अलावा सुंदरनगर हाइडल चैनल से पहले दिये जा रहे जल के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(6) बीबीएमबी ने सुंदरनगर में बीबीएमबी स्कूलों एवं अस्पताओं में स्थानीय लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है।

(7) बीबीएमबी ने पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए परियोजना को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) को सौंपा था। नीरी ने अपनी रिपोर्ट में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सुधारात्मक उपाय सुझाए हैं। नवम्बर, 2001 में बीबीएमबी ने 183 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अल्पकालिक अपशमन उपाय योजना को अनुमोदन देने के अलावा नीरी द्वारा सुझाए गए दीर्घकालिक विकल्पों का क्रियान्वयन होने तक प्रभावित किसानों को उनके फसलों की क्षति के लिए सफल क्षतिपूर्ति भुगतान को भी अनुमोदन दे दिया है।

मधुबनी (बिहार) में बलिराजगढ़ किले में उत्खनन

3805. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1905 में बिहार के मधुबनी जिले में बलिराजगढ़ के प्राचीन किले का अधिग्रहण करने के पश्चात् इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था;

(ख) क्या केन्द्र और बिहार सरकार ने इस किले में आंशिक रूप से उत्खनन कार्य कराया था;

(ग) यदि हां, तो क्या वहां आठवीं शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पाल युग के कुछ दुर्लभ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आगे और उत्खनन कार्य कराने और इस किले का विकास करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) वर्ष 1938 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1905 के अधीन बिहार के मधुबनी जिले में बलिराजगढ़ के प्राचीन स्थल को, राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। जिसका संरक्षण किया जा रहा है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1962-63 में तथा पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा 1972-73 तथा 1974-75 में इस स्थल पर उत्खनन कार्य किये गये थे।

(ग) और (घ) उत्खनन में उत्तरी कृष्ण-मार्जित मृण्पात्र काल (200 ई.पू.) से लेकर 10वीं-11वीं शताब्दी ई. (पाल काल) के अनुक्रमों की प्राप्ति हुई है। दूसरी शतादी ई.पू. में सुंग काल के दौरान निर्मित एक रक्षात्मक दीवार तथा इसके बाद निर्माण तथा मरम्मतों के चरण भी प्रकाश में आए हैं। महत्वपूर्ण उत्खनित वस्तुओं में एक मंदिर के अवशेषों के साथ-साथ इनमें मानव तथा पशु टेराकोटा आकृतियां, ढ़लवां तांबे के सिक्के, स्वास्तिक निशान वाली एक टेरा कोटा मुहर तथा अन्य साधारण मृदभाण्ड तथा विभिन्न अवधियों की छोटी वस्तुएं शामिल हैं।

(ङ) और (च) क्योंकि इस स्थल का सांस्कृतिक अनुक्रम स्थापित हो चुका है, इसलिए आगे और खुदाई का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एनटीपीसी की विद्युत क्षमता

3806. श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान एनटीपीसी की वर्तमान विद्युत क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अभी तक कितनी सफलता मिली है;

(ग) राज्य सरकारों के बिना भुगतान किए हुए बिलों की अनुमानित धनराशि कितनी है और वर्ष 2000-2001 के दौरान एनटीपीसी का कुल कारोबार कितना रहा है;

(घ) राज्य सरकारों से बिलों की बकाया राशि न वसूल किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार किस प्रकार बकाया धनराशि की वसूली और विद्युत लक्ष्यों की प्राप्ति करेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम (एनटीपीसी) का 2000-01 हेतु फरीदाबाद गैस विद्युत परियोजना पर एक भाप टरबाईन जेनरेटर यूनिट (144 मेवा) हेतु क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 144 मेवा था और इसे प्राप्त कर लिया गया है, इस यूनिट को जुलाई, 2000 में चालू किया गया था।

(ग) 31 मार्च, 2001 तक की अवधि के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों के भुगतान न किए गए बिलों की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

2000-01 के दौरान एनटीपीसी की टर्नओवर 19064.77 करोड़ रुपए थी।

(घ) अधिकांश राविबो की वित्तीय हालत कई वर्षों से लगातार गैर-लाभकारी टैरिफ, उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों के खराब अनुरक्षण जिसके कारण क्षमता का कम समुपयोजन होता है, उनके उपभोक्ताओं के प्राप्तियों का खराब एकत्रण तथा तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कारणों की की वजह से अन्य पारेषण एवं वितरण हानियों के कारण गिरती जा रही है। राविबो में इस तरह की समस्याओं के कारण ऊर्जा की खरीद हेतु भुगतान करने की उनकी क्षमता में उनकी ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है।

(ङ) ऋण वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं ताकि विद्युत लक्ष्य प्रभावित न हो।

भारत सरकार ने सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है ताकि केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र युटिलिटियों (सीपीएसयू) को देय राविबो की बकाया राशियों के एकमुश्त समायोजन हेतु उपाय सुझाए जा सकें। विशेषज्ञ दल ने पिछली बकाया राशियों के प्रत्याभूतिकरण तथा भविष्य में वर्तमान बकाया राशियों के भुगतान हेतु उपाय सुझाए हैं। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर उच्च शक्ति प्राप्त दल द्वारा विचार किया गया। उच्च शक्ति प्राप्त दल द्वारा समर्थित स्कीम में पुरानी बकाया राशियों के भुगतान एवं भविष्य में पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य यूटिलिटियों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने की परिकल्पना की है। इन लाभों में शामिल हैं:

(1) 60% तक अधिभार में आंशिक रूप से छूट।

(2) सीपीएसयू अपनी वॉण्ड राशि का 2% उन राज्यों को नकद प्रोत्साहन के रूप में देंगे जो निर्धारित तारीखों तक बिना भुगतान में चूक किए साख-पत्र खोलकर उसे बनाए रखते हैं।

(3) राज्य सरकारों द्वारा कर-मुक्त बॉण्ड जारी करना।

(4) बाण्डों के प्रत्यक्ष मूल्य के वर्षों में 4 वर्ष की अवधि हेतु प्रथम वर्ष 6% दूसरे वर्ष में 5% तथा तीसरे और चौथे वर्ष में 4% प्रत्येक की दर पर राविबो को नगद प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि राविबो निर्धारित कार्य-निष्पादन लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

साथ ही, विशेषज्ञ दल ने भविष्य में वर्तमान बकाया राशियों के भुगतान हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की हैं।

(1) राविबो अथवा उनकी उत्तराधिकारी निकाय अपरिवर्तनीय साख साख-पत्र खोलकर उसे बनाए रखेंगे जो पिछले 12 महीनों के लिए उनकी औसत मासिक बिलिंग के 105 प्रतिशत के बराबर होंगे।

(2) जो भुगतान बिलिंग की तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं, उनकी वसूली वित्त मंत्रालय द्वारा योजना सहायता, केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से तथा अन्य किसी अनुदान अथवा ऋण के कारण संबंधित राज्य सरकार की और बकाया राशियों (विमोचनों का समायोजन करके की जाएंगी)।

(3) अपेक्षित साख-पत्र निर्धारित तिथि तक खोल लिए जाने चाहिए अन्यथा सभी सीपीएसयू से आपूर्तियों में कटौती की जाएगी तथा कुछ राज्यों की केन्द्रीय सहायता स्थगित कर दी जाएगी। यह दंडात्मक प्रावधान तब भी लागू होंगे यदि भविष्य में इन साख-पत्रों को नहीं बनाए रखा गया।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कदम भी उठाये गये हैं:

(1) एनटीपीसी प्रंबध संबंधित राविबो/राज्य सरकारों के साथ बकाया राशियों की वसूली के लिए त्वरित रूप से कार्रवाई कर रहा है।

(2) जिन राज्यों ने चालू मासिक बिलों की पूरी राशि को कवर करने के लिए साख-पत्र (एलसी) खोले हैं, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एनटीपीसी द्वारा सितंबर, 1994 से एक विशेष प्रोत्साहन स्कीम आरंभ किए गए भुगतानों पर 2.5% की छूट प्राप्त करने की स्थिति में होंगे तथा एलसी के प्रचालन हेतु व्यय किए गए प्रभारों की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकेंगे।

(3) बकाया राशियों को कम करने के लिए, एनटीपीसी ने राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता से प्रत्यक्ष विनियोजन हेतु भारत सरकार से संपर्क स्थापित किया। भारत सरकार ने समय पर विभिन्न चूककर्त्ता रा.वि.बो. द्वारा एनटीपीसी की बकाया राशियों के भुगतान हेतु राज्यों की केन्द्रीय योजना सहायता में से केन्द्रीय विनियोजन को अनुमोदित किया है। केन्द्रीय विनियोजन के इस तरह के भुगतान भारत सरकार द्वारा 1987-88 से अनुमोदित राशियों में से भी प्रदान किए जाते रहे हैं।

(4) एनटीपीसी समय-समय पर कानून के अनुसार आवश्यक नोटिस देने के पश्चात् चूककर्ता राज्यों को विद्युत के विनियमन का भी सहारा लेता है।

(5) एनटीपीसी ने अपनी नई परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए जाने वाले विद्युत क्रय करार में विशेष भुगतान सुरक्षा प्रबंध शामिल किए हैं। इनमें एस्क्रो करार, राज्य सरकार की गारंटी और भुगतान में चूक के मामले में राज्य के आरबीआई खाते में से सीधे भुगतान हेतु वित्तीय करार द्वारा साख-पत्र हेतु बैक-अप शामिल है।

विवरण

31.3.2001 के अनुसार एनटीपीसी के बकाया

(लाख रुपये में)

एसटीपीएस/रा.वि.बो.	आज तक बकाया	प्रभारित बिल	कुल बकाया
1	2	3	4
बिहार	183089	128536	311625
दिल्ली	144584	146376	290960
उत्तर प्रदेश	204134	69035	273169

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	83673	62056	145729
मध्य प्रदेश	105832	36838	142670
दामोदर वैली कारपोरेशन	26889	39949	66838
उड़ीसा	41071	14325	55396
महाराष्ट्र	42148	23061	65209
केरल	45504	7545	53049
तमिलनाडु	30660	14553	45213
राजस्थान	29158	11525	40683
हरियाणा	6863	27506	34369
कर्नाटक	18031	9280	27311
गुजरात	-386	22778	22392
पंजाब	7773	1988	9761
आंध्र प्रदेश	-2273	4337	2064
असम	3355	1923	5278
हिमाचल प्रदेश	2250	1525	3775
सिक्किम	2547	1179	3726
पांडिचेरी	2152	1329	3481
जम्मू व कश्मीर	3378	0	3378
गोवा (पश्चिम क्षेत्र)	0	220	220
दमन व दीव	-102	108	6
गोवा (दक्षिण क्षेत्र)	0	0	0
दादर व नगर हवेली	0	0	0
संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	-71	0	-71
अन्य	-194	312	118
कुल	980065	626284	1606349

संकेताक्षर:

एसटीपीएस-सुपर थर्मल पावर स्टेशन

एसईबी-राज्य विद्युत बोर्ड

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए विकास योजनाएं

3807. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय 1978 से अ.जा. और अ.ज.जा. के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष घटक योजना एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई/कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कितनी निधियां मांगी गई थी, कितनी प्राप्त हुई और कितनी निधियों का उपयोग किया गया है और क्या लक्ष्य हसिल किए गए; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन सी अन्य योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऐसी विशिष्ट लाभार्थी स्कीमों को कार्यान्वित नहीं करता है लेकिन यह विशेष घटक योजना और जनजातीय उप योजना के अंतर्गत कवर होने वाली नीतियों और कार्यक्रमों सहित भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए जिम्मेदार है।

संपर्क अधिकारियों का मनोनयन

3808. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.एच.ए. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/17/67-स्था.(ग) दिनांक 10.4.1968 (डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/5/76 दिनांक 27.5.1976) के अन्तर्गत जैसा कि अपेक्षित है, उनके अधीन कुछ विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय/सरकारी क्षेत्र और स्वायत्तशासी संगठन/निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के मामले में सरकार के निदेशों के उचित पालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे अधिकारियों/संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनके मंत्रालय के अधीन 'प्रशासनिक इकाइयों' के रूप में कार्य करने वाले संगठनों/अधिकारियों की कुल संख्या क्या है जो स्थापना और कर्मचारी वर्ग के मामलों को देखते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार उक्त निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कितने संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गांवों का विद्युतीकरण

3809. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ ग्रमीण क्षेत्रों में अभी तक विद्युतीकरण कार्य नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वहां विद्युतीकरण का कार्य कब तक मूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) जैसा कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया है, मध्य प्रदेश में विद्युतीकृत/गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 10वीं योजना के अंत अर्थात वर्ष 2007 तक ग्रामीण विद्युतीकरण को पूरा करने का संकल्प लिया गया है तथा सभी घरों को 11वीं योजना के अंत अर्थात वर्ष 2012 तक शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण को अब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पीएमजीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 से शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश हेतु 1460.62 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2001-02 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अतंर्गत मध्य प्रदेश हेतु 2.63 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

विवरण

सितम्बर, 2001 तक मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण की जिला-वार प्रगति

क्रम संख्या	जिला का नाम	1991 की जनगणना के अनुसार बसे हुए कुल गांवों की संख्या	विद्युतीकृत किए गए कुल गांवों की संख्या	गैर-विद्युतीकृत शेष गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	भोपाल	511	511	-
2.	रायसेन	1429	1349	80
3.	विदिशा	1522	1484	38
4.	सेहोर	1011	1008	3
5.	होशंगाबाद	923	878	45
6.	हरदा	497	445	52
7.	राजगढ़	1664	1664	3
8.	बेटुल	1328	1320	8
9.	ग्वालियर	566	559	7
10.	दतिया	542	539	3
11.	मौरेना	760	753	7
12.	शेदपुर	533	478	55
13.	भिंड	877	872	5
14.	शिवपुरी	1326	1300	26
15.	गुना	2059	2039	20
16.	इंदौर	624	620	4
17.	धार	1487	1479	8
18.	झाबुआ	1313	1292	21
19.	खांडवा	1060	1055	5
20.	खारगोन	1170	1142	28
21.	बरवानी	714	637	77
22.	उज्जैन	1092	1092	0
23.	रतलाम	1051	1051	0

1	2	3	4	5
24.	मन्दसौर	899	899	0
25.	नीमच	676	674	2
26.	साजापुर	1068	1065	3
27.	देवास	1058	1053	5
28.	जबलपुर	1373	1339	34
29.	कान्ती	884	844	40
30.	मंडला	1068	1032	36
31.	दिनदोरी	1038	958	80
32.	नरसिंगपुर	1040	1038	2
33.	छिन्दवारा	1903	1897	6
34.	सेधी	1585	1542	43
35.	बालाघाट	1269	1170	99
36.	सासर	1868	1777	91
37.	दामोह	1205	1112	93
38.	छत्तरपुर	1076	1062	14
39.	पन्ना	939	921	18
40.	टिकमगढ़	863	862	1
41.	रीवा	2352	2154	198
42.	सतना	1784	1663	121
43.	सिधी	1822	1804	18
44.	शहदुल	1388	1299	89
45.	उमेरिया	589	554	35
	कुल	51806	50286	1520

सफाई हेतु कृतक बल

3810. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे में साफ-सफाई के लिए एक त्रिस्तरीय कृतक बल गठित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) भारतीय रेलों पर साफ-सफाई के लिए एक तीन स्तरीय कृतक बल के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, सफाई सहित विभिन्न यात्री सुख-सुविधाओं के रख-रखाव पर नजर रखने के लिए तीन स्तरों अर्थात् स्टेशन, मंडल और क्षेत्रीय रेल स्तरों पर मल्टी-डिसिप्लिनरी सेवा सुधार दल (एस आई जी) कार्य कर रहे हैं। साफ-सफाई एक सतत् प्रक्रिया होने के कारण रेलवे द्वारा रेल परिसरों और गाड़ियों में सफाई के स्तर को और बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जो विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं उनमें प्रसाधन के "उपयोग करो और भुगतान करो" योजना चालू करने, यंत्रीकृत सफाई व्यवस्था पर जोर देने, कूड़ेदानों और घुलनीय ऐप्रनों की व्यवस्था, कूड़ा-करकट नियमित रूप से हटाने, कीड़े मारने वाली दवा को छिड़कने, नालियों को मरम्मत, सवारी डिब्बों की हर महीने गहन साफ-सफाई, कुछ चुनिंदा गाड़ियों पर चल सफाई वालों की तैनाती और मीडिया के विभिन्न स्रोतों से जनता में जागरूकता लाने के अथवा निगरानी तथा पर्यवेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना शामिल है। वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके एक विशेष अभियान चलाकर इस प्रयास में और तेजी लाई गई है।

गाजीपुर में गंगा नदी पर रेल पुल का निर्माण

3811. श्री तूफानी सरोज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के निकट गंगा नदी पर रेल पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गंगा नदी पर मौजूदा पुल के अलावा, इस नदी पर पटना और मुंगेर के समीप दो और पुलों के कार्य को बजट में शामिल किया गया है। ये पुल प्रत्याशित यातायात के लिए पर्याप्त होंगे।

[अनुवाद]

व्यय सुधार आयोग

3812. श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री अमर राय प्रधान:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उनके विभागों के वर्तमान अपव्यय को कम करने हेतु अपनी सिफारिशें देने के लिए किसी व्यय सुधार आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग का स्वरूप क्या है;

(ग) अभी तक इस आयोग ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनके मंत्रालय या विभागों ने अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

दैनिक राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस

3813. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली से प्रत्येक राज्य की राजधानी तक दैनिक राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों की राजधानियां प्रतिदिन राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस से जुड़ी हैं;

(ग) शेष राज्यों को इन दोनों द्रुतगामी एक्सप्रेस रेलों में से किसी एक से कब तक जोड़ दिये जाने की संभावना है; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलवे नेटवर्क पर अवस्थिति सभी राज्यों की राजधानियां राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस सहित भारतीय रेलवे में सवारी यात्री गाड़ियों को शुरू करना और उनकी बारंबारता में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है जो गाड़ियों की लोकप्रियता/किसी विशेष क्षेत्र की यात्रा के लिए मांग, संसाधनों की उपलब्धता, अतिरिक्त लाइन क्षमता, टर्मिनल अवसंरचना इत्यादि पर निर्भर करता है।

दुर्ग से हैदराबाद के बीच रेल चलाना

3814. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भिलाई में रहने वाले तेलुगु लोगों की सुविधा के लिए दुर्ग से हैदराबाद के बीच सीधी रेल शुरू करने हेतु कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) दुर्ग से हैदराबाद के बीच गाड़ी चलाने की जांच की गई है परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगियों और वाणिज्यिक अर्थक्षमता न होने के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

नैतिक मूल्यों वाले कार्यक्रमों का प्रसारण

3815. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के नैतिक मूल्यों, संस्कृति, सभ्यता और परम्परा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान परिदृश्य में देश में सांस्कृतिक मूल्यों, सभ्यता और परम्परा को मलिन करने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों को हतोत्साहित करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दिशानिर्देशों या अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इन अनुदेशों के अनिवार्य अनुपालन हेतु कोई प्रावधान किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम प्रसारण करने का लक्ष्य देश के नैतिक मूल्यों, संस्कृति, सभ्यता के साथ-साथ रीति-रिवाजों को बढ़ावा देना है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में केबल आपरेटरों द्वारा दूरदर्शन के कम से कम दो स्थलीय चैनलों और एक क्षेत्रीय भाषा चैनल का प्रसारण किए जाने का प्रावधान है।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों और केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित किए जाने वाले अन्य सभी चैनलों के कार्यक्रमों में केबल टेलीविजन, नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत बनायी गयी कार्यक्रम संहिता का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, इस कार्यक्रम संहिता में इन चिन्ताओं का उल्लेख किया गया है।

विशिष्ट व्यक्तियों के कोटे के तहत रेल टिकटों का दुरूपयोग

3816. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **रेल मंत्री** 23.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4643 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना के कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) 23.8.2001 के लोक सभा प्रश्न सं. 4643 के संबंध में दिया गया आश्वासन पूरा कर दिया गया है और 12.11.2001 को लोक सभा के पटल पर रख दिया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शामली-दिल्ली डी.एम.यू. के गंतव्य स्थल को आगे बढ़ाना

3817. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शामली-दिल्ली डी.एम.यू.(जो शकूरबस्ती में रुकती है) के गंतव्य स्थल को बहादुरगढ़ तक करने के लिए निरन्तर मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में सड़क उपरि पुल/अंडर ब्रिज का निर्माण

3818. श्री महेश्वर सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के जन प्रतिनिधियों ने सड़क उपरिपुल/अंडर ब्रिज के निर्माण हेतु रेलवे से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पुल के बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रत्येक अभ्यावेदन पर तत्काल कार्रवाई की गई थी और अभ्यावेदनकर्ताओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्थिति से अवगत करा दिया गया था

क्र.सं.	अभ्यावेदन (सर्वश्री)	उठाई गई मांग	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	संत राम, वन मंत्री, हिमाचल सरकार और सत महाजन, संसद सदस्य	पठानकोट-जोगिंदर नगर रेल लाइन पर हिमाचल प्रदेश में गणेश बाजार, बैजनाथ के निकट स्थित समपार पर ऊपरी सड़क पुल	यह मांग पठानकोट-जोगिंदर नगर रेल लाइन पर कि.मी. 143/2-3 पर स्थित समपार सं. 323 के कि.मी. स्थान पर ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था के लिए थी। इस समपार पर यातायात घनत्व अत्यधिक मामूली अर्थात् 1999 की 6898 गाड़ी वाहन इकाई होने के कारण रेलवे इस प्रस्ताव के लिए निक्षेप शर्तों पर विचार कर सकती है बशर्ते यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाए। राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	कमला दत्त, प्रधान, ग्राम पंचायत, बीसा भामदेव आनंद पासवान, संसद सदस्य	पुल के नीचे मोटर चालन योग्य सड़क की व्यवस्था के लिए कालका-शिमला खंड पर धारीघाट में कि.मी. 71/0-1 पर स्थित मौजूदा रेल पुल सं. 600 को चौड़ा करना	मौजूदा पुल के पाये पत्थर की चिनाई के हैं। मोटर चालन योग्य सड़क की व्यवस्था के लिए इसके स्पैनों को चौड़ा करना व्यावहारिक नहीं है।

1	2	3	4
3.	सुरेश चंदेल, संसद सदस्य रमेश कुमार वशिष्ठ, प्रधान, ऊना	दिल्ली-ऊन रेल लाइन पर भदोलिया-कलां गांव में ऊपरी सड़क पुल	प्रस्तावित स्थल पर कोई समपार नहीं है। बहरहाल, कि.मी. 114/6-7 पर भदोलिया कलां गांव के लिए एक अनधिकृत पैदल क्रॉसिंग (अतिक्रमण) मौजूद है जिसके स्थान पर ऊपरी सड़क पुल की मांग की गई है। निक्षेप शर्तों पर ही ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था संभव है अर्थात् यदि पुरी लागत वहन करने की सहमति देते हुए यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाए। राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
4.	सर्व दर्शन, प्रधान, ग्राम पंचायत, दोहरा और सुरेश चंदेल, संसद सदस्य	पठानकोट-जोगिंदर नगर खंड पर कि.मी. 72/0 पर ऊपरी सड़क पुल	रेलवे द्वारा इस प्रस्ताव पर निपेक्ष शर्तों पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाए क्योंकि 1997 में कि.मी 73/0-1 पर स्थित समपार सं. 151-सी पर यातायात घनत्व 16058 था। राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
5.	सुरेश चंदेल, संसद सदस्य और ठाकुर विक्रम सिंह, उपाध्यक्ष, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, क्वीन्सलैंड, शिमला	पठानकोट-गोगिंदर नगर रेल लाइन पर ऊपरी सड़क पुल	यह मांग गथूनतार और गुलेर गांवों के निकट कि.मी. 72/0 पर ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था के लिए है और वहां कोई पहुंच मार्ग मौजूद नहीं है तथा रेलपथ मोड़दार है। अत: यह सूचित किया गया था कि रेलवे द्वारा इस प्रस्ताव पर निक्षेप शर्तों पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाए। राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहों हुआ है।
6.	कृपाल परमार, संसद सदस्य	पठानकोट-जोगिंदर नगर खंड पर गाथूतार में ऊपरी सड़क पुल	-यथोक्त-
7.	प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश	कालका-शिमला रेल लाइन पर जबली और चंबा घाट पर ऊपरी सड़क पुल	माननीय मुख्य मंत्री से समपार सं. 4-ए और समपार सं. 5-ए पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए क्रमश: लागत में भागीदारी और निक्षेप शर्तों पर प्रस्ताव

1	2	3	4
			प्रायोजित करने का दो बार अनुरोध किया गया था क्योंकि समपार सं. 4-ए का यातायात घनत्व 1 लाख गाड़ी वाहन इकाई से अधिक होने के कारण लागत में भागीदारी के आधार पर बदलाव का अर्हक है और समपार सं. 5-ए पर यातायात घनत्व 1 लाख गाड़ी वाहन इकाई से कम होने के कारण इसे निक्षेप शर्तों पर आरंभ किया जा सकता है। बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर रेलवे आगे की कार्रवाई करेगी।
8.	ग्राम पंचायत ताबा एवं सुरेश चंदेल, संसद सदस्य	ऊना-नांगल रेल लाइन पर ताबा गांव में ऊपरी सड़क पुल	यह मांग नांगल डैम-ऊना खंड पर कि.मी. 116/8-9 पर, जहां रक्कर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए कच्ची सड़क मौजूद है, ऊपरी सड़क पुल के लिए है। ऊपरी सड़क पुल व्यावहारिक है और रेलवे द्वारा इस प्रस्ताव पर निक्षेप शर्तों पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाए।
9.	ठाकुर गुलाब सिंह, अध्यक्ष, विधान सभा, हिमाचल प्रदेश	भटवारा गांव के निकट ऊपरी सड़क पुल	यह मांग समपार सं. डी-331, जो एक मवेशी समपार है, के निकट कि.मी. 149/6-7 पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए है। ऊपरी सड़क पुल व्यावहारिक है और रेलवे द्वारा इस प्रस्ताव पर निक्षेप शर्तों पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाए।
10.	प्रधान, ग्राम पंचायत, तलारा	पठानकोट-जोगिंदर नगर खंड पर तलारा में ऊपरी सड़क पुल	यह मांग तलारा स्टेशन के निकट समपार सं. डी-53, जो एक मलेशी समपार है, पर कि.मी. 29.125 पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए है। ऊपरी सड़क पुल व्यावहारिक है और रेलवे द्वारा इस प्रस्ताव पर निक्षेप शर्तों पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाए।

1	2	3	4
			ग्राम पंचायत तलारा को 26-6-2001 को सर्वेक्षण और योजना प्रभारों के लिए 40,000 रुपए जमा कराने के लिए सूचित कर दिया था लेकिन उन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है।
11.	सुरेश चंदेल, संसद सदस्य और प्रधान, ग्राम पंचायत, भटौली	मौजूदा पुलिया सं. 246 के रास्ते वाहनों के गुजरने की अनुमति	पुल की उर्ध्वप्रवाही दिशा पर पहाड़ी होने के कारण यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है।
12.	महेश्वर सिंह, संसद सदस्य	पठानकोट-जोगिंदर नगर रेल लाइन पर समपार सं. डी-331 (मवेशी समपार) के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	यह मांग कि.मी. 149/6-7 पर मवेशी समपार सं. डी-331 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के लिए जिसे रेलवे द्वारा केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाए। राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली में यमुना नदी पर पुल को बदलना

3819. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में यमुना नदी पर रेल-सह सड़क पुल, जिसकी उपयोगिता अवधि समाप्त हो गई है, को बदलने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह निर्णय कब लिया गया था और पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू/पूरा किया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विस्तृत अनुमान नवम्बर, 1999 में 67 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया था। पुल के प्रारम्भिक ब्यौरों की तैयारी और अभिकल्प प्रगति पर है। 1997-98 में स्वीकृत किये गए इस कार्य को 2002-03 के दौरान शुरू करने की संभावना है और धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इसके 2005-06 के दौरान पूरा होने की आशा है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

3820. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री आर. एस. पाटिल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा नई रेल लाइनों के निर्माण, आमान परिवर्तन, रेल लाइनों के दोहरीकरण और रेल मार्गों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) चालू परियोजनाओं/सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इन पर अब तक कितना खर्च हुआ और इनके लिए वर्ष 2001-02 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) इन परियोजनाओं और सर्वेक्षणों के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक नई लाइन के निर्माण, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए कर्नाटक सरकार से प्राप्त कुछ प्रस्तावों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:

प्रस्ताव	की-गई-कार्रवाई
मैसूर-मंगलौर नई लाइन	2001-02 के बजट में मैसूर-मंगलौर नई लाइन के निर्माण संबंधी कार्य के लिए सर्वेक्षण शामिल किया गया है।
मैसूर-तेल्लिचेरी नई लाइन	तेल्लिचेरी-मैसूर के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। बहरहाल, परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति तथा रेलवे द्वारा संसाधनों की अत्यधिक तंगी महसूस किए जाने के कारण इस समय परियोजना पर विचार किया जाना व्यावहारिक नहीं है।
मेंडिकेरे-चेन्नारायापटना कुशालनगर-कोन्नौर नई लाइन	इन दोनों लाइनों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा अलाभप्रद प्रकृति होने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
रमनग्राम-मैसूर खंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण	कथित परियोजना के संयुक्त उद्यम की योजना बनाने पर विचार-विमर्श करने के लिए रेलवे और कर्नाटक सरकार के बीच आधिकारिक स्तर की संयुक्त बैठकों आयोजित की गई हैं। बहरहाल, राज्य सरकार ने के-राइड (एक संयुक्त उपक्रम कंपनी) के माध्यम से वित्त पोषण के लिए अपनी प्राथमिकता में इस कार्य की अभी तक पहचान नहीं की है।
बेंगलूरु के लिए अंत: मॉडल परिवहन प्रणाली	परियोजना की लागत और राजस्व अनुमान की पुष्टि करने के लिए विस्तृत अध्ययन करने हेतु स्वीकृति स्वीकृति दे दी गई है। कर्नाटक सरकार अध्ययन की एक तिहाई लागत वहन करते हुए रेलवे के साथ सर्वेक्षण करवाएगी।

(ग) और (घ) योजना शीर्ष नई लाइनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और रेल विद्युतीकरण के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में पूर्णरूपेण/अंशत: पड़ने वाली चालू परियोजनाओं और सर्वेक्षणों का ब्यौरा, मौजूदा स्थिति और पूरा करने का लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित किया गया, निम्नलिखित है:

क्र.सं.	अनुमोदन का वर्ष	परियोजना	कि.मी.	(रुपये करोड़ में) लागत	मार्च 2001 तक व्यय	बजट परिव्यय 2001-02	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
नई लाइनें							
1.	1996-97	हुबली-अंकोला	167	997.58	10.01	20	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। किरवती तक 48 कि.मी. लम्बाई के लिए भूमि अधिग्रहण संबधी नक्शे राज्य सरकार को पेश कर दिए गए हैं। राज्य सरकार के पास अब तक 2.8 करोड़ रुपए की धनराशि जमा करायी जा चुकी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	1997-98	मुनीराबाद-मेहबूबनगर	246	420.12	5.5	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। जीनीजेरा छोर से 11 कि.मी. और बेहबूबनगर छोर से 15 कि.मी. तक (कुल 26 कि.मी.) के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को पेश किए जा चुके हैं। कृष्णा-येरमारस (16 कि.मी.) दोहरीकरण पर येरामारा और कृष्णा के बीच (16 कि.मी.) दोहरीकरण के लिए मिट्टी और छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
3.	1997-98	गुलबर्गा-बीदर	140	242.42	2.12	10	130 कि.मी. लम्बाई तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अतिरिक्त सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। नक्शे और अनुमानों को तैयार किया जा रहा है।
4.	1998-99	गडवाल-रायचूर	60	100.41	5	5	भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू किया जा रहा है।
5.	1995-96	कोट्टूर-हरिहर	65	120.29	0.36	1	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे एवं कागजातों को तैयार किया जा रहा है।
6.	1996-97	कडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर	93	157	8.22	3	कडूर-चिकमंगलूर खंड पर आंशिक लम्बाई में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
7.	1996-97	हसन-बेंगलुरु	166	408.56	52.68	15	हसन और श्रवनबेलागोला (40 कि.मी.) और बेंगलूरु से नीलमंगला (16 कि.मी.) के बीच भूमि उपलब्ध है, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति हो रही है।
8.	1997-98	बेंगलूरु-सत्यमंगलम	260	225	0.09	2	बेंगलूर से चामराजनगर तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और शेष भाग में कार्य प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन							
9.	1993-94	सोलापुर-गदग	330	263.91	130.04	10	कार्य को चरणों में दिया जा रहा है। सोलापुर-होटगी (16 कि.मी.) और होटगी

1	2	3	4	5	6	7	8
							से बीजापुर (94 कि.मी.) पर कार्य पूरा हो गया है। बीजापुर से गदग तक शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है जो भावी वर्षों में पूरा किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
10.	1992-93	बेंगलूरु-हुबली-बिरुर-शिमोगा	630	427.7	397.66	0.5	बेंगलूरु-हुबली और बिरुर एवं शिमोगा के बीच लाइन पर कार्य पूरा हो गया है। शिमोगा-तलगुप्पा (97 कि.मी.) पर कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।
11.	1994-95	यलहंका-चिकबल्लापुर और कोलार-बंगारपेट	61.9	57.54	57.44	0.1	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। वित्तीय समायोजन जारी है।
12.	1994-95	अरसीकेरे-हसन-मंगलौर	236	325.98	136.38	58.1	अरसीकेरे-हसन-सकलेशपुर पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। काकीनाड़ा-कबाकापुत्तर (44 कि.मी.) में मिट्टी संबंधी कार्य, पुलों का निर्माण और गिट्टयों क संग्रहण पुरा हो चुका है और अन्य खण्डों में विभिन्न चरणों में है।
13.	1995-96	यशवंतपुर-सेलम	197	176.29	175.34	0.5	कार्य पूरा हो चुका है। बहरहाल, अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
14.	1995-96	मैसूर-हसन	119	193.39	184.39	0.5	कार्य पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। बहरहाल, वित्तीय समायोजन प्रगति पर है।
15.	1997-98	मैसूर-चामराजनगर	148	175	0.01	1	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। नक्शे और अनुमानों की तैयारी शुरू की गयी है।
दोहरीकरण							
16.	1996-97	हासपेट-गुंतकल	115	159.1	14.49	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। कार्य में तेजी लाने की दृष्टि से इस परियोजना को क्राइड्स के अंतर्गत वित्त पोषित कराने का प्रस्ताव है।

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	1992-93	व्हाइटफील्ड-कुप्पम	81	105.01	70.73	5	कार्य प्रगति पर है और व्हाईट फील्ड से बंगारपेट (47 कि.मी.) तक पहला चरण पूरा हो गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। बंगारपेट यार्ड में कार्य जारी है।
18.	1995-96	बेंगलूरु-केंगड़ी विद्युतीकरण सहित	12.45	20.72	0.72	1	निम्न परिचालनिक प्राथमिक होने के कारण कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है।
19.	1997-98	यशंवतपुर-तुमकर	64	80	2.03	5	भूमि अधिग्रहण सहित कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है।
20.	1997-98	बेंगलूरु सिटी-कृष्णाराजपुरम	23	85	2.05	0.1	आवश्यक स्वीकृतियां मिल जाने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा।
21.	1997-98	केंगड़ी-रामनगरम	32	45	0.07	2	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता होने के कारण कार्य को फिलहाल, स्थगित कर दिया गया है।
रेल विद्युतीकरण							
22.	1992-93	रेणीगुंटा-गुंतकल	332	168.34	6.86	10.14	इस कार्य को नवंबर 1998 में पुन: शुरू किया गया था। शिरोपरि उपस्कर संबंधी कार्य को शुरू किया गया है। लक्ष्य तिथि मार्च 2004 है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

कर्नाटक में जारी सर्वेक्षण

			(हजार रुपयों में)		
क्र.सं.	सर्वेक्षण का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत	परिव्यय 2000-02	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	दौंड-बिगवान-गुलबर्गा दोहरीकरण	272	1116	-	प्रगति पर है, 30.6.2002 तक पूरा हो जाने की आशा है।
2.	रंजीतपुरा-यशवंतनगर नई लाइन	11	148	148	बजट 2001-02 में शामिल नया सर्वेक्षण, लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं।

1	2	3	4	5	6
3.	मैसूर-मंगलौर नई लाइन	240	1620	1620	बजट 2001-02 में शामिल नया सर्वेक्षण, 31.12.2002 तक पूरा हो जाने की आशा।
4.	बेंगलूरू-अतं: मॉडल अध्ययन (एम टी पी)	-	1000	1	बजट 2001-02 में शामिल नया सर्वेक्षण, 31.12.2002 तक पूरा हो जाने की आशा।

[हिन्दी]

तेल की खोज हेतु नियुक्त विदेशी कम्पनियां

3821. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तेल की खोज हेतु विदेशी कम्पनियां नियुक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में इस प्रयोजनार्थ घरेलू कम्पनियों को यह कार्य सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) तेल एवं गैस के अन्वेषण में निवेश आकर्षित करने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी), सरकार के द्वारा फरवरी, 1997 में अनुमोदित की गई थी, के अंतर्गत अन्वेषण रकबे देने के लिए दोनों सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों तथा निजी क्षेत्र कंपनियों—भारतीय तथा विदेशी के लिए अच्छा कार्यव्यापार क्षेत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के प्रतिपादन के पश्चात् अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली के तहत बोलियों के दो दौर आमंत्रित किए गए थे तथा कुल 47 ब्लाक एवार्ड किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्पों और एल.पी.जी. एजेंसियों का रद्द किया जाना

3822. श्री राजैया मल्याला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1993-96 में पेट्रोल पम्पों और एल.पी.जी. वितरण एजेंसियों के आबंटन को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने और बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इनके आबंटन को रद्द किए जाने के पश्चात् अब इन पेट्रोल पम्पों और एल.पी.जी. वितरण एजेंसियों को कारगिल योजना में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार के पास उन खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों, जो पहले विवेकाधीन कोटे के तहत आबंटित की गई थी तथा तदन्तर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी थी एवं जिनके निरसन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया है, का कारगिल में "आपरेशन विजय" के अंतर्गत कार्रवाई में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों हेतु विशेष योजना के लाभार्थियों के लिए आबंटन की संभावना का पता लगाने के लिए एक प्रस्ताव है।

स्वायत्त कार्यालयों में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग

3823. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% (अनुसूचित जातियां 08.41% और अनुसूचित जनजातियां 2.27%) था और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% है (अनुसूचित जातियां 09.68% और अनुसूचित जनजातियां 3.52%) था जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है।

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों, सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्त संगठनों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार पहचान किए गए इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में ग्रुप ए एवं बी में अनु. जाति एवं अनु. जन जाति का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

ग्रुप	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों की संख्या	अनु. जाति के आयु की प्रतिशत	अनु. जन-जातियों की संख्या	अन. जनजाति के आयु की प्रतिशतता
ए	1,98,625	16,710	8.41%	4,505	2.27%
बी	1,64,402	15,921	9.68%	5,788	3.52%

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

देश में विद्युत शुल्क

3824. श्री उत्तमराव पाटील:
श्री चन्द्र विजय सिंह:
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण एशिया के अन्य विकासशील देशों और चीन की तुलना में भारत में विद्युत शुल्क अधिक है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अपनी औद्योगिक विद्युत दरों को अन्य विकासशील देशों की तुलना में समान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) भारत में औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गयी औसत टैरिफ दक्षिण एशिया के अन्य विकासशील राष्ट्रों और चीन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि भारत में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गयी औसत टैरिफ अधिकांश देशों की तुलना में कम है। भारत में एक औसत उपभोक्ता, क्रॉस सब्सिडाइज्ड घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं जो आपूर्ति लागत से कम टैरिफ भुगतान करते हैं, को आपूर्ति लागत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक टैरिफ का भुगतान करता है।

(ग) भारत सरकार के विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को लागू किया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ निर्धारण के समय राज्य आयोगों के मार्गदर्शी सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि टैरिफ उत्तरोत्तर क्षमता के उचित व सुधर रहे स्तर पर विद्युत आपूर्ति की लागत को परिलक्षित करती है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता समूह के लिए किसी प्रकार के अनुदान की आवश्यकता समझती है तो राज्य सरकार विनियामक आयोगों के निदेशानुसार सब्सिडी अनुदान से प्रभावित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान करेगी।

[अनुवाद]

रक्षा विमानों के उपयोग करने के लिए बकाया धनराशि

3825. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राजनीतिक नेताओं और दलों के नाम क्या हैं जिन पर रक्षा विमानों का उपयोग करने के लिए सरकार की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) समाजवादी जनता पार्टी के श्री चन्द्रशेखर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री पी.वी. नरसिम्हा राव तथा जनता दल के श्री एच.डी. देवगौड़ा प्रत्येक पर रक्षा विमान के उपयोग के लिए सरकार को देय 10 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया है।

(ख) बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने तीन पूर्व प्रधान मंत्रियों से इस राशि की वसूली के लिए फरवरी, 2001 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वाद दायर किए हैं। इन वादों पर 9 जनवरी, 2002 को सुनवाई होनी है। इस बकाया राशि की उगाही के लिए अगली कार्रवाई न्यायालय के निदेशों के अनुसार की जाएगी।

विवरण

नाम	बकाया		
	मूल (रु.)	ब्याज (रु.)	कुल (रु.)
श्री चन्द्रशेखर	5,91,31,476	6,56,35,938	12,47,67,414
श्री पी.वी. नरसिम्हा राव	5,72,13,700	3,21,20,398	8,93,34,098
श्री देवगौड़ा	54,61,497	22,93,828	77,55,325

रात्रि में उड़ान के दौरान 'केरोसीन गूजनेक फ्लेयर' का उपयोग करना

3826. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वायु सैनिक अड्डों पर रात्रि में उड़ान के दौरान विमान क्षेत्र प्रकाश प्रणाली के लिए कितने हवाई अड्डे 'करोसीन गूजनेक फ्लेयर' का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) 'केरोसीन गूजनेक फ्लेयर' का उपयोग कर लोगों और विमानों को क्यों खतरे में डाला जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी वायुसैनिक अड्डों पर विमान क्षेत्र प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) दो।

(ख) रात्रि में उड़ान के दौरान केरोसीन गूजनेक फ्लेयर्स के प्रयोग से सुरक्षा को खतरा नहीं होता और न ही इससे कार्मिकों अथवा विमान को कोई खतरा होता है।

(ग) संबंधित भारतीय वायु सेना हवाई अड्डों में विद्युत प्रकाश प्रणाली लगाए जाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

गोड्डा रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत बुकिंग सुविधा

3827. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोड्डा रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत बुकिंग सुविधा शुरू करने के बारे में संसद सदस्यों को सूचित किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त स्टेशन पर किस तारीख से कम्प्यूटरीकृत बुकिंग शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) हाल ही में गोड्डा जहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, में कंप्यूटरीकृत बुकिंग सुविधा के लिए कोई स्वीकृति संसद सदस्यों को जारी अथवा संसूचित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्री ब्लाक में तेल की खोज

3828. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन की केर्न एनर्जी ने हाल ही में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्री ब्लाक में तेल की महत्वपूर्ण खोज की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्री ब्लाक में तेल की खोज करने में विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर्न एनर्जी के साथ उत्पादन में भागीदारी संबंधी समझौते किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) तेल की शीघ्र खोज के लिए इस क्षेत्र के विकास की क्या योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कैर्न इनर्जी इंडिया लि. जो स्काटलैंड की एक कंपनी है, ने आंध्र प्रदेश के तट से दूर कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंतर्गत गहन जल अर्थात् के जी डी डब्ल्यू एन-98/2, जो नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.)-1 से संबंधित एक ब्लाक है, में दो संभावनाओं के अंतर्गत हाल ही में तेल की खोज की है।

(ख) और (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) ने 80 के दशक में कृष्णा गोदावरी बेसिन के गहन जल क्षेत्रों के अंतर्गत हाल ही की एक गैस खोज के डी-1-1 के अतिरिक्त दो तेल खोजें, अर्थात् जी-1 एवं जी-2, की है। कृष्णा गोदावरी गहन जल क्षेत्रों के अंतर्गत चार पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.ई.एल.) ब्लाकों तथा नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.)-1 के तहत प्राप्त किए गए दो ब्लाकों में उनके अन्वेषी प्रयास जारी हैं।

आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्रचालन नहीं कर रही थी। केवल हाल ही में उन्होंने एन ई एल पी-1 के तहत ओ.एन.जी.सी. को प्रस्तावित एक गहन जल ब्लाक, के जी-डी डब्ल्यू एन-98/4 के अंतर्गत प्रतिभागिता हित प्राप्त किया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार के द्वारा या तो अकेले अथवा एक परिसंघ सदस्य के रूप में कैर्न इनर्जी इंडिया लि. के साथ निम्नांकित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं में हस्ताक्षर किए हैं।

	ब्लाकों का नाम	परिसंघ साझेदार	हस्ताक्षर किए जाने की तारीख
1		2	3
1.	राव्वा	कैर्न इनर्जी इंडिया पी.टी.वाई. लि., वीडियोकोन पेट्रोलियम लि., राव्वा आयल प्राइवेट लि. तथा ओ. एन.जी.सी.	28 अक्तूबर, 1998
2.	आरजे-ओएन-90/1	कैर्न इनर्जी और शैल इंडिया	15.5.1995 (21.12.1999)*

1	2	3
3. केजी-ओएस-6	कैन इनर्जी और वीडियोकोन पेट्रोलियम लि.	30.6.1998
4. सीबी-ओएस-2	कैर्न इनर्जी, टाटा पेट्रोडाइन और ओ.एन.जी.सी.	30.6.1998
5. केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2	कैर्न इनर्जी	12.4.2000

*यह संविदा शत प्रतिशत प्रतिभागिता हित (पी.आई.) के साथ शैल इंडिया के साथ हस्ताक्षर की गई थी। कैर्न इनर्जी ने दिसम्बर, (1999) में इस ब्लाक में 50 प्रतिशत प्रतिभागिता हित प्राप्त किया था।

(च) कैर्न इनर्जी के दौरान के जी-डी डब्ल्यू एन-98/2 ब्लाक के अंतर्गत की गई खोजों का मूल्यांकन करने की आवस्यकता है ताकि तैयार की जाने वाली विकास योजनाओं के लिए इनकी वाणिज्यिकता प्रमाणित हो सके।

विलायक नाप्था के उपयोग पर प्रतिबंध

3829. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नाप्था को पेट्रोल के साथ मिलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न पत्तनों के माध्यम से निजी पार्टियों द्वारा कितनी मात्रा में नाप्था का आयात किया गया है;

(घ) उन निजी पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने नाप्था का आयात किया था और किन पार्टियों को यह नाप्था बेचा गया और इसका उद्देश्य क्या था; और

(ङ) सरकार द्वारा पेट्रोल में नाप्था के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ऐसी कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न बन्दरगाहों पर वर्ष 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान निजी पक्षकारों द्वारा किए गए नाप्था आयातों का ब्यौरा नीचे दिया है। सरकार के पास उन पक्षकारों का ब्यौरा नहीं है जिन्हें यह आयातित नाप्था बेचा गया था।

गुजरात में पक्षकार-वार/बन्दरगाह-वार नाप्था आयात

(आंकड़े टी.एम.टी. में)

वर्ष	बन्दरगाह	पक्षकार	मात्रा
1999-2000	हजीरा	आर.आई.एल.	1517
2000-2001	दहेज	आई.पी.सी.एल.	392
	जी.ए.पी.एल., मुन्द्रा	उपलब्ध नहीं	26
	हजीरा	आर.आई.एल.	1563
	जामनगर	आर.आई.एल.	119
			2100

(ङ) पेट्रोल/डीजल की मिलावट के लिए नाफ्था के प्रयोग का निवारण करने के लिए सरकार ने 5 जून, 2000 को नाफ्था (अर्जन, बिक्री, भण्डारण तथा स्वचालित वाहनों के अंतर्गत उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 जारी कर दिया है।

[हिन्दी]

बामनियां, मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल खोलना

3830. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बामनियां, मध्य प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्कूल के कब तक खोले जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस): (क) और (ख) राज्य में सैनिक स्कूल खोलना संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्कूल को खोलने और उसे निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए भूमि, भवन, उपस्कर, छात्रवृत्तियां और विशेष अनुदान-सहायता उपलब्ध कराने संबंधी सहमति पर निर्भर करता है। बामनियां, मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास लंबित नहीं है जो ऊपर उल्लिखित पूर्व-आवश्यकताओं को पूरी करता हो।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु संपर्क अधिकारी

3831. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन कुछ विभाग/अधीनस्थ और संबंध कार्यालय, सरकारी क्षेत्र के और स्वायत्त शासी संगठन/निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कार्यालयों/संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनके मंत्रालय के अधीन "प्रशासनिक एककों" के रूप में कार्य करने वाले कुल कितने संगठन/कार्यालय हैं जो स्थापना और कर्मचारी वर्ग के मामलों को देखते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार दृष्टिनित पदों के लिए कुल कितने संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों ने एस.सी./एस.टी. और ओबीसी हेतु आरक्षण के मामलों में सरकारी निदेशों की उपयुक्त अनुपालना सुनिश्चित करते हुए एस.सी./एस.टी. और ओबीसी के लिए अलग-अलग संपर्क अधिकारी नामित किये हैं (भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड को छोड़कर)।

(ख) उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठन/कार्यालयों, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत स्थापना और कार्मिक मामलों पर कार्रवाई करने वाली प्रशासनिक ईकाईयों के रूप में कार्य करते हैं, की कुल संख्या विद्युत मंत्रालय (मुख्यालय) समेत 14 है (8 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2 सांविधिक निकाय, 2 स्वायत्तशासी निकाय और 8 सम्बद्ध कार्यालय)

(घ) सभी एस.सी./एस.टी. के लिए 14 संपर्क अधिकारी और ओबीसी के लिए 13 संपर्क अधिकारी नामित किये गये हैं (भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड को छोड़कर)

बिहार में एन.टी.पी.सी. परियोजना को स्वीकृति देना

3832. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एनटीपीसी द्वारा बिहार में नामित किए जाने वाले 1980 मेवा के ताप विद्युत स्टेशन हेतु तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए तक के निवेश पर सभी 400 विद्युत जिलों में विद्युत वितरण में

सुधार करने का निर्णय किया है जिसके लिए अनुमति मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा बिहार में निष्पादित की जा रही 1980 मेवा क्षमता की बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना को 28.9.2001 को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने विद्युत वितरण प्रणाली आरंभ में चुनिंदा वितरण सर्किल में सुधार करने के लिए वर्ष 2000 में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) आरंभ किया है। पहले चरण में विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 63 वितरण सर्किलों की पहचान की गई है। 10वीं योजना (2002-2007) के दौरान योजना आयोग के परामर्श से शेष वितरण सर्किलों को कवर करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़-बिलासपुर-मंडला रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

3833. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़-बिलासपुर-मंगला (जबलपुर) के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण हेतु स्वीकृति कब प्रदान की गई थी;

(ख) सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद भी इस लाइन पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) मंडला के रास्ते बिलासपुर और जबलपुर (372 कि.मी.) के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण 1998-99 के रेल बजट में शामिल किया गया था।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और इसके 31.3.2003 तक पूरा होने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात् ही परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

सौर लालटेन

3834. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से खुले बाजार में उचित मूल्य पर सौर लालटेन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू और अगले वित्त वर्षों के दौरान कुछ राज्यों और कुछ राज्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत इन लालटेनों का वितरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) सौर लालटेन की प्रारंभिक लागत, पारंपरिक युक्तियों जैसे हरीकेन लालटेन और विक लैम्प की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। तथापि, सौर लालटेन से अधिक अच्छा प्रकाश होता है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है और यह इस्तेमाल करने में आसान है तथा इसका रखरखाव भी आसान है, चूंकि इसमें किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एक सौर लालटेन उत्पादन के जीवन की दृष्टि से कैरोसिन लालटेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी हो सकती है। देश में सौर लालटेनों के अनेक निर्माता हैं और खुले बाजार में उनकी बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने सौर लालटेनों की लागत को कम करने और उन्हें लोगों के लिए वहनीय बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, उनमें शामिल हैं—

(1) मुख्य सामग्रियों पर सीमा शुल्क में कमी

(2) उत्पाद शुल्क से छूट

(3) बाजार का विस्तार जिससे उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी

(4) उपयोगकर्ताओं के लिए सब्सिडी का प्रावधान।

(ग) और (घ) मंत्रालय के सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 से सौर लालटेनों का वितरण सब्सिडी के साथ सम्पूर्ण देश में किया जा रहा है। देश में केन्द्रीय सब्सिडी के साथ 30.11.2001 के अनुसार लगभग 3.75 लाख सौर लालटेनों का संवितरण किया गया है। चालू वर्ष के दौरान 85,000 सौर लालटेनों के संवितरण का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम को बजट में आवश्यक आवंटनों के अध्यधीन, अगले वर्ष भी जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में नए पेट्रोल पम्प

3835. **श्री ए. कृष्णास्वामी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीलर चयन बोर्ड ने तमिलनाडु में नए पेट्रोल पम्पों के लिए आवेदन मांगे हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अधिसूचना के कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) तमिलनाडु में विशेषकर श्री पेरम्बुदुर जिले में नए पेट्रोल पम्पों के लिए पहचान किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) तमिलनाडु राज्य में श्रीपेरम्बुदूर में दो खुदरा बिक्री केन्द्रों सहित लगभग 164 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलराशिपें विभिन्न स्थानों में आबंटन के लिए लम्बित हैं।

यह समय बताना सम्भव नहीं है जब तक आबंटन कर लिए जाएंगे, क्योंकि डीलरों के चयन की प्रक्रिया में विज्ञापन जारी किया जाना, आवेदनपत्रों की जांच, डीलर चयन बोर्डों द्वारा साक्षात्कार, योग्यता पैनल तैयार करना, क्षेत्र जांच, आशय-पत्र जारी करना इत्यादि सम्मिलित है।

भुज को फील्ड स्टेशन घोषित करना

3836. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:**
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री कमल नाथ:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुज (कच्छ, गुजरात) में तैनात सैन्य अधिकारियों ने सरकार से इस भूकम्प प्रभावित जिले को उस क्षेत्र में तैनात सुरक्षा अधिकारियों के लिए फील्ड स्टेशन घोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) भुज जिले को फील्ड क्षेत्र घोषित किए जाने के संबंध में सेना मुख्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ताकि फील्ड क्षेत्रों के लिए स्वीकार्य कुछ रियायतें उन कार्मिकों को मुहैया कराई जा सकें जिनका भूकंप की वजह से जानमाल का नुकसान हुआ है। सरकार ने इस मामले पर विचार किया है। मौजूदा आदेशों के अनुसार 'फील्ड क्षेत्र' एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां सैन्य टुकड़ियों को संक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए सीमा के पास तैनात किया जाता है और जहां पर युद्ध का खतरा और उससे जान-जोखिम बना रहता है। प्राकृतिक विपदा के कारण त्रासदी से प्रभावित कार्मिकों को कुछ लाभ मुहैया कराए जाने के प्रयोजन से क्षेत्र का दर्जा बदला नहीं जा सकता है। इसलिए यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। तथापि, असाधारण परिस्थितियों एवं भुज में तैनात रक्षा सेना कार्मिकों के समर्पित कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कार्मिकों को समुचित मानदेय देने का निर्णय लिया गया है।

केबल आधारित पुल का निर्माण

3837. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-4 पर रेल विभाग और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मद्रास, कोलार, बंगलौर क्षेत्र को जोड़ने के लिए केबल आधारित पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या यह सच है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने हिस्से की राशि जारी कर दी है परन्तु रेल विभाग ने इस केबल आधारित पुल के निर्माण हेतु अपने हिस्से की राशि जारी नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेल विभाग ने निधियां जारी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) से (घ) रेलों ने अपने हिस्से के 2.36 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी है।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों की स्थापना

3838. श्रीमती शीला गौतम: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष और 30 नवम्बर, 2001 तक स्थापित किए ताप, जल विद्युत और छोटे जल विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक विद्युत संयंत्र पर कितनी लागत आई है;

(ग) ऐसे विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक विद्युत संयंत्र पर राज्य-वार कितनी निधियां खर्च किए जाने की संभावना है;

(ङ) केन्द्र सरकार के पास राज्यों के विद्युत संयंत्रों की स्थापना संबंधी राज्य-वार कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू की गई विद्युत परियोजनाओं के संबंध में नाम, क्षमता चालू करने का कार्यक्रम तथा व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जहां तक लघु जल-विद्युत परियोजनाओं का संबंध है, पिछले तीन वर्षों में लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नवत हैं:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1998-99	15 मेवा	28.7 मेवा*
1999-2000	15 मेवा	65.66 मेवा**
2000-01	40 मेवा	89.10 मेवा**
2001-02	50 मेवा	43.85 मेवा**

*3 मेवा स्टेशन क्षमता तक

**30.11.99 के पश्चात् अधिष्ठापित 25 मेवा क्षमता तक की परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

छोटी जल-विद्युत परियोजनाओं की औसत लागत 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए प्रति मेवा है। राज्य-वार लक्ष्य गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) के लघु जल-विद्युत परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित नहीं हैं। एमएनईएस छोटी जल-विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन सीधे नहीं करता है। यह राज्य सरकारों को पूंजी आर्थिक सहायता तथा निजी क्षेत्र परियोजनाओं को ब्याज आर्थिक सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अत: छोटी जल-विद्युत परियोजनाओं का व्यय ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) नौवीं योजना (1997-2002) के लिए विद्युत क्षेत्र परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) विभिन्न राज्यों में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रस्तावों की संख्या, जो तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु केविप्रा में जांचाधीन है, निम्नवत् है:

राज्य	हाइड्रो	थर्मल	कुल
हिमाचल प्रदेश	2	0	2
राजस्थान	0	1	1
मध्य प्रदेश	0	1	1
तमिलनाडु	0	1	1
झारखण्ड	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	2	2
त्रिपुरा	0	1	1
कुल	2	6	8

इन स्कीमों को आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियां के प्राप्त होने तथा संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत करने के तत्काल बाद ही स्वीकृत कर दिया जाएगा।

विवरण-I

1998-99, 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान चालू परियोजना

परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का कार्यक्रम		व्यय (करोड़ रुपये में)
		मूल	वास्तविक	
1	2	3	4	5
ताप विद्युत				
1998-99				
केन्द्रीय क्षेत्र				
कैथालगुड़ी एसटी-3	30	6/98	7/98	1525.61
कायमकुलम सीसीजांटी, जीटी 1 व 2	115.3	3/99	11/98 और 2/99	1094.34
विन्ध्याचल टीपीएस यू-7	500	*	3/99	2328.66
अगरतला जीटी-4	21	*	6/98	319.74
ऊंचाहार टीपीएस चरण-2, यू-3	210	4/98	1/99	1255.51
निजी क्षेत्र				
बनासकंडी सीसीजीटी	5	4/98	6/98	80.10
पगुथन सीसीजीटी	250	7/98	10/98	2247.00
मैग्नम पावर एफओ	25	*	यू-1 से 8/98 यू-2 से 4 9/98	42.48 .
तोरांगल्लू टीपीएस	यू-1 130	9/98	1/99	1080.00 दोनों यूनिट 1 और 2 हेतु
डाभोल सीसीजीटी चरण-1	2×240 (जीटी) +260 (सीटी)	12/98	जीटी 10/98	यू एस डालर 1093 एमएन
बेसिन ब्रिज डीजीपीपी	4×50	डीजी-1 1/99 डीजी-2 से 4- 2/99	डीजी-1 1/99 डीजी-2 2/99 डीजी 3 और 4 12/98	यू एस डालर 125.65 एम एन+354.21 करोड़ रुपये
बज बज टीपीएस	यू-2 250	12/98	3/99	2681.00 (दोनों यूनिट 1 व 2)
राज्य क्षेत्र				
वनाकबोरी टीपीएस यू-7	210	5/98	12/98	310.65

1	2	3	4	5
रायचूर टीपीएस यू-5	210	*	1/99	1390.03(420 मेगावाट क्षमता हेतु)
ब्रह्मपुरम डी जी-5	20	6/98	9/98	301.20 (कुल 400 मेगावाट क्षमता हेतु)
संजय गांधी टीपीएस यू-3	210	*	2/99	844.42 (कुल 420 मेगावाट क्षमता हेतु)
कारईकल सीसीजीटी	जीटी-22.9	6/98	3/99	131/29 (कुल 32.5 मेगावाट क्षमता हेतु)
जीएचटीपी भटिंडा टीपीएस यू 2	250	4/98	5/98	1097.86 (कुल 500 मेगावाट क्षमता हेतु)
1999-2000				
केन्द्रीय क्षेत्र				
फरीदाबाद सीसीजीटी 1 व 2	2×143	10/99 और 12/99	6/99 और 10/99	834.17 (कुल 430 मेगावाट क्षमता हेतु)
कायमकुलम सीसीजीटी एसटी	119.4	2/2000	10/99	1094.34 (कुल 350 मेगावाट क्षमता हेतु)
उंचाहार टीपीएस चरण-2, यू-4	210	10/99	10/99	1255.51 (कुल 420 मेगावाट हेतु)
निजी क्षेत्र				
सुलगांवकर सीसीजीटी, जीटी एवं एसटी	30+18	*	7/99 और	184.14
मंगरोल लिग्नाइट यू 1 व 2	2×125	5/99 और 7/99	1/2000 और 11/99	1206.00
तोरांगल्लू टीपीएस यू-2	130	6/99	5/99	1080.00 (कुल 260 मेगावाट क्षमता हेतु)
इलूर सीसीजीटी, जीटी 1 से 3	3×45	5/99, 7/99 और	9/99 6/99, 8/99 और 12/99	538.00 (कुल 174 मेगावाट हेतु)
राज्य क्षेत्र				
रायचूर टीपीएस यू-6	210	9/99	7/99	1390.03 (कुल 420 मेगावाट क्षमता हेतु)
कोझीकोड डीजी डीजी-1 से 8	8×16	डीजी-1 से 3 9/99 डीजी-4 से 8 10/99	डीजी-1 से 5 9/99 डीजी-6,7 10/99 डीजी-8 11/99	301.20

1	2	3	4	5
संजय गांधी टीपीएस यू-4	210	2/000	11/99	844.42 (कुल 420 मेगावाट हेतु)
कराईकल सोसीजीटी, एसटी	9.6	6/99	10/99	131.29 (कुल 32.5 मेगावाट हेतु)
सुरतगढ़ टीपीएस चरण-1 यू-2	250	*	3/2000	1097.86 (कुल 500 मेगावाट हेतु)
बक्रेश्वर टीपीएस यू-1	210	9/99	7/99	2733.63 (कुल 630 मेगावाट हेतु)
2000-01				
केन्द्रीय क्षेत्र				
फरीदाबाद सीसीजीटी एसटी	144	10/2000	7/2000	834.17(430 मेगावाट हेतु)
निजी क्षेत्र				
कोंडापल्ली सीसीजीटी, जीटी-1 व 2	2×112+126	जीटी-6/2000, 4/2000, सीटी-9/2000	9/2000, 6/2000 और 10/2000	1010.26
जोजोबेरा टीपीएस यू-1	120	1/2000	10/2000	642.00 (कुल 240 मेगावाट हेतु)
बेल्लारी डीजीपीपी, डीजी-1 व 2	2×12.6	5/2000	9/2000	116.53 .
इलूर सोसीजीटी, एसटी	39	1/2000	10/2000	538.00 कुल 174 मेगावाट हेतु)
पीपीएन सीसीजीटी	225	12/2000	2/01	**
समलपट्टी डीजीपीपी, डीजी-1 से 7	105.66	*	3/01	**
राज्य क्षेत्र				
लक्षद्वीप में डीजी सेट	3.05	*	11/2000	अनुपलब्ध
अंदमान व निकोबार में डीजी सेट	5.72	*	11/2000	अनुपलब्ध
पानीपत टीपीएस, यू-6	210	2/2001	3/2001	872.17
खापरखेडा टीपीएस, यू-3 व 4	2×210	5/2000 और 11/2000	5/00 और 1/01	1232.08
कोविलकलप्पल सीसीजीटी व एसटी	69+38	7/2000 और 10/2000	2/01 और 3/01	205.19

1	2	3	4	5
बक्रेश्वर टीपीएस यू 2 और 3	2×210	4/2000 और 9/2000	5/2000 और 3/2001	2733.63 (कुल 630 मेगावाट हेतु क्षमता)
2001-02 (नवंबर, 2001 तक)				
निजी क्षेत्र				
एलवीएस डीजीपीपी डीजी 1 व 2	2×18.4	6/2001	10/2001	60.44
जोजोबेरा टीपीएस यू-2	120	10/2001	8/2001	652.00 (420 मेगावाट क्षमता हेतु)
तनीर बावी सीसीजीटी, 4 जीटी+एसटी	170+50	9/2001, 9/2001	5/2001, 11/2001	**
पीपीएन सीसीजीटी, एसटी	105.5	4/2001	4/2001	**
समयानल्लूर डीजीपीपी, डीजी 1 से 7	106	6-9/2001	9/2001	**
राज्य क्षेत्र				
हजीरा सीसीजीटी, जीटी 1 व 2	2×52	*	10/01 और 9/01	अनुपलब्ध
सूरतगढ़ टीपीपी चरण-2, यू-3	250	*	10/2001	1182.22 (500 मेगावाट क्षमता हेतु)
जोड़ (ताप विद्युत)	**9537.4**			
जल विद्युत				
1998-99				
वाराना यू-2	8	4/98	9/99	34.17
कदाना यू-2	60	5/98	5/98	120.51
कालीनदी-2 (कोडासल्ली) यू-1 और 2	2×40	6/98 और 3/99	6/98 और 4/99	571.00
कालीनदी-2 (कदरा) यू-2 व 3	2×50	11/98 और 3/99	1/99 और 5/99	
तीस्ता नहर प्रपात चरण-2 यू-2 और 3	2×7.5	9/98 और 10/98	10/98 और 10/99	527.69
सोबला यू-1 व 2	2×3	6/98, 6/98	11/98 और 7/99	15.98
पोंरिंगलकुथू एलबी विस्तार, यू-1	16	12/98	2/99	42.73
सतनूर बांध यू-1	7.5	12/98	3/99	29.85
कोयना चरण-4, यू-4 *	250	1999-2000	7/99	1298.00

*1999-2000 हेतु अग्रिम कार्यक्रम

1	2	3	4	5
1999-2000				
रंजीत-3 यूनिट-1 से 3	3×20	12/99, 2000-01 और 2000-01	2/2000, 2/2000, और 2/2000	492.26
राजघाट यू-1 से 3	3×15	8/99, 9/99 और 10/99	10/99, 9/99 और 11/99	131.26
दूधगंगा यूनिट-1 व 2	2×12	5/99 और 6/99	2/2000 और 3/2000	53.03
कोयना चरण-4 यूनिट 3, 2 व 1	3×250	8/99, 1/2000, 2000-01	11/99, 3/2000, 5/2000*	1298.00
सिंगुर यूनिट-1 और 2	2×7.5	9/99 और 12/99	12/99 और 3/2000	40.58
काक्कड़ यूनिट-1 और 2	2×25	6/99 और 8/99	7/99, 7/99	145.99
कालीनदी-2 (कोडासल्ली) यू-3	440	9/99	8/99	571.00
अपर इन्द्रावती यूनिट-1 और 2	2×150	4/99, 7/99	9/99, 12/99	1074.24
तीस्ता नहर प्रपात, चरण-3 यूनिट 1 से 3	3×7.5	5/99, 6/99,	7/99 9/99, 10/99	527.69
अपर सिंध-2 यू-1	35	2000-01	7/2000	399.50
पार्सन्म वैली	30	2/2000	3/2000	101.54
2000-01				
दोयांग यू-1 से 3	3×25	6/2000 (प्रत्येक)	7/2000, 7/2000, 6/2000	758.70
घानवी यू-1 और 2	2×11.25	6/2000 और 7/2000	12/2000 और 7/2000	123.23
चेनानी-3 1 से 3	3×25	9/2000 (प्रत्येक)	4/01 (प्रत्येक)	46.23
रंजीत सागर यूनिट-1 से 4	4×150	7/2000, 8/2000, 1/2001, 2/2001	8/2000, 10/2000, 8/2000 और 9/2000	2433.00
श्रीसेलम एलबीपीएच यू-1	150	12/2000	4/2001	2269.67
शरावती टीआर यू-1	60	9/2000	2/2001	48.46
अपर इन्द्रावती यूनिट-3 व 4	2×150	8/2000, 2/2001	9/2000 और 3/2000	1074.24

1	2	3	4	5
बाणसागर टोंस चरण-3, यू-1	20	2001-02	7/2001	96681 (यूनिट 1 और 2 दोनों)
कुटियाडी विस्तार चरण-1	50	2001-02	2/2001	113.71
2001-02 (नवंबर, 2001 तक)				
श्रीसेलम एलबीपीएच यू-1	150	12/2000	4/2001	2269.67
कलपोंग यू-1 से 3	3×1.75	6/2001 (प्रत्येक)	7/2001, 7/2001 और 8/2001	अनुपलब्ध
लिकिम रो, यू-1 और 2	2×8	2/2002 (प्रत्येक)	9/2001 (प्रत्येक)	191.16
बाणसागर टोंस चरण-3 व 2	20	8/2001	8/2001	966.81 (यूनिट 1 और 2 दोनों)
अपर सिंध-2 यूनिट-2	35	9/2001	9/2001	399.50
शरावती टीआर, यूनिट 2 और 3	2×60	6/2001, 11/2001	5/2001, 11/2001	420.00 यूनिट 1 से 3
मलाना यूनिट-1 और 2	2×43	6/2001 (प्रत्येक)	7/2001 (प्रत्येक)	332.71
कुल (जल विद्युत)	3631.25			
कुल जोड़	13168.65			

विवरण-II

9वीं योजना (1997-2002) हेतु परिव्यय

राज्य/यू.टी.	करोड़ रुपये में
1	2
आंध्र प्रदेश	5749.37
अरुणाचल प्रदेश	451.00
असम	850.00
बिहार	2300.00
गोवा	128.97
गुजरात	4000.00
हरियाणा	2648.00
हिमाचल प्रदेश	1019.65
जम्मू व कश्मीर	2387.00
कर्नाटक	3650.00
केरल	2531.00
मध्य प्रदेश	3463.81
महाराष्ट्र	5579.82
मणिपुर	333.00
मेघालय	312.00
मिजोरम	221.59
नागालैण्ड	115.00

1	2
उड़ीसा	4622.79
पंजाब	2927.27
राजस्थान	4488.89
सिक्किम	341.00
तमिलनाडु	6000.00
त्रिपुरा	171.79
उत्तर प्रदेश	7468.15
पश्चिम बंगाल	5631.98
अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	140.00
चण्डीगढ़	85.90
दादरा व नगर हवेली	48.46
दमन व दीव	29.72
दिल्ली	2985.00
लक्षद्वीप	15.01
पांडिचेरी	229.50
केन्द्रीय क्षेत्र	53299.41

दूरदर्शन समाचार प्रसारणों में सुगमता/पारदर्शिता

3839. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के समाचार प्रसारणों को आज तक, जी.टी.वी., सहारा टी.वी. आदि जैसे प्राइवेट चैनलों की तरह सुगम और पारदर्शी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारतीय ने सूचित किया है कि दूरदर्शन समाचार चैनल अन्य चैनलों की भांति पारदर्शी और सुगम है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रक्षा उपकरणों का आयात

3840. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग महासंघ (सी.आई.आई.) ने सामरिक रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) भारतीय उद्योग संघ, रक्षा उपस्करों के विनिर्माण में निजी उद्योग की सहभागिता सहित रक्षा अधिप्राप्ति से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामलों पर सरकार के साथ विचारों का आदान-प्रदान करता है; इसने सामरिक रक्षा उपस्करों के आयात पर निर्भरता कम करने के बारे में विशिष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है अपितु इसमें यह कहा गया है कि रक्षा में 2005 तक 70% आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकारी लक्ष्य में इसे भाग लेने की अनुमति दी जाए। तथापि, इसने लाइसेंसिंग मैकेनिज्म और सीधे विदेशी निवेश प्रस्तावों की प्रक्रियाओं, स्थानीय उद्योग को तरजीह देने, भारतीय उद्योग को विदेशी निवेशक के साथ संयुक्त उद्यमों/तकनीकी सहयोग हेतु अनुमति, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और विदेशी उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं को समान अवसर, सशस्त्र सेनाओं के लिए उपस्करों की अधिप्राप्ति के वास्ते परिप्रेक्ष्य योजनाओं में निजी उद्योग को शामिल करने, सशस्त्र सेनाओं की प्रौद्योगिकीय आवश्यकता के बारे में निजी उद्योग को सूचना और अनुसंधान एवं विकास सहायता मुहैया करवाने के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रक्षा उपस्करों के लाइसेंसशुदा उत्पादन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया में इन सभी सुझाव को ध्यान में रखा है।

[हिन्दी]

बिहार में हुई दुर्घटनाएं

3841. डा. संजय पासवान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व रेलवे के अन्तर्गत बिहार में 20.11.2001 को एक रेलगाड़ी के रेल इंजन से टकराने के कारण हुई दुर्घटना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्ष के दौरान बिहार में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ग) क्या दुर्घटनाएं कम होने संबंधी सरकारी दावों के बावजूद रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं;

(घ) क्या सरकार ने पिछली दुर्घटनाओं की जांच के लिए गठित समितियों की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो बार-बार एक ही प्रकार की दुर्घटनाएं होने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) इंजन में विफलता के कारण 214 डाउन-हवड़ा सवारी गाड़ी डुमरी ठहराव के निकट लगभग 16.20 बजे रुक गई थी। ब्लाक खंड को क्लीअर करने के लिए पीछे के स्टेशन से रिलीफ इंजन को 17.30 बजे भेजा गया। पीछे से रिलीफ लाइट इंजन जब खराब गाड़ी के समीप पहुंच रहा था, तब वह खड़ी 214 डाउन सवारी गाड़ी से टकरा गया जिसके परिणामस्वरूप दो सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। दो डिब्बे जो पटरी से उतर गए थे वह इंजन से 9वें और 10वें स्थान पर थे।

उपर्युक्त दुर्घटना के कारण, 10 व्यक्तियों (7 रेलकर्मी सहित) को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, 3 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आयीं और 4 को मामूली चोटें आयीं।

(ख) और (ग) दुर्घटनाओं के आंकड़े जोन-वार रखे जाते हैं न कि राज्य-वार पूर्व रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे पर पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित दुर्घटनाएं हुईं:

रेलवे	1998-99	1999-2000	2000-2001*
पूर्व	31	31	35
पूर्वोत्तर	23	25	37

*आंकड़े अनंतिम

(घ) और (ङ) दुर्घटना जांच समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत् एवं चालू प्रक्रिया है। ज्यादातर दुर्घटनाएं मानवीय विफलताओं के कारण होती हैं और इसलिए ये दुबारा हो सकती हैं। मानवीय विफलता के कारण दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निरीक्षण और प्रशिक्षण पर खास बल दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

एफ.टी.आई.आई. पुणे का पुनरुद्धार

3842. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान पुणे गंभीर वित्तीय संकट में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संस्थान को इस स्थिति से उबारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या ऐसे सभी संस्थानों में एक मानक पाठक्रम होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सहित ऐसे सभी संस्थानों में मानक पाठक्रम हैं जिनकी आवश्यकता पर निर्भर करते हुए समीक्षा की जाती है और इन्हें अद्यतन किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सी.बी.एफ.सी. की संरचना/सदस्यों के लिए चयन मापदंड

3843. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके सदस्यों के चयन के लिए मापदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बोर्ड में फिल्मी हस्तियों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दिशानिदेश क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) चलचित्र अधिनियम, 1952 में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त करने के बारे में कोई योग्यता अथवा विशेष चयन मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। इस बोर्ड के सदस्यों को सिनेमा क्षेत्र सहित जीवन के विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों से लिया जाता है। बोर्ड के सदस्यों के नाम और पृष्ठभूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

6.11.2001 से पुनर्गठित केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्य का नाम	क्षेत्र	व्यवसाय
1	2	3	4
1.	श्री विजय आनन्द, अध्यक्ष	मुम्बई	प्रख्यात फिल्मी हस्तियां
2.	श्री अरविंद त्रिवेदी	मुम्बई	कलाकार
3.	श्री जे.के. जौगियासी	मुम्बई	वकील
4.	श्रीमती टिना अम्बानी	मुम्बई	कलाकार
5.	श्रीमती एस.आर. पटेल	मुम्बई	लेखक
6.	श्रीमती चित्रा देसाई	मुम्बई	वकील/कवि
7.	श्री एस.आर. अशोक कुमार	चेन्नै	पत्रकार
8.	श्री वी. थिरूवेनगन्दम	चेन्नै	साहित्यकार
9.	श्री एल. सुरेश	चेन्नै	सचिव, तमिलनाडु फिल्म वितरण परिषद
10.	श्री चित्रा लक्षमण	चेन्नै	सचिव, तमिल फिल्म निर्माण परिषद
11.	श्री मनत दत्ता	कोलकाता	चार्टर्ड एकाउन्टेंट
12.	श्री रविन्द्र कुमार	कोलकाता	प्रबन्धक संपादक, स्टेट्समैन
13.	श्री श्रीनाथ	बंगलौर	कलाकार
14.	श्री बारागुरू रामचन्द्रप्पा	बंगलौर	लेखक, फिल्म निर्माता
15.	कु. शोभा करान्दलाजे	बंगलौर	सामाजिक कार्यकर्ता
16.	श्री पी. शिव कृष्णा	हैदराबाद	कलाकार
17.	सुश्री टी. विजय लक्ष्मी	हैदारबाद	सामाजिक कार्यकर्ता
18.	श्री सैय्यद फजल हुसैन परवेज	हैदराबाद	पत्रकार
19.	श्री त्रिपुरानेनी महाराधी	हैदराबाद	फिल्म लेखक
20.	श्र हेमन दास	गुवाहाटी	अभिनेता, लेखक, मंच और फिल्म निदेशक
21.	डा. रमेश प्रसाद पाणिग्रही	कटक	नाटक लेखक और कला समालोचक

1	2	3	4
22.	श्रीमती पार्वती पारिदा	कटक	सामाजिक कार्यकर्ता
23.	श्री मावेलिक्कारा रामचन्द्रन	तिरूअनंतपुरम	पत्रकार
24.	श्री ए.के. हमीद	तिरूअनंतपुरम	पत्रकार
25.	श्री राजेन्द्र मोहन	दिल्ली	सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी
26.	कु. पूर्णिमा सेठी	दिल्ली	वकील

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सड़क उपरि-पुलों का निर्माण

3844. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री चिंतामन वनगा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2000 के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से व्यस्त रेल समपारों पर उपरि-पुलों के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रेल उपरि-पुलों का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है;

(घ) सड़क उपरि-पुलों के चल रहे निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (ङ) राज्य सरकारों द्वारा पहुंच मार्ग संबंधी कार्यों के पूरा होने पर निर्भर करता है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	रेलवे का हिस्सा	राज्य का हिस्सा
1	2	3	4	5
1.	उल्हासनगर-समपार सं. 3-सी किमी. 57/9-10 के बदले सड़क ऊपरि-पुल के वाई एन-पुणे खंड	1999-00	253	226
2.	श्रीरामपुर-डी डी-एम एम आर खंड पर कि.मी. 416/11-12 पर सड़क निचला पुल	1999-00	51	51
3.	विरार-समपार सं.-40 के बदले सड़क ऊपरि पुल	1999-00	579	850
4.	चैम्बूर-सी एस टी एम-पीएन वी एल पर कि.मी. 17/23 पर एफ सी आई सर्कल पर सड़क निचले पुल को चौड़ा करना	1999-00	बी ओ टी	465
5.	बाबूपेठ-समपार सं. 44-ए के बदले डब्ल्यू आर बी पी क्यू खंड पर कि.मी. 880/45	1999-00	बी ओ टी	1030

1	2	3	4	5
6.	केडागांव-पी ए-डी डी खंड पर कि.मी. 246/23 पर समपार सं. 11 बी के बदले सड़क ऊपरि पुल	1999-00	बी ओ टी	399
7.	चालीसगांव- आई जी पी- बी एस एल खंड पर कि.मी. 324/35 पर सड़क ऊपरि पुल	1999-00	बी ओ टी	246
8.	आनंद टाकिज डब्ल्यू आर- एन जी पी खंड पर कि .मी. 835/29-31 पर सड़क ऊपरि पुल	1999-00	बी ओ टी	610
9.	पी ए-डी डी खंड पर दौंड -किमी. 265/3-4 समपार सं. 18-बी के बदले	1999-00	बी ओ टी	1723
10.	एम बी -एन एस के एक्सप्रेस वे एन ए 54/184 दिवा-वसई पर भिवांडी सड़क ऊपरि पुल	1999-00	बी ओ टी	149
11.	सी एस टी एस- के वाई एन खण्ड पर कि.मी. 31/13-14 पर कोपरी सड़क ऊपरि पुल	1999-00	निक्षेप	1273
12.	नांदेड़-पथनौर (एच)- मुदखेड़ पूर्ण खंड पर किमी 353/15-16 पर सड़क उपरिपुल	1999-00	निक्षेप	194
13.	बीमबारी-भोकर-मुदखेड़-आदिलाबाद खंड पर कि.मी. 20/4-5 पर सड़क ऊपरि पुल	1999-00	निक्षेप	120
14.	चकलताना-करमाड़-किमी. 160/5-6 (जालना-मानमाड़) पर सड़क ऊपरि पुल	1999-00	निक्षेप	0
15.	बिटावा (थाणे) सी एस टी एम- के वाई एन खंड पर कि.मी. 34/4-5 सड़क निचले पुल को चौड़ा करना	1999-00	निक्षेप	460
16.	धमनगांव - कि.मी. 709/19-21 पर सड़क ऊपरि पुल	1999-00	निक्षेप	74
17.	बुंद गार्डेन- पीए- डी डी खंड पी ए मंडल कि.मी. 192/6-7 पर पुल को चौड़ा करना	1999-00	निक्षेप	267
18.	हिंगनघाट डब्ल्यू आर -बी पी क्यू खंड पर कि.मी. 790/34-36 पर समपार सं 13/ए के बदले सड़क ऊपरि पुल	2000-01	492	648
19.	संग्रा मार्किट कि.मी 837/1 नागपुर यार्ड एन जी पी मंडल	2000-01	बी ओ टी	1260
20.	के वाई एन- एल एन एल खंड पर कि.मी. 62/14-15 पर एम आई डी सी के लिए अमरनाथ सड़क ऊपरि पुल	2000-01	निक्षेप	217
21.	कुर्डुवाडी- दौंड सोलापुर खंड पर कि.मी. 375/13-14 पर समपार सं. 38-ए के बदले सड़क ऊपरि पुल	2001-02	201	162
22.	जेवर-डी डी एच यू आर खंड पर कि.मी. 342/3-4 पर समपार सं. 33-ए के बदले सड़क ऊपरि पुल	2001-02	246	220
23.	रामवाड़ी सोलापुर वाड़ी खंड पर कि.मी. 456/0-1 पर समपार सं. 55-बी के बदले सड़क ऊपरि पुल	2001-02	258	232

1	2	3	4	5
24.	नवादा रोड-दावा पनवेल खंड पर कि.मी 60/4-5 पर समपार सं. 12-ए के बदले सड़क ऊपरि पुल	2001-02	425	600
25.	कालानगर-सी सी जी - वी आर - कालानगर सड़क ऊपरि पुल (पश्चिम एक्सप्रेस पर)-दक्षिण बांद्रा स्टेशन पर कि.मी. 14.45 बी एम आर डी के लिए चार लाइन (19.05 मी.) द्वारा सड़क ऊपरि पुल को चौड़ा करना	1985-86	निक्षेप	427
26.	चैम्बूर-सी एस टी एम -पी एन वी एल खंड पर कि.मी. 17/6-7 पर समपार - एन ए सड़क ऊपरि पुल चौड़ा करना	1994-95	निक्षेप	101
27.	बदलपुर-समपार सं. 10/बी के बदले के वाई एन एल खण्ड पर कि.मी. 66/19-20 पर सड़क ऊपरि पुल	1995-96	269	333
28.	बोरीवली स्टेशन के उत्तर में समपार सं. 33 के बदले सड़क ऊपरि पुल	1995-96	583	2108
29.	अकुर्डी-एल एन एल-पी ए खंड पर कि.मी. 172/11-12 पर सड़क ऊपरि पुल	1995-96	निक्षेप	158
30.	बम्बई-अहमदाबाद (1/12.0 मी. स्पैन) एन एच-8 पर कि.मी. 76.18 पर सड़क निचला पुल	1995-96	निक्षेप	503
31.	निफाद-आई जी पी- वी एस एल खंड पर कि.मी. 218/8-9 पर समपार सं. 99-बी के बदले सड़क ऊपरि पुल	1996-97	174	115
32.	बोईसर-पालघाट-समपार सं. 51 के बदले सड़क ऊपरि पुल	1996-97	338	1736
33.	सांताक्रुज-विलेपार्ले-समपार सं. 21 के बदले सड़क ऊपरि पुल	1996-97	609	2513
34.	कांदीविल्ली-मलाड-समपार सं. 31 के बदले सड़क ऊपरि पुल	1996-97	662	2024
35.	निम्बोला -आई जी पी वी एस एल खंड पर कि.मी 505/2628 पर समपार सं. 175 के बदले सड़क ऊपरि पुल	1996-97	96	156
36.	मूर्तिजापुर-बी एस एल वी डी खंड पर कि.मी. 62/6-7 पर समपार सं. 51 (व.ला.) के बदले सड़क ऊपरि पुल	1996-97	बी ओ टी	319
37.	सांचेति अस्पताल-शिवाजी नगर पुणे के निकट सड़क ऊपरि पुल को चौड़ा करना	1996-97	निक्षेप	86
38.	अलंकार टीकिज-पी ए डी डी खंड पर कि.मी. 191/19-20 पर पुणे के निकट सड़क ऊपरि पुल को चौड़ा करना	1996-97	निक्षेप	144
39.	चुनाभट्टी - एम बी -बी आर खंड पर कि.मी. 13/12-13 पर समपार सं. 1-एच बी के बदले सड़क ऊपरि पुल	1997-98	128	176
40.	संवड़ी- एम बी -बी आर खंड पर कि.मी 7/3-4 पर समपार सं. 7-ए के बदले सड़क ऊपरि पुल	1997-98	195	521
41.	विकरोली-एम बी- थाणे खंड पर कि.मी. 22/11-12 पर समपार सं. 14 सी के बदले सड़क ऊपरि पुल	1997-98	242	337

1	2	3	4	5
42.	भायन्दर-समपार सं. 35 के बदले सड़क ऊपरि पुल और पैदल ऊपरि पुल को रैम्प के साथ 5 मीटर चौड़ा करना	1997-98	495	1580
43.	अम्बाड नाका (परभनी-मनमाड खंड पर) दीना-जालना के बीच कि.मी. 174/14-15 पर समपार सं. 77 के बदले सड़क ऊपरि पुल	1997-98	निक्षेप	138
44.	कुर्ला-सांताक्रुज चैम्बूर लिंक रोड़ क्रासिंग रेलपथ	1997-98	निक्षेप	3590.2
45.	स्टेनवैक नगर सी एस टी एम-के वाई एन खंड पर कि.मी. 19/13-14 पर सड़क ऊपरि पुल	1997-98	निक्षेप	857
46.	पी ए-एम आर जे खंड पर कि.मी. 11/11-12 पर समपार सं. 9 के बदले फ़रसंगी में सड़क ऊपरि पुल	1998-99	बी ओ टी	110
47.	ए डब्ल्यू वी जालना रोड पर मनमाड-परभनी खंड पर कि.मी. 161/2-3 पर समपार सं. 71 के बदले सेलगांव में सड़क ऊपरि पुल	1998-99	बी ओ टी	665
48.	एम एम आर -टी बी एन खंड पर कि.मी 52/1-2 पर समपार सं. 22 के बदले रोटेगांव में सड़क ऊपरि पुल	1998-99	बी ओ टी	260
49.	पी ए- एम आर जे खंड पर कि.मी. 58/9-10 पर समपार सं. 20 के बदले जेजूरी में सड़क ऊपरि पुल	1998-99	बी ओ टी	120
50.	कि.मी. 289/11-12 पर समपार सं. 121ई के बदले परभनी के निकट कि.मी. 289/7-9 के निकट सड़क ऊपरि पुल	1998-99	बी ओ टी	110
51.	ए डब्ल्यू वी -जालना रोड पर मनमाड-परभनी खंड पर कि.मी. 133/7-8 पर समपार सं. 61 के बदले लडगांव में सड़क ऊपरि पुल	1998-99	बी ओ टी	803
52.	एम आर जे- के ओ पी खंड पर कि.मी. 31/11-12 पर समपार सं. 20 के बदले इचलकरंजी में सड़क ऊपरि पुल	1998-99	बी ओ टी	70
53.	विवेकानंद नगर-डब्ल्यू आर- बी पी क्यू खंड पर कि.मी 872/16-17 पर समपार सं. 40ए के बदले सड़क ऊपरि पुल	1998-99	निक्षेप	275
54.	टडाली मेन-डब्ल्यू आर-बी पी क्यू खंड पर कि.मी. 860/14-15 पर समपार सं. 38ए के बदले	1998-99	बी ओ टी	820
55.	चन्द्रपुर-डब्ल्यू आर -बी पी क्यू खंड पर कि.मी. 875/6-7 पर समपार सं. 41ए के बदले	1998-99	बी ओ टी	1000
56.	नौगांव-नैगांव एम एस आर डी सी सड़क ऊपरि पुल	1998-99	बी ओ टी	0
57.	वी आर-एस टी समपार सं. 41 के बदले सड़क ऊपरि पुल विरार (रा.लो.नि.वि.)	1998-99	बी ओ टी	

1	2	3	4	5
58.	ए डब्ल्यू बी जालना बाई पास रोड मनमाड़-परभनी खंड पर कि.मी. 1 पर ममपार, संख्या 5 के बदले जालटा में सड़क ऊपरि पुल	1998-99	बी ओ टी	800
59.	मी एस टी एम- के वाई एम खंड पर कि.मी. 18/15-16 पर घाटाकोपर में मौजूदा सड़क ऊपरि पुल को चौड़ा करना	1998-99	निक्षेप	176
60.	पिम्परी-चिंचवाड, एल एल-पी ए खंड पर किमी. 175/12-13 पर सड़क ऊपरि पुल को चौड़ा करना	1998-99	निक्षेप	242
61.	मी एस टी एम-के वाई एन खंड पर कि.मी. 51/16-17 पर कल्याण (पैट्री पुल) सड़क ऊपरि पुल	1998-99	निक्षेप	308

[अनुवाद]

सांस्कृतिक संगठनों को निधियां

3845. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न संगठनों को आबंटित निधियों की उपयोगिता पर नजर रखने के लिए कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सांस्कृतिक संगठनों को आबंटित निधियों का दुरुपयोग होने संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच की गई है; और

(ङ) इसका क्या निष्कर्ष निकला है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

स्मारकों को संरक्षण हेतु राज्य सरकारों को सौंपना

3846. श्री कोलूर बसवना गौड़: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार और अन्य राज्य सरकारों की ओर से अपने-अपने राज्यों के ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण और रख-रखाव की अनुमति देने के लिए कानूनों में संशोधन करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग का आमान परिवर्तन

3847. श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री भेरूलाल मीणा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 300 किलोमीटर लम्बे अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़ रेलमार्ग के आमान-परिवर्तन का काम पूरा न होने का कारण बजट प्रस्तावों में की गई निधियों की अपर्याप्तता बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलमार्ग को पूरा करने के लिए निधियां कब तक उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) अजमेर-चितौड़गढ़-उदयपुर के आमान परिवर्तन का कार्य चरणों में शुरू

कर दिया गया है। चितौड़गढ़ और उदयपुर के बीच पहले चरण का कार्य प्रगति पर है। धन की उपलब्धता के अनुसार आने वाले वर्षों में यह कार्य पूरा किया जाएगा।

यात्रा विराम संबंधी नियम

3848. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1000 या इससे अधिक किलोमीटर की यात्रा करने वाले यात्री, यात्रा विराम के बाद उसी टिकट पर आगे की यात्रा कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे समय-सारणी में इससे संबंधित जानकारी प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'यात्रा विराम' संबंधी नियमों में कोई परिवर्तन किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) संगत सूचना 'रेल गड़ियां-एक दृष्टि में' तथा क्षेत्रीय रेलों की समय-सारणी में मुद्रित की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आगरा मंडल की स्थापना

3849. श्री राज बब्बर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो वर्ष पहले रेल मंत्री ने आगरा में मध्य रेल के मंडल कार्यालय की आधारशिला रखी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कल्पित परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी राशि का बजट रखा गया है; और

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित आगरा मंडल के क्षेत्रीय परिसीमन को अंतिम रूप दे दिया गया है। बहरहाल, अभी तक इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

(ग) इस मंडल की स्थापना पर अब तक 39.67 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और वर्ष 2001-02 के दौरान 50 लाख रुपए मुहैया कराए गए हैं।

(घ) आगरा मंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम संख्या में कर्मचारियों के सहित एक विशेष कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। निवेशीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्रस्तावित आगरा मंडल धीरे-धीरे कार्य करना शुरू कर देगा। इस समय समय-सीमा तय करना संभव नहीं है।

साइडिंग प्रबंधन

3850. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड/जोन/मंडल रेल कार्यालय साइडिंग की सूची और सहायक साइडिंग, आदि हेतु प्रयुक्त भूमि के स्वामित्व संबंधी समग्र रिकार्डों का रखरखाव करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1994-99 के दौरान निर्मित और काम में लाई जा रही 76 साइडिंग्स में से केवल 27 साइडिंग्स पर ही अनुमानित मात्रा में माल की लदाई-उतराई हो रही है और इससे प्रत्याशित राजस्व में 550 करोड़ रुपये तक का घाटा हो सकता है;

(ग) क्या 1994-95 से 1998-99 की अवधि में साइडिंग स्वामियों पर भूमि के प्रयोग रोलिंग स्टॉक आदि के 180 करोड़ रुपये बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो रेल विभाग में साइडिंग प्रबंधन के पुनर्गठन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। मंडल और क्षेत्रीय मुख्यालयों में रखे जाने वाले साइडिंग रजिस्ट्रार/भूमि रजिस्ट्रार में सहायता प्राप्त/निजी साइडिंगों के सभी आवश्यक रिकार्ड शामिल होते हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) रेलवे बोर्ड यह सुनिश्चित करने कि सभी साइडिंगों का प्रबंधन कार्यकुशल तरीके से हो, आवश्यक उपाय कर रहा है। सितंबर, 2000 में बोर्ड ने एक व्यापक परिपत्र जारी किया था जिसमें निमाण चरणों में पहले, के दौरान और बाद में साइडिंग/प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसियों के बारे में दिशानिर्देश शामिल थे।

अल्जीरियाई प्रमुख की यात्रा

3851. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अल्जीरियाई प्रमुख ने भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच किस प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) अल्जीरिया की पीपल्स नेशनल आर्मी के स्टाफ प्रमुख ने 'सद्भावना यात्रा' के तौर पर 7 से 12 नवंबर, 2001 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पेट्रोल और रसोई गैस एजेंसियों की संख्या में वृद्धि

3852. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और रसोई गैस के मौजूदा डीलरों/एजेंटों/वितरकों का कम्पनीवार और जिलावार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष इन उत्पादों की अनुमानित मांग क्या थी और इनकी आपूर्ति कितनी रही; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन उत्पादों की अनुमानित मांग कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत 1738 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप, 742 एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिप और 765 एक पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत थीं।

(ख) वर्ष 2001-02 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा एल पी जी के लिए अनुमानित मांग नीचे दी गई है:

	वर्ष 2001-02 के लिए संशोधित अनुमान* (आंकड़े टी एम टी में)
पेट्रोल	7049
डीजल	37100
मिट्टी तेल	10462
एल.पी. जी.	7864

*इसमें निजी पक्षकारों द्वारा आयात/बिक्रियां शामिल हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पम्पों का आबंटन

3853. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान कितने नए पेट्रोल/डीजल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन प्रस्तावित/पम्पों/रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन में बेरोजगार स्नातकों को वरीयता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) पिछली विपणन योजनाओं से लम्बित स्थानों के अलावा खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए 3 स्थानों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशियों के लिए 19 स्थान उड़ीसा राज्य के लिए 1999-2000 की विपणन योजना में सम्मिलित कर लिए गए हैं। विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों के संबंध में तेल कम्पनियों द्वारा समय-समय पर विज्ञापन दिया जाता है और डीलर चयन बोर्डों द्वारा डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार

किया जाता है। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू होने में आमतौर पर 6-12 महीने लगते हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन में बेरोजगार स्नातकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

3854. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार प्राकृतिक गैस की कितनी अनुमानित मात्रा है;

(ख) क्या तमिलनाडु में गैस पाइपलाइन लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा प्रचालित जमीनी क्षेत्रों के अंतर्गत प्राकृतिक गैस भंडारों की अनुमानित मात्रा 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार 307.36 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है।

राज्यवार ब्यौरा निम्नवत् है:

राज्य	प्राकृतिक गैस भंडार (बीसीएम)
गुजरात	89.49
राजस्थान	4.24
असम	125.31
त्रिपुरा	24.10
नागालैंड	0.12
आंध्र प्रदेश	39.65
अरुणाचल प्रदेश	2.50
तमिलनाडु	21.94

(ख) और (ग) तमिलनाडु के अंतर्गत कावेरी बेसिन में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा लगभग 120 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क पहले ही प्रचालन के तहत है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नई पाइपलाइनों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	नई परियोजना का ब्यौरा
1.	कावेरी बेसिन चरण-2	12'' के जरिए आकार 4'' से कुल 15.8 कि.मी. पाइपलाइन तथा सहबद्ध सुविधाएं सीडीडी (टीएनईबी पेरूंगलम): 30.4.2002
2.	पीपीएन विद्युत संयत्र के लिए पाइपलाइन	18'', 36 कि.मी. पाइपलाइन कोथालम जीजीसी से पीपीएन विद्युत संयंत्र सीडीडी तक: 1.7.2002 एफबी
3.	कावेरी बेसिन कराइकल क्षेत्र	6'' के जरिए आकार 4'' से कुल 19 कि.मी. पाइपलाइन तथा निम्नांकित उपभोक्ताओं के लिए सहबद्ध सुविधाएं: (1) सुन्दर राजा मिल्स सीडीडी (15.7.2002) (2) रीजेन्सी सेरामिक्स सीडीडी (15.7.2002) (3) एमएम स्टील्स सीडीडी (15.12.2002)

जहां तक निजी/संयुक्त उद्यमों का संबंध है अपतटीय गैस क्षेत्र पीवाई-1 की प्रचालक विगत दो वर्षों से क्षेत्र से गैस की आपूर्ति के विषय में विभिन्न गैस उपभोक्ताओं, जिनमें तमिलनाडु विद्युत बोर्ड भी शामिल है, के साथ समझौता वार्ता कर रही है। योजना क्षेत्र के विषय में निर्णय किसी गैस बिक्री करार को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् लिया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में विद्युत परियोजनाएं

3855. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात की मौजूदा विद्युत परियोजनाओं और उनकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान वास्तविक कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकार को गुजरात में विद्युत आपूर्ति और मांग में भारी अंतर होने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार गुजरात में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों के साथ कुछ व्यवस्था करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) गुजरात में मौजूदा विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे, उनकी संस्थापित क्षमता और 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान विद्युत उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) अप्रैल-नवम्बर, 2001 के दौरान गुजरात में विद्युत आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है:

ऊर्जा (एमयू नेट)

जरूरत	–	34670
उपलब्धता	–	30819
कमी	–	3851
%	–	11.1

व्यस्ततमकालीन (एमडब्ल्यू नेट)

व्यस्ततमकालीन मांग	–	7894
व्यस्ततमकालीन आपूर्ति	–	6700
कमी	–	1194
%	–	15.1

(घ) और (ङ) गुजरात पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से 50 मेवा विद्युत ले रहा है। राज्य ने 100 मेवा व 50 मेवा विद्युत खरीद के लिए क्रमशः छत्तीसगढ़ रा.वि. बोर्ड व पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ द्विपक्षीय करार भी किए हैं।

विवरण

गुजरात में 1999-2000 और 2000-01 के दौरान केन्द्र-वार क्षमता और विद्युत उत्पादन

केन्द्र का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	विद्युत उत्पादन (मि.यू)	
		1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
जीईबी थर्मल			
राज्य क्षेत्र			
धुव्रण	534	2358	2350
उकाई	850	4444	5382
गांधीनगर (1-4)	660	3110	3330
वनाकोबोरी (1-6)	1260	9105	8916
सिक्का	240	960	1098
कच्छ लिग्नाइट	215	964	965
उत्तरान जीटी	135	1057	720
धुव्रण जीटी	27	131	137

1	2	3	4
जल विद्युत			
उकाई	305	24	19
कदाना	242	188	-
निजी क्षेत्र			
जीएसईसीएल			
गांधीनगर-5	210	1293	1348
वनाकबोरी-7	210	844	1535
ए.ई. कंपनी	390	2804	2827
वटवा जीटी	100	599	538
एस्सार	515	1268	558
जीआईपीसीएल-7	312	1935	1231
गुजरात पावरजेन इलेक्ट्रिक कंपनी	655	3863	2482
सूरत लिग्नाइट	250	133	1303
केन्द्रीय क्षेत्र*			
काकरापारा(न्यूक्लीयर)	440	3395	3504
कवास सीसीजीटी	644	4788	4697
गांधार सीसीजीटी	648	2282	2791

*केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों में गुजरात का हिस्सा निम्नानुसार है-
काकरापारा एपीएस - 28.41%
कवास सीसीजीटी - 28.55%
गांधार सीसीजीटी - 36.05%

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पंप/एल.पी.जी. डीलरशिप का आबंटन

3856. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में आबंटित पेट्रोल पंप/एल.पी.जी. डीलरशिप की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पंप/एल.पी.जी. डीलरशिप के आबंटन हेतु वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000

और 2000-2001 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में 22 खुदरा बिक्री डीलरशिपें और 31 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई थीं।

ऐसा निश्चित लक्ष्य/समय-सीमा बताना संभव नहीं है जब तक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित किए जाने की संभावना है क्योंकि डीलरों डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन की प्रक्रिया में विज्ञापन का जारी करना, आवेदनों की जांच, डीएसबीज द्वारा साक्षात्कार, गुणावगुण नामावलियां तैयार करना, क्षेत्र की जांच करना, आशय-पत्र जारी करना आदि शामिल हैं।

कुप्रबन्धन

3857. श्री रघुनाथ झा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्राधिकारियों की घोर लापरवाही जैसे कि कोचों को समय पूर्व ही बेकार घोषित करने से रेलवे को होने वाली राजस्व हानि से अवगत है;

(क) किसी कोच की औसत कार्यसाधक आयु कितनी है और कितने कोचों को उनकी निर्धारित कार्य साधक आयु से पहले ही बेकार घोषित कर दिया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी 1999 की 9वीं रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या रेलवे में कुप्रबन्धन के कारण रेलवे की अनेक परियोजनाएं जैसे मीटर/छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पिछड़ गया है; और

(च) यदि हां, तो जनता के लाभ के लिए रेलवे के प्रबन्धन को सुधारने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) सवारी डिब्बों को नकारा करने का निर्णय यात्रियों द्वारा कुशल उपयोग के लिए सुरक्षित परिचालन स्तर का बनाए रखने के लिए अपेक्षित मरम्मत और इनपुट की सीमा पर निर्भर करता है और जहां ऐसे इनपुटों को मुहैया करना वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं होता है, वहां सवारी डिब्बों के नकारा करने का निर्णय लिया जाता है। यद्यपि अधिकतर सवारी डिब्बे 25 वर्ष की अपनी जीवट आयु पूरी करने के बाद इस स्थिति में पहुंचते हैं तथापि कुछ मामलों में जहां सवारी डिब्बे दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं अथवा जिनमें अत्यधिक जंग लग जाता है, उन्हें समय से पूर्व नकारा करना अपरिहार्य हो जाता है। ऐसे सभी निर्णय तकनीकी और वित्तीय दोनों दृष्टि से सभी स्तरों पर पर्याप्त जांच करने के बाद ही लिए जाते हैं। जीवट आयु पूरी होने से पूर्व नकारा किए गए सवारी डिब्बों की संख्या नीचे दी गई है:

आमान	1999-2000	2000-01
ब.ला.	350	246
मी.ला.	35	70
छो.ला.	2	1

(ग) और (घ) जी हां। इस संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत कर दी गई है जिसमें भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिए गए अनुसार सवारी डिब्बों के समय से पूर्व नकारा करने के तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

(ङ) और (च) जी नहीं। बहरहाल, बड़ी संख्या में चालू परियोजनाओं के बकाया होने और संसाधनों की तंगी के कारण परियोजनाओं का कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चल रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंप/एल.जी.पी. एजेंसियों के आबंटन में विकलांगों को आरक्षण

3858. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1998 से 1 नवंबर, 2001 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किए गए कुल आबंटन में से विकलांग व्यक्तियों को कुल कितने पेट्रोल पंप/एल.पी.जी. एजेंसियों का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मिलावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार ने किसी पेट्रोल पंप के विरुद्ध इथानोल मिश्रित तेल के बजाय किरोसीन मिश्रित तेल बेचने के लिए कोई कार्रवाई की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा 1.1.1998 से 1.11.2001 तक की अवधि के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी (शा.वि.) के तहत 84 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 103 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित की गई हैं।

(ख) मिट्टी तेल सहित ऐसे अनेक अपमिश्रक हैं जिनका पेट्रोल तथा डीजल की मिलावट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। पेट्रोल के साथ मिट्टी तेल का मिश्रण करने का कोई मामला विशेष सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) तेल विपणन कंपनियों ने मिलावट का पता लगाने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों की आवधिक/औचक जांच की प्रणाली निकाली है। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में स्थापित मिलावट रोधी प्रकोष्ठ भी मिलावट की जांच करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करता है।

(घ) जब कभी मिलावट का कोई मामला तेल विपणन कंपनियों की जानकारी में आता है, गलती करने वाले डीलर के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों तथा/अथवा डीलरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेल लाइनों का निर्माण

3859. श्रीमती हेमा गमांग: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में 1000 वर्ग कि.मी. में 19 कि.मी. रेल मार्ग की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 1000 वर्ग कि.मी. में 14 कि.मी. रेल मार्ग है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मंत्रालय द्वारा अगले तीन वर्षों में राष्ट्रीय औसत का स्तर प्राप्त करने के लिये वर्ष 2001-2002 में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्तमान में किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रेल मार्ग की लम्बाई राष्ट्रीय औसत से कम है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) नवीनतम उपलब्ध आकड़ों के अनुसार (31.3.2001 को) उड़ीसा राज्य में प्रति 1000 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल राष्ट्रीय औसत 19.17 रेलवे मार्ग कि.मी. की तुलना में 14.83 रेलवे मार्ग कि.मी. है।

(ख) और (ग) रेलवे की योजना राज्य-वार नहीं बनाई जाती है। यातायात की आवश्यकताओं के मद्देनजर और सामरिक/सामाजिक जरूरतों के आधार पर रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। उड़ीसा राज्य में कई नई लाइन निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर हैं और जब उनका निर्माण पूरा हो जाएगा तो लगभग 800 कि.मी. लंबा अतिरिक्त मार्ग कि.मी. उपलब्ध हो जाएगा। बहरहाल, इन कार्यों का समापन भावी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) वे राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र जिनका इस समय रेलवे मार्ग कि.मी राष्ट्रीय औसत से कम है, निम्नलिखित हैं:

1. आंध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. छत्तीसगढ
4. गोवा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू एवं कश्मीर
7. कर्नाटक
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. मणिपुर
11. मिजोरम
12. नागालैंड
13. राजस्थान
14. त्रिपुरा
15. उत्तरांचल।

भारतीय आयुध फैक्ट्री सेवा और रक्षा लेखा सेवा में आरक्षित पद

3860. श्री राशिद अलवी:
श्री आर.एल. जालप्पा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आयुध फैक्ट्री सेवा और भारतीय रक्षा लेखा सेवा में अनु.जा., अनु.जन.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षित क्रमश: 15%, 7.5%, और 27% पदों पर उनका प्रतिनिधित्व इस स्तर तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय आयुध फैक्ट्री सेवा वर्ग 'क' में स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इन पदों पर अनु.जा., अनु.ज.जा. अ.पि.व. और सामान्य श्रेणी के कितने-कितने व्यक्ति कार्यरत हैं तथा डी.ओ.पी.टी. के 2 जुलाई 1997 के पत्रांक ओ.एम.नं. 36012/2/96 इस्टा. रेस. के पैरा 5 के अनुसार 2 जुलाई, 1997 को इन पदों पर कार्यरत इन व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001 के दौरान कितनी नई रिक्तियां हुईं और इन रिक्तियों/पदों पर नियुक्त किये गये अनु.जा., अनु.जन.जा., अ.पि.व. और सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) भारतीय आयुद्ध निर्माणी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व क्रमश: 16% और 2.5% है। भर्ती की अवस्था में अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में कमी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण है।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व विहित स्तर तक पहुंच गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में यह दोनों सेवाओं में जुलाई, 1997 से आगे होने वाली रिक्तियों के विहित स्तर तक पहुंच गया है।

(ग) 1760 पद।

(घ) और (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2 जुलाई 1997 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित ब्यौरा इस प्रकार है

श्रेणी	भारतीय आयुध निर्माणी सेवा		भारतीय रक्षा लेखा सेवा	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अनुसूचित जाति	218	16	73*	17.7
अनुसूचित जनजाति	34	2.5	21	5.1
अन्य पिछड़ा वर्ग	15	1	00	-
सामान्य	1184	80.5	318	77.2

*इसमें अनुसूचित जनजाति के वे 10 पद शामिल हैं जिन्हें पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति में परिवर्तित किया गया है।

भारतीय आयुध निर्माणी सेवा और भारतीय रक्षा लेखा सेवा के संबंध में 1997 से 2001 तक वर्षवार अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:

भारतीय आयुध निर्माणी सेवा

वर्ष	हुए रिक्त पद	भरा गया			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ष	सामान्य
1	2	3	4	5	6
1997	36	5	2	6	23
1998	106	4	3	6	93

1	2	3	4	5	6
1999	81	20	6	10	45
2000	36	5	2	9	20
2001	48	9	5	14	20

भारतीय रक्षा लेखा सेवा

वर्ष	हुए रिक्त पद	भरा गया			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
1997	20	3	2	5	10
1998	20	3	2	5	10
1999	12	2	1	3	6
2000	10	1	-	4	5
2001	12	2	1	3	6

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

3861. श्री निहाल चन्द चौहान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आमान-वार कितनी नई मीटर/बड़ी रेल लाइनों के निर्माण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या श्रीगंगानगर से सरूपसर तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान चौदह बड़ी लाइन परियोजनाएं थीं जिन्हें पूर्णत:/अंशत: पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) से (घ) जी नहीं। बहरहाल, परियोजना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3862. श्रीमती रेणुका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में से 30% पद रिक्त पड़े थे;

(ख) यदि हां, तो इन रिक्तियों को भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और आज की तिथि में ऐसे रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च न्यायालय-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की आवश्यकता के संबंध में कोई विवाद रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्ट न्यायाधीशों को हटाने के लिये प्रभावी प्रणाली विकसित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के अनुमोदित पदों की संख्या 647 हैं। तारीख 1 अप्रैल, 2001 को उच्च न्यायालयों में 181 पद रिक्त थे। 1 अप्रैल-12 दिसंबर, 2001 के दौरान (1) 35 न्यायाधीशों की अधिवर्षिता, (2) एक न्यायाधीश की मृत्यु, और (3) तीन न्यायाधीशों की भारत के उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के कारण विभिन्न उच्च न्यायालयों में 39 पद रिक्त हुए। किंतु उसी अवधि के दौरान 55 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तारीख 12 दिसंबर, 2001 को न्यायाधीशों के 165 स्वीकृत पद रिक्त थे।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों को भरा जाना एक निरंतर चलने वाली और सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच एक परामर्शी प्रक्रिया है। यद्यपि, विद्यमान रिक्त पदों को शीघ्रतापूर्वक भरने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं, तथापि, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति या उनके उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के कारण पद रिक्त होते रहते हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय में अधिकथित की गई है। इस प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है।

सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के बारे में सिफारिशें करने और आचार संहिता बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने के विचार के लिए प्रतिबद्ध है।

लोक सभा सीटों की संख्या यथावत रखने संबंधी 91वां संशोधन विधेयक

3863. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 2026 तक लोक सभा सीटों की संख्या यथावत रखने संबंधी 91वां संशोधन विधेयक, 2000 को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक को कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ग) इस विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या इस विधेयक को संसद में पुर:स्थापित करने से पहले सभी राष्ट्रीय दलों की राय ले ली गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000, जो तारीख 27.11.2000 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था, लोक सभा द्वारा तारीख 21.8.2001 को और राज्य सभा द्वारा तारीख 23.8.2001 को पारित किया गया था। उक्त विधेयक के संबंध में अब संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त करने से पूर्व राज्य विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

मंदौर एक्सप्रेस दुर्घटना

3864. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में घटित मंदौर एक्सप्रेस दुर्घटना में मारे गये और घायल हुये व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार प्रभावित यात्रियों को क्षतिपूर्ति देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) 15.10.2001 को उत्तर रेलवे के जोधपुर मंडल में 2461 अप दिल्ली-जोधपुर मंडोर एक्सप्रैस के पटरी से उतरने के कारण हुई दुर्घटना में एक यात्री की मृत्यु हुई, गाड़ी का ड्राइवर गम्भीर रूप से घायल हुआ और दो यात्री मामूली रूप से घायल हुए।

(ख) और (ग) जी हां। मृतक के निकट संबंधी को 15,000 रु., ड्राइवर को 5000 रु. और प्रत्येक घायल यात्री को 500 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। रेल दावा अधिकरण द्वारा डिक्री के अनुसार मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी हां। उत्तरी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक के साथ निर्माण लागत को वहन करना

3865. श्री सलीम आई. शेरवानी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कर्नाटक के लिए कोई नई परियोजना शुरू करने को तैयार है बशर्ते कि राज्य सरकार परियोजना लागत का एक तिहाई शेयर वहन करने पर सहमत हो;

(ख) यदि हां, तो पारस्परिक वहन करने के आधार पर शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार इन परियोजनाओं पर आने वाली लागत के हिस्से को वहन करने के लिए तैयार हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के लिए स्थायी केन्द्र

3866. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के लिए नई दिल्ली में स्थायी केन्द्र बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फिल्मोत्सव के लिए अन्यत्र स्थायी केन्द्र बनाने पर भी विचार किया गया;

(घ) यदि हां, तो उक्त केन्द्र के दावे को नकार देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का फिल्मोत्सव को विभिन्न राज्यों की राजधानियों में कराने हेतु पुन: विचार करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सफाई प्रणाली

3867. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन रेलवे प्लेटफार्मों का ब्यौरा क्या है जहां मशीनीकृत सफाई प्रणाली शुरू की गई है;

(ख) ऐसी कौन सी प्रणाली है जो रेलवे को कम खर्च में बेहतर सफाई का प्रबंध करती है;

(ग) उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 2001 के दौरान मशीनीकृत सफाई प्रणाली शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) स्टेशनों पर मशीनीकृत सफाई प्रणाली शुरू करने पर आने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रक्षा उत्पादन में लगे श्रमिक

3868. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न आयुध कारखानों की रक्षा उत्पादन इकाइयों में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं और इन पर कितना वार्षिक खर्च आता है; और

(ख) कितने मूल्य का वार्षिक उत्पादन किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) दिनांक 1 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 1,37,324 थी जिनमें से 93,113 औद्योगिक कामगार थे। वर्ष 2000-2001 के दौरान कुल 1764.94 करोड़ रुपए व्यय हुए थे जिसमें से 930.32 करोड़ रुपए औद्योगिक कामगारों को भुगतान किए गए थे।

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए मूल्य के रूप में वार्षिक उत्पादन 7224.11 करोड़ रुपए था।

जगाधरी वर्कशाप का आधुनिकीकरण

3869. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे के जगाधरी वर्कशाप का आधुनिकीकरण 43.53 करोड़ रुपए की लागत से किया गया;

(ख) क्या यह वर्कशाप समय-समय पर किए जाने वाले ओवर हाल कार्य की समय सीमा में कमी करने और उत्पादन क्षमता तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। आवधिक ओवरहालिंग की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और कारखाने की उत्पादकता में भी बढ़ोत्तरी हुई है। सवारी डिब्बों के आधुनिकीकरण के पश्चात् ओवरहालिंग कार्य की समय-सीमा में भी कमी आयी है। माल डिब्बों के ओवरहालिंग कार्य में भी समय सीमा को इसके पहले के स्तर पर ही बरकरार रखा गया है जबकि आधुनिकीकरण में किए गए इनपुटों के परिणामस्वरूप केवल आवधिक मरम्मत संबंधी अनुसूची में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नगांव-सिलहट और मोइबाबेरी रेल सेवा को बंद किया जाना

3870. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नगांव-सिलहट और मोइबाबेरी रेल सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उस क्षेत्र के लोगों और वहां के व्यापार और कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों सहित उनके विधानमंडलों तथा अन्य प्रतिनिधि निकायों में उनके प्रतिनिधियों ने सरकार से इस संबंध में विरोध जताया है और सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की संचोआ-नगांव-सिलघाट टाउन (मीटर लाइन) और हैबरगांव-मैराबारी (मीटर लाइन) लाइनें अलाभप्रद लाइनें हैं। कम आमदनी और उच्च परिचालनिक लागत एवं इस क्षेत्र में पर्याप्त सड़क परिवहन सेवाओं की उपलब्धता के दृष्टिगत वर्ष 1999 में इन लाइनों को बंद करने का विनिश्चय किया गया था।

(ग) और (घ) कुछ माननीय सदस्य सदस्यों से इन शाखा लाइनों को बनाए रखने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। चूंकि उपर्युक्त खंडों में गाड़ी परिचालन अर्थक्षम प्रस्ताव नहीं है, अत: तद्नुसार माननीय संसद सदस्यों को सूचित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

रेकों की बुकिंग

3871. श्री अशोक अर्गल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रतलाम रेल मंडल ने "रेक" की बुकिंग केवल उद्योगों के लिए आरक्षित कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 2000 से रेक के मामले में प्रति सप्ताह आरक्षण मिल रहे हैं;

(ग) क्या रतलाम मंडल द्वारा उक्त आरक्षण के लिए हेंडलिंग एजेंट नियुक्त किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त एजेंटों के साथ कितनी अवधि का अनुबंध किया गया है और रतलाम मंडल में ये एजेंट कब से कार्य कर रहा है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पी.आर.एस. रेल आरक्षण प्रणाली

3872. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पी.आर.एस. रेल आरक्षण प्रणाली का उन्नयन करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत पी.आर.एस. शुरू की जाएंगी;

(ग) क्या घाटकोपर, चेम्बूर और मुलुण्ड स्टेशनों पर शुरू की गई नई पी.आर.एस. का जोरदार स्वागत हुआ है;

(घ) क्या रेलवे ने इन तीनों स्टेशनों की तर्ज पर इसका विस्तार करने की योजना बनाई है;

(ङ) क्या दैनिक यात्रियों की मांग पर मध्य रेलवे के मानखुर्द और अन्य उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर ऐसी पी.आर.एस. शुरू की जाएंगी;

(च) यदि हां, तो कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू करने के लिए क्या नीति और प्रणाली अपनाई गई है; और

(छ) पी.आर.एस. के विस्तार हेतु वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के लिए क्या बजटीय प्रावधान या कार्य-योजना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) यात्री आरक्षण प्रणाली को ग्रेडोन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है। आरक्षण से संबंधित पर्याप्त कार्य भार वाले प्रमुख/महत्वपूर्ण स्थानों, पर्यटक महत्व और जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्षों में चरणबद्ध आधार पर यात्री आरक्षण प्रणाली सुविधा मुहैया कराए जाने की योजना है जो धन की उपलब्धता तथा राज्य सरकारों से प्राप्त सहायता पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) साधारणतया यात्री आरक्षण प्रणाली सुविधा का यात्रियों द्वारा स्वागत किया जाता है और रेलवे द्वारा इसकी नियमित आधार पर विस्तार किए जाने की योजना है।

(ङ) मानखुर्द रेलवे स्टेशन से 8 कि.मी. दूर वाशी में एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र की व्यवस्था की गई है। मानखुर्द में और उसके आस-पास रहने वाले दैनिक यात्री वाशी स्थित यात्री आरक्षण प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। दादर और भायखला में यात्री आरक्षण प्रणाली मुहैया कराने का कार्य चल रहा है।

(च) नई यात्री आरक्षण प्रणाली नीति के अनुसार आरक्षण से संबंधित 100 संव्यवहार अथवा अधिक वाले स्थानों, सभी जिला मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण स्टेशन और पर्यटक केन्द्र यात्री आरक्षण प्रणाली सुविधाओं के लिए अहर्क होंगे बशर्ते धन उपलब्ध हो और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त हो।

(छ) यात्री आरक्षण प्रणाली के विस्तार के लिए वर्ष 2001-02 में 4.21 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2002-03 के लिए बजट प्रावधान पर निर्णय 2002-03 का रेल बजट प्रस्तुत करते समय दिया जाएगा।

पटना में रेल टिकटों की कालाबाजारी

3873. श्री राजो सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार पटना, दानापुर में और वाराणसी में रेल आरक्षण कार्यालयों पर रेल टिकटों की खुल्लमखुल्ला कालाबाजारी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) पटना, दानापुर और वाराणसी आरक्षण कार्यालयों में रेलवे टिकटों की खुले-आम कालाबाजारी नहीं हो रही है। बहरहाल, समय-समय पर कुछ घटनाएं नोटिस में आती हैं। इस बुराई पर अंकुश रखने के लिए आरक्षण कार्यालय और उसके इर्द-गिर्द वाणिज्यिक और सतर्कता विभाग द्वारा पुलिस के साथ मिलकर नियमित और अचानक जांचें की जाती हैं। पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून और संबद्ध नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

मछुआरों का उत्पीड़न

3874. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई बंदरगाह के तट रक्षक और अधिकारी वहां मछली पकड़ने वाले गरीब मछुआरों को उत्पीड़ित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) तटरक्षक द्वारा मछुआरों के उत्पीड़न का कोई मामला नहीं हुआ है। बल्कि, तटरक्षक भारतीय मछुआरों की समुद्र में मुसीबत के समय जान बचाने के लिए खोज तथा बचाव कार्य कर उनकी सहायता करता है। तटरक्षक स्थानीय मछुआरों के सुरक्षा संबंधी पहलुओं तथा अन्य सामुद्रिक मामलों में शिक्षित करने के लिए सामुदायिक विचार-विमर्श कार्यक्रम भी नियमित आधार पर चलाता है।

मेडारा समुदाय के संबंध में अध्ययन

3875. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग को आन्ध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में निवास करने वाले मेडारा समुदाय के लोगों के संबंध में अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में मेडारा समुदाय के सम्बन्ध में सामाजिक-आर्थिक अध्ययन करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया था।

असम में डिगबोई के निकट रेल पटरी पार कर रहे हाथियों का कुचला जाना

3876. श्री वाई.वी. राव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 908 यात्री सवारी गाड़ी ने असम में डिगबोई के निकट रेल पटरी को पार कर रहे कुछ हाथियों को कुचल डाला था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना में कुल कितने हाथी मारे गए थे; और

(ग) इस घटना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। पूर्वोत्तर सीमा के तिनसुकिया मंडल के लेडो-तिनसुकिया-डिबरूगढ़ खंड के डिग्बोई और तिनगराई स्टेशनों के बीच 15.11.2001 को 908 डाउन पैसेंजर गाड़ी हाथियों के झुण्ड से टकराने के बाद पटरी से उतर गई।

(ख) इस घटना में 7 हाथियों की मृत्यु हो गई।

(ग) इस घटना में किसी भी रेल कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है क्योंकि यह हाथियों के झुण्ड द्वारा अचानक रेलपथ पार करने का मामला है।

पेट्रोनेट के अंतर्गत बनाई गई पाइपलाइनें

3877. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोनेट के अंतर्गत देशभर में बनाई जा रही या बनाई जाने वाली विभिन्न पाइपलाइनों की स्थिति क्या है;

(ख) अब तक किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) पेट्रोनेट के अंतर्गत इस परियोजना की कुल लागत क्या है;

(घ) क्या बाजार में मंदी की स्थिति से यह परियोजना अलाभप्रद बन गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना की प्रस्तावित समीक्षा का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विभिन्न पाइपलाइन परियोजनाओं की वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन दीर्घावधिक आपूर्ति/मांग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तथा पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड द्वारा इसका पुनरीक्षण विभिन्न सुसंगत घटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

विवरण

पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसीज) के माध्यम से निम्नलिखित पाइपलाइन परियोजनाएं निर्मित की जा रही हैं/निर्मित करने की योजना है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जेवीसीज द्वारा अब तक किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)	कुल अनुमानित व्यय (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति (30 नवंबर, 2001 की स्थिति के अनुसार)
1.	वादीनार-कांडला पाइपलाइन	353.07	383.00	सिक्का-कंडला पाइपलाइन खंड चालू किया गया।
2.	कोच्चि-कोयम्बतूर-करूर पाइपलाइन	272.77	380.00	की गई वास्तविक प्रगति 97.9 प्रतिशत है।
3.	मंगलौर-हासन-बंगलौर पाइपलाइन	381.32	666.70	की गई वास्तविक प्रगति 88.28 प्रतिशत है।
4.	चेन्नई-त्रिची-मदुरै पाइपलाइन	5.85	470.00	वन अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है और विभिन्न सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं।
5.	पारादीप-राउरकेला पाइपलाइन	–	581.10	ईआईए/आरए अध्ययन, विस्तृत मार्ग सर्वेक्षण और कैडेस्ट्राल सर्वेक्षण जैसे परियोजना पूर्व क्रियाकलाप पूरे कर लिए गए हैं।
6.	बीना-झांसी-कानपुर पाइपलाइन	–	576.50	क्रियान्वयन बीना में प्रस्तावित मध्य भारत रिफाइनरी के क्रियान्वयन से जुड़ा है।
7.	मध्य भारत पाइपलाइन	0.82	2221.30	विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित हो गई है। पूर्वार्हता प्रलेख 'बूट कंसेशनेयर' की पूर्वार्हता के लिए पक्षकारों को जारी कर दिया गया है।

पनडुब्बियों के स्पेयर पार्टों की खरीद

3878. श्री प्रभुनाथ सिंह :
प्रो. आई.जी. सनदी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10 सितंबर, 2001 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नौसेना द्वारा पनडुब्बियों के स्पेयर पार्टों की ऊंचे दामों पर खरीद के मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्ष किया हैं और इन निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 35 रुपए के स्पेयर पार्ट डी-(08)बी. क्रिएटल को नौसेना अधिकारियों ने ऊंचे दामों पर खरीदा था; और

(घ) सरकार द्वारा रक्षा सौदों की खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी नहीं की है। तथापि, जारी जांच-पड़ताल के तहत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जून 2001 में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संगत धाराओं के अंतर्गत दिल्ली तथा विशाखापट्टनम में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नौसेना के एक अफसर और निम्नलिखित फर्मों का उल्लेख किया गया है:-

(1) मैसर्स मशीनरी सेल्स कार्पोरेशन

(2) मैसर्स डायनाट्रान सर्विसेज

(3) मैसर्स मकालू कंसल्टिंग इंजीनियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड

(4) मैसर्स एच.सी. सप्लाइज डिवीजन

(5) मैसर्स चिदाम्बरम शिपकेयर (प्राइवेट) लिमिटेड

(6) मैसर्स एस.जी. मार्केटिंग सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड।

नौसेना मुख्यालय ने सूचित किया है कि उद्धृत किया गया मूल्य 35/- रु. सही नहीं है। मूल उपस्कर विनिर्माता की मूल्य-सूची के अनुसार मद की कीमत 415 अमरीकी डालर (वार्ता के समय 1 डालर = 32/- रु. की दर से 13,288/-रु.) है।

रक्षा अधिप्राप्तियां सरकार द्वारा अनुमोदित निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती हैं।

सी.बी.आई. द्वारा जांच

3879. श्री अरुण कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान इसके जांच के लिए दर्ज ऐसे कुल कितने मामले हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उच्चाधिकारी/मुख्य कार्यकारी शामिल हैं;

(ख) क्या सी.बी.आई. को कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सी.ओ.एन.सी.ओ.आर.) के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तथाकथित कार्यकारी सी.बी.आई. की जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन मामलों का ब्यौरा/परिणाम क्या है जिनकी जांच की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क)

वर्ष	1999	2000	2001 (4.10.2001 तक)
दर्ज किए गए मामलों की संख्या	11	10	12

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सी.बी.आई. ने कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की हैं जिसमें कंपनी पर ठेकेदारों को रीच स्टेकर खरीदने के लिए गैर-कानूनी ढंग से वित्त पोषित करने और एक फर्म का सरकारी रूप से अनुचित पक्ष लेने के तरीकों से भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। जांच-पड़ताल के दौरान दोनों शिकायतों में अन्तर्विष्ट आरोप सिद्ध नहीं हो सके। हाल ही में पूर्व में जांच की गई दो शिकायतों में से एक शिकायत की कॉपी प्राप्त हो गयी है, जिसमें इसी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, जिनकी सी.बी.आई. द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

नए टिकट आरक्षण काउन्टरों का खोला जाना

3880. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के अंतर्गत कुछ रेलवे स्टेशनों पर टिकट आरक्षण के नए काउन्टरों को खोलने के लिए कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सुविधाएं कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) जी हां। फरवरी, 2002 के अन्त तक मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के बडनेरा, मलकापुर और बुरहानपुर में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र की व्यवस्था किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

ऋण-पत्र की धन वापिसी के संबंध में शिकायत

3881. श्री अनंत गुढ़े : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लॉयड्स फाइनेन्स, उषा इस्पात और पाम फार्मा द्वारा ऋण-पत्र की धन वापसी की प्रक्रिया और इनके ब्याज के भुगतान में चूक करने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल कितनी राशि के भुगतान में चूक हुई है इसका ब्यौरा क्या है और इससे कितने छोटे निवेशक प्रभावित हुए हैं;

(ग) इन कम्पनियों के प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) कम्पनियों द्वारा जनता के साथ की गई भारी वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध दण्डात्मक रूप से क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 117ख(4) और 117ग(4) एवं (5) डिबेंचर न्यासियों और डिबेंचरधारकों को डिबेंचर राशि और उस पर ब्याज के लौटाए जाने की चूक होने के मामले में कम्पनी विधि बोर्ड के पास आवेदन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। अभी तक, कम्पनी विधि बोर्ड को मै. लायड्स फाईनेंस, मै. उषा इस्पात और मै. पाम फार्मा के संबंध में कोई आवेदन/याचिका प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

तेल के भंडारों की खोज

3882. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां देश में तेल के अनुमानित भंडारों से और आगे तेल भंडारों का पता लगाने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप तेल का पता लगाने पर आने वाली लागत में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस पर होने वाले अनुमानित खर्च में से कितनी राशि खर्च हो चुकी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान तेल निकालने के कार्य पर अनुमानत:/वास्तविक रूप से कितनी धनराशि खर्च हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) दो अपस्ट्रीम राष्ट्रीय तेल कंपनियां (एन.ओ.सीज.) अर्थात् आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) और आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) देश में तेल और गैस की खोजों के लिए योजनाओं में यथाव्यवस्थित निवेश करती हैं। 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इन एन.ओ.सीज के लिए तेल और तेल समतुल्य गैस की खोज की प्रति मीट्रिक टन लागत क्रमश: 385-450 रुपये और 220-430 रुपये की श्रृंखला में थी।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन पर उक्त दो एन.ओ.सीज. का वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वास्तविक व्यय
अन्वेषण	
1999-2000	1751
2000-2001	1722
उत्पादन	
1999-2000	6645
2000-2001	6736

रांची में एल.पी.जी. की एजेंसियों का आबंटन

3883. **श्री राम टहल चौधरी :**
प्रो. दुखा भगत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिल्स मार्केट के अंतर्गत रांची एल.पी.जी. की स्थानवार कितनी एजेंसियां आवंटित की गईं;

(ख) किन नियमों के तहत हिल्स मार्केट के अंतर्गत गैस एजेंसियां आवंटित की गई हैं; और

(ग) हिल्स मार्केट के अंतर्गत रांची में कितनी एजेंसियां आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन से संबंधित मानदंड में कोई अंतर नहीं है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों की 18 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें रांची में प्रचालन कर रही हैं तथा विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत 5 और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रस्तावित हैं।

[अनुवाद]

समिति के द्वारा पाये गये अप्रासंगिक कानून

3884. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री मान सिंह पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित समिति ने कुछ कानूनों को अप्रासंगिक पाया है और इसकी सूचना सरकार को दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने कुल कितने कानूनों को अप्रासंगिक बताया है;

(ग) क्या सरकार ने इन असंगत कानूनों को निरसित करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की रिक्तियों को अनारक्षित किया जाना

3885. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि डी.ओ.पी.टी. के 25 अप्रैल, 1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/88-स्था. (एस.सी.टी.) जो कि 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी था और जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर रोक लगाने के बावजूद बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित करके इन्हें अन्यों द्वारा भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय, उसके अन्तर्गत आने वाले सभी उपक्रमों, स्वायत्त और सांविधिक संगठनों और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले संबद्ध कार्यालयों में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 1 अप्रैल, 1989 से आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित कर अन्य लोगों से भरा गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टिकट आरक्षण में दलाल/अनधिकृत ट्रेवल एजेन्ट

3886. श्री सुरेश चन्देल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेल टिकटों के आरक्षण में लिप्त दलालों और अनधिकृत ट्रेवल एजेन्टों द्वारा उत्पन्न की गयी समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या इस गैर-कानूनी कार्य में रेल अधिकारियों की दलालों के साथ सांठ-गांठ है; और

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक जोन द्वारा कितने छापे मारे गये और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) हां।

(ख) से (घ) अनधिकृत टिकटों की बिक्री की बुराई को समाप्त करने के लिए वाणिज्यिक और सतर्कता विभाग द्वारा सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों के आरक्षण कार्यालयों में और उसके आस-पास नियमित और औचक जांच की जाती है, व्यस्त अवधि के दौरान

दलालों के खिलाफ अभियान चलाने में पुलिस को भी शामिल किया जाता है और महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाती है। किसी रेलवे कर्मचारी के कदाचार में शामिल पाए जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2000 और चालू वर्ष (दिसम्बर तक) के दौरान जोन-वार मारे गए छापों की संख्या नीचे दी गई है।

रेलवे	2000	2001
मध्य	2729	2405
पूर्व	2573	2030
उत्तर	1626	1009
पूर्वोत्तर	3230	2681
पूर्वोत्तर सीमा	1082	1025
दक्षिण	8971	6118
दक्षिण-मध्य	3999	2870
दक्षिण-पूर्व	1695	1158
पश्चिम	6485	4840
कुल	32390	24136

ओ.एन.जी.सी. और गेल (जी.ए.आई.एल.) का लाभ

3887. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. और गेल (जी.ए.आई.एल.) को एशिया की मुख्य लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में तेल उत्पादन और उसकी खोज कार्य में जुड़ी सरकारी क्षेत्र की कुछ अन्य कंपनियां भी अत्यधिक लाभ अर्जित कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक कंपनी द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) अपस्ट्रीम तथा मिडस्ट्रीम क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) जैसे आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी), गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के द्वारा अर्जित लाभ इन उपक्रमों के द्वारा किए गए निवेश, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी तथा इनके द्वारा काम पर लगाए गए मावन संसाधनों के समानुपाती हैं। इन तीनों सार्वजनिक क्षेत्रों की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, जिसमें एशिया भी शामिल है, में अपनी निजी स्थिति है। इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने पिछले दो वर्षों के दौरान इनके द्वारा अर्जित लाभों की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान अपेक्षाकृत अधिक लाभ अर्जित किए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा अर्जित लाभ निम्नवत् है:

कंपनी	वर्ष	निवल लाभ (करोड़ रुपये में)
ओएनजीसी	1998-99	2754.49
	1999-00	3629.47
	2000-01	5228.78
गेल	1998-99	1059.92
	1999-00	861.27
	2000-01	1126.16
ओआईएल	1998-99	291.60
	1999-00	409.79
	2000-01	467.36

[अनुवाद]

मुंबई में सेन्ट्रल उपनगरीय स्टेशनों पर दुर्घटनाएं

3888. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान मुंबई में सेन्ट्रल उपनगरीय स्टेशनों में दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान अब तक मुलुंद, चैम्बूर, घाटकोपर, गोवान्डी में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेल लाइनों को पार करते समय कितनी दुर्घटनाएं हुईं; और

(घ) रेल विभाग ने क्या सुरक्षात्मक कदम उठाये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) 2001-02 (नवम्बर तक) के दौरान मुंबई में मध्य रेलवे के उपनगरीय स्टेशनों पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है। चालू वर्ष में (नवम्बर तक) दुर्घटनाओं की संख्या 3 रही है। जो पिछले वर्ष (नवम्बर तक) हुई दुर्घटनाओं के बराबर है। वर्ष 2001-02 (नवम्बर तक) में मुलुंद, चेम्बूर अथवा गोवंडी स्टेशनों पर कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। इन तीन दुर्घटनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	तारीख/स्थान	कि.मी.	संक्षिप्त विवरण	कारण	उत्तरदायी विभाग
1.	18.7.01 विखरौली-घाटकोपर	19/6	रेल डोली का 1326 अप पुणे-मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पैसेंजर गाड़ी के इंजन से टक्कर	डोली को रखते समय इंजीनियरी कर्मचारी पर्याप्त एहतियात बरतने में विफल रहे थे।	इंजी. विभाग
2.	26.10.01 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस	-	6339 डाउन मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-नागरकोईल एक्सप्रेस के एक सवारी डिब्बे का पटरी से उतरना	जांच की जा रही है।	-
3.	30.11.01 दीवा-थाणे	34/14	6010 अप चेन्नै-मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक्सप्रेस के सबसे पिछले एस एल आर का पटरी से उतरना	पहिया डिस्क का टूटना	यांत्रिक (सवारी और मालडिब्बा)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के कारण तथा रेल पथों को पार करते समय मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों से संबंधित आकड़े नीचे दिए गए हैं।

	छत्रपति शिवाजी-कुर्ला टर्मिनस		कुर्ला-कल्याण		कल्याण-करजत		करजत-कसार		हार्बर लाइन		जोड़	
	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल
1999	15	138	15	213	1	56	-	22	14	169	45	598
2000	20	119	23	194	-	38	7	22	25	180	75	553
2001 (अक्तू. तक)	32	84	26	145	2	18	-	28	45	149	105	424

(घ) यात्रियों को फुटबोर्डों पर असुरक्षित यात्रा करने, ऊपरी पैदल पुल का उपयोग किए बिना रेल पथ पार करने आदि के खतरों के बारे में सार्वजनिक सूचनाओं, विभिन्न स्थानों पर इश्तहार लगाकर और समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में रडियो/टीवी कार्यक्रमों के जरिए सचेत किया जाता है।

चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति

3889. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों के दिसम्बर, 1999 में हुए सम्मेलन में प्रशासन/प्रशासनिक ढांचे के उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के अभाव की निराशाजनक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त चयन बोर्डों/समितियों में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को शामिल करने हेतु इनके गठन में समुचित संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए वर्तमान अनुदेशों में किए गए संरचनात्मक/संवैधानिक संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय के अंतर्गत तीन वर्षों के दौरान उक्त पदों पर कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए; और

(घ) इन व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का वर्षवार प्रतिशत क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) दिसम्बर, 1999 के दौरान अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अयोजित संसद सदस्यों के सम्मेलन के बाद जारी की गई सिफारिशों के सारांश में मंत्रालय शामिल नहीं है।

(ख) मंत्रालय मूलत: एक वैज्ञानिक मंत्रालय है और लचीली पूरक योजना के अंतर्गत आता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा समूह 'ख' और 'ग' के केन्द्रीय सचिवालय पदों को नियंत्रित किया जा रहा है। वे इन समूहों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकों आदि को आयोजित करते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समूह 'क' के पद नियंत्रित किए जा रहे हैं। समूह 'क', 'ख' और 'ग' के कुछ राजभाषा पदों को राजभाषा विभाग द्वारा शासित किया जा रहा है। यह मंत्रालय केवल वैज्ञानिक पदों और समूह 'घ' पदों का नियंत्रण कर रहा । प्रवेश स्तर पर वैज्ञानिक पद के लिए भर्ती कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निदेशों के अनुसार की जा रही है। वैज्ञानिक पदों की पदोन्नति लचीली पूरक योजना के अंतर्गत स्वस्थाने आधार पर की जाती है। चयन समिति के सदस्यों की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। समूह 'घ' पदों में भर्ती एवं प्रोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार की जा रही है।

(ग) और (घ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विनिर्देशों के अनुसार पदोन्नतियों पर विचार करने के लिए जब कभी समिति गठित की गई है एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया गया है।

माल-भाड़े की वसूली

3890. डा. वी. सरोजा:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री पी. मोहन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग को माल लदान के पश्चात् माल भाड़े की वास्तविक वसूली के बिना बुक की गयी खेपों के संबंध में "भुगतान के लिए" के स्थान पर "भुगतान की गयी" रेल प्राप्तियों को जारी करने की अनियमित प्रथा के कारण 1995-2000 के दौरान 21 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या यह कार्य अब भी जारी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं, बहरहाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2001 की रिपोर्ट सं. 9 (रेलवे) के पैरा 3.1.2 में "टू पे" रेलवे प्राप्तियों के स्थान पर "पेड" जारी किए जाने के कारण 20.42 करोड़ रुपए की राशि के "टू पे" अधिभार की वसूली न होने का उल्लेख किया गया है इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है और वर्तमान नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय रेलों की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। बहरहाल, जब ऐसा मामला नोटिस में आता है, रेलों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार माल भाड़ा प्रभारों की वसूली करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं और दोषी कर्मचारी के विरुद्ध रेलवे अनुशासन एवं अपील नियमों के अतंर्गत कार्यवाही की जाती है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद

3891. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और विभागों में नि:शक्त/शरीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार कितने पद आरक्षित किए गए हैं;

(ख) इन श्रेणियों के कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ग) ऐसे आरक्षित पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में पिछले तीन वर्षों के दौरान नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किया गया है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की स्वीकृत स्टाफ संख्या 397 है जिसमें समूह क, ख, ग एवं घ शामिल हैं। इसमें से केन्द्रीय सचिवालय से संबंधित 127 स्टाफ जिनके संवर्ग का नियंत्रण विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा आरक्षण रोस्टर आदि का रखरखाव किया जा रहा है। समूह 'क' के अधिकारियों के 13 पदों का नियंत्रण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' में 5 पदों का नियंत्रण किया जा रहा है। इस मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण केवल वैज्ञानिक और समूह 'घ' पदों पर ही है। इस मंत्रालय में कुछ पृथक (संवर्ग-बाह्य) पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाते हैं किंतु पदों के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं है।

(ख) आज की स्थिति के अनुसार दो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं, एक समूह 'ग' में और एक समूह 'घ' में।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड

3892. श्री महेश्वर सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में रह रहे भाखड़ा,बांध से विस्थापित हुए व्यक्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड से जल लेने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने जल लेने की अनुमति प्रदान नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो क्या विस्थापित व्यक्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल लेने के लिए सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त करने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो अनुमति कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) भाखड़ा के आसपास 6 गांवों को पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम तैयार की थी। 1994 में भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीवीएमबी) ने व्यय का अनुपातिक हिस्सा वहन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था। स्कीम को पूरा कर लिया गया है और बीवीएमबी ने इस संबंध में अपनी सभी प्रतिबद्धताएं पूरी कर ली हैं। उक्त गांवों को पीने योग्य जल की आपूर्ति के अलावा, बीवीएमबी ने गोबिन्द सागर से 38.8 क्यूसेज और नांगल तालाब से 19.64 क्यूसेक पानी लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।

(ग) से (ङ) जलाशय के आसपास के व्यक्तियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए गोबिन्द सागर जलाशय से पानी लेने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई नया प्रस्ताव बीवीएमबी के पास लंबित नहीं है।

बड़ी विद्युत परियोजनाओं पर प्रति गारंटी

3893. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़ी विद्युत परियोजनाओं पर प्रति-गारंटी देने हेतु सरकार की क्या नीति है;

(ख) इस संबंध में क्या न्यूनतम दर निर्धारित की गयी है; और

(ग) किस आधार पर मूल्य निर्धारित किये गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) सरकार को मेगा विद्युत परियोजनाओं को प्रति-गारंटी प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

सामान की ढुलाई

3894. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वस्तुओं की मुख्य मदों को रेल यातायात द्वारा ढोने में वृद्धि/कमी आने से संबंधित कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सड़क परिवहन में वृद्धि होने के कारण मालभाड़े का कितना नुकसान हुआ है;

(ग) सड़क परिवहन की प्रतियोगिता की चुनौती का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए तैयार की गयी/प्रस्तावित रणनीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में किस कार्रवाई योजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया है?

ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं। यद्यपि रेल, ढोए गए यातायात का व्यापक रिकार्ड रखती हैं लेकिन ऐसे आंकड़े रोडवेज द्वारा नहीं रखे जाते हैं। रोडवेज द्वारा ढोए गए यातायात के संबंध में उपलब्ध नवीनतम अनुमान वर्ष 1997-98 से संबंधित हैं जो 1997-98 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल माल यातायात संचलन का 60% है—तदनुसार 40% सामान की प्रमुख मदों की ढुलाई रेल द्वारा होने का अनुमान लगाया गया है। चूंकि सड़क पर यातायात के मौजूदा स्तर के संबंध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क परिवहन के पक्ष में गए रेलवे के हिस्से का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) और (घ) सड़क की तुलना में माल यातायात में रेलों का हिस्सा बढ़ाने से संबंधित नीतियों में भारतीय रेल के उच्च घनत्व वाले नेटवर्क पर लाइन तथा टर्मिनल संबंधी क्षमता को पर्याप्त और समयबद्ध तरीके से बढ़ाना तथा उपयुक्त विपणन प्रयासों के जरिए उच्च मूल्य वाले फुटकर यातायात को पुन: प्राप्त करना शामिल है। मालभाड़ टैरिफ संरचना को युक्तियुक्त बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। और अधिक यातायात को आकर्षित करने के लिए की-गई-कार्रवाई में निम्नलिखित उपाए शामिल हैं:-

(1) फुटकर तथा उच्च दर वाले सामान्य कार्गो को पुन: प्राप्त करने की दृष्टि से कॉनकोर (भारतीय कंटेनर निगम) के घरेलू प्रभाग द्वारा कॉनट्रेक नामक नई सेवा शुरू करना।

(2) वाल्यूम डिस्काउंट स्कीम जैसे प्रोत्साहन उपलब्ध कराना।

(3) लोकप्रिय मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों पर सामान वाहन (एस.एल.आर.) में माल अग्रेषकों को मार्ग पट्टे पर देने की पेशकश।

(4) समय सारणीबद्ध पथों पर चलने वाले उच्च क्षमता वाले पार्सल वैनों पर सहस्राब्दी पार्सल एक्सप्रेस विकल्प तैयार करना।

(5) यातायात को आकर्षित करने के लिए विपणन प्रयास के रूप में मौजूदा रेलवे टर्मिनलों पर माल गोदामों की सुविधा।

(6) जहां कहीं टर्मिनल सेवादाता लंबी दूरी के लिए रेलवे को सकल भार की पेशकश करता है। वहां संभार सेवाओं में लगे निजी टर्मिनलों की संकल्पना शुरू करना।

(7) माल ढुलाई में रोल-ऑन रोल-आफ (आर.ओ.-आर.ओ.) की नई संकल्पना का विस्तार करना। द्वार से द्वार सामान इकट्ठा करने और इसकी सुपुर्दगी करने की व्यवस्था करने के लिए ट्रकों को सपाट माल डिब्बों पर रेल द्वारा ढोया जाएगा और गंतव्यों पर माल डिब्बों से उतारा जाएगा। इसे कोंकण रेलवे पर सफलतापूर्वक शुरू किया गया है।

(8) निर्धारित समय अनुसूची की मालगाड़ियां चलाना तथा टर्मिनल संबंधी परिचालन।

(9) सभी क्षेत्रीय रेलों पर स्थापित किए जाने वाले ग्राहक सेवा कक्षों के जरिए माल परेषणों की बुकिंग, संचलन तथा सुपुर्दगी के संबंध में ग्राहकों को वास्तविक सूचना उपलब्ध कराने के लिए 'मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली (एफ.ओ.आई.एस.)' शुरू करना।

(10) माल यातायात की तेजी से ढुलाई करने के लिए तेज रफ्तार से चलने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के पीछे बनने वाले अनुगामी पथ का उपयोग करना। उच्च मूल्य वाली चुनिंदा वस्तुओं और नश्य सामानों की शीघ्रातिशीघ्र ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए संरक्षा संबंधी पर्याप्त पूर्वापायों के साथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियों के पीछे तेज रफ्तार वाली माल गाड़ियों को चलाने की योजना बनाई जा रही है।

[हिन्दी]

शोधनशालाओं में डी-सल्फराइजेशन संयंत्रों की स्थापना

3895. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीजल में सल्फर की मात्रा को 0.5 प्रतिशत की सीमा से 0.25 प्रतिशत तक लाना सुनिश्चित करने के लिए अब तक

किन-किन शोधनशालाओं में डीजल सल्फर हाइड्रो-डी-सल्फराइजेशन संयंत्रों को आरंभ किया गया है; और

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकार द्वारा इन संयंत्रों की स्थापना पर कितनी राशि व्यय की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) निम्नांकित सार्वजनिक क्षेत्र रिफाइनरियों ने डीजल के अंतर्गत अधिकतम 0.25 प्रतिशत यूनिट तक गंधक अंश को पूरा करने के लिए लगभग 5567 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत लागत पर डीजल हाइड्रो डि-सल्फराइजेशन संयंत्र चालू कर दिए हैं:-

रिफाइनरी :

आईओसी	–	गुजरात
आईओसी	–	पानीपत
आईओसी	–	मथुरा
आईओसी	–	हल्दिया
बीपीसीएल	–	मुंबई
सीपीसीएल	–	मणाली
केआरएल	–	कोच्चि
एचपीसीएल	–	मुंबई
एचपीसीएल	–	विजाग

[अनुवाद]

खराब डिब्बों का उपयोग

3896. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 40614 बड़ी लाइन और 7331 मीटर लाइन रेलडिब्बों का उपयोग हो रहा है और 1414 बड़ी लाइन और 1329 मीटर लाइन रेलडिब्बों को असुरक्षित और सुरक्षा संकट के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से घोषित किये गये खराब रेलडिब्बों का उपयोग करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन खराब रेलडिब्बों को सुरक्षित रेलडिब्बों में कब तक बदल दिया जायेगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं, 31.3.2001 तक भारतीय रेलवे के पास 32141 बड़ी लाइन और 5030 मीटर लाइन मुख्य लाइन के डिब्बे हैं। सेवा में अनुरक्षित डिब्बों की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

लक्जरी रेलडिब्बों का आयात

3897. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-लखनऊ, शताब्दी एक्सप्रेस के लिए जर्मनी से लक्जरी रेल डिब्बों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए भी ऐसे लक्जरी रेल डिब्बों का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जर्मनी की मैसर्स एलस्टॉम एल एच बी से 24 वातानुकूलित सवारी डिब्बे आयात किये गए हैं। इन सवारी डिब्बों का आयात प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ किया गया है ताकि उन्नत अभिकल्प वाले इन सवारी डिब्बों का निर्माण रेलों की उत्पादन इकाइयों में किया सके। इन एल एच बी सवारी डिब्बों को प्रारम्भ में लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में लगाया गया है।

(ख) सरकार की भविष्य में ऐसे सवारी डिब्बों को आयात करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि ऐसे सवारी डिब्बों का निर्माण स्वदेश में ही किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

राजस्व अर्जन

3898. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल विभाग द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान राजस्व अर्जन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने की कोई संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) राजस्व अर्जन के लक्ष्य जैसा कि बजट 2001-02 में परिकल्पना की गई है और अक्तूबर 2001 के अन्त तक अर्जित राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

	लक्ष्य	अक्तूबर 2001 के अन्त में
यात्री यातायात से आमदनी	11,387	6,387
अन्य कोचिंग से आमदनी	850	473
माल आमदनी	25,235	13,803
फुटकर आमदनी*	1,717	393
कुल यातायात आमदनी	39,189	21,065

*फुटकर आमदनी में अन्य बातों के साथ-साथ (1) रेलवे भूमि और ऊपरी स्थान के वाणिज्यिक दोहन से 200 करोड़ रुपए (2) वाणिज्यिक प्रचार से 100 करोड़ रुपए और (3) आप्टिक फाइबर केबल बिछाने के लिए मार्गाधिकार पट्टे पर देने से 700 करोड़ रुपए की परिकल्पना की गई है।

(ग) से (ङ) यद्यपि यात्री और अन्य कोचिंग की स्थिति पर्याप्त संतोषजनक है तथापि माल और फुटकर आमदनियों में कमी आ सकती है।

रेलों का माल लदान एक व्युत्पन्न मांग है जो महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले यातायात पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण यातायात की मांग में कमी आई है। रेलों ने परिवहन के अन्य साधनों से यातायात आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। इन उपायों में कम दूरी के थोक यातायात को आकर्षित करने के लिए वाल्यूम डिस्काउंट स्कीम का विस्तार करना, स्टेशन से स्टेशन दर स्कीम का उदारीकरण करना, मैरी गो राउंड (एम जी आर) प्रणाली के संबंध में नई नीति तैयार करना शामिल है।

भूमि के विभिन्न उपयोगों अर्थात् भूमि को पट्टे पर/लाइसेंस पर देने, शापिंग, वृक्षारोपण, मछली पालन आदि से गैर-परम्परागत आमदनी के संबंध में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विभिन्न एजेंन्सियों और उद्योगों के साथ सम्पर्क के साथ-साथ स्थल की कीमत का पुनर्मूल्यांकन और नए स्थलों की पहचान करके वाणिज्यिक प्रचार से आमदनी में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल, आप्टिक फाइबर केबल बिछाने के लिए मार्गाधिकार से 700 करोड़ रुपए की प्रक्षेपित आमदनी मार्गाधिकार की कीमत कम होने और मार्गाधिकार वार्षिक पट्टा आधार पर दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर देने की रेलवे की योजना के कारण फलीभूत न होने की संभावना है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद के लिए सर्कुलर ट्रेन

3899. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ रेल निर्माण कार्य अर्थात् अहमदाबाद सिटी के लिए सर्कुलर ट्रेन, अहमदाबाद में स्वतंत्र मंडल, भावनगर-तारापुर रेलमार्ग इत्यादि को यद्यपि सरकार द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था, तो भी इन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गुजरात की विभिन्न लंबित रेल परियोजनाओं को परियोजना-वार कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) अहमदाबाद में मंडल कार्यालय केवल स्वीकृत कार्य है। अहमदाबाद सिटी, भावनगर-तारापुर रेल लाइन के लिए सर्कुलर रेलवे स्वीकृत कार्य नहीं है।

(ख) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण अहमदाबाद मंडल कार्यालय की प्रगति धीमी है।

(ग) सभी स्वीकृत रेल परियोजनाएं उनकी सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संपर्क अधिकारी

3900. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन कुछ विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय/सरकारी क्षेत्र और स्वायत्तशासी संगठन/निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के मामले में सरकार के निर्देशों के उचित पालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संपर्क अधिकारियों को नामित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे अधिकारियों/संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनके मंत्रालय के अधीन, 'प्रशासनिक इकाइयों' के रूप में कार्य करने वाले संगठनों/अधिकारियों की कुल संख्या क्या है, जो स्थापना और कर्मचारी वर्ग के मामलों को देखते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार उक्त निर्दिष्ट पदों के लिए कितने संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी नहीं। यह सच नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय के अंतर्गत तीन संगठन/कार्यालय हैं जो 'प्रशासनिक इकाइयों' के रूप में स्थापना एवं कर्मचारी वर्ग के मामले को देखते हैं। तीन में से एक संगठन अभी अपनी स्थापना के प्रारंभिक चरण में है।

(घ) इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यालयों/संगठनों के लिए आज की तारीख में उल्लिखित पदों के लिए चार संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं।

चीन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

3901. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने बीजिंग में स्थित अपने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) जी, हां। एक सेना का तथा एक नौसेना का अर्थात् दो अधिकारी बीजिंग में प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं। भारत ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।

रूट रिले इन्टरलोकिंग

3902. डा. रामचन्द्र डोम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गया में रूट रिले इन्टरलोकिंग पर आठ वर्षों के व्यपगत होने के बाद भी 10.35 करोड़ रुपये का निवेश नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य को कब तक पुन: आरम्भ और पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) सिगनलिंग गियरों के बदलाव के भाग के रूप में गया में रूट रिले अन्तर्पाशन का प्रावधान परिचालन और अनुरक्षण के सुधार/सरलीकरण करने के उद्देश्य से किया गया था। अतिरिक्त परिचालनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए गया यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी यथा प्लेटफार्म की लम्बाई बढ़ाने, अतिरिक्त क्रास ओवर और गया और मानपुर के बीच तीसरी आसन्न लाइन। यार्ड रिमॉडलिंग योजना को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है। रूट रिले अन्तर्पाशन का कार्य यार्ड के रिमॉडलिंग का कार्य पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा और इसे 30.6.2003 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

इसी बीच, रूट रिले अन्तर्पाशन कार्य के लिए खरीदी गई सामग्री के एक बड़े भाग को अन्य स्वीकृत कार्यों को पूरा करने में उपयोग कर लिया गया है।

[हिन्दी]

दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संगोष्ठियां

3903. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए रेल विभाग द्वारा समय-समय पर संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001 के दौरान आयोजित की गई संगोष्ठियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संगोष्ठियों में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संगोष्ठियों में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2001 के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर आयोजित संरक्षा संगोष्ठियों की संख्या नीचे दी गई है:-

रेलवे	आयोजित संगोष्ठियों की संख्या
मध्य	100
पूर्व	418
उत्तर	2392
पूर्वोत्तर	651
पूर्वोत्तर सीमा रेल	123
दक्षिण	125
दक्षिण मध्य	298
दक्षिण पूर्व	148
पश्चिम	115
जोड़	4370

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय रेलों के विभिन्न स्थलों पर संरक्षा कोटि के मुख्य कार्मिकों के साथ दुर्घटना के कारणों से कर्मचारियों को अवगत कराने हेतु संरक्षा संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, ताकि भविष्य में इसी प्रकार की होने वाली दुर्घटना में संरक्षा से संबंधित कर्मचारी शामिल न हों। भारतीय रेलों पर संगोष्ठियां आयोजित किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। इन संगोष्ठियों के दौरान कर्मचारियों द्वारा सुझाव दिए जाते हैं और व्यावहारिक होने पर इन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत संयंत्रों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बेचा जाना

3904. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराजसिंह चौहान :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने कुछ विद्युत संयंत्रों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कराण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को वर्षवार कितना घाटा हुआ;

(घ) दिनांक 30 नवम्बर, 2001 तक विभिन्न संगठनों पर कितनी बकाया धनराशि देय है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) राज्य विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता और वर्तमान क्षमता क्या है; और

(च) इन राज्यों में विद्युत उत्पादन और विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन और निजीकरण में हुए घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यूपीएसईबी) के दो विद्युत केन्द्रों को उसकी पुरानी बकाया राशियों के भुगतान के रूप में निम्न ब्यौरों के अनुसार अपने हाथ में ले लिया है।

क्र.सं.	विद्युत स्टेशन के नाम	क्षमता (मेवा)	अधिग्रहण की तारीख	से लिया गया
1.	ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन	420	13.2.1992	यूपीएसईबी
2.	टान्डा थर्मल पावर स्टेशन	440	14.1.2000	यूपीएसईबी

एनटीपीसी द्वारा मध्य प्रदेश रा.वि. बोर्ड (एमपीएसईबी) को हाथ में नहीं लिया गया है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान यूपीएसईबी एवं एमपीएसईबी द्वारा वार्षिक लेखों के आधार पर बिना सब्सिडी के वर्षवार हानियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य विद्युत बोर्ड के नाम (एसईबीज)	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	753.01	1606.72	195.88
2.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1547.97	1546.91	1743.34

(घ) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार विभिन्न रा.वि. बोर्डों/राज्यों की बकाया राशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण राज्य अपनी बकाया राशियों का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं।

(ङ) देश में रा.वि. संयंत्रों की स्थापित क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) रा.वि. बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए इन बोर्डों का आमूल सुधार शुरू किया गया है और इस दिशा में उठाए गए कदमों में शामिल हैं-

(1) वितरण सुधार

- देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय वितरण सुधार योजना/परियोजना।
- वितरण नीति समिति निजीकरण पर दिशा-निर्देश तैयार कर रही है।
- पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण शुरू किया है।
- 11 केवी फीडरों तक का मीटरीकरण एवं वाणिज्यिक गणना और समयबद्ध रूप से सभी उपभोक्ताओं के मीटरीकरण का कार्यक्रम तैयार किया गया है।
- रा.वि. बोर्डों द्वारा के.वि. क्षेत्र उपक्रमों के बकाया राशियों के एकमुश्त भुगतान पर विचार-विमर्श किया गया है।
- सुधार प्रक्रिया में गति लाने तथा वर्तमान कानूनों के प्रावधानों में एकरूपता लाने के लिए लोक सभा में विद्युत विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया गया है।

विवरण-I

31.10.2001 के अनुसार बकाया

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड/राज्य	बकाया		
		मूल	प्रभार	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश (एपीट्रांस्को)	9154	12053	21207
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	4824	2837	7661
4.	बिहार	129619	88165	217784
5.	गुजरात	19711	2838	22549

1	2	3	4	5
6.	गोवा	136	0	136
7.	हरियाणा (एचवीपीएन)	28201	29788	57989
8.	हिमाचल प्रदेश	2284	2020	4304
9.	जम्मू व कश्मीर	8254	826	9080
10.	कर्नाटक (केपीटीसीएल)	16937	11867	28804
11.	केरल	72984	15086	88070
12.	मध्य प्रदेश	125314	40838	166152
13.	महाराष्ट्र	41754	30190	71944
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा (ग्रिडको)	69325	18625	87950
19.	पंजाब	24725	3479	28204
20.	राजस्थान	29484	15249	44733
21.	सिक्किम	2766	1721	4487
22.	तमिलनाडु	33740	18969	52709
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश (यूपीपीसीएल)	255019	88021	343040
25.	पश्चिम बंगाल	87771	77419	165190
26.	दिल्ली (डीवीबी)	162075	166606	328681
27.	दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी)	28328	49289	77617
28.	दादर व नगर हवेली (डीएनएच)	-32	0	-32
29.	चण्डीगढ़ (यूटीसी)	24	0	24
30.	नीपको	0	0	0
31.	दमन एवं दीव (डी एंड डी)	-435	98	-337
32.	पांडिचेरी	1751	1697	3448

1	2	3	4	5
33.	कोऑपरेटिव	0	0	0
34.	राज्य सरकारें	0	0	0
35.	पावरग्रिड	41	314	355
36.	अन्य (पवन)	0	0	0
37.	रेलवे	35	0	35
38.	छत्तीसगढ़	15596	12832	28428
39.	झारखंड	90307	63914	154221
40.	उत्तरांचल	28336	9780	38116
	जोड़	1288028	764521	2052549

विवरण-II

30.11.20001 के अनुसार राज्य-वार अधिष्ठापित क्षमता

(क्षमता मेगावाट में)

क्षेत्र/राज्य/यूटी	जल विद्युत	ताप विद्युत			जोड़ ताप विद्युत	पवन	न्यूक्लीयर	कुल जोड़
		कोयला	गैस	डीजल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	1197.90	1485.50	534.00	3.92	2023.42	0.00	59.00	3280.32
हिमाचल प्रदेश	518.67	54.00	62.00	0.13	116.13	0.00	14.00	648.80
जम्मू व कश्मीर	700.69	114.00	304.00	8.94	426.94	0.00	33.00	1160.63
पंजाब	2854.94	2536.00	264.00	0.00	2800.00	0.00	90.00	5744.94
राजस्थान	1178.62	2178.00	396.50	0.00	2574.50	14.00	924.00	4691.12
उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल	1711.75	6187.00	482.00	0.00	6669.00	0.00	44.00	8424.75
चण्डीगढ़	33.00	15.00	15.00	2.00	32.00	0.00	5.00	70.00
दिल्ली	217.00	2132.00	489.00	0.00	2621.00	0.00	87.00	2925.00
केन्द्रीय क्षेत्र	40.00	533.00	261.00	0.00	794.00	0.00	64.00	898.00
कुल (उ. क्षेत्र)	8452.57	15234.50	2807.50	14.99	18056.99	14.00	1320.00	27843.56
गुजरात	547.00	5648.00	2174.30	17.48	7839.78	166.90	285.00	8838.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़	932.91	4705.50	257.20	0.00	4962.70	22.60	93.00	6011.21
महाराष्ट्र	2847.17	9414.00	2223.90	0.00	11637.90	239.80	297.00	15021.87
गोवा	0.05	357.00	82.60	0.00	439.60	0.11	15.00	454.76
दादर व नगर हवेली	0.00	9.00	4.50	0.00	13.50	0.00	2.00	15.50
दमन व दीव	0.00	8.00	4.20	0.00	12.20	0.00	2.00	14.20
केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	650.00	175.30	0.00	825.30	0.00	66.00	891.30
कुल (प. क्षेत्र)	4327.13	20791.50	4922.00	17.48	25730.98	429.41	760.00	31247.52
आंध्र प्रदेश	2971.94	3809.50	892.40	36.80	4738.70	91.90	144.00	7946.54
कनांटक	2865.55	2064.00	220.00	153.12	2437.12	54.40	130.00	5487.07
केरल	1807.00	398.00	524.00	234.60	1156.60	2.00	56.00	3021.60
तमिलनाडु	1995.15	4581.00	567.50	411.66	5560.16	831.70	358.00	8745.01
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	9.97	9.97	0.00	0.00	9.97
पांडिचेरी	0.00	130.00	32.50	0.00	162.50	0.00	12.00	174.50
केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00	0.00	80.00	610.00
कुल (द. क्षेत्र)	9639.64	11512.50	2236.40	846.15	14595.05	980.00	780.00	25994.69
बिहार व झारखंड	258.90	4610.00	90.00	0.00	4700.00	0.00	0.00	4958.90
उड़ीसा	1877.00	1522.00	0.00	0.00	1522.00	1.49	0.00	3400.49
पश्चिम बंगाल	224.71	6196.38	100.00	12.20	6308.58	1.00	0.00	6534.29
डीवीसी	0.00	263.00	0.00	0.00	263.00	0.00	000	263.00
अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.25	0.00	0.00	34.05	34.05	0.00	0.00	39.30
सिक्किम	92.90	58.00	0.00	5.00	63.00	0.00	0.00	155.90
केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	878.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00	878.00
कुल (पू.क्षे.)	2458.76	13527.38	190.00	51.25	13768.63	2.49	0.00	16229.88
असम	172.80	330.00	447.00	20.69	797.69	0.00	0.00	970.49
मणिपुर	53.60	0.00	26.10	9.41	35.51	0.00	0.00	89.11
मेघालय	230.81	0.00	26.10	2.05	28.15	0.00	0.00	258.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नागालैंड	53.30	0.00	19.00	2.00	21.00	0.16	0.00	74.46
त्रिपुरा	47.11	0.00	97.50	4.85	102.35	0.00	0.00	149.46
अरुणाचल प्रदेश	51.55	0.00	21.00	15.88	36.88	0.00	0.00	88.43
मिजोरम	23.26	0.00	16.10	28.94	45.04	0.00	0.00	68.30
केन्द्रीय क्षेत्र	63.50	0.00	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	119.20
कुल (उ.पू. क्षेत्र)	695.93	330.00	708.50	83.82	1122.32	0.16	0.00	1818.41
कुल (अखिल भारत)	25574.03	61395.88	10864.40	1013.69	73273.97	1426.06	2860.00	103134.06

अनावंटित

केन्द्रीय एवं संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं से आवंटित अधिष्ठापित क्षमता को साझेदार राज्यों के बीच उनके सैद्धांतिक हिस्सेदारी के अनुसार विभाजित दर्शाया गया है।

[अनुवाद]

एनरॉन की दाभोल पॉवर कंपनी के लिए एल.एन.जी. की खरीद

3905. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नेतृत्व में भारतीय वित्तीय सस्थाओं ने, अमरीका की विद्युत-क्षेत्र में अग्रणी कंपनी 'एनरॉन' की अधीनस्थ 'दाभोल पॉवर कंपनी' के उपयोगार्थ तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की खरीद में रियायत देने हेतु ओमान, अबूधाबी और जापान की सरकारों के साथ बात करने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या तरलीकृत प्राकृतिक गैस की खरीद के संबंध में केन्द्र ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कम्प्यूटरीकृत रेल-आरक्षण केन्द्र

3906. श्री रामप्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलजोनवार किन-किन स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत रेल-आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) ऐसे स्थानों के संबंध में जोनवार ब्यौरा क्या है जहां वापसी-यात्रा हेतु आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है;

(ग) उन स्थानों के संबंध में जोनवार ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 2001-02 के दौरान वापसी-यात्रा हेतु कम्प्यूटरीकृत आरक्षण/आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(घ) क्या यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए कम्प्यूटरीकृत आरक्षण-केन्द्रों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) 30.11.2001 तक जिन स्थानों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। भारतीय रेलों के

सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर वापसी यात्रा सुविधा उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान 99 अन्य स्थानों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की व्यवस्था किये जाने की संभावना है। ऐसे स्थानों के जोनवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

सभी भारतीय रेलों पर यात्री आरक्षण प्रणाली का स्थान

क्र.सं.	स्थल
1	2
मध्य रेल	
1.	आगरा कैंट
2.	अहमदनगर
3.	अजनी
4.	अकोला
5.	अमरनाथ
6.	अमरावती
7.	बबीना
8.	बल्हारशाह
9.	बल्लभगढ़
10.	बांदा
11.	बेलापुर सी बी ओ
12.	बैतूल
13.	भोपाल
14.	भुसावल
15.	बीना
16.	चंद्रपुर
17.	चेंबूर
18.	चिंचवाड
19.	दमोह
20.	डक्कन जिमखाना (पुणे)
21.	देवलाली
22.	धुले
23.	डोम्बीवली (मुम्बई)
24.	फरीदाबाद
25.	घाटकोपर (मुंबई)
26.	गुलबर्गा
27.	गुना
28.	ग्वालियर
29.	हबीबगंज (भोपाल)
30.	इटारसी
31.	जबलपुर
32.	जलगांव
33.	झांसी
34.	कल्याण
35.	कटनी
36.	खडकी
37.	खजुराहो
38.	खंडवा
39.	कुर्ला
40.	ललितपुर
41.	लातूर
42.	लोनावला
43.	मदनमहल (जबलपुर)
44.	महाराष्ट्र (विधान सभा)
45.	मैहर
46.	मनमाड
47.	मथुरा जंक्शन

1	2
48.	मुरैना
49.	मुलुंड (मुंबई)
50.	मुंबई सी एस टी
51.	नागपुर
52.	नासिक
53.	नासिक सी बी ओ
54.	नेवी नगर
55.	पनवेल (मुंबई)
56.	पीपरिया
57.	पुणे
58.	पुणे कैंट
59.	राजा की मंडी
60.	रविवार पेट (पुणे)
61.	रीवा
62.	संतरा मार्किट (नागपुर)
63.	सतना
64.	सागर
65.	संकरसेठ (पुणे)
66.	सिरडी
67.	सोलापुर
68.	थाणे
69.	वासी (मुंबई)
70.	विदिशा
71.	वर्धा
72.	यवतमल
73.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल (भुसावल)
पूर्व रेलवे	
1.	आरा
2.	आसनसोल
3.	बागबाजार (कलकत्ता)
4.	ब्रह्मपुर कोर्ट
5.	बैद्यनाथधाम
6.	बख्तियारपुर
7.	बाली (कलकत्ता)
8.	बालीगंज
9.	बंडेल
10.	बनगांव
11.	बांका
12.	बारासत
13.	बाढ़
14.	बरकाकाना
15.	बैरकपुर
16.	बेहाला
17.	बेल्लूर मठ सिटी बुकिंग
18.	भागलपुर
19.	भूली
20.	विधाननगर (कलकत्ता)
21.	बिहार शरीफ
22.	बोधगया
23.	बोलपुर
24.	वर्धमान
25.	बड़ा बाजार
26.	बक्सर
27.	चित्तरंजन
28.	चोपन
29.	चौरंगी (कलकत्ता)

1	2
30.	डालटनगंज
31.	दानापुर
32.	डेहरी-ओन-सोन
33.	धनबाद
34.	डायमंड हार्बर
35.	दमदम एयरपोर्ट
36.	दमदम जंक्शन (कलकत्ता)
37.	दुर्गापुर
38.	फेयरली प्लेस (कलकत्ता)
39.	फतुआ
40.	फोर्ट विलियम
41.	गया
42.	गिरिडिह
43.	हजारीबाग टाउन
44.	हावड़ा
45.	जादवपुर
46.	जमालपुर
47.	जमुई
48.	जसीडिह
49.	जहानाबाद
50.	झाझा
51.	कल्याणी
52.	किडरपुर
53.	किऊल
54.	कोडरमा
55.	कृष्णनगर
56.	लक्खीसराय
57.	एम.जी. रोड
58.	महेन्द्रू घाट (सतपटना)
59.	मेजरहाट (कलकत्ता)
60.	मालदा टाउन
61.	मालदा पी आर एस सिटी बुकिंग आफिस
62.	मुकामा
63.	मुगलसराय
64.	नवद्वीप धाम
65.	नैहाटी
66.	नवादाह
67.	न्यू फरक्का
68.	न्यू कोयलाघाट (कलकत्ता)
69.	पारसनाथ
70.	पटना
71.	पटना विधान सभा
72.	पटना साहिब
73.	फुलवारी शरीफ
74.	पोर्ट ब्लेयर
75.	प्रेस क्लब (कलकत्ता)
76.	राजेन्द्र नगर (पटना)
77.	राजगीर
78.	रामपुर हाट
79.	रानीगंज
80.	रोसा रोड
81.	साहेबगंज
82.	साल्टलेक (कलकत्ता)
83.	सासाराम
84.	सियालदह
85.	शेयराफुली

1	2
86.	शेखपुरा
87.	श्याम बाजार
88.	सिंगरौली
89.	सोनारपुर
90.	टालीगंज (कलकत्ता)
91.	पश्चिम बंगाल विधान सभा
पूर्वोत्तर रेलवे	
1.	इलाहाबाद सिटी
2.	आजमगढ़
3.	बादशाहनगर
4.	बहराइच
5.	बलिया
6.	बरौनी
7.	बस्ती
8.	बेगुसराय
9.	बेतिया
10.	छपरा
11.	दरभंगा
12.	देवरिया सदर
13.	फरक्काबाद
14.	गाजीपुर सिटी
15.	गोमतीनगर
16.	गोंडा
17.	गोरखपुर
18.	हाजीपुर
19.	इज्जतनगर
20.	जयनगर
21.	काठगोदाम

1	2
22.	खगड़िया
23.	लहेरिया सराय
24.	लालकुआं
25.	लखनऊ सिटी
26.	मधुबनी
27.	मंडुवाडीह
28.	मऊ
29.	मोतीहारी
30.	मुजफ्फरपुर
31.	नैनीताल
32.	नरकटियागंज
33.	नौतनवा
34.	पीलीभीत
35.	रावतपुर
36.	रक्सौल
37.	सहरसा
38.	समस्तीपुर
39.	सीतामढी
40.	सीतापुर
41.	सीवान
42.	सोनपुर
43.	वाराणसी सिटी
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
1.	गुवाहाटी
2.	न्यू जलपाईगुडी
3.	सिलीगुडी
4.	कटिहार
5.	तिनसुकिया

1	2
6.	डिब्रूगढ़ टाउन
7.	दीमापुर
8.	न्यू कूचबिहार
9.	अलीपुरद्वार
10.	सिलचर
11.	शिलांग
12.	पांडु
13.	गंगटोक
14.	इम्फाल
15.	अगरतल्ला
16.	इटानगर
17.	कोहिमा
18.	अजवाल
19.	किशनगंज
20.	तेजपुर
21.	रायगंज
22.	बलूरगढ़
23.	जलपाईगुड़ी रोड
24.	जोरहाट
25.	दार्जिलिंग
26.	न्यू अलीपुरद्वार
27.	कूचबिहार
28.	लमडिंग
29.	बोंगाईगांव
30.	पूर्णिया
31.	दिमपुर
उत्तर रेलवे	
1.	दिल्ली स्टेशन
2.	अभोर
3.	अलीगढ़
4.	इलाहाबाद
5.	इलाहाबाद स्टेशन दूसरा प्रवेश
6.	अंबाला
7.	अंबाला सिटी
8.	अमेठी
9.	अमृतसर
10.	अमृतसर गोल्डन टेंपल
11.	बदोई
12.	बहादुरगढ़
13.	बरेली
14.	बाड़मेर
15.	बड़ौदा हाउस (नई दिल्ली)
16.	भटिंडा
17.	ब्यास
18.	भिवानी
19.	बीकानेर
20.	चंडीगढ़ स्टेशन
21.	चंडीगढ़ (बस स्टैंड) सीडीजी
22.	चंदौसी
23.	दंधारीकलां
24.	दसूया
25.	डीसीडब्ल्यू पटियाला
26.	देहरादून
27.	दिल्ली कैंट
28.	दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन
29.	दिल्ली शाहदरा

1	2
30.	दिल्ली पर्यटन (नई दिल्ली)
31.	देवबंद
32.	डीएलडब्ल्यू वाराणसी
33.	फैजाबाद
34.	फिरोजपुर
35.	गाजियाबाद
36.	गुडगांव
37.	हमीरपुर
38.	हनुमानगढ़
39.	हापुड़
40.	हरदोई
41.	हरिद्वार
42.	हिसार
43.	होशियारपुर
44.	आईआरसीए बिल्डिंग (नई दिल्ली)
45.	जैसलमेर
46.	जालंधर
47.	जालंधर कैंट
48.	जालौर
49.	जम्मू तवी
50.	जौनपुर
51.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
52.	जोधपुर
53.	कालका
54.	कानपुर
55.	कानपुर स्टेशन दूसरा प्रवेश
56.	कड़कड़डूमा
57.	करनाल
58.	कटरा
59.	कीर्तिनगर
60.	कोटद्वार
61.	कुरुक्षेत्र
62.	लक्सर
63.	लेह
64.	लखनऊ
65.	लखनऊ स्टेशन दूसरा प्रवेश
66.	लखनऊ विधान सभा
67.	लुधियाना
68.	महामंदिर
69.	मंडी
70.	मेरठ कैंट
71.	मेरठ सिटी
72.	मिर्जापुर
73.	मोदीनगर
74.	मुरादाबाद
75.	मसूरी
76.	मुजफ्फरनगर
77.	नैनी
78.	नांगल डैम
79.	न्यू आजादपुर
80.	नई दिल्ली (इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट)
81.	नई दिल्ली (लाजपत नगर)
82.	नई दिल्ली (ओखला)
83.	नई दिल्ली (उच्चतम न्यायालय)
84.	नई दिल्ली स्टेशन
85.	निजामुद्दीन

1	2
86.	नौएडा
87.	पालमपुर (हिमाचल)
88.	पालीमारवाड़
89.	पानीपत
90.	संसद भवन
91.	पठानकोट
92.	पटियाला
93.	प्रतापगढ़
94.	प्रयाग
95.	प्रेस क्लब आफ इंडिया (नई दिल्ली)
96.	राय बरेली
97.	रेल भवन (नई दिल्ली)
98.	राजपुरा
99.	रामपुर
100.	रेंडिका कपूरथला
101.	अमौसी (लखनऊ)
102.	रेवाड़ी
103.	ऋषिकेश
104.	रोहतक
105.	रुड़की रेलवे स्टेशन
106.	रुड़की विश्वविद्यालय
107.	शाहजहांपुर
108.	सहारनपुर
109.	सरोजिनीनगर
110.	शिमला
111.	सरहिंद
112.	सोनीपत
113.	श्रीगंगानगर
114.	श्रीनगर (जीपीओ)
115.	श्रीनगर कैंट
116.	सब्जीमंडी
117.	सुल्तानपुर
118.	पर्यटन ब्यूरो (नई दिल्ली स्टेशन)
119.	तुगलकाबाद
120.	ऊधमपुर
121.	वाराणसी
दक्षिण मध्य रेलवे	
1.	अमलापुरम
2.	अमीरपेट (हैदराबाद)
3.	अनकापल्ली
4.	अनंतपुर
5.	ए.पी.एल. विधान सभा (हैदराबाद)
6.	ए.एस. रावनगर (सिकंदराबाद)
7.	औरंगाबाद
8.	बेलगांव
9.	बेल्लारी
10.	बेंज सर्कल (विजयवाड़ा)
11.	भवानीपुरम
12.	भिमावरम टाउन
13.	भोइगुडा (सिकंदराबाद)
14.	बीदर
15.	बीजापुर
16.	चिराला
17.	कुडप्पा
18.	दारुलसका (हैदराबाद)
19.	धर्मावरम

1	2
20.	धरवार
21.	इल्लूरु
22.	गडद
23.	गोदावरी स्टेशन
24.	गुडीवाडा
25.	गुड्डूर
26.	गुंतकल
27.	गुंतूर
28.	होजपेट
29.	हुबली
30.	हैदराबाद
31.	जालना
32.	काचेगुडा
33.	कार्कानाडा टाउन
34.	करड
35.	काजीपेट
36.	खम्माम
37.	कोहलापुर
38.	कुकुतपल्ली (हैदराबाद)
39.	करनूल टाउन
40.	मछलीपत्तनम
41.	मिरज
42.	नांदेड
43.	नांदयाल
44.	नरसापुर
45.	नल्लौर
46.	निडाडाबोलू
47.	निजामाबाद
48.	अंगौल
49.	पालाकोल्लू
50.	परभानी
51.	पर्लीबैजनाथ
52.	पुट्टापार्थी
53.	रायचूर
54.	रेल निलायम (सिकंदराबाद)
55.	राजामुंद्री
56.	रामांगुडम
57.	रेनीगुंटा
58.	सामलकोट
59.	संगली
60.	सरूरनगर (हैदराबाद)
61.	सतारा
62.	सिकन्दराबाद
63.	तडीपल्लीगुंडम
64.	तांदूर
65.	तनाकू
66.	तेनाली
67.	तिरुमाला हिल्स (तिरुपति)
68.	तिरुपति
69.	वास्कोडिगामा
70.	विजयवाड़ा
71.	वारंगल
दक्षिण पूर्व रेलवे	
1.	आद्रा
2.	बालासोर
3.	बांकुरा

1	2
4.	बेहरामपुर
5.	भद्रक
6.	भिलाई टाउनशिप
7.	भुवनेश्वर
8.	भुवनेश्वर विधान सभा
9.	बीआईआईटीएस रांची
10.	बिलासपुर
11.	बोकारो सीबीओ
12.	बोकारो स्टील सिटी
13.	चक्रधरपुर
14.	चंद्रशेखरपुर (भुवनेश्वर)
15.	कोंतई
16.	कटक
17.	डोंगरगढ़
18.	दुर्ग
19.	गाजूवाका (विशाखापत्तनम)
20.	गार्डन रीच (कोलकाता)
21.	गोंदिया
22.	हल्दिया
23.	हटिया
24.	आईआईटी खड़गपुर
25.	इंतवारी (नागपुर)
26.	जगदंबा सिटी वीओ, वीएसकेपी
27.	झारखंड विधान सभा
28.	झारसुगुडा
29.	खड़गपुर
30.	खोरधा रोड
31.	कोरबा
32.	मिदनापुर
33.	एमवीपी कालोनी (विशाखापत्तनम)
34.	नेवल बेस (विशाखापत्तनम)
35.	ओल्ड कोयला घाट (कोलकाता)
36.	पलासा
37.	पुरी
38.	पुरी सिटी बुकिंग आफिस
39.	पुरुलिया
40.	रवींद्र सदन (कोलकाता)
41.	रायगढ़
42.	रायपुर
43.	राजनंदगांव
44.	रांची
45.	रांची सीबीओ
46.	रायगडा
47.	राउरकेला—दूसरा स्थान
48.	राउरकेला
49.	साक्षी एरिया (सत टाटानगर)
50.	संबलपुर
51.	संबलपुर रोड
52.	शालीमार
53.	सिम्हाचेलम
54.	श्रीकाकुलम रोड
55.	टाटानगर
56.	टेल्को (टाटानगर)
57.	तितलागढ़
58.	उलुबेरिया
59.	विशाखापत्तनम

1	2
60.	विजयनगरम
दक्षिण रेलवे	
1.	अलेप्पी
2.	अलवाय
3.	अंद्रोत (लक्षद्वीप)
4.	अन्ना नगर (चेन्नै)
5.	अरक्कोणम
6.	अवाडी (चेन्नै)
7	बड़गरा
8.	बनसनकारी (बेंगलूरु)
9.	बेंगलूरु शहर
11.	बंगलूरु इंदिरा नगर
12.	बंगारपेट
13.	बसंत नगर (चेन्नै)
14.	कालीकट
15.	कण्णानौर
16.	चेंगनचेरी
17.	चेंगन्नूर
18.	चिदंबरम्
19.	कोचीन हारबर
20.	कोयमबटूर
21.	कोयमबटूर नोर्थ
22.	दावनगेरे
23.	धरमपुरी
24.	दिंडीगुल
25.	एर्णाकुलम जंक्शन
26.	एर्णाकुलम टाउन
27.	ईरोड

1	2
28.	फिरोके
29.	गांधीपुरम (एसएटी-सीबीई)
30.	गुरुवायूर
31.	हसन
32.	जयानगर (एसबीसी)
33.	काकीनाडा
34.	कन्याकुमारी
35.	कायमकुलम
36.	कैरायक्कुडू
37.	करूर
38.	कासरगोड
39.	काटपाडी
40.	कवरत्ती (लक्षद्वीप)
41.	कोरामंगला (बेंगलुरु)
42.	कोट्टयम
43.	कोविलपट्टी
44.	कुम्बाकोनम
45.	कुप्पन
46.	मद्रास एयरपोर्ट
47.	मद्रास बीच
48.	मद्रास एषम्बूर
49.	मदुरै
50.	मल्लेश्वरम्
51.	माम्बलम् (चेन्नै)
52.	मंदया
53.	मंगलौर
54.	मवेलीकारा
55.	माइलादुतुरई

1	2
56.	मेट्टुपलायम
57.	मिनीकोय (लक्षद्वीप)
58.	मुर मार्केट काम्पलैक्स (चेन्नै)
59.	मैसूर
60.	नागपट्टीनम्
61.	नागरकोइल
62.	नागौर
63.	पलानी
64.	पालघाट जंक्शन
65.	पालघाट टाउन
66.	पट्टोम (तिरुवंनतपुरम्)
67.	पेरम्बूर (चेन्नै)
68.	पांडिचेरी
69.	पुडुकोट्टै
70.	कोल्लम
71.	राजापलायम
72.	रामनाथपुरम
73.	रामेश्वरम
74.	सेलम
75.	सेलम टाउन
76.	सनगोत्तई
77.	शिमोगा टाउन
78.	शोरण्णूर
79.	शिवकाशी
80.	सेंट थॉम्स माउंट
81.	ताम्बरम (चेन्नै)
82.	तेल्लीचेरी
83.	तेनकाशी
84.	थल्लाकुलम (मदुरै)
85.	तन्जावूर
86.	त्रिवारूर
87.	त्रिरूचिरापल्ली
88.	त्रिच्चिरापल्ली फोर्ट
89.	तिरुमलाई
90.	तिरुनगर
91.	तिरुनेलवेली जंक्शन
92.	तिरुपत्तूर
93.	तिरुपद्दीरिपुलियूर
94.	तिरुपुर
95.	तिरुर
96.	तिरुवल्ला
97.	तिरुवेरम्बूर
98.	तिरुवोट्टियूर (एसएटी) मोबाइल पीआरएस
99.	त्रिचूर
100.	त्रिरूवनंतपुरम सेंट्रल
101.	तुमकुर
102.	तूतीकोरीन
103.	विजयनगर (एसबीसी)
104.	विरुधनगर
105.	व्हाइटफील्ड (बेंगलूरु)
106.	यलहंका
107.	यशवंतपुर

पश्चिम रेलवे

1.	आबू रोड
2.	आगरा फोर्ट
3.	अहमदाबाद

1	2
4.	अजमेर
5.	अल्कापुरी
6.	अलवर
7.	आनंद
8.	अंधेरी (मुंबई)
9.	बांद्रा टर्मिनस
10.	भरतपुर
11.	भारुच
12.	भावनगर
13.	भायंदर (मुंबई)
14.	भीलवाड़ा
15.	बोरीवली (मुंबई)
16.	चर्चगेट (मुंबई)
17.	दर्कानिया तलव
18.	दमन
19.	देवास
20.	दुर्गापुर
21.	द्वारका
22.	फालना
23.	गांधीधाम
24.	गांधीग्राम
25.	गांधीनगर
26.	गाधीनगर (जयपुर)
27.	ईदगाह
28.	इंदौर
29.	जयपुर
30.	जामनगर
31.	झुंनझुनु
32.	जूनागढ़
33.	कोटा
34.	मलाड (मुंबई)
35.	मणिनगर (अहमदाबाद)
36.	मेहसाणा
37.	मौह
38.	मुंबई सेंट्रल
39.	नाडियाड
40.	नागदा
41.	ननदरबार
42.	नवसारी
43.	न्यू भुज
44.	पदमावती कॉम्पलैक्स सीबीओ (वडोदरा)
45.	पालनपुर
46.	पालघर
47.	पाली
48.	पोरबंदर
49.	प्रताप नगर (बड़ोदरा)
50.	राजकोट
51.	रतलाम
52.	साबरमती
53.	शहर एयरपोर्ट मुंबई
54.	सरदारग्राम
55.	सवाईमाधोपुर
56.	सीकर
57.	सूरत
58.	सुरेन्द्रनगर
59.	उदयपुर

1	2
60.	उधना
61.	उज्जैन
62.	वड़ोदरा
63.	वलसाड़
64.	वापी
65.	वसई रोड (मुंबई)
66.	वेरावल
67.	विरार (मुंबई)

कोंकण रेलवे

1.	चिपलुन
2.	कुदाल
3.	मडगांव
4.	पणजी
5.	रत्नागिरी
6.	थिवम

सारांश:

मध्य रेलवे	—	73
पूर्व रेलवे	—	91
उत्तर रेलवे	—	121
पूर्वोत्तर रेलवे	—	43
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	—	31
दक्षिण रेलवे	—	107
दक्षिण मध्य रेलवे	—	71
दक्षिण पूर्व रेलवे	—	60
पश्चिम रेलवे	—	67
कोंकण रेलवे	—	6
कुल	670	

विवरण-II

15 नवंबर, 2001 को निर्माणाधीन यात्री आरक्षण प्रणाली केंद्रों की सूची

क्र.सं.	स्थल
1	2

मध्य रेलवे

1.	आई एन एस शिवानजी में यात्री आरक्षण प्रणाली, लोनावाला यात्री आरक्षण प्रणाली
2.	बडनेरा में यात्री आरक्षण प्रणाली
3.	बुरहानपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
4.	अशोक नगर में यात्री आरक्षण प्रणाली
5.	मल्कापुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
6.	सीवाग्राम में यात्री आरक्षण प्रणाली
7.	डरई में यात्री आरक्षण प्रणाली
8.	मनिकपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
9.	होशंगाबाद में यात्री आरक्षण प्रणाली
10.	बाईकूला में यात्री आरक्षण प्रणाली
11.	बेलापुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
12.	दौंड में यात्री आरक्षण प्रणाली
13.	कोपरगांव में यात्री आरक्षण प्रणाली

पूर्व रेलवे

1.	पटना सेक्टर में यात्री आरक्षण प्रणाली
2.	शांतिपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
3.	गोमोह में यात्री आरक्षण प्रणाली
4.	पाकूर में यात्री आरक्षण प्रणाली
5.	ढाकुरिया में यात्री आरक्षण प्रणाली
6.	आंदल में यात्री आरक्षण प्रणाली
7.	मुर्शीदाबाद में यात्री आरक्षण प्रणाली
8.	दानकुनी में यात्री आरक्षण प्रणाली
9.	तारकेश्वर में यात्री आरक्षण प्रणाली
10.	दक्षिणेश्वर में यात्री आरक्षण प्रणाली

1	2
उत्तर रेलवे	
1.	फगवाड़ा में यात्री आरक्षण प्रणाली
2.	इटावा में यात्री आरक्षण प्रणाली
3.	बाराबंकी में यात्री आरक्षण प्रणाली
4.	टूंडला में यात्री आरक्षण प्रणाली
5.	उन्नाव में यात्री आरक्षण प्रणाली
6.	आई आई टी कानपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
7.	चुरु में यात्री आरक्षण प्रणाली
8.	धर्मशाला में आरक्षण प्रणाली
9.	पालम एयरपोर्ट (देशीय) में यात्री आरक्षण प्रणाली
10.	नॉर्थ ब्लाक दिल्ली में यात्री आरक्षण प्रणाली
11.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय में यात्री आरक्षण प्रणाली
12.	जांशीमठ में यात्री आरक्षण प्रणाली
13.	शामली में यात्री आरक्षण प्रणाली
14.	माहांली में यात्री आरक्षण प्रणाली
15.	नजीबाबाद में यात्री आरक्षण प्रणाली
16.	फतेहपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
17.	नौयडा में सेटेलाइट स्थल में यात्री आरक्षण प्रणाली
18.	गोविंदपुरी में यात्री आरक्षण प्रणाली
19.	नॉर्थ केम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय में यात्री आरक्षण प्रणाली
20.	साउथ केम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय में यात्री आरक्षण प्रणाली
21.	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में यात्री आरक्षण प्रणाली
22.	लखनऊ विश्वविद्यालय (सैट) में यात्री आरक्षण प्रणाली
23.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में यात्री आरक्षण प्रणाली
24.	मनाली में यात्री आरक्षण प्रणाली

1	2
पूर्वोत्तर रेलवे	
1.	कल्याणपुर स्टेशन में यात्री आरक्षण प्रणाली
2.	काशीपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
3.	लखीमपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
4.	खलीलाबाद में यात्री आरक्षण प्रणाली
5.	बेलथ्रा रोड में यात्री आरक्षण प्रणाली
6.	बलरामपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
7.	कासगंज में यात्री आरक्षण प्रणाली
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
1.	अलुआबारी में यात्री आरक्षण प्रणाली
2.	करीमगंज में यात्री आरक्षण प्रणाली
3.	मेरियानी में यात्री आरक्षण प्रणाली
4.	इस्लामपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
5.	एकलाखी में यात्री आरक्षण प्रणाली
6.	मालबाजार में यात्री आरक्षण प्रणाली
7.	न्यू एमएलए होस्टल दिसपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
दक्षिण रेलवे	
1.	विषुपुरम में यात्री आरक्षण प्रणाली
2.	कोडाइकैनाल में यात्री आरक्षण प्रणाली
3.	पांबा में यात्री आरक्षण प्रणाली
4.	सडिका कॉम्पलेक्स में यात्री आरक्षण प्रणाली
5.	विल्लोर टाउन में यात्री आरक्षण प्रणाली
6.	तिरुपनीथुरा (ईआरएस-सैट) में यात्री आरक्षण प्रणाली
7.	चेंगलपेट में यात्री आरक्षण प्रणाली
8.	अम्बूर में यात्री आरक्षण प्रणाली
9.	चालाकुडी में यात्री आरक्षण प्रणाली
10.	कूनूर में यात्री आरक्षण प्रणाली
11.	पलानी में यात्री आरक्षण प्रणाली

1	2
दक्षिण मध्य रेलवे	
1.	अदोनी में यात्री आरक्षण प्रणाली
2.	बापटला में यात्री आरक्षण प्रणाली
3.	सिरपुर कागजनगर में यात्री आरक्षण प्रणाली
दक्षिण पूर्व रेलवे	
1.	भंडारा रोड रेलवे स्टेशन में यात्री आरक्षण प्रणाली
2.	पंसकुरा में यात्री आरक्षण प्रणाली
3.	छैबासा में यात्री आरक्षण प्रणाली
4.	शडोल में यात्री आरक्षण प्रणाली
5.	तालचेर में यात्री आरक्षण प्रणाली
6.	छिंदवाड़ा में यात्री आरक्षण प्रणाली
7.	धेनकनाल में यात्री आरक्षण प्रणाली
8.	कोलाघाट में यात्री आरक्षण प्रणाली
9.	बगनान में यात्री आरक्षण प्रणाली
10.	बिष्णुपुर में यात्री आरक्षण प्रणाली
11.	झारग्राम में यात्री आरक्षण प्रणाली
12.	चास बोकारो में यात्री आरक्षण प्रणाली
13.	हीराकुंड में यात्री आरक्षण प्रणाली
14.	पाराद्वीप में यात्री आरक्षण प्रणाली
पश्चिम रेलवे	
1.	गोधरा में यात्री आरक्षण प्रणाली
2.	मारवाड जंक्शन में यात्री आरक्षण प्रणाली
3.	नीमच में यात्री आरक्षण प्रणाली
4.	हापा में यात्री आरक्षण प्रणाली
5.	ओखा में यात्री आरक्षण प्रणाली
6.	सिरोही रोड में यात्री आरक्षण प्रणाली
7.	रानी में यात्री आरक्षण प्रणाली
8.	मंडसौर में यात्री आरक्षण प्रणाली
9.	बैरागढ़ में यात्री आरक्षण प्रणाली
10.	चित्तौड़ में यात्री आरक्षण प्रणाली
	कुल स्थल - 99

रेलवे-प्लेटफार्मों पर धूम्रपान

3907. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी उपाय किए गए हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने के क्रम में, रेलवे-प्लेटफॉर्मों पर और रेलगाड़ियों में धूम्रपान पर प्रतिबंध दिया जाए;

(ख) क्या सरकार का रेलवे-प्लेटफॉर्मों पर सिगरेट और अन्य तम्बाकूयुक्त सामग्री की बिक्री को रोकने का प्रस्ताव है, ताकि रेलगाड़ियों और प्लेटफॉर्मों में उनका प्रयोग बंद किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में रेलवे प्लेटफार्मों और गाड़ियों में धूम्रपान निषेध सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय ने 5 जून 1999 से भारतीय रेलों पर सभी रेलवे परिसरों, स्टेशनों और चलती गाड़ियों के अन्दर केटरिंग/वैंडिग यूनिटों द्वारा बीड़ी/सिगरेटों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। बीड़ी/सिगरेट के अतिरिक्त, 4.7.2001 से रेलवे प्लेटफॉर्मों में तम्बाकू वाले गुटकों सहित सभी तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के संसद-सदस्यों का सम्मेलन

3908. डा. बलिराम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1999 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसद-सदस्यों के सम्मेलन में उनके मंत्रालय का ध्यान प्रशासन/नौकरशाही तंत्र के उच्च पदक्रमों पर अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न होने विषयक नैराश्यपूर्ण स्थिति की ओर आकृष्ट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो चयन बोर्डों/समितियों में अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के व्यक्तियों को शामिल करने के लिए उनकी संरचना विनिश्चित करने के सम्बन्ध में वर्तमान अनुदेशों/प्रणालियों में कौन से संरचनात्मक/संगठनात्मक परिवर्तन लाये गये हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उल्लिखित पदों पर वर्षवार कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई; और

(घ) उनमें से कितने व्यक्ति अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के थे और उनकी प्रतिशतता कितनी थी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिलिंडरों की प्रतिभूति-जमाराशि पर अर्जित ब्याज

3909. **श्री विनय कुमार सोराके :**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 के दौरान, पूर्ववर्ती वर्ष के कार्यनिष्पादन के आधार पर आय-व्यय की समीक्षा न किये जाने के परिणामस्वरूप, तेल समन्वय समिति ने तेल कंपनियों को 1400 करोड़ रु. से अधिक की राशि का अति-भुगतान कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं द्वारा रसोई गैस सिलिंडरों के लिए जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि पर अर्जित ब्याज की गणना न करते हुए तेल समन्वय समिति ने (मार्च 1998 तक) तेल कंपनियों को 1500 करोड़ रु. से अधिक का अवांछित लाभ प्रदान किया था; और

(ग) तेल कंपनियों को की गई अतिशय प्रतिपूर्ति की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के तहत रिफाइनरियों को अनुमत प्रतिधारण लाभ 1 अप्रैल, 1998 से समाप्त कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल, 1998 से रिफाइनरियों को, रिफाइनरियों द्वारा अर्जित वास्तविक थ्रूपुट पर ध्यान दिए बिना, आयात समता के आधार पर नियंत्रित उत्पादों के लिए कीमतों की अनुमति दी जा रही है।

(ख) और (ग) तेल कंपनियों को भुगतान विद्यमान व्यवस्था के अनुसार किया गया है जिसके तहत तेल कंपनियों को प्रतिभूति जमाराशि रखने की अनुमति है और इन जमाराशियों पर तेल पूल खाते में कोई ब्याज अभ्यर्पित नहीं किया जाता। तथापि, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी 2000 की रिपोर्ट संख्या 2 (सिविल) में इस मुद्दे पर कतिपय टिप्पणियां की हैं और यह मामला समाधान के लिए नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ उठाया गया है।

बांग्लादेश से लगी सीमा

3910. **श्री जे.एस. बराड़ :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद से उससे लगी सीमा पर तनाव बढ़ गया है;

(ख) क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओर से एक ही समय कोई दुस्साहसिक कार्रवाई होने की दशा में, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की प्रतिरक्षा करने के लिए सभी पूर्वोपाय कर लिए गए हैं;

(ग) क्या स्थिति की समीक्षा करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमाण्डर नियमित अंतराल पर मिलते रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सीमा की स्थिति के बारे में सरकार का क्या आकलन है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। तथापि, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बांग्लादेश की सीमा के साथ लगने वाले राज्यों में छोटे पैमाने पर पलायन करने की रिपोर्टें हैं।

(ख) सीमा की रक्षा करने वाले बल भारत-बांग्लादेश की सारी सीमा पर चौकसी बरतते हैं।

(ग) और (घ) भारत और बांग्लादेश के सैनिक कमांडरों के बीच नियमित बैठक के लिए कोई स्थापित कार्य-प्रक्रिया नहीं है। तथापि, दोनों देशों के बीच आपसी सैन्य सहयोग विद्यमान है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल के बीच समय-समय पर

ध्वज बैठकों के माध्यम से और उच्चतर स्तरों पर नियमित बैठकें होती हैं।

व्यक्ति विशेष के नाम पर रेलगाड़ियों का नामकरण

3911. **श्री एन.टी. षणमुगम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं रखा जा सकता;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यक्ति विशेष/विख्यात व्यक्तियों के नाम पर रेलगाड़ियों के नामकरण करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी 'मावेली एक्सप्रेस' का नाम प्रसिद्ध राजा महाबली के नाम पर रखा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(च) किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर रेलगाड़ी का नाम रखने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (च) गाड़ियों का नाम रखना रेलों का विशेषाधिकार है। मौजूदा नीति के अनुसार रेलें साधारणतया गाड़ियों का नाम व्यक्तियों अथवा महापुरुषों के नाम पर नहीं रखती हैं। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गाड़ियों के नामकरण के लिए बोर्ड में काफी अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जिनकी जांच की जाती है और गंतव्य के छोरों तथा भौगोलिक आदि दृष्टि से उन पर कार्रवाई की जाती है, और तत्पश्चात् गाड़ी को उपयुक्त नाम दिया जाता है। जनता से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और मंडल स्तरों पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, और वे काफी संख्या में होते हैं। अत: उन सभी का ब्यौरा रखना व्यावहारिक नहीं है।

हाल ही में मंगलौर और तिरूवनंतपुरम के बीच मावेली नाम की एक नई गाड़ी चलाई गई है और मावेली नामकरण किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा गया है। महाबली एक पौराणिक राजा है जो केरल की जनता में बहुत ही प्रसिद्ध है।

[हिन्दी]

राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किए गए आयकर के ब्यौरे

3912. **श्री रामदास आठवले** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किए गए आयकर के ब्यौरे के बारे में 26 अप्रैल, 2001, 23 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5869 और 4729 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित जानकारी कब तक एकत्रित कर ली जाएगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) तारीख 26.4.2001 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5869 के भाग (क) में ऐसे राजनीतिक दलों के नामों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, जिन्होंने अपनी आय और व्यय के ब्यौरे भेज दिए हैं और ऐसे दलों के संबंध में भी जानकारी मांगी गई थी जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4729, तारीख 23.8.2001 में उपरोक्त प्रश्न में मांगी गई जानकारी एकत्रित करने में हुए विलंब के कारण बताने को कहा गया था। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन राजनीतिक दलों से आय-कर प्राधिकारियों को अपनी आय की विवरणी फाइल करने की अपेक्षा की गई है। राजस्व विभाग ने आय-कर मुख्य आयुक्त और आय-कर महानिदेशक जैसे अनेक फील्ड आफिसरों से अपेक्षित जानकारी मांगी है, जो अभी प्राप्त होनी है। इसको ध्यान में रखते हुए, जानकारी एकत्रित करने के लिए कोई समय-सीमा बताना कठिन है।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान गये सेना के चिकित्सक

3913. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय सेना के चिकित्सकों और पराचिकित्सा-दल को वहां भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दल द्वारा वहां क्या-क्या औषधियां तथा चिकित्सा-उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) तीन चिकित्सा अधिकारियों तथा तीन नर्सिंग सहायकों को काबुल भेजा गया है। इस दल के लिए जरूरी प्राथमिक दवाएं तथा उपयोग योग्य सामग्री भेजी गई है जो कि चार से छह सप्ताह तक चल पाएगी। अन्य चिकित्सा अधिकारियों/नर्सिंग सहायकों को भेजे जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

रेल-सुरक्षा आयुक्त की टिप्पणियों की उपेक्षा

3914. श्री रामजी मांझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल-सुरक्षा आयुक्त की इस टिप्पणी के बाद भी कि पुराने पड़ चुके पी.ओ.एच. स्टॉक का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से निश्चित तौर पर खतरनाक है, इसका सवारी डिब्बों में 26.40 प्रतिशत तक उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेल-सुरक्षा आयुक्त की टिप्पणी की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार तथा रेल-यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध रेल विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रस्ताव रखा गया है कि किसी भी पुराने पड़ चुके पी.ओ.एच. स्टॉक का उपयोग नहीं किया जायेगा; और

(घ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 1999 की अपनी रिपोर्ट सं. 9 में इसके प्रभावों के बारे में बताए जाने के पश्चात् इस बार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं। 1.9.2001 को भारतीय रेलों पर सवारीडिब्बों की बकाया आवधिक ओवरहालिंग का प्रतिशत 4.3 प्रतिशत था। सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग के लिए टूट-फूट के आधार पर समयबद्ध अनुसूची निर्धारित की गई थी। इस समय निर्धारण का संरक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं है और अनुरक्षण अनुदेश विनिर्दिष्ट संरक्षा जांचों के पश्चात् ऐसे सवारी डिब्बों के उपयोग की अनुमति देते हैं। बहरहाल, प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण, के लिए ओवरहालिंग के लिए बकाया सवारी डिब्बों की स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है और कभी-कभार यदि ऐसे सवारी डिब्बों के गाड़ी सेवाओं में चलाने की अनुमति दी जाती है तो अनुरक्षण नियमावली में निर्दिष्ट किए गए अनुसार विस्तृत जांच की जाती है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि आवधिक ओवरहालिंग के लिए बकाया सवारी डिब्बों को यातायात के लिए रिलीज न किया जाए। बहरहाल, अपरिहार्य परिस्थितियों में संरक्षा के संबंधित मदों की जांच करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उसके बाद ही सवारी डिब्बों का उपयोग किया जाता है। सवारी डिब्बों की बकाया आवधिक ओवरहालिंग बहुत ही कम है और पिछले पांच वर्ष से निरंतर सुधार का रुख रहा है जिसे नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	सवारी डिब्बों का बकाया आवधिक ओवरहालिंग
1996-97	7.9%
1997-98	6.4%
1998-99	5.4%
1999-2000	4.7%
2000-01	4.7%
2001-02 (सितम्बर, 01 तक)	4.3%

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सवारी डिब्बों की बकाया आवधिक ओवरहालिंग के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

उड़ीसा से नई रेलगाड़ियां चलाना

3915. श्रीमती हेमा गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के रेल-बजट की मुख्य बातों में उड़ीसा से चलने वाली दो नई रेलगाड़ियां प्रारंभ करना खड़गपुर से भुवनेश्वर के बीच डी.एम.यू.-रेलगाड़ी का संचालन प्रारंभ करना इत्यादि शामिल था; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा इस वर्ष रेल-बजट पेश करते समय जो-जो घोषणाएं की गई थीं, उनमें से प्रत्येक के संबंध में प्रगति की स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) 22.10.2001 से 203/204 भुवनेश्वर-खड़गपुर फास्ट पैसेंजर को शुरू किया गया है। इसके अलावा, 2001-2002 के दौरान 1045/1046 लोकमान्य तिलक (टी)-भुवनेश्वर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को शुरू करने का प्रस्ताव है।

हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन की क्षमता

3916. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन की क्षमता को द्विगुणित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्षमता-द्विगुणन की प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) द्विगुणित करने की प्रक्रिया में कितनी धनराशि की आवश्यकता होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) दहेज में एलएनजी टर्मिनल से पुन: गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की निकासी/आपूर्ति के अनुरूप मार्च, 2004 तक हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर एचबीजे पाइपलाइन की क्षमता दोगुनी करने की योजना बना रही है।

(ग) 5,500 करोड़ रुपये (लगभग) चरणों में खर्च किए जाने हैं।

रेलमार्ग द्वारा जिलों को जोड़ा जाना

3917. श्री अनन्त नायक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के प्रत्येक जिले को रेलमार्ग के द्वारा जोड़ने के प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

''हुमायूं का मकबरा'' क्षेत्र में अतिक्रमण

3918. श्री रामजीवन सिंह :
श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली स्थित भारतीय विरासत ''हुमायूं का मकबरा'' क्षेत्र में अवैध कब्जा जमाने वालों द्वारा किये गये अतिक्रमण की जानकारी है जैसाकि 26 नवम्बर, 2001 के ''एक्सप्रैस न्यूजलाइन'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इस ओर उपेक्षापूर्ण रवैया अख्तियार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ''हुमायूं का मकबरा'' क्षेत्र से अवैध कब्जा जमाने वालों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किये गये हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी, हां। हुमायूं का मकबरा के आस-पास कुछ पुराने अतिक्रमण हैं। पूरे क्षेत्र का सुधार करने और अवैध कब्जा जमाने वालों के पुनर्वास की एक योजना संबंधित सभी प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके बनाई गई है और उसको शीघ्र ही कार्यान्वित किए जाने की आशा है। गंदी बस्ती में रहने वालों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और जिस क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों का पुनर्वास किया जाना है, उसका विकास किया जा रहा है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

3919. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :
श्री अधीर चौधरी :
श्री अन्नप्रनाथ सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल-पूल खाते पर कच्चे तेल की कीमतें गिरने का क्या प्रभाव हुआ है;

(ख) 'हाई-स्पीड डीजल' की कुल बिक्री की तुलना में, 0.005 प्रतिशत गंधक-मात्रा वाले 'हाईस्पीड डीजल' की बिक्री का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में बेचे जा रहे दोनों प्रकार के 'हाई स्पीड डीजल' पर नियंत्रित मूल्य प्रणाली लागू की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या साफ डीजल पर अधिक शुल्क प्रभारित करना नियंत्रित मूल्य प्रणाली की भावना और भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध नहीं है और क्या इससे निर्धन कृषकों और परिवहन आपरेटरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ङ) इस प्रणाली की खामियों को कब तक पूरा किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी से तेल पूल खाते पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) देश में 0.005 प्रतिशत सल्फर मात्रा वाले एचएसडी की अभी शुरूआत नहीं की गई है। तथापि, इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और आईबीपी कंपनी लिमिटेड द्वारा अप्रैल से सितंबर 2001 की अवधि के दौरान बेचे गए कुल डीजल की तुलना में 0.05% सल्फर (अधिकतम) मात्रा वाला बेचा गया एचएसडी क्रमश: 9.7%, 8.06%, 8.1% और 8.8% है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी राज्य/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के तहत केवल 0.05% सल्फर (अधिकतम) मात्रा वाले एचएसडी की बिक्री की जाती है।

(घ) और (ङ) 0.05 प्रतिशत अधिकतम सल्फर वाले एचएसडी का बिक्री मूल्य तुलनात्मक रूप से अधिक है क्योंकि डीजल के इस ग्रेड की विनिर्माण प्रक्रिया में रिफाइनरियों को उत्पादन पर अधिक लागत बैठती है। डीजल के इस ग्रेड के मूल्यों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सामान्य ग्रेड की तुलना में प्रीमियम होता है।

कर्नाटक में मेट्रो रेल सेवा

3920. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि महानगरों में बढ़ती जा रही जनसंख्या और यातायात के साधनों की कमी की वजह से काफी समस्या हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य करने के लिए कोई योजना तैयार की है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) नगरों में शहरी अवसंरचना की अत्यधिक तंगी है। शहरी अवसंरचना के लिये धन की इस भारी आवश्यकता को केवल योजना निधियों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

(ख) और (ग) कोलकाता में दम-दम से टॉलीगंज तक मैट्रो रेल चालू हो गई है। टॉलीगंज से गरिया तक इसके विस्तार का कार्य चल रहा है।

दिल्ली के लिए मैट्रो रेल परियोजना 17.9.1996 को स्वीकृति की गई थी और इसका कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। परियोजना के आशोधित प्रथम चरण के कार्यान्वयन को निम्नलिखित गलियारों के लिए अनुमोदित कर दिया गया है:

1. विश्वविद्यालय-दिल्ली सरकार का सचिवालय-आईएसबीटी-कनाट प्लेस केन्द्रीय सचिवालय	-	11.0 किमी.
2. शहादरा-आई.एस.बी.टी.-त्रिनगर-नांगलोई	-	25.0 किमी.
3. त्रीनगर-बरवाला	-	15.98 किमी.

भर्ती में भ्रष्टाचार

3921. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक, रेलवे-भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर के अंतर्गत चयन-प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) कितने मामलों को विभिन्न जांच-एजेंसियों को सौंपा गया;

(ग) इनमें से कितने मामलों का निपटान कर दिया गया तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) विभाग के पास कितने मामले लंबित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) तीन।

(ख) एक।

(ग) निपटाये गये मामलों की संख्या आठ (8) है। रेल सतर्कता द्वारा जांच करने पर 5 मामलों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। तीन (3) मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

(घ) कुछ नहीं।

'पाकिस्तान नेशनल कमिटी' की बैठक

3922. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने नवंबर, 2001 में 'इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स' की 'पाकिस्तान नेशनल कमिटी' की बैठक में भाग नहीं लिया;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का मुख्य प्रयोजन क्या था;

(ग) इस बैठक में भाग न लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत सरकार के इस बैठक में भाग न लेने को पाकिस्तान ने गंभीरता से लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इंटरनेशनल चेम्बर आफ कामर्स की पाकिस्तान राष्ट्रीय समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को 11 और 12 नवंबर, 2001 को कराची में आईसीसी क्षेत्रीय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सम्मेलन में भाग लेने और संबोधित करने का निमंत्रण दिया था। सम्मेलन का मुख्य विषय था 'व्यापार और निवेश के लिए सामने आ रहा निर्णय संकट'। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को 'पूर्व की ओर गैस पाइपलाइनें - पहला डग: भारत की ओर' विषय पर ऊर्जा संबंधी सत्र को संबोधित करना था। परन्तु, विदेश मंत्रालय ने सूचित किया कि सम्मेलन आयोजकों द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गहरे समुद्र में ड्रिलिंग-कार्य

3923. श्री मोहन रावले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गहरे समुद्र में ड्रिलिंग-कार्य करने हेतु 'रिग' के अद्यतनीकरण पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) अन्यत्र इस कोटि की 'रिग' की तुलना में, तकनीकी संदर्भ में प्रति मीटर ड्रिलिंग-लागत के अनुपात में इसका कार्य-निष्पादन क्या रहा है;

(ग) क्या इसका तकनीकी कार्य-निष्पादन संतोषप्रद रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ओएनजीसी के स्वामित्व वाले वेधनपोत सागर विजय का 46.08 करोड़ रुपये की लागत से सार्वजनिक क्षेत्र शिपयार्ड, मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन में 300 मीटर से 900 मीटर की जल गहराई की क्षमता तक उन्नयन कर दिया गया है। उन्नयन के बाद वेधन पोत सागर विजय ने अब तक गहरे जल वाले क्षेत्रों में 7 कूपों का वेधन किया है। पहले 6 कूपों के लागत आंकड़ों के आधार पर औसत लागत 2.27 लाख रुपये प्रति मीटर है। समान से समान की तुलना के लिए प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, कुछ रिपोर्टों में संयुक्त राज्य अमरीका के खाड़ी तट में गहन जल में वेधन की लागत 1500 अमरीकी डालर प्रति फुट, लगभग 2.40 लाख रुपये प्रति मीटर से अधिक बताई गई है।

(ग) उन्नयन किए गए वेधन पोत ने पश्चिमी अपतट में 880 मीटर की जलीय गहराई में पहले ही एक कूप का वेधन किया है जिसने उन्नयन किए गए स्तर तक अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर दिया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

अपारंपरिक ऊर्जा-स्रोतों के जरिए विद्युत-उत्पादन

3924. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की कुल विद्युत-आपूर्ति में अपारंपरिक ऊर्जा-स्रोतों के जरिए उत्पादित विद्युत का वार्षिक अंश कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या प्रगति हुई; और

(ग) अपारंपरिक स्रोतों के जरिए विद्युत-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की वर्तमान क्षमता से प्रतिवर्ष करीब आठ बिलियन इकाई बिजली का उत्पादन किए जाने का अनुमान है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 372 मे.वा. की पवन विद्युत क्षमता; 183 मे.वा. की लघु पनबिजली परियोजनाएं; 165 मे.वा. की बायोमास विद्युत/खोई सहउत्पादन परियोजनाएं; 11 मे.वा. की अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं और, लगभग 1 मे.वा. की सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

(ग) राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन जैसे करों एवं शुल्कों में राहत, त्वरित अवमूल्यन और उदार ऋण उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए अनेक संभावित राज्यों द्वारा नीतियां भी शुरू की गई हैं। कुछ निश्चित परियोजना श्रेणियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी अथवा ब्याज सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय संस्कृति नीति

3925. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संस्कृति संबंधी राष्ट्रीय नीति के लिए अंतिम दस्तावेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक तैयार कर लिए जाने एवं क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह मंत्रालय राष्ट्रीय संस्कृति नीति के निरूपण के बारे में विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों/रसोई गैस एजेंसियों को रद्द करना

3926. श्री उत्तमराव ढिकले :
श्री एम.के. सुब्बा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तत्कालीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा 1993-96 के बीच अपने विवेकाधीन कोटे से स्वीकृत पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों को निरस्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कुल कितने पेट्रोल पंपों तथा रसोई गैस एजेंसियों को निरस्त किए जाने की संभावना है; और

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार 1992-93 से 1995-96 की अवधि के दौरान विवेकाधीन कोटे के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों के आबंटन की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। इनमें से कुछ मामलों में उच्च न्यायालय ने डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को रद्द करने और सार्वजनिक नीलामी के लिए दिशानिर्देश दिए हैं।

रद्द की गई डिलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सार्वजनिक नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को प्रदान की जानी है।

[अनुवाद]

विद्युत व्यापार निगम के लिए केन्द्रीय गारंटी

3927. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने प्रस्ताव किया था कि विद्युत व्यापार निगम को छः महीने के विद्युत बिल की भरपाई के लिए सरकार द्वारा समर्थित ऋण उगाहने की अनुमति देकर आवश्यक नकदीकरण की सहायता प्रदान की जाए;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत व्यापार निगम का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त राशि को किस तरह से सृजित किए जाने की संभावना है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) विद्युत व्यापार निगम (पीटीसी) को बड़ी विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए सुरक्षा सहायता प्रदान करने का एक प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। पीटीसी को सरकार को समर्थन प्राप्त ऋण उगाहने की अनुमति देना ऐसे कई विकल्पों में से एक है जिन पर पीटीसी को परिसमापन सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पीटीसी की प्राधिकृत पूंजी इस समय 150 करोड़ रुपए है। पीटीसी में इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) (30%), राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम (एनटीपीसी) (15%) तथा विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसी) (15%) का है। शेष इक्विटी भारतीय वित्तीय संस्थानों को प्रस्तावित की जा रही है। संबंधित राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों को भी, व्यवहार्य पाए जाने पर, शामिल किया जाएगा। पीटीसी की प्रदत्त पूंजी 24,00,00,100/- (चौबीस करोड़ एक सौ रुपए केवल) है।

मुम्बई में रक्षा भूमि का व्यावसायिक उपयोग

3928. **श्री वरकला राधाकृष्णन :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड सर्विसेज क्लब, मुम्बई महत्वपूर्ण रक्षा भूमि पर एक लाभकारी व्यावसायिक उद्यम के रूप में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्लब 0.36 लाख ऋण प्रतिवर्ष का भुगतान कर रहा है जबकि रक्षा संपदा अधिकारी ने क्लब द्वारा देय किराया 2.73 करोड़ रुपये वार्षिक आंका है;

(ग) क्या क्लब अपना परिसर 4 घंटों इत्यादि के लिए 0.50 लाख रुपये की दर से निजी समारोहों हेतु किराये पर देता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) यूनाइटेड सर्विस क्लब, मुम्बई, भारत सरकार द्वारा दी गई लीज के आधार पर कार्य कर रहा है। यह सही है कि रक्षा संपदा अधिकारी ने क्लब द्वारा देय वार्षिक किराया प्रतिवर्ष 2.73 करोड़ रुपये आंका है। सेना प्राधिकारियों ने बताया है कि क्लब ने वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सुविधाएं मुहैया करना अब बंद कर दिया है।

कश्मीरी भाषा में समाचार बुलेटिन

3929. **श्री राजो सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी पर कश्मीरी भाषा का समाचार बुलेटिन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी द्वारा कश्मीरी भाषा में निम्न प्रकार से दैनिक समाचार बुलेटिनों का पहले से ही प्रसारण किया जा रहा है:-

1. आकाशवाणी, दिल्ली का समाचार सेवा प्रभाग (इसकी घरेलू सेवा में)—दस-दस मिनट की अवधि के दो समाचार बुलेटिन और सम्बद्ध विषय पर 5 मिनट की एक कमेन्टरी।
2. क्षेत्रीय समाचार यूनिट, श्रीनगर—तीन समाचार बुलेटिन जिनमें पांच-पांच मिनट की अवधि के दो और दस मिनट की अवधि का एक समाचार बुलेटिन है।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के विद्युत संयंत्र

3930. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का अपने विद्युत संयंत्रों को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अंतर्गत जल विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) समस्या उत्पन्न करने वाले संयंत्रों के रूप में पता लगाए गए संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनकी कीमत निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के विद्युत संयंत्रों को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आई.एन.एस. विक्रांत को युद्ध संग्रहालय में परिवर्तित करना

3931. श्री किरीट सोमैया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एन.एस. विक्रांत को युद्ध संग्रहालय में परिवर्तित करने के कार्य में बहुत विलम्ब किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आई.एन.एस. विक्रांत को युद्ध संग्रहालय में परिवर्तित करने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 'आई.एन.एस. विक्रांत' को समुद्री संग्रहालय में बदलने में रुचि व्यक्त की थी। तदनुसार, संग्रहालय में बदलने के लिए इस पोत को राज्य सरकार को भेंट करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, राज्य सरकार ने अप्रैल, 2000 में, इस योजना को लागू करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इस प्रकार, इस पोत को 'कबाड़' के रूप में निपटाने का निर्णय लिया गया तथा निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। परंतु, जुलाई, 2000 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस पोत को समुद्री संग्रहालय में बदलने का पुन: अनुरोध किया। इसलिए पोत की 'कबाड़' के रूप में निपटाने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को रोक कर रखा गया था।

राज्य सरकार ने अब सूचित किया है कि व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्य सरकार से पोत को वैकल्पिक बर्थ पर ले जाने तथा इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

संग्रहालय परियोजना का कार्य पूर्ण रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जाना है तथा इसे पूरा होने में लगभग तीन वर्ष लगने की संभावना है। नौसेना द्वारा आर्थिक सहायता किए जाने की कोई परिकल्पना नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में यात्रियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना

3932. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का यात्रियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर "एक्वागार्ड" लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन रेलवे स्टेशनों पर उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने का विचार है; और

(ग) राजस्थान में सभी रेलवे स्टेशनों पर उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाने वाला पीने का पानी स्वच्छ एवं पीने योग्य होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में गैस भंडार

3933. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी मालदा क्षेत्र रायगंज, करंदीघी और उत्तर दीनाजपुर जिले के गोआलपुखुर में गैस के भंडार होने की सूचना

मिली है जिसका इन क्षेत्रों में ओ.एन.जी.सी. द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण कराए जाने के पश्चात् दोहन किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में गैस भंडारों का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) ने पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत अब तक कोई गैस भंडार प्रमाणित नहीं किए हैं। उत्तर दीनाजपुर जिले में ओ.एन.जी.सी. ने दो कूपों अर्थात् करनदिघी-1 तथा लाहिल-1 का वेधन किया है। ये कूप शुष्क साबित हुए थे और छोड़ दिए गए। मालदा जिले में किसी कूप का वेधन नहीं किया गया है।

हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण के लिए सरकार ने पहले पश्चिम बंगाल के मालदा तथा उत्तर दीनाजपुर जिलों के भागों को शामिल करने वाले अन्वेषी बोली के 6ठे, 7वें तथा 8वें दौर के अंतर्गत 2 ब्लाक एवं नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.)-2 दौर के अंतर्गत 1 ब्लाक प्रस्तावित किया था। तथापि, इन प्रस्तावित ब्लाकों में से किसी भी ब्लाक के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

प्रत्येक रेलगाड़ी में विकलांगों के लिए सुविधाजनक डिब्बा

3934. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार प्रत्येक रेलगाड़ी में विकलांगों के लिए एक सुविधाजनक डिब्बा जोड़े जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी रेलगाड़ियों में ऐसे डिब्बे कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे; और

(घ) विकलांग ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें इस कार्य हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) रेलवे ने विकलांग यात्रियों की सुविधा के लिए नए अभिकल्प के दूसरे दर्जे के गार्ड एवं सामान (एस.एल.आर.) टाइप के सवारी डिब्बों का उत्पादन शुरू कर दिया है। लगभग 80 ऐसे सवारी डिब्बों का पहले ही सेवा में उपयोग किया जा रहा है।

(ग) 1.4.2001 से उत्पादन इकाइयों में विकलांगों के अनुकूल नए एस.एल.आर. किस्म के सवारी डिब्बों का ही निर्माण किया जा रहा है। इस समय इस्तेमाल में लाए जा रहे एस.एल.आर. सवारी डिब्बों के गतायु होने के बाद उनके स्थान पर इन सवारी डिब्बों की व्यवस्था की जाएगी। अत: सभी गाड़ियों में ऐसे सवारी डिब्बों की शुरूआत धीरे-धीरे होगी और इसमें कई वर्ष लगेंगे।

(घ) विकलांग यात्रियों के लिए रेल सुविधाओं को आसान बनाने के लिए रेलवे द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. सवारी डिब्बों के अभिकल्प के बारे में

1. विकलांग यात्रियों की सुविधा के लिए नए अभिकल्प के एस.एल.आर. किस्म के सवारी डिब्बों की शुरूआत।
2. विकलांग यात्री आसानी से प्रवेश कर सके इसके लिए सवारी डिब्बों के अभिकल्प में सुधार करना।

2. स्टेशनों पर सुविधाओं के संबंध में

चरण-1—

पहले "ए" कोटि के स्टेशनों पर शुरू की जाने वाली अल्प अवधि की सुविधाएं इस प्रकार हैं:-

1. बेरियर मुक्त प्रवेश के लिए रेलिंग सहित मानक रैम्प की व्यवस्था।
2. विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए कम से कम दो पार्किंग स्थानों को चिह्नित करना।
3. उपयुक्त दृश्यता वाले चिह्नों की व्यवस्था।
4. विकलांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए कम से कम एक पीने के पानी की उपयुक्त नल की व्यवस्था करना।
5. भूतल पर कम से कम एक शौचालय की व्यवस्था करना।
6. पार्किंग स्थल से इमारत के लिए फिसलन मुक्त पैदल पथ की व्यवस्था करना।

''ए'' कोटि के स्टेशनों पर तीन वर्षों के भीतर मुहैया कराई जाने वाली दीर्घकालिक सुविधाएं हैं। इसमें शामिल हैं:-

1. अंत:प्लेटफार्म ट्रांसफर के लिए सुविधा का प्रावधान।

2. प्लेटफार्मों के छोरों पर इनग्रेविंग।

चरण-2---

चरण-1 के पूरा हो जाने के बाद सभी ''बी'' और ''डी'' कोटि के स्टेशनों पर अल्पकालिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके बाद दीर्घकालिक सुविधाओं के और विस्तार का निर्णय लिया जाएगा।

नींबू और मछलियों के लिए पार्सल वैन

3935. श्री वाई.वी. राव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विजयवाड़ा मंडल में लदान किये जाने वाले नींबू और मछलियों की पार्सल वैनों की संख्या बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त पार्सल वैन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) विजयवाड़ा मंडल से गुजरने वाली विभिन्न गाड़ियों में नींबू, मछली और अन्य नश्य यातायात की निकासी हेतु पर्याप्त संख्या में पार्सल वैनें लगाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न गाड़ियों की ब्रेक वैनों में विजयवाड़ा मंडल के लिए 64 टन का कोटा भी आवंटित किया गया है। विजयवाड़ा मंडल पर नश्य यातायात की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा स्थान पर्याप्त है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इनसेटों की खरीद

3936. श्री अरुण कुमार :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड 1992 से स्वयं एम.सी.आई. इनसर्टों की खरीद कर रहा है जो उस समय जोनल रेलवे द्वारा खरीदे जा रहे थे;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई;

(ग) 1992 से अब तक वर्ष-वार कितने एम.सी.आई. इनसर्ट खरीदे गए;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड ने बहुत ऊंची दरों पर एम.सी.आई. इनसर्ट खरीदे हैं जैसाकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रकाशित अपनी 1999 की रिपोर्ट 9 में पृष्ठ 174 से आगे दर्शाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए मामले की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) खुली निविदा द्वारा खरीद की गई है।

1993-95	600,00,000 अदद
1995-99	560,00,000 अदद
1999-2000	275,00,000 अदद
2000-2001	2,75,00,000 अदद
2001-2002	275,00,000 अदद

(घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस रिपोर्ट में दो निविदा मामलों के बारे में उल्लेख किया है जहां उनके अनुसार उच्चतर दरों पर खरीद की गई थी। रेलवे बोर्ड ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पाइपलाइन के द्वारा रसोई गैस

3937. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के कुछ शहरों में रसोई गैस की पाइपलाइन के द्वारा आपूर्ति करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ चयनित शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना पर कितनी अनुमानित लागत आएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, महानगर गैस लिमिटेड, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मैसर्स ब्रिटिश गैस तथा महाराष्ट्र सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। शहर गैस वितरण योजना के तहत मुंबई के कुछ भागों में घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा की चालू योजनाओं की समीक्षा

3938. श्री अनंत गुढे : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में चालू योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्यों के संबंध में योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्याप्त क्षमता के बावजूद गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रों के वैध दावों की तुलना में इन योजनाओं पर किया गया आवंटन और व्यय बहुत कम रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को चलाने के लिए निधियों का पर्याप्त आवंटन और जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) मंत्रालय राज्य नोडल एजेंसियों और अन्य संगठनों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति की समय-समय पर आवधिक समीक्षा करता रहा है और महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के सफल और यथासमय कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उचित कदम उठाए हैं। बायोगैस, उन्नत चूल्हा और सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों के अलावा मंत्रालय द्वारा राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इन तीन कार्यक्रमों के अंतर्गत 31.10.2001 के अनुसार पिछले तीन वर्षों (चालू वित्त वर्ष सहित) के दौरान लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2000-01 के दौरान मंत्रालय के अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) अपारंपरिक कार्यक्रमों/योजनाओं की संभाव्यता का दोहन सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, तकनीकी व्यवहार्यता और परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करता है। मंत्रालय महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्तावों सहित सभी प्रस्तावों पर पात्रता और विद्यमान नियम व शर्तों को पूरा करने के आधार पर विचार कर रहा है।

विवरण-I

महाराष्ट्र राज्य में दिनांक 31.10.2001 के अनुसार चालू वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों के ब्यौरे

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजना का नाम	निर्धारित लक्ष्य	31.10.2001 के अनुसार प्राप्त उपलब्धियां
1.	बायोगैस (सं.)	46,000	40213
2.	उन्नत चूल्हा (सं. लाखों में)	4.41	3.15
3.	सौर प्रकाशवोल्टीय		
	(*i*) सौर लालटेन (सं.)	4250	3115
	(*ii*) सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं.)	755	432
	(*iii*) सौर सड़क रोशनी प्रणालियां (सं.)	450	259

विवरण-II

महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत दिनांक 31.3.2001 के अनुसार पिछले तीन वर्षों (1998-99 से 2000-01) के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजना	पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां
1.	पवन विद्युत कार्यक्रम (मे.वा.)	184.20
2.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत (कि.वा.)	75
3.	लघु पनबिजली (मे.वा.)	27.21
4.	बायोमास गैसीफायर (कि.वा.)	800
5.	अपशिष्ट से ऊर्जा (मे.वा.)	1
6.	एसपीवी पंप (सं.)	38
7.	पवन मिलें (सं.)	7
8.	एरोजनरेटर (कि.वा.)	25
9.	सौर कुकर (सं.)	2847
10.	ऊर्जा पार्क (सं.)	2
11.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (सं.)	37

मे.वा. = मेगावाट, कि.वा. = किलोवाट

रेल फ्रेक्चर का पता लगाने वाली मशीन

3939. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे इंजीनियरों ने कम लागत वाली, हल्की, प्रयोग करने में सरल रेल फ्रेक्चर का पता लगाने वाली मशीन को सफलतापूर्वक विकसित किया है और उसका परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्वदेशी मशीन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) प्रत्येक इकाई की उत्पादन लागत कितनी है; और

(घ) इस मशीन के व्यापक उपयोग हेतु कब तक विनिर्माण कर लिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) मध्य रेलवे पर विकसित एवं उपकरण के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जा रहा है और इसका अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) इस उपकरण का भार लगभग 14 किग्रा. है और यह 6 वाल्ट की रि-चार्जेबल बैटरी पर कार्य करता है। यह विद्युत धारा के सतत प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब मशीन रखी ट्राली एक टूटी/अलग हुई पटरी/वेल्ड से गुजरती है तो इस टूटी हुई जगह पर ट्राली के चलने से एक बजर अलार्म बजता है।

(ग) इस उपकरण के प्रोटोटाइप की लागत लगभग 3500 रु. (तीन हजार पांच सौ रु. केवल) है।

(घ) इस उपकरण का अभी भी परीक्षण चल रहा है। एक निश्चित अवधि तक परीक्षण कर लेने के बाद इसके परिणामों के मद्देनजर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन में अनियमितताएं

3940. श्री राम टहल चौधरी :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत छः माह के दौरान रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पंपों के आवंटन में की गई अनियमितताओं के संबंध में संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी शिकायतों की जांच पूरी की गई है और कितनी सत्य पाई गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) एलपीजी एजेंसियों/खुदरी बिक्री केन्द्रों (आरओ) के चयन के विरुद्ध मंत्रालय द्वारा प्राप्त सभी शिकायतें, जिसमें संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतें भी सम्मिलित हैं, जांच और डीलर चयन बोर्ड दिशानिर्देशों में उल्लिखित शिकायत निवारण प्रणाली के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए तेल विपणन कंपनियों/महानिदेशक, मिलावट रोधी प्रकोष्ठ, तेल समन्वय समिति को प्रेषित कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

सी.एन.जी. कम्प्रेसरों की खरीद में अनियमितताएं

3941. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा दिल्ली में सीएनजी फिलिंग स्टेशनों के लिए कम्प्रेसरों को खरीदने हेतु सौदों में जांच कराने के लिए संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई अनियमितताओं के आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इस संबंध में एक पत्र माननीय संसद सदस्य से प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) आरोप विशेषकर कम्प्रेसरों की आपूर्ति के ठेकों में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) में कुप्रबंधन, लालच और भ्रष्टाचार के संबंध में थे। आईजीएल एक सरकारी कंपनी नहीं है, यद्यपि मंत्रालय उच्चतम न्यायालय को की गई प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए कम्प्रेसरों की स्थापना की प्रगति की निगरानी करता रहा है। आईजीएल गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और दिल्ली सरकार का संयुक्त उद्यम होने के नाते अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कम्प्रेसरों की अधिप्राप्ति करती है और इसे किसी सरकारी अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। कम्प्रेसरों की खरीद निविदा आधार पर और प्राप्त बोलियों की तकनीकी, वित्तीय और वाणिज्यिक उपयुक्तता के अध्यधीन और आईजीएल के बोर्ड के अनुमोदन से की जा रही है। माननीय सदस्य को स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया है।

गंदी बस्तियों के निवासियों का पुनर्वास

3942. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई रेल विकास निगम (एम.यू.टी.पी.) के कारण प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए शीर्ष एजेंसी के नाम क्या हैं;

(ग) रेल भूमि से कितनी गंदी बस्तियों और अन्य ढांचों को खाली कराया गया है और उनमें से अब तक कितनों का पुनर्वास किया गया;

(घ) शेष व्यक्तियों को कब तक पुनर्वासित कर दिया जाएगा;

(ङ) पुनर्वास हेतु रेलवे और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कितना योगदान किया गया है;

(च) क्या विश्व बैंक प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु एम.आर.बी.सी. को धन प्रदान कर रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) एम.आर.वी.सी. के चल रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा बनाई गई मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास की नीति के अनुसार भूमि और इमारतों के अधिभोगी बेस लाइन सर्वेक्षण के समय परियोजना क्षेत्र में रहने वालों और परियोजना प्रभावित व्यक्ति मौजूदा विकास नियंत्रण नियम के अनुसार सभी ऑन साइट तथा ऑफ साइट सुविधाओं सहित 20.91 वर्ग मी. कारपेट क्षेत्र के स्थायी मकान में पुनर्वास के लिए पात्र होंगे। नीति में पुनर्वास के दौरान परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक हानियों की क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित परियोजना निगरानी यूनिट एक नोडल एजेंसी है।

(ग) और (घ) लगभग 19000 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से (सड़क परियोजना के कारण 4600 और रेल परियोजना के कारण 14400) लगभग 10400 (केवल रेल परियोजनाओं के लिए) को हटाकर उनका पुनर्वास कर दिया गया है। चूंकि कार्यान्वित की जा रही परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास का कार्यान्वयन महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। रेलों के लिए इस बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ङ) चूंकि रेलवे के साथ परियोजना की लागत में भागीदारी महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जा रही है इसलिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की लागत भी 50:50 के आधार पर महाराष्ट्र सरकार के साथ रेलवे द्वारा भी वहन की जाएगी।

(च) और (छ) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास के लिए विश्व बैंक द्वारा 263 करोड़ रु. का ऋण मुहैया कराए जाने की आशा है। विश्व बैंक ऋण के जून 2002 तक स्वीकृत होने की संभावना है।

(ज) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण-1 के मार्च 2007 तक पूरा होने की संभावना है।

नेपाल की परियोजना

3943. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नेपाल में करनाली, पंचेश्वर तथा सप्तकोसी जल विद्युत परियोजनाओं को सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोनों देशों द्वारा किन लाभों में भागीदारी की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय जो इन बहुद्देशीय परियोजनाओं के लिए नोडल मंत्रालय है, के अनुसार भारत सरकार और नेपाल सरकार सम्मिलित रूप से पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रहे हैं। साप्तकोशी उच्च बांध बहुद्देशीय परियोजना एवं सन कोशी स्टोरेज कम विपथन योजना के संबंध में आरंभिक रिपोर्ट को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है जिससे कि संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। करनाली के संबंध में मामला विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) चूंकि परियोजनाएं अभी भी जांचाधीन है, अत: इनसे दोनों देशों को मिलने वाले लाभ तथा इन परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले संभावित निवेश का मूल्यांकन एवं इन्हें अंतिम रूप देने का काम डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

गुफानुमा सुरंग

3944. श्री के. येरननायडू : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकीय प्रयोगशालाओं द्वारा गुफानुमा सुरंग का निर्माण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी उपयोगिता का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) इस सुरंग का इस्तेमाल नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला तथा नौसेना द्वारा विकसित जलगत हथियारों/जलमग्न पिण्डों के हाइड्रो-डॉयनामिक परीक्षण करने के लिए किया जाएगा।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां

3945. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी रिक्तियां बिना भरे पड़ी हैं;

(ख) इस तारीख तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित थे; और

(ग) क्या पूर्वोत्तर में कोई और उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय की खंडपीठ खोले जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) 1 सितम्बर, 2001 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 18 स्वीकृत पद थे। उस तारीख को पांच पद रिक्त थे।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा की राजधानियों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठें पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। अंतिम न्यायपीठ 12 अगस्त, 2000 से अरूणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थापित की गई थी। यद्यपि, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा की सरकारों ने उनके अपने-अपने राज्यों के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने का अनुरोध किया है किंतु कार्यभार को देखते हुए, इन राज्यों के लिए पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना करना अपेक्षित नहीं है।

रक्षा भूमि पर अवैध कब्जा

3946. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा भूमि के पट्टे के समाप्त होने के बावजूद इन भूमियों पर कई क्लब व्यवसायिक रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) अब तक की स्थिति के अनुसार उक्त प्रतिष्ठानों द्वारा सरकार को देय बकाया धनराशि कितनी है; और

(ग) उनको वहां से हटाने और बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) रक्षा भूमि पर उनके पट्टे समाप्त होने के बाद भी बारह क्लब उन पर काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) क्लबों से वसूले जाने वाले किराए के विवरणों के बारे में केवल तभी पता चल पाएगा जब सरकार इन क्लबों के पट्टे जारी रखने अथवा न रखने के बारे में निर्णय ले लेगी और यथा-निर्धारित पट्टा-किराया बकाया राशि के रूप में वसूला जाएगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता

3947. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000 के दौरान सरकार को दूरदर्शन द्वारा घटिया कार्यक्रमों के प्रसारण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार दूरदर्शन के सभी चैनलों पर अश्लील फिल्मों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब तक लगाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती हैं और उन पर मुस्तैदी के साथ कार्यवाही की जाती है। कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और दूरदर्शन इस सम्बन्ध में सभी प्रयास कर रहा है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन अपनी प्रसारण संहिता का सख्ती से पालन करता है जो अश्लील कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगाती है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम का पुनर्गठन

3948. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने व्यापक पुनर्गठन की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन नई योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ने अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन परामर्शदाता, मैसर्स मैकिन्सी एंड कंपनी इन्कारपोरटेड, के परामर्श से कार्पोरेशन के पुनर्गठन के लिए मार्च, 1997 में एक परियोजना आरंभ की थी। पुनर्गठन प्रक्रिया पहले अगस्त, 1997 में 'नीलम क्षेत्र' के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में और इसके बाद अप्रैल, 1999 में 'पश्चिमी क्षेत्र व्यवसाय केन्द्र' में आरंभ की गई थी। प्रायोगिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय प्राप्त किए गए अनुभव के अनुसार परियोजना में समय-समय पर संशोधन किया गया था। ओएनजीसी के निदेशक मंडल द्वारा पुनर्गठन योजना जुलाई 2001 में अनुमोदित की गई थी और ओएनजीसी में कार्यान्वित की गई थी। इस योजना को कार्पोरेट

रिजुवेनेशन कैम्पेन (सीआरसी) नाम दिया गया था। सीआरसी में अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों की बराबरी करने और उनसे आगे निकलने के लिए सारे कार्यों में सुधार की सतत प्रक्रिया सम्मिलित है। जनशक्ति संसाधनों, उत्तरदायित्वों के पुनर्वितरण और उन्हें पुन: सौंपने से संबंधित संगठनात्मक परिवर्तनों में निदेशक मंडल के प्रबंधन के संपूर्ण नियंत्रण और मार्गदर्शन के तहत अन्वेषी कार्य के लिए सात 'बेसिनों' और उत्पादन कार्यों के लिए दस 'परिसंपत्तियों' को मुख्य कार्य सौंपना परिकल्पित है।

सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण संस्थान

3949. श्री सुल्तान सुल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण संस्थान श्रम शक्ति के साथ-साथ धन की कमी का भी सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) श्रम शक्ति एवं धन की उक्त कमी का सशस्त्र सेनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रशिक्षण संस्थानों को बिना किसी विलंब के पर्याप्त धन उपलब्ध कराने और श्रम शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सशस्त्र सेना प्रशिक्षण संस्थान धनराशि कार्मिकों की संख्या की किसी कमी का सामना नहीं कर रहे हैं। प्रशिक्षण संस्थानों के पास पर्याप्त कार्मिक तथा धनराशि उपलब्ध है।

पंजाबी भाषा का प्रयोग

3950. श्री सिमरनजीत सिंह मान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब राज्य की राजभाषा पंजाबी का प्रयोग पंजाब के किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सभी उद्घोषणाओं को हिन्दी में करने और रेलवे के सभी संकेतों को हिन्दी में लिखे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मुद्दे पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार स्टेशन का नाम, साइनबोर्ड और नोटिस बोर्डों इत्यादि को हिंन्दी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तदनुसार पंजाब राज्य में पड़ने वाले स्टेशनों पर इन्हें पंजाबी में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा, पंजाब राज्य में पड़ने वाले स्टेशनों पर उदघोषणाएं हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा पंजाबी में भी की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीबर्ड परियोजना

3951. श्री विनय कुमार सोराके: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करवाड़ में नए नौसैनिक अड्डे, जिसको वर्ष 1995 में पूरा किया जाना था, की स्थापना किए जाने संबंधी सीबर्ड परियोजना में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके विस्तार क्षेत्र में 50% से ज्यादा की कमी होने के बावजूद परियोजना परिव्यय वर्ष 1985 में 350 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1995 में 1294 करोड़ रुपए हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विस्थापित परिवारों के पुनर्वास कार्यक्रम के पूरा होने में भी विलंब है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) अगस्त, 1985 में रक्षा मंत्रालय ने 350.00 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अनुमानित व्यय से कारवाड़ में एक नौसैनिक अड्डे के निर्माण का अनुमोदन किया था। प्रारंभिक अनुमान सांकेतिक थे और उन्हें बिना किसी मास्टर प्लान तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार किया गया था। कार्य-क्षेत्र, डाकयार्ड के भिन्न-भिन्न उप संघटकों तथा सहायक अवसंरचना के ब्यौरे परिकलित नहीं किए गए थे। वर्ष 1989 में परियोजना के चरण 1-क और 1-ख के लिए मास्टर प्लान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। परामर्शदाता ने अपनी रिपोर्ट 1990 में प्रस्तुत की। परन्तु वित्तीय कारणों से इस परियोजना का कार्य और आगे नहीं बढ़ सका। प्रारंभिक प्रस्ताव की तुलना में चरण-1 के न्यूनीकृत कार्य क्षेत्र तथा इस बीच मूल्य स्तर में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अंतिम परियोजना रिपोर्ट के आधार पर, रक्षा मंत्रालय

ने अंतत: 1294.41 करोड़ रुपए की प्रस्तावित लागत पर इस परियोजना के चरण-1 के निर्माण का अक्तूबर, 1995 में अनुमोदन कर दिया।

राज्य सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिए गये पुनर्स्थापना पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ नकद-भत्ता और गृह-स्थल, शिक्षा अध्येतावृत्ति तथा भोजन और औषधियों के लिए राहत को शामिल कर लिया गया। उक्त पुनर्स्थापना परियोजना को 126.96 करोड़ रुपए की कुल लागत पर अंतिम रूप दिया गया है और कर्नाटक सरकार को पहले ही 117.02 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि का भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा के बाद किया जाएगा।

इस परियोजना के 2005 तक पूरा हो जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर स्थायी रक्षा निर्माण

3952. श्री रामदास आठवले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद का सामना करने के लिए भारत-पाक सीमा पर स्थायी निर्माण करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नियमों को लागू करना

3953. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वर्ष 1999 के अपने प्रतिवेदन का पृष्ठ संख्या 33-72 में रेलवे के गलत नियमों को लागू किए जाने के कारण 177.05 करोड़ रुपए की हानि का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नियमों को सही तरीके, से लागू नहीं करने के कारणों पर गौर किया है और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों की पहचान की है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) रेलवे को संवेदनहीनता, असावधानी और उपेक्षा बरते जाने के कारण किन अन्य क्षेत्रों में नुकसान हुआ है; और

(ङ) जोनल रेलवे एवं रेलवे बोर्ड के कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 1999 (रेलवे) की रिपोर्ट सं. 9 के पृष्ठ 33 से 72 में नियमों के गलत कार्यान्वयन और अन्य मामलों से संबंधित लेखा परीक्षा के 24 पैरा दिए गए हैं। लेखा परीक्षा द्वारा आकलित हानि की विस्तृत जांच की गई है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए गए पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत रूप से विधीक्षित करके लोक लेखा समिति को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। जहां कहीं जरूरी होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

रायपुर से कटनी होकर रीवा को जाने वाली यात्री रेलगाड़ी

3954. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्र से रायपुर से बरास्ता कटनी-रीवा जाने के लिए यात्री रेलगाड़ी चलाए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उक्त रेलगाड़ी को कब तक चलाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। कटनी के रास्ते रायपुर और रीवा के बीच गाड़ी चलाने की जांच की गई है परंतु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

आरक्षित पदों को अनारक्षित करने के मामले

3955. डा. बलिराम: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ओ.पी.टी. के 25 अप्रैल, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/6/88-स्था. (एस.सी.टी.), जो कि 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी था और जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर रोक लगने के बावजूद बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित करके इन्हें अन्यों द्वारा भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 1 अप्रैल, 1989 से आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित कर अन्य लोगों से भरा गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की स्वीकृत स्टाफ संख्या 397 है जिसमें समूह क, ख, ग एवं घ शामिल हैं। इसमें से केन्द्रीय सचिवालय से संबंधित 127 स्टाफ का नियंत्रण विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा आरक्षण रोस्टर आदि का रखरखाव किया जा रहा है। समूह 'क' के 13 पदों का नियंत्रण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' में 5 पदों का नियंत्रण किया जा रहा है। इस मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण केवल वैज्ञानिक और समूह 'घ' पदों पर ही है। इस मंत्रालय में कुछ पृथक (संवर्ग-बाह्य) पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाते हैं किंतु ऐसे पदों के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं है। इस स्थिति के मद्देनजर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किन्हीं भी रिक्तियों/पदों को अनारक्षित नहीं किया जा रहा है और उन्हें अन्यों द्वारा नहीं भरा जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में सवारी डिब्बों का विनिर्माण

3956. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में चेन्नई स्थित इंटेग्रल कोच फैक्टरी की प्रति वर्ष लगभग 1500 सवारी डिब्बों के विनिर्माण की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विनिर्माण किए गए सवारी डिब्बों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सवारी डिब्बों का उत्पादन इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम हुआ है;

(घ) यदि हां, तो वार्षिक आधार पर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। सवारी डिब्बा कारखाना में मौजूदा संस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 1000 सवारी डिब्बों की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सवारी डिब्बा कारखाना पर सवारी डिब्बों का उत्पादन निम्नलिखित है:-

1998-99		1999-2000		2000-2001	
लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1050	1057	1004	1006	1000	1000

(ग) जी नहीं। सवारी डिब्बा कारखाना प्रत्येक वर्ष अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

देश में विद्युत संकट

3957. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर विद्युत संकट व्याप्त है;

(ख) क्या देश के कुछ राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की बेहतर संभाव्यता मौजूद है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की क्या स्थिति है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अप्रैल, 2001 से नवम्बर, 2001 की अवधि के दौरान देश में कुल 7.2% की ऊर्जा की कमी थी।

(ख) और (ग) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए निम्नलिखित संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है:-

पवन विद्युत	-	45,000 मे.वा.
लघु पनबिजली	-	15,000 मे.वा.
बायोमास विद्युत	-	19,500 मे.वा.
अपशिष्ट से ऊर्जा	-	1,700 मे.वा.
सौर विद्युत	-	20 मे.वा. प्रति वर्ग कि.मी.

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित 3400 मे.वा. से अधिक की कुल क्षमता देश में पहले ही स्थापित की गई है जिसमें मध्य प्रदेश में 76 मे.वा., गुजरात में 177 मे.वा. और राजस्थान में 38 मे.वा. शामिल है।

[अनुवाद]

पनविद्युत निगम का खोला जाना

3958. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय पनविद्युत निगम के स्थान-वार कितने कार्यालय खोले गए/खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में प्रस्तावित पनविद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं की प्रगति क्या है; और

(घ) उक्त कार्यालयों के खोले जाने में महाराष्ट्र सरकार की क्या भूमिका है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) ने चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक स्थल कार्यालय खोला है।

(ख) रत्नागिरी जिले में स्थित निम्नलिखित तीन जल विद्युत स्कीमों को क्रियान्वयन हेतु एन.एच.पी.सी. को सौंपा गया है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेवा)
1.	बाव एचइपी चरण-1	18
2.	बाव चरण-2	37
3.	देवाडे एचईपी	6

(ग) जहां तक बाव चरण-1 और 2 का संबंध है, चरण-1 के सर्वेक्षण एवं जांच कार्य संबंधी कार्यों के लिए व्ययों को स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से परियोजना हेतु स्थल स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रदान की जायेगी।

जहां तक देवाडे जल विद्युत स्कीम का संबंध है, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं जांच कार्य किये जा रहे हैं।

(घ) एन.एच.पी.सी. द्वारा स्वयं की पहल पर स्थल कार्यालय खोला गया है।

दसवीं योजना के अंतर्गत एस.सी.पी./टी.एस.पी. के लिए धनराशि

3959. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 1978 से अ.जा. और अ.ज.जा. के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष घटक योजना (एस.सी.पी.) और आदिवासी उपयोजना (टी.एस.पी.) के अंतर्गत विभिन्न योजना और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन, विपणन और बिक्री के क्षेत्र में अ.जा. और अ.ज.जा. के सशक्तीकरण हेतु चल रही योजनाओं के अतिरिक्त दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के तहत उनके मंत्रालय द्वारा कौन-कौन सी नई योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं और इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किन वर्गों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इन कार्यक्रमों की प्रकृति/संभावनाएं क्या हैं;

(ग) दसवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि जुटाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत क्या लाभ मिलेंगे और क्या लक्ष्य हासिल किए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं। मंत्रालय के पास एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि मंत्रालय के बजट में केवल प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

आयकर अपीलीय अधिकरण

3960. श्री के. येरननायडू :
श्री राजो सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मामलों के शीघ्र निपटान हेतु आयकर अधिकरण को सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) आज की तिथि तक आयकर अपीलीय अधिकरण के पास कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) न्यायपीठों की संख्या पहले ही 38 से बढ़ाकर 53 कर दी गई है।

(ख) तारीख 1.12.2001 को लंबित मामलों की संख्या 2,17,669 थी।

(ग) न्यायपीठों की संख्या को 38 से बढ़ाकर 53 करने के अतिरिक्त मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:-

(1) एकल रूप से आसीन सदस्य द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों के लिए 1 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है।

(2) एकल सदस्य मामले सुनने की शक्तियों को अधिकरण के ऐसे सदस्यों को प्रदत्त करना, जिन्होंने पांच वर्ष से अधिक सेवा कर ली है।

(3) उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही निपटा दिए गए विवाद्यकों वाले मामलों का पता लगाना।

(4) समान मुद्दों वाले मामलों को समूहबद्ध करना।

(5) उन स्थानों पर, जहां कोई न्यायपीठ नहीं है, शिविर न्यायपीठें आयोजित करना।

(6) ऐसे स्थानों में, जहां सदस्यों की कमी है, सदस्यों को दौरों पर भेजना।

सी.बी.आई. छापे

3961. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष सी.बी.आई. ने एन.डी.टी.वी. और स्टार टी.वी. के उच्च पदस्थ अधिकारियों के परिसरों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एन.डी.टी.वी. और स्टार टी.वी. के अधिकारियों के विरुद्ध आज तक दायर किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोटा ताप विद्युत संयंत्र को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति

3962. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत चरण-4 के तहत कोटा टी.पी.एस. में एक्सटेंशन के रूप में 1 × 195 मेगावाट इकाई-6 की संस्थापना किए जाने हेतु परियोजना की संशोधित रिपोर्ट अब भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और इसके लिए कब तक तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति जारी किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम

लिमिटेड (आर.वी.यू.एन.एल.) के कोटा ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार के रूप में कोटा ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-6 चरण-4 (1×195 मेवा) को स्थापित करने के लिए सितंबर, 2001 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ। केविप्रा ने उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया क्योंकि राज्य प्राधिकारियों द्वारा कुछ आवश्यक सूचनाएं जैसे कोयला लिंकेज, जल उपलब्धता एवं परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तपोषण व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई गई थी।

[हिन्दी]

अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का विनिर्माण

3963. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान का विनिर्माण करने के लिए सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देश अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के विनिर्माण पर कितनी अनुमानित राशि खर्च करने जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत ने हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत 140 एस यू-30 एमके-1 वायुयानों के विनिर्माण हेतु रूस के साथ एक संविदा की है। उत्पादन 14 वर्षों की अवधि के दौरान किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत वर्ष 2000 के मूल्यों पर लगभग 22122 करोड़ रुपए होगी।

[अनुवाद]

जर्मनी का गैर-सरकारी संगठन—ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल

3964. श्री के. बलराम कृष्णमूर्ति : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी सौदों में भ्रष्टाचार से निपटने में सहायता के लिए जर्मनी के एक गैर-सरकारी संगठन—ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कौन-कौन से उपाय करने का सुझाव दिया गया है; और

(ग) इन उपायों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) एक सुविख्यात अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन 'ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल' सरकारी लेन-देन में पारदर्शिता के पक्ष में विश्वव्यापी मत बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। इस संगठन ने क्रेता और विक्रेता के बीच 'सत्यनिष्ठा करार' की अवधारणा का विकास किया है जिसमें दोनों पक्ष अपनी लेन-देन में निष्पक्षता रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने 'सत्यनिष्ठा करार' की अवधारणा की व्याख्या करने के लिए 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' के श्री माइकल विहेन को आमंत्रित किया था। वे अगस्त, 2001 में भारत आए तथा उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।

'सत्यनिष्ठा करार' से जुड़े कुछ बिंदुओं को रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई संविदाओं में पहले ही शामिल किया जा चुका है। रक्षा क्रय प्रक्रिया को परिमार्जित करना मंत्रालय का सतत प्रयास रहा है तथा 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' के साथ आयोजित वार्ता इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

मतदान के प्रतिशत में गिरावट

3965. श्री एम. चिन्नास्वामी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक आम चुनाव में मतदान का प्रतिशत गिर रहा है;

(ख) क्या लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो लोकतंत्र में लोगों का विश्वास पुन: बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि प्रत्येक साधारण निर्वाचन में मतदान की प्रतिशतता कम होती जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला बेड मिथेन भंडार

3966. श्री गंता श्रीनिवास राव :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :
श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री सवशीभाई मकवाना :

श्री दिनशा पटेल :
श्री दिलीप संघाणी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कोयला बेड मिथेन (सी.बी.एम.) भंडार वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में पाए गए कोयला बेड मिथेन का राज्य-वार क्षेत्र, मात्रा और मूल्य क्या है;

(ग) क्या देश में विशेषकर गुजरात में कोयला बेड मिथेन की और खोज/दोहन शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ङ) क्या इस संबंध में निजी कंपनियों से कोई बोली आमंत्रित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में पाए गए कोयला बेड मिथेन के उत्पादन स्तर भुगतान पर राजस्व हिस्से के 50 प्रतिशत की मांग की है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) उपलब्ध अध्ययनों से पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। सी.बी.एम. उत्पादन की वाणिज्यिकता का पता इन क्षेत्रों का अन्वेषण करने के बाद ही चल सकता है।

(ग) से (च) भारत सरकार ने देश में सी.बी.एम. के अन्वेषण और दोहन के लिए नीति अनुमोदित की थी। इस नीति के प्रथम दौर के तहत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के तहत सात ब्लाकों के लिए बोलियां आमंत्रित कीं जिनमें से दो ब्लाक झारखंड में, तीन मध्य प्रदेश में, एक-एक राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हैं। 31.8.2001 को बोली बंद होने की अंतिम तारीख को छह ब्लाकों के लिए सोलह बोलियां प्राप्त हुई थीं। ठेका देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

(छ) और (ज) गुजरात सरकार ने 50:50 के अनुपात में उत्पादन संबद्ध भुगतान (पी.एल.पी.) और वाणिज्यिक खोज बोनस की हिस्सेदारी के लिए अनुरोध किया है और यह अनुरोध भारत सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

गैर-बैंकिंग कम्पनियों में अनियमितताएं

3967. श्री जोरा सिंह मान : क्या **वित्त, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पंजीकृत किया गया;

(ख) क्या इन कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को ऐसी कंपनियों के विरुद्ध ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इससे कितनी वित्तीय क्षति होने की संभावना है?

वित्त, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मंगलौर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का गैस विद्युत संयंत्र

3968. श्री के. येरननायडू :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से 2,000 मेगवाट क्षमता वाले विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु करवाड़ के निकट एक तटवर्ती स्थल की जांच करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार और केन्द्र के बीच मंगलौर में विद्युत संयंत्र के लिए समझौता ज्ञापन को कब तक अंतिम रूप प्रदान किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार (जी.ओ.के.) और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के मध्य हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अनुसार भारत सरकार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कर्नाटक में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) पर आधारित एक 2000 मेगावाट के उत्पादन केन्द्र की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करने पर सहमत हो गयी थी। इस कार्रवाई में एक हिस्से के रूप में एन.टी.पी.सी. ने जी.ओ.के. के साथ परामर्श करके कारवाड़ के समीप तटवर्ती स्थलों की जांच की है। जिन स्थलों की जांच की गयी उन्हें ईंधन के रूप में कोयले अथवा एल.एन.जी. पर आधारित एक 2000 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

सेना मुख्यालय के मुख्य अभियंता द्वारा ठेकेदार को अवांछनीय लाभ पहुंचाया जाना

3969. श्री रघुनाथ झा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2001 की अपनी सातवीं रिपोर्ट में सेना मुख्यालय के मुख्य अभियंता द्वारा एक ठेकेदार को अवांछनीय लाभ पहुंचाने संबंधी एक मामले को उजागर किया है, जिसके परिणामस्वरूप 11.05 लाख रुपए का घाटा हुआ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणियों का उत्तर दिया, किंतु नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने उनके मत से सहमति व्यक्त नहीं की;

(ग) यदि हां, तो इसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) ठेकेदारों को अवांछनीय लाभ पहुंचाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सेना अभियंता सेवा विनियम, 1968 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (च) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने मुख्यालय 31 उप क्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा एक ठेकेदार को कथित अनुचित लाभ पहुंचाने संबंधी एक मामले को उजागर किया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भेजा गया उत्तर उन्हें स्वीकार्य नहीं था। लेखा परीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी शीघ्र भेजी जाएगी। सभी कमांडर वर्क्स इंजीनियरों/गैरिसन इंजीनियरों को इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

केन्द्र और राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या सीमित करने संबंधी विधान

3970. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्र और राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या सीमित करने के संबंध में एक विधान बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योग के उद्यमियों की देयता

3971. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की सीमित देयता का नियंत्रण करने वाला एक अलग अधिनियम लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस संबंध में विधेयक को संसद के समक्ष कब तक रखे जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) मामला परीक्षणाधीन/विचाराधीन है।

बंगलों को विद्यालयों में बदला जाना

3972. श्री जी.जे. जावीया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेरठ छावनी क्षेत्र में दो बड़े बंगलों को विद्यालय एवं बाजार परिसर में परिवर्तित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) जी, हां। मेरठ छावनी में दो बंगले नम्बर 234, वेस्ट एंड रोड तथा नम्बर 273, बाऊंड्री रोड को इन स्थलों के पट्टे पर होने की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक स्कूल तथा एक शापिंग काम्पलेक्स में परिवर्तित कर दिया गया है। सरकार ने इन स्थलों को संबंधित पट्टों के प्रावधानों के अंतर्गत रखने का निर्णय किया है तथा उन्हें पुन: वापस लेने हेतु नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

पुलों के निर्माण में विलंब

3973. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकार और सीमा सड़क महानिदेशक द्वारा स्वीकृत सीमा सड़कों पर पुलों को पूरा करने में असाधारण विलंब की कारक स्थायी बनी रहने वाली कमियों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माणाधीन कुछ पुलों का निर्माण उनकी स्वीकृति के बाईस वर्षों के बाद तक भी नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक अपूर्ण परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे असाधारण विलंब से लागत में वृद्धि के अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास और रक्षा परिवहन आवश्यकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या सीमा सड़क महानिदेशक ने इन क्षेत्रों में निर्मित पुलों की दरों का चयन करने के बजाय विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपनी मानक दरों को अंतिम रूप दिया है/तैयार किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) ऐसे बहुत कम मामले हैं जिनमें पुलों को पूरा करने में असामान्य विलंब हुआ है।

(ख) केवल चिनाब नदी पर बन रहे पुल के पूरा होने में 22 वर्ष से अधिक समय का विलंब हुआ है।

(ग) और (घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

चिनाब नदी पर बनाए जा रहे पुल के पूरा होने में विलंब के कारण नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

(1) मैसर्स एन.बी.सी.सी. नामक पहले संविदाकार ने चैनल में खंभों के वास्ते कुओं की गड़ाई में आई कठिनाइयों के कारण कार्य अधूरा छोड़ दिया।

(2) मैसर्स बांका (इंडिया) लिमिटेड नामक दूसरे संविदाकार से 'जोखिम और लागत' संविदा को अंतिम रूप देने में समय लगा था, यद्यपि उन्हें भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप इस पुल की स्कीम और डिजायन में कई बार फेरबदल करना पड़ा। तथापि इससे भी कोई सहायता नहीं मिली। मैसर्स बांका (इंडिया) लिमिटेड ने भी कुओं की गड़ाई में अपनी विफलता की वजह से कार्य अधूरा छोड़ दिया।

(3) यह महसूस किया गया था कि पानी के तेज बहाव की वजह से इस चैनल में खंभों के वास्ते कुओं की गड़ाई का कार्य व्यवहार्य नहीं है। इसके कारण इसके विस्तार की लंबाई और बढ़ गई जिसका निर्माण करना एक तकनीकी चुनौती बन रहा है। इस मसले पर बनाई गई विशेषज्ञ समिति काफी समय के वास्ते कोई व्यवहार्य समाधान नहीं बना सकी क्योंकि स्टे केबल अथवा ससपेंशन केबल पुल के निर्माण का विचार इसलिए छोड़ दिया गया कि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा निकट होने के कारण उपयुक्त नहीं है।

(4) अंतत: विभिन्न विशेषज्ञ निकायों/परामर्शदाताओं से परामर्श करके कुछ व्यवहार्य तकनीकी एवं किफायती समाधान किए गए हैं।

विलंब से निश्चय ही कीमत में वृद्धि हुई है। तथापि, सीमा सड़क संगठन ने विकल्प के तौर पर इसके निकट एक पुराने स्टील के पुल का अनुरक्षण कर रखा है। इसके परिणामस्वरूप कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

मंगलौर शोधनशाला में शेयर

3974. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंगलौर शोधनशाला और पेट्रो केमिकल्स में 25 प्रतिशत से अधिक पूंजी शेयर धारक व्यक्तियों/कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा कितने शेयर खरीदे गए हैं;

(ग) क्या एच.पी.सी.एल. द्वारा मंगलौर शोधनशाला और पेट्रो केमिकल्स में आदित्य बिरला ग्रुप के शेयर को खरीदने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम.आर.पी.एल.) के सह प्रवर्तक-हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) और ए.वी. बिरला ग्रुप (ए.बी.जी.) में से एम.आर.पी.एल. में प्रत्येक की 37.38 प्रतिशत शेयरधारिता है।

(ग) और (घ) ए.बी.जी. ने एम.आर.पी.एल. से हटने की अपनी इच्छा प्रकट की है। एच.पी.सी.एल. द्वारा एम.आर.पी.एल. में ए.बी.जी. के हिस्से की खरीद को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

राज्यों में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

3975. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री राज बब्बर :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुछ राज्यों में उच्च न्यायालय की अलग खंडपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का वकीलों की चल रही हड़ताल को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की अलग खंड पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) किसी उच्च न्यायालय की, उसके प्रधान स्थान से दूर न्यायपीठ स्थापित करने पर संबंधित राज्य सरकार से, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है। चूंकि सरकार को क्रमश: मद्रास उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, अत: यह प्रस्ताव है कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा न्यायालय भवनों, न्यायाधीशों के लिए निवास स्थान, आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सबंधित उच्च न्यायालय के समाधानप्रद रूप में उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् मदुरई में मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ और जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना की जाए।

सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रॉक्सी मतदान

3976. श्री पी.आर. खूंटे : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सशस्त्र सेनाओं को प्रॉक्सी मतदान का अधिकार देने के प्रश्न पर आम राय बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999, जो तारीख 9 दिसंबर, 1999 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था, उस सदन में विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए लंबित है। सरकार ने चालू सत्र में उक्त विधेयक पर विचार किए जाने और उसे पारित किए जाने की सूचना दे दी है। इस विषय पर तारीख 13.9.2001 को हुई सर्वदलीय बैठक में चर्चा की गई थी किंतु कोई आम सहमति नहीं बन सकी थी।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का चयन

3977. श्री राजैया मल्याला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के योग्यता के आधार पर सेवाओं के विभिन्न श्रेणियों में चयनित/भर्ती/पदोन्नत किए गए उन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें उनके समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं गिना गया; और

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान योग्यता के आधार पर अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के चयनित उम्मीदवारों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के समक्ष समायोजित किया गया तथा उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) समूह 'क' पदों के लिए भर्ती कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाती है। जहां तक समूह ख, ग और घ में पदों का संबंध है, श्रेणीवार रिक्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को संसूचित की जाती हैं। रिकार्डों के अनुसार इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

[हिन्दी]

देश में राजनीतिज्ञों के मामलों का निपटान

3978. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजनीतिज्ञों और वरिष्ठ नौकरशाहों के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटान हेतु आवश्यक कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) अरिवाझगन बनाम राज्य के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने तारीख 8 मार्च, 2000 के अपने निर्णय द्वारा [2000 (2) स्केल 263 में रिपोर्टगत] अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि:-

> ''.....यह सही है कि शीघ्र विचारण की संकल्पना को सभी विचारणों को अवश्य लागू किया जाना चाहिए किंतु भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के विचारणों में भिन्न-भिन्न कारणों से गति को अधिकाधिक संवेग से बढ़ाया जाना चाहिए.....।''

सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विशेष न्यायालयों (जिनमें विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो न्यायालय भी हैं)/अधिकरणों की स्थापना करना सम्मिलित है।

[अनुवाद]

अपलिंकिंग को अनुमति

3979. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन 36 टी.वी. चैनलों की सूची क्या है जिन्हें अपने कार्यक्रमों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) उन कम्पनियों की सूची क्या है जिन्हें अपने अपलिंकिंग केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में विदेशी चैनलों के प्रसारण को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जिन चैनलों को भारत से अपने कार्यक्रमों को अपलिंक करने की अनुमति दी गई है, उनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जिन कम्पनियों को अपलिंक करने की अनुमति दी गई है, उनकी सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) विदेशी उपग्रह टी.वी. चैनलों सहित सभी टी.वी. चैनलों का भारत से अपलिंकिंग करना कुछ शर्तों और निबंधनों के अधीन है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पालन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त विदेशी चैनलों को जब केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित या पुन: प्रसारित किया जाता है तो वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनियंत्रित होते हैं।

विवरण I

टी.वी. चैनलों की सूची जिन्हें भारत से अपने कार्यक्रम अपलिंक करने की अनुमति दी गई है

क्र.सं.	चैनल का नाम
1	2
1.	जया टीवी
2.	कैराली

1	2
3.	विजय
4.	इंडिया टुडे
5.	एन टी.वी.
6.	सन न्यूज
7.	सूर्या टीवी
8.	सूर्या न्यूज
9.	एस.सी.वी.
10.	एन-2
11.	सूर्या-2
12.	ऊषे टी.वी.
13.	उदय न्यूज
14.	तेजा न्यूज
15.	जेमिनी टी.वी.
16.	तेजा टी.वी.
17.	के.टी.वी.
18.	जैन टी.वी.
19.	एशियानेट (एनालॉग) मलयालम
20.	एशियानेट (डिजीटल) मलयालम
21.	एशियानेट ग्लोबल (डिजीटल)
22.	उदया टी.वी.
23.	उदया टी.वी.-2
24.	टी.एम.जी. एन्टर
25.	आकाश टी.वी.
26.	ई.टी.वी. तेलुगु
27.	ई.टी.वी. बंगला

1	2
28.	ई.टी.वी. मराठी
29.	ई.टी.वी. कन्नड़
30.	ई.टी.वी. उर्दू
31.	ई.टी.वी. उड़िया
32.	ई.टी.वी. गुजराती
33.	ई.टी.वी. अण (हिन्दी)
34.	ई.टी.वी.एम.पी. (हिन्दी)
35.	ई.टी.वी. राजस्थान (हिन्दी)
36.	ई.टी.वी. बिहार (हिन्दी)
37.	ई.टी.वी. पंजाबी
38.	ई.टी.वी. तमिल
39.	ई.टी.वी. असमिया
40.	ई.टी.वी. मलयालम
41.	राज टी.वी.
42.	राज डिजीटल प्लस
43.	स्पलैस टी.वी.
44.	नम टी.वी.
45.	पंजाब टुडे
46.	अल्फा मराठी
47.	अल्फा गुजराती
48.	अल्फा बंगला
49.	अल्फा पंजाबी
50.	जी न्यूज
51.	जी म्यूजिक
52.	जैड टी.वी.

विवरण II

उन कम्पनियों की सूची, जिन्हें अपने अपलिंकिंग केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	अपलिंकिंग केन्द्रों का स्थान
1.	टी.वी. टुडे नेटवर्क लि.	नई दिल्ली
2.	जैन स्टूडियोज लि.	ग्रेटर नोएडा
3.	राज टी.वी. नेटवर्क लि.	चैन्नई
4.	सन टी.वी. लि.	चैन्नई
5.	एन्टरटेंमेंट टी.वी. नेटवर्क लि.	मुम्बई
6.	उशोदया एन्टरप्राइजेज लि.	हैदराबाद
7.	टेकनालोजी मीडिया ग्रुप (प्रा.) लि.	बंगलौर
8.	एस्सल श्याम कम्यूनिकेशंस लि.	कोलमबक्कम
9.	इनटेलीविजन लि.	तमिलनाडु
10.	एशियानेट कम्यूनिकेशंस लि.	तिरूवनंतपुरम (केरल)

[हिन्दी]

छठ पर्व के अवसर पर विशेष ट्रेन

3980. डा. संजय पासवान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 नवम्बर, 2001 के ''राष्ट्रीय सहारा'' समाचार पत्र में बिहार के छठ पर्व के मौके पर ''आरक्षित टिकट फिर भी नहीं चढ़ पाए यात्री'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों के लिए भविष्य में ऐसे अवसरों पर विशेष ट्रेन का प्रबंध करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। रेलवे संभावित यातायात की मात्रा, परिचालनिक व्यवहार्यता और धन की उपलब्धता के आधार पर त्यौहारों आदि के दौरान अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए विशेष गाड़ियां चलाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें

3981. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों की सुनवाई के लिए और विशेष अदालतें गठित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यरत विशेष अदालतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अदालतों में राज्य-वार कितने मामले लंबित पड़े हैं और ये मामले कब से लंबित पड़े हुए हैं या इनके निपटान में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उनके शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) राष्ट्रीय आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट (1996-97 और 1997-98) में यह सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन मामलों के विचारण के लिए प्रत्येक जिले में अनन्य विशेष न्यायालय होने चाहिए क्योंकि नियमित न्यायालय, जिन्हें इस समय विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित किया गया है, पहले से ही अन्य मामलों के अत्यधिक भार से ग्रस्त हैं। यह भी सिफारिश की गई थी कि अत्याचार के मामलों का विचारण केवल विशेष न्यायालयों द्वारा ही किया जाए और उन्हें विचारण के लिए निचले न्यायालयों को नहीं भेजा जाना चाहिए।

(ख) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान की सरकार ने क्रमश: 22, 4, 4, 6 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और पांडिचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विद्यमान न्यायालयों को अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्रमश: 5, 3, 4, 25, 17, 4 और 20 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं। अन्य राज्य सरकारों ने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विद्यमान सेशन न्यायालयों को अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किया है। तथापि, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड ने (जो अभिभावी रूप में जनजाति क्षेत्र वाले राज्य हैं) किन्हीं विशेष न्यायालयों को विनिर्दिष्ट नहीं किया है।

(ग) लंबित मामलों की बाबत उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण I और II में दी गई है। अधीनस्थ न्यायालयों में, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय भी हैं, मामलों के लंबित रहने के अनेक कारण हैं, जिसके अंतर्गत स्थगनों का मंजूर किया जाना, नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण मामलों के संस्थापन में वृद्धि होना, मुकदमा लड़ने वालों की प्रवृत्ति, वकीलों की हड़ताल और रिक्त पदों का भरा न जाना, आदि भी हैं।

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दोनों अधिनियमों के प्रभावी रीति में प्रवर्तन के लिए अनेक उपाय किये हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपायों के लिए राज्य सरकारों को 50 : 50 के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता के रूप में 27.08 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष 2001-2002 के लिए स्कीम के अधीन 30.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं और अब तक 24.96 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

(2) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से दोनों अधिनियमों से संबंधित नीतियों/स्कीमों के क्रियान्वयन और उन्हें मानीटर करने की पूर्विकता देने का अनुरोध किया गया है।

(3) उन राज्य सरकारों से, जहां अधिक मात्रा में मामले लंबित हैं, रजिस्ट्रीकृत मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण I

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन न्यायालयों में विद्यमान और वर्ष 1998 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, जिसके अंतर्गत 1998 में अग्रेनित किए गए मामले भी हैं	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्धि हुई	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषमुक्ति हुई	1998 के अंत में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1335	2	0	1333
2.	असम	7	0	0	7
3.	बिहार	3692	7	370	3315
4.	गोवा	2	0	1	1
5.	गुजरात	11839	9	1074	10756
6.	हरियाणा	54	1	12	41
7.	हिमाचल प्रदेश	43	0	23	20
8.	कर्नाटक	4273	0	601	3672
9.	केरल	1489	12	216	1261
10.	मध्य प्रदेश	10653	851	2889	6913
11.	महाराष्ट्र	8234	23	416	7795
12.	मणिपुर	8	0	0	8
13.	पंजाब	9	0	0	9
14.	उड़ीसा	4454	4	37	4413
15.	राजस्थान	7655	240	1600	5815
16.	सिक्किम	2	0	1	1
17.	तमिलनाडु	1409	19	173	1217
18.	उत्तर प्रदेश	92122	509	21920	69693
19.	पश्चिमी बंगाल	33	0	0	33
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0	1

1	2	3	4	5	6
21.	दादरा और नागर हवेली	5	0	0	5
22.	दमन और दीव	5	0	1	4
23.	दिल्ली	16	0	0	16
	कुल	1,47,340	1,677	29,334	1,16329

टिप्पण: 1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है।

2. 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडिचेरी द्वारा शून्य आंकड़े रिपोर्ट किए गए।

विवरण II

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन न्यायालयों में विद्यमान मामलों और वर्ष 1998 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, जिसके अंतर्गत 1998 में अग्रेनित किए गए मामले भी हैं	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्धि हुई	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषमुक्ति हुई	1998 के अंत में न्यायालयों में लंबित माम्रलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	794	1	4	789
2.	गोवा	5	1	1	3
3.	गुजरात	346	40	0	306
4.	हरियाणा	13	0	3	10
5.	हिमाचल प्रदेश	16	0	3	13
6.	मध्य प्रदेश	1614	0	20	1594
7.	जम्मू-कश्मीर	7	0	0	7
8.	कर्नाटक	1788	1	1	1788
9.	केरल	21	0	7	14
10.	महाराष्ट्र	1763	5	26	1732
11.	उड़ीसा	128	0	0	128
12.	पंजाब	3	0	1	2
13.	राजस्थान	31	2	8	21

1	2	3	4	5	6
14.	तमिलनाडु	571	10	202	359
15.	उत्तर प्रदेश	992	3	225	764
16.	चंडीगढ़ प्रशासन	1	0	0	1
17.	दिल्ली	26	1	1	26
18.	पांडिचेरी	23	3	12	8
	कुल	8,142	65	512	7,565

टिप्पण: 1. 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, *बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वारा शून्य आंकड़े रिपोर्ट किए गए।

2. *बिहार के केवल 15 जिलों के संबंध में आंकड़े रिपोर्ट किए गए हैं।

[हिन्दी]

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव

3982. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसदीय और विधायिका में निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ने की पात्रता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रक्षा भूमि पर बनी गंदी बस्तियों को नियमित करना

3983. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा भूमि पर बनी गंदी बस्तियों को नियमित करने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अहमदनगर छावनी बोर्ड की भूमि पर बनी झुग्गियों को नियमित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अहमदनगर छावनी में बनी अनधिकृत झुग्गी-झोपड़ियों को नियमित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

3984. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सुधार के लिए क्या प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) यह मंत्रालय, उड़ीसा राज्य सहित

देशभर में सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए व्यापक श्रेणी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। चालू वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान, उड़ीसा राज्य के लिए 13,000 बायोगैस संयंत्रों, 7 सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित संयंत्रों, 2,00,000 उन्नत चूल्हे, 2000 सौर लालटेन, 1000 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों और 300 सौर सड़क रोशनी प्रणालियों के लक्ष्य का प्रस्ताव रखा गया है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 7.29 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता का अनुमान निर्धारित किया गया है। यह मंत्रालय अन्य अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए राज्यवार लक्ष्य आबंटित नहीं करता है। इस प्रकार की परियोजनाओं को मामला दर मामला आधार पर लिया जाता है।

(ग) मंत्रालय निजी क्षेत्र की भागीदारी का आकर्षित करने तथा विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राजकोषीय, वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन जैसे केन्द्रीय सब्सिडी, 100% त्वरित अवमूल्यन, रियायती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/बिक्री कर से छूट, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लि. (इरेडा) से उदार शर्तों पर ऋण, अक्षय ऊर्जा विद्युत की व्हीलिंग, वापसी-खरीद, तृतीय पक्ष को बिक्री आदि के लिए प्रेरक नीतियां उपलब्ध करा रहा है।

निर्वाचन संबंधी कानूनों में संशोधन

3985. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्वाचन संबंधी कानूनों विशेषकर उप-चुनाव और राज्य सभा के चुनाव के संबंध में और संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) सरकार ने तारीख 5.12.2001 को राज्य सभा में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2001 पुर:स्थापित किया है जो राज्य सभा के निर्वाचनों में विद्यमान गुप्त मतदान पद्धति के स्थान पर खुली मतदान पद्धति रखने के लिए और किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से राज्य सभा का निर्वाचन लड़ने के लिए उस विशिष्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का निवासी होने की अपेक्षा को समाप्त करने के लिए है।

ओएसिस समिति

3986. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वृद्धावस्था सुरक्षा संबंधी निवेश तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा बचत के संबंध में बनी 'ओएसिस' समिति ने सरकार का बोझ कम करने के लिए पेंशन निधियों को निजी कोष प्रबंधकों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिक लाभ अर्जित करने के लिए शेयर बाजार में आरंभिक राशि का एक बड़ा हिस्सा निवेश करने का है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में भविष्य निधि पर ब्याज लाभ को इस आशा के साथ 1.5 प्रतिशत तक कम किया है कि बाजार में और अधिक पूंजी आए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जैसाकि वित्त मंत्रालय ने बताया है, पी पी एफ/ई पी एफ आदि पर ब्याज की वास्तविक दरें अधिक मानी गई थीं जिससे अर्थव्यवस्था में ब्याज की अन्य दरों की अधोगामी प्रकृति पर रोक लगा हुआ था। इसलिए, पी पी एफ, ई पी एफ आदि पर ब्याज दरों सहित अधिकतर नियंत्रित 1 अप्रैल, 2001 से 11% से घटाकर 9.5% कर दी गई। अब भी कर लाभों तरलता तथा परोक्ष सरकारी गारंटी की दृष्टि से सार्वजनिक भविष्य निधि में बचतों का जोखिम-प्रतिफल समीकरण आकर्षक बना हुआ है।

वनस्पति का आयात

3987. श्री ए.के. मूर्ति:
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार से वनस्पति के उत्पादन में देशी अथवा आयातित तेलों के उपभोग पर प्रतिबंधों को हटाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या सीमाशुल्क की पूर्ण छूट सहित नेपाल से वनस्पति के आयात से अनेक राज्यों में इसकी भरमार हो गई है और इससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारत सरकार दिसम्बर, 1996 में यथासंशोधित भारत-नेपाल व्यापार संधि के अधीन नेपाल से वनस्पति तेलों के बढ़ते हुए आयातों के बारे में अवगत है, जिसमें नेपाल में निर्मित सामानों के लिए भारतीय बाजार में इस बात को ध्यान में लिए बिना कि कच्ची सामग्री का स्रोत क्या है, सीमा-शुल्क का भुगतान किए बिना और मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना प्रवेश की व्यवस्था है। नेपाल से वनस्पति तेलों का आयात बढ़ रहा है। यह आयात 1996-97 में 70 टन से कम नगण्य मात्रा में था, जो 1999-2000 में बढ़कर 54102 टन और 2000-2001 (अप्रैल, 2000-फरवरी, 2001) में 90,951 टन हो गया है।

जैसाकि संधि के अधीन व्यवस्था है भारतीय उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपाय करने हेतु नेपाल की शाही सरकार के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार से संबंधित मामलों की जांच

3988. श्री रामदास आठवले: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 सितम्बर, 2001 के "जनसत्ता", नई दिल्ली में "माल पहुंचा नहीं, अदायगी पहले करवा दी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों से सुपर बाजार को हुए नुकसान की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम

3989. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम ने परम्परागत कलाकृतियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विदेशी बाजार में अपना माल बेचने के लिए विदेशों में अपनी शाखाएं खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नि:शक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता

3990. श्री जे.एस. बराड़: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का नि:शक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु बचत कोष

3991. श्री महबूब जहेदी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय लघु बचत कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कोष की स्थापना के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब से स्थापित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) लघु बचत स्कीमों से संबंधित सभी लेन-देनों के हिसाब के लिए ''राष्ट्रीय लघु बचत कोष'' की स्थापना भारत के लोक खाते में दिनांक 1 अप्रैल, 1999 को की गई थी। लेखा प्रणाली में यह परिवर्तन दिसम्बर, 1998 में अंतर्राज्यीय परिषद में एक सुझाव के अनुसार किया गया था तथा साथ ही यह लघु बचत स्कीमों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता तथा व्यवहार्यता हासिल करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश पर आधारित है।

इराक द्वारा भारतीय चीनी को अस्वीकार करना

3992. श्री सुरेश कुरूप: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक द्वारा लगभग 13,000 टन भारतीय चीनी अस्वीकृत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों को गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय विधि मानदंडों का उल्लंघन करके चीनी के पैकेज पर गुणवत्ता संकेतक लेबल का प्रयोग किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में इराक से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (च) चीनी का निर्यात विभिन्न चीनी मिलों/निर्यातकों द्वारा उनके अपने वाणिज्यिक निर्णय तथा चीनी के मूल्य, पैकिंग, ग्रेड, गुणवत्ता, आदि के संबंध में विदेशी क्रेताओं के साथ उनके ठेकों के अनुसार किया जा रहा है। किसी भारतीय निर्यातक द्वारा इराक को सीधे निर्यात की गई चीनी की किसी मात्रा को इराक द्वारा अस्वीकार किये जाने के बारे में इस मंत्रालय को कोई शिकायत नहीं मिली है।

आईआईसी का पुनर्गठन

3993. श्री ए. नरेन्द्र:
श्री राजो सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईआरसी ने भारतीय निवेश केन्द्र (आईआईसी) के पुनर्गठन की अपनी सिफारिश रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग की पुनर्संरचना से संबंधित रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। भारतीय निवेश केन्द्र से संबंधित अनुशंसा उस रिपोर्ट का एक भाग है जो सरकार के विचाराधीन है।

आर.आई.बी. की बिक्री के माध्यम से अमरीकी डालर में धनराशि जुटाना

3994. श्री सुबोध राय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यक्तिगत अनिवासी भारतीयों को सीधे साझेदारी में, निगमों और मुख्यत: अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व वाले अन्य प्रतिष्ठानों को रिसर्जेन्ट इंडिया बॉण्ड्स की बिक्री से अमरीकी डालर में कुल कितनी राशि जुटाई गई; और

(ख) इसी तरह से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट बॉण्ड्स की बिक्री से कुल कितने संभावित डालर जुटाए गए और इस जुटाई गई राशि पर कुल कितना अर्द्धवार्षिक ब्याज भुगतान देय है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) रिसर्जेन्ट इंडिया बाण्ड की बिक्री/निर्गम द्वारा जुटाए गए अमरीकी डॉलरों की कुल राशि:

		(राशि अमरीकी डॉलरों में)
(1)	व्यष्टि अनिवासी भारतीय	2,146,830,000.00
(2)	भागीदारी	436,000.00
(3)	समुद्रपारीय निगमित निकाय	229,981,000.00
(4)	न्यासी क्षमता में बैंक	1,606,318,000.00
(5)	अन्य	5,603,000.00
	जोड़	3989,168,000.00

(ख) इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की बिक्री/निर्गम द्वारा कुल वसूली:

		(राशि अमरीकी डॉलरों में)
(1)	व्यष्टि अनिवासी भारतीय	1,944,267,000.00
(2)	समुद्रपारीय निगमित निकाय	472,506,000.00
(3)	न्यासी क्षमता में बैंक	2,764,935,000.00
	जोड़	5,181,708,000.00

अर्धवार्षिक ब्याज भुगतान देयता (अर्धवार्षिक) की कुल राशि:

		(गैर-संचयी राशि अमरीकी डालरों में)
(1)	रिसर्जेन्ट इंडिया बाण्ड	57,066,776.52
(2)	इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट	104,240,622.67

अमरीकी डॉलर कार्पस निधि बकाए पर ब्याज देयता

		(संचयी राशि अमरीकी डालरों में)
(1)	रिसर्जेन्ट इंडिया बाण्ड (दि.-30.9.2001 को)	652,381,871.31
(2)	इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट (दिनांक 30.9.2001 को)	243,766,761.44

एचएससीएल और बीओजीएल के लिए पुनरुद्धार पैकेज

3995. श्री सुनील खां: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एचएससीएल और बीओजीएल के लिए पुनरुद्धार पैकेज बीआईएफआर के पास काफी समय से स्वीकृति हेतु लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और बीआईएफआर द्वारा दोनों पैकेजों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने 13.1.1993 को भारत ओप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) को रुग्ण घोषित किया था। बाइफर ने सूचित किया है कि भारत

ओप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) के साथ हुई संयुक्त बैठक के बाद परिचालन अभिकरण (ओए) द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव के आधार पर बाइफर द्वारा 1.11.2001 को एक मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) परिचालित की गई थी। मसौदा पुनर्वास योजना पर आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई की अगली तारीख 20.2.2002 तय की गई है। इस स्तर पर यह उल्लेख करना सम्भव नहीं है कि कब पुनर्वास पैकेज अनुमोदित होगा। एचएससीएल बाइफर के साथ पंजीकृत नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

3996. **योगी आदित्यनाथ:**
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को ऋण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा राज्यवार कुल कितना ऋण दिया गया;

(ग) राज्य सरकारों से इस ऋण पर इस समय नाबार्ड द्वारा वसूल किये जा रहे ब्याज की दर क्या है; और

(घ) नाबार्ड द्वारा कम ब्याज दर पर राज्यों को ऐसे ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अधीन राज्य सरकारों को पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए मंजूर किए गए ऋणों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों को आरआईडीएफ ऋण पर लगायी जा रही ब्याज दर नीचे दी गई है:

श्रंखला	ब्याज दर
आरआईडीएफ-1	13%
आरआईडीएफ-2 से 5	12%
आरआईडीएफ-6	11.5%
आरआईडीएफ-7	10.5%

(घ) सरकार समय-समय पर समीक्षा करके ब्याज दरों में यथोचित परिवर्तन करती है।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान सड़क एवं पुल परियोजनाओं के लिए आर आई डी एफ के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा राज्यों को संस्वीकृत ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.	राज्य	1998-99				1999-2000				2000-2001			
		सड़क		पुल		सड़क		पुल		सड़क		पुल	
सं.		सं.	मंजूर राशि	सं.	मंजूर राशि	सं.	मंजूर राशि	सं.	मंजूर राशि	सं.	मंजूर राशि	सं.	मंजूर राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	325	167.98	17	17.61	140	90.23	56	77.09	123	109.43	32	44.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	2	5.84	5	19.26	6	73.29	1	2.23
3.	असम	-	-	39	64.72	-	-	43	47.77	6	48.84	1	0.73
4.	बिहार	1	1.90	1	0.60	-	-	3	4.51	-	-	47	28.92
5.	गोवा	-	-	1	4.25	7432	199.54	-	-	37	9.74	9	2.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	गुजरात	143	28.48	–	–	–	–	–	–	600	282.60	26	30.45
7.	हरियाणा	25	21.99	–	–	22	60.20	7	7.13	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	19	63.33	14	13.66	116	105.98	10	2.71	30	42.95	21	26.23
9.	जम्मू एवं कश्मीर	51	69.96	5	10.52	326	155.77	35	16.27	131	124.15	25	14.55
10.	कर्नाटक	441	134.27	58	19.84	81	51.87	22	50.90	454	226.10	84	27.61
11.	केरल	37	8.53	39	42.79	84	92.23	49	58.62	103	69.56	29	40.87
12.	मध्य प्रदेश	93	80.25	34	20.80	1264	326.89	285	23.39	80	105.56	28	26.99
13.	महाराष्ट्र	654	179.68	245	21.82	45	24.44	4	6.24	909	243.95	212	19.83
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	16	9.33	2	45.04	–	–	36	16.80	11	11.06
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	नागालैण्ड	–	–	–	–	34	10.51	2	0.75	63	54.88	–	–
18.	उड़ीसा	2	3.78	24	69.36	2	8.96	19	52.87	–	–	31	47.89
19.	पंजाब	21	12.60	6	2.71	95	63.21	6	5.71	3	8.15	11	76.87
20.	राजस्थान	16	6.06	6	5.70	368	106.37	–	–	13249	2.40	–	–
21.	सिक्किम	32	14.43	25	1.35	–	–	–	–	5	4.55	–	–
22.	तमिलनाडु	378	111.90	92	64.67	478	168.05	106	58.44	561	132.62	168	94.65
23.	त्रिपुरा	–	–	24	21.70	–	–	89	45.01	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	2455	340.38	102	140.06	1081	125.16	39	79.57	1725	218.01	1	0.76
25.	पश्चिम बंगाल	75	181.10	10	16.89	45	131.16	18	18.98	93	248.51	23	41.75
	कुल	4768	1426.62	758	548.38	11617	1771.45	798	575.22	6289	2112.09	760	537.65

[अनुवाद]

बैंक बोर्डों के लिए सलाहकार ग्रुप

3997. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:**
श्री वाई.वी. राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक बोर्डों की पर्यवेक्षीय भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए 12 सदस्यीय ग्रुप गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो सलाहकार ग्रुप के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक बोर्डों की आन्तरिक पर्यवेक्षी भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए 15 नवम्बर, 2001 से 12 सदस्यीय परामर्शी दल का गठन किया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:

(1) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों की पर्यवेक्षी भूमिका की पुनरीक्षा करना और अनुपालन पारदर्शिता, प्रकटीकरण, लेखापरीक्षा समिति आदि की तुलना में बोर्डों के कार्यसंचालन पर प्रतिसूचना प्राप्त करना।

(2) बोर्ड द्वारा निगरानी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित प्रणाली का अध्ययन करना, इसके द्वारा निर्धारित नीतियों का कार्यान्वयन;

(3) जोखिमों और अति निवेश को कम करने के उद्देश्य से निदेशक बोर्ड की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सिफारिश करना;

(4) विषय से संबंधित अन्य कोई सामग्री।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दल से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है।

एन.पी.ए. के लिए कड़े मानदंड

3998. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए को मान्यता के संबंध में कड़े मानदंडों के संदर्भ में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए मानदंड क्या हैं; और

(ग) अनुप्रयोज्य आस्तियों को मान्यता देने के संबंध में कड़े मानदंडों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सुझावों पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अभी हाल में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की लागत

3999. श्री वाई. वी. राव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की लागत भारत में घरेलू उत्पादन लागत से कम है; और

(ख) यदि हां, तो आगे लागत को कम करने और भारतीय चीनी को विश्व में और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य कुछ देशों द्वारा चीनी के निर्यात पर निर्यात राजसहायता देने और चीनी के उत्पादन के लिए घरेलू समर्थन देने के कारण निर्यात करने वाले देशों में चीनी के उत्पादन की लागत को वास्तविक रूप में परिलक्षित नहीं करते हैं। जहां तक भारत में चीनी उत्पादन की लागत का संबंध है, इस संबंध में सरकार आंकड़े नहीं रखती है। तथापि, भारत में अपनाई जाने वाली गन्ना मूल्य प्रणाली और अन्य घटकों के कारण भारतीय चीनी सामान्यतया विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं है।

(ख) चीनी की उत्पादन लागत अन्य बातों के साथ-साथ गन्ने की लागत, प्लांट का आकार/क्षमता और इसकी प्रचालनात्मक दक्षता पर निर्भर करती है। चीनी के उत्पादन की लागत के संबंध में गन्ने की लागत गन्ने की सही किस्म, गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज और गन्ने की प्रतिशत रिकवरी पर निर्भर करती है।

चीनी फैक्ट्रियों द्वारा अपने प्रचालन क्षेत्र में गन्ना विकास कार्यक्रमों को शुरू करने और क्षमता कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण-सह-विस्तार लागू करने के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार गन्ना विकास के प्रयोजनार्थ 626 मामलों में 694.10 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसी प्रकार 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार प्लांट और मशीनरी के आधुनिकीकरण/क्षमता विस्तार/पुनर्स्थापन के लिए 224 मामलों में 1176.29 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, 1993 में सरकार ने भारतीय चीनी उद्योग को आधुनिकीकरण और इसके प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु चीनी प्रौद्योगिकीय मिशन स्थापित किया था।

हाल ही में सरकार ने राज्य सरकारों और चीनी उद्योग के शीर्ष निकायों को गन्ने की उपज की लागत कम करने के लिए कुछ सुझाव परिचालित किए हैं।

आर.आर.बी. में प्रतिरोध वेतनवृद्धि

4000. श्री एम. के. सुब्बा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सभी संवर्गों में प्रतिरोध वेतन वृद्धि की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या द्विपक्षीय समझौते के अनुसार प्रायोजक बैंकों के अधिकारियों को स्वत: मिलने वाले अगले वेतनमान के अनुरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों को ऐसी सुविधा दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) के सभी संवर्गों के सभी कर्मचारियों को गतिरोध वेतनवृद्धि देने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) प्रायोजक बैंक में प्रचलित सुविधा के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्केल-I अधिकारियों को स्केल-II में स्वत: मिलने वाली अगली वेतनवृद्धि की सुविधा देने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

नवजात शिशुओं को बेचना

4001. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई, उड़ीसा और अन्य राज्यों में नवजात शिशुओं को बेचने के कुछ मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आरोपित चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) हाल ही में गरीबी के कारण उड़ीसा में बच्चों की बिक्री की कुछ रिपोर्टें समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। इन रिपोर्टों के अनुसार एक व्यक्ति ने ऐसे ही दो बच्चे दूसरे व्यक्ति को बेच दिए। यह भी सूचना मिली है कि इन बच्चों को मुक्त करा लिया गया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने भी भोपाल में आर्थिक प्रतिलाभों के लिए नवजात शिशुओं को बेचने का प्रयास करने वाले एक अस्पताल पर छापा मारा है। अस्पताल से दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि अस्पताल से संबद्ध उक्त मामले का ब्यौरा इस मंत्रालय को भेजा जाए।

(ङ) मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है कि किसी नर्सिंग होम या अस्पताल को अवैध क्रियाकलापों में संलिप्त होने की अनुमति न दी जाए जैसा कि नवजात शिशुओं को तथाकथित रूप से बच्चों को गोद लेने वाले लोगों के हाथों सौंपा जाना। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी नर्सिंग होम तथा अस्पताल इन अनुदेशों का अनुपालन करे। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से सभी अनाथालयों तथा दत्तक ग्रहण एजेंसियों के क्रियाकलापों का कड़ाई से मानीटर करने के लिए भी कहा है।

[अनुवाद]

रियायती ऋण और अनुदान

4002. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के माध्यम से जुटाए जा रहे रियायती ऋण और विदेशी अनुदानों से संबंधित मानदंडों में पूर्ण परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रियायती ऋण के साथ जुड़ी कठोर शर्तों को हटाने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक सहित ऋण देने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नशा मुक्ति हेतु योजना

4003. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री रामशकल:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नशा मुक्ति हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक वर्षवार और स्थानवार कितने नशा मुक्ति कैम्प आयोजित किए गए और इनसे कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(घ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या इन कैम्पों में भाग लेने वालों की संख्या इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा किए गए व्यय की तुलना में कम थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग को एक मनो-सामाजिक चिकित्सा समस्या के रूप में मानते हुए, सरकार ने मद्यपान तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण संबंधी योजना को 1985-86 से कार्यान्वित किया है। इस योजना का उद्देश्य सब प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है जिसमें जागरूकता सृजन, पहचान, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शराबियों तथा नशीली दवाओं के व्यसनियों का उपचार तथा पुनर्वास शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र गैर-सरकारी संगठनों में अन्य बातों के साथ-साथ उपचार-सह पुनर्वास केन्द्रों, नशीली दवा के प्रति जागरूकता, परामर्श तथा सहायता केन्द्रों के संचालन और नशामुक्ति शिविरों को चलाने के लिए 90% की सीमा तक (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर में गैर-सरकारी संगठनों के मामले में 95%) सहायतानुदान निर्मुक्त किया जाता है।

उपचार, सह-पुनर्वास केन्द्र अन्य बातों के साथ-साथ व्यसनियों की पहचान, उत्प्रेरणात्मक परामर्श, नशामुक्ति/निर्व्यसन, व्यावसायिक पुनर्वास, उत्तरवर्ती देखभाल और व्यसनियों को सामाजिक मुख्यधारा में पुन: एकीकृत करने जैसी सेवाएं प्रदान करता है। नशीली दवा जागरूकता तथा परामर्श केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में जागरूकता निर्माण, उत्प्रेरणात्मक परामर्श, नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने वालों/व्यसनियों की जांच, रेफरल सेवाएं तथा अनुवर्ती सेवाएं शामिल हैं।

इस समय योजना के अंतर्गत 354 उपचार और पुनर्वास केन्द्र तथा 88 नशीली दवा जागरूकता एवं परामर्श केन्द्र वित्तपोषित किये जा रहे हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान इन केन्द्रों से 2,95,803 व्यसनी लाभान्वित हुए।

इसके अतिरिक्त, उपचार और पुनर्वास केन्द्र चलाने वाले गैर-सरकारी संगठन मद्यपान/नशीली दवा दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, जो किसी उपचार और पुनर्वास के केन्द्र के दायरे में नहीं आते हैं, में नशामुक्ति शिविर आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं, जिसका उद्देश्य समुदाय को एकजुट करना, जागरूकता उत्पन्न करना तथा मद्यपान और नशीली दवा दुरुपयोग की रोकथाम के प्रति सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देना है।

(ग) वर्ष 1998-99 से 2001-02 (10.12.2001 तक) के दौरान नशामुक्ति शिविरों और इन शिविरों (जिलेवार) से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नशामुक्ति शिविरों को आयोजित करने के लिए योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि निम्नलिखित है:

(रु. लाख में)

	योजना के अंतर्गत समग्र रूप से व्यय की गई राशि	नशामुक्ति शिविरों को आयोजित करने के लिए व्यय की गई राशि
1998-99	1520.00	10.65
1999-2000	1900.00	16.85
2000-01	2066.00	21.44

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2001-02 (दिनांक 10.12.2001 तक) के दौरान नशा-मुक्ति शिविरों तथा इन शिविरों में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या (जिलावार)

राज्य	जिला	1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02 (10.12.2001 तक)	
		स्थापित नशा-मुक्ति केन्द्रों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	स्थापित नशा-मुक्ति केन्द्रों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	स्थापित नशा-मुक्ति केन्द्रों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	स्थापित नशा-मुक्ति केन्द्रों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. कर्नाटक	दावनगिर	–	–	6	150	12	360	8	360
	तुमकूर	–	–	–	–	–	–	4	120
2. केरल	चंगनाचेरी	–	–	–	–	–	–	3	90
3. महाराष्ट्र	भंडारा	–	–	3	75	8	240	4	120
	धुले	–	–	–	–	–	–	6	180
4. पंजाब	नवाशहर	1	32	1	36	–	–	–	–
5. राजस्थान	अजमेर	1	50	1	40	1	40	–	–
	बारमेर	–	–	–	–	2	80	3	120
	भीलवाड़ा	–	–	2	80	4	160	1	40
	बीकानेर	–	–	–	–	–	–	3	90
	गंगानगर	4	200	5	200	–	–	–	–
	हनुमानगढ़	–	–	1	40	2	80	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जोधपुर	5	250	2	80	2	80	2	80
	पाली	1	50	–	–	–	–	–	–
	उदयपुर	1	50	1	40	1	40	–	–
6. तमिलनाडु	कोयम्बटूर	1	23	1	21	1	25	1	25
	कामराज	1	27	1	29	1	23	1	23
	सेलम	1	30	1	29	1	33	1	25
	तिरूवन्नामलई	1	21	1	16	1	18	–	–
	तिरूवारूर	1	32	1	31	1	30	1	32
	वेल्लूर	1	16	1	25	1	19	–	–
7. दिल्ली	दिल्ली	8	226	7	214	10	367	–	–
कुल		23	807	30	906	48	1595	35	1215

[अनुवाद]

खाद्य तेल का आयात

4004. **श्री एच.जी. रामुलू:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री तूफानी सरोज:
श्री के. फ्रांसिस जार्ज:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री रतन लाल कटारिया:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेल का आयात देश में इसकी मांग से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और चालू वर्ष के दौरान आयातित खाद्य तेल की मात्रा कितनी है और इसे किन-किन देशों से आयात किया गया है;

(ग) क्या हाल के वर्षों के दौरान खाद्य तेलों के और आयात से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने देश में खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में तिलहनों, दालों और खाद्य तेलों के आयात पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) निर्यात-आयात नीति के अनुसार नारियल के तेल को छोड़कर खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। इस प्रकार आयात की जाने वाली मात्रा आयातकों के वाणिज्यिक

निर्णयों पर निर्भर करेगी। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य तेलों का आयात निम्नानुसार हुआ है:

वर्ष	मात्रा (टन में)
1998-99	2621851
1999-2000	4195638
2000-2001	3974638
2001-2002 (अप्रैल-सितम्बर)	2466220

जिन प्रमुख देशों से खाद्य तेल का आयात किया जाता है, वे देश हैं-अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया और मलयेशिया।

(ग) जी. नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) तिलहनों और अंततः खाद्य तेलों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय/प्रयास निम्नानुसार हैं:

(1) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 395 चुनिंदा जिलों को कवर करते हुए 25 राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन बीज के उत्पादन और वितरण, बीज की मिनी किटों, स्प्रिंकलर सैट्स उन्नत कृषि औजारों, जिप्सम/पाइराइटस, माइक्रो न्यूट्रोएंट्स, राइजोबियम क्लचर आदि जैसे विभिन्न आदानों के लिए किसानों को राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा उन्नत उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने के लिए किसानों के खेतों पर अग्रगामी और आम प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं।

(2) बेहतर उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी को काम में लाने करने के लिए मई, 1986 तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन में स्थापित किया गया था।

(3) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयास तेज करना।

(4) सोयाबीन और मूंगफली जैसी अपारम्परिक तिलहनों की खेती के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, वृक्ष और वन मूल के बीजों, चावल की भूसी का उपयोग करना।

(5) तिलहनों के उत्पाद कार्यक्रम के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना।

(6) पाम तेल विकास के लिए सहायता।

(7) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम मसर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(8) वनस्पति के उत्पादन में मासिक आधार पर उत्पादन के कम से कम 25% में स्वदेशी तेलों के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा वनस्पति के उत्पादन में एक्सपैलर सरसों के तेल को 30% तक इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य देकर प्रोत्साहन देना है।

(9) घरेलू तिलहन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और संसाधकों के हितों में तालमेल बैठाने और यथासंभव सीमा तक खाद्य तेल के अत्यधिक आयात को नियमित करने के लिए खाद्य तेल संबंधी शुल्क ढांचे को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में तिलहनों, दालों और खाद्य तेलों के आयात पर खर्च की गई राशि संलग्न विवरण पर दी गई है।

विवरण

(कीमत करोड़ रुपए में)

	1998-99 कीमत	1999-00 कीमत	2000-01 कीमत	2001-02 (अप्रैल-सितम्बर) कीमत
वनस्पति तेल (खाद्य)	7588.93	8046.05	5932.76	3524.06
दालें	708.81	354.69	493.79	1461.00
तिलहन	8.52	15.42	7.89	1.11

आंध्र प्रदेश में चावल की खरीद न करना

4005. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गत खरीफ और रबी मौसम के दौरान एफ.सी.आई. द्वारा चावल की नगण्य खरीद के बारे में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) आंध्र प्रदेश में खरीफ विपणन मौसम 2000-01 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 71.72 लाख टन चावल की वसूली की गई थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान 54.98 लाख टन चावल की वसूली हुई थी। खरीफ विपणन मौसम 2000-01 के दौरान आंध्र प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक वसूली हुई थी।

वर्तमान मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी चावल की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) भारतीय खाद्य निगम की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण।

(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 7 वर्ष की किराये पर लेने की गारंटी देना।

(3) आंध्र प्रदेश में 1.66 लाख टन ढके हुए स्थान का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम को इसी प्रकार की गारंटी देना।

विशेष संघटक योजना हेतु धनराशि

4006. श्री शमशेर सिंह दूलो:
श्री मोहन एस. देलकर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों के चहुंमुखी विकास का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वर्ष 1978 से ही विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विशेष संघटक योजना के अंतर्गत उनके शुरू होने के समय से उनके मंत्रालय द्वारा कितनी योजनाएं/कार्यक्रम बनाए गए/क्रियान्वित किये जा रहे हैं और उनकी प्रकृति, संभावना और लक्ष्य समूह क्या है;

(ग) छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कितनी धनराशि मांगी गई और प्राप्त की गई;

(घ) मात्रात्मक लाभ क्या हैं और इस संबंध में क्या लक्ष्य हासिल किए गए; और

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आवास सुविधा प्रदान करने और गरीबी उपशमन के लिए किन-किन योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 1979 में अनुसूचित जातियों के शीघ्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष संघटक योजना (एस सी पी) की कार्यनीति तैयार की गई।

दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय मंत्रालयों से विशेष संघटक योजना के अंतर्गत निधियों को क्रमश: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/देश की अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में निर्धारित करने की सलाह दी गई है।

जहां तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संबंध है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता 100% अनुदान के रूप में उसकी विशेष संघटक योजना को एक योगज के रूप में प्रदान की जाती है जिसका उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केवल अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए गरीबी की रेखा पार करने के लिए आय सृजनकारी लाभार्थियों के प्रति उन्मुख योजनाओं के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय अनुसूचित जाति व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम की योजनाओं के अंतर्गत ब्याज की रियायती दर पर ऋण का उपयोग करने तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं कार्यान्वित करता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) इस मंत्रालय की योजनाएं/कार्यक्रम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वास्तविक प्रगति का ब्यौरा रखा जाता है।

(ङ) प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आय सृजनकारी योजनाओं के वास्ते किया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करने की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवास तथा गरीबी उपशमन के लिए सहायता प्रदान करते हैं और इस प्रकार की सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखी जाती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु धनराशि का आवंटन

4007. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा हेतु सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार द्वारा शिक्षा के लिए आवंटित राशि का व्यय राज्य सरकारों द्वारा इसी उद्देश्य के लिए किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आवंटित राशि का व्यय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (च) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा की प्राथमिकताओं के साथ सामान्य स्वरूप के हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए राज्य-वार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां विगत वर्षों में मंजूर की गई निधि के उपयोग के अध्यधीन, राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मंजूर की जाती है।

गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को निर्मुक्त निधि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

अ.जा. और अ.ज.जा. छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2495.538	2761.5824	3099.562
2.	असम	213.6515	328.65	233.75
3.	बिहार	194.936	468.476	-

1	2	3	4	5
4.	छत्तीसगढ़	–	–	–
5.	गोवा	शून्य	–	–
6.	गुजरात	50.254	–	149.39
7.	हरियाणा	57.57	–	126.35
8.	हिमाचल प्रदेश	15.232	–	21.23
9.	जम्मू और कश्मीर	17.54	–	–
10.	झारखंड	–	–	–
11.	कर्नाटक	शून्य	1092.18	1111.61
12.	केरल	शून्य	554.865	301.902
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	193.849	382.469
14.	महाराष्ट्र	297.02	–	727.78
15.	मणिपुर	31.91	49.36	43.71
16.	मेघालय	4.687	2.984	4.166
17.	उड़ीसा	57.35	342.24	196.98
18.	पंजाब	551.2841	–	–
19.	राजस्थान	222.8	308.28	411.36
20.	सिक्किम	0.3729	–	–
21.	तमिलनाडु	958.86	516.86	1950.462
22.	त्रिपुरा	59.34448	136.82	141.2
23.	उत्तर प्रदेश	621.65	1257.847	1383.22
24.	उत्तरांचल	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	378.0066	1098.421
26.	दमन और दीव	–	–	1.68
27.	दादर व नागर हवेली	–	–	–
28.	दिल्ली	–	–	–
29.	पांडिचेरी	–	–	30
	कुल	5850	8392	11415.24

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.38969	74.07773	63.89584
2.	बिहार	2.75	33.25	20
3.	गोवा	0.358	शून्य	0.33675
4.	गुजरात	100.600	306.3333	459.25191
5.	हरियाणा	62.83581	13.44	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	0.04	शून्य	22.05375
7.	जम्मू कश्मीर	0.69	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	9.47	शून्य	3.02675
9.	केरल	0.7	7.0035	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	90.22125	86.04775	153.4485
11.	महाराष्ट्र	90.9805	174.6635	160.96125
12.	उड़ीसा	शून्य	7.72784	शून्य
13.	पंजाब	शून्य	4.83093	शून्य
14.	राजस्थान	शून्य	शून्य	107.5145
15.	सिक्किम	0.07375	0.60175	शून्य
16.	तमिलनाडु	34.4335	63.26125	170.2545
17.	त्रिपुरा	2.9082	2.0225	2.44625
18.	उत्तर प्रदेश	8.55	शून्य	शून्य
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
20.	दिल्ली	5	शून्य	शून्य
21.	पांडिचेरी	शून्य	15	शून्य
	कुल	440.00000	788.26	1163.19

अत्यन्त निम्न साक्षरता स्तरों के अ.जा. की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र योजना

वर्ष 1998-99

		बिहार	मध्य प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	कुल
अनुदान स्वीकृत जिला परिषदों की संख्या	पहली किस्त	1	26	20	शून्य	47
	दूसरी किस्त	1	1	शून्य	शून्य	2
जिला परिषदों में स्वीकृत स्कूलों की संख्या		1	26	20	शून्य	47
स्वीकृत अनुदान की कुल राशि (रुपए में)		2,83,500	38,94,520	28,05,024	शून्य	69,83,044

वर्ष 1999-2000

		बिहार	मध्य प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	कुल
अनुदान स्वीकृत जिला परिषदों की संख्या	पहली किश्त	शून्य	13	35	शून्य	48
	दूसरी किश्त	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जिला परिषदों में स्वीकृत स्कूलों की संख्या		शून्य	13	35	शून्य	48
स्वीकृत अनुदान की कुल राशि (रु. में)		शून्य	20,97.665	49,02,335	शून्य	70,00,000

वर्ष 2000-2001

		बिहार	मध्य प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	कुल
अनुदान स्वीकृत जिला परिषदों की संख्या	पहली किश्त	शून्य	शून्य	7	शून्य	7
	दूसरी किश्त	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जिला परिषदों में स्वीकृत स्कूलों की संख्या		शून्य	शून्य	7	शून्य	7
स्वीकृत अनुदान की कुल राशि (रुपए में)		शून्य	शून्य	10,51,165	शून्य	10,51,165

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(रुपए लाख मे)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	266.00	396.10	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	3.50	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	140.04
9.	हिमाचल प्रदेश	25.00	शून्य	67.30
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
12.	कर्नाटक	194.51	35.44	148.96
13.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	277.99	437.51
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य	24.973	12.75
21.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
22.	राजस्थान	84.15	शून्य	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	114.00	शून्य	258.34
25.	त्रिपुरा	10.00	10.00	22.05

1	2	3	4	5
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
3.	दादर व नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
4.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
6.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	693.66	750.00	1086.95

अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिए होस्टलों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	122.40	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	5.00	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गोवा	2	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	66.091	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	36.18	483.82	495.00
13.	केरल	50.00	शून्य	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	574.53	254.19	764.95
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य	7.84	12.75
21.	पंजाब	20.00	शून्य	शून्य
22.	राजस्थान	243.20	शून्य	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	शून्य	211.75	शून्य
25.	त्रिपुरा	10.00	10.00	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चंडीगढ़	शून्य	20.00	45.00
3.	दादर व नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
4.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
6.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	1000.00	1115.00	1317.70

अनुसूचित जातियों के लिए पुस्तक बैंक की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	26.232	116.59
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	0.575	शून्य
4.	बिहार	9.10	शून्य	7.38
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गोवा	0.15	0.60	0.59
7.	गुजरात	शून्य	1.344	शून्य
8.	हरियाणा	1.055	9.74	3.27
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	2.46	1.00
10.	जम्मू और कश्मीर	6.00	शून्य	3.45
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
12.	कर्नाटक	शून्य	57.50	20.50
13.	केरल	शून्य	11.10	13.92
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	12.79
15.	महाराष्ट्र	शून्य	82.34	27.03
16.	मणिपुर	शून्य	3.00	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	1.59
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य	8.00	9.00
21.	पंजाब	शून्य	शून्य	8.28
22.	राजस्थान	42.14	शून्य	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	24.27	28.81	15.21

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	3.2945	3.30	1.68
26.	उत्तर प्रदेश	25.48	शून्य	शून्य
27.	उत्तरांचल			
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चंडीगढ़	शून्य	0.34	0.72
3.	दादर व नागर हवेली	0.73	शून्य	शूय
4.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	8.18	5.72	5.89
6.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पांडिचेरी	शून्य	2.26	शून्य
	कुल	120.4015	243.321	248.89

अनुसूचित जातियों के लिए योग्यता के उन्नयन की योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	5.47	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	1.56	शून्य
3.	असम	शून्य	3.45	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	4.20
6.	गोवा	शून्य	0.75	1.05
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	7.73	8.76	8.70
9.	हिमाचल प्रदेश	0.54	0.25	शून्य
10.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	5.25
12.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य
13.	केरल	1.50	शून्य	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	55.74	39.15	16.80
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पंजाब	शून्य	0.45	शून्य
22.	राजस्थान	16.99	15.51	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	0.75
24.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य
25.	त्रिपुरा	2.10	3.00	1.20
26.	उत्तर प्रदेश	12.108	71.65	शून्य
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	2.40
28.	पश्चिम बंगाल	3.29	शून्य	6.01
29.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
30.	अंडान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दादर व नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य
33.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	0.50
	कुल	100.00	150.00	46.86

कोचिंग और सम्बद्ध योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	34.56	11.44	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	3.12	1.54	शून्य
9.	हिमचाल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
10.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	0.25	शून्य
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
12.	कर्नाटक	13.75	1.19	शून्य
13.	केरल	5.21	10.15	8.69
14.	मध्य प्रदेश	82.94	66.09	44.03
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	1.79	1.79
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य	4.99	शून्य
21.	पंजाब	3.39	1.89	2.39
22.	राजस्थान	43.18	शून्य	43.10
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य
25.	त्रिपुरा	शून्य	0.67	शून्य

1	2	3	4	5
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
	केन्द्र शासित राज्य			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.98	शून्य	शून्य
2.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
3.	दादर व नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
4.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	2.83	6.79	2.95
6.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	189.96	106.79	102.95

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास की योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/योजनाएं	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	236.44	49.00	113.00	178.88	87.30	225.86	–	–	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	50.00	50.00	25.20	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	75.00	75.00	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	4.02	2.29	175.29	6.25	3.00	83.17	–	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	37.84	108.30	–	79.90	87.22	–	–	–	–
8.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	–	29.44	–	–	–	–	–	75.00	–
11.	केरल	22.05	22.05	67.00	14.70	22.05	116.50	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	100.00	100.00	100.21	–	–	–	44.80	–	–
13.	महाराष्ट्र	33.07	66.24	157.38	–	–	–	–	–	–
14.	मणिपुर	–	13.00	–	–	26.00	3.00	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	11.00	13.75	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	32.50	32.50	–
18.	उड़ीसा	17.50	17.31	40.00	13.15	–	–	8.50	12.75	–
19.	राजस्थान	70.77	192.10	–	–	319.20	–	–	–	–
20.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	तमिलनाडु	–	–	–	100.00	50.00	53.75	–	–	–
22.	त्रिपुरा	51.64	35.86	85.44	–	103.70	50.00	20.00	–	–
23.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	11.00	–	175.44	–	–	–	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	117.00	116.70	–
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	दादर व नागर हवेली	60.00	60.00	–	–	–	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	769.33	820.59	938.96	392.88	698.47	532.28	233.80	250.70	0.00

कुंभ मेले के लिए वित्तीय सहायता

4008. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नासिक (महाराष्ट्र) में आयोजित होने वाले "कुंभ मेले" के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है और इसे किस एजेंसी द्वारा जारी किया जाना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार नासिक में कुम्भ मेले के लिए शहरी अवसंरचना के सृजन के लिए 50 करोड़ रुपये की एक

मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने पर सहमत हो गई है। महाराष्ट्र सरकार को यह राशि 16 नवम्बर, 2001 को जारी की गई है।

[अनुवाद]

विदेशी प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रायोजन

4009. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में अधिकारियों की अकादमिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता सुधारने हेतु प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों से प्रशिक्षण के लिए उनका चयन/प्रायोजन/नामांकन/तैनाती की है जहां इस प्रशिक्षण की लागत द्विपक्षीय/अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत प्रायोजक देशों/एजेंसियों द्वारा वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे अल्पकालिक/दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उनके मंत्रालय से किन व्यक्तियों को भेजा गया है;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या और उनका प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष प्रावधान किए गए है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	उनमें से अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व.	प्रतिशतता
1999	4	-	-
2000	2	1 (अ.जा.)	50%
2001	2	-	-

(घ) से (च) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अधिकारियों का नामांकन करते समय, अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व इन श्रेणियों से आवेदनों/नामांकनों की उपलब्धता तथा ऐसे आवेदकों द्वारा पात्रता की निर्धारित अपेक्षा को पूरा करने की शर्तों के अनुरूप पूरा ध्यान रखा जाता है।

कृषि उत्पादों के ब्रांडों का पंजीकरण

4010. डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल, गेहूं या अन्य कृषि उत्पादों के लिए किसी विदेशी कंपनी ने आवेदन किया है या किसी ब्रांड को पंजीकृत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उत्पादों के लिए किसी भारतीय कंपनी ने भी कुछ ब्रांडों का पंजीकरण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, हां। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 के तहत विदेशी प्रोपराइटरों के पक्ष में चावल के 210 और गेहूं के 15 व्यापार चिह्न पंजीकृत हैं। इस समय चावल के लिए 381 और गेहूं के लिए 12 आवेदन जांच हेतु लंबित हैं। जहां तक अन्य कृषि उत्पादों का संबंध है, विदेशी प्रोपराइटरों के पक्ष में 76 व्यापार चिह्न पंजीकृत हैं जबकि 77 जांच हेतु लंबित हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय कंपनियों के पक्ष में चावल के 792 और गेहूं के 149 व्यापार चिह्न पंजीकृत हैं। अन्य कृषि उत्पादों के मामले में, भारतीय कंपनियों के पक्ष में 241 व्यापार चिह्न पंजीकृत किये गये हैं।

महाराष्ट्र के गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

4011. श्री उत्तमराव पाटील:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में महाराष्ट्र से संबंधित कुछ कल्याणकारी योजनाएं केन्द्र सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के कारण लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(घ) महाराष्ट्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ङ) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(च) महाराष्ट्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि कितनी हैं;

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी नहीं। कोई योजना लंबित नहीं है लेकिन अनुमोदित गैर सरकारी संगठन की योजनाओं के अंतर्गत कुछ प्रस्ताव लंबित है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा मुल्यांकन रिपोर्ट न प्रस्तुत करने के कारण 54 प्रस्ताव लंबित हैं।

(घ) गैर सरकारी संगठन अपनी मूल्यांकन एवं आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सहायता चाहते हैं। तथापि गैर संगठनों को वित्तीय सहायता योजना के बजट संबंधी मानदंडों के अनुसार दी जाती है।

(ङ) परियोजना की मंजूरी के लिए कोई भी निर्दिष्ट समय नहीं होता है। आवेदनों के निपटान में लगने वाला समय, पूर्ण दस्तावेजों, अधिनामित प्राधिकारियों की सिफारिशें प्राप्त होने तथा जिस क्षेत्र में परियोजना स्थापित की जानी प्रस्तावित होती है, उसके लिए अभिनिर्धारित आवश्यकता पर निर्भर होता है।

(च) महाराष्ट्र में कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान 15 गैर-सरकारी संगठनों को 9.03 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

ए.पी.सी.ओ. के पुनर्गठन हेतु सहायता

4012. श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने ए.पी.सी.ओ. के पुनर्गठन हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राथमिक बुनकर सोसायटियों/एपीसीओ को विभिन्न योजनाओं हेतु कितनी सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) की हथकरघा संगठन घटक को सुदृढ़ करने के अंतर्गत 44.99 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना का प्रस्ताव भेजा था। परियोजना की लागत की हिस्सेदारी केन्द्र तथा राज्य द्वारा की जायेगी, जिसमें केन्द्र का हिस्सा 21.99 करोड़ रुपये तथा राज्य का हिस्सा 23.00 करोड़ रुपये होगा।

ए पी सी ओ के परियोजना प्रस्ताव में व्यापक नीतियों के प्रवाह, मानव शक्ति आकार कम करने के संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसके साथ राज्य सरकार परियोजना के अपने हिस्से के बारे में उनके बजट में कोई आवश्यक प्रावधान नहीं किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में ए पी सी ओ की मानव शक्ति को कम/बुद्धिसंगत व्याख्या के लिए सहायता, छूट के द्वारा स्टाक को समाप्त करना/प्रचार एवं विज्ञापन, किराया, बिजली, परिवहन, बिक्री तथा अन्य प्रोत्साहन तथा शोरूम का नवीनीकरण, जिसमें स्कीम की पुनर्गठन घटक प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया गया है। राज्य सरकारों को संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

जहां तक प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां/एपोसीओ के लिए विभिन्न स्कीमों से संबंधित सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है, इसके बारे में बताया जाता है कि भारत सरकार सारे देश में हथकरघा क्षेत्र तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिसमें शामिल हैं:

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. मिल गेट कीमत स्कीम।
3. विपणन काम्पलैक्सों की स्थापना।
4. प्रचार एवं प्रदर्शनी स्कीम।
5. निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनका विपणन।
6. कार्यशाला-सह-आवास स्कीम।

7. स्वास्थ्य पैकेज स्कीम।

8. समूह बीमा स्कीम।

9. थ्रिफ्ड स्कीम।

10. प्रवर्तन तंत्र की स्थापना।

11. राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र।

भारत सरकार उपर्युक्त स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दिये गये प्रस्तावों तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अग्रेपित प्रस्तावों हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए विचार करती है।

डी.ई.पी.बी. योजना

4013. श्री तरित वरण तोपदार:
श्री निखिलानन्द सर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1997 से प्रभावी होने वाली ड्यूटी इन्टाइटलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) योजना के शुरू करने के प्रति उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या डी.ई.पी.बी. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना (वी.ए.बी.ए.एल.) की कमियों को दूर करने में सफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) योजना मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस तथा पास बुक योजना को समाप्त किये जाने के कारण लागू की गयी थी ताकि भारतीय निर्यातकों के लिए शुल्क को निष्प्रभावी बनाने की आसान, सरल तथा पारदर्शी पद्धति उपलब्ध हो सके।

(ख) से (ङ) चूंकि डीईपीबी निर्यातोत्तर आधार पर होती है इसलिए निर्यात दायित्व तथा निर्यात दायित्व को पूरा करने में आई कमी, जैसा कि ''वीएबीएएल'' के लागू रहने के दौरान पाया गया है की मानिटरिंग की समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, डीईपीबी योजना के अंतर्गत अधिक मूल्यांकन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से उच्चतर डीईपीबी दर वाली अधिकांश मदों पर मूल्य संबंधी सीमाएं लागू की गई हैं। सीमाशुल्क प्राधिकारी इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वर्तमान बाजार मूल्य का सत्यापन भी करते हैं। डीईपीबी की वैधता अवधि 12 महीनों तक की होती है।

[हिन्दी]

चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन

4014. श्री रामशकल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''चाइल्ड लाइन'' और ''चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन'' की स्थापना से निस्सहाय बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये किन शहरों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं; और

(घ) देश के शेष शहरों में उनकी सेवाएं कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) चाइल्ड लाइन 24 घंटे की नि:शुल्क फोन सेवा है जिस पर विपत्ति ग्रस्त किसी बच्चे या उसकी तरफ से किसी वयस्क द्वारा टेलीफोन नम्बर 1098 डायल करके सम्पर्क किया जा सकता है। चाइल्ड लाइन सेवा किसी बच्चे को आपात सहायता प्रदान करती है आवश्यकतानुसार बच्चे को दीर्घावधि अनुवर्ती कार्रवाई तथा देखभाल के लिए उपयुक्त संगठन में भेजा जाता है। यह सेवा सड़कों पर रहने वाले बच्चों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकों, घरेलू नौकरों तथा यौनरूप से दुरुपयोग किये गये बच्चों की जरूरतों पर बल देती है।

(ग) और (घ) चाइल्ज लाइन सेवाएं 28 शहरों अहमदाबाद, अलवर, बड़ौदा, भुवनेश्वर, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोचीन, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कच्छ, लखनऊ, मंगलौर, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, शिलांग, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, विजयवाड़ा, तथा विशाखापत्तनम में प्रदान की गयी हैं। देश के शेष शहरों में यह सेवा शुरू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। अन्य शहरों में इस हेतु जहां-जहां उपयुक्त प्रबंध होगा वहां-वहां पर विस्तार किया जा सकेगा।

दोहा शिखर सम्मेलन

4015. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र के मुद्दे पर दोहा में हाल ही में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाए गए;

(ख) वस्त्र के संबंध में सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) भारत को वस्त्र क्षेत्र में क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) कार्यान्वयन संबंधी चिन्ताओं के परिप्रेक्ष्य में भारत ने वस्त्र व क्लोदिंग संबंधी करार के अंतर्गत विद्यमान छूट के अतिरिक्त अन्य ढील देने का अनुरोध किया था। दोहा में हुए मंत्रालयी अधिवेशन में संबंधित चिन्ताओं के कुछ पक्षों पर निर्णय लिया गया है जो कि निम्नानुसार है:

वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी करार का पूरा और निष्ठा से कार्यान्वयन करने के प्रति पुन: वचनबद्धता करते हुए यह सहमति प्रकट की कि:

- उत्पादों के शीघ्र एकीकरण और कोटा संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए करार के उपबंधों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाए।
- सदस्य, विकासशील देशों से वस्त्र व क्लोदिंग प्रयासों पर ऐसे पाटन रोधी उपाय करने के परिप्रेक्ष्य में जांच शुरू करने से पूर्व विशेष रूप से विचार करेंगे जो कि इससे पहले दो वर्ष की अवधि के लिए करार के अंतर्गत मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के अध्यधीन थे जो कि इस करार के डब्ल्यू टी ओ में पूरी तरह से एकीकरण।
- अपने अधिकारों और दायित्वों के लिए किसी प्रकार के पूर्वाग्रह के बिना ही सदस्य मूल-नियमों से संबंधित उस समिति को, समझौते के तहत आने वाले उत्पादों से संबधित अपने मूल नियम में किसी भी परिवर्तन को अधिसूचित कर सकेंगे, जो उनकी जांच के लिए निर्णय ले सकती है।

इन सामानों का व्यापार करने के लिए परिषदों को लिखित प्रस्तावों की जांच का अनुरोध:

- जब समझौते के बकाया वर्षों के लिए छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए कोटा-स्तर की गणना की जाती है। क्रियान्वयन अवधि के आरंभ से वृद्धि-दर-वृद्धि प्रावधानों के तहत उन सदस्यों के संबंध में, अल्प-विकसित राष्ट्रों के साथ उसी प्रकार व्यवहार का प्रसार, तथा जहां संभव हो ऐसे सदस्यों के आयात के कोटा प्रतिबंधों को समाप्त करने के तहत उन सदस्यों के संबंध में सभी सदस्य उपलब्ध अति अनुकूल प्रणाली लागू कर सकते हैं।
- यदि 1 जनवरी, 2000 तक तीसरे स्तर के लिए वृद्धि-दर-वृद्धि प्रावधान का क्रियान्वयन कार्य आगे बढ़ता है तो सदस्यों द्वारा अन्य प्रतिबंधित सदस्यों के संबंध में समझौते के बकाया वर्षों के लिए कोटा स्तर की गणना की जायेगी।

और उचित कार्रवाई के लिए 31 जुलाई, 2002 तक सामान्य परिषद के लिए सिफारिशें की जानी हैं।

वस्त्र एवं क्लोदिंग पर पाटनरोधी कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व विशेष विचार-विमर्श की कार्यवाही से संबंधित निर्णय, वस्त्रों एवं क्लोदिंग उत्पादों के विरुद्ध ऐसे उपायों के स्वैच्छानुसार आरोपन को रोकने में सहायक हो सकेंगे। कुछ अन्य निर्णय, जो उपयुक्त प्रयास संबंधी धारा अथवा आवश्यक आगामी विचार की प्रकृति के हैं यदि उन पर अनुकूल रूप से विचार किया जाता है, वे इस क्षेत्र में बाजार प्रवेश संबंधित कुछ निषेधों जिनका सामना हमारे निर्यात द्वारा किया जा रहा है से निपटने में सहायता करेंगे।

बिहार से देय ऋण

4016. श्री अरुण कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने सभी ऋणों को खत्म करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। बिहार के सांसदों और मुख्यमंत्री की ओर से सभी ऋणों को माफ कर दिए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए थे। भारत सरकार द्वारा मामले पर विचार किया गया और राज्य

सरकार को सूचित कर दिया गया था कि चयनित ऋण राहत पर कोई विचार ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा दसवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अविभाजित बिहार राज्य को प्रदत्त 24655.56 करोड़ रुपये की तुलना में ग्यारहवें वित्त आयोग की वर्ष 2000-05 की पंचवार्षिक अवधि के लिए नवसृजित राज्य बिहार को दिया गया गैर-योजना अनुदान बढ़कर 45174.42 करोड़ रुपए हो गया है।

[अनुवाद]

अल्जीरियाई कंपनी द्वारा तम्बाकू के आयात को अस्वीकार किया जाना

4017. **श्री राम मोहन गाड्डेः**
श्री ए. ब्रह्मनैयाः
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः
श्री के. येरननायडूः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** भारत से अल्जीरिया द्वारा आयात को बंद करने के बारे में 25 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 5136 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स बेस्ट इंडिया तम्बाकू आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अल्जीरिया की मेसर्स एस.एन.टी.ए. को निर्यातित तम्बाकू को खराब गुणवत्ता के कारण मेसर्स एस.एन.टी.ए. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अल्जीरियाई सरकार का मेसर्स एस.एन.टी.ए. द्वारा भारत सरकार से अब तक शिकायत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मैसर्स बेस्ट इंडिया तम्बाकू आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या भारत से अल्जीरिया की मेसर्स एस.एन.टी.ए. द्वारा तम्बाकू आयात को बंद किये जाने के संबंध में कोई समाधान किए बिना ही वर्ष 2000 के बाद से तम्बाकू का निर्यात किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किए जाने वाले तम्बाकू का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां। मै. बेस्ट इंडिया टोबाको सप्लायर्स उन तीन भारतीय कंपनियों में से एक थी, जिसने तीन वर्ष की अवधि में तम्बाकू की 3,500 टन की मात्रा की आपूर्ति हेतु वर्ष 1991 में अल्जीरिया की मै. एसएनटीए के साथ संविदा की थी। मै. एसएनटीए ने वर्ष 1994 में भेजी गई खेप के एक भाग में कीट संक्रमण का पता लगाया था और तंबाकू के 230 टन के भार की क्षति के लिए मुआवजे का दावा किया था।

(ख) और (ग) यह मामला मै. एस.एन.टी.ए. द्वारा अल्जीयर्स स्थित भारतीय मिशन के ध्यान में लाया गया था। यद्यपि यह दो कंपनियों के बीच मूलत: वाणिज्यिक विवाद है तथापि भारत सरकार ने विवाद का पारस्परिक सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। तंबाकू बोर्ड द्वारा भारतीय निर्यातक को अल्जीरियाई पक्ष के साथ मामला सुलझाने का निर्देश दिया गया है। अगस्त, 2000 में मंत्रालय में बुलाई गई एक उच्चस्तरीय बैठक में भारतीय निर्यातक से विवाद का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था, जिसमें तंबाकू बोर्ड केवल सुविधादाता की भूमिका अदा कर रहा है। तथापि, यह मामला आज की तारीख तक अनसुलझा बना हुआ है।

(घ) और (ङ) मै. एसएनटीए, जो अल्जीरियाई सरकार की तम्बाकू पर एकाधिकार रखने वाली कम्पनी है, ने वर्ष 1994 से भारत से तंबाकू का आयात बंद कर दिया था। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1995-2000 की अवधि में अल्जीरिया को तंबाकू का कुल निर्यात शून्य रहा था। वर्ष 2000-2001 की अवधि में अल्जीरिया को थोड़ी सी मात्रा में नान फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू का निर्यात किया गया है। पिछले चार वर्षों में अल्जीरिया को किए गए तंबाकू के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1998-99	शून्य	शून्य
1999-2000	शून्य	शून्य
2000-2001	500	2.12
2001-2002 (जुलाई 2001 तक)	479.36*	2.13*

(*) अनंतिम अनुमान।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

4018. **श्री ए. कृष्णास्वामी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति और अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कोई कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन केन्द्रों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का विपणन

4019. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 9 सितम्बर, 2001 के ''दैनिक जागरण'' में ''चाकुलिया में 500 बोरा गेहूं जमीन में गाड़ा गया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत इन खाद्यान्नों को आवंटित किया गया और ऐसा आवंटन किस तिथि को किया गया;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि गरीब और भूखे लोगों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न उन तक पहुंचे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंत्योदय अन्न योजना के लाभ लक्षित लाभभोगियों तक पहुंचे, अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने और योजना के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत विवरण राज्यों को जारी किए गए थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपूर्ति बनाए रखने और आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया है। इस आदेश की मुख्य-मुख्य बातें गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करने, जारी की जाने वाली मात्रा तथा निर्गम मूल्यों, लाइसेंस देने, वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की मानीटरिंग करने से संबंधित है।

[अनुवाद]

भूख से होने वाली मौत

4020. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सिरसीला, नालगौंड़ा जैसे कुछ जिलों से बुनकरों की भूख से होने वाली मौत का समाचार मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बुनकरों की मदद के लिए किस तरह के राहत पैकेज का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सरकार को आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिला के सिरसीला के पावरलूम के कुछ बुनकरों द्वारा आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से बुनकरों की समस्याओं तथा शिकायतों के निवारण के लिए तत्काल उपाय किये। राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों जैसे वृद्धावस्था पेंशन का वितरण तथा विधवा पेंशन और आत्महत्या से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देना आदि के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रायोजित दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किये गये उपायों में सिरसीला में यार्न डिपो खोलना, पावरलूम सेवा केन्द्र, हैदराबाद में विस्तार केन्द्र को आरंभ करना, उत्पाद विकास तथा विपणन के लिए प्रशिक्षण तथा सलाह सुविधा प्रदान करना, निस्सहाय परिवारों को सिलाई प्रशिक्षण देना शामिल है।

[हिन्दी]

आस्ट्रेलिया के साथ समझौता

4021. **श्री पदमसेन चौधरी:**
डा. अशोक पटेल:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया ने आय पर दोहरे कराधान से बचने और कर अपवंचन को रोकने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते के कब से प्रभावी होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हां। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दोहरे कराधान के परिहार और आय पर करों के संबंध में आर्थिक अपवंचन की रोकथाम (टीडीएए) का करार पहले ही 30 दिसम्बर, 1991 से प्रवृत्त हो गया है। उक्त दोहरे कराधान के परिहार का करार माडल कर अभिसमय पर आधारित है और इसमें 29 अनुच्छेद हैं जिसमें विभिन्न स्रोतों से आय के कराधान के आधार, दोहरे कराधान को समाप्त करने के तरीके और सूचना के आदान प्रदान की रूप रेखा प्रस्तुत की गई है। उक्त करार को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 के खण्ड 3 के उपखंड (1) में दिनांक 22 जनवरी, 1992 के सा.का.नि. 60 (अ) के तहत अधिसूचित किया गया है।

[अनुवाद]

निर्यात कार्य-निष्पादन की समीक्षा

4022. **श्री अनंत गुढ़े:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के निर्यात कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतिम रूप से तैयार की गई कार्य योजना क्या है; और

(घ) कम होते निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष के अगले छ: महीने के लिए क्या कार्रवाई शुरू की गई और नई रणनीतियां क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) जी, हां। इस समय निर्यातों में गिरावट और वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी को देखते हुए, सरकार ने प्रमुख निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ विचार-विमर्श किया है। प्राप्त हुए फीड बैंक के आधार पर विभिन्न उपाय किये गये हैं जिनमें शामिल हैं-निर्यात ऋण दर में कमी, लैटिन अमरीकी देशों को किए गए निर्यातों के लिए सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिनों से बढ़ाकर 360 दिन करना, शुल्क वापसी की दरों में ऊर्ध्वगामी संशोधन करना, डीईपीबी योजना के अंतर्गत मूल्य संबंधी सीमा को हटाना और निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि को बढ़ाकर छ: महीने करना।

चूककर्ताओं से निपटने हेतु कानून

4023. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार जानबूझकर चूक करने वालों से संविदाओं के लागू करने की कमियों को ठीक करने और वसूली में सुधार लाने हेतु विधान बनाने पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान अपने परिचालन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो विधान से बैंकों की पारदर्शिता और जवाबदेही किस हद तक कायम रहेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सिक्यूरिटी हितों के सृजन और लागू करने के लिए कानून बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सिक्यूरिटी हितों के सृजन और उसके लागू करने से संबधित कानून और प्रथा और उससे संबंधित मामलों अथवा प्रासंगिक मामलों को विधिबद्ध करना और सुदृढ़ करना है।

(ग) और (घ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना प्रकटन लेखा-विवरण और तुलन-पत्र को लेखा संबंधी टिप्पणी के भाग के रूप में करने के संबंध में समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों का पालन करें। लेखा संबंधी टिप्पणी में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात, निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए की प्रतिशतता, एनपीए की ओर किए गए उपबंध की राशि, निवेश के मूल्य में गिरावट, भारत और भारत के बाहर निवेश का सकल मूल्य, अन्याजी आय, परिचालित लाभ, आस्तियों पर प्रतिफल, प्रति कर्मचारी कारोबार, प्रति कर्मचारी लाभ, परिपक्वता पैटर्न (ऋणों, अग्रिमों, निवेश, प्रतिभूतियों, जमाराशियों और उधारों का) विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति और देयताएं, एनपीए में उतार-चढ़ाव और अस्थिर क्षेत्रों को उधार देने आदि के संबंध में सूचना सम्मिलित है। आशा है कि उपर्युक्त ब्यौरों से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता की डिग्री में सुधार भी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री एस.एस. कोहली की अध्यक्षता में जानबूझकर चूक करने वालों के संबंध में कार्यकारी समूह भी नियुक्त किया है। समूह ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

जूट मिलों का पुनरुद्धार

4024. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.आई.एफ.आर. ने 27 जून, 2001 को अपनी सुनवाई में राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम की मिलों के पुनरुद्धार हेतु संयुक्त प्रस्ताव शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम/सरकार को पुन: अवसर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) सरकार द्वारा, यथासंभव सीमा तक रोजगार को सुरक्षा प्रदान करने तथा कामगारों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बी आई एफ आर के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि बंदीकरण के आदेश पारित नहीं होने चाहिए तथा एक मिलवार पुनरुद्धार संबंधी दृष्टिकोण के लिए प्रयास होने चाहिए। इन मिलों का प्रस्ताव सर्वप्रथम कामगार सहकारिता को, जिसके असफल होने पर राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और निजी क्षेत्र को करने के साथ, इसे किए जाने का प्रस्ताव था। इन प्रस्तावों के संदर्भ में, बी आई एफ आर ने दिनांक 27.6.2001 की अपनी सुनवाई में सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया और आस्थगित कंपनियों को बंद करने के अपने पूर्व प्रथम दृष्टया निर्णय को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किए और प्रचालन अभिकरणों (भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, आई आई बी आई) को इन मिलों की बिक्री के विज्ञापन देने और सभी प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के निदेश दिए। यदि इनमें से कोई प्रस्ताव पूर्णत: सहबद्ध, स्वीकार्य तथा व्यवहार्य पाया जाता है तो प्रचालन अभिकरण बी आई एफ आर के समक्ष उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यदि विज्ञापन के उत्तर में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो प्रचालन अभिकरण तत्काल ही बी आई एफ आर को सूचित करेंगे। इस प्रकार की परिस्थितियों में बी आई एफ आर किसी प्रकार की आगामी सुनवाई निर्धारित किए बिना उस कंपनी को बंद करने के अपने पूर्व प्रथम दृष्टया आदेश की पुष्टि करेगी।

(ग) बी आई एफ आर के निदेशों का अनुसरण करते हुए, प्रचालन अभिकरण (आई आई बी आई) द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एन जे एम सी) के छ: एककों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की गई। संभावित बोलीकर्ताओं से बोलियां प्राप्त हुई और बी आई एफ आर के लिए अपनी सिफारिश को अंतिम रूप देने के लिए आई आई बी आई द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

बैंकों में तब्दील हुए वित्तीय संस्थाओं के सी.आर.आर. और एस.एल.आर.

4025. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार बैंकों में तब्दील हुए वित्तीय संस्थाओं को नकद आरक्षित अनुपात (सी.आर.आर.) और सांविधिक तरलता अनुपात (एस.एल.आर.) जैसी सांविधिक आवश्यकता में और छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो नकद आरक्षित अनुपात (सी.आर.आर.) बनाए रखने के मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों में तब्दील हुए वित्तीय संस्थानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ही उसी विनियामक अनुशासन में लाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन वित्तीय संस्थानों के नाम क्या हैं जिनके अपने बैंक हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसी कोई भी वित्तीय संस्था नहीं है जो बैंक में बदल गई हो। जबकि सर्वव्यापी (यूनिवर्सल) बैंक में रूपांतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अब तक एक वित्तीय संस्था से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, कुछ अन्य वित्तीय संस्थाओं ने इस दिशा में अग्रसर होने की अपनी मंशा जाहिर की है। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में कुछ वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिखाई गई रुचि का स्वागत करता है और यदि वे ऐसा चाहते हैं, तो उन्हें सर्वव्यापी बैंकों में निर्विघ्न रूपांतरण संबंधी उचित एवं व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सर्वव्यापी बैंकिंग संबंधी दृष्टिकोण के बारे में अप्रैल 2001 में वित्तीय संस्थाओं को भेजे गए भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में दिए गए उन तथ्यों के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक आवेदनों को संसाधित करना चाहता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि स्वयं के सर्वव्यापी बैंक में रूपांतरण के पश्चात किसी वित्तीय संस्था के लिए (क्रमश: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत) आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चल निधि अनुपात की अपेक्षाओं का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो

4026. **श्रीमती जस कौर मीणा:**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम के राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड में कितने बेस डिपो है;

(ख) क्या उक्त बेस डिपो इन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन राज्यों में भारतीय खाद्य निगम में और अधिक डिपो स्थापित करने की तैयारी कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) राजस्थान और झारखंड में भारतीय खाद्य निगम के क्रमश: 36 और 12 बेस डिपु हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन खाद्यान्नों की वसूली और वितरण कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा खाद्यान्नों को कम मात्रा में उठाना

4027. **श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य उन्हें आबंटित खाद्यान्नों का पूरा कोटा नहीं उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत वर्ष और आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों को कितना गेहूं और चावल आबंटित किया गया और उन्होंने कितनी मात्रा में इसे उठाया;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों को उठाने की कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्य द्वारा अपने हिस्से का खाद्यान्न उठाने में असफल रहने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 2001-2002 के दौरान (अक्तूबर, 2001 तक) 179.68 लाख टन के आबंटन के प्रति 65.22 लाख टन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का उठान किया गया है।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाने वाला खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का उठान कई घटकों पर निर्भर करता है इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटक केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और खुले बाजार मूल्यों के बीच समानता; खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति; गुणवत्ता मानक; और देश के विभिन्न भागों में लोगों की आहार आदते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 2001-2002 में विभिन्न राज्यों को आबंटित और उठान की गई गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

वर्ष	आबंटन			उठान		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1998-99	127.57	99.20	226.77	106.21	78.23	184.44
1999-2000	137.25	101.75	239.00	111.89	56.18	168.07
2000-01	160.91	113.68	274.59	76.34	38.44	114.78
2001-02 (अक्तूबर, 2001 तक)	100.02	79.66	179.68	42.40	23.12	65.52

(घ) और (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन तीन माह की उठान वैधता अवधि के साथ द्वैमासिक आधार पर किया जाता है।

(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किये जा रहे खाद्यान्नों के उठान की निरंतर मानीटरिंग की जाती है। यदि किसी राज्य से वैधता अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात आबंटित मात्रा के उठान के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त होता है तो उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और उचित मामलों में समय बढ़ाया जाता है।

सावधि जमा का भुगतान

4028. श्री बी.वी.एन. रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिया है कि यदि वे इस स्थिति में नहीं हैं तो उन्हें उन सावधि जमा का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिनकी अवधि पूरी न हुई हो; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे आदेश जारी किये जाने का क्या औचित्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्ष 2001-02 की मौद्रिक तथा ऋण नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की थी कि बैंक व्यक्तियों एवं हिन्दू अविभाजित परिवारों को छोड़कर अन्य कंपनियों द्वारा रखी गई बड़ी जमाराशियों की समयपूर्व निकासी की अनुमति न देने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह 19.4.2001 से प्रभावी है। यह उपबन्ध सभी नई जमाराशियों पर लागू होगा परन्तु विद्यमान जमाराशियों के लिए वर्तमान उपबन्ध व्यक्तिगत जमाराशियों की नवीकरण के समय तक ही लागू होगा।

(ख) बड़ी जमाराशियों की समयपूर्व निकासी का प्रभाव बैंकों के आस्ति देयता प्रबंधन कार्य पर पड़ सकता है।

बुनकरों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति

4029. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बुनकरों की समस्याओं का अध्ययन करने और उनकी सहायता हेतु कार्ययोजना का सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक दीर्घावधि योजना बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन दे दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का उत्पादन और उपलब्धता

4030. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2000-2001 में किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गत दशक में निवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है और यह 1991 के 142 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2000 में 169 मिलियन टन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूसरी ओर उस अवधि के दौरान खाद्यान्नों (अनाज और दालें) की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 510.1 ग्राम से घटकर 466 ग्राम रह गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रतिशतता में खाद्यान्नों की खरीद 1991 के 12.7 प्रतिशत से लगातार बढ़ते हुए 19.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रतिशतता के अनुसार सार्वजनिक वितरण 13.1 प्रतिशत से घटकर 7.1 प्रतिशत रह गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) देश में जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1990-91 के दौरान कुल 176.39 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था। 1999-2000 के दौरान खाद्यान्नों का अनंतिम उत्पादन 208.87 मिलियन टन हुआ है।

(ख) आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1991 में अनाज और दालों सहित खाद्यान्नों की निवल उपलब्धता 510.01 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन थी। यह वर्ष 2000 के दौरान 458.6 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो गई है।

(ग) खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता विभिन्न घटकों अर्थात उत्पादन, निवल आयात, स्टाक में परिवर्तन, आबादी आदि पर निर्भर करती है।

(घ) उत्पादन के प्रतिशत के रूप में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की वसूली जो 1991-92 में 13.09 प्रतिशत थी बढ़कर 2000-01 में 22.01% हो गई है।

(ङ) और (च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का उठान जो 1990-91 में 14.95 मिलियन टन था। 1999-2000 में बढ़कर 17.07 मिलियन टन हो गया है। खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का उत्पादन जो 1990-91 में 129.94 मिलियन टन था बढ़कर 1999-2000 में 165.05 मिलियन टन हो गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उठान में अंतर विभिन्न घटकों अर्थात खुले बाजार मूल्यों, केन्द्रीय निर्गम मूल्यों, समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नीतियों आदि पर निर्भर करता है।

(छ) देश के जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

देश के जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

(1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन अप्रैल, 2000 से 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है।

(2) 25.7.2000 से गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य कम कर दिये गये थे।

(3) घटे मूल्यों पर गेहूं की खुली बिक्री 11.7.2000 से शुरू की गई थी और चावल की खुली बिक्री 4.9.2000 से शुरू की गई थी।

(4) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 100% पर अथवा समय-समय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित खुले बाजार बिक्री मूल्यों जो भी कम हों पर निर्धारित किए गए थे। खुले बाजार की दरें आर्थिक लागत से कम होने के कारण राज्य इस पेशकश का लाभ उठा सकते हैं और घटी दरों पर गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं।

(5) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन के लिए 1995 के आबादी अनुमानों की बजाय 1.3.2000 को महा पंजीयक के आबादी अनुमान को आधार बनाया गया है।

(6) भिक्षु गृहों, अनाथालयों, नारी निकेतनों आदि जैसे कल्याण संस्थाओं में रहने वालों अकिंचन व्यक्तियों की श्रेणियों को कवर करने के लिए राज्य सरकारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर आबंटन हेतु खाद्यान्न उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(7) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रावासों की योजनाओं सहित सभी कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न आबंटित किये जाते हैं।

(8) यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी अकिंचन वृद्ध व्यक्तियों की अन्नपूर्णा योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन किया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

(9) अब राज्य सरकारों को राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम और हरित भारत अभियान चलाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हैं।

(10) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुशंसित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं (जहां लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हों) के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आबंटित किये जायेंगे।

(11) भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी गई है कि वह उस मूल्य पर निर्यात के लिए गेहूं की पेशकश करे जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम न हो जो फिलहाल 4150 रुपये प्रति टन है।

(12) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी है कि वह वर्ष 2000-2001 के लिए सभी निर्यातकों को 6750 रुपये प्रति टन की दर पर निर्यात हेतु 20 लाख टन चावल की पेशकश करे। वर्ष 2001-2002 के लिए भारतीय खाद्य निगम को 5650 रुपये प्रति टन की दर से रॉ चावल और 6000 रुपये प्रति टन की दर से सेला चावल के हिसाब से सभी निर्यातकों को 30 लाख टन चावल की पेशकश करने की अनुमति दी गई है।

(13) आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाने के लिए मुफ्त 30.14 लाख टन खाद्यान्न (18.99 लाख टन चावल और 11.14 लाख टन गेहूं) आबंटित किया गया था।

(14) 12.7.2001 से गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य जो 830 रुपये प्रति क्विंटल थे कम करके 610 रुपये प्रति क्विंटल और चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य जो 1130 रुपये प्रति क्विंटल था कम करके 830 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(15) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का आबंटन जुलाई, 2001 से 20 किलोग्राम से बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है।

(16) सरकार ने सभी के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और भारत को भुखमरी मुक्त करने के लिए निर्धनतमों के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की है। इस योजना के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों जो कुल आबादी का 5% है में से लगभग 1 करोड़ परिवारों को 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्न प्रदान किये जायेंगे। ये खाद्यान्न 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल के हिसाब से जारी किये जाते हैं। इन परिवारों की पहचान राज्य में गरीबी रेखा से नीचे

के परिवारों में से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाएगी।

(17) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक रूप से मुफ्त 50 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किये जायेंगे। खाद्यान्नों की आर्थिक लागत 5000 करोड़ रुपये हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालय है, ने यह योजना 25 सितम्बर, 2001 को शुरू की है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन करेगा। अब तक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा इस योजना के अधीन 9.75 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया जा चुका है।

लंबित औद्योगिक परियोजनाएं

4031. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों की राज्यवार कितनी औद्योगिक परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्येक औद्योगिक परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) क्या राज्य सरकार या संबंधित संगठन से और सूचना मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है? और

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) विभिन्न आवेदकों से औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्र प्राप्त करने और उनका निपटान करने का कार्य एक निरंतर चलती रहने की प्रक्रिया है। 30 नवम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन आवेदनों की राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र, जिसमें प्रस्तावित निवेश राशि भी दी गई है, विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के लिए सभी संभव उपाय किये जाते हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की क्षेत्रक नीति और विशिष्ट मामलों में उनकी सिफारिशों तथा संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

विवरण

विचाराधीन औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों तथा उनमें प्रस्तावित निवेश की राज्यवार स्थिति (30.11.2001 की स्थिति के अनुसार)

राज्य का नाम	आवेदनों की संख्या	प्रस्तावित निवेश, रुपये करोड़ में
आंध्र प्रदेश	13	61
असम	17	461
बिहार	2	4
छत्तीसगढ़	2	9
दादर और नगर हवेली	1	3
गुजरात	2	8
झारखंड	1	8
कर्नाटक	3	6
मध्य प्रदेश	5	20
महाराष्ट्र	9	217
उड़ीसा	4	16
पांडिचेरी	1	4
पंजाब	1	1
राजस्थान	2	5
तमिलनाडु	3	5
त्रिपुरा	4	361
उत्तर प्रदेश	2	4
पश्चिम बंगाल	2	20
योग	74	1213

कर निर्धारण संबंधी मामले

4032. श्री पी. मोहन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान जांच किये गये व संक्षिप्त निर्धारण के मामलों के प्रतिशत में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो 1997-98 और 2000-2001 के संबंधित आंकड़े क्या हैं;

(ग) इसमें गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कर निर्धारण के मामलों को एक निर्धारित समय-सीमा में निपटाने हेतु क्या उपाय किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान जांच किए गए व संक्षिप्त निर्धारण के निपटान के प्रतिशत में कुछ हद तक गिरावट आई है। वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए आयकर और निगम कर के कार्यभार और जांच किए गए व संक्षिप्त निर्धारण संबंधी मामलों के निपटान के आंकड़े सारणीबद्ध किए गए हैं और विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) आयकर विभाग में व्यापक पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान मुख्य जोर सभी कर निर्धारितियों को स्थायी खाता संख्या के आवंटन पर दिया गया था। उपर्युक्त अवधि के दौरान जांच किए गए व संक्षिप्त निर्धारण दोनों मामलों के निपटान में कमी आयी है।

(घ) सभी कर निर्धारण अधिकारियों से आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा विहित सांविधिक समय सीमा के भीतर संवीक्षा के साथ-साथ संक्षिप्त निर्धारण के मामलों को पूरा करने की अपेक्षा की गई है। ऐसे कर-निर्धारण मामलों का निपटान इस प्रयोजन के लिए विहित समग्र सीमा के भीतर किया जा रहा है। अत: ऐसे मामलों के निपटान के लिए किसी विशेष उपायों की आवश्यकता नहीं हैं।

विवरण

वित्त वर्ष	निपटान के लिए शेष कर निर्धारण			पूरे किए गए कर निर्धारण		
	संवीक्षा	सारांश	योग	संवीक्षा	सारांश	योग
1997-98	1108764	12751169	13859933	920701	1035[illegible]026	11275627
1998-99	598076	17832219	18430295	201840	8352299	8554148
1999-00	553637	26846956	27401593	316223	14043850	14360073
2000-01	360141	31046331	31406472	225730	18633110	18858840

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव

4033. श्री राजो सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की दर को स्थिर बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) घरेलू मुद्रास्फीति दर का निर्धारण साप्ताहिक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़ के आधार पर मॉनीटर की गई विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी के द्वारा किया जाता है। अत: पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव मुद्रास्फीति दर पर पड़ेगा न कि मुद्रास्फीति दर में वृद्धि का पेट्रोल और इसके उत्पादों की कीमतों पर क्योंकि पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू कीमतें कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की प्रवृत्तियों द्वारा प्रभावित होती हैं और इनका निर्धारण नियंत्रण मूल्य प्रणाली के माध्यम से होता है।

कच्चे तेल की कीमतों में हुई भूमंडलीय वृद्धि के कारण वर्ष 2000-01 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की नियंत्रित कीमतों में दो बार वृद्धि करनी पड़ी। 23 मार्च, 2000 को ऊर्जा उत्पादों की नियंत्रित कीमतों में वृद्धि ने मुद्रास्फीति दर को 5.37 प्रतिशत से बढ़ा कर 6.49 प्रतिशत कर दिया। पिछले वर्ष 29 सितम्बर, 2000 को घोषित नियंत्रित कीमतों में और अधिक वृद्धि के कारण समग्र मुद्रास्फीति दर 6.34 प्रतिशत से बढ़ कर 7.77 प्रतिशत हो गई।

(ख) चालू राजकोषीय वर्ष 5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति के साथ आरंभ हुआ जो 3 नवम्बर 2001 तक लगातार गिर कर दो वर्षों में सबसे कम 2.4 प्रतिशत पर पहुंच गया।

सरकार के आपूर्ति पक्ष प्रबंधन ने चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कीमतों में स्थिरता को सुनिश्चित किया हुआ है। जन उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए संगठित प्रयास किये जा रहे हैं। मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए मांग पक्ष में भी उपाय किये जा रहे हैं। इनमें अधिक राजकोषीय अनुशासन लाना और मौद्रीकृत घाटे और स्थूल मुद्रा (एम. 3) में वृद्धि की नियमित रूप से मानीटरिंग करना शामिल है।

[अनुवाद]

इनीशियल पब्लिक ऑफर

4034. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर का बाजार में कोई कारोबार नहीं हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अवधि के दौरान केवल दो इनीशियल पब्लिक ऑफर बाजार में आये और इनसे केवल छह करोड़ रुपए की छोटी सी धनराशि जुटाई जा सकी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसी कंपनियों के विरुद्ध मामले दर्ज करने में असफल रही है जो बाजार से पैसा उगाहने के बाद रातों-रात गायब हो जाती हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे लोगों का शेयर बाजार पर से विश्वास पूर्णतया उठ गया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा शेयर बाजार को मजबूती प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि अप्रैल से सितम्बर, 2001 की अवधि के दौरान तीन आरंभिक सार्वजनिक पेशकशें की गई जिनसे 28.35 करोड़ रुपए जुटाए गए। इस अवधि के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों/सार्वजनिक/राईट्स निर्गमों के जरिए इक्विटी तथा ऋण लिखतें जारी करके बाजार में कुल 2365.42 करोड़ रुपए की निधियां जुटाई गईं।

(ग) सेबी के अनुसार कंपनियों द्वारा सार्वजनिक निर्गम लांच न करने के कारण निम्न हो सकते हैं: कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश की सीमित संभावना; सेबी द्वारा पात्रता तथा प्रकटन मानक कठोर किया जाना; अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण हुई आशंकाएं; निजी स्थापना बाजार के लिए वरीयता तथा भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा एडीआर/जीडीआर निर्गमों के लिए दिशा-निर्देशों में उदारीकरण।

(घ) सेबी की जानकारी में यह आया था कि कतिपय कंपनियां सूचीकरण करारों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर रही थी तथा सार्वजनिक निर्गम करने के पश्चात् अपने पंजीकृत कार्यालयों पर भी उपलब्ध नहीं थी। सेबी ने 88 कंपनियों तथा 339 निदेशकों/संवर्धकों को पूंजी बाजार से निधियां जुटाने, प्रतिभूतियों में लेनदेन करने तथा पूंजी बाजार में किसी भी मध्यवर्ती के साथ संबद्ध होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए विवर्जित करते हुए उनके विरुद्ध आदेश जारी किये हैं। कंपनी कार्य विभाग ने सूचित किया है कि 27 कंपनियां परिसमापनाधीन हैं; 2 कंपनियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जब्त कर लिया गया है; सांविधिक दस्तावेज दायर न करने के लिए 135 कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियां शुरू की गई हैं; तथा 2 कंपनियों के विरुद्ध चूक नोटिस जारी किए गए हैं।

(ङ) और (च) सरकार निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से संगत विधान, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों तथा उनके प्रशासन की समीक्षा करती है। संबंधित विनियामक अभिकरणों ने प्रकटन, पूंजी पर्याप्तता, विवेकपूर्ण मानदंडों, विनियामक मानदंडों के अनुपालन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं। अन्य उपायों में ये शामिल हैं-विभिन्न बाजार लिखतों के साथ जुड़े जोखिम-प्रतिफल संबंध के बारे में निवेशक जागरूकता का निवेशक शिक्षा के माध्यम से संवर्धन करना, कंपनी अभिशासन की संहिता का क्रियान्वयन तथा स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबारी व्यवहारों का आधुनिकीकरण।

आरक्षण नीति

4035. सरदार बूटा सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डा. अम्बेडकर जन्मशती समिति की सिफारिश और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों के फोरम द्वारा प्रधानमंत्री को 17.12.1996, 1.9.1997 और

23.7.1998 को दिए गए ज्ञापन तथा दिसंबर 1999 में अ.जा./अ.ज.जा. के संसद सदस्यों के सम्मेलन में फिर से उठाये गये मामलों के अनुरूप वर्ष 1993 में अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिनियम बनाने हेतु संसद में विधेयक लाने की पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस संबध में कितनी प्रगति हुई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) सेवाओं में आरक्षण पर एक अधिनियम लाने के बारे में जांच की गई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस विषय पर सरकार द्वारा जारी कार्यकारी अनुदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त है तथा इन कार्यकारी अनुदेशों को उदीयमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलापन का लाभ प्राप्त है, इस मामले में अधिनियम पारित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

एम.एम.टी.सी./एस.टी.सी. का कार्यकरण

4036. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एम.एम.टी.सी. और एस.टी.सी. के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम किन-किन क्षेत्रों में कार्यरत हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन इकाईयों के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में एमएमटीसी विभिन्न वस्तुओं का निर्यात और आयात कर रही है; अर्थात् निर्यात खनिज (मैंगनीज तथा क्रोम अयस्क), कृषि उत्पाद, अभ्रक अपशिष्ट, रत्न एवं आभूषण, भवन निर्माण सामग्री तथा औद्योगिक उत्पाद। आयात: जिंक, शीसा, टिन, निकल जैसी अलौह धातुएं; एस्बेस्टोस तथा एंटीमनी जैसी औद्योगिक कच्ची सामग्री; परिष्कृत उर्वरक; यूरिया, डीएपी, एमओपी, सल्फर तथा रॉक फोस्फेट जैसी कच्ची सामग्री; सोने और चांदी सहित कीमती धातुएं; गेहूं तथा खाद्य तेलों जैसी कृषि मदें तथा कोयला और परिष्कृत श्रेणी का मिट्टी का तेल।

एसटीसी के निर्यात और आयात के क्षेत्र हैं: निर्यात: निस्सारण, चावल, चाय, जूट की वस्तुएं, दालें/मोटे अनाज, अरंडी का तेल, बीज, कॉफी, काजू, तम्बाकू, चीनी, रसायन, औषध एवं भेषज, इंजीनियरिंग तथा विनिर्माण सामग्री, उपभोक्ता/खेल सामान, खाद्य उत्पाद, मांस एवं समुद्री उत्पाद, मसाले, वस्त्र एवं परिधान, आभूषण, प्राकृतिक रबड़, पीतल की वस्तुएं तथा चमड़े की वस्तुएं: आयात: खाद्य तेल, चीनी, सोना/चांदी, उर्वरक, हाइड्रोकार्बन, रसायन, ऊन, कच्चा काजू, फैटी एसिड, गेहूं, दालें, वैज्ञानिक उपकरण, अस्पतालों के उपकरण इत्यादि।

दोनों ही निगम विभिन्न मदों का घरेलू व्यापार भी कर रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन निगमों का निष्पादन निम्नानुसार रहा है:

	एमएमटीसी			एसटीसी		
	1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001
कारोबार	4253.00	4697.00	5302.00	1894.00	1163.00	1040.00
कर पूर्व लाभ	19.00	10.00	21.00	13.88	23.91	2.81
कर पश्चात लाभ	18.00	9.00	18.00	12.51	22.91	2.84
निवल मूल्य	653.00	657.00	586.00	445.44	461.63	447.00

(घ) एमएमटीसी तथा एसटीसी, जो कि समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षरकर्त्ता कंपनियां हैं, के निष्पादन की व्यापक समीक्षा वार्षिक रूप से हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार छमाही आधार पर की जाती है और जहां-कहीं आवश्यक समझा जाता है, सुधारात्मक कदम उठाये जाते हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में इन निगमों के समग्र निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

'ज्योग्राफिकल इंडीकेशन ऑफ गुड्स' के लिए पंजीयक की नियुक्ति

4037. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ज्योग्राफिकल इंडीकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, 1999 के अंतर्गत 'ज्योग्राफिकल इंडीकेशन ऑफ गुड्स' के पंजीकरण हेतु 'पंजीयक' नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक नियुक्त कर दिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) वस्तुओं के भौगोलिक सूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अनुसार, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त किया गया महानियंत्रक, पेटेंट-डिजाइन और व्यापार चिह्न की भौगोलिक सूचकों का पंजीयक होगा। चेन्नई में 25 अगस्त, 2001 को भौगोलिक सूचक रजिस्ट्री की स्थापना की गयी है। तथापि, यह तभी पूरी तरह से कार्य करना आरंभ करेगी जब भौगोलिक सूचकों से संबंधित कानून लागू हो जायेंगे, जिनके शीघ्र ही लागू हो जाने की आशा है।

बैंकों के महत्वपूर्ण ग्राहक

4038. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 2001 के 'द हिन्दु' नई दिल्ली में **'वैल्यूड कस्टमर्स टेकिंग बैंक्स फार ए राइड'** शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार का तथ्य क्या है;

(ग) क्या बैंकों ने धोखाधड़ी के अधिकांश मामलों में इन महत्वपूर्ण ग्राहकों ने बैंकों को भारी धनराशि का चूना लगाया है क्योंकि बैंक प्रबंधक ऐसे ग्राहकों की परिसंपत्तियों का सत्यापन नहीं करते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्राहक की बैंक के लिए महत्ता को दरकिनार कर बैंकों को बैंकिंग दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने हेतु कोई निदेश दिए हैं; और

(ङ) इन निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। समाचार में उल्लिखित केतन पारेख ग्रुप, मैसर्स साइबर स्पेस लि. और एम.वी.आर. ग्रुप के संबंध में मामले संबंधित बैंकों द्वारा जांच पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि महत्वपूर्ण ग्राहकों के खातों सहित ऋणकर्ताओं के खातों में धोखाधड़ियां होती हैं। यह पाया गया कि कुछ ग्राहक, जिन्होंने बैंकों को धोखा दिया था, पिछले कुछ वर्षों से बैंकों के साथ लेन-देन करते रहे हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को खाते खोलने, नये खातों की निगरानी, बहियों का मिलान, अधिक मूल्यों वाले चैकों की पुष्टि, मांग ड्राफ्ट की निकासी/समाहरण/जारी/भुगतान, डाक अन्तरण एवं तार अन्तरण, तार अन्तरण को बट्टे खाते डालना/खरीद, साख-पत्र शुरू करना, गारंटी जारी करना और बिलों की सह स्वीकृति आदि जैसे क्षेत्रों में बैंकों को निर्देश दिये हैं। बैंकों को आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षा एवं सांविधिक लेखा परीक्षा सुनिश्चित करनी है। भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक वित्तीय निरीक्षण एवं विशेष लेखा परीक्षाएं भी आयोजित करता है, ताकि मार्गनिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ग्राहकों के महत्व को ध्यान में रखे बिना मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया जाना है।

जी.आई.सी. में मितव्ययिता उपाय

4039. श्री भेरू लाल मीणा:
श्री शमशेर सिंह दूलो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साधारण बीमा निगम की कंपनियों के प्रबंधकीय व्ययों को नियंत्रित करने हेतु सितम्बर, 2001 में बीमा कंपनियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या सरकार ने कंपनियों को इस बैठक में चर्चित विभिन्न मुद्दों को उन कंपनियों के निदेशक मंडल के सम्मुख रखने का निदेश दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कंपनियों को वी.आर.एस. योजना पर विचार करने का सुझाव दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन कंपनियों के निदेशक मंडलों ने अभी तक क्या निर्णय लिया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 के लेखा-विवरणों के शीघ्र संकलन हेतु तथा बीमा कम्पनियों के प्रबंध व्ययों पर नियंत्रण करने की कार्य पद्धति पर चर्चा करने के लिए दि. 4 सितम्बर, 2001 को सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के वित्तीय सलाहकारों, महाप्रबंधकों (कार्मिक) और मुख्य सतर्कता अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ग) और (घ) दि. 20 सितम्बर, 2001 को कम्पनियों को निदेश दिया गया था कि प्रबंध व्ययों को नियंत्रित करने की दृष्टि से मौजूदा व्यवस्था का यौक्तिकीकरण/परिवर्तन लाने के लिए बैठक में लिए गए निर्णयों को संबंधित कम्पनियों के बोर्डों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कम्पनियों के प्रबंध तंत्र को चाहिए कि वे नियमित आधार पर व्यय पर नियंत्रण रखने की प्रगति को मॉनीटर करें तथा संबंधित बोर्डों को की गई प्रगति से अवगत कराते रहें।

(ङ) और (च) बैठक में लिया गया एक निर्णय यह था कि कम्पनियों को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (वीआरएस) पर विचार करना चाहिए। लेकिन, ऐसी किसी योजना पर विचार करने से पूर्व, वीआरएस के अनुपूरक के रूप में जॉब रोटेशन और स्थानांतरण सहित एक व्यापक नीति पैकेज निर्धारित करना होगा।

(छ) सरकारी क्षेत्र की चारों बीमा कम्पनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को शामिल करते हुए गठित की गई भारतीय साधारण बीमा (सरकारी क्षेत्र) एसोसिएशन (जिप्सा) ने पहले ही प्रबंध व्ययों पर अंकुश रखने के मुद्दे पर कर्मचारियों के संघों/एसोसिएशनों के साथ व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श शुरू कर दिए हैं। लेकिन, इन मुद्दों को अभी संबंधित कम्पनियों के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लंबित मामले

4040. श्री अबुल हसनत खां:
श्री सुबोध राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्राधिकरणों के पास केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 1,02,582 मामले लंबित थे जिनमें 19,835.19 करोड़ रु. की राशि लिप्त है;

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 2000-01 के अंतिम आंकड़े क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इतनी बड़ी संख्या में बकाया मामलों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार बकाया मामले:

	संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
न्यायनिर्णयन	74,357	18,265.99
राजस्व बकाया	94,708	8,354.09

(ग) और (घ) इसका कारण यह है कि कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने और नई प्राप्तियों में समय लग गया। मामलों को शीर्ष अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक उपाय किये जाते हैं।

[हिन्दी]

कालीन-ऊन का मूल्य

4041. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बाजार में कालीन-ऊन का मूल्य क्या है और देश में भेड़-पालकों को इसका कितना मूल्य दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार देश के विशेषकर राजस्थान के भेड़-पालकों को उचित मूल्य दिलाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) कालीन ग्रेड ऊन की कीमत में मंझाई पश्चात प्राप्ति, रंग, फाइबर की लम्बाई, परिमाप आदि के अनुसार समय-समय पर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। न्यूजीलैंड से आयातित कालीन ग्रेड ऊन की वर्तमान कीमतें 90-95 रु. प्रति कि.ग्रा. के बीच चल रही हैं, देशी कालीन ग्रेड ऊन की वर्तमान कीमतें 50 से 65 रुपये प्रति किग्रा. तक हैं।

(ख) और (ग) राजस्थान सहित देश के चरवाहों को बेहतर आय तथा अधिक लाभकर कीमतें दिलाने के लिए केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड की अन्य बातों के साथ-साथ, ऊन की गुणवत्ता और प्राप्ति में सुधार, मुंडाई की तकनीकों तथा ग्रेडिंग प्रक्रिया आदि में सुधार के लक्ष्य की विभिन्न योजनाएं हैं।

नए करेंसी नोट जारी करना

4042. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का 20 रुपये के करेंसी नोट की नई श्रृंखला जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक जारी कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) नोट के अग्र भाग में और वाटरमार्क पर महात्मा गांधी के चित्र वाले 20 रुपए के नोट की एक नई श्रृंखला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त, 2001 में शुरू की गई है। इस नए नोट में वाटरमार्क विन्डों में बहु-दिशात्मक लाइनें हैं। इस नोट की रंग योजना मुख्य रूप से ललिमायुक्त संतरी है। 20 का अंक भारतीय रिजर्व बैंक की मुहर, महात्मा गांधी का चित्र, भारतीय रिजर्व बैंक का शीर्षक, गारण्टी और वचन अनुच्छेद, गवर्नर के हस्ताक्षर और अशोक स्तम्भ इनसैट, उत्कीर्ण रूप में मुद्रित किए गए हैं। नोट के मूल्य वर्ग की पहचान करने में दृष्टिहीनों की सहायता के लिए, नोट के बाई तरफ एक छोटा सा उभरा हुआ आयत का पहचान चिह्न रखा गया है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों को ऋण

4043. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न बैंकों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही हैं और उन्हें कौन-कौन से लाभ दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक विशिष्ट अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराए गए ऋणों और अग्रिम के भुगतान संबंधी निगरानी नियमित रूप से कर रहा है;

(ग) क्या बैंक अल्पसंख्यकों को ऋण प्रदान करने के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) बैंकों द्वारा अल्पसंख्यकों को अलग से कोई योजनाएं और लाभ नहीं दिये जाते हैं। अल्पसंख्यकों से संबधित व्यक्ति, प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता सहित बैंकों द्वारा दी गई सभी ऋण सुविधाओं के लिए पात्र हैं।

(ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराये गये ऋणों और अग्रिमों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा भेजी गई अर्द्ध वार्षिक विवरणी की नियमित रूप से जांच कर रही है।

(ग) से (ङ) अल्पसंख्यकों को अग्रिमों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अलग से कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अल्पसंख्यकों को ऋण प्रवाह की नियमित रूप से निगरानी करता है और अल्पसंख्यक समुदाय को बैंक का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

* अल्पसंख्यक जनसंख्या के केन्द्रीयकरण वाले 41 जिलों की पहचान कर ली गई है।

* प्रगति की जिला परामर्शदात्री समिति और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

* इन 41 जिलों में से प्रत्येक में अग्रणी बैंक को एक अधिकारी रखना चाहिए जो विशेषतया अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण के प्रवाह के बारे में समस्याओं की देख-भाल करेगा, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच बैंक ऋण के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार करेगा और शाखा प्रबंधक के परामर्श से अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए उपयुक्त योजनाएं भी तैयार करेगा।

* 41 पहचाने गए जिलों में अग्रणी बैंकों से कहा गया है कि वे उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित करें जिससे कि इन समुदायों के सदस्य बैंकों द्वारा वित्तपोषित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें।

* अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक के स्टाफ के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने और उपयुक्त सापेक्ष महत्व और 15 सूत्री कार्यक्रम विशेषतया अल्पसंख्यकों को ऋण सुविधाएं देने को ध्यान में रखते हुए, बैंकों से कहा गया है कि वे इस संबंध में शाखा प्रबंधक को सुग्राही बनाने के लिए अनुदेश पाठ्यक्रम, ग्रामीण उधार पर कार्यक्रम, प्राथमिक क्षेत्र का वित्तपोषण आदि जैसे सम्बद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में उपयुक्त व्याख्यान सत्र सम्मिलित करें।

कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग

4044. श्री के. येरननायडु: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की एक योजना का संचालन कर रही है जिससे कि वे विभिन्न नौकरियों और महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने में सक्षम हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को वर्ग-वार जिन संस्थानों में कोचिंग दी जाती है उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए अलग से योजनाएं चला रहा है। कमजोर वर्गों के छात्रों को बेहतर रूप से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चल रही योजनाओं को सितम्बर, 2001 में योजना को अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग तथा संबद्ध सहायता के रूप में संशोधित किया गया है जिससे योजना को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाया जा सके। संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक योजना है।

2. केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के समूह 'क' तथा 'ख' पदों, निजी क्षेत्रों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के साथ-साथ आई.आई.टी., चिकित्सा कालेजों तथा अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए सहायता।

3. कोचिंग संस्थानों को देय पाठ्यक्रम शुल्क में पर्याप्त वृद्धि की गई है तथा छात्रों को देय वृत्तिका में भी वृद्धि की गई है।

4. कोचिंग संस्थानों से छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए और अधिक ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता निर्मुक्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों तथा गैर सरकारी संगठनों को सीधे सहायता प्रदान की जा रही थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त राशि तथा लाभार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोचिंग तथा संबद्ध योजना के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्त राशि तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998-99						1999-2000						2000-2001					
		अ.जा./अ.ज.जा.		अ.पि.व.		अल्पसंख्यक		अ.जा./अ.ज.जा.		अ.पि.व.		अल्पसंख्यक		अ.जा./अ.ज.जा.		अ.पि.व.		अल्पसंख्यक	
		नि.	ला.	नि.	ला.	नि.	ला.	नि.	ला.	नि.	ला.	नि.	ला.	नि.	ला.	नि.	ला.	नि.	ला.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(1) गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से																			
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	28.44	650	1.69	30	शून्य	शून्य	16.28	450	26.19	270	शून्य	शून्य	35.81	1110
2.	असम	शून्य	शून्य	6.78	120	1.68	100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	7.78	190	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4.68	160
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	41.81	650	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	34.15	850	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	48.31	1530
4.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	40	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	3.39	134	शून्य	शून्य	12.9	250	25.77	660	शून्य	शून्य	9.96	200	13.95	शून्य	शून्य	शून्य	3.36	210
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.33	50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.33	40
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.39	120	शून्य	शून्य	1.8	80	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.45	40
9.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	7.33	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3.15	150	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.74	100
10.	केरल	शून्य	शून्य	3.33	40	7.31	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	16.46	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	9.08	90
11.	मध्य प्रदेश	13.25	720	7.32	280	15.60	430	18.02	690	2.13	शून्य	21.16	300	12.89	340	शून्य	शून्य	23.25	550
12.	महाराष्ट्र	शून्य	20	शून्य	शून्य	1.78	150	7.92	305	शून्य	शून्य	1.08	100	7.74	390	शून्य	शून्य	25.7	740
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	12.08	550	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	18.04	800	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	24.98	1480
14.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	उड़ीसा	0.88	20	2.12	20	शून्य	50	4.68	90	0.85	शून्य	5.01	40	1.24	शून्य	शून्य	शून्य	5.59	140
16.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4.06	300	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.26	150	3.94	200	शून्य	शून्य	2.45	200
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3.04	170	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	67.65	2450	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	74.1	2250	3.00	160	शून्य	शून्य	64.43	1820

नि. = निर्मुक्त राशि

ला. लाभार्थी

(2) विश्वविद्यालयों के माध्यम से लाभान्वित अ.जा./अ.ज.जा. छात्र

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		नि.रा.	लाभार्थियों की संख्या	नि.रा.	लाभार्थियों की संख्या	नि.रा.	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	14.54	440	14.70	620	7.43	520
2.	मध्य प्रदेश	17.66	790	7.90	456	6.79	190
3.	महाराष्ट्र	9.54	183	3.56	75	शून्य	शून्य
4.	पंजाब	14.13	377	5.42	394	14.54	263
5.	सिक्किम	शून्य	शून्य	2.06	26	शून्य	शून्य
6.	उत्तर प्रदेश	16.42	496	25.87	715	21.34	423

(3) राज्यों के माध्यम से लाभान्वित अ.जा./अ.ज.जा. छात्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		नि.रा.	लाभार्थियों की संख्या	नि.रा.	लाभार्थियों की संख्या	नि.रा.	लाभार्थियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	34.56	1983	11.44	387	शून्य	शून्य
2.	बिहार	शून्य	800	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	दिल्ली	2.83	161	6.79	476	2.95	282
4.	हरियाणा	3.12	267	1.54	320	शून्य	शून्य
5.	कर्नाटक	13.75	871	1.19	1184	शून्य	शून्य
6.	केरल	5.21	633	10.15	825	8.69	440
7.	मध्य प्रदेश	82.94	101	66.09	4338	44.03	3280
8.	मेघालय	शून्य	शून्य	1.79	80	1.79	एरियर
9.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	4.99	280	शून्य	शून्य
10.	पंजाब	3.39	182	1.89	100	2.39	100
11.	राजस्थान	43.18	2240	शून्य	शून्य	43.1	3320
12.	तमिलनाडु	शून्य	1288	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	त्रिपुरा	शून्य	14	0.67	14	शून्य	शून्य
14.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	0.25	4	शून्य	शून्य

नि.रा. = निर्मुक्त राशि

[हिन्दी]

वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु दिशा-निर्देश

4045. डा. अशोक पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में वर्तमान में सुधार लाने के लिए सुझाव देने और दीर्घकालीन सुधार हेतु दिशा-निर्देश देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उक्त समिति द्वारा अपने सुझाव कब तक दे दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सांविधिक राशन प्रणाली

4046. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सांविधिक राशन प्रणाली को जारी रखने और रियायती दरों पर चावल की आपूर्ति हेतु केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) केरल सरकार ने विभिन्न मुद्दे उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए सभी परिवारों को कवर करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इसके पिछले स्तर पर बहाल करने के लिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए मूल्यों में कमी करने का अनुरोध शामिल है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन एक समान रूप से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के आबादी अनुमानों के आधार पर वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों पर आधारित है। तद्नुसार 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (अंत्योदय परिवारों सहित) की 15.54 लाख अनुमानित संख्या के लिए केरल को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 32268 टन खाद्यान्नों का आबंटन प्रतिमाह किया जा रहा है। इसके अलावा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के संबंध में खाद्यान्नों का मासिक आबंटन 1,52,340 टन है।

गरीबी रेखाओं से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य जो 1.4.2000 से आर्थिक लागत के 100% पर था उसे 12.7.2001 से कम करके आर्थिक लागत के 70% पर कर दिया गया है। गरीबी रेखा से ऊपर के चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य जो 1130 रुपये प्रति क्विंटल था उसे कम करके 830 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि होने के कारण आर्थिक लागत में वृद्धि होने के बावजूद लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे) के अधीन खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य नहीं बढ़ाया गया है।

ऊन और ऊनी उत्पादों की मांग

4047. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद के विरुद्ध चल रहे युद्ध के चलते विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का देश में कच्चे ऊन और ऊनी उत्पादों की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए कोई आपात योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) यद्यपि ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात क्षेत्र में मुख्य रूप से आतंकवाद के खिलाफ चल रहे युद्ध द्वारा उत्पन्न प्रबल वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण इस वर्ष पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट की स्थिति बनी हुई है, ऐसी कोई रिपोर्ट या आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो यह दर्शाते हों कि यह मंदी देश में

अपरिष्कृत ऊन तथा ऊनी वस्त्र उत्पादों की मांग को प्रभावित कर रही हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सर्राफा बाजार घोटाला

4048. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 2001 के 'दि इकॉनॉमिक टाइम्स' में बैंक रन अप रुपीज 70 करोड़ लॉस इन बुलियन मार्केट डिफॉल्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वाणिज्यिक बैंकों ने प्राप्तियों की वसूली के बिना ही स्वर्ण की वास्तविक सुपुर्दगी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने बैंकों द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन में की गई लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। सरकार अंतर्ग्रस्त बैंकों की संभाव्य हानियों के बारे में चिन्तित है।

(ग) और (घ) प्रचलित रीति के अनुसार, बैंक भुगतान आदेश/बैंकर्स चैकों के देने को, नगद देने के रूप में मानते हैं। जब सोना व्यापारियों ने ऐसे लिखतों को उन लिखतों में विश्वास का कारण स्वयं बैंकों के प्रतिपक्ष की वजह से था तो लिखतों की प्राप्ति की आशा में बुलियन को सुपुर्द किया गया। इन लिखतों में विश्वास का कारण प्रतिपक्ष था जिसमें बैंक स्वयं था।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सोना आयात करने वाले सभी प्राधिकृत बैंकों से कहा है कि वे सोना तब जारी करें जब मूल्य की पूरी उगाही हो जाए अथवा लिखतों की प्राप्ति हो जाए। अंतर्ग्रस्त पार्टियों के विरुद्ध बैंकों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मुम्बई/अहमदाबाद में एफ आई आर दर्ज कर दी गई है। बैंकों द्वारा स्टाफ की जिम्मेवारी भी निर्धारित की जा रही है और जिम्मेवार पाए गए स्टाफ के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

तकनीकी वस्त्रों का निर्यात

4049. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तकनीकी वस्त्रों के विकास और निर्यात हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तकनीकी वस्त्रों की श्रेणी में वस्त्रों की किन-किन मदों को रखा गया है;

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय तकनीकी नीति 2000 में तकनीकी वस्त्र की पहचान थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में की गई है। सरकार द्वारा तकनीकी वस्त्रों के विकास से संबंधित क्रियाकलापों की जागरूकता व समन्वय के लिए सिंथेटिक एवं आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च संघ (ससमीरा), मुंबई को नोडिए अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। वस्त्र और पटसन उद्योग के कार्यान्वयन समूह ने दसवीं योजनावधि के दौरान तकनीकी वस्त्र के विकास के लिए 34.00 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

(ग) तकनीकी वस्त्र के वर्ग में रखी गई कुछ वस्त्र मदों के नाम हैं: एग्रो टेक्सटाइल्स, बिल्ड-टेक्सटाइल्स, क्लॉथ-टेक्सटाइल्स, जिओ-टेक्सटाइल्स, होम-टेक्सटाइल्स, इन्ड-टेक्सटाइल्स, मेडिकल-टेक्सटाइल्स, मोबाईल-टेक्सटाइल्स, ओको-टेक्सटाइल्स, पैक-टेक्सटाइल्स, प्रो-टेक्सटाइल्स, तथा स्पोर्ट-टेक्सटाइल्स।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषदों के लिए आदर्श उप-नियम

4050. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद परिसंघ ने एफ.आई.ई.ओ. के संगठन, कार्यकरण, उपनियमों आदि का अध्ययन करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा बनाए गए आदर्श उपनियमों और उन्हें अपनाने के लिए दी गई समय सीमा का ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपनियमों में परिवर्तन करने हेतु एफआईईओ द्वारा क्या ठोस कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (फिओ) ने अपनी मौजूदा कार्यप्रणाली की जांच करने और संगठनात्मक स्व: नवीकरण हेतु समुचित परिवर्तन सुझाने हेतु मैसर्स टाटा कन्सल्टैंसी सर्विसेस को नियुक्त किया था।

(ख) मैसर्स टाटा कन्सल्टैंसी सर्विसेस ने फियो की कार्यकुशलता बढ़ाने और आगे आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु उद्देश्यों को प्राप्त करने, और इसमें किये जाने वाले संरचनात्मक, प्रणालीगत तथा क्रियाविधिक परिवर्तनों के बारे में सिफारिशें की थीं। ये सिफारिशें व्यापार संवर्धन संबंधी मुद्दों, नीतिगत मुद्दों, सूचना से जुड़ी अपेक्षाओं, निर्यात संवर्धन परिषदों/बाह्य एजेंसियों के साथ समन्वय और प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों से संबंधित हैं।

(ग) से (ङ) एसोसिएटिंग कानूनी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए फिओ के एसोसिएशन के ज्ञापन, नियम और विनियमनों के प्रारूपों को अंतिम रूप दिये जाने पर विचार करने से पूर्व इन्हें 1 जनवरी, 2001 को फिओ के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। इन उप-विधियों के प्रारूप पर सर्वप्रथम 10 जनवरी, 2001 को आयोजित फिओ की प्रबंध समिति की बैठक में विचार किया गया था और अब तक इन पर इस प्रयोजनार्थ गठित फिओ की उप-समिति की अनेकों बैठकों और प्रबंध समिति की बैठकों में विचार-विमर्श हो चुका है। फिओ की 4 दिसम्बर, 2001 को आयोजित हाल ही की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि फिओ में गठित कानूनी फर्म और प्रशासन समिति द्वारा इन सुझाई गई उप-विधियों को फिओ की प्रबंध समिति और असाधारण आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि संशोधित उप-विधियों को अंतिम रूप दिया जा सके।

कार मालिकों द्वारा भुगतान किया गया आय-कर

4051. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सभी कार मालिक आय कर का भुगतान करते हैं अथवा अपनी आय कर विवरणी भरते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आय कर प्राधिकारियों ने उनके काले धन का पता लगाने के लिए कभी प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के परन्तुक (2) के अंतर्गत मोटर वाहनों के सभी मालिकों को अपनी आय की विवरणी फार्म 2-ग में भरनी अपेक्षित होती है।

(ख) वर्ष 1997-98 में इस स्कीम के प्रारंभ होने से दिनांक 30.11.2001 तक 201194 विवरणियां फार्म 2-ग में दायर की गई हैं। दिल्ली में इस समय कार मालिकों की संख्या से संबंधित विवरण दर्शाने वाले आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

(ग) आयकर विभाग कार मालिकों सहित कर अपवंचकों से अवैध धन को बाहर निकालने के प्रयास करता रहता है।

(घ) आयकर विभाग को कर-अपवंचन के संबंध में जब कभी कोई सूचना प्राप्त होती है, तो आयकर कानून के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। कार मालिकों के मामले में प्राप्त परिणाम अलग से नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

रुपये का अवमूल्यन

4052. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय मुद्रा के लगातार अवमूल्यन के क्या कारण हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है;

(ग) भविष्य में अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये का अवमूल्यन रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(घ) क्या बैंक जमा पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ब्याज की दर में लगातार गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्बलता की द्योतक है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) अमरीकी डालर की तुलना में, मार्च, 1993 से प्रभावी रुपए की विनिमय दर अधिकांशत: बाजार द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रणाली के तहत रुपया-डालर दर, बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करते हुए दिन-प्रति-दिन के आधार पर घटती-बढ़ती रहती है।

(ग) भारत और विदेश स्थित वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों की सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा बारीकी से मानीटरिंग की जाती है और जब भी आवश्यकता हो विनिमय दर में अधिक उतार-चढ़ाव को कम करने, अस्थिरता पैदा करने वाली सट्टे की गतिविधियों को उभरने से रोकने, सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार विकसित करने तथा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों का उपयुक्त स्तर बनाए रखने के लिए उचित उपाय किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर सहित नामिनल ब्याज दरों में सतत आधार पर कमी 1990 के मध्य दशक से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर और मुद्रास्फीति के अनुमानों में गिरावट को परिलक्षित करती है। यह मध्यावधिक ब्याज दर प्रणाली को और अधिक लचीला बनाने की समग्र मौद्रिक नीति के अनुरूप है। आशा है कि नामिनल ब्याज दरों में गिरावट होने से अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

आरक्षित श्रेणी के पदों में रिक्तियां

4053. डा. बलिराम:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री राशिद अलवी:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:
श्री के.एच. मुनियप्पा:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री सी.पी. राधाकृष्णन:
श्रीमती हेमा गमांग:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री आर.एल. जालप्पा:
श्री शमशेर सिंह दूलो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में विभिन्न सेवाओं-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा सेवा, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, आयकर विभाग, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित क्रमश: 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के स्तर तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संपूर्ण देश के लिए समूह 'क' और समूह 'ख' श्रेणी की इन सेवाओं में ''स्वीकृत पदों'' की कुल संख्या कितनी है;

(घ) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत यथा अभिनिश्चित अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणियों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है; और

(ङ) वर्ष 1999-2000 और 2001 के दौरान इन सेवाओं में कितनी रिक्तियां उत्पन्न हुई और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा ऐसी कितनी रिक्तियां/पद भरे गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सम्पर्क अधिकारी

4054. श्री राजैया मल्याला: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.एच.ए. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/17/67-स्थापना (ग) दिनांक 10.4.1968 (डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/5/76 दिनांक 27.5.1976) के अंतर्गत यथा अपेक्षित उनके मंत्रालय के तहत कुछ विभाग/अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालय/सरकारी क्षेत्र के और स्वायत्तशासी संगठन/निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के मामले में सरकार के निर्देशों के उचित पालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सम्पर्क अधिकारियों को नामित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे अधिकारियों/संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) उनके अधीन "प्रशासनिक इकाइयों' के रूप में कार्य करने वाले संगठनों/अधिकारियों की कुल संख्या क्या है जो स्थापना और कर्मचारी वर्ग के मामलों को देखते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार उक्त निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कितने सम्पर्क अधिकारियों को नामित किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र और स्वायत्त संगठन/निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मामले में सरकार के निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सम्पर्क अधिकारियों को नामित कर रहे हैं। तथापि सात संगठनों/कार्यालयों ने संपर्क अधिकारियों को नामित नहीं किया है। संपर्क अधिकारियों को नामित नहीं करने के कारण और ऐसे कार्यालयों/संगठनों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) इस मंत्रालय के अंतर्गत 23 संगठन/कार्यालय "प्रशासनिक इकाइयों" के रूप में कार्य करते हैं जो स्थापना और कर्मचारी वर्ग के मामलों को देखते हैं।

(घ) आज की तिथि के अनुसार उक्त निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए 16 सम्पर्क अधिकारियों को नामित किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	संपर्क अधिकारी की नियुक्ति न करने के कारण
1	2	3
1.	नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय	नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय में सभी स्वीकृत पद प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा आधार पर भरे जा रहे हैं जबकि सेवा में आरक्षण नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए लागू हैं। अत: नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालयों में संपर्क अधिकारी के नामांकन का प्रश्न नहीं उठता।
2.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी में कोई भी पद नियमित आधार पर नहीं भरा गया है, परंतु वर्तमान में ये पद संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गये हैं। अत: केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सम्पर्क प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।
3.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	आयोग के अस्थायी होने के कारण सभी पदधारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतिनियुक्ति पर हैं। अत: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में संपर्क अधिकारी का नामांकन लागू नहीं होता।
4.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान	संस्थान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई नियत संपर्क अधिकारी नहीं है परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के मामले में जब कभी भी विचार करने की जरूरत होती है, इन वर्गों की सुरक्षा के लिए संबद्ध श्रेणी के एक प्रतिनिधि को समिति में शामिल किया जाता है।
5.	विकलांग जन संस्थान	संस्थान विभागीय पदोन्नति समितियों/चयन समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सहयोजित करता है जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की उनकी नियुक्ति के दौरान सुरक्षा करते हैं।
6.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	इस आयोग में उपसचिव/निदेशक रैंक का कोई अधिकारी नहीं है जिसे संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया जा सके।

1	2	3
7.	आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास	आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास में पद या तो प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा करार के आधार पर भरे गये हैं। इसलिए इस न्यास में संपर्क अधिकारी का नामांकन लागू नहीं है।

स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्ताव

4055. **श्री बहादुर सिंह:**
श्री प्रबोध पण्डा:
श्री दिनशा पटेल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री वाई.वी. राव:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अप्रैल, 2001 से नवम्बर 2001 तक प्राप्त और स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का माह-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों और राज्यों के लिए इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव में कितनी धनराशि का निवेश शामिल है;

(घ) इन प्रस्तावों को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) चालू वर्ष के लिए निर्धारित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लक्ष्य यदि कोई हों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) 01 अप्रैल, 2001 से 30 नवम्बर, 2001 तक की अवधि के दौरान सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के लिए कुल 1181 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है जिनमें कुल 13,259.74 करोड़ रुपए की राशि (नवम्बर, 2001 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं) अन्तर्ग्रस्त है। अनुमोदित एफ.डी.आई. प्रस्तावों के ब्यौरे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक एस.आई.ए. न्यूजलेटर में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं, जिन्हें संसद पुस्तकालय सहित विभिन्न संस्थाओं को व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है तथा एस.आई.ए. वेबसाइट (एच.टी.टी.पी.//डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.आई.सी.इन/इंड मिन) में भी डाला गया है।

(घ) विदेशी सहयोग अनुमोदन की मानक निबंधन और शर्तों के अनुसार, विदेशी सहयोग अनुमोदन धारकों को उक्त अनुमोदन विदेशी सहयोग अनुमोदन के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के अंदर क्रियान्वित करना अपेक्षित है।

(ङ) और (च) विदेशीय प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों पर विचार करना एक सतत् प्रक्रिया है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने के लिए कोई वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। तथापि, देश में अधिक से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकृष्ट करने के अपने प्रयास में सरकार सतत् आधार पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा करती है।

लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु नाबार्ड ऋण

4056. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विशेषकर उड़ीसा सरकार ने राज्य में लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु नाबार्ड से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित सहायता के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उड़ीसा सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए नाबार्ड से वित्तीय सहायता मांगी है। लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई राज्य-वार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए जिलों के राज्य-वार नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा दी गई राज्य-वार सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	298	351.35
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	100047	148.37
4.	बिहार	1357	120.70
5.	गोवा	26	9.70
6.	गुजरात	7175	435.11
7.	हरियाणा	34	100.50
8.	हिमाचल प्रदेश	583	104.16
9.	जम्मू एवं कश्मीर	213	66.27
10.	कर्नाटक	203	138.59
11.	केरल	604	95.45
12.	मध्य प्रदेश	464	538.82
13.	महाराष्ट्र	234	472.33
14.	मणिपुर	223	10.08
15.	मेघालय	5	2.63
16.	मिजोरम	41	6.02
17.	नागालैण्ड	36	6.33
18.	उड़ीसा	19632	262.96
19.	पंजाब	–	–
20.	राजस्थान	2265	249.47
21.	सिक्किम	–	–
22.	तमिलनाडू	89	65.70
23.	त्रिपुरा	1	26.50
24.	उत्तर प्रदेश	7964	236.78
25.	पश्चिम बंगाल	5277	207.51
	कुल	145771	3655.63

विवरण II

लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए जिलों के राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	कवर किए गए जिलों के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तुर, गुडप्पा, गुंटूर, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विशाखानगरम
2.	असम	बारपेटा, बोंगेगांव, काचर, दरंग, धीमाजी, धुबरी, डिबरूगढ़, गोलपाड़ा,

1	2	3
		गोलघाट, हेलाकंडी, जोरहाट, कोकराझार, कामरूप, लखीमपुर, गोरीगांव, नौगांव, नालबारी, सिबसागर, सोनीतपुर, तिनसुकिया
3.	बिहार	अरारिया, औरंगाबाद, बंका, बेगुसराय, झबुआ, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, खजुरिया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पुर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली
4.	गोवा	पूर्व गोवा, दक्षिण गोवा
5.	गुजरात	अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट, साबरकांठा, सुरेन्द्रनगर
6.	हरियाणा	हिसार, जीन्द, कैथल, सिरसा
7.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना
8.	जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग, बारामूला, पुलवामा, श्रीनगर
9.	कर्नाटक	बंगलौर (आर), बेलगांव, बलेरी, बिचर, बिजापुर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नाड, धरवाड़, गुलबर्ग, हसन, कोडागु, कोलार, मैसूर, रायचुर, शिमोगा, तुमकुर
10.	केरल	अलपुझा, एर्णाकुलम, इदुक्की, कासरगोड, कोल्लम, कोट्यम, कोझीकोड, मल्लापुरम, पलक्कड, पट्टानमथिट्टा, वायनाड
11.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, बेतुल, भिण्ड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दमोली, देवास, धर, गुना, ग्वालियर, हौशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, मण्डला, मंदसौर, नरसिंहपुर, पन्ना, रेजन, रायगढ़, रतलाम, सागर, सतना, सिहोर, सिओनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिधी, विदिशा, खण्डवा, खारगोन, जगदलपुर
12.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अंकोला, बीड़, बुलढाणा, चन्द्रपुर, धुले, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातुर, नांदेड़, नासिक, ओसमानाबाद, परभणी, पुणे, सांगली, सतारा, शोलापुर, यवतमाल
13.	मणिपुर	बिशनपुर, चुराचांदपुर, इम्फाल, थौंबल
14.	मेघालय	जयंतिया हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स, आरआई भोई
15.	मिजोरम	ऐजवाल, लुंगलेई
16.	नागालैंड	कोहिमा, मोकोकचुंग, मोन, फेक, तेनसंग
17.	उड़ीसा	बालासोर, बोलनगीर, कटक, धेनकनाल, गंजम, कालाहाण्डी, क्योंझर, मयूरभंज, फुलबनी, सुन्दरगढ़, बारगढ़, खुर्दा, नवरंगपुर, नयागढ़, रेवागटा, अंगुल, झरसागुडा
18.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बनावाड़ा, भिलवाड़ा, बुंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
19.	तमिलनाडु	टुटीकोरिन, कोयम्बतूर, धर्मपुरी, विरुदुनगर, इरोड, पुदुक्कोट्टाई, तिरुवन्नामलाई
20.	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा
21.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर, सोनभद्र, अन्य कई जिलें
22.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा, पुरालिया, अन्य कई जिलें

रीलिंग इकाइयों का उन्नयन

4057. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रीलिंग इकाइयों के लिए एक वृहत उन्नयन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेषकर कर्नाटक में कितनी नई इकाइयां स्थापित की गई;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कर्नाटक में मल्टी-एन्डेड रीलिंग इकाइयों का आधुनिकीकरण करने और उन्हें लगाने के लिए इस वर्ष सीधे दस करोड़ रुपये जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों अर्थात 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान, विभिन्न राज्यों में कुल 139 बहु-अंतीय रेशम रीलिंग एककों की स्थापना की गई जिसमें बहु-अंतीय रेशम रीलिंग एककों की स्थापना भी शामिल है। इस अवधि के दौरान बहु-अंतीय रेशम रीलिंग एककों की स्थापना संबंधी राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(एककों की संख्या)

1.	1999-00	कर्नाटक	तमिलनाडु	जम्मू और कश्मीर	आंध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश	असम	पंजाब	कुल
	6 बेसिन	2	–	–	1	–	–	–	3
	10 बेसिल	10	2	–	1	–	–	–	13
	कुल	12	2	–	2	–	–	–	16
2.	2000-2001								
	6 बेसिन	8	3	3	9	1	–	–	24
	10 बेसिल	68	4	5	20	–	1	1	99
	कुल	76	7	8	29	1	1	1	123
	कुल योग	88	9	8	31	1	1	1	139

(ग) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा बहु-अंतीय रेशम रीलिंग एककों की स्थापना के लिए जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	के दौरान जारी की गयी राशि		कुल
		1999-00	2000-2001	
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक	69.91	126.32	196.23

1	2	3	4	5
2.	तमिलनाडु	25.71	21.93	47.64
3.	जम्मू और कश्मीर	8.00	–	8.00
4.	आंध्र प्रदेश	19.70	18.56	38.26
5.	मध्य प्रदेश	5.48	0.14	5.62
6.	उत्तर प्रदेश	4.79	2.48	7.27
7.	असम	–	1.14	1.14
8.	पंजाब	–	1.26	1.26
	कुल	133.59	171.83	305.42

(घ) और (ङ) कर्नाटक में बहु-अंतीय रेशम रीलिंग एककों के आधुनिकीकरण तथा स्थापना के लिए वर्ष 2001-2002 में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 4.41 करोड़ रुपये जारी किये गये।

[हिन्दी]

राज्यों को खाद्यान्नों की खरीद हेतु धन की व्यवस्था

4058. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्यों को खाद्यान्न की खरीद हेतु दी गई राजसहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2000-2001 के लिए महाराष्ट्र राज्य को उस धनराशि का भुगतान कर दिया है जो धान की खरीद हेतु समर्थन मूल्य के तहत दी जानी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत धान की खरीद हेतु राजसहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जिन राज्यों ने खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली और वितरण की योजना अपना ली है, उनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजसहायता (आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच का अंतर) सीधे रिलीज की जाती है। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने यह योजना अपनाई है। अन्य राज्यों के लिए खाद्यान्नों की वसूली हेतु भारत सरकार द्वारा राजसहायता सीधे रिलीज नहीं की जाती हैं।

भारतीय खाद्य निगम और जिन राज्यों ने खाद्यान्नों की वसूली और वितरण की विकेन्द्रीकृत योजना अपना ली है उनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में रिलीज की गई खाद्य राजसहायता की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) केन्द्र सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की वसूली करने के लिए राज्यों (महाराष्ट्र सहित) को राजसहायता प्रदान नहीं की जाती है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द की गई चावल की मात्रा के लिए मौसम दर मौसम सरकार द्वारा यथानिर्धारित कस्टम मिल्ड चावल की दरों के आधार पर राज्यों/एजेंसियों को भुगतान रिलीज किया जाता है।

विवरण

1998-99 से भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को रिलीज की गई राजसहायता

(करोड़ रुपए)

वर्ष	भा.खा.नि.	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	प. बंगाल	जोड़
1998-99	8,46.000	–	–	54.00	8,700.000
1999-00	8,856.360	93.00	194.00	56.64	9,200.000
2000-01	11,462.000	85.000	398.00	65.00	12,010.000
2000-01 (7.12.2001 की स्थिति के अनुसार)	10,278.658	64.32	180.13	32.16	10,555.268

[अनुवाद]

निर्यात में धोखाधड़ी

4059. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई राष्ट्रीयकृत बैंक भारत और रूस के बीच किए गए समझौतों के तहत निर्यात में धोखाधड़ी के मामलों में संलिप्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले की कार्यविधि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसमें संलिप्त बैंकों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसा धोखाधड़ियां रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भ्रष्ट अधिकारियों को सेवानिवृत्त करना

4060. श्री सईदुज्जमा:
श्री अरुण कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन अधिकारियों को, जिनके विरुद्ध सी.बी.आई. ने एफ.आर.-56 (जे) के तहत भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले राजस्व अधिकारियों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सी.बी.आई. द्वारा राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए और इनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) एफ.आर. 56 (जे) सरकार को किसी भी सरकारी सेवक, जिसने 50/55 वर्ष की निर्धारित आयु पूरी कर ली हो; को तीन महीने पहले लिखित नोटिस या ऐसे किसी नोटिस के बदले 3 महीने के वेतन और भत्ते देकर जनहित में सेवानिवृत्त कर देने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस नियम के प्रावधानों का प्रयोग सरकार अक्षम और निष्प्रभावी तथा संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले सरकारी सेवकों की छंटाई के लिए करती है। इस विशेष प्रावधान का उद्देश्य सरकार के हर स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी की क्षमता में सुधार और उसे सामर्थ्यवान बनाने तथा स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए किया जाता है। तथापि एफ.आर. 56(जे) को किसी सरकारी सेवक के खिलाफ खास तौर पर दुर्व्यवहार के आधार पर सेवामुक्त करने के लिए औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई के शार्ट-कट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

एफ.आर. 56(जे) के प्रावधान उन अधिकारियों के खिलाफ लागू नहीं होते जिनके विरुद्ध सी.बी.आई. ने मामला दर्ज कर रखा है। सी.बी.आई. के द्वारा मामला दर्ज किये जाने से एफ.आर. 56 (जे) के तहत कार्रवाई में कोई सीधा संबंध नहीं है। वर्ष 1999, 2000 और 2001 (30.11.2001 तक) आयकर अधिकारियों के संबंध में अब तक 31 मामले दर्ज हो चुके हैं। सी.बी.ई.सी. के तहत अधिकारियों के बारे में फिलहाल कोई सूचना केन्द्रीय तौर पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में सी.बी.आई. द्वारा हुई प्रगति की समीक्षा का मानीटरन केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किया जाता है।

आरक्षित पदों के अनारक्षण के मामले

4061. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:
श्री भेरूलाल मीणा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ओ.पी.टी. के 25 अप्रैल, 1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/88 स्था. (एस.सी.टी.) के द्वारा 1 अप्रैल, 1989 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर रोक लगाने के बावजूद बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित कर इन्हें अन्यों द्वारा भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) उनके मंत्रालय में और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त/सांविधिक और संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 1 अप्रैल, 1989 से आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित कर अन्य लोगों द्वारा भरा गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची

4062. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र से कुछ जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए क्रमश: 37 प्रस्तावों और 90 प्रस्तावों को अनुमोदित रूपरेखाओं के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया जा रहा है। चूंकि इसके लिए अनेक एजेंसियों से परामर्श करना अपेक्षित है अत: इन मामलों के संबंध में निर्णय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

बैंकों द्वारा विशेष रियायत

4063. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों और विदेशी बैंकों के बोर्डों ने बैंक-वार विशेष क्षेत्रों में विशेष रियायतें, छूट दी है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों को विशेष रियायतें दी गई हैं; और

(ग) किस प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों को समय-समय पर यह सलाह दी जाती है कि वे विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों द्वारा भेजी जाने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए इस क्षेत्र को कतिपय रियायत/छूट प्रदान करें। हाल में बैंकों द्वारा दी गई क्षेत्रवार रियायतें संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

बैंकों द्वारा क्षेत्रवार विशेष रियायत के बारे में

जम्मू और कश्मीर राज्य: 31 मार्च, 2002 तक व्यापार और उद्योग को दी गई रियायतें।

(क) वस्तु सूची मानदंड में 50 प्रतिशत तक की छूट।

(ख) जोखिम विभेद के आधार पर आहरण क्षमता प्राप्त करने के लिए मार्जिन अलग-अलग हो सकते हैं।

(ग) विप्रेषणों, बाहरी चैकों/बिलों के संग्रह संबंधी सेवा प्रभारों में 50 प्रतिशत कमी।

(घ) पात्र मामलों और व्यवहारिक ऋण इक्विटी अनुपात में वापसी-अदायगी कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण।

(ङ) 15% से अनधिक की मार्जिन वाली अंतरदेशीय एलसी सुविधाएं।

पश्चिम बंगाल: एकबारगी उपाय के रूप में अक्तूबर 2000 में बाढ़ से प्रभावित जिले और ब्लाकों के उधारकर्ताओं को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के संबंध में आस्ति वर्गीकरण मानदण्ड में छूट की अनुमति दी गई है।

(क) बाढ़ से प्रभावित उधारकर्ताओं को प्रदान की गई ऋण सविधाओं को अनुप्रयोज्य आस्तियां माना जा सकता है, यदि दो छमाही के लिए देय होने के बाद भी ब्याज और/या मूलधन की किस्त का भुगतान न किया गया हो।

(ख) बाढ़ से प्रभावित उधारकर्ताओं को प्रदान की गई पुनर्चरणबद्ध/पुनर्निर्धारित ऋणों के साथ नई ऋण सुविधाओं को चालू देयराशि माना जा सकता है और इसे अनुप्रयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

गुजरात: वर्ष 2001 में गुजरात राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों और ब्लाकों के व्यक्तियों के लिए उपायों के विशेष राहत पैकेज (भूकम्प) लागू किए गए हैं।

(क) भूकम्प से प्रभावित उधारकर्ताओं का ऋण वर्गीकरण को 31.3.2003 तक 'जहां है जैसा है' के आधार पर रोक दिया जाना चाहिए।

(ख) मानक आस्तियों के मामले में, 2 वर्ष के लिए वसूली की मांग न की जाए। मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत न किए गए ऋण के संबंध में अगले दो वर्ष के दौरान वापसी-अदायगी न होने की स्थिति में दण्ड न लगाया जाए।

(ग) बैंक दिनांक 31.3.2003 तक 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभारित करेंगे।

(घ) लघु व्यापारियों, लघु कारोबारियों, स्वनियोजित और लघु सड़क परिवहन परिचालकों को प्राथमिकता उधार दरों से अनधिक की ब्याज दरों पर उनको कारोबार को जीर्णोद्धार/पुनरुद्धार के लिए 1 लाख रुपए तक की मंजूर की जाने वाली विशेष सीमाएं।

(ङ) आवासों/व्यावसायिक परिसरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए 2 लाख रुपए तक की मंजूरी।

(च) बैंक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावित किसानों से कृषि ऋण, मूलधन या ब्याज, वसूल न करें और वसूल नहीं की गई राशि का 7 वर्ष तक पुनर्निर्धारण करें।

(छ) उपभोक्ता ऋण पर सीमा को बढ़ाकर 2000 रुपए करना।

उत्तर पूर्वी राज्य: उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले निम्नलिखित उपाय:

(क) उच्चतर दरों पर दिए गए सभी ऋणों के ब्याज को पुनर्निर्धारित किया जाएगा ताकि इसे चालू दरों के समकक्ष लाया जा सके।

(ख) राज्य सरकारों/राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ राज्य द्वारा गारंटीकृत ऋणों के मामले में, यदि ब्याज का भुगतान किया गया है तो शेष राशि को पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

(ग) उन सभी छोटे ऋणों पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा जिसमें मूलधन की राशि 25,000 रुपए और उससे कम थी और जो दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 3 वर्ष से अधिक से बकाया थी तथा इस मामले को मूलधन की राशि पर निपटाया जाएगा।

[हिन्दी]

पंजाब सरकार द्वारा चावल की नीलामी

4064. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने खुले बाजार में नीलामी द्वारा बड़ी मात्रा में चावल बेचा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है खुली नीलामी से खरीदा गया चावल पालिश कराने के बाद पुन: सरकार को ही बेचा जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या चावल का भंडार मध्य प्रदेश भेजा गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य वसूली एजेंसियों ने 75.39 टन धान की नीलामी की है जिसकी मिलिंग निर्धारित अवधि में नहीं की जा सकी थी। धान का यह स्टाक फसल वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि से संबंधित था।

(ख) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गिनिंग और प्रेसिंग कारखानों का आधुनिकीकरण

4065. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष के दौरान कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत आधुनिकीकरण हेतु लिए गए गिनिंग और प्रेसिंग कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में ऐसी और इकाइयों का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान इस मिशन के तहत स्वीकृत लक्षित बाजार यार्डों की राज्यवार सूची क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान 97 जिनिंग एवं प्रैसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण की स्वीकृति दी गई थी।

(ख) और (ग) जी, हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 350 अन्य जिनिंग और प्रैसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। 10वीं योजना अवधि के दौरान आधुनिकीकरण के लिए 100 बेल प्रेसों का बदलने का भी प्रस्ताव है।

(घ) विगत एक वर्ष के दौरान इस मिशन के दौरान लक्षित बाजार यार्डों की राज्य-वार सूची निम्नानुसार है:

राज्य	बाजार का नाम
हरियाणा (2)	हिसार
	फतेहाबाद
राजस्थान (3)	खजुवाला
	विजय नगर
	ब्यावर
गुजरात (6)	भैरूच-पलेज
	विरमगाम
	अंजार
	विश्वधर
	सिद्धपुर
	मोरबी
मध्य प्रदेश (2)	सौसर
	खेतगांव
कर्नाटक (1)	बिजापुर
आंध्र प्रदेश (2)	देवोकोन्डा
	अदोनी
उड़ीसा	कर्लापाड़ा

[हिन्दी]

नेपाल को चीनी का निर्यात

4066. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नेपाल को चीनी का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) सरकार नेपाल सहित किसी भी देश को चीनी का निर्यात नहीं कर रही है।

प्राइवेट निर्यातक वाणिज्यिक आधार पर नेपाल को चीनी का निर्यात कर रहे हैं। नेपाल को निर्यात करने के लिए अब तक 24,900.0 मी. टन (अनंतिम) खुली बिक्री की चीनी रिलीज की गई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग कक्षाएं

4067. डा. संजय पासवान: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए सरकारी मदद से चलाए जा रहे कोचिंग केन्द्र औपचारिकता मात्र है;

(ख) क्या सरकार इन कोचिंग केन्द्रों द्वारा दी जा रही शिक्षा के स्तर का समय-समय पर निरीक्षण करती है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान किए गए ऐसे निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त छात्रों को देश के प्रतिष्ठित कोचिंग केन्द्रों/शिक्षण संस्थानों में कोचिंग दिलाने की व्यवस्था करने का है, ताकि इन्हें वास्तविक रूप में शैक्षणिक सहायता प्रदान कराई जा सके;

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार और संस्था-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) संबद्ध राज्य सरकार से सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए योजना के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त करने वाले संगठनों का पर्यवेक्षण करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारी इन संस्थाओं का निरीक्षण भी करते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान निरीक्षण किए गए संस्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों से संबद्ध छात्रों की बेहतर रूप से सहायता करने की दृष्टि से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कोचिंग एवं संबद्ध सहायता की वर्तमान योजना को संशोधित किया है। एकीकरण के अतिरिक्त, योजना को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सहायता की मात्रा में वृद्धि, कोचिंग की गुणवत्ता में सुधार आदि जैसे अन्य पहलुओं का संशोधन किया गया है।

(च) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

पिछले दो वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की गई संस्थाओं का ब्यौरा

1. राव स्टडी सैंटर, हैदराबाद।
2. जागृति शैक्षिक एवं वाणिज्यिक विकास सोसाईटी, हैदराबाद।
3. जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
4. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
5. दिल्ली शिक्षा केन्द्र, दिल्ली।
6. एस.एन. दास गुप्ता कॉलेज, दिल्ली
7. ग्राम भारती संस्थान, ग्वालियर
8. प्रसार एकता समिति, ग्वालियर
9. श्री लव शिक्षा प्रसार समिति, उज्जैन
10. ऋचा समाज सेवा एवं शिक्षा समिति, देवास (मध्य प्रदेश)
11. ज्ञान विकास समिति, भोपाल

12. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय समाज विज्ञान संस्थान, एम.एच.ओ.डब्ल्यू. (म.प्र.)
13. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
14. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
15. महाकौशल अकादमी, रायपुर (मध्य प्रदेश)
16. वैराईटी पब्लिक सोसाईटी, मुरैना
17. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
18. मोती लाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, इलाहाबाद

विवरण II

पिछले दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत निर्मुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
		I. विश्वविद्यालयों को निर्मुक्त वित्तीय सहायता		
1.	आंध्र प्रदेश	जे.एन. तकनीकी विश्वविद्यालय	1.55	–
2.	–वही–	ककातिया विश्वविद्यालय	–	3.37
3.	–वही–	नागार्जुन विश्वविद्यालय	2.70	–
4.	–वही–	उस्मानिया विश्वविद्यालय	6.38	–
5.	–वही–	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	4.07	4.06
6.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	3.23	–
7.	मध्य प्रदेश	विक्रम विश्वविद्यालय	7.90	6.79
8.	महाराष्ट्र	पुणे विश्वविद्यालय	3.56	–
9.	पंजाब	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय	5.42	4.41
10.	–वही–	पंजाबी विश्वविद्यालय	–	10.13
11.	सिक्किम	सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज	2.06	–
12.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	7.75	12.01
13.	–वही–	बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	3.15	–
14.	–वही–	एच.एन. बहुगुणा विश्वविद्यालय	5.49	3.82
15.	–वही–	लखनऊ विश्वविद्यालय	4.89	4.45
16.	–वही–	मोतीलाल नेहरू इन्जीनियरिंग कॉलेज	4.59	1.06
		कुल	62.74	50.10

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों का नाम	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
		II. गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा		
1.	आंध्र प्रदेश	जागृति एजुकेशन सोसा., हैदराबाद	–	5.62
2.	आन्ध्र प्रदेश	नागार्जुन स्टडी सर्किल	–	15.08
3.	आन्ध्र प्रदेश	राव स्टडी सर्कल, हैदराबाद	1.69	–
4.	आंध्र प्रदेश	सोशल इन्टरिगेशन रूरल, हैदराबाद	–	3.89
5.	आन्ध्र प्रदेश	विनिला सोसाईटी, खम्मम	–	1.60
6.	दिल्ली	दिल्ली एजुकेशन सैंटर	17.52	10.37
7.	दिल्ली	एस.एन. दास गुप्ता कॉलेज	8.25	3.58
8.	जम्मू-कश्मीर	एम.पी.ए. इन्स्टीट्यूट, श्रीनगर	2.39	–
9.	मध्य प्रदेश	अशोक कोच सैंटर	1.66	–
10.	मध्य प्रदेश	अशोक महिला मन, भिंड	11.22	–
11.	मध्य प्रदेश	बी.आर. अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट एम.एच.ओ.डब्ल्यू.	1.87	–
12.	मध्य प्रदेश	ज्ञान विकास समिति, भोपाल	–	2.02
13.	मध्य प्रदेश	जगन्नाथ शिक्षा प्रबंधक समिति,	0.93	–
14.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोच इन्स्टीट्यूट, जबलपुर	–	1.80
15.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोच सैंटर, भोपाल	–	4.20
16.	मध्य प्रदेश	लाल बहादुर शिक्षा संस्थान	0.48	–
17.	मध्य प्रदेश	महा कौशल अकादमी, रायपुर	–	1.94
18.	मध्य प्रदेश	ऋचा समाज सेवा	0.93	–
19.	मध्य प्रदेश	श्री लव शिक्षा प्रबंधक समिति	0.93	–
20.	मध्य प्रदेश	सुरुचि व्यापार सिल्क संस्थान	–	2.93
21.	महाराष्ट्र	चैतन्य बहुजन समिति	1.02	1.02
22.	महाराष्ट्र	चाणक्य मंडल, पुणे	–	3.96
23.	महाराष्ट्र	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल	6.90	–
24.	महाराष्ट्र	स्वामी विवेकानन्द शिक्षण संस्थान	–	2.46

1	2	3	4	5
25.	उड़ीसा	एल.सी. इन्स्टीट्यूट, भुवनेश्वर	3.43	–
26.	उड़ीसा	उड़ीसा स्टडी सर्कल	1.25	1.24
27.	राजस्थान	उदयपुर स्टडी सर्कल	–	3.94
28.	तमिलनाडु	आई.सी.ई. कैरियर्स गाइडेंस	–	3.04
29.	उत्तर प्रदेश	सहारा अकादमी, कानपुर	–	3.00
		कुल	60.47	71.69

III. राज्यों को निर्मुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001
1.	आंध्र प्रदेश	11.44	–
2.	हरियाणा	1.54	–
3.	जम्मू एवं कश्मीर	0.25	–
4.	कर्नाटक	1.19	–
5.	केरल	10.15	8.69
6.	मध्य प्रदेश	66.09	44.03
7.	मेघालय	1.79	1.79
8.	उड़ीसा	4.99	–
9.	पंजाब	1.89	2.39
10.	राजस्थान	–	43.10
11.	त्रिपुरा	0.67	–
12.	दिल्ली	6.79	2.95
	कुल	106.79	102.95

[अनुवाद]

राज्य सलाहकार समितियां

4068. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** राज्य सलाहकार समिति के गठन के बारे में 27 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 893 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन व दीव, पांडिचेरी तथा सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भारतीय खाद्य निगम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सलाहकार समितियां गठित की हैं। सलाहकार समितियों के प्रमुख कर्तव्य और कार्य निम्नलिखित मामलों पर चर्चा करना और सिफारिशें करना हैं:

(1) खाद्यान्नों की वसूली और वितरण;

(2) खाद्यान्नों की गुणवत्ता;

(3) खाद्यान्नों का भंडारण;

(4) मार्गस्थ और भण्डारण हानियां;

(5) अंत्योदय, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों के आबंटन, उठान और वास्तविक वितरण सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के बीच तालमेल बैठना; और

(6) स्टाक की बिक्री और निपटान।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सलाहकार समिति में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का संसद सदस्य जो केन्द्र सरकार द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, सचिव (खाद्य और नागरिक पूर्ति) और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित कोई ऐसा अन्य अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम का वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक और केन्द्र सरकार द्वारा यथा नामित गैर सरकारी सदस्य होते हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के अधीन खाद्यान्नों के वितरण की निगरानी करने के लिए राज्य सलाहकार समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ''जागृति शिविर योजना'' नामक समन्वित अभियान शुरू किया गया है। ये योजनाएं ''अंत्योदय अन्न योजना'', ''अन्नपूर्णा योजना'', ''काम के बदले अनाज कार्यक्रम'' और सर्वप्रिय योजना है। अभियान का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में देश में 120 जिले कवर करना है। जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चुने गये प्रत्येक जिले के संबंध में उपभोक्ता कल्याण निधि से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 50000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

''भेल'' में वित्तीय संकट

4069. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ''भेल'' ने विभिन्न देनदारों से अपनी देयराशियां वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) आज की तारीख तक उनसे कुल कितनी राशि वसूल की गई है; और

(ङ) अभी भी कुल कितनी देयराशियां बकाया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बकाया की वसूली हेतु भेल द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार है:

* कारपोरेट कार्यालय, व्यवसाय क्षेत्र तथा निर्माणकारी इकाइयों के सदस्यों को मिलाकर गठित एक कार्य योजना द्वारा कर्जदारों का निरंतर कार्रवाई।

* मोंटेक सिंह आहलूवालिया समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों से इंट्रेस्ट बेअरिंग बांड के माध्यम से पुरानी बकाया देयताओं के निपटान हेतु तैयार की जा रही योजना में भेल को शामिल करने के मुद्दे को ऊर्जा एवं वित्त मंत्रालयों के साथ उठाया गया है।

(घ) और (ङ) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आरंभ में भेल के कुल विविध ऋणदाताओं पर 4783 करोड़ रुपए थे जिसमें संकलित किये जा सकने वाला 2854 करोड़ रुपये का ऋण तथा 1929 करोड़ रुपये का शेष आस्थगित ऋण शामिल था। सितम्बर, 2001 के अंत तक, कंपनी ने संकलित किये जा सकने वाले बकायों को घटाकर 279 करोड़ रुपये तथा आस्थगित ऋणों से घटाकर 39 करोड़ रुपये कर दिया है।

सूती धागे पर उत्पाद कर में छूट

4070. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन'' (सिमा) ने 'अनब्रेकेबल मोडवेट चेन'' शुरू किये जाने तक सूती धागे पर उत्पाद कर में छूट का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह सच है कि तिरुपुर एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने अपने एक अभ्यावेदन में यह मांग की है कि निटवीयर उद्योग को उत्पाद कर के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन, जो सिमा का मूल संघ है, ने एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें अनब्रेकेबल मॉडवेट चेन शुरू किये जाने तक सूती धागे पर उत्पाद शुल्क में छूट का सुझाव दिया गया है। इस पर विचार किया गया और इस अनुरोध को स्वीकार्य नहीं पाया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। इस संबंध में तिरुपुर एक्सपोर्टर एसोसिएशन से दिनांक 14.2.2001 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2001-2002 के बजट में निटवीयर उद्योग के लिए उत्पाद शुल्क ढांचे के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखी जाए।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि

4071. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री किरीट सोमैया:
श्री सईदुज्जमा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि आसान धन नीति (इजी मनी पालिसी) और बढ़ते सरकारी ऋण के कारण निकट भविष्य में भारत में मूल्यों में वृद्धि हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ''ग्लोबल इकनोमिक प्रोसपेक्ट्स एण्ड दि डेवलपिंग कंट्रीज 2002'' में उल्लेख किया गया है कि भारत का मौद्रिक दृष्टिकोण इस समय विस्तारवादी है जो निकट भविष्य में संभवत: अपेक्षाकृत उच्च मुद्रास्फीति की ओर संकेत कर रहा है। इसने यह भी नोट किया है कि हाल के वर्षों में भारत की राजकोषीय स्थिति में काफी अधिक विस्तार हुआ है। सामान्य मुद्रास्फीति, खाद्यान्नों के विशाल भण्डारों और उच्च विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों में यथा परिलक्षित अर्थव्यवस्था के ठोस मूल तत्वों को ध्यान में रख कर मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति पर निगरानी रखते हुए पर्याप्त नकदी निधि की व्यवस्था करने पर निरन्तर जोर देती आ रही है। सरकार का यह सतत् प्रयास रहा है कि केन्द्र के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जाए और इस संबंध में दिसम्बर, 2000 में संसद में एक विस्तृत विधान पेश किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को कम करना है। वर्ष 2001-02 के बजट में अन्य बातों के अलावा, केन्द्र सरकार की व्यय संरचना में परिवर्तन करने और आयोजना भिन्न राजस्व व्यय में मितव्ययता लाने के माध्यम से व्यय प्रबंध पर जोर दिया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष का प्रारम्भ 5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर से हुआ जो गिर कर 24 नवम्बर, 2001 तक दो वर्षों में सबसे कम 2.4 प्रतिशत के न्यून स्तर पर पहुंच गई। आम खपत की अनिवार्य जिन्सों की उचित मूल्यों पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संगठित प्रयास किये जा रहे हैं। मांग पक्ष में किए गए उपायों में मौद्रिकृत घाटे और स्थूल मुद्रा (एम 3) की वृद्धि की नियमित मानीटरिंग करना शामिल है।

[अनुवाद]

बनारस स्टेट बैंक

4072. **श्री राजनारायण पासी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के लेन-देन पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपरोक्त बैंक की विभिन्न शाखाओं में जमाकर्ताओं ने कितनी राशि जमा कराई है;

(ग) गत वर्ष के दौरान बैंक के लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने उन जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इस बैंक में जमा कर रखी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 सितम्बर, 2001 को कारोबार समाप्ति के समय से बनारस स्टेट बैंक लि. (बीएसबीएल) जिसका प्रधान कार्यालय वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में है, पर कतिपय निदेश लागू किए हैं जिसके द्वारा बैंक/इसकी शाखाओं को नई देयताएं स्वीकार करने से रोक दिया गया है और जमाराशि खाते से निकासियों को 1000 रुपए तक सीमित कर दिया गया है जिसे बाद में 13 अक्तूबर, 2001 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। 25 सितम्बर, 2001 के भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के अंतर्गत जमाकर्ताओं के खातों को अवरुद्ध नहीं किया गया, बल्कि उस राशि पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जिन्हें वहां से निकाले जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक

ने सूचित किया है कि 19 अक्तूबर, 2001 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार बैंक की बकाया जमाराशियां 1032.18 करोड़ रुपए थीं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बीएसबीएल को वर्ष 2000-2001 के दौरान 13.39 करोड़ रुपये की निवल हानि उठानी पड़ी थी।

(घ) बीएसबीएल के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके भविष्य के ढांचे पर भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार विचार कर रही है।

भारत-अमरीका वार्ताएं

4073. श्रीमती प्रभा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अमरीका के साथ व्यापक स्तर पर बातचीत करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो सहयोग हेतु कौन-कौन से क्षेत्रों को चुना गया है;

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान अमरीका द्वारा कितनी राशि का निवेश किये जाने की आशा है; और

(घ) आगामी वर्षों में कौन-कौन से क्षेत्रों में निवेश किए जाने की आशा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारत और अमरीका ने 23 मार्च, 2000 को नई दिल्ली में भारत-अमरीका वाणिज्यिक वार्ता के लिए विचारार्थ विषय तैयार करने के बारे में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य (क) व्यापार को सुकर बनाना (ख) सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी सुविधा, जैव-प्रौद्योगिकी और सेवाओं समेत आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर निवेश के अवसरों को बढ़ाना है। नवम्बर, 2001 में प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता पुन: शुरू करने और उसका विस्तार करने पर सहमत हुए हैं जिसमें वित्तीय और आर्थिक मंच व्यापार नीति संबंधी वाणिज्यिक वार्ता और कार्यदल के अलावा ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को शामिल करने वाले दो नए संघटक शामिल हैं।

(ग) और (घ) 1991-2001 (30.9.2001 तक) के दौरान एडीआर/जीडीआर के लिए प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्राप्तियों, शेयरों का अधिग्रहण, एनआरआई योजनाओं और शेयर जारी करने के लिए लंबित अग्रिम को छोड़कर, अमरीका से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी संचयी प्राप्तियां 2.91 बिलियन अमरीकी डालर की रही हैं। अमरीका से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने वाले सबसे बड़े क्षेत्र हैं-ईंधन (बिजली और तेलशोधक), दूर-संचार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इलैक्ट्रीकल उपकरण (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और इलैक्ट्रानिक्स) और सेवा क्षेत्र (वित्त एवं गैर-वित्त सेवाएं)। भारतीय अर्थव्यवस्था में अमरीकी निवेशकों का विश्वास कॉफी अधिक प्रतीत होता है और मौजूदा रूझानों को देखते हुए वर्ष 2002-2003 में अमरीकी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रिकार्ड स्तर पर पहुंच जाना चाहिए। दूर-संचार और ऊर्जा के क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं-जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी सहित ज्ञान आधारित क्षेत्र, जैव-प्रौद्योगिकी भेषज, रसायन और विशेष आर्थिक क्षेत्र जिनकी ओर अमरीकी निवेशकों का ध्यान अधिक आकर्षित हो रहा है।

बैंक ऋण चूककर्ताओं के विरुद्ध मुकदमें

4074. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्रीमती रेनु कुमारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उन चूककर्ताओं के विरुद्ध मुकदमें दायर करने को कहा है जो कि बैंकों से लिए गए ऋण को जानबूझकर नहीं चुकाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से एक करोड़ रुपये से अधिक के ऋण की श्रेणी के चूककर्ताओं का ब्यौरा क्या है जिनमें या तो आपराधिक मुकदमें दायर किये गये हैं या मामले डी.आर.टी. को भेजे गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वसूली गई गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की बैंक-वार धनराशि कितनी है;

(घ) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की निम्न वसूली दर होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसने बैंकों को 1.00 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक की राशि वाली जानबूझकर की गई चूकों के सभी मामलों की जांच करने तथा ऐसे मामलों में वाद दायर करने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उसने 1.00 करोड़ रुपये

से कम की राशि वाले मामलों में चूक करने वाले उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंकों को उचित कार्रवाई, जिसमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल है, करने की सलाह दी थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक कीबकाया राशि वाली जानबूझकर की गई चूकों के 581 मामलों में से 463 मामलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वाद दायर किये थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इसके अतिरिक्त 37 मामलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आपराधिक मामले दायर किये थे।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 31 मार्च, 2000, 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्षों तथा 30 सितम्बर, 2001 को समाप्त छमाही में वसूल की गई बैंक-वार राशि (समझौता/उन्नयन तथा बट्टे खाते सहित) संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) बैंकों द्वारा अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली की कम दर के कारणों में ऋण वसूली की विद्यमान प्रक्रिया में कमजोरी, मोचन निषेध एवं धन शोधन अक्षमता पर अपर्याप्त कानूनी प्रावधान और न्यायालय डिक्रियों के निष्पादन में कठिनाइयां आदि शामिल हैं।

(ङ) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देयराशि की वसूली के लिए विभिन्न उपाय करने की सलाह दी है जैसे वसूली नीति बनाना तथा इसका कार्यान्वयन, सिविल न्यायालयों के पास वाद दायर करना, ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के पास मामले दायर करना, समझौता सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौता निपटान करना तथा बैंक में विभिन्न स्तरों पर अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपी) की निगरानी तथा अनुवर्तन। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 27 जुलाई, 2000 के अपने परिपत्र के अनुसार सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 5 करोड़ रुपये तक की अनुप्रयोज्य आस्तियों के निपटान के लिए एक सरलीकृत विवेकाधिकार रहित तथा अभेदमूलक तंत्र के माध्यम से एनपीए से संबंधित अपनी देयराशियों की वसूली के लिए दिशा-निर्देश जारी किये थे तथा बैंकों को 5 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ऋणों के लिए अपनी स्वयं की नीति बनाने की सलाह दी थी। योजना शुरू में 31 मार्च, 2001 तक थी और बाद में बढ़ाकर 30 जून, 2001 तक की गई थी। बैंकों द्वारा 30 जून, 2001 तक प्राप्त सभी आवेदनों पर कार्रवाई की जानी थी और 30 सितम्बर, 2001 तक उन पर निर्णय लिये जाने थे। बैंकों को अपनी अनुप्रयोज्य आस्तियों के समझौता निपटान हेतु लोक अदालत मंच का प्रयोग करने की भी सलाह दी गई है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 2001 में एन पी ए खातों में 5 लाख रुपए तक की बकाया शेष राशि से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए इस मंच का अधिक प्रयोग करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। एक विधान लाने की कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है जिससे बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को अपनी देयराशियों की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु चूक के मामलों में मोचन निषेध तथा प्रतिभूतियों के प्रवर्तन की सुविधा मिलेगी। बैंकों को उधारकर्ताओं के बारे में सूचना प्रकट करने के लिए ऋण सूचना ब्यूरो का भी गठन किया जा रहा है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए आर सी) स्थापित करने के लिए कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है।

विवरण

उन्नयन और बट्टे खाते सहित वसूलियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	बैंक	31.3.2000	31.3.2001	30.9.2001
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	2256	3415	1140
	भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी			
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	98	228	36
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	267	273	85
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	114	101	17
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	201	144	45

1	2	3	4	5
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	197	157	43
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	103	103	77
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	318	309	43
	भा. स्टेट बैंक एवं अनुषंगियों का कुल	3554	4730	1486
	राष्ट्रीयकृत बैंक			
9.	इलाहाबाद बैंक	260	280	168
10.	आन्ध्रा बैंक	107	168	44
11.	बैंक आफ बड़ौदा	426	475	254
12.	बैंक आफ इंडिया	872	941	216
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	196	186	59
14.	केनरा बैंक	835	884	267
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	357	543	210
16.	कार्पोरेशन बैंक	39	85	57
17.	देना बैंक	244	259	106
18.	इंडियन बैंक	705	1289	161
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	231	356	102
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	197	207	152
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	92	91	52
22.	पंजाब नैशनल बैंक	574	531	247
23.	सिंडिके बैंक	271	367	64
24.	यूको बैंक	341	617	117
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	217	357	142
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	203	317	40
27.	विजया बैंक	162	177	80
	राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल	6329	8131	2538
	सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों का कुल	9883	12860	4024

टी बोर्ड और कॉफी बोर्ड के कार्य

4075. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में टी बोर्ड और कॉफी बोर्ड के प्रमुख कार्य क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चाय और कॉफी के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिए टी बोर्ड और कॉफी बोर्ड द्वारा निभाई गई भूमिका का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) चाय और कॉफी बोर्डों के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

चाय बोर्ड

चाय बोर्ड के क्रियाकलाप चाय उद्योग और व्यापार के समग्र विकास पर केन्द्रित हैं। तदनुसार, इनका उद्देश्य चाय के उत्पादन/उत्पादकता को बढ़ाना, क्षेत्र विस्तार करना, गुणवत्ता में सुधार करना, सहकारी प्रयासों को बढ़ाना, अनुसंधान और विकास प्रयासों का समर्थन करना, श्रमिक कल्याण, बाजार विकास एवं निर्यात संवर्धन करना, नियामक कार्यकलाप, सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्र करना और उनका प्रसार करना है।

कॉफी बोर्ड

1996 में कॉफी व्यापार के उदारीकरण के बाद, कॉफी बोर्ड अपना ध्यान मुख्यत: कॉफी के अनुसंधान विकास, गुणवत्ता उन्नयन और संवर्धन तथा इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम करने पर केन्द्रित कर रहा है।

(ख) चाय और कॉफी बोर्डों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय और कॉफी के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभायी है। देश में चाय और कॉफी का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, इन बोर्डों ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक विकास योजनाएं कार्यान्वित की हैं। इन योजनाओं में नव रोपण, उन्नत किस्मों से पुनर्रोपण, मौजूदा रोपित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार और चकबंदी, पुरानी एवं खराब मशीनरी के प्रतिस्थान, सिंचाई सुविधाएं सृजित करने, प्रसंस्करण संबंधी प्रशिक्षण परामर्शी कार्यक्रमों के आयोजन, बाजार सहायता, अनुसंधान और विकास तथा विस्तार सहायता इत्यादि की व्यवस्था।

विदेशी बाजारों में चाय और कॉफी का निर्यात बढ़ाने के लिए, संबंधित वस्तु बोर्डों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं: संभावना वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए देश-वार निर्यातों का विश्लेषण करना, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, विशेषीकृत भण्डारों और प्रमुख बाजारों में जाकर नमूने एकत्र करना, इत्यादि।

परियोजना का क्रियान्वयन

4076. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख मंत्रालयों को 75000 करोड़ रुपये वाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और द्वितीय चरण का आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु आर्थिक नीति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित करने के निर्देश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या विनिवेश, कम्पनियों के आकार छोटा करने और श्रम सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के मामले में आ रही बाधाओं को दूर करने और इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने की एक समयबद्ध योजना की जरूरत पर जोर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा हाल ही में आर्थिक सुधारों संबंधी मंत्रिमंडलीय (सी.सी.ई.आर.) का गठन किया गया है। मंत्रिमडंल सचिवालय द्वारा सी.सी.ई.आर. के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रियों के एक दल का तथा सी.सी.ई.ए. और सी.सी.ई.आर. की सहायता के लिए सचिवों की स्थायी समिति का गठन भी किया गया है।

अधिक भुगतान

4077. श्री रघुनाथ झा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निर्यातकों को 1997, 1998, 1999 और 2000 में हुए अधिक भुगतान को वसूल किये जाने में विफल रहने के मामलों को प्रकाश में लाए जाने और इस संबंध में सुधारात्मक/उपचारात्मक

उपाय करने के लिए की गई टिप्पणी के बावजूद अधिक भुगतान के मामले जारी है जैसाकि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2001 की रिपोर्ट संख्या 2 के 137-138 पृष्ठों पर उल्लेख किया है;

(ख) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने छानबीन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) की गई छानबीन यदि कोई हो, का क्या निष्कर्ष निकला और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) वर्ष 2001 की सीएजी रिपोर्ट सं. 2 में यह कहा गया था कि कुछ फर्मों को 66,69,356 रुपए का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान की वसूली अब संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय, चेन्नई द्वारा कर ली गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय, चेन्नई को यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार के अधिक भुगतान के मामले दुबारा न हों, नियमों को सरल बनाते हुए उनमें 6 माह तक के विलंब के लिए 10% की कटौती निर्धारित करते हुए क्रमिक कटौती प्रणाली के स्थान पर एकल निर्धारित बिन्दु प्रणाली लागू की गई है और उसके बाद कुछ दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था भी शुरू की गई है जिससे निर्णित मामलों से कुछ निर्धारित प्रतिशत की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल आधार पर की जा सकें।

अफगानिस्तान को निर्यात के अवसर

4078. डा. बी.बी. रमैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की समाप्ति पर निर्यात के पर्याप्त अवसर पैदा होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय सामान/मशीनरी/विशेषज्ञता के निर्यात और परामर्शदाताओं को वहां भेजने के अवसरों का दोहन करने के लिए तैयार हैं;

(ग) क्या भारतीय सामानों के विपणन हेतु संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ कोई करार किया गया है;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के "इंटर एजेंसी प्रोक्योरमेन्ट सर्विसेज आर्गेनाइजेशन" से भी सम्पर्क किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए निर्यात के रूप में सरकार को अनुमानित कितने सामान का क्रयादेश मिलने की आशा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) अफगानिस्तान में एक दफा शांति और स्थिरता बहाल हो जाने तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 2001 को अन्तरिम प्राधिकरण द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने के पश्चात पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के प्रयास शुरू किये जायेंगे।

(ख) से (ङ) भारत अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों से जुड़ा हुआ है जिनका उद्देश्य संघर्ष के पश्चात अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और पुनर्वास करना है। अफगानिस्तान में राजनैतिक और मानवीय स्थिति पर विचार करने के लिए भारत ने 16 नवम्बर और 6 दिसम्बर, 2001 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित 21 देशों के समूह की बैठक में, 20 नवम्बर, 2001 को वाशिंगटन में अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण-सहायता देने के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में और 27-29 नवम्बर, 2001 को इस्लामाबाद में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रायोजित सम्मेलन में भाग लिया।

भारत में अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रयासों के लिए द्विपक्षीय सहयोग और वचनबद्धताएं भी की हैं जिसमें शामिल हैं:-एक बार अफगानिस्तान में स्थिति सामान्य होने के बाद आंतरिक और बाह्य रूप से विस्थापित अफगानियों के लिए एक मिलियन टन गेहूं की मानवीय आधार पर सहायता देने का वचन और 100 मिलियन यू एस डालर का ऋण देने की पेशकश की इच्छा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं

4079. श्री रामानन्द सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही है;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान इन श्रेणियों के लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही है; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत मद-वार कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) जनजातीय उप-योजना और विशेष संघटक योजना की कार्यनीति के अंतर्गत, मध्य प्रदेश सरकार क्रमश: अनुसूचित जातियों (एस सी) और अनुसूचित जनजातियों (एस टी) के कल्याण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके ब्यौरे राज्य सरकार द्वारा रखे जाते है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं जिसके अंतर्गत क्रमश: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। इन योजनाओं का नाम और वर्ष 2001-2002 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्मुक्त निधि का विवरण संलग्न है।

विवरण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं की सूची

अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं

1. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।
2. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम।
3. स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति।
4. पी.सी.आर. एवं अत्याचार।
5. अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास।
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम।
7. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम।
8. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम।
9. पुस्तक बैंक।
10. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास।
11. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति।
12. कोचिंग एवं संबद्ध सहायता।
13. अनुसूचित जातियों से संबंधित अखिल भारतीय स्वरूप का सहायक परियोजना (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)
14. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन।
15. अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों एव अल्पसंख्यक बहुल वाले जिलों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।
16. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं

1. जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।
2. संविधान के नुच्छेद 275 (1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत अनुदान।
3. जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण।
4. अल्प वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान।
5. प्राचीन जनजातीय वर्गों का विकास।
6. अनसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
7. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।
8. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन।
9. जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर।
10. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों का छात्रावास।
11. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों का छात्रावास।
12. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना।
13. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान।

14. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक की योजना।

15. अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना।

16. ग्रामीण अन्न बैंक योजना।

17. राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम।

18. अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना।

वर्ष 2001-02 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधि

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त वित्तीय सहायता (रु. लाख में)
1.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	490.53
2.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन।	812.86
3.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	136.88
4.	जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	5222.14
5.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	2578.93
6.	ग्रामीण अन्न बैंक	78.82
7.	अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।	30.64

[अनुवाद]

रिफायनरी को उत्पाद शुल्क में रियायत

4080. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नुमालीगढ़ रिफायनरी की तर्ज पर असम के पिछड़े बोडो आदिवासी क्षेत्र में स्थित "बोंगईगांव रिफायनरी एण्ड पेट्रोकेमीकल्स लिमिटेड, थालीगांव" को उत्पाद शुल्क में रियायत का लाभ देने पर विचार किया है, ताकि बोंगईगांव रिफायनरी एण्ड पेट्रोकेमकल्स लिमिटेड को पुन: सुदृढ़ बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में हाल ही में क्या कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) बोंगईगांव रिफायनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को उत्पाद शुल्क छूट देने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश की ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण परियोजना

4081. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार की ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण परियोजना विश्व बैंक सहायता के लिए भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव को विश्व बैंक सहायता हेतु कब तक भेजे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) राज्य के 480 पिछड़े मण्डलों में परियोजना को कार्यान्वित करने का राज्य ने प्रस्ताव किया है। परियोजना की कुल लागत 2160 करोड़ रु. (लगभग) होने का अनुमान लगाया गया है। प्रस्ताव का लक्ष्य गरीबी को कम करना, बाजार में भागीदारी करने के निर्धनों के लिए अवसरों में वृद्धि करना और बाजारों में उतार-चढ़ावों, प्राकृतिक आपदाओं और व्यक्तिगत जोखिम से सुरक्षा हेतु तंत्र स्थापित करना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी निवेशकों को वरीयता-शेयर

4082. श्री नागमणि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी निवेशकों को वरीयता-शेयर जारी करने को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वरीयता-शेयरों के माध्यम से हुए ऐसे निवेश पर विदेशी इक्विटी की अधिकतम सीमा निर्धारण के प्रयोजन हेतु विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन वरीयता-शेयरों के साथ परिवर्तन अधिकार भी संलग्न होता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला क्षेत्र में कालाधन

4083. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें देश के कोयला क्षेत्र में कालेधन की भरमार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें मार्क्सवादी युवा मोर्चा द्वारा 28.7.2000 को आयकर आयुक्त, धनबाद, झारखंड को सौंपे गए इस ज्ञापन की जानकारी है जिनमें काले धन का पता लगाने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रानचन्द्रन): (क) सरकार को कोयला क्षेत्र सहित अवैध धन की भरमार के बारे में जानकारी है।

(ख) मार्क्सवादी युवा मोर्चा द्वारा आयकर आयुक्त, धनबाद को दिनांक 28.7.2000 का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसमें व्यापारी समूह द्वारा अवैध धन के संचयन का आरोप लगाया गया है।

(ग) यह आरोप निरसा, धनबाद के निवासी श्री नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध निर्दिष्ट किया गया था।

(घ) इस समहू के 10 व्यक्ति धनबाद में आयकर निर्धारित किये जाने हेतु पाये गये थे और तदनुसार आयकर अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत उन सभी मामलों को वरिष्ठ अधिकारी को केन्द्रीकृत करते हुए गहन जांच और कर निर्धारण करने के लिए एक आदेश पारित किया गया था।

सिल्क गार्मेन्टस को दिया गया डीईपीबी क्रेडिट

4084. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कढ़ाईयुक्त सिल्क गार्मेन्टस के तीन वर्ष की अवधि में हुए निर्यात पर दी गई 'ड्यूटी एनटाइटलमेन्ट पास बुक (डीईपीबी) क्रैडिट' डीईपीबी योजना शुरू होने के बाद भी सीमा शुल्क विभाग, दिल्ली द्वारा वसूला जा रहा है जबकि सरकार ने इस राशि को वसूल नहीं करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अपने निदेशों का कार्यान्वयन करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या अप्रैल, 2000 के बाद किए गए निर्यात के लिए कढ़ाई युक्त सिल्क गार्मेन्ट्स निर्यातकों को देय शुल्क वापसी की राशियां सीमाशुल्क विभाग, दिल्ली ने रोक रखी हैं और अक्तूबर, 2000 के बाद से इनका वितरण नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबध में सरकार ने कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) जी, नहीं। दिल्ली सीमा शुल्क द्वारा कोई वसूली कार्यवाही नहीं शुरु की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान डीईपीबी स्कीम के तहत ऐसे निर्यातों के लिए कढ़ाईयुक्त रेशमी वस्त्रों के किसी निर्यातक को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। तथापि, 15.73 करोड़ रुपये की प्रतिअदायगी राशि रुकी हुई है क्योंकि यह मुद्दा विधि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय में विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ परामर्श से पुन: जांचाधीन और सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इस संबंध में अंतिम निर्णय शीघ्र ले लिया जायेगा।

नि:शक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम

4085. डा. वी. सरोजा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें "नि:शक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम" प्रचलित है;

(ख) क्या इस योजना का विस्तार देश के सभी जिलों तक करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर पी डी) राज्य क्षेत्र की एक योजना है जिसके अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान देश के 82 जिलों को शामिल करने के लिए निधियां प्रदान की गई हैं। राज्यों को योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए जिलों का चयन करने की छूट है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर चयन किये गये जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर पी डी) राज्य क्षेत्र की एक योजना है। अतिरिक्त जिलों का कवरेज कार्यक्रम के विस्तार के लिए प्रदान किये जा रहे वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

विवरण

एन.पी.आर.पी.डी. योजना के अंतर्गत चयन किये गये जिले (राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार)

राज्य	चयनित जिले
आंध्र प्रदेश	विजयनगरम, कृष्णा
बिहार	भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिम चम्पारन
झारखण्ड	रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर
गुजरात	अहमदाबाद, जामनगर, सूरत
गोवा	उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा
हरियाणा	अम्बाला, सिरसा
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, कांगड़ा
जम्मू एवं कश्मीर	अनंतनाग, उधमपुर
कर्नाटक	तुमकूर, बेलारी, मैसूर
केरल	कोझीकोड, तिरुवनंतपुरम
मेघालय	पूर्व खासी पहाड़ी जिला, पश्चिम गारो पहाड़ी जिला
मणिपुर	उखरूल
महाराष्ट्र	लातूर, चन्द्रपुर, नासिक
मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा, बरबानी, धार, सिद्दी, टिकमगढ़
छत्तीसगढ़	बिलासपुर, राजनंदगांव, कारिया
नागालैण्ड	दिमापुर, सुएनसांग
उड़ीसा	खुर्दा, मयूरभंज, कालाहांडी
पंजाब	रोपड़, संगरूर
राजस्थान	अजमेर, जोधपुर, झुंझुनू
त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा जिला
तमिलनाडु	कांजीपुरम, थिरुअन्नामलाई, तंजावूर
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, सीतापुर, सुल्तानपुर
पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर, मिदनापुर
चंडीगढ़	चंडीगढ़
दादरा एवं नगर हवेली	सिलवासा

कम्पैक्ट लैम्पों की डम्पिंग

4086. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने चीन और हांगकांग से कम्पैक्ट फ्लुओरिसेन्ट लैम्पों के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 की अवधि के लिए जांच की शुरुआत घरेलू उद्योगों, दिल्ली आधारित इंडो एशियन फ्युजगियर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के आधार पर की गई है;

(ग) इस संबंध में अंतिम रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) जी, हां। पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय ने मै. इंडो एशियन फ्यूजगीयर लि. और मै. ओसराम इंडिया लि. द्वारा दायर की गई एक याचिका के आधार पर चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित काम्पैक्ट फ्लूरोसैंट लैंप के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच आरम्भ की है। जांच शुरुआत की अधिसूचना 16.8.2001 को जारी की गई थी, जिसमें जांच की अवधि अप्रैल, 2000-मार्च, 2001 तक थी। चीन जन. गण. और हांगकांग से काम्पैक्ट फ्लूरोसैंट लेम्पस के आयातों पर पाटनरधी शुल्क की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम 2.11.2001 को अधिसूचित किये गये हैं। अंतिम जांच परिणाम जांच शुरुआत की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचित किये जायेंगे।

राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा राज्य वित्त और विकास निगम को धन

4087. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-01 के दौरान और आज की तिथि तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा राज्य वित्त और विकास निगम को राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस धनराशि से राज्यवार और योजनावार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) इससे राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए;

(घ) क्या इस धन के उपयोग पर राष्ट्रीय वित्त निगम का कोई नियंत्रण है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राज्यों द्वारा धन के दुरुपयोग से संबंधित कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी सी) की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1989 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उपयुक्त आर्थिक परियोजनाएं शुरू करने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्तमान निगम को अप्रैल, 2001 में क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की देखभाल करने के लिए दो निगमों अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम में द्विभाजित कर दिया गया।

राष्ट्रीय निगम लक्ष्य समूहों को परोक्षरूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर आवधिक ऋण प्रदान करते हैं। लघु ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से लघु वित्त का प्रावधान भी किया गया है।

वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 (30.11.2001 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान एन एस एफ डी सी द्वारा राज्य माध्यम एजेंसियों को निर्मुक्त निधि, राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा उपयोग की गई राशि तथा राज्यवार लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2001-2002

(30.11.2001 तक की स्थिति के अनुसार) एन एस टी एफ डी सी द्वारा राज्य माध्यम एजेंसियों को निर्मुक्त निधियों, राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा उपयोग की गई राशि तथा राज्यवार लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा निधि के उपयोग को मासिक रिपोर्टों, आवधिक समीक्षा बैठकों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरों के माध्यम से मानीटर किया जाता है।

(च) और (छ) एन एस एफ डी सी द्वारा निधि के दुरुपयोग जैसे अपात्र लाभार्थी को ऋण, स्वीकृति पत्र के अंतर्गत शामिल न की गई परियोजना को निधि का विपथन, स्वीकृति पत्र में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों आदि के उल्लंघन से संबंधित पांच मामले देखे गये हैं। एन एस एफ डी सी ने संबंधित राज्य माध्यम एजेंसियों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा है।

(ज) निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:

1. निधियों के आबंटन की सूचना राज्य माध्यम एजेंसियों को वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में दी जा रही है।
2. निधि के उपयोग को मासिक आधार पर मानीटर किया जाता है।
3. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एन एस एफ डी सी योजनाओं के अंतर्गत ऋण सहित विशेष केन्द्रीय सहायता से सब्सिडी को समन्वित करते हुए विशेष परियोजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है।
4. 5.00 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति पर बल दिया जाता है।

विवरण I

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01				2001-02 (30.11.2001 के अनुसार)			
		निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	लाभग्राहियों की संख्या		निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	लाभग्राहियों की संख्या	
				अ.जा.	अ.ज.जा.			अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1746.88	734.79	1111	131	149.40	115.12	235	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.69	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	556.41	331.11	शून्य	118	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	105.30	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	चंडीगढ़	57.71	86.04	77	शून्य	28.87	61.38	62	शून्य
6.	दादरा	31.46	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	दिल्ली	33.25	शून्य	शून्य	शून्य	151.34	शून्य	शून्य	शून्य
8.	गोवा	21.62	29.34	13	शून्य	16.41	13.41	4	शून्य
9.	गुजरात	2181.70	52.49	17	शून्य	297.42	शून्य	शून्य	शून्य
10.	हरियाणा	256.17	286.35	146	शून्य	117.20	251.90	99	शून्य
11.	हिमाचल प्रदेश	343.78	83.18	20	9	209.57	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	947.95	473.31	115	27	289.04	84.01	19	4
13.	केरल	437.76	38.81	19	2	5.13	शून्य	शून्य	शून्य
14.	लक्षद्वीप	26.65	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मध्य प्रदेश	491.95	शून्य	शून्य	शून्य	440.45	7.94	2	शून्य
16.	महाराष्ट्र	352.37	90.66	29	शून्य	919.91	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मणिपुर	66.60	5.65	1	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	131.58	136.78	शून्य	34	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैण्ड	233.36	133.75	शून्य	50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	689.20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पांडिचेरी	214.23	17.24	10	शून्य	10.00	शून्य	शून्य	शून्य
22.	पंजाब	117.84	140.93	84	शून्य	10.16	73.09	43	शून्य
23.	राजस्थान	215.31	466.92	227	74	88.67	128.95	43	15
24.	सिक्किम	127.47	23.37	6	24	19.47	शून्य	शून्य	शून्य
25.	तमिलनाडु	81.63	3.37	1	शून्य	5.50	16.70	2	शून्य
26.	त्रिपुरा	198.07	शून्य	शून्य	शून्य	163.19	शून्य	शून्य	शून्य
27.	उत्तर प्रदेश	110.84	शून्य	शून्य	शून्य	728.40	141.00	47	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	968.75	374.27	8859	14	266.64	107.49	358	शून्य

विवरण II

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02 (30.11.2001 की स्थिति के अनुसार)		
		निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	39.16	*	19
2.	असम	224.33	*	96
3.	हिमाचल प्रदेश	230.06	*	48
4.	उड़ीसा	76.56	*	24
5.	सिक्किम	14.55	*	45

*निधियों के उपयोग के ब्यौरे की सूचना संबंधित राज्य माध्यम एजेन्सी द्वारा दी जायेगी।

[हिन्दी]

संवेदनशील वस्तुओं का आयात

4088. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8 नवम्बर, 2001 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में "संवेदनशील वस्तु का आयात 9 प्रतिशत बढ़ा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार, चालू वर्ष के प्रथम छह महीनों में संवेदनशील वस्तुओं का आयात 9 प्रतिशत तक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) संवेदनशील श्रेणी की वस्तुओं के आयात को शीघ्र कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) इस वर्ष मात्रात्मक प्रतिबंधों पर विचार करते समय 300 मदों को संवेदनशील मदों के रूप में अभिज्ञात किया गया था। इन मदों के आयात पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। अनंतिम अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष के पहले छः महीनों में इन मदों का 6040 करोड़ रुपये का आयात हुआ है जबकि पिछले वर्ष की संगत अवधि में 551 करोड़ रुपये का आयात हुआ था जिसमें 9% की सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित होती है। तथापि, इन संवेदनशील मदों के किये गये विस्तृत विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह वृद्धि मुख्यत: अपरिष्कृत सोयाबीन तेल के आयात में 1031 करोड़ रुपये तक और अपरिष्कृत पाम आयल के आयात में 297 करोड़ रुपये तक की बढ़ोत्तरी के कारण हुई है। पाम आयल के आयात को विनियमित करने के लिए सरकार ने सीमाशुल्क के निर्धारण हेतु टैरिफ मूल्य निर्धारित कर दिया है। जहां तक सोयाबीन तेल का संबंध है, टैरिफ वृद्धि के विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस मद पर डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित शुल्क दर केवल 45% है।

इन मदों को छोड़कर, अन्य संवेदनशील मदों के आयात से कुल मिलाकर चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान आयात के मूल्य में गिरावट का संकेत मिलता है।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों का पुनर्वास

4089. श्री भीम दाहाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरन प्रतिवर्ष नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों को कितनी धनराशि निर्गत की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में कितने नि:शक्त व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया;

(ग) क्या इन राज्यों को इस प्रयोजनार्थ दी गई धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर पी डी) के अंतर्गत निर्मुक्त राशि से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) से (घ) नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.आर.पी.डी.) एक राज्य क्षेत्र योजना है जो वर्ष 1999-2000 से कार्यान्वित है। योजना के प्रमुख उद्देश्य विकलांगता की रोकथाम तथा विभिन्न पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान जैसे शीघ्र पहचान, समय पर हस्तक्षेप, चिकित्सा सेवाएं, सहायक उपकरण, उनका रखरखाव/मरम्मत, शिक्षण सेवाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और ग्राम पंचायत, ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तर पर चार स्तरीय संरचना के माध्यम से नि:शक्त व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास हैं। नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ योजना के अंतर्गत जिलों का चयन, संभावित सहयोगी संगठनों की पहचान/चयन, ग्राम पंचायत स्तर के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्त्ताओं तथा ब्लाक स्तर के लिए बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं का चयन, पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं में उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पुनर्वास सेवाओं का वास्तविक वितरण शामिल हैं।

चूंकि नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.आर.पी.डी.) के कार्यान्वयन में अनेक कदम निहित हैं और पुनर्वास एक बहुआयामी कार्यकलाप है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत अब तक पुनर्वासित व्यक्तियों की सही संख्या का आकलन करना कठिन है। तथापि, अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों ने सेवाओं के प्रावधान तथा योजना के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई निधियों का उपयोग करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की है।

विवरण

निर्मुक्त राशि (रु लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	अरुणाचल प्रदेश	12.50	198.35	-
2.	असम	12.50	260.3	-
3.	त्रिपुरा	12.50	74.45	-
4.	नागालैंड	12.50	136.4	-
5.	मणिपुर	12.50	136.4	-
6.	मेघालय	12.50	136.4	-
7.	मिजोरम	12.50	74.45	60.35
8.	सिक्किम	12.50	74.45	60.35

वस्त्र उद्योग

4090. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मल्टी फाइबर अरेंजमेंट (एमएफए) को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह समाप्त करते हुए इस व्यवस्था का उन्मूलन करके वस्त्र उद्योग को खुली विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धा से बचाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए वस्त्र और जूट उद्योग संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट से संबंधित ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) वस्त्र क्षेत्र में विश्वव्यापी परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने और वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं, जिनमें शामिल है:

(1) परिधान और वस्त्र निर्यातकों को निरंतरता के आधार पर कोटा प्रदान करने की दृष्टि से कोटा नीतियों की पहले आओ पहले पाओ/सिले-सिलाये परिधान हकदारी प्रणालियों के अंतर्गत अधिकांश श्रेणियों के लिए व्यापक अतिरिक्त मात्राएं खोली गई हैं।

(2) पारगमन की लागत और निर्यातकों के समय को कम करने के लिए कुछ श्रेणियों के लिए ईएमडी/बीजी की राशि को कम किया गया है और कोटे को प्रयुक्त करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत ऐसी सभी श्रेणियों के लिए लाइसेंस की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। जिनके पास शेष वर्ष के लिए अधिशेष मात्राएं विद्यमान हैं।

(3) कुछ वस्त्र उत्पादों के लिए डीईपीबी की दरों को सुव्यवस्थित बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, विश्व में बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2001-02 के बजट में वस्त्र पैकेज की घोषणा की है। वस्त्र पैकेज के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध है:

1. वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क के ढांचे को सामान्यत: सुव्यवस्थित बनाया गया है ताकि विकास और अधिकतम मूल्य संवर्द्धन प्राप्त किया जा सके।

2. 159 विशिष्ट वस्त्र और परिधान मशीनों पर सीमा शुल्क 15% से घटा कर 5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शटल रहित करघों सहित मशीनों की 12 मुख्य मदों पर भी प्रतिकारी शुल्क से छूट दी गई है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50 हजार शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख

विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वस्त्र उद्योग को ब्याज में से 5% की प्रतिपूर्ति की सहायता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टीयूएफएस के अंतर्गत मशीनों के लिए मूल्यह्रास भत्ते की दर को बढ़ा कर 50% कर दिया गया है।

4. परिधानों के निर्यात के लिए अपैरल पार्कों की स्थापना करने के प्रयोजन से वर्ष 2001-02 के बजट में 10 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने की योजना के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि की भी व्यवस्था की गई है।

(ग) योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वस्त्र और पटसन उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। 10वीं योजना का उद्देश्य वस्त्र और अपैरल उद्योग को उनके कच्चे माल के सहित विश्व श्रेणी की अत्याधुनिक विनिर्माण क्षमताएं बनाने के लिए सक्षम बनाना है ताकि वस्त्रों और क्लोदिंग के विनिर्माण और निर्यात के लिए प्रमुख विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की जा सके तथा उसे बनाए रखा जा सके तथा आयात के प्रघात के भार का सामना किया जा सके और साथ ही घरेलू बाजार में प्रमुख उपस्थिति बनाई रखी जा सके।

क्रेडिट कार्ड के संबंध में चूक के मामले

4091. श्री नरेश पुगलिया:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों में क्रेडिट कार्ड से भुगतान में चूक के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड के कारोबार में चूक की घटनाओं को रोकने के लिए हाल ही में बैंकों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो बैंकों द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्रेडिट कार्ड धारकों से बकाया राशियों की वसूली के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार क्रेडिट कार्ड कारोबार के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2000 में सरकारी क्षेत्र के 14 बैंको/क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले उनके अनुषंगियों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों का विशेष अध्ययन किया था। यह पाया गया कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले सरकारी क्षेत्र के 7 बैंकों के संबंध में क्रेडिट कार्ड कारोबार में अतिदेयों में मामूली वृद्धि हुई थी जबकि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले सरकारी क्षेत्र के अन्य 7 बैंकों के संबंध में क्रेडिट कार्ड कारोबार में अतिदेयों की स्थिति में वास्तव में कमी आई है, जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है:

(करोड़ रुपये में)

क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक/अनुषंगी बैंक का नाम	क्रेडिट कार्ड कारोबार में अतिदेय	
	1998-99	1999-2000
1. इलाहाबाद बैंक	1.23	1.45
2. आंध्रा बैंक	83.26	54.70
3. बी ओ बी कार्ड (बैंक आफ बड़ौदा का अनुषंगी)	44.63	61.54
4. बैंक आफ इंडिया	23.19	21.29
5. केनरा बैंक	8.47	6.70
6. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3.18	2.41
7. देना बैंक	4.62	2.00
8. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2.26	0.42
9. पंजाब एंड सिंध बैंक	0.99	1.05
10. बैंक आफ महाराष्ट्र	0.42	0.61
11. एसबीआई कार्ड एंड पेमेन्ट्स सर्विसेज लि. (भारतीय स्टेट बैंक का अनुषंगी)	0.27	4.80
12. यूनियन बैंक आफ इंडिया	0.06	0.07
13. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	0.32	0.31
14. विजया बैंक	5.20	5.81

(ग) से (ङ) जी, हां। बैंकों से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निदेश दिये थे कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा संबंधी उपाय अपनाने चाहिए कि क्रेडिट कार्ड कारोबार सुदृढ़, विवेकपूर्ण एवं लाभप्रद हो। अत: यह अनिवार्य है कि बैंक इस कारोबार में चूक की घटनाओं को कम करने के लिए तत्काल उपाय करें और क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि की वसूली पर गहन निगरानी रखें। बैंक विशिष्ट कार्य योजनाएं बना सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अतिदेयों को एकत्र करने के लिए वसूली एजेंटों को लगा सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड कारोबार में ग्राहकों के चयन को बनाए रख सकते हैं और साथ ही इस कारोबार में चूकों से बचने के लिए विद्यमान नकारात्मक फाइल परियोजनाओं का लाभ उठा सकते हैं बैंक को कार्ड धारक के लिए क्रेडिट कार्ड के वास्ते आवेदन करते समय, यदि अभी तक नहीं किया हो तो, शुल्क/प्रभार स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए।

[हिन्दी]

गोल्फ क्लब को आय कर में छूट

4092. डा. संजय पासवान:
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 10(23) के तहत दिल्ली गोल्फ क्लब को दी गई छूट अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चंडीगढ़ गोल्फ क्लब द्वारा मांगी गई ऐसी ही छूट के लिए मुकदमा लड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो छूट देने में यह दोहरा मानदंड अपनाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या गोल्फ क्लब की आय में खान पान सेवाएं, तरणताल आदि शामिल हैं जो कर की छूट में नहीं आते;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान वर्ष 1991-92 से 1993-94 के लिए छूट प्रदान की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) दो मामलों में तथ्यों और परिस्थितियों, जो उनमें से प्रत्येक के लिए अनूठी हैं, के आधार पर निर्णय लिए गए हैं।

(घ) गोल्फ क्लबों की आय में केटरिंग सेवाओं, तरण ताल आदि से प्राप्त आय सहित अनेक मदें शामिल हैं। छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वे क्लबों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक हैं।

(ङ) और (च) गोल्फ क्लबों के कोई सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं क्योंकि उनके लिए कोई आधार नहीं था।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दी गई चीनी की कालाबाजारी

4093. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक:
श्री एन.टी. षणमुगम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देश के केवल बी.पी.एल. कार्डधारकों को चीनी वितरित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीपीएल कार्डधारियों द्वारा चीनी खरीदने की आदत न होने और उनकी इसके उपभोग की अक्षमता तथा सरकार की इस नीति के पुनरीक्षण के फलस्वरूप चीनी का वितरण केवल बीपीएल कार्डधारकों तक सीमित होने के कारण बेइमान व्यापारियों (डीलरों) को चीनी के व्यापार में कालाबाजारी करने और पैसा बनाने का मौका मिल जाता है; और

(ग) क्या सरकार चीनी की अनियंत्रित कालाबाजारी को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसका वितरण केवल बीपीएल कार्डधारियों तक सीमित करने की बजाय इसे एपीएल कार्डधारियों के बीच वितरण करने के लिए चीनी वितरण संबंधी उक्त आदेश की पुनरीक्षा करने पर विचार करेगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर 1.2.2001 से देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी के वितरण को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक के लिए सीमित कर दिया है।

(ख) यह मान लेना सही नहीं है कि गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारक चीनी की खपत के न तो आदी हैं और न ही इसे खरीद सकते हैं। जहां तक चीनी व्यापार में कालाबाजारी का संबंध है, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी का कोई भी व्यापारी ऐसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त न हो।

(ग) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी के वितरण को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

चीनी के मूल्य पर नियंत्रण

4094. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीनी के मूल्य को नियंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी पर लगी पन्द्रह प्रतिशत की लेवी बाध्यता को वापस लिये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या चीनी पर लगाई गई लेवी को वापस लिये जाने के बाद रियायती दरों पर उसे कमजोर तबके के लोगों को वितरित किये जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) सरकार फिलहाल चीनी मूल्यों और आपूर्ति पर आंशिक नियंत्रण की नीति अपना रही है। 1.2.2001 से चीनी फैक्ट्रियों पर लेवी दायित्व 15% है। फिलहाल 15% लेवी दायित्व को वापस लेने अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी की आपूर्ति को बंद करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

एनसीसीएफ द्वारा लेखन सामग्री की आपूर्ति

4095. श्री रामजी मांझी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनसीसीएफ द्वारा सरकारी विभागों को लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में 14 जुलाई, 1981 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या एनसीसीएफ ने इन अनुदेशों का पालन न करके भारी अनियमितताएं बरती हैं;

(घ) क्या इस संबंध में सुधारात्मक उपाय किये गये हैं और इसके लिए जवाबदेही तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 14.7.1981 को जारी किये गये अनुदेश दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित केन्द्र सरकार के विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और/अथवा नियंत्रित अन्य संगठनों द्वारा केन्द्रीय भण्डार से लेखन सामग्री तथा अन्य वस्तुएं खरीदे जाने के बारे में हैं, ताकि गुणवत्ता के साथ-साथ उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपायों का प्रावधान किया जा सके। आपूर्ति प्राप्त करने के लिए बाद में दो अन्य सहकारी संगठनों अर्थात सुपर बाजार, दिल्ली और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को सरकार द्वारा नामित एजेंसियों की सूची में शामिल किया गया।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वर्ष 1999 में अधिक मूल्य वसूल करने और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को घटिया वस्तुओं की आपूर्ति करने का एक मामला उनके ध्यान में आया था जिसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई थी।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने मामले में लिप्त दो कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है, तीन कर्मचारियों के विरुद्ध बड़े दण्डों की कार्यवाही और तीन अन्य कर्मचारियों को चेतावनी देने की भी कार्यवाही शुरू की गई है। मामले में आगे की कार्यवाही राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के परामर्श से की जाएगी।

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

4096. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और मंत्रालय के अधीन विभागों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार कितने पद आरक्षित थे;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार कितने पद रिक्त थे;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे पदों पर वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार शारीरिक रूप से विकलांग कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए गए; और

(घ) रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विनिवेश कंपनियों के लिए सेबी का 'ओपन ऑफर क्लॉज'

4097. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने विनिवेश कंपनियों के लिए 'ओपन ऑफर क्लॉज' के संबंध में अंतिम स्थिति तय कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छोटे निवेशकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इस तरह की खुली पेशकश का प्रस्ताव सीएमसी के अधिग्रहण के दौरान किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश के अनुसरण में शेयरधारकों से शेयरों का अर्जन करने के लिए खुली पेशकश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 17 अगस्त, 2001 और 12 सितम्बर, 2001 को सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 में संशोधन अधिसूचित किए।

विनिवेश विभाग ने पेशकश मूल्य के निर्धारण हेतु प्राचलों में आशोधन हेतु सेबी से अनुरोध किया है जो सेबी बोर्ड के जांचाधीन है।

(ग) और (घ) सीएमसी लिमिटेड के अधिग्रहण हेतु टाटा संस लिमिटेड (टीएसएल) द्वारा केन्द्रीय सरकार के साथ किए गए शेयर खरीद करार के अनुसरण में टाटा संस लिमिटेड ने 281.26 रुपये प्रति शेयर के पेशकश मूल्य पर सीएमसी लिमिटेड की 16.69 प्रतिशत (शेष) वोटिंग पूंजी के अधिग्रहण हेतु 13 अक्तूबर, 2001 को सार्वजनिक घोषणा की है। यह पेशकश 27 नवम्बर, 2001 को खुली है और 26 दिसम्बर, 2001 को बंद होगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन द्वारा संयुक्त उद्यम

4098. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारत में संयुक्त उद्यमों में बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी की उत्सुकता जाहिर की है;

(ख) क्या चीन ने यह सुनिश्चित करने के मद्देनजर स्वयं को और "आसियान" देशों को एक मुक्त बाजार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि विश्व व्यापार संगठन के नियम विकासशील देशों के विरुद्ध न हों;

(ग) क्या इस संबंध में कोई आपसी सलाह-मशविरा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) चीन ने वर्ष 2010 तक चीन-आसियान मुक्त व्यापार ब्लाक करने के बारे में कुछ आसियान राष्ट्रों के साथ विचार-विमर्श किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

4099. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गोदामों के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश को कोई वित्तीय सहायता दी गयी;

(ख) यदि हां, तो दी गयी सहायता कितनी थी;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को "गोदामों के निर्माण" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। तथापि, 16 गोदामों का निर्माण करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 9.10.2001 को 331.368 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऋण वापसी

4100. श्री महबूब जहेदी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण वापसी की प्रतिशतता वर्ष 1990-91 के 72 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 86.74 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) उधार की प्रतिशतता के रूप में वापसी-अदायगियां वर्ष 1990-91 में 72.45 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 79.23 प्रतिशत हो गई। (राष्ट्रीय लघु बचत कोष के सृजन के लिए लेखाकरण समायोजनों में किये व्यय को छोड़कर)।

(ख) और (ग) किसी भी वर्ष में ऋण की वापसी-अदायगियां पूर्व वर्षों में संविदाकृत ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा पर निर्भर करती हैं।

वस्त्र क्षेत्र पर उत्पाद शुल्क

4101. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र और जूट उद्योग संबंधी कार्यदल ने एक विशेष प्रबंध के रूप में अगले पांच वर्षों के लिए समस्त वस्त्र क्षेत्र के लिए 8 प्रतिशत शुल्क की एकसमान दर की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गत वित्तीय वर्ष के दौरान वस्त्र का कुल आयात महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है, जबकि निर्यात में उसी दर से वृद्धि नहीं हुई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए वस्त्र व पटसन उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह ने योजना आयोग के विचारार्थ भारतीय वस्त्र उद्योग के संवर्द्धन व विकास के लिए अनेक उपाय सुझाये हैं। इनमें से एक है कर तंत्र को और व्यापक बनाकर इसे वस्त्र उत्पादन अर्थात फाईबर से फैब्रिक स्तर तक के सभी चरणों से जोड़ना और उत्पाद शुल्क ढांचे में 8 प्रतिशत की एक समान दर से कमी लाना।

(ग) और (घ) जी नहीं। कुल वस्त्र निर्यातों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान मूल्य की दृष्टि से कुल वस्त्र आयात में 25.2% की गिरावट आने की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान 27.5% की वृद्धि दर्ज की।

[हिन्दी]

सर्वप्रिय योजना

4102. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वप्रिय योजना देश भर में, विशेषकर राजस्थान राज्य में, असफल साबित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को, विशेषकर राजस्थान राज्य को अब तक कितना अनुदान दिया गया है; और

(घ) इस योजना को सफल बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन.सी.सी.एफ.) के जरिये जुलाई, 2000 में सर्वप्रिय स्कीम शुरू की थी जिसमें दैनिक उपयोग की ग्यारह चुनिंदा वस्तुओं के वितरण की संकल्पना की गई है। यह वैकल्पिक एवं स्वैच्छिक स्कीम राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभागों और उनकी अपनी राज्य एजेंसियों के सहयोग से प्रचालन के लिए है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि स्कीम पर कोई उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया नहीं हुई है क्योंकि ज्यादातर राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि उनके यहां वैसी ही या लगभग उसी तरह की स्कीमें पहले से ही मौजूद हैं। अक्तूबर, 2001 तक राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ स्कीम के तहत 254 लाख रु. (लगभग) की उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति कर चुका था।

(ग) इस स्कीम के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता/अनुदान नहीं दिया जाता है।

(घ) केन्द्र सरकार स्वैच्छिक स्कीम को अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करती है।

[अनुवाद]

भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु कानून

4103. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के संबंध में विधान अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) मामला भारतीय रिजर्व बैंक में विचाराधीन है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

4104. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 20 करोड़ रुपये से कम वाले केन्द्रीय सेक्टर और केन्द्र प्रायोजित सभी योजनाओं को बंद करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की छंटनी के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी योजनाओं की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की छंटाई, आमेलन और अंतरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए योजना आयोग में शून्य आधारित बजट के लिए गठित केन्द्रीय समिति (कोर कमेटी) ने कुछ निश्चित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। यह प्रक्रिया अभी चालू है और इसके नतीजों को दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाएगा।

बैंकों की विदेशों में शाखाएं

4105. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विदेशों में बैंकिंग इकाइयां (ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट) खोलने के लिए एक बारगी लाइसेंस शुल्क लगाने का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई गई मौजूदा प्रणाली क्या है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशों में बैंकिंग इकाइयों को खोलने के लिए एक-बारगी शुल्क लगाने से मामलों को किस सीमा तक सुचारू बनाया जा सकता है;

(घ) क्या बैंक इस नई व्यवस्था से राजी हो चुके हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों को सुचारू बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किन विकल्पों को अपनाने पर विचार करता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह भारत में अपतटीय बैंकिंग एकक (ओ बी यू) स्थापित करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच कर रहा है और उसने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

राजस्थान में स्थानीय क्षेत्रीय बैंक को बंद किया जाना

4106. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकर, राजस्थान में विनायक स्थानीय क्षेत्रीय बैंक को बंद करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जनवरी 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के निरीक्षण में विनायक स्थानीय क्षेत्रीय बैंक लि., सीकर की कार्यप्रणाली में घोर अनियमितताओं का पता चला था। बैंक को जुलाई 2001 में कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि उपर्युक्त अनियमितताओं को देखते हुए क्यों न बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। बैंक ने अगस्त 2001 में कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया था जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने संतोषजनक नहीं पाया। नवम्बर 2001 में हुई मौखिक सुनवाई में बैंक द्वारा अनियमितताओं को सुधारने के लिए की गई पक्की वचनबद्धता पर बैंक को 22 सितम्बर, 2001 तक अनियमितताओं को सुधारने का अवसर दिया गया है जिसे पूरा न करने पर भारतीय रिजर्व बैंक यथोचित ऐसी कार्रवाई करेगा जिसमें लाइसेंस रद्द करना तथा बैंकिंग कंपनी का परिसमापन शामिल है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा राज्यों को ऋण

4107. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा राज्यों को ऋण स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र के लिए कितनी योजनाएं स्वीकृत की गयी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान-प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी;

(घ) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र के लिए 1067.369 लाख रुपये स्वीकृत किये गये लेकिन उक्त राशि को संवितरित नहीं किया गया;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस धनराशि को जारी करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के द्वारा नामांकित राज्य माध्यम एजेंसियों (एस सी ए) के जरिए पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना करने के लिए तकनीकी तथा उद्यमीय कौशलों के उन्नयन में सहायता करने हेतु रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एन बी सी एफ डी सी राज्य निगमों (एस सी ए) को राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर काल्पनिक आवंटन करता है जिसके प्रति एस सी ए के द्वारा वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। मंजूरियां एस सी ए के द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार और उनके पूर्व कार्य-निष्पादन तथा समावेशन क्षमता को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं।

(ख) और (ग) एन बी सी एफ डी सी ने महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामांकित एस सी ए को आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत 8.00 करोड़ रु., 12.00 करोड़ रु. तथा 16.00 करोड़ रु. के ऋण क्रमश: 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान प्रदान किए।

(घ) से (च) जी, हां। एन बी सी एफ डी सी ने महाराष्ट्र के एस सी ए को 1067.36 लाख रु. स्वीकृत किए जो पहले निर्मुक्त की गई निधियों के उपयोग न करने तथा एन बी सी एफ डी सी को पिछली बकाया देय राशि का भुगतान नहीं करने के कारण धनराशि को ले नहीं सके। इसके परिणामस्वरूप, मंजूर की गई राशि वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो गई। उक्त अपेक्षाओं के पूर्ण होने तथा महाराष्ट्र के एस सी ए से नए प्रस्ताव प्राप्त होने पर 620.57 लाख रु. तथा 473.00 लाख रु. क्रमश: 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान निर्मुक्त किए गए।

''नेपसेक पावर स्प्रेयर'' पर आयात शुल्क

4108. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोर्टेबल इंजन लगे हुए ''नेपसेक पावर स्प्रेयर'' जिसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है, पर लगने वाला आयात शुल्क अन्य सभी दक्षेस (सार्क) देशों की तुलना में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य दक्षेस (सार्क) देशो के समान आयात शुल्क को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत में नेपसेक पावर स्प्रेयर पर आयात शुल्क 25% (मूल) जमा शून्य (अतिरिक्त) जमा 4% (विशेष अतिरिक्त शुल्क) है। दूसरे सार्क देशों में नेपसेक पॉवर स्प्रेयर पर आयात शुल्क की दरों का ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) सभी संगत कारकों को ध्यान में रखने के बाद आयात शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं, और इस समय नेपसेक पॉवर स्प्रेयर पर आयात शुल्क को कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रोजमर्रा की वस्तुओं का वितरण

4109. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उचित दर दुकानों के माध्यम से दैनिक उपयोग वाली 11 वस्तुओं का नियमित रूप से वितरण करने हेतु हाल ही में एक योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी वस्तुएं वितरित की जा रही हैं;

(ग) क्या इन वस्तुओं का वितरण गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों में किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और खर्च की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) भारत सरकार ने दैनिक उपयोग की ग्यारह चुनिंदा वस्तुओं अर्थात् अरहर दाल, चना दाल, मल्का दाल, साबुत उड़द, नमक, चाय, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, अभ्यास पुस्तिकाएं, खाद्य तेल और टूथ पेस्ट के वितरण के लिए जुलाई, 2000 में एक स्कीम शुरू की है। तथापि, राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं/रुचियों के अनुसार मदों का चयन कर सकती हैं। स्कीम के अनुसार इन वस्तुओं को गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के स्तर पर विचार किये बिना उपयुक्त उपभोक्ता पैकों में मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता सहकारिताओं और राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों या अन्य एजेंसियों जैसा भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा फैसला किया जाए, के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ लिमिटेड जो कि देश में उपभोक्ता सहकारिताओं का शीर्ष निकाय है, को इस स्कीम को लागू करने के लिए नॉडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

(ङ) इस स्कीम के लिए सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता/अनुदान नहीं दिया जाता है।

कुक्कुट उत्पादों के लिए विकास योजनाएं

4110. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) के माध्यम से कुक्कुट उत्पादों के लिए कोई विकास योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुक्कुट उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वृहत प्रचार-प्रसार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) एपीडा कुक्कुट उत्पादों सहित एपीडा में सूचीबद्ध विभिन्न उत्पादों के निर्यात विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। ये योजनाएं विविध प्रकार की हैं जैसे कि संभाव्यता अध्ययन/सर्वेक्षण/परामर्शी व डाटाबेश उन्नयन, अवस्थापना विकास, निर्यात संवर्द्धन व विपणन विकास, पैकेजिंग विकास, गुणवत्ता संवर्द्धन व गुणवत्ता नियंत्रण, हवाई भाड़ा इमदाद, संगठन निर्माण त्र एच आर डी, व्यापार व उद्योग के आम हित के लिए अनुसंधान संस्थान के जरिए संबद्ध अनुसंधान करना जो कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित समूचे भारत के विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों में स्थित एककों को केन्द्र सरकार की एक योजना स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि सुनिश्चित गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों के साथ घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए प्रसंस्कृत कुक्कुट व अंडा उत्पादों को विकसित किया जा सके। यह सहायता प्रसंस्करण एककों में आवश्यक प्रौद्योगिकीय सुधार करने के लिए है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार अंडों के शीत भंडारण, धुलाई, ग्रेडिंग व पैकेजिंग के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के प्रयोजन से एपीडा से सहायता के लिए एक परियोजना बना रही है और रंगारेड्डी जिला (आंध्र प्रदेश) के सरूर नगर में तीन एकड़ जमीन आबंटित की है।

(घ) और (ङ) कुक्कुट उत्पादों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सभी क्षेत्रों के एककों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के बारे में व्यापक प्रचार के लिए कदम उठाए गए हैं।

अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शेरसाबादी को शामिल किया जाना

4111. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को बंगाल के मुस्लिम समुदाय की शेरसाबादी और न्यास शेरबादी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किये जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र विनिर्माण करने वाली मशीनों का आयात

4112. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खराब गुणवत्ता वाले वस्त्रों का विनिर्माण करने वाली मशीनों का चीन और ताइवान से आयात किये जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने खराब गुणवत्ता वाली मशीनों के आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) इस संबंध में इस मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंक ऋण

4113. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्रों को ऋण प्रदान करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान उक्त प्रत्येक क्षेत्र द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई और इनमें से प्रत्येक क्षेत्र को कितना ऋण प्रदान किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की क्षेत्रवार ऋण सीमा और बकाया राशि नीचे दी गई है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	कृषि		उद्योग		व्यावसायिक एवं अन्य	
	ऋण सीमा	बकाया राशि	ऋण सीमा	बकाया राशि	ऋण सीमा	बकाया राशि
1998	32693.55	28408.40	155765.21	124992.47	9018.27	7716.87
1999	38701.39	33121.28	181676.34	145187.70	10054.86	8303.73
2000	43135.09	36670.43	202117.07	161738.83	12041.39	9691.28

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड का आधुनिकीकरण

4114. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेल्लूर केरल में हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एच.एन.एल.) का आधुनिकीकरण और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड को इकाई-वार कितना लाभ/घाटा हुआ;

(घ) क्या हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड का रक्षित वृक्षारोपण के लिए राज्य सरकार के साथ कोई समझौता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल), वेल्लूर, केरल की आधुनिकीकरण की योजनाओं के प्रमुख प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(1) 52.20 करोड़ रुपये की लागत पर एक 100 टीपीडी डीलिंकिंग प्लांट की स्थापना करना।

(2) 10 करोड़ रुपये की लागत से पेपर मशीन और पल्प मिल के लिए डिजीटल कन्ट्रोल सिस्टम (डीसीएस)।

(3) 6.00 करोड़ रुपये की लागत से पेपर मशीन के लिए नया क्वालिटी कन्ट्रोल (क्यूसीएस)।

(ग) विगत 3 वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड का लाभ/हानि निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001
कर पूर्व लाभ	24.62	7.21	30.35
कर पश्चात लाभ	21.08	3.17	16.20

(घ) और (ङ) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, केरल सरकार द्वारा लीज पर दिए गए 5600 हेक्टेयर वन भूमि पर कैप्टिव प्लांटेशन विकसित कर रहा है। वन भूमि का लीज वर्ष 1993-94 से 2005-2006 तक 12 वर्षों के लिए है। वार्षिक लीज किराये की दर 1300 रुपये प्रति हैक्टेयर है। लीज को पार्टियों की इच्छानुसार नवीकृत किया जा सकता है।

पेंशन खाते के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान

4115. **श्री सुरेश कुरूप:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन के भुगतान में अनियमितताओं के परिणामस्वरूप फरवरी, 2000 तक 27.65 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) स्वीकार्य अवधि से परे उच्चतर दरों पर पारिवारिक पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख से बैंक को सूचित करने की तारीख तक अस्वीकार्य मासिक पेंशन का भुगतान, बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पेंशन का अनुचित समेकन, अस्वीकार्य पेंशन का भुगतान तथा महंगाई भत्ते/अंतरिम राहत और संराशीकरण/डी.सी.आर.जी. के अधिक भुगतान के कारण अतिरिक्त भुगतान हुआ है।

(ग) जैसे ही अधिक भुगतान के मामले का पता लग जाता है, संबंधित अदाकर्ता शाखाओं को निदेश दिया जाता है कि वे पेंशनर के खाते में वसूल करें।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

4116. श्री रामपाल सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकार की गारन्टी के बिना निजी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी परियोजनाओं को कितना ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता विस्तृत मूल्यांकन के बाद योग्यता के आधार पर दी जाती है। वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता उधारकर्ता की चल तथा अचल सम्पत्तियों यथा भूमि एवं भवन, संयंत्र एवं मशीनरी आदि के प्रथम प्रभार पर प्राप्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रवर्तकों की निजी गारंटी के रूप में समर्थक प्रतिभूति, समूह कंपनियों, अगर कोई हो, की गारन्टियां, शेयरों को गिरवी रखना आदि भी प्राप्त किया जाता है। किसी विशेष परियोजना को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की सीमा परियोजना की लागत तथा वित्तपोषण के साधनों, जो विस्तृत मूल्यांकन तथा संघीय वित्तपोषण के मामले में संस्थाओं के बीच सहमत हिस्सेदारी के बाद तथा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, उनके समूहों एवं उद्योगों में निवेश के विवेकपूर्ण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तय किये जाते हैं, पर निर्भर करती है।

चीनी मिलों की पेराई क्षमता

4117. श्रीमती शीला गौतम:
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय चीनी मिलों की पेराई क्षमता क्या है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में गन्ने की पेराई की गयी;

(ग) क्या चीनी मिलें वर्ष 2001-02 के पेराई मौसम के दौरान गन्ने के संपूर्ण उत्पादन की पेराई करने में सक्षम है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा चीनी मिलों की पेराई क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) चालू मौसम के दौरान गन्ने का अनुमानित उत्पादन क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीविनास प्रसाद): (क) देश में चीनी मिलों की संस्थापित दैनिक गन्ना पेराई क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान पेरे गए गन्ने की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II पर है।

(ग) से (ङ) वर्तमान मौसम, 2001-2002 के दौरान 2799.6 लाख टन गन्ने का उत्पादन होने का अनुमान है। 2000-2001 मौसम के दौरान चीनी मिलों द्वारा औसतन 60% गन्ने का उपयोग किया गया था। अत: चीनी मिलों द्वारा 1679.6 लाख टन गन्ने का उपयोग किये जाने की संभावना है जबकि 2000-2001 मौसम के दौरान 1756.90 लाख टन गन्ने की पेराई की गई थी। अत: चीनी मिलों के लिए गन्ने की संभावित कुल उपलब्धता 2000-2001 मौसम के दौरान चीनी मिलों द्वारा पेरे गए गन्ने की समूची मात्रा

से कम होगी। अत: उपलब्ध गन्ने की पेराई करने के लिए चीनी मिलों के पास पर्याप्त क्षमता है।

विवरण I

देश में चीनी मिलों की संस्थापित दैनिक गन्ना पेराई क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

दैनिक गन्ना पेराई क्षमता (टन)

(31.10.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	2	3
1.	पंजाब	49014
2.	हरियाणा	32548
3.	राजस्थान	3742
4.	उत्तर प्रदेश	354029
5.	मध्य प्रदेश	17321
6.	गुजरात	62835
7.	महाराष्ट्र	322198
8.	बिहार	50147
9.	असम	3309
10.	उड़ीसा	12919
11.	पश्चिम बंगाल	1801
12.	नागालैंड	1000
13.	आंध्र प्रदेश	90163
14.	कर्नाटक	84153
15.	तमिलनाडु	94460
16.	पांडिचेरी	2751
17.	केरल	1488
18.	गोवा	1257
	कुल जोड़	1185735

विवरण II

चीनी मौसम 2000-2001 के दौरान पेरे गए गन्ने की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य	पेरा गया गन्ना (लाख टन)
1.	पंजाब	49.60
2.	हरियाणा	59.76
3.	राजस्थान	0.66
4.	उत्तर प्रदेश	492.65
5.	मध्य प्रदेश	10.03
6.	गुजरात	102.94
7.	महाराष्ट्र	570.26
8.	बिहार	32.07
9.	असम	0.35
10.	उड़ीसा	3.55
11.	पश्चिम बंगाल	0.94
12.	नागालैंड	–
13.	आंध्र प्रदेश	99.75
14.	कर्नाटक	141.79
15.	तमिलनाडु	185.41
16.	पांडिचेरी	4.65
17.	केरल	0.84
18.	गोवा	1.65
	अखिल भारत	1756.90

[अनुवाद]

चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

4118. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1999 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों के सम्मेलन में केन्द्र सरकार/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शीर्षस्थ पदों पर नियुक्ति की सिफारिश करने वाली सभी चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के एक-एक सदस्य को शामिल किये जाने की मांग की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त चयन बोर्डों/समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को शामिल करने के लिए इन चयन बोर्डों/समितियों की संरचना से संबंधित मौजूदा अनुदेशों प्रणालियों में क्या संरचनात्मक/सांविधिक परिवर्तन किए गए हैं;

(ग) उनके मंत्रालय के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान उक्त पदों पर वर्ष-वार कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई; और

(घ) इन नियुक्त किए गए व्यक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति हैं और उनका प्रतिशत क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रेशम का उत्पादन और निर्यात

4119. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री अम्बरीश:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में रेशम का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने रेशम के निर्यात से संबंधित कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय रेशम उत्पादकों के समक्ष अपने उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने में समस्याएं आ रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) विगत तीन वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान देश में अपरिष्कृत रेशम का राज्यवार कुल उत्पादन विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (च) भारतीय रेशम उत्पादों का निर्यात जिसमें मुख्यत: प्राकृतिक रेशम धागा, फैब्रिक्स, मेडअप्स, सिले सिलाये परिधान, रेशम कालीन और रेशम अपशिष्ट (भारतीय रेशम निर्यात) शामिल है, विगत तीन वर्षों के दौरान 1998-1999 में 1250.55 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000-2001 में 2421.32 करोड़ रुपया हो गया है। हालांकि चालू वर्ष में, रेशम सामानों के निर्यात में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में मुख्यत: वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण गिरावट की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है।

सरकार रेशम उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है:

(1) सरकार भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुंबई को विभिन्न निर्यात संवर्द्धन कार्यकलापों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, टेक्सटाइल्स इंडिया जैसे घरेलू मेलों में प्रजातिगत संवर्द्धन स्टॉलों को लगाना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में प्रचार, सिल्क इंडिया पत्रिका का प्रकाशन तथा घरेलू रेशम विनिर्माताओं के लिए रंग पूर्वानुमान कार्ड, निर्यातकों में विदेश व्यापार सूचना का प्रचार आदि शुरू करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(2) सरकार ने निर्यातकों को दी गई आयात निर्यात नीति के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मूल्यवर्द्धन/इनपुट आऊटपुट मानदंडों, अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत कच्चे माल की शुल्क मुक्त आयात की सुविधा निर्यात उत्पादों के लिए शुल्क की रियाअती दर पर पूंजीगत सामानों के आयात को तर्कसंगत बनाया है।

(3) उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए, वस्त्र क्षेत्र हेतु प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत देय दर से 5 प्रतिशत सीमा कम पर ऋण रेशम क्षेत्र को अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध है।

(4) सरकार ने भारतीय रेशम की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा इसकी उत्पादकता और लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उच्च कोटि के द्विफसलीय रेशम का उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है।

(5) अपरिष्कृत रेशम के आयात को ओजीएल के अंतर्गत लाकर उदार बनाया गया है जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली रेशम की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

विवरण

शहतूती और गैर-शहतूती अपरिष्कृत रेशम का राज्य-वार उत्पादन

(इकाई टन में)

क्र.सं.	राज्य	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		शहतूती	गैर-शहतूती	कुल	शहतूती	गैर-शहतूती	कुल	शहतूती	गैर-शहतूती	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3335.00	1.00	3336.00	3757.00	1.00	3758.00	4183.00	2.00	4185.00
2.	जम्मू एवं कश्मीर	86.00	–	86.00	85.00	–	85.00	98.00	–	98.00
3.	कर्नाटक	8944.00	–	8944.00	8121.00	–	8121.00	8200.00	–	8200.00
4.	तमिलनाडु	616.00	–	616.00	672.00	–	672.00	711.00	–	711.00
5.	पश्चिम बंगाल	1118.00	22.13	1140.13	1152.00	23.13	1175.13	1050.00	21.11	1071.11
6.	असम	16.00	563.00	579.00	19.20	549.00	568.20	17.00	527.00	544.00
	अरुणाचल प्रदेश	2.00	12.17	14.17	0.27	5.00	5.27	1.00	10.13	11.13
	बिहार	7.00	142.00	149.00	4.50	115.00	119.50	3.00	27.00	30.00
	छत्तीसगढ़	–	–	0.00	–	–	0.00	2.00	73.00	75.00
	गुजरात	नगण्य	–	–	नगण्य	–	–	–	–	0.00
	हिमाचल प्रदेश	14.00	–	14.00	10.90	–	10.90	13.00	–	13.00
	हरियाणा	नगण्य	–	–	–	–	0.00	–	–	0.00
	झारखण्ड	–	–	0.00	–	–	0.00	1.00	96.00	97.00
14.	केरल	2.00	–	2.00	2.48	–	2.48	4.00	–	4.00
15.	मध्य प्रदेश	7.00	68.00	75.00	7.10	79.00	86.10	3.00	2.00	5.00
16.	महाराष्ट्र	19.00	0.20	19.20	26.20	1.00	27.20	35.00	3.00	38.00
17.	मणिपुर	49.00	178.70	227.70	57.00	180.00	237.00	57.00	363.11	420.11
18.	मिजोरम	1.00	नगण्य	–	2.00	नगण्य	नगण्य	4.00	4.00	8.00
19.	मेघालय	1.00	235.76	236.76	1.00	267.40	268.40	3.00	245.00	248.00
20.	नागालैण्ड	0.32	25.10	25.42	0.25	28.10	28.35	नगण्य	29.07	29.07
21.	उड़ीसा	5.00	33.50	38.50	5.00	18.00	23.00	5.00	20.00	25.00
22.	पंजाब	2.60	–	2.60	0.18	–	0.18	नगण्य	–	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	राजस्थान	0.38	–	0.38	0.30	–	–	नगण्य	–	0.00
24.	सिक्किम	–	–	0.00	–	–	0.30	–	–	0.00
25.	त्रिपुरा	3.70	–	3.70	4.00	–	4.00	4.00	–	4.00
26.	उत्तरांचल	–	–	0.00	–	–	0.00	15.00	–	15.00
27.	उत्तर प्रदेश	31.00	2.70	33.70	17.00	2.00	19.00	23.00	2.00	25.00
	कुल	14260.00	1284.26	15544.26	13944.38	1268.63	15211.01	14432.00	1424.42	15856.42

[हिन्दी]

मंत्री द्वारा विदेशी दौरे

4120. श्री उत्तमराव पाटील: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा किन-किन देशों के दौरे किये गये और इन दौरों के दौरान किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ख) इन समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विदेशी दौरों पर कितना व्यय किया गया और इन दौरों से देश को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों (1999-2000 और 2000-2001) के दौरान मंत्री द्वारा दौरा किये गये देशों और जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए/बैठकों में भाग लिया गया, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	दौरे की अवधि	जिन देशों का दौरा किया गया	ब्यौरे सहित हस्ताक्षर किए गए करार/जिन बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
1.	24.10.99 से 26.10.99	स्विटजरलैंड	स्विटजरलैंड की सरकार के निमंत्रण पर मंत्री ने सीएटल मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन की तैयारी के रूप में लुसाने, स्विटजरलैंड में ''फ्रैण्ड्स ऑफ द न्यु राउंड'' की अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।
2.	27.11.99 से 4.12.99	यू एस ए	मंत्री ने सीएटल, यूएसए में विश्व व्यापार संगठन के तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। सीएटल सम्मेलन अनिर्णायक रहा।
3.	12.2.2000 से 24.2.2000	चीन जन. गण, हांगकांग और थाइलैंड	मंत्री ने भारत-चीन संयुक्त आर्थिक दल (जे ई जी) के छठे सत्र में भाग लेने के लिए बीजिंग, चीन जन. गण. का दौरा किया जो लगभग 6 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हुआ था। चीन की सरकार द्वारा मेजबानी किये गये इस सत्र को भारत-चीन व्यापार संबंधों की पचासवीं वर्षगांठ के रूप में भी आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कृषि, इस्पात आदि जैसे अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे। जे ई जी के साथ-साथ संयुक्त व्यापार समिति की बैठक भी हुई थी और मंत्री के साथ फिक्की, सी आई आई, फिओ और एसोचेम के प्रतिनिधियों का एक व्यापार शिष्टमंडल भी गया था। दौरे के दौरान डब्ल्यू टी ओ में चीन के शामिल

1	2	3	4
			होने से संबंधित द्विपक्षीय करार के अलावा भारत-चीन संयुक्त आर्थिक दल की बैठक के सम्मत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रतिनिधिमंडल ने चीन में विशेष आर्थिक जोनों का दौरा किया और उनका अध्ययन भी किया। वापसी यात्रा के दौरान ममंत्री ने अंकटाड X सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैंकाक का दौरा किया। हांगकांग में उन्होंने ''इंडिया इन-टू न्यू मिलेनियम'' नामक आई टी पी ओ की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसके साथ-साथ भारत के गणतंत्र दिवस की पचासवीं वर्षगांठ और भारत तथा चीन जनवादी गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की पचासवीं वर्षगांठ भी मनायी गयी। इन दौरों से इन देशों के साथ व्यापार के संवर्धन में मदद मिली।
4.	8-15.4.2000	आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड	मंत्री द्वारा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा, जिसकी मेजबानी संबंधित सरकारों द्वारा की गयी थी, भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (जे एम सी) के सातवें सत्र और भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जे टी सी) की सातवीं बैठक के सिलसिले में किया गया था। सरकारी बैठकों के साथ-साथ दोनों संयुक्त व्यापार परिषदों की बैठकें भी हुई थी।
5.	18-26.5.2000	यू.के. और फ्रांस	मंत्री ने निम्नलिखित का दौरा किया: - निवेश संवर्द्धन बैठक में फिक्की के व्यापार शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए लंदन का दौरा किया और उन्होंने पड़ौसी देशों के भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग लिया। - भारत-फ्रांस संयुक्त समिति के दसवें सत्र में भाग लेने और निवेश संवर्धन बैठक में फिक्की के व्यापार शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए पेरिस का दौरा किया; और - निवेश संवर्धन बैठक में व्यापार शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए लियॉन्स का दौरा किया। मंत्री ने भारत-फ्रांस संयुक्त समिति के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की गयी।
6.	13-20.6.2000	संयुक्त अरब अमीरात और अरब, मिश्र गणराज्य	काहिरा, अरब मिस्र गणराज्य जाते समय मंत्री ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में खाड़ी क्षेत्र के भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग लिया। इसकी परिणति वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की कार्यकुशलता में सुधार के रूप में हुई। काहिरा में मंत्री ने जी-15 शिखर सम्मेलन और व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया जिसकी मेजबानी मिस्र सरकार द्वारा की गयी थी। व्यापार से जुड़ी भारत की चिंताओं पर कारगर ढंग से विचार-विमर्श किया गया और संयुक्त विज्ञप्ति में इन्हें उजागर किया गया।
7.	25-30.6.2000	पुर्तगाल	मंत्री ने भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के सिलसिले में लिस्बन, पुर्तगाल में माननीय प्रधान मंत्री से मुलाकात की।

उपरोक्त कार्यों के अलावा मंत्री ने अपने समकक्षों और अन्य के साथ द्विपक्षीय बैठकें की जिनसे भारत और दौरा किये गये देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी बढ़े।

(ग) मंत्री द्वारा किए गए उपरोक्त दौरों के दौरान हवाई भाड़े, दैनिक भत्ते और आतिथेयों के लिए उपहारों पर 12,58,085 रुपये खर्च हुए हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

4121. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी समूह-क सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% (अनुसूचित जातियां-08.41% और अनुसूचित जनजातियां-2.27%) था और द्वितीय श्रेणी समूह-ख सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% (अनुसूचित जातियां-09.68% और अनुसूचित जनजातियां-3.52%) था जबकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5%, अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अंतर्गत (1) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों (2) सांविधिक संगठनों/निगमों, (3) स्वायत्त संगठनों, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तहत (क) प्रथम श्रेणी समूह-क और (ख) द्वितीय श्रेणी समूह-ख और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अभिनिश्चित अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर (एक) सामान्य, (दो) अनुसूचित जातियों तथा (तीन) अनुसूचित जनजातियों और (चार) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कोल्लम, केरल को बी-2 श्रेणी के नगर के रूप में घोषित किया जाना

4122. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कोल्लम (यू.ए.) (केरल) की वर्तमान जनसंख्या इस नगर को बी-2 श्रेणी के नगर में परिवर्तित करने को उचित ठहराती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कोल्लम को बी-2 श्रेणी का नगर घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक द्वारा सन् 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। भारत के महापंजीयक द्वारा सन् 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़े उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही कोल्लम समेत सभी शहरों के पुनर्वर्गीकरण पर विचार किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं

4123. श्री मंजय लाल:
श्री रघुनाथ झा:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री राधामोहन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की दो तिमाही शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कई ग्रामीण अव्यवहार्य शाखाओं को व्यय को कम करने के उद्देश्य से बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बैंकवार कितनी शाखाएं बंद की गयी;

(ङ) ऐसे जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाएं नहीं है;

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के बैंकवार कितने प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास लंबित है;

(छ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई विशेष प्रोत्साहन प्रदान करता है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार बैंक-वार कुल संख्या और साथ ही ग्रामीण शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। इन बैंकों की कुल 46078 शाखाओं में से 19347 शाखाएं (लगभग 42 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा नीति के अनुसार, ग्रामीण केन्द्रों में घाटा उठाने वाली शाखाओं को बंद करने के संबंध में हालांकि एकल वाणिज्यिक बैंक शाखा वाली शाखा को बंद करने की अनुमति नहीं है, परन्तु जिन केन्द्रों में दो वाणिज्यिक बैंक शाखाएं हैं वहां एक शाखा को बंद करने का निर्णय संबंधित बैंक द्वारा राज्य सरकार और जिला परामर्शदात्री समिति को शामिल किए बिना परस्पर विचार-विमर्श से लिया जा सकता है। हाल ही में, पुनर्निर्माण योजना के तहत, इंडियन बैंक, यूको बैंक और युनाइटेड बैंक आफ इंडिया नामक तीन कमजोर बैंकों को भी अपनी घाटा उठाने वाली कुछ ग्रामीण शाखाओं का बंद करने की अनुमति दे दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बंद/विलियन/परिवर्तित शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ङ) 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार, ऐसे जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची जहां कोई शाखा नहीं है नीचे दी गई है:

	राज्य का नाम	जिले का नाम
1.	अरुणाचल प्रदेश	ऊपर सुवन्सरी
2.	मणिपुर	ठौवाल
3.	दमन एवं दीव	दमन

(च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएं खोलने के लिए बैंक-वार/राज्य-वार प्राप्त ऐसे प्रस्ताव, जो बैंकों से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने के कारण लंबित हैं, निम्नलिखित हैं:

बैंक का नाम	केन्द्र	जिला	राज्य
पंजाब नेशनल बैंक	पीलइयरपती	शिवगंगा	तमिलनाडु
बैंक आफ इंडिया	भरीव नगर संदी	हजारीबाग	बिहार
बैंक आफ इंडिया	बरही	हजारीबाग	बिहार
पंजाब नेशनल बैंक	मदरपुर	उधमसिंहनगर	उत्तर प्रदेश
स्टेट बैंक आफ पटियाला	करसोंग	मण्डी	हिमाचल प्रदेश
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	केरा	कच्छ	गुजरात
स्टेट बैंक आफ इंदौर	खेल	खरगोन	मध्य प्रदेश
स्टेट बैंक आफ इंदौर	सुखराम	मंदसौर	मध्य प्रदेश

(छ) से (झ) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, बैंक अपनी पसन्द के केन्द्रों में शाखाएं खोल सकते हैं और ये प्रस्तावित केन्द्र में अर्थक्षमता/लाभप्रदता, सुरक्षा एवं आधारभूत सुविधा की उपलब्धता जैसे कारकों को ध्यान में रखकर ऐसा कर सकते हैं।

विवरण I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की (30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार) बैंक-वार संख्या

बैंक	कुल	इनमें से ग्रामीण बैंक
1	2	3
इलाहाबाद बैंक	1885	973
आंध्रा बैंक	1015	386
बैंक आफ बड़ौदा	2614	1157
बैंक आफ इंडिया	2516	1255
बैंक आफ महाराष्ट्र	1210	546
केनरा बैंक	2412	762
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3099	1417
कारपोरेशन बैंक	645	175
देना बैंक	1100	430
इंडियन बैंक	1422	512
इंडियन ओवरसीज बैंक	1451	554
ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	951	235
पंजाब एंड सिंध बैंक	744	293
पंजाब नेशनल बैंक	3841	1931
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	795	312
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	869	290
भारतीय स्टेट बैंक	8960	4109
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	406	132
स्टेट बैंक आफ मैसूर	598	213
स्टेट बैंक आफ पटियाला	714	272
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	406	138
स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	667	49
सिण्डीकेट बैंक	1751	652
यूको बैंक	1742	811
यूनियन बैंक आफ इंडिया	2106	827
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1313	659
विजया बैंक	838	257
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक	46078	19347

विवरण II

पिछले तीन वर्षों (1.7.1998 से 30.6.2001) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बन्द/विलयिन/परिवर्तित शाखाओं की बैंक-वार संख्या

निम्नलिखित वर्षों के दौरान बन्द/विलियन/परिवर्तित शाखाओं की संख्या

बैंक	1998-99		1999-2000		2000-2001		1998-2001	
	कुल	इनमें से ग्रामीण	कुल	इनमें से ग्रामीण	कुल	इनमें से ग्रामीण	कुल	इनमें से ग्रामीण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इलाहाबाद बैंक	–	–	1	–	–	–	1	–
आंध्रा बैंक	1	–	–	–	–	–	1	–
बैंक आफ बड़ौदा	1	1	–	–	–	–	1	1
बैंक आफ इंडिया	–	–	2	2	1	–	3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बैंक आफ महाराष्ट्र	–	–	1	–	–	–	1	–
केनरा बैंक	–	–	3	–	1	–	4	–
देना बैंक	–	–	1	–	11	1	12	1
इंडियन बैंक	3	3	2	–	63	23	68	26
इंडियन ओवरसीज बैंक	2	–	–	–	2	1	4	1
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1	1	–	–	–	–	1	1
पंजाब नेशनल बैंक	1	1	1	–	18	1	20	2
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1	–	–	–	1	1	2	1
भारतीय स्टेट बैंक	6	6	6	5	2	2	14	13
सिण्डीकेट बैंक	–	–	1	1	2	1	3	2
यूको बैंक	14	13	21	19	9	2	44	34
यूनियन बैंक आफ इंडिया	3	2	3	3	39	13	45	18
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	–	–	8	5	12	7	20	12
विजया बैंक	4	–	1	–	1	–	6	–
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक	37	27	51	35	162	52	250	114

शहरी सहकारी बैंक

4124. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के प्रबंधन ढांचे के लिए स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करके, उन पर से दोहरा नियंत्रण हटाकर तथा विभिन्न प्रकार की निधियों तक उनकी पहुंच तथा शीघ्र नष्ट होने वाली परिसम्पत्तियों पर ऋण देने के मामले में और अधिक विवेकशील दृष्टिकोण लागू करने के लिए उनके नियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस कार्य को कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के पूर्व उप गवर्नर श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में सहकारी बैंकों संबंधी कृतिक बल शहरी सहकारी बैंकों से संबधित उच्चशक्ति प्राप्त समिति (माधवराव समिति) सहित विभिन्न विशेषज्ञ निकायों ने दोहरे नियंत्रण को हटाने तथा सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

निवेश पर लाभांश

4125. श्री अरुण कुमार:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों आदि में किये गये अपने निवेश पर मात्र तीन प्रतिशत लाभांश प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार सरकार ने उक्त कंपनियों/संस्थाओं में कितना निवेश किया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इन निवेशों पर कुल कितना लाभांश प्राप्त हुआ;

(घ) लाभांश का भुगतान न करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने घाटे में चल रही कंपनियों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय किये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों आदि में 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार सरकारी निवेश लगभग 94904 करोड़ रुपये का था। ऐसे निवेश पर सरकार द्वारा अर्जित लाभांश लगभग 5.3 प्रतिशत था।

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्राप्त लाभांश निम्नानुसार है:

1997-98	2655 करोड़ रुपये
1998-99	3405 करोड़ रुपए
1999-2000	5052 करोड़ रुपए

(घ) मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक (वाणिज्यिक-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) की रिपोर्ट के अनुसार, 180 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने वर्ष 1999-2000 में लाभांश घोषित नहीं किया।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के बारे में सरकार की सामान्य नीति संभावनापूर्ण व्यवहार्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्संरचित और पुनर्जीवित करना तथा पुनर्जीवित न किया जा सकने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करना है। ऐसा करते समय, सरकार का प्रयास कामगारों के हित की पूर्ण सुरक्षा करने का है।

व्यय सुधार आयोग का प्रतिवेदन

4126. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री बी. वेंकटेस्वरलु:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री जे.एस. बराड़:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री राजनारायण पासी:
श्री मंजय लाल:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री अरुण कुमार:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:
श्री एन.टी. षणमुगम:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री सुबोध मोहिते:
श्री ताराचन्द भगोरा:
डा. चरणदास महंत:
श्री भेरूलाल मीणा:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री रामेश्वर डूडी:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री अशोक अर्गल:
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री अजय सिंह चौटाला:
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितनी सिफारिशों को लागू किया गया है;

(घ) सभी सिफारिशों को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या व्यय-सुधार आयोग के 10वें प्रतिवेदन में यथानुशंसित, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु-सीमा घटाने का सरकार का प्रस्ताव है और 10वें प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (छ) व्यय सुधार आयोग ने अभी अपनी अंतिम दसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कुछ मंत्रालय/विभागों में सेवानिवृत्ति की आयु कम करने के साथ-साथ सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़े अन्य समान मुद्दे सहित कुछ विशेष सिफारिशों को शामिल किया गया है। इन सिफारिशों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में रखा जाना

4127. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री शिवाजी माने:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
डा. सी. कृष्णन:
श्री वैको:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बहुत से गैर-सरकारी संगठन उनके लिए निर्धारित मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में कतिपय गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाल दिया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे गैर सरकारी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में सरकार ने गैर-सरकारी संगठन-वार कोई मामला दर्ज किया है अथवा कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की और सख्ती से निगरानी करने का विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (च) सरकार के ध्यान में ऐसे दृष्टांत आए हैं जहां निरीक्षण या अन्य स्रोतों से सूचना के फलस्वरूप अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन विद्यमान नहीं पाया जाता है या अनुदान का दुरुपयोग करता है या इसके द्वारा दी गई सेवाओं की गुणवत्ता निर्मुक्त निधियों के अनुरूप नहीं है। ऐसे मामलों में गैर-सरकारी संगठन को सहायता अनुदान की आगे निर्मुक्ति रोक दी जाती है। संगठन के प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है तो उस संगठन को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाती है और संबंधित राज्य सरकार/जिला कलक्टर से सरकारी सहायता से सृजित परिसंपत्तियों को जब्त करने, उसका निपटान करने और इस प्रकार से एकत्रित की गई राशि को सरकार के पास जमा करने और शेष बकाया राशि को भूमि के लागान के रूप में वसूलने के लिए कहा जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियों तथा कारणों के साथ उन गैर-सरकारी संगठन की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिनका सहायता अनुदान रोक दिया गया है/जिन्हें काली सूची में डाल दिया गया है।

(छ) और (ज) जी हां। इस मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के कार्यकरण को समय-समय पर मॉनीटर तथा उसका मूल्यांकन किया जाता है। इन संगठनों का निरीक्षण राज्य सरकारों तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है और जहां यह पाया जाता है कि दी गई सेवाएं मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों के अनुरूप नहीं हैं तो गैर सरकारी संगठन को अपने कार्यकरण में सुधार लाने के लिए

चेतावनी दी जाती है। गैर सरकारी संगठन द्वारा सुधार न लाने या निधियों के गबन को न चुकाने के मामलों में सहायता अनुदान की आगे निर्मुक्ती रोक दी जाती है और निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद गैर सरकारी संगठन को काली सूची में डाल दिया जाता है तथा दुरुपयोग किए गए अनुदान की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों और कारणों के साथ उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम जिनकी सहायता अनुदान रोक ली गई है/काली सूची में डाले गए हैं

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	निर्मुक्त सहायता अनुदान			काली सूची में डालने के कारण
		1998-99	1999-2000	2000-01	
1	2	3	4	5	6
1.	युवजन विकलांग गुला समकेषमा संगम, मुम्बारा, पलेम जिला, गुंटूर, आ.प्र.	0	0.22	0	इस संस्थान को वर्ष 1999-2000 के दौरान 351 रु. की राशि स्वीकृत की की गई थी जिसकी तुलना में 1320 रु. के ब्याज सहित 23671 रु. की राशि वसूल की गई है।
2.	जिला विकलांग गुला संगम, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश	2.16	15.66	0	इस संगठन ने काली सूची में डाले जाने के विरुद्ध आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका सं. 9578/2001 दायर की है। इसलिए न्यायालय के निर्णय के बाद ही वसूली का प्रयास किया जाएगा।
3.	नवोदय सेवा संगम, नेताजी रोड, महबूब नगर, आं.प्र.	0	0.15	0	संयुक्त सचिव गैर-सरकारी संगठनों के अनुसार अनुदान की वसूली संभव नहीं है। सूचीबद्ध किया जाना पर्याप्त है। तथापि इस संबद्ध में आदेश के लिए फाईल प्रस्तुत की गई है।
4.	प्रशिक्षण के क्षेत्र में सीखना, हैदराबाद	0	1.85	0	इस संगठन को काली सूची में डाल दिया गया है तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार तथा जिला कलेक्टर से दि. 31.7.2001 को संगठन को अनुदान निर्मुक्ति की तारीख से पैनल ब्याज सहित 184860 रु. की वसूली के लिए अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।
5.	सोशल सर्विस सोसा. फॉर पूअर पीपुल, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश	0	0.51	0	इस संगठन को इस मंत्रालय की काली सूची में डाला गया तथा संगठन से 3436 रु. के ब्याज सहित 54106 रु. की राशि वसूल की गई है।

1	2	3	4	5	6
6.	भारतीय ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन, जहानाबाद, बिहार	0	0	0	सी.सी.डी. से शिकायत के आधार पर कि राज्य सरकार से कपटपूर्ण सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, संगठन को काली सूची में डाल दिया गया था। लेकिन इस संगठन ने नया नोटिस दिए जाने के निर्देश के साथ पटना उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश को खारिज करवा लिया या एक नोटिस दिया गया था तथा प्राप्त उत्तर राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए सिफारिशें भेज दी गई हैं। वर्षों के लिए अनुदान पर कार्रवाई की गई है।
7.	ग्रामीण विकास संगठन, गया, बिहार	0	0	0	सी.सी.डी. से शिकायत के आधार पर कि राज्य सरकार से कपटपूर्ण सिफारिश प्राप्त की गई है संगठन को काली सूची में डाल दिया गया है।
8.	बागिनी निकेतन, अंबावाड़ी गुजरात	0	0.38	0	संयुक्त सचिव (गै.स.) इस अनुदेश के अनुसार वसूली संभव नहीं है, काली सूची में डालना पर्याप्त होना चाहिए।
9.	ऊनी ग्राम उद्योग, रचनात्मक समिति, सुरेन्द्र नगर	0	0	2.71	यह संगठन संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहा है।
10.	राजीव गांधी स्मारक परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्र बीदर	7.52	0	0	अस्तित्व में नहीं है। अनुदान राज्य सरकार की जाली सिफारिश पर प्राप्त किया जा रहा था।
11.	स्वतंत्र परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्र, के.आर. पुरम, बंगलौर	4.76	0	0	अस्तित्व में नहीं है, अनुदान राज्य सरकार की जाली सिफारिश पर प्राप्त किया जा रहा था।
12.	जन कल्याण समाज विकास संस्था, ओसमानाबाद, महाराष्ट्र	4.80	0	0	निरीक्षण के समय केन्द्र कार्य करता हुआ नहीं पाया गया था।
13.	डा. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय मिशन शिक्षा सोसाइटी, नागपुर	7.16	6.79	3.40	दिया गया पता पर यह संगठन विद्यमान नहीं था
14.	अपंग संघ, अमरावती	9.67	15.95	6.40	यथोपरि
15.	तांत्रिक प्रशिक्षण संस्थान, अमरावती	5.10	2.07	3.51	यथोपरि

1	2	3	4	5	6
16.	शिवशक्ति शिक्षा सोसाइटी, नागपुर	3.18	6.77	3.40	दिये गए पत्ते पर यह संगठन विद्यमान नहीं था।
17.	अपंग महिला मंडल, अमरावती	5.00	2.00	0.00	राज्य सरकार की सिफारिश जाली पायी गयी है।
18.	सावित्री बाई ज्योति राव फूले समाज सेवा संस्थान, अकोला	5.00	2.50	0.00	यथोपरि
19.	अक्षर सार्वजनिक वाचनालय अकोला	9.52	2.00	0	यथोपरि
20.	अपंग संघ, अमरावती	4.84	2.40	0	यथोपरि
21.	नेशनल यूथ सर्विस एक्शन एण्ड सोशल डवलपमेन्ट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, ढेंकनाल	3.64	0	0.00	वर्ष 2000-2001 में उड़ीसा सरकार से रिपोर्ट के आधार पर कि पुनर्वास केन्द्र के लिए परियोजना कार्य नहीं कर रहा है, संगठन को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। प्राप्त रिपोर्ट को स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार से उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसी समय इस मंत्रालय के अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा उस रिपोर्ट के आधार पर संगठन को वसूली कार्रवाई तथा सूचीबद्ध करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है।
22.	इनमास परामर्श तकनीकी केन्द्र, चेन्नई	0	0	9.13	यह संगठन संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा था।
23.	करुणोदय सेवा संस्थान मिर्जापुर	5.10	6.80	3.40	निरीक्षण के समय केन्द्र कार्य करता नहीं पाया गया था।
24.	महिला चेतना समिति वाराणसी	3.06	7.34	0	संस (गै.सं.) के अनुदेशों के अनुसार अनुदान की वसूली सम्भव नहीं हैं। काली सूची में डालना पर्याप्त होना चाहिए। तथापि, इस संबंध में आदेश के लिए फाइल प्रस्तुत किया गया है।

1	2	3	4	5	6
25.	अवध संस्थान, राजघाट, अयोध्या	2.46	9.00	0.00	सं.स. (गै.स.) के अनुदेशों के अनुसार अनुदान की वसूली सम्भव नहीं है। काली सूची में डालना पर्याप्त होगा।
26.	परोपकारी संस्थान, लखनऊ	0.59	1.69	0	संबंधित राज्य सरकार तथा जिला कलेक्टर से दिनांक 16.8.2000 को अनुदान निर्मुक्ति की तारीख से 6% पैनल ब्याज के साथ 2,27,475 रुपए की वसूली के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।
27.	भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहगढ़	0.88	0.98	0.00	संबंधित राज्य सरकार तथा जिला कलेक्टर से दिनांक 16.8.2000 को अनुदान निर्मुक्ति की तारीख से 6% पैनल ब्याज दर के साथ 185288 रुपए की वसूली के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।
28.	मानव शिक्षा प्रसार समिति 280/69, तिलक नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1.66	1.66	–	संबंधित राज्य सरकार और जिला कलेक्टर से संगठन को 11.8.2000 को अनुदान की निर्मुक्ति की तारीख से 6% पैनल ब्याज सहित, 959,737 की वसूली करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।
29.	श्रीमुरलीधर शिक्षा कल्याण समिति, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश	4.19	0	0	संगठन संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा था।
30.	अम्बेडकर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जिला गौरखपुर, उत्तर प्रदेश	1.53	0	0	संगठन संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा था।
31.	बाल विकास एवम महिला कल्याण परिषद, नवाब गंज गोंडा, उ.प्र.	23.12	5.00	0	वर्ष 1999-00 में संसद सदस्य की शिकायत के आधार पर संगठन को काली सूचीबद्ध किया गया था। किन्तु बाद में शिकायत वापस लेने और संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट से विस्तृत जांच करने के लिए कहा गया। रिपोर्ट का अभी इंतजार है। उस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को एक और अनुस्मारक जारी किया गया है।

1	2	3	4	5	6
32.	राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश	7.84	8.61	0	2000-2001 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से यह शिकायत के आधार पर कि सिफारिशें धोखे से प्राप्त की गई है। संगठन को कालीसूचीबद्ध किया गया है और राज्य सरकार को वसूली कार्यवाही शुरू करने की सलाह दी गई है।
33.	हरिजन कल्याण समिति, करोली जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	4.05	6.80	3.40	केन्द्र को निरीक्षण के समय क्रियाशील नहीं पाया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नोटों के बंडलों में नकली नोट

4128. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अभी भी 100 रुपये तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के नकली नोटों का चलन जारी हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के नोटों के बंडलों में नकली नोट पाए जाने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों में प्रभावित ग्राहकों को प्रतिपूर्ति भुगतान करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या मार्ग-निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) वर्ष 1995 से वर्ष 2000 की अवधि में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जब्त 13 करोड़ रु. के नकली नोटों को नष्ट करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 100 रुपए और उससे अधिक मूल्यवर्ग के जाली करेंसी नोटों के परिचालन के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक को ऐसे दो मामलों की सूचना मिली है।

(ग) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, यदि इसकी किसी शाखा द्वारा जारी किए गए पैकेट में कोई जाली नोट पाया जाता है तो बैंक ग्राहक को मुआवजा देने के लिए कर्त्तव्य-बद्ध है।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1995 से 2000 के बीच कुल 79.06 लाख रुपए के भारतीय करेंसी नोट बरामद किए हैं। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त किए गए नोटों की वह राशि भी शामिल है जिनसे संबंधित मामले जांच के लिए सी.बी.आई. को सौंपे जाते हैं। ऐसे जाली नोटों के निपटान के लिए सक्षम न्यायिक अदालतों के आदेशों की आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

बैंकों की लेखापरीक्षा

4129. **कुंवर अखिलेश सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के कार्यालय में लेखापरीक्षकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों की लेखापरीक्षा का कार्य कतिपय निजी अभिकरणों/चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के ऐसे कितने बैंकों की लेखा-परीक्षा निजी अभिकरणों/चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा कराई गई;

(च) क्या निजी अभिकरणों द्वारा लेखा-परीक्षा कराए जाने के कुछ समय पश्चात् कतिपय ऐसी अनियमितताएं सामने आई, जिनका पता इन अभिकरणों ने नहीं लगाया था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। रिक्त पदों को भरने पर सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंधों और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उम्मीदवार न भेजे जाने की वजह से रिक्तियां नहीं भरी जा सकी जिसके कारण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में 6 लेखा परीक्षकों की कमी है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सांविधिक लेखा-परीक्षा मुख्यालय/केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों के एक दल द्वारा शाखा स्तर पर आर.बी.आई. द्वारा विनिर्धारित मानकों को पूरा करने वाली अर्हक फर्मों की सूची में से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तथा भारतीय चार्टेड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा तैयार एक पैनल में से चुने गए चार्टेड एकाउंटेंट की कई फर्मों द्वारा करायी जाती हैं। बैंकिंग रेग्यूलेशन अधिनियम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम और केन्द्रीकृत लेखा परीक्षा नीति को तैयार करने की प्रणाली, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आदि के लिए मौजूदा सांविधिक स्कीमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समरूप हैं। कंपनी अधिनियम 1956 और अन्य संबंधित विधान के मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार केवल अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट ही बैंक सहित किसी संगठन की सांविधिक लेखा-परीक्षा का कार्य कर सकते हैं।

(ङ) वर्ष 1998-1999 और 1999-2000 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षा करने के लिए 154 और 157 लेखा-परीक्षा फर्मों की सेवाएं ली गई थी। वर्ष 2000-01 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु 165 अहक लेखा-परीक्षा फर्मों की संस्तुति की गई।

(च) और (छ) बैंकों की सांविधिक लेखा-परीक्षा केवल अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटैंट द्वारा ही की जा सकती है और किसी अन्य निजी एजेंसी द्वारा नहीं। इसलिए निजी एजेंसियों द्वारा लेखा-परीक्षा पूरा किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास केन्द्र

4130. श्री विनय कुमार सोराकेः
श्री ए. नरेन्द्रः
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा संस्वीकृत सभी विकास केन्द्रों का काम मार्च, 1997 तक पूरा किये जाने की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो उन विकास केन्द्रों के बारे में ब्यौरा क्या है जिनका काम पूरा कर लिया गया है और जिन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है;

(ग) प्रत्येक विकास-केन्द्र के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि जारी की गई है और राज्य सरकारों द्वारा अपने शेयरों के रूप में इन विकास-केन्द्रों पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या संस्वीकृत विकास-केन्द्रों का काम निर्धारित समय पर पूरा न होने/उनके कामकाज शुरू न कर सकने के कारण सरकार की "औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण" की योजना का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका;

(ङ) यदि हां, तो निर्धारित समयावधि में इन विकास-केन्द्रों का काम पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(च) क्या इस मामले का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने भी अवलोकन किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) इन विकास-केन्द्रों का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने और उनका कामकाज शुरू कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(झ) क्या सरकार ने विकास-केन्द्र योजना त्याग दी है; और

(ञ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ङ) देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की दृष्टि से वर्ष 1991 में विकास केन्द्र योजना आरंभ की गयी थी।

सचिव (योजना आयोग) की अध्यक्षता वाली समिति ने देश में 71 विकास केन्द्रों (सूची संलग्न विवरण-I में संलग्न है) की पहचान की थी। इनमें से 68 विकास केन्द्र मंजूर कर दिए गए हैं तथा ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस योजना में जल आपूर्ति, जल निकास, विद्युत, बैंक, दूरसंचार आदि जैसी अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए 25 से 30 करोड़ रुपये का निवेश करने की परिकल्पना की गयी है।

केन्द्र सरकार की ओर से योगदान प्रति विकास केन्द्र 10 करोड़ रुपये तक सीमित किया गया है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों के मामले में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किये गये 68 विकास केन्द्रों में से 36 विकास केन्द्रों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है (सूची संलग्न विवरण-II में संलग्न है) अर्थात विकसित भूखंडों का आबंटन पहले ही शुरू हो गया है। शेष विकास केन्द्रों अर्थात् 32 की स्थिति का उल्लेख संलग्न विवरण-III में किया गया है। ये केन्द्र भूमि अधिग्रहण सहित विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए जारी की गयी राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV पर दिए गए हैं।

चूंकि योजना में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास की परिकल्पना की गयी है, इसलिए योजना में भूमि के अधिग्रहण, विकास की लागत तथा विकसित भूखंडों के लिए मांग की कमी की दृष्टि से अन्तर्निहित बाधाएं हैं।

(च) से (ज) सी. एंड ए. जी. ने अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ विकास केन्द्र योजना के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति की ओर ध्यान दिलाया है। भारत सरकार ने योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त उपाय किये हैं। जिसके फलस्वरूप विकास केन्द्रों के विकास की प्रगति में पर्याप्त वृद्धि आयी है।

हाल ही में सरकार ने कार्यान्वयनकारी एजेंसी को निधियां सीधे ही जारी करने, औद्यगिक रूप से पिछड़े अभिज्ञात स्थापना-स्थलों के भीतर ही स्थापना-स्थल का परिवर्तन करने की अनुमति देने, स्थापना-स्थलों का विभाजन करने और निरंतर निगरानी व अनुवर्ती कार्रवाई करने जैसे उपाय किए हैं। इसके फलस्वरूप, पिछले एक वर्ष में (नवंबर, 2000 से नवंबर, 2001 तक) चालू विकास केन्द्रों की संख्या 27 से बढ़कर 36 हो गयी है। इसी प्रकार, केन्द्र और राज्य सरकारों का वास्तविक निवेश नवंबर, 2000 के 883.99 करोड़ रुपये से बढ़कर नवंबर, 2001 में 1033.31 करोड़ रुपये हो गया है। उपर्युक्त उपायों की वजह से वास्तविक निवेश के कारण इस अवधि में 198 करोड़ रुपये तक निजी निवेश आकृष्ट हो सका है और इसके फलस्वरूप 2657 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन भी हो सका है। अतः सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना को जारी रखने और शेष विकास केन्द्रों को पूरा करने की सिफारिश की है।

(झ) जी, नहीं।

(ञ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

विकास केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	विकास केन्द्र का नाम	जिला
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	हिन्दुपुर	अनंतपुर
2.	खम्माम	खम्माम
3.	अंगोले	प्रकासम
4.	विजयनगरम-बोबिली	विजयनगरम
	अरुणाचल प्रदेश	
5.	निकलॉग गोरलंग	ईस्ट सियांग
	असम	
6.	चारिद्वार	सोनितपुर
7.	मटिया	गोलपाड़ा
8.	छायागांव	कामरूप (अनुमोदित नहीं)
	बिहार	
9.	बेगुसराय	बेगुसराय
10.	भागलपुर	भागलपुर
11.	छपरा	छपरा
12.	दरभंगा	दरभंगा
13.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
	छत्तीसगढ़	
14.	बोराई	दुर्ग

1	2	3
15.	सिलतारा	रायपुर
	गोवा	
16.	इलेक्ट्रॉनिक सिटी	वर्ना प्लेट्यू
	गुजरात	
17.	गांधीधाम	कच्छ
18.	पालनपुर	बनासकांठा
19.	वागरा	भरूच
	हरियाणा	
20.	बावल	रेवाड़ी
21.	साहा	अम्बाला
	हिमाचल प्रदेश	
22.	कांगड़ा	कांगड़ा
	जम्मू एवं कश्मीर	
23.	लस्सीपोरा	पुलवामा
24.	साम्बा	जम्मू
	झारखंड	
25.	हजारीबाग	हजारीबाग
	कर्नाटक	
26.	धारवाड़	धारवाड़
27.	रायचूर	रायचूर
28.	हसन	हसन
	केरल	
29.	अलपुज्झा-मालापुरम	अलपुज्झा-मालापुरम
30.	कन्नूर-कोजिकोड़	कन्नूर-कोजिकोड़
	मध्य प्रदेश	
31.	चैनपुरा	गुना
32.	घिरोंगी	भिंड
33.	खेड़ा	धार
34.	सतलापुर	रायसेन
	महाराष्ट्र	
35.	अकोला	अकोला
36.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
37.	धूले	धूले
38.	रत्नागिरि	रत्नागिरि
39.	नंदेड़	नंदेड़
	मणिपुर	
40.	लामलेई-नापेट	इम्फाल ईस्ट
	मेघालय	
41.	मेंदीपथर	ईस्ट गारो हिल्स
	मिजोरम	
42.	लोंगमाल	एजावल
	नागालैण्ड	
43.	गणेशनगर	कोहिमा
	उड़ीसा	
44.	छतरपुर	गंजम
45.	कलिंगनगर-डुबुरी	कटक
46.	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा
47.	केसिंगा	कालाहांडी
	पांडिचेरी	
48.	पोलागाम	करायकल
	पंजाब	
49.	भटिण्डा	भटिण्डा
50.	पठानकोट	गुरदासपुर
	राजस्थान	
51.	आबू रोड	सिरोही
52.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
53.	खाड़ा	बीकानेर

1	2	3
54.	झालावाड़	झालावाड़
55.	धौलपुर	धौलपुर
	सिक्किम	
56.	डेनचोंग ब्लॉक	दक्षिणी सिक्किम (अनुमोदित नहीं)
	तमिलनाडु	
57.	इरोड	पेरियार
58.	ओरागादम	कांचिपुरम
59.	तिरुनेलवेली (गंगै कोनडान ननूर ब्लॉक)	तिरुनेलवेली-कट्टाबोम्मन
	त्रिपुरा	
60.	बोधजंग नगर	त्रिपुरा-पश्चिमी
	उत्तर प्रदेश	
61.	बिजौली	झांसी
62.	जमौर	शाहजहांपुर
63.	पाकवाड़ा	मुरादाबाद
64.	डिबियापुर	औरैया
65.	खुर्जा	बुलंदशहर
66.	सथारिया	जौनपुर
67.	सहजनवा	गोरखपुर
	उत्तरांचल	
68.	शिवराजपुर-देवरामपुर	पौड़ी-गढ़वाल (अनुमोदित नहीं)
	पश्चिम बंगाल	
69.	बोलपुर	बीरभूम
70.	जलपाई गुड़ी	जलपाई गुड़ी
71.	मालदा	मालदा

विवरण II

उन कार्यशील विकास केन्द्रों की सूची जहां औद्योगिक प्लाटों का आबंटन शुरू हो गया है

क्र.सं.	राज्य, विकास केन्द्र/जिले का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश हिंदुपुर (अनन्तपुर)
2.	अंगोले (प्रकाशम)
3.	छत्तीसगढ़ बोराई (दुर्ग)
4.	सिलतारा (रायपुर)
5.	गोवा इलेक्ट्रानिक-सिटी (वर्नाप्लेट्यू)
6.	गुजरात वागड़ा (भरुच)
7.	पालनपुर (बनासकांठा)
8.	हरियाणा बावल (रेवाड़ी)
9.	हिमाचल प्रदेश कांगड़ा (कांगड़ा)
10.	जम्मू और कश्मीर साम्बा (जम्मू)
11.	लस्सीपोरा (पुलवामा)
12.	कर्नाटक धरवाड (धरवाड)
13.	रायचुर (रायचुर)
14.	हसन (हसन)
15.	केरल कन्नूर-कोझीकोड (कन्नूर-कोझीकोड)
16.	अलाप्पुझा-मालापुरम (अलाप्पुझा-मालापुरम)
17.	मध्य प्रदेश भिरौंगी (भिंड)

1	2
18.	चैनपुरा (गुना)
19.	खंडा (धार)
20.	महाराष्ट्र अकोला (अकोला)
21.	नंदेड (नंदेड)
22.	उड़ीसा कसींगा (कालाहांडी)
23.	पंजाब भटिण्डा (भटिण्डा)
24.	पठानकोट (गुरदासपुर)
25.	राजस्थान आबु रोड (सिरोही)
26.	खार (बीकानेर)
27.	धोलपर (धोलपुर)
28.	झालवार (झालवार)
29.	तमिलनाडु इरोड (पेरियार)
30.	त्रिरूनेलवेली-गंगई कोंडन (तिरूनेलवेली-गंगई कोंडन)
31.	त्रिपुरा बौद्धजंगनगर (पश्चिम त्रिपुरा)
32.	उत्तर प्रदेश बिजोली(झांसी)
33.	जामोर (शाहजहांपुर)
34.	सथारिया (जौनपुर)
35.	साजनवां (गोरखपुर)
36.	पश्चिम बंगाल मालदा (मालदा)

विवरण III

शेष विकास केन्द्रों (अर्थात् 32) की स्थिति

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य विकास केन्द्र/जिले का नाम	अनुमोदन की तारीख	अधिग्रहीत भूमि	विकसित किये गये प्लाट/शेड	आबंटित किये गये प्लाट/शेड	स्थापित एककों की संख्या	एककों द्वारा निवेशित पूंजी	सृजित किया गया रोजगार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आंध्र प्रदेश	23.7.92	-	-	-	-	-	-	
1.	खम्मान (खम्मान)								
2.	बोबिली (विजयनगरम)	30.3.92	1239.33 एकड़	-	-	-	-	-	
3.	अरुणाचल प्रदेश निकलोक-गोरलंग (पूर्वी सियांग)	08.04.97	582.15 एकड़	-	-	-	-	-	
4.	असम मटिया (गोलपाड़ा)	31.10.97	1672 बीघा	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	चरिद्वार (सोनितपुर)	08.04.97	1500 बीघा	–	–	–	–	–	
	बिहार								
6.	बेगुसराय (बेगुसराय)	03.04.95	392.14 एकड़	–	–	–	–	–	
7.	भागलपुर (भागलपुर)	30.9.96	–	–	–	–	–	–	
8.	छपरा (छपरा)	30.9.96	–	–	–	–	–	–	
9.	दरभंगा (दरभंगा)	13.2.98	–	–	–	–	–	–	
10.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	30.9.96	–	–	–	–	–	–	
	गुजरात								
11.	गांधीधाम (कच्छ)	23.7.92	131 हेक्ट.	387	–	–	–	–	
	हरियाणा								
12.	साहा (अमबाला)	31.10.97	301 एकड़ 5 केनाल	–	–	–	–	–	
	झारखंड								
13.	हजारीबाग (हजारीबाग)	03.05.95	525.34 एकड़	–	–	–	–	–	
	मध्य प्रदेश								
14.	सतलापुर (रायसेन)	23.03.93	321.190 हेक्ट.	–	–	–	–	–	
	महाराष्ट्र								
15.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	30.03.92	630.37 हेक्ट.	150	–	–	–	–	
16.	धुले (धुले)	30.03.92	707 हेक्ट.	–	–	–	–	–	
17.	रत्नागिरी (रत्नागिरी)	30.03.92	–	–	–	–	–	–	
	मणिपुर								
18.	लामलाय-नेपेट (इम्फाल)	02.03.98	–	–	–	–	–	–	
	मेघालय								
19.	मंधीपट्टर (पूर्व गारो हिल्स)	24.10.97	–	–	–	–	–	–	
	मिजोरम								
20.	लंगमौल (एजल)	24.10.97	–	–	–	–	–	–	
	नागालैण्ड								
21.	गणेशनगर (कोहिमा)	12.02.98	1000 एकड़	22	–	–	–	–	
	उड़ीसा								
22.	छत्तरपुर (गंजम)	12.02.97	–	–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	कलिंगानगर-दिबुरी (कटक)	12.02.97	1000 एकड़	–	–	–	–	–	
24.	झारसुगुदा (झारसुगुदा)	12.02.98	102 एकड़	–	–	–	–	–	
	पांडिचेरी								
25.	पोलगम-करायकाल (करायकाल)	31.10.97	592 एकड़	–	–	–	–	–	
	राजस्थान								
26.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)	18.12.97	876.5 बिगहा, 65 विसवा	–	–	–	–	–	
	तमिलनाडु								
27.	आरगदाम (कांचपुरम)	12.05.99	524 एकड़	–	–	–	–	–	
	उत्तर प्रदेश								
28.	पकवाड़ा	17.02.93	408 एकड़	–	–	–	–	–	
29.	दिबियापुर (औरैया)	03.03.98	–	–	–	–	–	–	
30.	खुर्जा (बुलन्दशहर)	23.03.93	1200.84 एकड़	–	–	–	–	–	
	पश्चिम बंगाल								
31.	बोलपुर (बीरभूम)	20.02.97	–	–	–	–	–	–	
32.	जलपायगुड़ी (जलपायगुड़ी)	20.02.97	–	–	–	–	–	–	

विवरण IV

केन्द्र द्वारा जारी तथा राज्य सरकार और इसकी एजेन्सियों द्वारा जारी की गई राशि के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/विकास केन्द्र/जिला	केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि	राज्य सरकार तथा इसकी एजेन्सियों द्वारा जारी की गई राशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	हिंदुपुर (अनन्तपुर)	200.00	147.74	347.74
2.	खम्मान (खम्मान)	50.00	–	–
3.	बोबिली (विजियानाग्राम)	551.00	487.00	1038.00
4.	ओंगोल (प्रकाशम)	650.00	619.21	1269.21

1	2	3	4	5
	अरुणाचल प्रदेश			
5.	निकलोक-नॉरलंग (पूर्व सियंग)	148.00	137.50	225.38
	असम			
6.	मटिया (गोलपाड़ा)	250.00	1339.91	225.96
7.	चारिद्वार (सोनितपुर)	300.00	179.85	338.67
	बिहार			
8.	बेगुसराय (बेगुसराय)	300.00	629.60	929.60
9.	भागलपुर (भागलपुर)	50.00	168.25	4.81
10.	छपरा (छपरा)	50.00	90.00	7.17
11.	दरभंगा (दरभंगा)	50.00	–	–
12.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	50.00	90.00	7.16
	छत्तीसगढ़			
13.	बोराई (दुर्ग)	793.00	752.68	1545.68
14.	सिलतारा (रायपुर)	1000.00	1586.22	2586.22
	गोवा			
15.	इलेक्ट्रानिक-सिटी (वर्नाप्लेट्यू)	824.00	1088.38	1762.38
16.	*गुजरात*			
	गांधीधाम (कच्छ)	*585.00*	*500.00*	*685.00*
17.	पालनपुर (बनासकांठा)	250.00	500.00	473.00
18.	बगड़ा (भड़ौच)	1000.00	3940.25	4940.25
	हरियाणा			
19.	बावल (रेवाड़ी)	1000.00	4777.15	5777.15
20.	साहा (अम्बाला)	400.00	891.60	1091.60
	हिमाचल प्रदेश			
21.	कांगड़ा (कांगड़ा)	450.00	387.63	579.55
	जम्मू और कश्मीर			
22.	लस्सीपोरा (पुलवामा)	250.00	483.36	533.36
23.	साम्बा (जम्मू)	900.00	822.00	1695.50

1	2	3	4	5
	झारखंड			
24.	हजारीबाग (हजारीबाग)	200.00	241.19	57.10
	कर्नाटक			
25.	धरवाड (धरवाड)	1000.00	5165.00	6165.00
26.	रायचूर (रायचुर)	1000.00	1916.69	2716.69
27.	हसन (हसन)	1000.00	6320	7320
	केरल			
28.	कन्नूर-कोझीकोड (कन्नूर-कोझीकोड)	1000.00	2508.37	2926.43
29.	अलाप्पुझा-मालापुरम (अलाप्पुझा-मालापुरम)	1000.00	3004.37	3057.81
	मध्य प्रदेश			
30.	चैनपुरा (गुना)	100.00	160.00	164.53
31.	घिरौनी (भिंड)	1000.00	3132.41	4132.41
32.	खेडा (धार)	1000.00	1140.99	2140.99
33.	सतलापुर (रायसेन)	535.00	500.00	863.08
	महाराष्ट्र			
34.	अकोला (अकोला)	1000.00	1143.48	2143.48
35.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	815.00	732.25	1447.25
36.	धुले (धुले)	580.00	746.69	1246.69
37.	नंदेड (नंदेड)	910.00	976.03	1764.91
38.	रत्नागिरी (रत्नागिरी)	440.00	111.80	553.11
	मणिपुर			
39.	लामलाय-नेपेट (इम्फाल)	150.00	125.59	8.56
	मेघालय			
40.	मेंधीपट्टर (पूर्व गारो हिल्स)	50.00	–	–
	मिजोरम			
41.	लंगमौल (एजल)	300.00	160.44	112.00

1	2	3	4	5
	नागालैण्ड			
42.	गणेशनगर (कोहिमा)	1245.00	320.25	1565.25
	उड़ीसा			
43.	छत्तरपुर (गंजम)	50.00	90.84	58.57
44.	कलिंगानगर-दिबुरी (कटक)	600.00	1562.39	1712.39
45.	झारसुगुडा (झारसुगुडा)	200.00	212.16	261.16
46.	कसींगा (कालाहन्दी)	125.00	78.89	128.89
	पांडिचेरी			
47.	पोलंगम-करायकाल (करायकाल)	400.00	675.00	709.65
	पंजाब			
48.	भटिण्डा (भटिण्डा)	1000.00	950.78	1950.78
49.	पठानकोट (गुरुदासपुर)	1000.00	500.00	1215.44
	राजस्थान			
50.	आबु रोड (सिरोही)	1000.00	2084.58	3084.58
51.	भिलवाड़ा (भिलवाड़ा)	300.00	150.00	407.83
52.	खार (बीकानेर)	450.00	333.99	783.99
53.	धोलपुर (धोलपुर)	320.00	255.34	575.34
54.	झालवार (झालवार)	300.00	150.00	294.45
	तमिलनाडु			
55.	इरोड (पेरियार)	1000.00	7683.40	8693.40
56.	आरगदाम (कांचीपुरम)	800.00	103.80	903.80
57.	त्रिरूनेलवेली-गंगईद कोंडम (त्रिरूनेलवेली-कट्टाबोमान)	930.00	1500.00	699.95
	त्रिपुरा			
58.	बौद्धजंगनगर (पश्चिम त्रिपुरा)	570.00	–	293.19
	उत्तर प्रदेश			
59.	बिजोली (झांसी)	350.00	755.00	805.00
60.	जामोर (शाहजहांपुर)	315.00	439.83	439.83

1	2	3	4	5
61.	पकवाड़ा (मोरादाबाद)	800.00	1036.03	1286.03
62.	दिबियापुर (औरैया)	150.00	143.50	168.50
63.	खुर्जा (बुलन्दशहर)	420.00	285.00	587.28
64.	सथारिया (जौनपुर)	450.00	375.00	798.70
65.	साजनवां (गोरखपुर)	1000.00	851.13	1851.13
	पश्चिम बंगाल			
66.	बोलपुर (वीरभूम)	100.00	50.00	7.50
67.	जलपायगुडी (जलपायगुडी)	100.00	50.00	7.00
68.	मालदा (मालदा)	300.00	274.25	337.00
	योग	36456.00	66774.69	91453.34

*शिवराजपुर-पदमपुर (उत्तरांचल) विकास केन्द्र को अनंतिम रूप से जारी की गई राशि : 50 लाख रुपये।
शिवराजपुर-पदमपुर (उत्तरांचल) सहित कुल जारी की गई केन्द्रीय सहायता 36456 लाख रुपये + 50 लाख रुपये = 36506 लाख रुपये।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी उपलब्ध कराने के लिए राजसहायता

4131. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से राजसहायता प्रदान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी की सुपुर्दगी लागत खुदरा निर्गम मूल्य से अधिक होने की स्थिति में केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी का वितरण करने के लिए राज्य सरकारों अथवा उनके नामितियों को पहले से ही राजसहायता प्रदान कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में चीनी का अधिशेष भण्डार

4132. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, अनुमानित रूप से लगभग 110 लाख टन चीनी के बिना बिके विशाल भण्डार के संग्रहित हो जाने के कारण चीनी उद्योग काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है और पिराई के चालू मौसम में इस समस्या के और बढ़ जाने की संभावना है;

(ख) क्या चीनी उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्रदान कर उसकी सहायता के लिए आगे आए;

(ग) क्या इस मामले में महराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों ने भी केन्द्र सरकार को अभ्यावेदित किया है; और

(घ) यदि हां, तो चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) चीनी के आगे

लाए गए 93.40 लाख टन (अनंतिम) के स्टॉक तथा 184.21 लाख टन (अनंतिम) के उत्पादन के साथ 2000-2001 मौसम के दौरान चीनी की कुल उपलब्धता 277.61 लाख टन (अनंतिम) थी जबकि खपत 162.00 लाख टन (अनंतिम) तथा निर्यात 12.50 लाख टन (अनंतिम) था। अत: भारत में चीनी मिलों के पास लगभग 103.00 लाख टन (अनंतिम) अधिशेष मात्रा थी। वर्तमान चीनी मौसम के दौरान 175.00 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) चीनी उद्योग के शीर्ष संगठनों यथा भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा)/राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि. (एन.एफ.सी.एस.एफ.एल.) तथा कुछ राज्य सरकारों ने चीनी विकास निधि से बफर स्टॉक बनाने के लिए कहा है। चीनी के बफर स्टॉक के सृजन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) चीनी का स्टॉक कम करने के लिए, सरकार अन्य बातों के साथ-साथ चीनी के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) निर्यात के लिए निर्धारित चीनी को लेवी देयता से मुक्त कर दिया गया है।

(2) निर्यात के लिए निर्मुक्त की गई चीनी की मात्रा को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति के रूप में माना जाता है जिसका चीनी फैक्ट्रियों के खुली बिक्री की चीनी के स्टॉक में समायोजन 12 माह की अवधि के बाद किया जाता है। यह अवधि अब बढ़ाकर 18 माह कर दी गई है।

(3) वाणिज्यिक निर्यात के लिए निर्धारित चीनी की मात्रा पर लेवी से छूट का लाभ, यदि चीनी फैक्ट्रियां उस चीनी मौसम विशेष के उत्पादन में से, जिसके लिए चीनी रिलीज की गई है, अपनी लेवी देयता को पूरा कर देने के कारण नहीं ले पाती हैं तो संबंधित चीनी फैक्ट्रियां अगले चीनी मौसम के अपने उत्पादन से इसका लाभ उठा सकती हैं।

(4) चीनी के निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य की 5% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

(5) अभी तक केवल मिल व्हाइट शुगर का निर्यात किया जा रहा था। यह स्पष्ट किया गया है कि मिल व्हाइट शुगर के अतिरिक्त चीनी मिलें/निर्यातक वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अधीन कच्ची चीनी का भी निर्यात कर सकते हैं।

(6) सरकार ने चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन करने के लिए विधान बनाने का निर्णय किया है ताकि यह अन्य बातों के साथ-साथ चीनी विकास निधि का उपयोग चीनी के निर्यात के लिए शिपमेंट पर चीनी फैक्ट्रियों को आन्तरिक ढुलाई तथा माल-भाड़े के खर्च की अदायगी के लिए कर सके।

(7) प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे गन्ने की उस मात्रा पर क्रय कर में छूट दें जिससे तैयार की गई चीनी का निर्यात किया गया हो।

(8) सरकार चीनी के मूल्य उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए खुले बाजार में चीनी की विवेकपूर्ण ढंग से निर्मुक्तियां कर रही है।

(9) इसके अतिरिक्त, गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का भुगतान करने हेतु तथा भंडारण की समस्या होने के कारण खुली बिक्री की चीनी के अतिरिक्त/अग्रिम कोटे के लिए चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उन्हें एक तिमाही विशेष के भीतर उनके सामान्य कोटे के अलावा त्रैमासिक कोटे की 10% तक अधिक मात्रा बेचने की अनुमति दी है।

विदेशी मुद्रा घोटाला

4133. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्रीमती कान्ति सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** 'विदेशी मुद्रा घोटाला' के बारे में 27 जुलाई, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच में सीमा-शुल्क और डाक विभाग के जिन-जिन अधिकारियों को नामित किया है, उनके नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में उक्त प्रत्येक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपनी जांच में नामबद्ध किए सीमा शुल्क अधिकारियों के नाम श्री/सर्वश्री के.पी. सिंह, रवि शर्मा, और सी.एस. शर्मा हैं।

(ख) कथित सीमा शुल्क अधिकारी निलम्बित हैं।

(ग) मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

घरेलू ऋण

4134. श्री नवल किशोर राय:
श्री जोरा सिंह मान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने घरेलू बाजार से करोड़ों रुपये का ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान नवम्बर, 2001 तक घरेलू बाजार से उठाये गये ऋण की कुल राशि कितनी है और इसके पूर्व के तीन वर्षों में ऋण के लिए चुकाई गई कुल धनराशि के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में निर्धारित ऋण राशि से भी अधिक ऋण लेने की संभावना बन रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से नवम्बर, 2001 के अंत तक 95,000 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई गई है। चालू वर्ष तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-अदायगियां निम्नानुसार हैं:

वर्ष	सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-अदायगियां (करोड़ रुपये)
1998-1999	14,765.52
1999-2000	16,331.55
2000-2001	27274.71
2001-2002 (30 नवम्बर, 2001 तक)	24,952.30

(ग) और (घ) सरकार आय की तुलना में व्यय की अधिकता की पूर्ति के लिए उधार लेती है। यदि वर्ष के दौरान आय और/अथवा व्यय अनुमानों में परिवर्तन आते हैं, तो उधार अनुमानों को संशोधित अनुमान स्तर पर दुबारा तैयार किया जाता है।

[अनुवाद]

ब्राउन शुगर और मैण्ड्रेक्स की तस्करी

4135. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में ब्राउन शुगर और मैण्ड्रेक्स नशीली दवाओं की तस्करी तेजी से बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के विभिन्न भागों में की गई ब्राउन शुगर और मैण्ड्रेक्स की जब्ती के बारे में ब्यौरा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य कितना है; और

(ग) नशीली दवाओं की इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) यद्यपि, गत तीन वर्षों के दौरान, गुजरात राज्य में ब्राऊन शुगर (हैरोइन) की जब्तियों के मामलों में कुछ वृद्धि हुई है, तथापि मैण्ड्रेक्स की जब्तियों के मामलों में कमी हुई है।

(ख) चूंकि, जब्त किये गये सभी नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया जाता है और इनका कोई अधिकृत बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए कोई ठीक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। गत तीन वर्षों के दौरान मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात में ब्राउन शुगर और मैण्ड्रेक्स की जब्ती के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(किलोग्राम में)

मादक पदार्थ का नाम	1999	2000	2001 (30.11.2001 की स्थिति के अनुसार)
हेरोइन (ब्राउन शुगर)	12.34	40.91	48.59
मैण्ड्रेक्स	103.51	0.00	0.00

(ग) सरकार ने नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने और उस पर प्रभावकारी अंकुश लगाने के लिए पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण उपाय किये हैं। इनमें सभी मादक पदार्थ कानून

प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक से अधिक चौकसी बरतने और प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के निदेश, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, फ्लड लाइटिंग के साथ-साथ भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक को शक्तियां प्रदान करना, पूर्व प्रयुक्त किये जाने वाले रसायनों, अर्थात् ऐसेटिक एनहाइड्राइड, ऐफेड्राइन आदि को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत "नियंत्रित पदार्थ" के रूप में अधिसूचित करना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही आधार पर सम्वय बैठकों का आयोजन करना, सचिव एवं महानिदेशक स्तर पर आवधिक बैठकों का आयोजन करने के लिए पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करना और सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों की सीमावर्ती बैठकों के एक अंग के रूप में भारतीय और पाकिस्तानी स्वापक विरोधी एजेंसियों की तिमाही आधार पर सीमा-पारीय बैठकों का आयोजन करना शामिल है।

हथकरघा क्षेत्र का विविधीकरण

4136. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने हथकरघा बुनकरों के संरक्षणार्थ हथकरघा क्षेत्र के उत्पादों का विविधीकरण करने के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और हथकरघा बुनकरों के हित साधनार्थ इस प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने "निर्यातयोग्य उत्पादों का विकास तथा उनके विकास की स्कीम" के अंतर्गत विविध हथकरघा उत्पादों के विकास, विविधता तथा निर्यात योग्य विपणन हेतु वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में 2 प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष एक तथा वर्ष 2000-01 में एक प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने कुल 5 प्रस्ताव स्वीकृत किये तथा 102.90 लाख रुपये केन्द्र के कुल हिस्से में से 53.13 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

निजी क्षेत्र के नये बैंक

4137. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के नये बैंकों को स्थापित करने की स्वीकृति देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन प्रस्तावों का परीक्षण किया और मंजूरी दी, उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मानदंडों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत स्वीकृति हेतु इन प्रस्तावों को होकर जाना पड़ता है;

(घ) क्या ग्राहकों/निवेशकों के संरक्षणार्थ प्रवर्तकों की पूंजी का प्रतिशतांश बढ़ाने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार निवेशकों/ग्राहकों का संरक्षण किस तरह करने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश पर जनवरी, 2001 में संशोधित मार्गनिर्देश जारी किये हैं। इन मार्ग-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, नए बैंक के लिए प्रारम्भिक प्रदत्त पूंजी 200 करोड़ रु.), जिसे तीन वर्ष में बढ़ाकर 300 करोड़ रु. कर दिया जाएगा), प्रवर्तक का न्यूनतम अंशदान प्रदत्त पूंजी का 40% प्रवर्तक समूह में व्यावसायिक संस्थानों के साथ कुछ दूरी बनाए रखना, किसी भी बड़े औद्योगिक घराने द्वारा नए बैंक का प्रवर्तन न करना, न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10% बनाए रखना, अच्छे कार्य-निष्पादन रिकार्ड वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को बैंकों में बदलने की अनुमति देने आदि का प्रावधान किया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें जो आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे, उनको उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समिति को भेज दिया था और इस समिति ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं, जिनकी भारतीय रिजर्व बैंक जांच कर रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक का मत है कि उसके मार्गनिर्देशों से ग्राहकों/निवेशकों को पर्याप्त संरक्षण मिलता है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति ऋणभार

4138. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार, देश में प्रति व्यक्ति ऋणभार कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की स्थिति तक, गृहीत ऋण पर लगे ब्याज के भुगतान के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इस ऋणभार को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्ष 2000-2001 में प्रति व्यक्ति ऋणभार (11,552.48 रुपए है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष (सितम्बर, 2001 तक) में किये गये कुल ब्याज भुगतानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	ब्याज भुगतान
1998-1999	77882
1999-2000	90249
2000-2001 (अनंतिम)	99314
2001-2002 (अक्तूबर, 2001 तक)	50657

(ग) सरकार ने अनुत्पादक व्यय को नियंत्रित करने के लिए व्यय प्रबंध संबंधी कई उपाय किये हैं और राजस्व को अधिकाधिक बढ़ाने और व्यय को नियंत्रित करने की दृष्टि से कर संग्रहणों में वृद्धि करने के सभी प्रयास कर रही है। चालू वर्ष में निर्धारित ब्याज दरों को कम कर दिया गया है।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों का पुनर्वास

4139. श्री के. येरननायडु:
श्री ए. कृष्णास्वामी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से देश के सौ से अधिक जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्वास योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इन जिलों के चयन के लिए क्या मापदंड अपनाये गये,

(ग) इस प्रयोजनार्थ चयनित केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक जिन केन्द्रों ने कामकाज शुरू कर दिया है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है और सभी चयनित केन्द्रों में कामकाज शुरू कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में ऐसे और जिलों की पहचान करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (च) संलग्न विवरण के अनुसार 106 जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से नि:शक्त व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाओं की विकेन्द्रीकृत उपलब्धता की योजना है। इन केन्द्रों की परिकल्पना विकलांगता की शीघ्र पहचान तथा हस्तक्षेप, विकलांगता प्रमाण पत्र, मूल्यांकन, फिटमेन्ट और अनुवर्ती कार्रवाई, सहायक उपकरणों की मरम्मत, चिकित्सा सेवाएं, बाधामुक्त वातावरण को प्रोत्साहन, अभिमुखीकरण प्रशिक्षण, शिक्षा, रोजगार तथा रेफरल सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम का बल अन्य विभागों के कार्यकलापों के साथ समाभिरूपता तथा सेवा विवरण प्रणाली के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी संसाधनों दोनों का अधिकतम उपयोग करना है। ये केन्द्र देशभर का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए निकटवर्ती जिलों की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। इन केन्द्रों में से 50 केन्द्र क्रियाशील हो गए हैं और अन्यों पर कार्य चल रहा है।

विवरण

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिला
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर, कृष्णा, विशाखापट्टनम
2.	असम	डिब्रूगढ़, कछार, तेजपुर, सिलचर

1	2	3
3.	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर, दिवांग वैली
4.	बिहार	भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा, बांका, गया, दरभंगा, छपरा
5.	छत्तीसगढ़	रायगढ़, दुर्ग, रायपुर
6.	गुजरात	अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर
7.	गोवा	पणजी
8.	हरियाणा	भिवानी, रोहतक, कुरुक्षेत्र, सोनीपत
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला, धर्मशाला
10.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर, लेह
11.	झारखण्ड	साहेबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम, रांची
12.	कर्नाटक	तुमकुर, मंगलौर, बेलारी, बेलगांव, गुलबर्गा
13.	केरल	कोजीकोड, तिरुवनन्तपुरम, त्रिसूर
14.	मिजोरम	आइजोल
15.	मेघालय	शिलांग
16.	मणिपुर	इम्फाल
17.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, बुल्दाना, वर्धा, कोल्हापुर, लातुर, सिंधूदुर्ग
18.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर, इन्दौर, बालाघाट, झाबुआ, रीवा, राजगढ़ सागर, उज्जैन
19.	नागालैंड	दिमापुर
20.	उड़ीसा	सम्भलपुर, मयूरभंज, फूलबनी, कालाहांडी, कोरापुट
21.	पंजाब	पटियाला, संगरूर, फिरोजपुर
22.	राजस्थान	उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझनू
23.	सिक्किम	गंगटोक
24.	त्रिपुरा	अगरतला
25.	तमिलनाडु	चेंगलपट्टु, वेल्लौर, मदुरै, सेलम, तुतीकोरीन, विरुधूनगर
26.	उत्तर प्रदेश	गोंडा, मऊ, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बलिया, फर्रुखाबाद, झांसी, पीलीभीत, मेरठ
27.	उत्तरांचल	अल्मोड़ा, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार .
28.	प. बंगाल	जलपाईगुड़ी, दक्षिण दीनाजपुर, मुर्शीदाबाद
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
30.	दमन और दीव	दीव
31.	लक्षद्वीप	कवरती
32.	दादर और नगर हवेली	सिलवासा
33.	पांडिचेरी	पांडिचेरी

[हिन्दी]

बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम

4140. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "बेसहारा बच्चों के लिए समेकित योजना" शीर्षकान्तर्गत प्रचलित योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त योजना विफल साबित हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसकी विफलता के क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ गैर-सरकारी संगठनों को कितना सहायतानुदान उपलब्ध कराया गया;

(ङ) क्या गैर-सरकारी संगठनों ने इस सहायतानुदान का पूरा उपयोग किया;

(च) यदि नहीं, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य कौन से उपाय किये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) "बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" योजना का प्रमुख उद्देश्य बेसहारा बच्चों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करना है ताकि उनका जीवन सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। इस योजना के लक्षित समूह सड़कों पर जीवन-यापन कर रहे गृह और परिवारविहीन बच्चे हैं, विशेषरूप से शोषण के प्रति संवेदनशील बच्चे, जैसे यौन कामगारों और फुटपाठ पर रहने वालों के बच्चे हैं। इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों के लिए सहायता अनुदान 90 : 10 आधार पर उपलब्ध है, जबकि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन शत-प्रतिशत सहायता अनुदान प्राप्त कर सकता है।

(ख) जी नहीं, उपर्युक्त योजना असफल नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान निम्नलिखित है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-01
निर्मुक्त सहायता अनुदान	5.15	7.84	7.26

(ङ) और (च) सामान्यतया निर्मुक्त सहायता अनुदान का गैर सरकारी संगठनों द्वारा पूरी तरह उपयोग किया गया है। जब कभी मंत्रालय को अनुदान के कम उपयोग की जानकारी मिलती है, अप्रयुक्त राशि को अनुवर्ती अनुदान राशि में से कम कर दिया जाता है।

(छ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सामान्य निरीक्षण रिपोर्टों के अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी अन्य एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन कराता है। इस मूल्यांकन के आधार पर उचित कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश

4141. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से देश के विभिन्न राज्यों में आने वाले विदेशी निवेश के संबंध में भारत भी प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस सीमा तक है; और

(ग) इस समस्या पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतप्रर्वाह की राशि (करोड़ रुपये)	(मिलियन अमरीकी डालर)
1998	13,339.84	3,377.17
1999	16,867.79	4,016.10
2000	19,341.74	4,498.07
2001 (जनवरी-सितम्बर)	16,306.47	3,623.66

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह में गिरावट नहीं आई है अपितु इस अवधि के दौरान इसमें स्थिर गति से वृद्धि हुई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वसूली दर भी वर्ष 2000 के 52.22% से बढ़कर वर्ष 2001 के दौरान 72.20% हो गई है।

विदेशी निवेश अनेक कारकों यथा घरेलू; आर्थिक दशाएं; विदेशी निवेश को शासित करने वाली नीतिगत व्यवस्था, विश्व की आर्थिक प्रवृत्तियां तथा वैश्विक निवेशकों की नीति पर निर्भर है।

मदों पर राज-सहायता

4142. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन मदों का वर्षवार ब्यौरा क्या है जिन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने राज-सहायता प्रदान करने की अनुमति दी;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन मदों पर से राज-सहायता कम की गई, उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज-सहायता कम किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वर्ष 1998-99 से 2001-02 (बजट अनुमान) की अवधि के दौरान केन्द्रीय बजट में सब्सिडियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। व्यापक नीतिगत उद्देश्यों, वृहत आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडियों की समीक्षा की जाती है।

विवरण

केन्द्रीय बजट में सब्सिडियों के ब्यौरे

	1998-99 वास्तविक अनुमान	1999-2000 वास्तविक अनुमान	2000-01 संशोधित अनुमान	2001-02 बजट अनुमान
(क) मुख्य सब्सिडियां	20696	22898	25925	27845
1. खाद्य (चीनी सहित)	9100	9435	12125	13675
2. स्वदेशी (यूरिया) उर्वरक	7473	8670	9480	7956
3. आयातित (यूरिया) उर्वरक	333	293	1	500
4. किसानों को रियायत सहित विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	3790	4500	4319	5714
(ख) अन्य सब्सिडियां	2897	1808	1024	1956
5. चीनी खाद्य तेलों आदि का आयात/निर्यात	105	50	40	50
6. ब्याज सब्सिडियां	1434	1371	121	143
7. अन्य सब्सिडियां	1358	387	863	1763
जोड़-सब्सिडियां	23593	24706	26949	29801

स्रोत-व्यय बजट, खंड-I, 2001-02

[हिन्दी]

पोत भंजन गतिविधियां

4143. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोत भंजन गतिविधियों को विनिर्माणी-गतिविधियों के रूप में मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग की गतिविधियों को विनिर्माणी-गतिविधि के रूप में मान्यता दिये जाने के पश्चात् भी, इस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूला जा रहा है;

(ग) क्या आयकर अधिनिमय 1961 की धारा 80 (झ) (ज) और 80 (ज) के तहत भी विनिर्माणी गतिविधि के रूप में नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) महोदय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पोत भंजन गतिविधियों को विनिर्माणन गतिविधियों के रूप में मान्यता प्रदान करता है और कुछ छूट के साथ इस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी लगाई जा रही है।

(ग) और (घ) आयकर विभाग द्वारा पोत भंजन गतिविधियों को विनिर्माणन गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि

इससे कच्चे माल का अन्य भिन्न उत्पादों के रूप में रूपांतरण नहीं होता।

आरक्षण नीति का क्रियान्वयन न होना

4144. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 18 नवम्बर, 2001 के 'द हिन्दू' समाचार पत्र में ''रिजर्वेशन पालिसी नाट इम्प्लमेन्टेड, फुल रिपोर्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भविष्य में आरक्षण-संबंधी प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी योजना बनाई गई है/बनाये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी हां।

(ख) समूह 'क' और समूह 'ख' सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने में बैकलाग का कारण इस प्रयोजन के लिए कानून की कमी नहीं है बल्कि फीडर ग्रेडों में आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या में अनुपलब्धता, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अभाव अधिक उम्र में सेवाओं में प्रवेश तथा परिणामत: कम समय का कार्यकाल आदि जैसे कारण हैं। आरक्षण संबंधी कार्यकारी अनुदेश विधि का महत्व रखते हैं तथा इसकी अवहेलना को दुर्व्यवहार के समतुल्य माना जाता है जिसके कारण अपराधी अधिकारियों पर आचार संहिता के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सार्वजनिक उपक्रमों सांविधिक, अर्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकायों तथा सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। तथापि, सरकार के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण को अनिवार्य करना संभव नहीं है क्योंकि यह संविधान के समानता प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए उठाये गये कदमों में सीधी भर्ती में आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट, सीधी भर्ती के मामले में रिक्तियों में अनारक्षण पर प्रतिबंध, तीन भर्ती वर्षों के लिए रिक्तियों को आगे ले जाने का प्रावधान, संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी की स्वेच्छा से सीधी भर्ती के मामले में अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट, पदोन्नति के मामले में मूल्यांकन के अर्हकारी अंक/मानक में छूट, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट, जहां पदोन्नति के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं निर्धारित की गई है, सामान्य विचार क्षेत्र के भीतर उपयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने के मामले में विचार क्षेत्र का विस्तार आदि शामिल है।

[अनुवाद]

चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

4145. डा. बलिराम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों के दिसम्बर, 1999 में हुए सम्मलेन में प्रशासन/प्रशासनिक ढांचे के उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की निराशाजनक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए और इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सिफारिश की गयी थी कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों वैधानिक/स्वायत्तशासी संगठनों के निदेशक मंडल, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और भारत सरकार में संयुक्त सचिव और इससे उच्च स्तर के पदों/पद स्थितियों हेतु प्रत्याशियों की खोज, लघु सूचीयन, संस्तुति, पैनल तैयार करने, चयन और भर्ती करने वाली सभी चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक सदस्य शामिल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त चयन बोर्डों/समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को शामिल करने हेतु इनके संगठन से संबंधित वर्तमान अनुदेशों/प्रणालियों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से क्या संरचनात्मक/संगठनात्मक बदलाव लाए गये हैं।

(ग) उनके मंत्रालय के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोल्लिखित पदों पर वर्षवार कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी; और

(घ) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे और उनकी प्रतिशतता कितनी थी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों के दिसम्बर, 1999 के दौरान हुए सम्मेलन में संसद सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि भर्ती बोर्डों/चयन समितियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य होने चाहिए।

(ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उनके अधीन विभिन्न पदों/सेवाओं के लिए गठित चयन बोर्डों, विभागीय प्रोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के यथा सम्भव अधिकतम अधिकारियों को नामित करने का प्रयास करें।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुक्त निधियों का हस्तांतरण

4146. श्री बहादुर सिंह: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उन सभी उपक्रमों की मुक्त निधियों का हस्तांतरण करने का निर्णय लिया है जिनके पास शीघ्र निवेश की योजना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान किये जाने और उनकी मुक्त निधियों के हस्तांतरण के लिए अंतिम प्रारूप तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गोदामों के निर्माण हेतु धन का आवंटन

4147. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गोदामों का निर्माण किए जाने हेतु कई राज्यों को धन आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ज्यादातर राज्यों में निर्माण संबंधी क्रियाकलाप आरंभ नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की मंशा आबंटित धन को वापस लेने की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को निधियां आवंटित नहीं करता है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

बहु वस्तु केन्द्र

4148. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहु वस्तु केन्द्र की स्थापना हेतु नेप्च्यून ओवरसीज के नेतृत्व वाले गुजरात के संघ को अपनी अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस केन्द्र के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(घ) वह किस सीमा तक सहायक होगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, (प्रस्तावित नाम) अहमदाबाद को आधुनिक, इलैक्ट्रोनिक, स्वचालित कमोडिटी एक्सचेंज का गठन करने के लिए सिद्धान्त रूप में मंजूरी दे दी है ताकि एरण्ड बीज रैपसीड/सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, बिनौला, तिल, कोपरा/नारियल, कुसुम, जैसे विभिन्न तिलहनों, उनके तेलों और खलियों के भावी व्यापार के लिए भिन्न-भिन्न कार्यकर्त्ताओं की जोखिम प्रबंधन अपेक्षाओं को प्रभावशाली रूप से और दक्षतापूर्वक पूरा किया जा सके। यह सैद्धांतिक मंजूरी 25 जुलाई, 2001 को इस शर्त पर दी गई थी कि एक्सचेंज को 10 महीने के भीतर चालू कर दिया जाएगा। प्रवर्तक औपचारिकताएं पूरी करने तथा आवश्यक आधार ढांचे की स्थापना के कार्य में लगे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि इससे जिन वस्तुओं के भावी व्यापार की अनुमति दी गई है, उनके बारे में विभिन्न प्रतिभागियों को कुशल, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य संकेत और मूल्य जोखिम प्रबंधन तंत्र उपलब्ध होगा।

विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार

4149. श्री ए. नरेन्द्र: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत छह माह के दौरान देश में विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार के मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान जब्त की गई विदेशी मुद्रा राज्यवार कितनी है; और

(घ) विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने गत छ: मास के दौरान विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन से संबंधित 146 मामलों का पता लगाया है।

(ग) चूंकि प्रवर्तन निदेशालय का कार्य सम्पूर्ण देश में सात क्षेत्रों में बंटा हुआ है, अत: विभिन्न आकड़े क्षेत्र-वार समेकित किये जाते हैं न कि राज्य-वार। उपर्युक्त अवधि के दौरान वसूल की गई विदेशी मुद्रा की राशि के ब्यौरे के संबंध में क्षेत्रवार सूचना निम्नानुसार है:

मुम्बई	19,050 अमरीकी डालर
चेन्नई	29,800 अमरीकी डालर
कोलकाता	9,095 अमरीकी डालर
	2310 यू.के. पाउण्ड
	54 सिंगापुर डालर
	5 आस्ट्रेलियाई डालर

(घ) संदिग्ध हवाला प्रचालकों पर सतत निगरानी रखी जाती है और विशिष्ट सूचना मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में हड़ताल

4150. श्री प्रबोध पण्डा:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की सभी इकाइयों के कर्मचारी और अधिकारी दिनांक 26 एवं 27 जुलाई, 2001 को 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उनकी शिकायतों के निपटान हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां। एचसीएल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने 26 जुलाई, 2001 को एक दिन की हड़ताल की थी।

(ख) यह हड़ताल एचसीएल में विनिवेश करने के सरकार के निर्णय के विरोध में थी। एचसीएल के सरकारी क्षेत्र का एक गैर-नीतिगत उपक्रम है तथा विनिवेश करना संसद में घोषित और पारित (डिबेटेड) सरकार की नीति के अनुसार किया जाना है। कर्मचारियों की आशंकाओं का समाधान करने के लिए, प्रबंधन वार्तालाप कर रहा है तथा लिखित रूप में सूचना भी दे रहा है। सरकार ने सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी दिल्ली में बुलायी थी जहां सरकार की नीति तथा कर्मचारियों की आशंकाओं के समाधान को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया था।

व्यापार मेले के दौरान उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात आदेश

4151. श्री जे.एस. बराड़: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2001 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बड़ी संख्या में निर्यात संबंधी आदेश प्राप्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यापार मेले के दौरान विदेशी फर्मों द्वारा बेची गयी विदेशी वस्तुओं का मूल्य कितना था और सक्रिय कारोबार करने वाले देश कौन कौन से थे;

(घ) देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के संदर्भ में व्यापार मेले में निष्पादन का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भागीदारों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, मेले के दौरान निर्यात पूछताछ समेत 1,55,031 व्यापार पूछताछ प्राप्त हुई थी। अधिकांश निर्यात पूछताछ सूचना प्रौद्योगिकी

समेत इन उत्पादों के बारे में थीं-खनन मशीनरी, अर्थ मूविंग मशीनरी, प्लास्टिक, रिसाइक्लिंग मशीनरी, हल्के इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटोमोटिव संघटक, विनायल उत्पाद, सी एन जी बसें, एसकेवेंजर्स, ट्रांसफारमर्स, ग्राइडिंग मशीनें, पैकिंग मशीनें, वाल्व, निर्माण सामग्री, आभूषण निर्माण मशीनरी, कृषि उपकरण, पम्प, हाथ के औजार, बिल्डर्स हार्डवेयर, लघु उद्योग हेतु मशीनरी, इलैक्ट्रानिक और इलैक्ट्रिकल मदें, फर्नीचर, साज-सज्जा, रेशम, हस्तशिल्प और बासमती चावल। इस मेले ने व्यापार सौदों, आपूर्ति प्राप्त करने, एजेंट/वितरक नियुक्त करने हेतु एक आदर्श मंच प्रदान किया और यह नए उत्पादों को उतारने का एक उचित स्थल भी था। अनेक निर्यातकों ने बाजार परखने के लिए इस अवसर का उपयोग किया।

(ग) हाल ही में सम्पन्न इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 2001 में 151 विदेशी कंपनियों और 21 बाहरी देशों ने भाग लिया। तथापि, किसी भी विदेशी भागीदार कंपनी ने उसके द्वारा बेची गयी वस्तुओं की मात्रा और मूल्य की संरचना आई.टी.पी.ओ. को नहीं दी है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 2001 में 6500 भागीदारों में से 650 भागीदार मेले में सीधे भाग ले रहे थे जबकि अन्य कंपनियां विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और अन्य शीर्षस्थ संगठनों के जरिए भाग ले रही थीं। यद्यपि आई टी पी ओ ने भागीदारों के बीच एक फीडबैक फार्म परिचालित करके किए गए व्यापार के बारे में सूचना एकत्र करने के प्रयास किये थे तथापि, कुछेक भागीदारों ने ही व्यापार परिणामों की सूचना दी थी। उपलब्ध सूचना से 101.05 करोड़ रुपये मूल्य की निर्यात पूछताछ 5.9 करोड़ रुपये की काउन्टर बिक्री और कुल 89.93 करोड़ रुपये की घरेलू पूछताछ और आर्डरों का पता चलता है। यह देखा गया था कि पाकिस्तान, बंगलादेश, ईरान, म्यांमार, तुर्की, रोमानिया, चीन और रूस के भागीदारों ने अपने-अपने पैवेलियन में उत्साहजनक व्यापार किया।

(घ) इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रौद्योगिकी गहन उत्पादों एवं सेवाओं पर विशेष रूप से केन्द्रित होने के साथ-साथ लघु और मझौले क्षेत्रों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करता रहा है। भागीदार उद्यमियों ने भी डिजाइनर, पैकिंग, विपणन में सुधार की जरूरत और इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में एक-दूसरे से जानकारी प्राप्त की।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास केन्द्र

4152. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 21 मार्च, 2001 तक असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में स्थापित किए गए विकास केन्द्रों, औद्योगिक अवसंरचना विकास केन्द्रों और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक केन्द्र पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाने वाले ऐसे प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) 31 मार्च, 2001 तक विकास केन्द्र, एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना (आई.ई.डी.) और स्थापित किये गये निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों का ब्यौरा तथा प्रत्येक केन्द्र पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

विकास केन्द्र योजना

क्र.सं.	राज्य/विकास केन्द्र (जिला) का नाम	अनुमोदन की तारीख	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि (रुपए करोड़ में)
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश निकलॉक-गोरलंग (ईस्ट सियांग)	8.4.97	1.48
2.	असम नारीद्वार (सोनितपुर)	8.4.97	3.00
3.	मटिया (गोलपाड़ा)	31.10.97	2.50

1	2	3	4
4.	मणिपुर लामले ई-नापेट (इम्फाल)	2.3.98	1.50
5.	मेघालय मेंदीपत्थर (ईस्ट गारो हिल्स)	24.10.97	0.50
6.	मिजोरम लुयांगमुआल (ऐजवाल)	24.10.97	3.00
7.	नागालैंड गणेशनगर (कोहिमा	12.2.98	12.45
8.	त्रिपुरा बोधजंग नगर (पश्चिमी त्रिपुरा)	7.11.97	3.00

एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना (आई.आई.डी.)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना के स्थापना स्थल (जिले) का नाम	अनुमोदन की तारीख	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्र द्वारा जारी की गई अनुदान की राशि (करोड़ रुपये में)
1.	असम भोमोरागुड़ी (नगांव)	18.9.2000	1.50
2.	दरंग	6.5.97	0.40
3.	मणिपुर चंदेल	6.5.97	–

निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.)

क्र.सं.	राज्य/ई.पी.आई.पी. के स्थापना स्थल (जिले) का नाम	अनुमोदन की तारीख	31.3.2001 तक भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी की गई अनुदान की राशि (करोड़ रुपये में)
1.	असम अमीनगांव (गुवाहाटी)	8.2.96	10.00
2.	नागालैंड गणेशनगर (दीमापुर)	19.5.99	1.61
3.	मणिपुर खुनूता चिंगजिन (थौबल)	22.9.98	–
4.	मेघालय वायर्निहाट	28.4.95	10.00

(ग) राज्य सरकार द्वारा विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत कामरूप जिले के छायागांव में स्थापना करने के लिए प्रस्तावित विकास केन्द्र की, संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

4153. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित धनराशि में वृद्धि किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची क्या है;

(घ) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य पिछड़ी जाति के लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) जी, हां। सरकार गैर-सरकारी संगठन से संबंधित दो योजनाएं अर्थात (1) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता तथा (2) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की योजना कार्यान्वित कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राशि का आवंटन, किए गए व्यय तथा व्यय में प्रस्तावित वृद्धि क्रमश: 5.00 करोड़ रुपए, 2.89 करोड़ रुपए तथा 5.50 करोड़ रुपए है।

(ग) सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं पिछड़े लोगों की प्राथमिक जरूरतों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है और मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार के नोडल विभागों, निरीक्षण दलों/पदनामित संस्थाओं/राष्ट्रीय संस्थानों आदि को शामिल किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य कौशल उन्नयन के माध्यम से लक्षित समूह अर्थात अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और उन्हें अपनी ओर से आय सृजक कार्यकलाप शुरू करने या लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को इससे संबद्ध करना है। जिन लाभार्थियों के माता पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय लाभार्थी की आय सहित प्रति वर्ष 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वे इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

विवरण

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता की योजना के अंतर्गत 2000-01 के दौरान सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र.सं.	जिले सहित राज्य का नाम	संगठन का नाम और पता	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	स्वाती महिला मण्डली, डी. नं. 20/613, कोनेटी	शिल्प केन्द्र	2.85
	नेल्लौर	मीता, मुलापेट, नेल्लौर-524004		
2.	गुंटूर	श्री वैंकटेश्वर महिला मण्डली, डी. नं. 5-8-11/3, 2/7, ब्रोदीप्ट, गुंटूर-522002	शिल्प केन्द्र	2.92

1	2	3	4	5
3.	महबूब नगर	नवोदय सेवा संघम एच. नं. 10-107, नेताजी रोड जदचिरला, महबूबनगर, पिन-509301	कम्प्यूटर केन्द्र	0.88
4.	हैदराबाद	कल्चरल एक्सन फॉर लिट्रेसी एण्ड अवेरनेस, एच. नं. 1-9-688 (अप-स्टेयर) अपो. रामएश होटल, विद्यानगर, हैदराबाद-44	कारपेन्ट्री	2.09
5.	नेल्लौर	पॉलीमर्स एजुकेशन सोसायटी, इन्दूकुरपेट, नेल्लौर-524314	टी.वी. वी.सी.आर. एण्ड रेडियो रिपेयरिंग	0.97
6.	असम	ग्लोबल हेल्थ लैम्यूलिएशन एण्ड पॉपूलिएशन कन्ट्रोल आर्गनाइजेशन, ऐट रंगालू, पीओ झुमरपुर, डिस्ट. नागौन	टाइपिंग एण्ड शार्ट हैंड सेंटर	1.14
7.	नागौन	डा. अम्बेडकर मिशन, विलेज-धोपतरी, पीओ चांगसारी, डिस्ट. नागौन	टापिंग एण्ड शार्ट-हैंड ट्रेनिंग सेंटर	1.66
8.	हैलाकांडी	डब्ल्यू ओ डी डब्ल्यू आई सी एच ई ई, पीओ लखीरबोन्ड, डिस्ट. हैलाकांडी-782002	शिल्प केन्द्र	1.57
9.	नागौन	बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, नूर नगर, पीओ हेरापती, वाया हैबरगौर, नागौन-782002 (असम)	कम्प्यूटर केन्द्र	0.99
10.	नागौन	बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, छोटा रुपाली नगर पी.ओ. हीरापती, वाया हैबूर, डिस्ट., नागौन	टाइपिंग एण्ड शार्ट हैंड ट्रेनिंग सेंटर	1.68
11.	दिल्ली सुल्तानपुरी	भारतीय कल्याण समिति, पी-2/197 सुल्तानपुरी, दिल्ली-110018	शिल्प केन्द्र	2.89
12.	पालम कालोनी	एस.सी./एस.टी. वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी, 330-बी, गली नं. 11, रैनघर पालम कालोनी-II, नई दिल्ली	शिल्प केन्द्र	2.84

1	2	3	4	5
13.	श्याम विहार	नागरिक शिक्षा समिति, एन-॥, श्याम नगर, ख्याला रोड नई दिल्ली-110018	शिल्प केन्द्र	2.91
14.	गोकलपुर	श्री स्वतंत्र भारत शिक्षा समिति, ए 2/271, गली नं. 3, अमर कालोनी ईस्ट गोकुलपुर, दिल्ली-110094	शिल्प केन्द्र	3.25
15.	जहांगीरपुरी	भारतीय मानव शिक्षा समिति, हाउस नं. 2396, ब्लाक-ईई, जहांगीरपुरी, दिल्ली-110033	शिल्प केन्द्र	2.56
16.	उत्तमनगर	आल इंडिया कोणार्क एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, क्यू-21, मानसकुंज रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	टाइपिंग एण्ड शार्ट हैंड केन्द्र	2.35
17.	जहांगीरपुरी	ग्रामोत्थान कल्याण परिषद, सी-1897, जहांगीरपुरी, दिल्ली-33	शिल्प केन्द्र	2.87
18.	गुजरात राजकोट	विद्याभारती शैक्षिक एवं चैरि. ट्रस्ट विद्यानगर	कम्प्यू. केन्द्र	3.24
19.	जामनगर	अमीने शरीयत शिक्षा ट्रस्ट, धोल	टेलरिंग सैंटर	1.43
20.	हरियाणा	जिंद अमर ज्योति शिक्षा समिति, जुलाना	क्राफ्ट सैंटर	3.18
21.	फरीदाबाद	आर्यावृत अच्छा विद्यालय प्रबंध समिति पलका	टाईप एण्ड शार्टहैंड	1.28
22.	सोनीपत	मॉडर्न एजु. सोसा., मंदोरी रोड	टाईप व शॉर्टहैंड	0.93
23.	जम्मू-कश्मीर, पलवामा	सैंटर फॉर स्लम डेव., मेन बाजार	कम्प्यू. केन्द्र	3.04
24.	बदगांव	वूमन एण्ड चिल्ड्रन सोसा., बेरू	टाईपिंग व शौर्टहैंड सैं.	0.58
25.	कर्नाटक बंगलौर	मदर्स केयर एजु. सोसा., बंगलौर	क्राफ्ट ट्रेनिंग सैंटर	2.88
26.	मध्य प्रदेश भिंड	ग्रामीण विकास महिला मंडल, हाउसिंग	क्राफ्ट सैंटर	6.65
27.	राजगढ़	भोपाल महिला मंडल, मुहल्ला पुरा	टाईप व शॉर्टहैंड	1.14
28.	मुरैना	श्री शांतिनिकेतन, शिक्षा प्रसार समिति गणेशपुरा	कम्प्यू. केन्द्र	3.70

1	2	3	4	5
29.	भिंड	यादव महिला मंडल, दाबोह, तह. लहर	टाईप व शॉर्टहैंड	1.14
30.	मुरैना	श्री गोपाल शिक्षण व समाज सेवा समि. गणेशपुरा	क्राफ्ट सेंटर	6.65
31.	जबलपुर	उज्जवल महिला मंडल, नागपुर रोड	टाईप व शार्टहैंड	1.14
32.	भिंड	विवेकानंद समाज कल्याण संस्थान, लहर रोड	कम्प्यूटर केन्द्र	3.74
33.	महाराष्ट्र अमरावती	महान तपस्विनी फुलेमहा स्व. महिला संस्था, कल्याण नगर	क्राफ्ट सैंटर	3.25
34.	थाणे	ए.बी.एम. समाज प्रबोध संस्था, कल्यान	टाईपिंग व शॉर्टहैंड	0.58
35.	नांदेड़	ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट, नादेड़-2	टाईपिंग व शॉर्टहैंड ट्रेनिंग सैंटर	1.84
36.	अकोला	जीवन धर्म व्यायाम वृद्ध शिक्षण प्रसारक अंबिका नगर, अकोला जिला	प्रिंटिंग एंड कंपोजिग व बुक बाइंडिंग	1.09
37.	गदचिरोली	भाग्यशाली शिक्षण संस्था, बोरी दिआहारी, गदचिरौली	क्राफ्ट सैंटर	2.81
38.	लातूर	बाल विकास महिला मंडल, समभागीनगर खदाउँ रोड, लातूर	कम्प्यू. केन्द्र	1.97
39.	अकोला	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिष्ठान अंबिका नगर	टाईपिंग व शॉर्टहैंड ट्रेनिंग सैंटर	1.28
40.	धुले	उज्जवल रूरल डेवलेपमेंट सोसा., स्वामी समर्थ कालोनी, ताल्लुक शिंदखेडा जिला-धुले	टाईपिंग व शॉर्टहैंड ट्रेनिंग सैंटर	1.64
41.	नांदेड़	श्री सेवा दास शिक्षण प्रसारण मंडल, आई.टी.आई. के निकट	कम्प्यूटर केन्द्र	1.93
42.	धुले	किबलस, पटेटिल काम्लेक्स, अंदरोड	कम्प्यूटर केन्द्र	1.44
43.	धुले	सतपुडा तापी प्रसार समिसरा अपंग	कम्प्यूटर केन्द्र	1.44
44.	मणिपुर	मास डेवलेपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकेई	टाई एण्ड डाई	0.49
45.	इम्फाइवैस्ट	अर्बन वैलफेयर एसो., वैस्ट इम्फाल	क्राफ्ट सैंटर	2.96
46.	थोबल	इस्लामिक एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन	क्राफ्ट सैंटर	3.55
47.	थोबल	सैंटर फॉर डेवलपमेंट एक्टीविटीज, वानजिंम	फोटोग्राफी	1.43

1	2	3	4	5
48.	थोबल	दि इन्टरिगेटेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी पी.ओ. मयांग	क्राफ्ट सैंटर	1.23
49.	थोबल	एजुकेशन एण्ड प्रौद्योगिकी विकास	टाईप एण्ड शॉर्ट हैंड	0.91
50.	विष्णुपुर	दि वूमेन ट्रेजरी डेवलेपमेंट एसो., मपाल	क्राफ्ट सैंटर	1.23
51.	इम्फाल (ई)	इन्टरीगेटेड एजुकेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इम्फाल	टाईप एण्ड शॉर्टहैंड ट्रेनिंग सैंटर	1.81
52.	चांदेल	ग्रामीण स्वैच्छिक सेवाएं, थोबल	टाईप एण्ड शॉर्टहैंड ट्रेनिंग सैंटर	2.00
53.	थोबल	न्यू इन्टीग्रेटेड रूरल मेनेजमेंट एजेंसी नंगफो बाजार	क्राफ्ट सैंटर	3.25
54.	इम्फाल (ई)	लैमलोगोई न्यू पी फिशा ग्रुप एसो.,	क्राफ्ट सैंटर	1.14
55.	थोबल	सैंटर ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस, थोबल	टी.वी., वी.सी.आर. एवं रेडियो मरम्मत केन्द्र	0.29
56.	विष्णुपुर	ग्रामीण एजुकेशनल एण्ड सामाजिक-आर्थिक विकास संगठन, विष्णुपुर	क्राफ्ट सैंटर	3.18
57.	उड़ीसा-नयागढ़	सोशल वैल. ऑर्गेनाइजेशन मधुसूदन नगर	ब्रास एण्ड बैल मैटल क्राफ्ट सैंटर	2.12
58.	जजपुर	नेशनल इन्स्टी, फॉर सोशल वैल. डाकघर सुकिंडा	टाईपिंग एण्ड शॉर्टहैंड प्रशिक्षण केन्द्र	1.09
59.	भुवनेश्वर	राज्य अक्षण सेवा समिति भुवनेश्वर (उड़ीसा)	क्राफ्ट सैंटर	2.81
60.	क्योंझर	होली होम, भुवनेश्वर	टाईपिंग व शार्टहैंड प्रशिक्षण केन्द्र	1.79
61.	खुर्दा	आदर्श शिक्षण केंद्र, बेलपाड़ा, जटनी	लैदर आर्ट	0.69
62.	भदरक	निखिर उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ, सैलश्री विहार	टाईप व शॉर्टहैंड सैं.	1.14
63.	क्योंझर	संचार, क्योंझर	टाईप व शॉर्टहैंड प्रशिक्षण केन्द्र	1.86
64.	कटक	एसो. फॉर सोशल एक्टीविटी	कम्प्यूटर केन्द्र	3.67
65.	खुर्दा	वालिएन्टरी इन्स्टी. फॉर सोशल वैल.	टाईप व शॉर्टहैंड	1.14

1	2	3	4	5
66.	सिक्किम	एसो. फॉर वैल. ऑफ बैकवर्ड क्लासेस नामची	फोटोग्राफी, टी.वी. वी.सी.आर., फूट प्रोवें.	2.11
67.	तमिलनाडु	सैंटर फॉर रूरल इकनॉमिक डेव. एण्ड इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग, ताल्लुक पुनामल्ली	क्राफ्ट सैंटर	1.23
68.	तिरूवल्लुर	कोक आर्टस कल्चर रिसर्च सैंटर, कवारारई, पिट्टई	क्राफ्ट सैंटर	1.57
69.	उ.प्र. सहारनपुर	ऑल इंडिया विमेन क्रांफ्रेंस, दिल्ली रोड	क्राफ्ट सैंटर	3.18
70.	लखनऊ	विविधा, कानपुर रोड, आलमबाग	कम्प्यूटर सैंटर	0.96
71.	बिजनौर	महिला सेवा संस्थान, चांदपुर	क्राफ्ट सैंटर	0.67
72.	मुरादाबाद	मॉडर्न शिल्पकला केन्द्र, करूला	क्राफ्ट सैंटर	1.48
73.	लखनऊ	समकॉन विकलांग कल्याण समिति, गोमती नगर	क्राफ्ट सैंटर	1.62
74.	बरेली	शील ग्रामीण विकास संस्थान, बिसालपुरमा.	प्रिंटिंग, कंपोजिग एण्ड बुक बाइंडिंग	1.50
75.	बदाऊं	मोर्या शाक्य छात्रावास जनकल्याण समिति, बदायूं	टाईपिंग व शॉर्टहैंड प्रशिक्षण केन्द्र	1.29
76.	पीलीभीत	अशोक कल्याण समिति, नयी बस्ती	क्राफ्ट सैंटर	1.40
77.	प. बंगाल बर्दमान	सैंट्रल एस.सी. एण्ड जनजातीय एसो. बर्दमान (प. बंगाल)	टाईपिंग व शॉर्टहैंड	2.56
		कुल		157.21

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की सूची

1.	उड़ीसा भुवनेश्वर	एल.सी. इन्स्टी., भुवनेश्वर	अन्य पिछड़े वर्गों के के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	1.00

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4154. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले अधिकारियों की वर्गवार/पदवार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे अधिकारियों को क्या लाभ दिए गए हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार ऐसी सेवानिवृत्ति के लिए अधिकारियों के लंबित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसी सेवानिवृत्ति के कारण उनके मंत्रालय का सुचारू कामकाज प्रभावित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इससे किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है; और

(च) सरकार का विचार उक्त सभी रिक्तियों को भरने हेतु कैसे व्यवस्था करने का है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के निम्नलिखित कर्मचारियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है:-

वर्ष	श्रेणी	पद	कर्मचारियों की संख्या
1999	-	-	शून्य
2000	समूह ''ग''	उच्च श्रेणी लिपिक	1
	समूह ''ख''	सहायक	1
2001	-	-	शून्य

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत ग्राह्य।

(ग) शून्य।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

(च) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो इस मंत्रालय का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है, सरकार की नीति के अनुसार रिक्त पदों को भर रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को शक्तियां प्रदान करना

4155. डा. संजय पासवान : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को और प्रभावी बनाने हेतु अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियां उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विद्यमान आयोग द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त आयोग द्वारा की गई उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस आयोग द्वारा की गई उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार जैसा कि खण्ड (5) तथा (8) के अधीन उल्लिखित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना विशेष कार्यों और शक्तियों के साथ की गई है। राष्ट्रीय आयोग ने अभी तक 6 वार्षिक रिपोर्टें तथा 4 विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें से तीन विशेष रिपोर्टें राज्यों से संबंधित हैं। इन रिपोर्टों पर कार्रवाई की गई है और चार वार्षिक रिपोर्टों तथा एक विशेष रिपोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड (6) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है। आयोग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने अनेक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त निकायों एवं संस्थाओं के साथ समीक्षा बैठकें की हैं।

(घ) और (ङ) संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड (6) के अधीन प्रावधान के अनुसार, आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई तथा स्वीकार न किए जाने के कारणों, यदि कोई हों, को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उक्त अनुच्छेद के खण्ड (7) के अनुसार जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी मामले से संबंधित होता है जिससे कोई राज्य सरकार संबंधित हो तो उस रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल के पास इसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा स्वीकार न किए जाने के कारणों, यदि कोई हों, को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन के साथ राज्य के विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाता है। सरकार सिफारिशों को स्वीकार

करने के लिए बाध्य नहीं है। प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संसद में रखी गई चार रिपोर्टों तथा एक विशेष रिपोर्ट में दर्शाया गया है। दो अन्य रिपोर्टों में सिफारिशों पर कार्रवाई चल रही है।

[अनुवाद]

चाय का उत्पादन/निर्यात

4156. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चाय का उपभोग करने वाले बड़े देशों द्वारा सी.टी.सी. चाय की तुलना में पारम्परिक चाय को प्राथमिकता दिए जाने के मद्देनजर देश में पारंपरिक चाय के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई नए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने चाय के निर्यात के लिए रूस, पाकिस्तान, ईरान, ईराक, संयुक्त अरब अमीरात एवं सऊदी अरब में कुछ नये क्षेत्रों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक देशों में से प्रत्येक देश को निर्यातित चाय की मात्रा कितनी है;

(ङ) क्या अफगान पर अमरीकी आक्रमण की वजह से चाय के निर्यात में गिरावट का रुझान है;

(च) यदि हां, तो चाय निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा के अर्जन पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(छ) क्या टी बोर्ड चाय क्षेत्र के लिए उचित आर्थिक माहौल को सुनिश्चित करने में अक्रिय रहा है; और

(ज) सरकार द्वारा टी बोर्ड को सक्रिय बनाए जाने हेतु उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) सरकार/चाय बोर्ड ने विभिन्न विकास योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनके अधीन परम्परागत चाय सहित देश में चाय के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उपजकर्त्ताओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, सरकार ने सी.टी.सी. चाय के उत्पादन में लगी मौजूदा वाउट-लीफ फैक्टरियों को डुअल या परम्परागत चाय विनिर्माता एककों में शीघ्र परिवर्तन के लिए हाल ही में एक योजना अनुमोदित की है।

(ग) और (घ) जी, हां। चाय बोर्ड/सरकार ने गहन चाय संवर्द्धन प्रयासों के लिए थ्रस्ट बाजारों में रूस, पाकिस्तान, इरान, इराक, यू.ए.इ. और सऊदी अरब जैसे देशों का अज्ञिभात किया है। चालू वर्ष के दौरान इन देशों को हुए चाय के निर्यातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

मात्रा (किग्रा. में)

देश	वित्तीय वर्ष* (अप्रैल-अगस्त, 2001)	कैलेण्डर वर्ष* (जनवरी से अगस्त, 2001)
रूस	30.34	46.71
पाकिस्तान	00.44	02.09
ईरान	01.00	02.52
इराक	04.01	06.95
यू ए ई	08.96	13.66
सऊदी अरब	00.88	00.93

*अनुमानित

(ङ) और (च) चाय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार दुबई और यू ए ई के चाय व्यापारी और आयातक युद्ध के शुरू होने के कारण भारी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि चाय की मांग में अचानक आयी गिरावट, नौवहन में लगने वाले अपेक्षाकृत अधिक समय और इसके परिणामस्वरूप आर्डरों के रद्द होने की वजह से इस क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भारी घाटा हो रहा है। भारतीय चाय के निर्यातों पर युद्ध के प्रभाव का आकलन केवल तभी किया जा सकता है जब अक्तूबर से आगे निर्यात संबंधी आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे।

(छ) और (ज) जी, नहीं। चाय बोर्ड देश में चाय के उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से चाय बोर्ड ने विभिन्न विकास योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनके तहत इस उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निर्यातों को संवर्द्धन के प्रयोजन से चाय बोर्ड ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं - प्रमुख चाय आयात देशों में चाय बोर्ड के लोगों और विशिष्टता चाय लोगों का पंजीयन, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारतीय ब्रांडों के विपणन में भारतीय निर्यातकों को संवर्द्धनात्मक सहायता देना, विशिष्टता वाले भंडार व प्रमुख बाजारों में मौके पर जाकर नमूने लेना, विशिष्टता युक्त भारतीय चाय के बारे में उपभोक्ता जागरूकता

बढ़ाने के लिए मीडिया प्रचार चाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान इत्यादि।

बोर्ड को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद के प्रयोजन से सरकार द्वारा चाय बोर्ड को वार्षिक बजटीय सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार बोर्ड के क्रियाकलापों और विकास योजनाओं की समीक्षा भी नियमित रूप से करती है।

सहकारी बैंकों को लाइसेंस

4157. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष गुजरात राज्य द्वारा सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के कई प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित हैं;

(ग) इन बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंक खोले जाने संबंधी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए गुजरात राज्य से प्राप्त कोई प्रस्ताव उसके पास लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महत्वपूर्ण बिक्री

4158. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने कुछ समय के लिए महत्वपूर्ण बिक्री हेतु 30 कंपनियों का चयन किया है जिसमें इसका भारी अंश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपने अंशों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने हेतु अंश की बिक्री करने के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ संघ बनाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) यू.टी.आई. के अनुसार, इसके न्यासी बोर्ड ने 13 जून, 2001 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि प्रारम्भ में यूनिट ट्रस्ट, जहां कहीं उपलब्ध हो, अपने को उन कम्पनियों से अलग करने के अवसरों का पता लगाए, जहां उसकी लगभग 10 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत से अधिक इक्विटी भागीदारी हो और ऐसी कंपनियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जहां (क) लगाई गई पूंजी पर अपेक्षाकृत निम्न आय हो और (ख) स्टॉक एक्सचेंजों में कम मात्रा के रूप में परिलक्षित स्टॉकों की नकदी-हीनता का उच्च स्तर हो।

यूनिट ट्रस्ट ऐसी कंपनियों में अपने हिस्से की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र है, जहां ऐसे कार्य से यूनिटधारकों के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो सकता हो तथा साथ ही समय सीमा तक सही एवं विश्वस्त रिकार्ड वाले प्रबन्धन को प्रभावित किए बिना शेयरधारकों के शेयरमूल्यों में वृद्धि हो सकती हो। यूनिट ट्रस्ट द्वारा चयनित 30 कम्पनियों की कोई सूची नहीं है।

(ग) जहां कहीं अन्य निवेश संस्थाओं का हित समान हो, एक संयुक्त प्रयास का सहारा लिया जा सकता है।

(घ) वित्तीय संस्थाओं के बीच परामर्श एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

4159. श्रीमती प्रभा राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 हेतु स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकवार कितने ऋण का लक्ष्य है;

(ख) प्राप्त की गई बैंक उपलब्धि कितनी हैं;

(ग) लक्ष्य से कम निष्पादन करने वाले उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण जुटाने का लक्ष्य केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार तय किया जाता

है, न कि बैंक-वार। तथापि, प्रत्येक राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच लक्ष्यों का आबंटन करती है। वर्ष 2000-2001 के लिए योजना के अन्तर्गत बैंक-वार लक्ष्य और उपलब्धियां एकत्र की जा रही हैं, और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उपगवर्नर की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक में गठित उच्च स्तरीय निगरानी कक्ष द्वारा समय-समय पर बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे निश्चित रूप से ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने का हर-संभव प्रयास करें। इसे अग्रणी जिला अधिकारी भी इस मामले को जिला परामर्शदात्री समिति, जिला स्तरीय पुनरीक्षा समिति, जिला एस.जी.एस.वाई. समिति आदि जैसे विभिन्न मंचों पर विचारार्थ उठाएं। प्रत्येक राज्य में इस योजना के अंतर्गत बैंक-वार प्रगति की भी संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और उनके द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाती है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के परिसर

4160. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय प्रतिभूति अपील अधिकरण द्वारा कब्जा किए गए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के परिसरों के संबंध में किराया/परिसर की खरीद के भुगतान हेतु आवंटित धनराशि को वापस कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मई, 2000 में परिसर का मूल्यांकन करने की सूचना दिए जाने के बावजूद ऐसा कर पाने में असमर्थ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण ने नवम्बर, 1997 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिसरों के एक भाग पर कब्जा किया हुआ है। इन परिसरों के मूल्यांकन में कुछ प्रक्रिया संबंधी देरियों के कारण किराए के भुगतान हेतु रखे गए बजटीय आवंटनों को खर्च नहीं किया जा सका।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा अब इन परिसरों का मूल्यांकन किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा कर्मचारियों पर व्यय

4161. **श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने 2001 की अपनी रिपोर्ट सं. 2 के प्रश्न 136-37 में यह तथ्य प्रकाशित किया है कि उनके मंत्रालय के अनुसार पी ए ओ यह पता लगाने में असफल रहा है कि निकाला गया ऐसा वेतन केवल संस्वीकृत कर्मचारियों के लिए था या नहीं और मंत्रालयों में इसके द्वारा धन प्राप्त करने वाले 65 से ज्यादा नियमित वाणिज्य दूतावासों से संबंधित रोकथाम की संवीक्षा कर पाना कठिन/व्यवहार्य नहीं था;

(ख) क्या मंत्रालय के पास यह सुनिश्चित करने की कोई प्रणाली नहीं है कि वाणिज्यिक स्कंधों वाले विदेश में स्थित भारतीय दूतावास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर्मचारी संख्या का कड़ाई से पालन करें, जांच परीक्षण से यह उद्घाटित हुआ है कि लेखा परीक्षा द्वारा इस मुद्दे पर टिप्पणी किए जाने के बावजूद कर्मचारी मद पर 48 लाख से ज्यादा का अवैध व्यय जारी रहा है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने फरवरी 2001 तक लेखा परीक्षा-रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त के संबंध में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और दूतावासों और उनके मंत्रालय के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु इसके द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सी ए जी ने वर्ष 2001 की अपनी रिपोर्ट सं. 2 के पेज 136-137 में कहा है कि "..... यह निर्धारित करना, संबंधित दूतावास के पी ए ओ की जिम्मेवारी थी कि वेतन केवल स्वीकृत कर्मचारियों के लिए निकाला गया है और मंत्रालय से धन प्राप्त करने वाले 65 से ज्यादा नियमित वाणिज्यिक दूतावासों के संबंध में मंत्रालय के लिए संबंधित रोकथाम की संवीक्षा कर पाना व्यवहार्य नहीं था।"

(ख) प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की जांच वाणिज्य विभाग और विदेश मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा की जाती है। प्रत्येक दूतावास की लेखा-परीक्षा जांच भी की जाती है।

(ग) मसौदा लेखा परीक्षा पैरा 7.6.2000 को प्राप्त हुआ था और मसौदा पैरा का उत्तर 31.3.2001 को लेखा परीक्षा को भेज दिया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2001 की रिपोर्ट सं. 2 पर लेखा परीक्षा पैरा सं. 7.2 मंत्रालय में 27.8.2001 को प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने कृत कार्रवाई टिप्पणी को अंतिम रूप दे दिया है और उसे मुख्य लेखा परीक्षा निदेशक, लंदन को 28.11.2001 को भेज दिया गया है ताकि उसे महालेखाकार को प्रस्तुत किया जा सके।

(घ) वाणिज्यिक दूतावासों के नियंत्रण और प्रशासन के संबंध में पूर्ववर्ती निर्देशों में संशोधन के बाद वाणिज्यिक दूतावासों को समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आयोजन पर हुआ व्यय

4162. डा. बी.बी. रमैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नयी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आयोजन पर हुआ कुल व्यय कितना है;

(ख) व्यापार मेले में आगंतुकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) इससे हुई वास्तविक आय कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इस मेले की व्यापार विकास प्रतिशत का अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए अनुमानित व्यय 572.60 लाख रुपए हुआ है।

(ख) आगन्तुकों की अनुमानित संख्या 2.5 मिलियन है।

(ग) लाइसैंस शुल्क तथा अन्य प्राप्तियों के माध्यम से अनुमानित आय 16.92 करोड़ रुपए (लगभग) होगी।

(घ) और (ङ) इस मेले की सफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए 1,55,031 व्यापार संबंधी पूछताछ किए जाने की रिपोर्ट मिली है, जैसे सी.एन.जी. बसों, एक्सवेंजरों, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसफारमर्स, ग्राईडिंग मशीनों, पैकिंग मशीनों, वॉल्वस निर्माण सामग्री, आभूषणों का विनिर्माण करने वाली मशीनरी, कृषि उपकरणों, लघु उद्योगों के लिए मशीनरी, पंप, हस्त औजारों, बासमती चावल, इलैक्ट्रॉनिक तथा विद्युत मदें, फर्नीचर फर्नीशिग्स रेशम तथा हस्तशिल्प आदि के लिए। जहां ये पूछताछ भविष्य में बड़े पैमाने पर व्यापार कारोबार का संकेतक हैं वहीं न तो इसकी मात्रा बतायी जा सकती है और न ही इस समय कोई सही अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि अधिकांश पूछताछ कई महीनों के बाद ही वास्तविक व्यापार में परिणत होने की संभावना है।

इस व्यापार में 40 देशों से व्यापार शिष्टमंडलों सहित 1,50,000 व्यापारी आगंतुक आए। 6500 सहभागियों में से लगभग 81 प्रतिशत ने अगले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भाग लेने की अपनी मंशा व्यक्त की जिससे यह संकेत मिलता है कि इस वर्ष उनकी सहभागिता काफी संतोषजनक थी और इससे उनके उद्देश्यों की पूर्ति हुई।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को वेतन

4163. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के मजदूरों और कर्मचारियों को 9 माह से ज्यादा समय से वेतन नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इनके वेतन के भुगतान में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इकाइयों में वेतन/मजदूरी की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया एक रुग्ण कंपनी है और बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित है तथा नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान करने में अक्षम है। सरकार यथा संभव कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। वेतन एवं मजदूरी का भुगतान करने के लिए गैर-योजना सहायता के रूप में कंपनी को 2000-2001 की अवधि में 40.41 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए। चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए 22.70 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं।

विवरण

30.11.2001 के अनुसार सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. में वेतन एवं मजदूरी की स्थिति

क्र.सं.	इकाई का नाम	भुगतान कब तक किया गया
	प्रचालित इकाइयां	
1.	बोकाजन	अक्टूबर, 2001
2.	तंदूर	अक्टूबर, 2001
3.	राजबान	सितम्बर, 2001
	प्रचालित इकाइयां	
4.	मंधार	जुलाई, 2001
5.	कुरकुंटा	जुलाई, 2001
6.	नयागांव	जुलाई, 2001
7.	अकलतारा	जुलाई, 2001
8.	अदिलाबाद	जुलाई, 2001
9.	चरखी-दादरी	जुलाई, 2001
10.	दिल्ली ग्राईंडिंग इकाई	जुलाई, 2001

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियां

4164. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के अंतर्गत [illegible] व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर वित्त मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96- स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गई बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत 3-4 वर्षों के दौरान ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/बने पदों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.7.2000 के अनुदेशों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को 50 प्रतिशत तक भरे जाने की सीमा केवल उन आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो वर्तमान साल में हैं और पिछले सालों की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में मान्यता दी जाएगी और इनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी। हालांकि पिछली बकाया और/अथवा अग्रेनीत रिक्तियां, संबद्ध पद-आधारित रोस्टर में आरक्षित पदों की निर्धारित संख्या के बराबर या उससे अधिक सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति में आरक्षित रिक्तियों का संयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करते ही स्वत: व्यपगत हो जाएंगी। ये अनुदेश अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों पर लागू नहीं होते। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में निहित प्रावधान संवर्ग में संबंधित श्रेणियों में आधिक्य/कमी की पहचान और पद-आधारित रोस्टर के शुरूआती संचालन के बारे में है। वित्त मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों के मामले में आरक्षित श्रेणी की विभिन्न रिक्तियों/पदों और अग्रेनीत रिक्तियों के कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सम्पत्ति कर निर्धारिती

4165. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 में सम्पत्ति कर निर्धारितियों की संख्या 5.45 लाख से घटकर 2.25 लाख हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये यह दर्शाती है कि सक्षम निर्धारिती सही रूप से कराधान न किए जाने अथवा सम्पत्ति कर के अपवंचन के उद्देश्य हेतु अपनी सम्पत्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दाखिल की गई सम्पत्ति कर विवरणी की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान लंबित पड़ी विवरणियों और सम्पत्ति कर की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सम्पत्ति कर की वसूली में आई गिरावट के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा सक्षम लोगों की सम्पत्ति कर दायरे में लाने

हेतु क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) धनकर निर्धारितियों की संख्या में उत्तरोत्तर रूप से कमी हो रही है क्योंकि कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से मात्र अनुत्पादक परिसम्पत्तियों पर धन कर प्रभारित किया जा रहा है। परिसम्पत्तियां जैसे बन्धपत्र, शेयर, प्रतिभूतियां, सावधि जमा आदि में निवेशों को धनकर से छूट प्राप्त है। कर निर्धारितियों की संख्या में कमी का दूसरा कारण यह है कि कर निर्धारण 1993-94 से धनकर विवरणियां दाखिल करने के लिए छूट सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। परिणामत: लघु धनकर निर्धारिती कर दायरे से बाहर हो गए हैं।

(ग) उक्त ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001
धनकर विवरणियों की संख्या	81,066	69,336	59,454
अनिर्णीत निपटान की संख्या	38,090	59,674	50,093
धनकर वसूली (करोड़ रु.)	162.04	132.91	131.73

(घ) गत 6 वर्षों की धनकर वसूली को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए (जैसाकि सारणी में नीचे दिया गया है) अत: यह कहा जा सकता है कि धनकर की वसूली में कोई कमी नहीं आई है।

वित्त वर्ष	धनकर वसूली (आंकड़े करोड़ रु. में)
1995-96	74.16
1996-97	77.44
1997-98	113.03
1998-99	162.04
1999-2000	132.91
2000-2001	131.73

सरकार अधिक से अधिक लोगों को धनकर दायरे में लाने के लिए कई कदम उठा रही है जो निम्नानुसार है:-

(1) छ: में से एक स्कीम को लागू करना जिसके तहत छ: में से कोई एक आर्थिक सूचक जैसे गृह, कार का स्वामित्व आदि को पूरा करने वाले व्यक्तियों के लिए अपनी आय की विवरणी दाखिल करना अनिवार्य किया गया है।

(2) कर निर्धारितियों द्वारा विभिन्न परिसम्पत्तियों को रिकार्ड में लाने के लिए आयकर विवरणी में परिवर्तन किए गये हैं।

(3) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार राजस्व हानि को रोकने के लिए आयकर और धनकर के लिए एक ही विवरणी फार्म रखने की संभावना की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

अ-खाद्य तेल का निर्यात/आयात

4166. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश से किस-किस प्रकार के अ-खाद्य तेल का निर्यात किया जा रहा है और देश में किस-किस प्रकार के अ-खाद्य तेल का आयात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कच्चे तेल सहित कितनी मात्रा में अ-खाद्य तेल का निर्यात/आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार अ-खाद्य तेल के निर्यात पर रोक लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इस समय अखाद्य तेलों के निर्यात को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

अखाद्य तेलों का निर्यात

मात्रा : (000 मी. टन में)

किस्म	1998-99	1999-2000	2000-2001
अरंडी का तेल	194	235	227

अखाद्य तेलों का आयात

किस्म	1998-99	1999-2000	2000-2001
पी के एफ ए डी	10	15	9
सी पी ओ	35	–	–
पी एफ ए डी	72	112	118
सी पी एस	29	37	77
एस पी के एफ ए	13	4	4
सी पी के ओ	–	14	30
एस बी एफ ए	–	10	–
सी पी एल	–	47	3
अन्य	33	11	22
कुल	192	250	263

उपरोक्त आंकड़े नवम्बर से अक्तूबर तक के तेल वर्ष से संबंधित हैं।

टिप्पणी : पी के एफ ए डी - पाम करनेल फैटी एसिड डिस्टलेट, सी पी ओ - क्रूड पाम आयल, पी एफ ए डी - पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट, सी पी एस - क्रूड पाम स्टीम, सी पी के ओ - क्रूड पाम करनेल आयल, एस बी एफ ए-स्पिलिट ब्लेंड फैटी एसिड, सी पी एल - क्रूड पामोलिन।

स्रोत : सोल्वेंट एक्सट्रेक्टरर्स एसोसिएशन, मुंबई।

[अनुवाद]

बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को प्रोत्साहन

4167. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सुविचारित पूर्वोत्तर नीति संबंधी प्रोत्साहनों को पिछड़े बोडो आदिवासी क्षेत्र में बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ढालीगांव में लागू करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पूर्वोत्तर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के संबंध में विशेषकर बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के संदर्भ में प्रासंगिकता और उपयोगिता क्या है;

(ङ) इस नीति की घोषणा के उपरान्त पूर्वोत्तर राज्यों को कुल कितनी राशि का नया निवेश प्राप्त हुआ है और तत्संबंधी विस्तृत विवरण क्या है; और

(च) यदि नवीन निवेश प्राप्ति की मात्रा इतनी कम है, तो इस नीति के लोगों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यमान प्रमुख उद्योगों, विशेषकर बोंगाईगांव रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को न पहुंचाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1997 में घोषित नई पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति योजना के तहत, पर्याप्त विस्तार वाली मौजूदा इकाइयां, पूंजी निवेश राज सहायता नीति, कार्यशील पूंजी राज सहायता, 10% बीमा दायरा इत्यादि जैसी नीतियों के तहत घोषित किये गये प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं। तथापि, तेल-शोधनालय, बागवानी और विद्युत जनित्रण इकाइयां परिवहन राजसहायता योजना के लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

(ङ) पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति योजना की घोषणा किये जाने के बाद 31 मार्च, 2001 तक की अवधि में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये निवेश की राशि के विवरण निम्नानुसार हैं:

	राज्य	परियोजना पूरी होने पर संभावित पूंजी निवेश (रुपये करोड़ में)	31 मार्च, 2001 तक किया गया पूंजी निवेश (रुपये करोड़ में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	12.84	9.45
2.	असम	211.03	178.14
3.	मणिपुर	9.9	8.69
4.	मेघालय	74.09	27.05
5.	मिजोरम	8.43	4.56
6.	नागालैंड	11.62	9.41
7.	त्रिपुरा	10.6	11.19
	योग	339.11	249.09

(च) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, महोदय, प्रश्न नहीं उठता है।

ग्रामीण और अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में सरकारी निवेश

4168. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने ईंधन विकास के लिए सरकारी निवेश की वापसी का संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निवेश में तेजी ग्रामीण क्षेत्र और अवसंरचना में होगी;

(ग) यदि हां, तो निधियों को प्राप्त करने के लिए क्या अर्थोपाय तैयार किए गए हैं;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) प्रधान मंत्री द्वारा ली गई व्यापार और उद्योग संबंधी परामर्शदात्री परिषद् तथा आर्थिक सुधार परिषद् की बैठकों में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु राजकोषीय नीति का उपयोग करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) से (ङ) ग्रामीण और आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2001-02 के बजट में बहुत से उपायों की घोषणा की गई है।

कमजोर सहकारी बैंक

4169. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि देश में अधिकतर सहकारी बैंक कमजोर हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन-किन बैंकों की पहचान कमजोर बैंक के रूप में की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन सहकारी बैंकों के कमजोर होने के कारणों का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अधिकांश सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि देश के अधिकांश सहकारी बैंक कमजोर हैं। 31 अक्टूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार देश के 2087 शहरी सहकारी बैंकों में से सिर्फ 262 को कमजोर बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो कुल शहरी सहकारी बैंकों का 12.6 प्रतिशत है। इसी प्रकार, राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला है कि 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार 30 राज्य सहकारी बैंकों में से 7 और 369 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 141 ऋणात्मक निवल क्षमता वाले बैंकों को ही कमजोर बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमजोर के रूप में पहचाने गए ऐसे सहकारी बैंकों के नाम एकत्र किए जा रहे हैं तथा यथा उपलब्ध नाम सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) और (घ) सहकारी ऋण प्रणाली के अध्ययन के लिए सरकार द्वारा गठित श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता वाले कृतिक बल ने यह दर्शाया है कि सहकारी ऋण ढांचे में कमजोरी मुख्यत: भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के दोहरे नियंत्रण, सीमित संसाधनों, अपेक्षाकृत बड़ी वित्तपोषक एजेंसियों पर निर्भरता, दक्ष श्रमशक्ति का अभाव, अपर्याप्त विस्तार, अत्यधिक राजनीतिकरण/अफसरशाही का हस्तक्षेप, बढ़ती लागतें और व्यावसायिक प्रबंधन की कमी आदि के कारण हैं।

(ङ) और (च) यह कहना सही नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदण्डों/मार्गनिर्देशों का अधिकांश बैंकों द्वारा उल्लंघन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड उन सभी मामलों में उचित कार्रवाई करते हैं जहां यह पाया जाता है कि इन बैंकों में कोई बैंककारी विनियमन अधिनियम के उपबंधों या उनके द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से अ.जा./अ.ज.जा. को ऋण

4170. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वे लाभार्थी कौन से हैं जिन्हें वर्ष 2001 के दौरान आज तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों को ऋण देने से इनकार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने वर्ष 2000-2001 के दौरान 45296 अनुसूचित जाति तथा 7565 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को ऋण के रूप में 15493.58 लाख रुपए तथा वर्ष 2001-2002 (31.10.2001 तक) 12838 अनुसूचित जाति तथा 188 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को ऋण के रूप में 6179.43 लाख रुपए मंजूर किए थे। पुराने निगम के दो निगमों में विभाजन के उपरान्त राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने भी इसके अतिरिक्त वर्ष 2001-2002 के दौरान 1113 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 1847.08 लाख रुपए मंजूर किए हैं। (अक्तूबर, 2001 तक)।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय निगम संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य माध्यम एजेंसियों (एस.सी.ए.) के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को ऋण प्रदान करते हैं। ऋण राज्य माध्यम एजेंसियों (एस.सी.ए.) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। प्रत्येक मामलों की स्वीकृति और/अस्वीकृति संबंधी ब्यौरे संबंधित राज्य माध्यम एजेंसियों (एस.सी.ए.) के पास उपलब्ध होते हैं तथा उन पर उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है।

भारतीय जूट निगम में अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व.

4171. **श्री अनन्त नायक :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय जूट निगम में अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. से संबंधित कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) रिक्त पदों सहित तत्संबंधी अलग-अलग श्रेणीवार विवरण क्या है;

(ग) क्या भारतीय जूट निगम में अ.जा./अ.ज.जा. की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) भारतीय पटसन निगम में 31.3.2001 तक की स्थिति के अनुसार अनु. जाति/अनु. ज. जाति और अन्य पिछड़े वर्ग का

प्रतिनिधित्व अनु.जा. 276, अनु.ज.जा. 34 और अन्य पिछड़ा वर्ग 7 हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नकदी फसलों के मूल्यों में गिरावट

4172. **श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कई वर्षों से काफी, चाय, काली मिर्च, सुपारी, रबड़, कपास और तम्बाकू जैसी प्रमुख नकदी फसलों के मूल्यों में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रवृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए या विचारित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किसानों, बागवानी उद्योग और उसके फलस्वरूप कृषि और बागवानी श्रमिकों को बचाने के लिए सभी प्रमुख नकदी फसलों हेतु समर्थन उपायों और मौसमी सतत् खरीद नीति पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चाय, काफी, रबड़, सुपारी, तंबाकू तथा रुई की कीमतों में गिरावट का रुख रहा है। काली मिर्च की कीमतों में सिर्फ हाल ही में गिरावट आई है।

(ख) से (घ) कीमतों में स्थिरता लाने तथा किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है जिनके तहत रोपण विस्तार, पुनर्रोपण, पुनरूद्धार, छंटाई, भराई, सिंचाई सुविधाओं के सृजन तथा नालियों, गुणवत्ता उन्नयन आदि को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2000 में चाय बोर्ड द्वारा चाय के छोटे उत्पादकों की मदद के लिए एक कीमत इमदाद योजना लागू की गई थी। काफी बोर्ड छोटे उत्पादकों को वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर ब्याज इमदाद उपलब्ध कराता है। अगस्त 1997 से-अप्रैल 2001 तक की अवधि के दौरान सरकार ने एस.टी.सी. के जरिए एक बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रम चलाया था। इसके अलावा सरकार तंबाकू, रबड़ तथा रुई के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी करता है।

विश्व व्यापार संगठन समझौते के लाभ

4173. **श्री बसुदेव आचार्य** :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व व्यापार संगठन समझौते हस्ताक्षरित करने के उपरान्त विकसित देशों के बाजार में पहुंच के संबंध में भारत को किस सीमा तक लाभ हुआ है;

(ख) निर्यात बाजार में पहुंच के संबंध में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में आगे और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) उरूग्वे दौर की वार्ताओं के अनुसरण में विकसित देशों ने औद्योगिक वस्तुओं पर अपनी औसत टैरिफ को 6.3% से कम करके 3.8% तक कर दिया है। शुल्क मुक्त व्यवहार प्राप्त करने वाली औद्योगिक वस्तुओं का अनुपात 20% से बढ़कर 44% हो गया है। कृषि मदों के लिए विकसित देशों ने 12 कृषि उत्पाद समूहों पर से सामान्य औसत टैरिफ को 37% कम कर दिया है तथा शुल्क योग्य ऊष्णकटिबंधीय वस्तुओं पर 43% कम कर दिया है। इसके अतिरिक्त विकसित देशों के पास जी एस पी नामक गैर-पारस्परिक टैरिफ वरीयता प्रणाली (सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली) है जिसके द्वारा विकासशील देशों को उनके विशेष निर्यात हित के उत्पादों की बाजार पहुंच के लिए विशेष टैरिफ राहत प्रदान की जाती है। बाजार पहुंच की प्राप्त की गई सही सीमा विभिन्न आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है जो समय-समय पर बदलते रहते हैं। भारत के निर्यात जो 1995-96 में 106353.35 करोड़ रु. के थे, वे बढ़कर 2000-01 में 202509.76 करोड़ रु. के हो गए हैं।

(ग) औद्योगिक वस्तुओं के लिए टैरिफ वार्ताएं दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अधिदेशित की गई हैं। इन वार्ताओं के दौरान भारत सभी निर्यात बाजारों में भारत के निर्यात के हित के उत्पादों पर टैरिफों को और कम करके अपनी बाजार पहुंच में वृद्धि करने की कोशिश करेगा।

राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण को आगे ले जाना

4174. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात-आयात बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण से दीर्घावधि स्वैच्छिक निधि को आगे ले जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की निर्यात-आयात बैंक के अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या निर्यात-आयात बैंक ने निर्यात केन्द्रों की स्थापना करने के लिए शहरों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक किन-किन शहरों का चयन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने भारतीय रिजर्व बैंक से राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से एक्जिम बैंक द्वारा प्राप्त ऋण की बकाया राशि के संबंध में किस्तों के स्थगन का अनुरोध किया था। एक्जिम बैंक द्वारा दिनांक 24.9.2001 को 15 वर्ष में 532 करोड़ रु. की राशि की वापसी अदायगी के स्थगन का अनुरोध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने महाराष्ट्र से कृषि-निर्यात बढ़ाने के लिए पुणे में निर्यात केन्द्र स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए धारणा पत्र तैयार किया है। धारणा पत्र को अर्थक्षम प्रस्ताव में बदलने की प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

जापान के साथ कर संबंधी संधि

4175. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने भारत के साथ कर संबंधी संधि की समीक्षा करने में अपनी इच्छा दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत और जापान के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में शुल्कों का वस्तु-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जापान सरकार को तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर 20% की दर से कर को रोकने संबंधी प्रावधानों को हटाने के संबंध में भारत के साथ कर संधि की समीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(ख) तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर कर रोकने के प्रावधान को पूरी तरह हटाने के लिए कर संधि की समीक्षा करना देश हित में नहीं हो सकता।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत और जापान के मध्य मौजूदा दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय में स्रोत तथा निवासी देश के बीच आय के कराधान का अधिकार निर्धारित किया गया है। दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के अनुच्छेद-7 के अनुसार निवास देश को कारोबार आय पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। तथापि, स्रोत देश को कारोबार आय पर कर लगाने का अधिकार तभी प्राप्त होता है, यदि वहां स्थायी संस्थापन अथवा कारोबार का निश्चित स्थान होता है। कारोबार आय पर कराधान संबंधित देशों के घरेलू कानून में विहित दरों पर कारोबार से प्राप्त निवल आय पर किया जाता है। आय के अन्य स्रोतों पर कराधान का क्षेत्राधिकार स्रोत/निवासी देश के घरेलू कानून में विहित दरों पर या तो स्रोत देश अथवा निवास देश को निर्धारित किया जाता है। दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय में निवास देश को ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में आय के संबंध में कराधान का अधिकार दिया गया है। तथापि, स्रोत देश को भी यह अधिकार दिया जाता है, परन्तु ऐसे कराधान को दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय में विहित दरों तक सीमित किया जाता है जो निम्नतया है:-

अनुच्छेद	आय की श्रेणी	दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के अनुसार शुल्क/कर की दर
10	लाभांश	15%
11	ब्याज	बैंकों के लिए 10%
		अन्य के लिए 15%
12	रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस	20%

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

4176. श्री गंता श्रीनिवास राव :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, इसके विशिष्ट कारण क्या है और देश में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का प्रतिशत क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान दालों, खाद्य तेलों और सब्जियों जैसी कुछ मदों को छोड़कर अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता या कमी का रुख पाया गया। 24.11.2001 को समाप्त पिछले एक वर्ष के दौरान चुनिन्दा आवश्य वस्तुओं/समूहों के सन्दर्भ में थोक मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

वस्तु	% प्रतिशत उतार-चढ़ाव (24.11.2001/25.11.2001)
चावल	3.0
गेहूं	- 2.1
दालें	6.8
चीनी	- 5.7
खाद्य तेल	11.9
सब्जियां	33.4
चाय	- 6.7
नमक	- 11.6

(ख) इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण दालों के उत्पादन में कमी, खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में बढ़ोत्तरी, कुछ सब्जियों के संबंध में प्रतिकूल जलवायु संबंधी परिस्थितियां थे। आलू और प्याज के मामले में मण्डियों/बाजारों में आवक में देरी के कारण भी मूल्यों में वृद्धि हुई।

(ग) सरकार देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों पर बारीकी से नजर रखती है। देश में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपायों के अलावा दालों और खाद्य तेलों जैसे खाद्य पदार्थों के खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति दी जाती है ताकि उनकी उपलब्धता में बढ़ोत्तरी की जा सके। प्याज के निर्यात को मात्रात्मक प्रतिबंधों के जरिए विनियमित किया जाता है और आयात को उपलब्धता और मूल्यों की समीक्षा के पश्चात् निर्गत किया जाता है। चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बाजार मूल्य से कम मूल्यों पर की जा रही है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी और जमाखोरों और चोरबाजारियों तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों में लिप्त अन्य लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

कंपनियों/बैंकों को राजसहायता

4177. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अगस्त, 2001 के राष्ट्रीय सहारा में ''कंपनियों व बैंकों को 38 अरब की परोक्ष सबसिडी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) राजसहायता को किस आधार पर और किस तिथि को दिया गया; और

(घ) बैंकवार कितनी राशि की राजसहायता दी गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का संबंध हैं, सरकार ने उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दी है। तथापि, इन बैंकों के मालिक के रूप में सरकार समय-समय पर उनकी पूंजी में अंशदान

कर रही थी, ताकि वे अपनी परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों का अनुपालन कर सकें। सरकार ने अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी में 20446.12 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। राष्ट्रीयकृत बैंक अपने लाभ में से सरकार को लाभांश का भुगतान करते रहे हैं और पिछले 2 वर्षों अर्थात् 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान लाभांश के रूप में सरकार को क्रमश: 464.89 करोड़ रुपए और 504.88 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

(घ) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी में निवेश की गई बैंक-वार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बैंक का नाम	राशि (करोड़ रु. में)
1	2
इलाहाबाद बैंक	879.14
आन्ध्रा बैंक	588.32
बैंक ऑफ बड़ौदा	563.00
बैंक ऑफ इंडिया	2286.60
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	746.27
केनरा बैंक	1077.50
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1798.20
कारपोरेशन बैंक	110.40
देना बैंक	354.02
इंडियन बैंक	2675.90
इंडियन ओवरसीज बैंक	1453.34
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	126.90
पंजाब एंड सिंध बैंक	703.64
पंजाब नेशनल बैंक	580.00
सिंडिकेट बैंक	1367.88
यूको बैंक	2256.52
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	332.00
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1808.06
विजया बैंक	555.03
न्यू बैंक ऑफ इंडिया (पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय)	183.40

मार्जिन ट्रेडिंग के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश

4178. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्जिन ट्रेडिंग को आरंभ करने के लिए जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वैयक्तिक स्टॉक विकल्प और मार्जिन ट्रेडिंग की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) दिल्ली शेयर बाजार के बंबई शेयर बाजार में विलय में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या शेयर बाजार की निधि को एक अनुषंगी कंपनी को हस्तांतरित करने के बारे में यह आरोप है कि इस अनुषंगी कंपनी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार की निधि में से 6 करोड़ रुपए को अवैध रूप से दलालों की अनुषंगी कंपनियों को हस्तांतरित करना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 22 सितम्बर, 2001 को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए मार्ग निर्देश जारी किए हैं जिनमें पूंजी बाजार में बैंकों के उद्भासन हेतु निर्धारित 5 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा के भीतर मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टाक दलालों को वित्त प्रदान करने की बैंकों को अनुमति दी गई है।

(ख) सेबी के अनुसार इसने दिनांक 2 जुलाई, 2001 को स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई के व्युत्पाद संघटक में 31 स्टाकों पर स्टाक विकल्प संविदाओं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वायदा व विकल्प संघटक संबंधी व्यापार की अनुमति दी है। वैयक्तिक स्टॉक विकल्पों की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

1. प्रीमियम शोधित अमरीकी प्रकार के स्टॉक आप्शन, आरंभिक अवधि के लिए नकद निपटान जिसका बाद में भौतिक निपटान किया जाएगा।

2. प्रत्येक स्टॉक विकल्प संविदा अपने आरंभ के समय 2 लाख रुपए की न्यूनतम संविदा की होती है।

3. प्रत्येक स्टॉक विकल्प संविदा अधिकतम 12 महीने की परिपक्वता वाली हो सकती है और इसकी न्यूनतम 3 स्ट्राइक (धन में, धन के पास और धन के बाहर) होनी चाहिए। वर्तमान में 31 स्टॉकों में 1 माह, 2 माह और 3 माह की विकल्प संविदाओं में कारोबार हो रहा है।

4. स्टॉक विकल्पों पर प्रीमियम क्रेताओं से नकद एकत्रित किया जाता है और विक्रेताओं को इसका नकद भुगतान टी + 1 दिवस को कर दिया जाता है।

5. 31 स्टॉक विकल्प संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन अपेक्षाएं किसी ग्राहक विशेष के पोर्टफोलियो की सबसे खराब स्थिति के मामले में एक दिन की अवधि के लिए 99% वीएआर की पूर्ति पर आधारित है। आरंभिक मार्जिन अपेक्षा को ग्राहक विशेष के स्तर पर निवलीकृत किया जाता है तथा इसका संग्रह कारोबार/समाशोधन सदस्य के स्तर पर सकल रूप में किया जाता है।

6. अद्यतन दृश्यलेख संविदा मूल्य पर आधारित सबसे खराब दृश्यलेख हानि की संगणना वास्तविक समय आधार पर सदस्य/मुवक्किल पोर्टफोलियों पर लागू होती है।

7. एक पोर्टफोलयो आधारित मार्जिनिंग मार्ग लागू किया जाता है जो व्युत्पाद संविदाओं में प्रत्येक वैयक्तिक मुवक्किल के पोर्टफोलियों में उसकी स्थितियों सहित शामिल जोखिम पर समेकित दृष्टिकोण अपनाता है।

8. उद्भासन सीमाएं : सकल खुली स्थितियों के सांकेतिक मूल्य किसी भी समय किसी सदस्य के नकद निवल मूल्य के 20 गुणा से अधिक नहीं होंगे। इसलिए स्टॉक विकल्प संविदाओं में सकल न्यून खुली स्थिति का सांकेतिक मूल्य वास्तविक समय आधार पर उस सदस्य के नकद निवल मूल्य से एकत्रित/समंजित किया जाता है।

9. स्थिति सीमाएं : किसी विशिष्ट पूर्वाधिकार पर स्टॉक विकल्पों तथा एकल स्टॉक भावी सौदे के लिए समेकित स्थिति सीमा किसी भी कारोबारी सदस्य के लिए 50 करोड़ रुपए या उस पूर्वाधिकार में सभी व्युत्पाद संविदाओं में खुले ब्याज के 7.5% में से उच्चतर पर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, किसी विशिष्ट अंडरलाईंग के संबंध में स्टॉक विकल्पों तथा एकल स्टॉक भावी सौदे दोनों के लिए समेकित खुली स्थिति पर बाजारव्यापी सीमा है जो एक्सचेंज के नकद संघटक में पिछले कैलेंडर माह के दौरान रोजाना कारोबार किए गए शेयरों की औसत संख्या के 30 गुणा या गैर-प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या के 10% अर्थात् किसी कंपनी के शेयरों की संख्या के अनुसार मुक्त फ्लोट के 10% में से निम्नतर है।

मार्जिन ट्रेडिंग की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

* बैंकों को पूंजी बाजार में बैंकों के उद्भासन हेतु निर्धारित 5 प्रतिशत सकल उच्चतम सीमा के भीतर एनएसई निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स का भाग बनाते हुए सक्रियता से व्यापार की जा रही स्क्रिपों में मार्जिन ट्रेडिंग के प्रयोजनार्थ स्टॉक दलालों को वित्त प्रदान करने की अनुमति होगी।

* बैंकों द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला न्यूनतम मार्जिन 40 प्रतिशत है।

* बैंक नियमित आधार पर 40 प्रतिशत के मार्जिन, के अनुवीक्षण और रखरखाव हेतु उचित प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।

* फिर बैंकों के बोर्ड से यह अपेक्षित है कि वे मार्जिन ट्रेडिंग के संबंध में आवश्यक सुरक्षोपाय निर्धारित करे और उनकी समीक्षा करें।

* मार्जिन ट्रेडिंग के लिए विस्तारित कुल वित्तपोषण बैंकों द्वारा उनके तुलनपत्रों में ''लेखों की टिप्पणियों'' में उद्धरित किया जाएगा।

* भारतीय रिजर्व बैंक सेबी तकनीकी समिति जून, 2001 में मार्गनिर्देशों की पुन: समीक्षा करेगा।

(ग) सेबी ने सूचित किया है कि स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई) और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड (डी.एस.ई.) दोनों एक्सचेजों के एकीकरण के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इस मामले को दोनों एक्सचेंजों के बोर्डों के समक्ष रखा गया है। डी.एस.ई. के निदेशक मंडल और बी.एस.ई. के संचालन मंडल ने 'सिद्धांतत' इस योजना का अनुमोदन किया है। फिर भी, सदस्यों, एक्सचेंजों के कर्मचारियों के हित और मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में दोनों एक्सचेंजों के लिए इस योजना में विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। यह योजना तभी पूरी की जा सकती है जब एक बार इन मुद्दों को सुलझा लिया जाए और यह दोनों एक्सचेंजों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित हो जाए।

(घ) और (ङ) दिनांक 20 दिसंबर, 2000 को हुई डीएसई की वार्षिक साधारण बैठक में, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज द्वारा यथा सूचित यह निर्णय लिया गया था कि डीएसई सिक्यूरिटीज लिमिटेड (डीएसई की सहायक कंपनी) को 6 करोड़ रुपए की राशि या उससे अधिक ऐसी ही राशि जो कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हो, दान और/या उपहार में जाए। इस सहायक कंपनी को 3.5 करोड़ रुपए के दान और/या उपहार पर चर्चा के लिए दिनांक 27 जून, 2001 को डी.एस.ई. द्वारा निदेशक मंडल की बैठक बुलाई गई। डीएसई बोर्ड के कुछ मनोनीत निदेशकों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की और डीएसई बोर्ड द्वारा इस मामले पर पुन: विचार नहीं किया।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करना

4179. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को बन्द करने का है जो कि घाटे में चल रहे हैं और ऐसे उद्योगों का अनुदान बन्द करने का है जिनका कि शत प्रतिशत उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) वर्ष 2000-2001 के बजट भाषण में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों से संबंधित नीति इस प्रकार है:-

- संभाव्य व्यवहार्य सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन एवं पुनरुद्धार करना।
- जिन सरकारी उपक्रमों का पुनरूद्धार संभव नहीं, उन्हें बंद करना।
- यदि आवश्यक हो तो सभी गैर-रणनीतिक सरकारी उपक्रमों में सरकार की इक्विटी कम कर 26% तक करना; और
- कामगारों के हितों की पूरी रक्षा करना।

इस नीति के अनुसार संभाव्य व्यवहार्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को बजटीय सहायता दी जाती है। बजटीय सहायता का ब्यौरा संबंधित वर्षों के व्यय बजट, जो एक प्रकाशित दस्तावेज है, में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

वस्त्र इकाइयों को बंद किया जाना

4180. श्री सुबोध मोहिते : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग के उन विकेन्द्रीकृत खंडों को, जोकि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए हैं, उनके प्रौद्योगिकीय उन्नयन की दृष्टि से किए जाने वाले निवेश पर बारह प्रतिशत अग्र-पूंजीगत-राजसहायता प्राप्त करने की पात्रता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वस्त्र आयुक्त द्वारा कराये जाने वाले सर्वेक्षण के आधार पर पुरानी और अव्यवहार्य इकाइयों को बंद करने की राज्य सरकारों को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है ताकि लघुक्षेत्र के वस्त्र और पटसन उद्योगों को बारह प्रतिशत अग्रिम ऋण सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी अथवा मौजूदा 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने का विकल्प प्राप्त हो सके।

(ग) से (ङ) किसी भी पुराने और अप्रचलित वस्त्र एकक को बंद करने के लिए मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

कर दायरे के अन्तर्गत बीमा कंपनियां

4181. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.आर.डी.ए. ने सुझाव दिया है कि बीमा कंपनियों से प्राप्त होने वाले पेंशन भुगतानों को कर दायरे के अंतर्गत नहीं आना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) जीवन बीमा निगम की गतिविधियों और ऐसे वैध स्रोतों के माध्यम से बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) जीवन बीमा निगम के पेंशनरों और इसके भुगतान पर अन्य आश्रितों की सहायता के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने असंगठित क्षेत्र में पेंशन सुधारों से संबंधित अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ बचतों को बढ़ावा देने के लिए कर-प्रोत्साहनों की सिफारिश की है। इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेते समय रिपोर्ट में की गई इन सिफारिशों को सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) और (घ) वार्षिकी/पेंशन के प्रावधान वाली किसी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) को अदा किए गए प्रीमियम अन्य अधिसूचित बचतों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के उपबंधों के अंतर्गत कटौती के पात्र हैं। एल.आई.सी. पेंशन निधि को भी आय-कर छूट प्रदान की गई है।

यह उम्मीद की जाती है कि स्पर्धात्मक माहौल में जीवन बीमा निगम नई योजनाएं तैयार करेगा जो एल.आई.सी. के भुगतान पर आश्रित पेंशनभोगियों और अन्य लोगों की सहायता करेगी। जीवन बीमा निगम ने अपने विपणन नेटवर्क और विज्ञापनों के जरिए अपनी पेंशन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

एन.बी.सी.एफ. एण्ड डी.सी. द्वारा कर्नाटक को ऋण

4182. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा राज्यों को ऋण स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान कर्नाटक को 1512.405 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे लेकिन मात्र 798.45 लाख रुपए निर्गत किए गए;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से स्वीकृत पूर्ण राशि को निर्गत करने के लिए कई बार अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने और स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए तकनीकी और उद्यमीय कौशलों के उन्नयन के लिए सहायता हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य माध्यम एजेंसियों (एस.सी.ए.) के माध्यम से पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को ब्याज की रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर राज्य माध्यम एजेंसियों (एस.सी.ए.) को सैद्धांतिक आवंटन करता है जिसके प्रति राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। स्वीकृतियां राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के अनुसार और उनके पहले के कार्य निष्पादन और समावेशन क्षमता को ध्यान में रख कर की जाती है।

(ख) से (ङ) 1997-98 के दौरान एन.बी.सी.डी. ने 1512.405 लाख रुपए धनराशि तक की कर्नाटक पिछड़ा वर्ग विकास निगम द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को स्वीकृत किया है जिसके प्रति राज्य माध्यम एजेंसियों से समय-समय पर प्राप्त मांग के अनुसार 798.45 लाख रुपये का संवितरण किया गया है। राज्य माध्यम एजेंसी की सभी वैध मांगों को पूरा किया गया है और 1997-98 के दौरान निगम की नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां निर्मुक्त की गई हैं। तथापि एस.सी.एन. 1997-98 के दौरान 237.00 लाख रुपए वापस कर दिये क्योंकि राज्य माध्यम एजेंसियां निधियों का उपयोग करने में असफल रहीं। राज्य माध्यम एजेंसी की कोई मांग निगम के पास लंबित नहीं है।

कर्मचारियों की संख्या में कटौती

4183. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बड़ी संख्या में अगले पांच वर्षों के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी करने और अपव्यय में कटौती करने संबंधी नीतिगत निर्णय लेने हेतु कोई व्यय सुधार आयोग या किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित अतिरिक्त कर्मचारियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस सीमा तक कर्मचारियों की संख्या में वर्ष-वार कमी करने का निर्णय लिया गया है तथा इसकी चरणबद्ध योजना क्या है;

(ग) ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत अनुमानत: कितने व्यक्तियों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) तत्संबंधी लागत ब्यौरा क्या है और कार्यभार घटाने और कर्मचारियों की आवश्यकता को न्यूनतम रखने के लिए क्या स्वचालन और प्रणाली सुधार/निजीकरण करने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वैच्छिक किस्म की है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अतिरिक्त कर्मचारियों का आंकलन सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों के प्रबंधनों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 29628, 43760 तथा 45625 थी।

(घ) यह एक सतत प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों/प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रत्येक मामले के अनुसार स्वचलन प्रणाली सुधार/बाहरी स्रोतों से कार्य करवाना आदि जैसे उपाय किए जाते हैं, जिससे कर्मचारियों की संख्या कम करने में योगदान मिलता है।

चीनी की पैकिंग के लिए विनिर्देशन

4184. श्री एन.टी. षणमुगम :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो की जूट और जूट उत्पाद अनुभागीय समिति टी एक्स-03 ने चीनी को पचास किलोग्राम के बोरों में पैक करने से संबंधित विनिर्देशनों की अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी (पैकिंग और मार्किंग) आदेश के संशोधन की शीघ्र अधिसूचना सुनिश्चित करने के लिए कोई रणनीति तैयार की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जैसी ही विनिर्देशों को अधिसूचित किया जाएगा, वैसी ही चीनी (पैकिंग और मार्किंग) आदेश, 1970 में संशोधन कर दिया जाएगा ताकि चीनी मिलें 50 कि.ग्रा. के जूट के बोरों में चीनी को पैक कर सकें।

[हिन्दी]

आटोमोबाइल उद्योग हेतु निर्यात दायित्व

4185. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवें दशक के दौरान आटोमोबाइल कंपनियों को भारत में मोटरकारों आदि के विनिर्माण हेतु लाइसेंस स्वीकृति करवाने के लिए निर्यात शर्तों को अनिवार्य बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों में से कुछ कंपनियां अपने निर्यात दायित्वों को पूरा करने में असफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियां कौन-कौन सी है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके द्वारा भारत में कुल कितनी कारें विनिर्मित और बेची गई है और कितनी कारों का निर्यात किया गया है;

(च) सरकार द्वारा उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं जो कि उक्त अवधि के दौरान अपने निर्यात दायित्वों को पूरा करने में असफल रही है;

(छ) क्या सरकार ने अब तक निर्यात शर्त को वापस ले लिया है/लेने का निर्णय किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) दिनांक 12.12.1997 की सार्वजनिक सूचना सं. 60 के अंतर्गत निर्धारित नीति के अनुसार निर्यात संबंधी धारा को उन सभी दस यात्री कार विनिर्माताओं के लिए आवश्यक बनाया है जिन्होंने भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उन्होंने यह वचनबद्धता की है कि वे सी.के.डी./एस.के.डी. किटों/संघटकों के आयातों के वास्तविक सी.आई.एफ. मूल्य और कारों तथा आटो संघटकों के निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के बीच संतुलन के रूप में समझौता ज्ञापन की समग्र अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा के व्यापक निष्प्रभावन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस निर्यात दायित्व की अवधि उत्पादन शुरू होने के तीसरे वर्ष से आरंभ होगी। इस नीति में 2 वर्षों के विलम्बन काल की व्यवस्था है जिसके दौरान एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने वाली फर्मों की कोई निर्यात वचनबद्धता पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे वर्ष से आगे इन फर्मों का निर्यात दायित्व इनके द्वारा किए गए आयातों के सी.आई.एफ. मूल्य के बराबर होगा और यह समस्त निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए एम.ओ.यू. की शेष अवधि के लिए होगा। अधिकांश समझौता ज्ञापन वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। तथापि, इन कंपनियों ने अपने निर्यात पहले ही आरंभ कर दिए हैं। इस प्रकार किसी कंपनी द्वारा निर्यात दायित्व पूरा न करने का इस समय कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) भाग (क) से (घ) के उत्तर के अनुसार इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	उत्पादन			बिक्री (भारत में)			निर्यात		
		98-99	99-2000	2000-01	98-99	99-2000	2000-01	98-99	99-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	देवू मोटर्स इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	10121	39021	41409	0	1196	1551
2.	फिएट इंडिया आटोमोबाइल्स लि.	9869	16039	लागू नहीं	10101	20589	9370	16	157	0
3.	फोर्ड इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3233	8023	17922	0	0	0
4.	जनरल मोटर्स इंडिया लि.	3240	3108	8324	3520	3029	8183	4	18	81
5.	हिन्दुस्तान मोटर्स इंडिया लि.	20248	26673	25774	20115	26860	25677	0	0	0
6.	होंडा सिएल कार्स इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9631	9684	9997	0	14	14
7.	हुंडई मोटस इंडिया लि.	18056	75306	81740	17648	75851	80960	0	44	5759
8.	मारूती उद्योग लि.	330395	398669	342248	303077	376643	329438	23446	20943	15025
9.	मर्सडीज बेन्ज इंडिया लि.	1188	436	880	622	601	716	494	292	0
10.	टोयोटा जापान	0	3580	25394	0	3519	25375	0	0	0

(स्रोत : एम.आई.ए.एम.)

[अनुवाद]

काली मिर्च की तस्करी

4186. श्री पी. सी. थामस: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में काली मिर्च की तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य देशों से काली मिर्च की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है, इसलिए निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि देश में काली मिर्च की तस्करी हो रही है। तथापि, गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (नवम्बर, 2001 तक) के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा देश में काली मिर्च की तस्करी के किसी भी मामले का पता नहीं लगाया गया है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय कार्यालय दूसरे देशों से काली मिर्च सहित सभी प्रकार के निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क एवं चौकस हैं।

[हिन्दी]

टेक्सटाइल मिलों का बंद होना

4187. श्रीमती शीला गौतम:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री नवल किशोर राय:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2000 से जून, 2001 की अवधि के दौरान देश में पंजीकृत वस्त्र मिलों में से 396 वस्त्र मिलें बंद हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पंजीकृत वस्त्र मिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) इन बंद वस्त्र मिलों की उत्पादन क्षमता कितनी है और इन मिलों में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(घ) इनको बंद करने के क्या कारण हैं और इन मिलों को पुन: खोलने के लिए कुल कितने निवेश की आवश्यकता है; और

(ङ) इन मिलों को पुन: खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) देश में 1856 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर लघु क्षेत्र) में से 51 मिलें मार्च, 2000 से जून, 2001 की अवधि के दौरान बंद पड़ी हुई थी।

(ग) इन 51 बंद पड़ी मिलों की उत्पादन क्षमता और उनकी नामावलियों में कामगारों की संख्या निम्न अनुसार है:

(1)	उत्पादन क्षमता	
	तकुए	939680 संख्या में
	रोटर्स	12512 संख्या में
	करघे	4580 संख्या में
(2)	नामावलियों में कामगार	29512 संख्या में

(घ) वस्त्र मिलों के बंद होने के अनेक कारक माने जा सकते हैं जिनमें अप्रचलित प्रौद्योगिकी, इनपुट की लागत में वृद्धि समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में कठिनाईयां, कुप्रबंध, मंदी की दशाएं और प्रतियोगी कीमतों पर फैब्रिक्स का उत्पादन करने वाले विकेन्द्रीकृत क्षेत्र से प्रतिस्पर्द्धा आदि शामिल हैं।

(ङ) भारत सरकार ने रुग्ण और संभाव्य रूप से रुग्ण कम्पनियों का समय पर पता लगाने और ऐसी कम्पनियों के संबंध में किए जाने वाले जरूरी निषेधात्मक, सुधारात्मक और उपचारी उपायों का तेजी से निर्धारण करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 बनाया है और औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है।

[अनुवाद]

हीरा उद्योग

4188. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हीरा उद्योग उत्पादों के विपणन के संबंध में समस्याओं का सामना कर रहा है जिसके फलस्वरूप देश में इस उद्योग की कुछ इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कितनी इकाइयां है जो बंद होने के कगार पर है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा उद्योग को वर्तमान दयनीय स्थिति से बचाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी जे ई पी सी), मुम्बई जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व्यापार का एक प्रतिनिधि स्वायत्तशासी निकाय है, द्वारा प्रदत्त सूचना के मुताबिक विश्व बाजार में खासकर अमरीका, यूरोपीय संघ, जापान, इत्यादि में तरासे और पालिश किए गए हीरों की मांग में कमी आने से देश में तराशने और पालिश करने वाली इकाईयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अप्रैल, 2001 से नवम्बर, 2001 के दौरान तराशे और पालिश किए गए हीरों के निर्यात में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपए के रूप में 9.23 प्रतिशत की और अमरीकी डालर के रूप में 13.59 प्रतिशत की कमी आयी है। इससे देश में तराशने और पालिश करने वाली किसी मौजूदा इकाइयों के कार्यकरण पर दवाब पड़ा है। देश में हीरा तराशने और पालिश करने वाली किसी इकाई के बन्द होने का कोई विशिष्ट मामला सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है और सरकार द्वारा इस बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं करवाया गया है। तथापि, हीरों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार और जी जे ई पी सी द्वारा कुछेक उपाए किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:

- मध्यावधि निर्यात कार्य योजना तैयार करना;
- हीरा खनन देशों से अपरिष्कृत हीरों की सीधे खरीद करने की संभावनाओं का पता लगाना;
- आभूषण डिजाइन और विनिर्माण में तेजी लाने के लिए सूरत स्थित भारतीय हीरा संस्थान के तत्वावधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल आभूषण डिजाइन एवं विनिर्माण सेंटर को आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना के तहत निधियां प्रदान करना;
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पत्रिकाओं में बार-बार विज्ञापन/प्रचार अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों, अनेक खुदरा-विक्रेताओं के सीधे संपर्क करके विदेशों में भारतीय रत्न एवं आभूषण की छवि बढ़ाना;
- विशेषज्ञ परामर्शदाताओं के जरिए बाजार अध्ययन करवा कर और डिजाइनों में नवीनतम प्रवृत्तियों का मौके पर अध्ययन करने हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भारतीय डिजाइनरों को भेजकर नए बाजारों का पता लगाना और उनकी पहचान करना;
- भारत से रत्न एवं आभूषण के निर्यात संवर्धन की कार्य योजना तैयार करने हेतु लैटिन अमरीकी देशों में नए बाजारों का बारीकी से विश्लेषण भी किया जा रहा है;
- प्रचार अभियानों के जरिए भारत में स्वर्ण आभूषणों के प्रमाणांकन का संवर्धन करना ताकि मेड इन इंडिया आभूषणों के लिए गुणवत्ता की छवि सृजित की जा सके;
- निर्यातकों और जी जे ई पी सी से प्राप्त फीडबैक एवं अनुरोधों के आधार पर निर्यातों को सुकर बनाने की दृष्टि से पिछली एग्जिम नीति में आवश्यक संशोधन किए गए थे।

पेंशन योजना

4189. श्री अरूण कुमार:
श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने अक्तूबर, 2002 तक असंगठित क्षेत्र सहित प्रत्येक के लिए समग्र स्वैच्छिक पेंशन योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो आई.आर.डी.ए. द्वारा प्रस्तुत योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में किन क्षेत्रों में पेंशन सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन सेवा प्रारम्भ करने के लिए कुल कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता है; और

(ङ) असंगठित क्षेत्र हेतु पेंशन योजना के लिए आई.आर.डी.ए. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) अक्तूबर, 2001 में, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने भारत सरकार को ''असंगठित क्षेत्र में पेंशन सुधारों'' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट ने सुधारों की अनुशंसा की है ताकि परिकल्पित पेंशन योजना किसी को भी उपलब्ध हो सके भले ही वह किसी भी रोजगार में हो। प्रस्तावित योजना में पेंशनभोगियों के लिए वहनीयता तथा नमनीयता की परिकल्पना की गई है।

(ग) वर्तमान में, पेंशन सुविधाएं केन्द्र तथा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंक तथा बीमा कंपनियों में नियोजित व्यक्तियों को उपलब्ध है। निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों, जिनको भविष्य निधियों में अपनी आय का एक न्यूनतम अनुपात निवेश करना आवश्यक है, को भी ये सुविधाएं मिलती हैं।

(घ) कुल पूंजी आवश्यकताएं पर्याप्त विनियामक ढांचे, पेंशन स्कीमों में शामिल होने तथा इनसे अलग होने की कार्य प्रणालियों, पेंशन दाताओं के लिए चयन प्रक्रिया तथा पेंशन बाजारों के प्रभावी पर्यवेक्षण तथा विनियमन के लिए अन्य विवेकपूर्ण मानदण्डों पर निर्भर करेगा।

आई.आर.डी.ए. रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि पेंशन दाताओं के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में एक सांकेतिक धनराशि 50 से 75 करोड़ रु. की सीमा में हो सकती है।

(ङ) सरकार ने आई.आर.डी.ए. रिपोर्ट की समीक्षा प्रारम्भ कर दी है।

रुग्ण वस्त्र मिलों का पुनरूद्धार

4190. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितनी वस्त्र मिलें रुग्ण हैं और उनका प्रतिशत कितना है;

(ख) वित्तीय पुनर्संरचना ब्यूरो और राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन टी सी) तथा एस टी जी की स्थापना से कितनी वस्त्र मिलों का पुनरूद्धार किया गया; और

(ग) पुनरूद्धार तथा विनिवेश की नीति के बावजूद लम्बे समय से चल रही रुग्णता के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) 31.8.2001 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत अनन्य बुनाई मिलों सहित रुग्ण सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की संख्या एवं प्रतिशतता निम्नानुसार है:

राज्य	अनन्य बुनाई मिलों सहित सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें (31.8.2001 की स्थिति के अनुसार)	बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत अनन्य बुनाई मिलों सहित सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलों के मामले	प्रतिशतता (3) (2) का
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	104	23	22.12
असम	11	3	27.27
बिहार	8	1	12.50
छत्तीसगढ़	2	0	0.00
नई दिल्ली	2	1	50.00
गोवा	1	0	0.00
गुजरात	186	56	30.11

1	2	3	4
हरियाणा	84	10	11.90
हिमाचल प्रदेश	17	0	0.00
जम्मू और कश्मीर	2	0	0.00
झारखंड	1	0	0.00
कर्नाटक	63	15	23.81
केरल	39	6	15.38
मध्य प्रदेश	66	10	15.15
महाराष्ट्र	276	39	14.13
मणिपुर	1	0	0.00
उड़ीसा	21	3	14.29
पंजाब	88	7	7.95
राजस्थान	69	12	17.39
तमिलनाडु	867	89	10.27
उत्तर प्रदेश	79	16	20.25
उत्तरांचल	5	2	40.00
पश्चिम बंगाल	46	12	26.09
संघ शासित क्षेत्र			
दमन और दीव	1	0	0.00
दादर नगर हवेली	7	0	0.00
पांडिचेरी	11	0	0.00
कुल	2057	305	14.83

(ख) बी.आई.एफ.आर./ए.ए.आई.एफ.आर. ने 44 एककों के संबंध में पुनर्वासन योजना की स्वीकृति दी है। इसके अलावा 33 मामले बी.आई.एफ.आर. द्वारा अब रुग्ण नहीं घोषित किए गए थे तथा चार मामलों को छोड़ दिया गया है क्योंकि निवल पूंजी धनात्मक हो गई।

(ग) वस्त्र मिलों की रुग्णता अप्रचलित प्रौद्योगिकी, इनपुट्स की लागत में वृद्धि, समय पर तथा समुचित ऋण प्राप्त करने में कठिनाईयां, कुप्रबंधन, मंदी की स्थितियां आदि सहित अनेक कारकों के कारण हो सकती है। उपर्युक्त के अलावा, रुग्णता का एक प्रमुख कारण संरचनात्मक परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप संगठित क्षेत्र में मिश्रित मिलों को विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युतकरघा की और अधिक लागत प्रभाविता के कारण कम महत्व मिल रहा है।

बीमा एजेन्टों को कमीशन

4191. श्री राम मोहन गाइडे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का कम्पनियां द्वारा बीमा एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन में कमी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बागान कंपनियों के विरुद्ध सेबी द्वारा दर्ज किए गए मामले

4192. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी द्वारा मुंबई की 13 बागान कंपनियों के विरुद्ध समूह विनियमन योजना, 1999 के उल्लंघन के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए गए है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के विरुद्ध आरोपों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जनता की कितनी राशि इन कंपनियों के पास जमा है;

(घ) क्या इन कंपनियों ने यह राशि वापस कर दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि सामूहिक निवेश योजनाएं चलाने वाली मुंबई की 12 कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन शुरू किया गया है। क्योंकि वे सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1999 के उपबंधों के अनुसार अपने निवेशकों को पुनर्अदायगी करने के लिए अपनी योजनाओं को बंद करने में असफल रही हैं।

(ग) सेबी के पास दर्ज सूचनानुसार इन कंपनियों में से प्रत्येक द्वारा जुटाई गई राशि संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(घ) और (ङ) चूंकि ये कंपनियां अपने निवेशकों को पुनर्अदायगी करने के लिए अपनी योजनाएं बंद करने में असफल हो गई, सेबी ने अन्य बातों के अलावा, इन कंपनियों/उनके प्रवर्त्तकों/निदेशकों, आदि को 5 वर्षों की अवधि के लिए पूंजी बाजार में कार्य करने से निषेध कर दिया है और सिविल/आपराधिक कार्यवाहियां शुरू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को संदर्भित किया है।

विवरण

क्र.सं.	सामूहिक जमा योजना कंपनी का नाम	राशि (करोड़ रुपए)
1.	एडवंचर ओरचार्डस लिमिटेड	8.40
2.	फेनोमेनल प्लांटेशंस लिमिटेड	5.11
3.	ग्रीन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	8.66
4.	एस एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	3.71
5.	इटर्नल एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1.45
6.	ग्रीन गोल्ड एग्रो डेवलपमेंट लिमिटेड	3.72
7.	साउदर्न हार्टिकल्चर एंड रबर प्लांटेशंस लिमिटेड	8.32
8.	रेंबो पेरेनियल कृषि लिमिटेड	1.31
9.	ग्रीन गोल्ट हार्टिकल्चर लिमिटेड	5.11
10.	महाराष्ट्र एग्रीटेक लिमिटेड	3.06
11.	एबो बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड	1.14
12.	ग्रीन गोल्ड फारेस्ट्री लिमिटेड	1.70

नई आयात निर्यात नीति हेतु समिति

4193. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई दीर्घावधि आयात-निर्यात नीति तैयार करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जी, हां, उच्चस्तरीय समिति का गठन दिनांक 12.10.2001 की अधिसूचना सं. 01/94/180/530/ पोलिसी फोरमूलेशन/ए एम 02/पी सी IV द्वारा किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष भूतपूर्व वाणिज्य सचिव, श्री पी.पी. प्रभु हैं। यह 10 मदस्यीय समिति है, अर्थात (1) श्री डी.एस. सोलंकी, अध्यक्ष, सैटलमेंट कमीशन (सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), राजस्व विभाग (2) डा. अशोक लाहिरी, निदेशक नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनैंस एंड पोलिसी, (3) डा. हर्षवर्धन सिंह, सचिव एवं मुख्य सलाहकार, टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया, (4) डा. वी. आर. पंचमुखी, महानिदेशक, निर्गुट तथा अन्य विकासशील देशों के लिए रिसर्च एवं इन्फारमेशन सिस्टम (5) श्री तरुण दास, महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ, (6) डा. अमित मित्रा, महासचिव, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ, (7) श्री रंजीत लाल, महानिदेशक, भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, (8) श्री जयंत भूयान महासचिव, एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (9)श्री राकेश वैद, कार्यकारी समिति सदस्य, एपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, (10) श्री सतीश ढांडा, उपाध्यक्ष, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, समिति के दिसम्बर, 2001 के अंत तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

सेबी द्वारा नामांकन खंड में संशोधन

4194. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने केन्द्र सरकार से निजी क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों द्वारा नामांकन खंड की सुविधा को विधिक मान्यता देने के लिए वर्तमान विनियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भेषज कंपनियों के विरुद्ध सेबी की जांच

4195. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने उन भेषज कंपनियों के शेयर के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की जांच शुरू की है जो हाल ही में उसकी जांच परिधि में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे भेषज कंपनियां कौन-सी हैं जिनके शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव की इस समय जांच चल रही है; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सेबी ने सूचित किया है कि इसने फार्मास्यूटिकल कंपनियों के शेयरों की कीमत के उतार-चढ़ाव की जांच शुरू की है; और

(1) अमरीकन रेमेडीज लिमिटेड

(2) सिप्ला लिमिटेड

(3) रैनबैक्सी लिमिटेड

(4) ल्यूपिन लैबोरेटरीज लिमिटेड

(5) वॉकहर्डर लिमिटेड।

पेटेंट सहयोग संधि

4196. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पेटेंट सहयोग संधि स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आज तक भारतीय पेटेंट कार्यालय को कितने अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अक्तूबर, 2001 तक पेंटेट हेतु कितने आवेदन किए गए हैं ; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने को एकमात्र विपणन अधिकार (ई.एम.आर.) प्रदान किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पेटेंट कार्यालय में पिछले एक वर्ष की अवधि में प्राप्त किये गये अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों की संख्या 228 है और अब तक प्राप्त किये गये ऐसे आवेदनों की संख्या 427 हैं।

(ग) 22,096

(घ) शून्य।

पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाएं

4197. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक सहायता से चल रही परियोजनाएं कौन सी हैं;

(ख) विश्व बैंक द्वारा सहायता के रूप में कितनी निधियां प्रदान की गई; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से अभी तक किए गए कार्य का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता-प्रदान प्राप्त कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) ये परियोजनाएं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए समग्र रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण

क्र.सं.	विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं	ऋण/अनुदान की कुल राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1.	परिवार कल्याण (शहरी गन्दी बस्तियां)-भारत जनसंख्या परियोजना-VIII	79.00
2.	कुष्ठ उन्मूलन चरण-II	30.00
3.	II स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना	350.00
4.	प्रजनन बाल स्वास्थ्य परियोजना	218.30
5.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना	142.60
6.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना	142.40
7.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	164.80
8.	II एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना	194.75
9.	पारिस्थितिकीय-विकास परियोजना	28.00 (ऋण) 20.000 (जीईएफ अनुदान)
10.	राज्यों की सड़क अवसंरचना विकास तकनीकी सहायता परियोजना	46.50

पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त, ये परियोजनाएं अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित की जा रही हैं। ऋण/अनुदान राशि परियोजना के तहत उपलब्ध विश्व बैंक की कुल सहायता दर्शाती है।

[हिन्दी]

इस्पात पाइपों के निर्यात पर शुल्क

4198. श्री अशोक अर्गल:
श्री सुबोध मोहिते:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री ब्रजमोहन राम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राइवेट इस्पात उद्योग इस्पात के पाइपों के निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से शुल्क मुक्त कच्चा माल आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999 से अब तक कितनी कम्पनियां शुल्क मुक्त कच्चे माल का आयात करने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर मांग पर इस्पात के पाइपों का निर्यात करने में विफल रही हैं;

(ग) क्या उपरोक्त कम्पनियों ने इस्पात के पाइपों का निर्यात नहीं कर पाने के कारण शुल्क मुक्त कच्चे माल के आयात पर सीमाशुल्क अदा किया है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी कम्पनियां कौन-कौन सी हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्पाद-शुल्क अपवंचन

4199. श्री वाई.वी. राव: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड पर 108.39 करोड़ रुपये के उत्पाद-शुल्क अपवंचन का आरोप है;

(ख) यदि हां, तो मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा कब से इस शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हैं;

(ग) जब उत्पाद शुल्क देय हो गया तो इसके भुगतान न करने के क्या कारण है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि शुल्क का समय पर भुगतान किया जाए, आदेश जारी किए गये हैं।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) अपेक्षा के अनुसार मारूति उद्योग लिमिटेड (एम यू एल) हर पन्द्रह दिन में उत्पाद बकायों को जमा करती है तथा मासिक रिटर्न भरती है जिसकी फैक्ट्री परिसर में स्थित उत्पाद यूनिट द्वारा जांच की जाती है। वर्ष 1999 में हुए वास्तविक समाधान के दौरान, मारूति उद्योग लिमिटेड ने वास्तविक संख्याओं में कुछ विसंगतियां पाई तथा अप्रैल, 1986 से 28 फरवरी, 1999 तक की अवधि के लिए समाधान के लिए लम्बित 37 करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं। लेकिन, उत्पाद विभाग ने 83 करोड़ रुपये की मांग दर्शाई है जिसे 31 अक्टूबर, 2000 तक जमा करना है। तदनुसार, एमयूएल ने शेष 46 करोड़ रुपये जमा कराये। तत्पश्चात्, केन्द्रीय उत्पाद विभाग ने 108.39 करोड़ रुपये के लिए एक डिमांड नोटिस जारी किया। यह मामला आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद के न्यायाधीन लम्बित है। मारूति उद्योग लि. ने मामले को सुलझाने के लिए सैटलमेंट कमीशन से संपर्क किया है।

[हिन्दी]

डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण

4200. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषणों तथा लेखों को अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का कार्य कराया है अथवा कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन भाषाओं/लेखों के कब तक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) जी हां। इस मंत्रालय के तत्वाधान के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने डा. अम्बेडकर के लेखों तथा भाषाणों का बारह क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन किया है तथा इसके 142 खण्ड पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं।

[अनुवाद]

भारतीय व्यापक संवर्धन संगठन की निर्यात में भूमिका

4201. श्री बहादुर सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बाजार में हथकरघा, कृत्रिम जेवरात इत्यादि को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या इन वस्तुओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर राजस्थान के हथकरघा और कृत्रिम जेवरात को बढ़ावा देने हेतु और इन वस्तुओं के निर्यात

को बढ़ाने हेतु क्या अन्य प्रमुख कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारतीय निर्यात संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) भारत तथा विदेशों में अनेक आयोजनों में प्रदर्शन तथा संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना है। इन आयोजनों में से कुछ आयोजन विशेषरूप से हस्तशिल्प तथा आभूषण सहित उत्पाद समूह के लिए होते हैं, जबकि कुछ अन्य आयोजन कृत्रिम आभूषण और हस्तशिल्प को शामिल करते हुए बहु-उत्पाद प्रदर्शन होते हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान कृत्रिम आभूषण, हस्तशिल्प इत्यादि का 76 कार्यक्रमों में संवर्धन किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों के परिणामस्वरूप हस्तशिल्प का निर्यात (हाथ से बने कालीनों सहित) 1998-99 के दौरान हुए 4,37,182.82 लाख रुपए से बढ़कर 1999-2000 में 5,05,812.40 लाख रुपए के हो गए जो 2000-2001 में आगे और बढ़कर 5.09.439.87 लाख रुपए के हो गए।

(घ) राजस्थान राज्य से हस्तशिल्प एवं कृत्रिम आभूषणों के संवर्धन सहित हस्तशिल्प एवं कृत्रिम आभूषणों के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं-विदेशों में बिक्री सह-अध्ययन दल भेजना, विदेशों में प्रचार करना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, वस्तु सूचियों का प्रकाशन, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों/उत्सवों में भागीदारी तथा नई दिल्ली में वार्षिक रूप से इंडिया हैंडीक्रफट्स एडं गिफ्ट्स फेयर (शरद तथा बसंत) का आयोजन करना।

उड़ीसा राज्य द्वारा राजस्व योगदान

4202. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा राज्य द्वारा केन्द्रीय राजस्व में कुल कितना योगदान किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय निधियों से उड़ीसा को वर्ष-वार कितना आवंटन किया गया; और

(ग) उड़ीसा में कर संग्रहण के निष्पादन का ब्यौरा का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) महोदय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा प्रत्यक्ष करों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य द्वारा किया गया कुल अंशदान निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1998-1999	1145.08
1999-2000	1518.08
2000-2001	1723.98

(ख) केन्द्रीय निधियों से तथा केन्द्रीय कर में हिस्से के हस्तांतरण के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य को किया गया आवंटन निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1998-1999	3152.27
1999-2000	2608.32
2000-2001	4983.25

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए लक्ष्य तथा वसूली निम्नानुसार है।

(करोड़ रुपयों में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001
प्रत्यक्ष कर			
लक्ष्य	599.00	694.00	894.00
वसूली	490.28	705.64	807.88
उत्पाद शुल्क			
लक्ष्य	872.00	672.00	945.00
वसूली	654.80	812.44	916.10

चीनी का भंडार

4203. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिना बिक्री आपूर्ति की गई वस्तुओं तथा चीनी की कम मांग ने एशियाई चीनी कीमतों को बुरी तरह से प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के पास अभी लगभग 11-12 मिलियन टन चीनी का भारी भंडार बचा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इससे भारतीय चीनी उद्योग किस सीमा तक प्रभावित हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में चीनी भंडार को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) सरकार द्वारा एशियाई चीनी मूल्यों संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य यद्यपि सामान्यतया कम होते हैं लेकिन इनमें उतार-चढ़ाव होता रहा है।

(ख) चीनी मौसम 2000-2001 के अंत में 30 सितम्बर, 2001 को चीनी का इतिशेष स्टाक अनंतिम रूप में 103 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है।

(ग) यदि चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सामान्यतया कम रहे हैं लेकिन व्यापारिक हलकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार भारतीय चीनी उद्योग चीनी मौसम 2000-01 में अनंतिम रूप से अनुमानित 12.5 लाख टन चीनी निर्यात करने में सफल रहा है।

(घ) चीनी के अधिशेष स्टाक का निपटान करने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित उपाए किए हैं।

* चीनी के निर्यात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया है।
* निर्यात की जाने वाली मात्रा का पंजीकरण अपेक्षा के पास करने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।
* चीनी निर्यात करने वाली फैक्ट्रियों को निर्यात की गई चीनी की मात्रा पर लेवी से छूट की अनुमति दी गई है।
* चीनी निर्यात करने वाली फैक्ट्रियों के मुक्त बिक्री के स्टाक में समायोजन जो निर्यात की तारीख से 12 माह के अंत में किया जा रहा था उसे बढ़ाकर 18 माह कर दिया गया है।
* चीनी के निर्यात पर निर्यात की पोत पर्यन्त नि:शुल्क कीमत पर 5% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गयी है।

जाली स्टाम्प पेपर

4204. श्री जे.एस. बराड़: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में जाली स्टाम्प पेपरों की बिक्री की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत छ: माह के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए और कितने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(ग) इस गैर-कानूनी बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर श्वेत-पत्र

4205. श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री प्रबोध पण्डा:
श्री अधीर चौधरी:
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **भारी उद्योग लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर श्वेत-पत्र लाने पर गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश के मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के कहां तक पुनरुद्धार किए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा तकनीकी, वित्तीय और विपणन प्रदान करने में समर्थ उपयुक्त भागीदारों को शामिल करके संयुक्त उद्यम स्थापित करते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (च) जी, हां। भारी उद्योग विभाग के तहत् सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में श्वेत पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह, इस विभाग के तहत् सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आगामी दिशा निर्धारण को दर्शाएगा। भारत भारी उद्योग निगम लि. (बीबीयूएनएल) की एक सहायिका लगन जूट मशीनरी कंपनी लि. (एलजेएमसी) तथा एण्ड्यू यूल एंड कंपनी लि. के बैल्टिंग प्रभाग को पहले ही संयुक्त उद्यम की कंपनियों में परिवर्तित किया जा चुका है। इन कंपनियों को संयुक्त उद्यम कंपनी में परिवर्तित करने के पश्चात, इनके निष्पादन में सुधार आया है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों में निवेश हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं तथा पुनरुद्धार योजनाएं, बीआईएफआर जो एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। सरकारी क्षेत्र के उन 12 उपक्रमों के संबंध में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजनाओं के लिए 637 करोड़ रुपये तक की निधियों का नया निवेश तथा 2063 करोड़ रुपये वित्तीय पुनर्संरचना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वयं ही सरकारी क्षेत्र के 7 अन्य उपक्रमों के मामले में पुनर्संरचना आरंभ की है जिसमें 531 करोड़ रुपयों तक के निधियों के नए निवेश तथा 1443 करोड़ रुपये वित्तीय पुनर्संरचना के लिए शामिल हैं।

अपव्यय

4206. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय को कम से कम करने के लिए कदम उठाये हैं और ऐसे कई विभागों की पहले ही पहचान कर ली है जिसमें अधिकतम अपव्यय होता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पहचान किये गये ऐसे मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अपव्यय, यदि कोई हो, को कम करने/रोकने के लिए उनके मंत्रालय ने अब तक क्या कदम उठाये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है।

स्टॉक एक्सचेंजों का मानकीकरण

4207. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों, प्रक्रियाओं और विनियमों का मानकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सेबी ने सूचित किया है कि देश के स्टॉक एक्सचेंजों में नियमों, प्रक्रियाओं तथा विनियमों को मानकीकृत करना सेबी का प्रयास रहा है। सेबी स्टॉक एसचेंजों की उप-विधियों, नियमों तथा विनियमों की जांच करता रहा है तथा उसमें एक-समानता लाने के लिए इनमें उत्तरोतर संशोधन किए हैं। स्टॉक एक्सचेंजों के अभिशासन में एक-समानता लाने के लिए किए गए कुछ उपायों में ये शामिल हैं:-(1) सभी एक्सचेंजों में अब अभिशासी बोर्ड हैं जिनमें कम से कम 50% गैर-दलाल हैं; (2) कार्यकारी निदेशक भी बोर्ड का सदस्य है जिसके पास मतदान अधिकार हैं; (3) विशिष्ट सांविधिक समितियों का गठन अर्थात् अनुशासनात्मक कार्य समिति, चूक संबंधी समिति, 60:40 गैर-दलाल: दलाल प्रतिनिधित्व वाली माध्यस्थम समिति; (4) स्टॉक एक्सचेंजों के अध्यक्षों तथा शासी बोर्ड के सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल में एक-समानता।

स्टॉक एक्सचेंजों के प्रचालनों में एक-समानता लाने के लिए किए गए कुछ अन्य उपायों में ये शामिल हैं (1) मानक विशिष्टताओं वाली संविदा टिप्पणियां ग्राहकों को जारी करने की अनिवार्य पद्धति; (2) सभी स्टॉक एक्सचेंजों में निपटान अवधि को एक-समान घटाकर 7 दिन करना; (3) स्क्रीनाधारित कारोबार प्रणाली की शुरूआत; (4) समाशोधन गृहों/समाशोधन निगमों की स्थापना; (5) सामयिक निपटान सुनिश्चित करने के लिए व्यापार गारंटी निधि/निपटान गारंटी निधि की स्थापना; (6) डिमैटीरियलाइजेशन तथा चल निपटान की चरणबद्ध शुरूआत; (7) एक-समान शोध्य/अशोध्य सुपुर्दगी मानदंड, पूंजी पर्याप्तता मानदंड इत्यादि।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों की प्रकटन अपेक्षाओं में एक-समानता लाने के और उपायों में ये शामिल हैं:

(1) सूचीकरण करारों के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कंपनी अभिशासन की अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गई है; (2) अनवरत प्रकटन अपेक्षाएं तथा त्रैमासिक परिणाम, अर्ध-वार्षिक परिणामों के लिए समिति समीक्षा तथा महत्वपूर्ण घटना प्रकटन को एकसमान प्रयोज्य कर दिया गया है; (3) सेगमेंट रिपोर्टिंग, समेकित वित्तीय परिणामों तथा संबंधित पक्ष लेन-देनों का प्रकटन करने की अपेक्षा।

सेबी ने यह भी सूचित किया है कि इसने स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों को मानकीकृत करने के उद्देश्य से उनकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने स्टॉक एक्सचेंजों के लिए एकसमान नियमों हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट कार्यान्वयनाधीन है जिससे उन क्षेत्रों में भी सभी स्टॉक एक्सचेंजों में नियम एकसमान बन जाएंगे जबकि एकसमानता अभी प्राप्त की जानी है?

आर्थिक आसूचना ब्यूरो का कार्यकरण

4208. श्रीमती प्रभा राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के क्या कार्य है;

(ख) गत तीन वर्षों में आर्थिक अपराधों के कितने मामले दर्ज किये गये;

(ग) अपराधियों को क्या दण्ड दिया गया;

(घ) क्या इस प्रकार के अन्य अपराध को रोकने के लिए अपराधियों को दिये गये दण्ड को सार्वजनिक करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) अपने मूल शासन पत्र के अनुसार केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो को मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करना होता है।

(1) काले धन की अर्थव्यवस्था के संबंध में आसूचना और सूचना एकत्र करना तथा आवधिक और विशेष रिपोर्टों को संबंधित प्राधिकरणों को उपलब्ध कराना;

(2) आर्थिक अपराधों के भिन्न-भिन्न पहलुओं तथा इस प्रकार के नए अपराधों के पनपने पर निगरानी रखना,

(3) आर्थिक आसूचना परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करना;

(4) क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों के कार्यकरण की मॉनीटरिंग करना।

तदन्तर रविन्द्रन समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के कार्य क्षेत्र को इसमें निम्नलिखित को शामिल करके संशोधित किया गया है।

(1) बैंकिंग, स्टॉक बाजार, रियल सम्पदा में निवेश, धनशोधन आदि से संबंधित आर्थिक अपराधों के विभिन्न पहलुओं पर बाजार आसूचना एकत्र करना,

(2) आर्थिक अपराधों के रूझानों पर सूचना एकत्र करना तथा नीति निर्माण सहित उपचारी उपाय सुझाना,

(3) ई.आई.सी. तथा आर.ई.आई.सी. के निर्णयों के कार्यान्वयन पर बारीकी से निगरानी रखना,

(4) आर्थिक आसूचना के सभी स्रोतों से आसूचना रिपोर्ट प्राप्त करना, उनको मिलाना तथा उनका विश्लेषण करना और उनका प्रचार करना,

(5) आर्थिक अपराधों के क्षेत्रों तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों, धन-शोधकों और औषधि के अवैध व्यापारियों आदि के बीच संबंधों पर विशेष ध्यान देना,

(6) जाली भारतीय मुद्रा के नोटों के परिचालन में हुई नई गतिविधियों की जानकारी रखने के अपने कार्य के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सहायता करना तथा संबंधित एजेन्सियों को सतर्क करना, तथा

(7) आर्थिक अपराधों का सामना करने के लिए संबंधित विनियामक एजेन्सियों के साथ प्रभावी सामंजस्य बनाए रखने में केन्द्रीय भूमिका अदा करना।

(ख) ब्यूरो द्वारा प्रत्यक्षत: कोई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अर्थव्यवस्था में मंदी से निपटने के लिए चौदह सूत्री कार्यक्रम

4209. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था में मंदी से निपटने के लिए एक चौदह सूत्री कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-अनिवार्य खर्चों को कम करने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) 1 सितम्बर, 2001 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की 49वीं बैठक में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कुछ क्षेत्रों (संख्या में 14) की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिनमें तुरन्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में प्रवृतियों की लगातार समीक्षा की जाती है और जब भी जरूरी हो वृहत नीतिगत उद्देश्यों और उभरती हुई प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत उपाए किए जाते है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संवर्द्धन करने के लिए 2001-02 के बजट भाषण में व्यापक नीति की घोषणा की गई है। 2001-02 के बजट में प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों के लिए बढ़े हुए केन्द्रीय योजना परिव्यय उपलब्ध कराए गए हैं और पूंजीगत निवेश व्यय को त्वरित करने पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने वृहत आर्थिक और मौद्रिक घटनाक्रमों की समीक्षा के आधार पर ऋण में वृद्धि को वहन करने के लिए और मूल्य स्थिरता के अनुरूप निवेश की मांग को बढ़ाने को समर्थन देने के लिए कुछ मौद्रिक उपाय किए हैं। ये उपाय हैं: बैंक दर को 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत करना, बैंकों के लिए नगद प्रारक्षित अनुपात में कमी करना तथा उनका यौक्तिकरण करना और निर्यात ऋण पर प्रभार्य अधिकतम ब्याज दर में 26 सितम्बर, 2001 से छह माह की अवधि के लिए 1 प्रतिशतांक की कमी करना। ये उपाय बजट नीति की पृष्ठभूमि में मांग में वृद्धि करने के उद्देश्य से किए गए हैं और विकास पर इनका अच्छा प्रस्ताव पड़ने की आशा है।

(ग) और (घ) सरकार बेहतर राजकोषीय प्रबंध की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। राजकोषीय समेकन प्राप्त करने की दृष्टि से वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्र सरकार के व्यय संघटन में संरचनात्मक परिवर्तन लाने, व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाते समय आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में मितव्ययता लाने की प्रक्रिया के माध्यम से व्यय प्रबंध करने पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट में कई तरह की पहल की गई है। जिनमें अन्य के साथ-साथ नई भर्ती को कुल सिविलियन स्टाक संख्या के एक प्रतिशत तक सीमित रखना, सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए इनके उपभोक्ता प्रभारों में संशोधन करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ब्याज के भार को कम करने की दृष्टि से, अधिकांश नियंत्रित ब्याज दरों में 1 मार्च, 2000 से 1.5 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 2000 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक, 2000 संसद में पेश किया गया था। इस विधेयक में ऋण घाटे और उधार की उच्चतम सीमा से संबंधित प्रावधान शामिल है।

(ङ) और (च) दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। तथापि, योजना आयोग द्वारा जारी दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दृष्टिकोण पत्र में वास्तविक सकल उत्पाद में 8 प्रतिशत की औसत वृद्धि परिकल्पित की गई है। इस उद्देश्य के लिए प्रस्ताव पत्र में दसवीं योजना के लिए 32.6 प्रतिशत की एक लक्षित सकल निवेश दर (बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में) की कल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, दृष्टिकोण पत्र में 2007 तक गरीबी के अनुपात में 5 प्रतिशतांक बिन्दु की कमी की और संकेत किया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रोबेशनरी आफिसर

4210. डा. बलिराम:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री राजैया मल्याला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 27 बैंकों और सात वित्तीय संस्थाओं अर्थात् आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. नाबार्ड, एक्जिम बैंक, सिडबी, आई.आई.बी.आई., एन.एच.बी. और आर.बी.आई. में प्रोबेशनरी आफिसरों के पदों पर अनु.जा., अनु.जन.जा. और अ.पि. वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित प्रतिनिधित्व अर्थात् क्रमश: 15%, 7.5% और 27% तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में से प्रत्येक में प्रोबेशनरी आफिसरों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) अनु.जा., अनु. जन जा., अ.पि.व. तथा सामान्य वर्गों के कुल कितने व्यक्ति इन पदों पर कार्यरत है और 2 जुलाई, 1997 के पत्रांक डी.ओ.पी.टी.ओएम. नं. 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के अनुसार, 2 जुलाई, 1997 को इन पदों पर कार्यरत इन वर्गों के व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने पद रिक्त हुये और इन पदों/रिक्तियों पर नियुक्त किये गये अनु.जा., अनु.जन.जा., अ.पि.वा. और सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जाली नोट

4211. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जाली नोटों के माध्यम से जैविक आतंकवाद के प्रसार/आक्रमण की सूचना देते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी) को परिपत्र जारी किये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रचलन में आ रहे वास्तविक जाली नोट जब्त किये गये जाली नोटों से अधिक हैं; और

(घ) यदि हां, तो जाली नोटों के खतरे से निपटने के लिए सरकार का क्या सख्त कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासहिब विखे पाटील): (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सरकार की तरफ से जाली करेंसी नोटों के माध्यम से जैविक-आंतकवाद के हमले के बारे में सूचना देने संबंधी कोई परिपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालन में जाली भारतीय करेंसी नोटों की संख्या का अनुमान लगा पाना संभव नहीं है।

(घ) जाली करेंसी नोटों के प्रसार को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ, जाली नोटों की पूरी छानबीन के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक विशेष यूनिट की स्थापना करना, देश में ऐसे नोटों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल/सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा सर्तकता बढ़ाया जाना, उच्च मूल्यवर्ग के नोटों में विशेष सुरक्षा चिह्न शामिल करना तथा जनता के हित के लिए प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षा चिह्नों के बारे में सूचनाएं प्रसारित करना शामिल है। इसके साथ ही, जाली करेंसी नोटों के प्रसार के कारण उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसमें गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा मुद्रणालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

वृद्धाश्रम

4212. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में प्रत्येक राज्य में चल रहे वृद्धाश्रम कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में वे वृद्धाश्रम किस-किस स्थान पर हैं जहां भवन तो पहले से ही तैयार हैं पर वे चालू नहीं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन आश्रमों को चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले वृद्धाश्रमों की जिला-वार तथा राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। अनुदान केवल चालू केन्द्रों को ही दिया जाता है।

(ख) और (ग) जिन भवनों का निर्माण सहायता अनुदान से किया गया है, लेकिन जो चालू नहीं हैं, उनकी सूची ज्ञात नहीं है। सरकार पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कदम उठाएगी तथा उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगी।

विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जिन वृद्धाश्रमों को सहायता दी जाती है, उनकी जिलावार तथा राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला/वृद्धाश्रमों की संख्या	कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर (6), कुडप्पा (8), चित्तूर (12) पूवी गोदावरी (4), गूंटूर (9), हैदराबाद (9), करीमनगर (2), कुष्णा (7), कुरनूल (1), महबूब नगर (8) नलगोन्दा (2), निल्लौर (7), प्रकाशम (15), रंगा रेड्डी (1) सिकन्दराबाद (1), विशाकापट्टवनम (3), विजयनगरम (1). वारंगल (1), पश्चिम गोदावरी (1),	98

1	2	3	4
2.	असम	हैलाकन्दी (1), नागौन (2), कामरूप (1)	4
3.	बिहार	पटना (1)	1
4.	गुजरात	अहमदाबाद (3)	3
5.	हरियाणा	जिन्द (1), महेन्द्रगढ़ (1), रोहतक(1), सोनीपत (1)	4
6.	जम्मू व कश्मीर	लेह (1), बारामूला (1), श्रीनगर (1)	3
7.	कर्नाटक	बैंगलौर (6), बेलगांम (1), बीदर (3), बेल्लारी (2), बीजापुर (1), चित्रदुर्ग (1), देवनगीरी (2), गुलबर्गा (6), कोल्लार (2), मंध्या (2), तुमकुर (1)	27
8.	केरल	कोची (1), कोल्लाम (1),	2
9.	मध्य प्रदेश	भौपाल (1), इन्दौर (1), खरगौन (1), सिहोर (1), सतना (1), उज्जैन (1)	6
10.	छत्तीसगढ़	रायपुर (1)	1
11.	महाराष्ट्र	जलन (1), नागपुर (1), नन्देड (1), यावतमल (2)	5
12.	मणिपुर	चंदेल (1), चुरचंदपुर (3), इम्फाल ईस्ट (4) इंम्फल वैस्ट (4), थाउबल (9) , विष्णुपुर (1),	22
13.	उड़ीसा	अंगुल (1), बालांगिर (1), भुवनेश्वर (5), कटक (3) ढेनकनाल (4), गंजाम (1), कालाहांडी (1), केन्द्रपाड़ा (2), क्योंझर (1), खुर्दा (8), नयागढ़ (2), फुलबनी (2), पुरी (8), मयूरगंज (1)	
14.	पंजाब	अमृतसर (1), भटिंडा (1), फरीदकोट (1) होशियारपुर (1)	4
15.	तमिलनाडु	चेन्नई (5), कुड्डालूर (3), दिनदिगुल (1), इरोडे (1), कांचिपुरम (4), कन्याकुमारी (1), नमकाल (1), नागापट्टनम (5), पुद्दूकोटाई (4), शिवगंगे (1), तजाऊर (2), तिरूवरू (2), तिरूचिरापल्ली (1), थेनी (2), तिरूनेवेली (1), त्रिचै (7)	41
16.	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा (2)	2
17.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (1), बस्ती (2), बाराबंकी (1), फैजाबाद (1), गाजियाबाद (2), गोन्दा (1), गोरखपुर (1), हमीरपुर (1), हरदोई (1), कुशीनगर (1), लखनऊ (5), मथुरा (1), प्रतापगढ़ (2), रामपुर (1), उन्नाव (1), सिद्धार्थनगर (1)	33

1	2	3	4
18.	उत्तरांचल	देहरादून (1), बागेश्वर (1)	2
19.	पश्चिम बंगाल	बर्दवन (1), कोलकत्ता (5), हावड़ा (1), हुगली (1), माल्दा (1), मिदनापुर (18), नार्मदा (1), उत्तरी 24-परगना (2), दक्षिणी 24-परगना (2)	32
20.	पांडिचेरी		3
21.	नागालैण्ड	दीमापुर (1)	1
	योग		335

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई जब्तियां

4213. **श्री राजो सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक देश में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग द्वारा कितनी मात्रा में स्वापक औषधियों और सोने को पकड़ा गया और उनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गत 3 वर्षों और चालू वर्ष (नवम्बर, 2001 तक) के दौरान देश में राजस्व आसूचना निदेशालय सहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई स्वापक औषधियों और सोने की मात्रा उनका अनुमानित मूल्य और इस संबंध में गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

राजस्व आसूचना निदेशालय सहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय कार्यालय स्वापक औषधियों और सोने सहित सभी प्रकार के निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने के लिए चौकस और सतर्क है।

विवरण

गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (नवम्बर, 2001 तक) के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जब्त किये गये सोने और स्वापक औषधियों के ब्यौरे और इस संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या

मद	1998-99			1999-2000			2000-2001			2001-2002 (नवम्बर, 2001 तक)		
	जब्त की गई मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रु. में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई मात्रा) (कि.ग्रा. में)	मूल्य करोड़ रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई मात्रा (कि.ग्रा.) में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
स्वापक औषधियां												
हेरोइन	275	39.04	49	129	4.44	45	198	6.44	43	188	6.11	37
गांजा	24128	15.51	75	19918	8.24	44	19503	4.80	61	20088	4.17	36

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मेंड्रक्स	1037	2.20	7	162	0.32	4	1263	2.53	8	482	0.96	0
हशीश	2499	3.48	23	2708	6.66	17	2303	6.90	19	3487	10.46	6
सोना	595.8	26.07	106	959.1	41.60	133	539	24.28	82	430	19.27	43

[हिन्दी]

विदेश यात्रायें

4214. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की और इन यात्राओं के दौरान किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये; और

(ख) इन विदेशी यात्राओं पर कितनी राशि व्यय हुई और इन यात्राओं से देश को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है;

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान चीन (28.5.2000 से 3.6.2000 तक) मॉरिशस (26.4.2001 से 3.5.2001 तक) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा (20.5.2001 से 2.7.2001 तक) को दौरा किया गया। इन यात्राओं के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। इन यात्राओं पर 5,42,716/-रुपए का व्यय हुआ।

चीन यात्रा महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ की थी। मॉरिशस यात्रा से भारत एवं मॉरिशस के मध्य द्विपक्षीय संबंध बढ़ने के अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला। भारत-कनाडा व्यवसाय परिषद के उद्योगपतियों एवं सॉफ्टवेयर व्यवसायिओं/उद्यमियों के एक प्रतिनिधमंडल को कनाड़ा ले जाया गया। डेट्राइट, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित जनरल मोटर्स तथा फोर्ड मोटर कंपनी के साथ विचार-विमर्श किया गया। ओटावा, टोरन्टो और कैलगैरी में भारतीय मूल के व्यक्ति/अनिवासी भारतीयों आदि द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

[अनुवाद]

आर्थिक विधि आयोग

4215. श्री के. येरननायडू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आर्थिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए आर्थिक विधि आयोग गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या निबंधनों एवं शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके कब तक गठित कर लिये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में कितनी समय-सीमा दिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी के बारे में दिनांक 29 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5585 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी के सम्बन्ध में दिनांक 29 अगस्त, 2001 को उत्तर के लिए श्री किरीट सोमैया, संसद सदस्य, द्वारा पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5585 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में प्रश्न के उत्तर के भाग (क) के लिए अनुबंध 'क' भूल से संलग्न नहीं किया गया था। प्रश्न के उत्तर के भाग (क) के लिए अपेक्षित अनुबंध 'क' संलग्न है। मानसून सत्र 2001 के समाप्त होने के पश्चात् हमें गलती का पता चला जिससे उत्तर की शुद्धि करने में विलम्ब हुआ।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के संबंध में दिनांक 29.8.2001 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5585 के भाग(क) के उत्तर में विवरण

स्वैच्छिक/संगठनों को वित्तीय सहायता (शिशु-गृह योजना के अन्तर्गत)

क्र.सं.	संगठन का नाम	वित्त वर्ष	
		1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
1.	आधार आश्रम, 491/6, घारपुरे घाट, नासिक-422005. दूरभाष: 580309	766,800.00	600.000.00
2.	बाल विकास महिला मण्डल, द्वारा स्व-आधार महिला बस्तीगढ़, सुदर्शन कालोनी, इण्डिया नगर, लातूर-413531. दूरभाषा: 44005	600,000.00	594,000.00
3.	पीपुल्स एजुकेशन सोसाईटी, श्री शिवाजी विद्यालय रोड, नवजीवन हास्पीटल के नजदीक, सुवर्ण नगर, बुलदाना-443001. दूरभाषा: 07262-42007	712,800.00	243.600.00
4.	ध्यान गंगोत्री एजुकेशन सोसाईटी, उदगिर, लातूर-413517, दूरभाषा 54280	600.000.00	594.000.00
5.	वात्सल्य ट्रस्ट, सी/32, श्री विजय कुंज कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, भारतीय, स्टेट बैंक के नजदीक , कंजूर ग्राम (पूर्वी), मुम्बई-400042. दूरभाषा: 5782958, 579498	--	1,166,400.00
6.	डिसट्रिक्ट प्रोवेशन एण्ड आफ्टर केअर एसो., 1924/25, बाल कल्याण संकुल, मंगलवार पेठ कोल्हापुर-416012. दूरभाष: 0231-620456, 622978	138,186.00	--

1	2	3	4
7.	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गांव, तालुका मुखेड़, जिला-नादेड़, पिन 431715. दूरभाष: 02461-46148,	745,200.00	494,100.00
8.	पटेल बहुद्देशीय शिक्षण संस्थान, कोंडली तह. कटोल, जिला-नागपुर, 441103	-	248,400.00
9.	श्रीमती नरसा बाई महिला मंडल, वड़गांव तालुका, मुखेड़, नांदेड़ महाराष्ट्र-431715	-	1,020,600.00
10.	प्रियदर्शनी शिक्षण प्रसारक मंडल, शांति नगर मेन रोड, चन्द्रपुर,	606,650.00	410,400.00
11.	डिसट्रिक्ट प्रोवेशन एण्ड आफ्टर केअर एसो., ऑबजर्वेशन होम, जारेकर गली अहमद नगर-414001. दूरभाष: 0241-345229, 342949	498,809.00	496,800.00
12.	ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट, लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट, फ्लैट नं. 7, वाडिया फैक्ट्री एरिया, शिवाजी नगर, नादेड़-2. दूरभाष: 02462-35486	496.800.00	518,400.00
13.	श्री गणेस शिक्षण प्रसारक मंडल प्रियर्दशनी चौक, खड़गांव रोड, लातूर-413531. दूरभाषा: 42089,21542	-	1,004,400.00
14	उन्नतिशील महिला मंडल, रवि भवन, कांति नगर, पंचशील स्कूल के नजदीक, नादेड़ दूरभाष: 51356	297,900.00	-
15.	ग्रामीण शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास मंडल, यूनिक शिशु गृह, चमोरसी,	-	237.600.00

1	2	3	4
	सुमित निवास, हनुमान नगर, वार्ड नं. -1, जिला-गढ़चिरौली, पिन-442 603. दूरभाष: 07135-35451		
	कुल	5,463,245.00	7,628,700.00

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2001/27 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.21.19/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।